



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

**व्यावसायिक वातावरण
(BUSINESS ENVIRONMENT)**

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा

कुलगुरु

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं सदस्य

संयोजक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा

आचार्य (वाणिज्य)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

प्रो. जे. के. टंडन

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. पी. के. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, प्रबन्ध विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. सोम देव

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एन. डी. माथुर

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. जे. पी. यादव

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. गोपाल सिंह

पूर्व निदेशक (शोध)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. रीटा माथुर

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

श्री राजेश संड

निदेशक (आर्थिक सेवाएं)
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल, दिल्ली

प्रो. आशीष माथुर

विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध विभाग
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

प्रो. एच. आर. गोदारा

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रो. बी. एल. गुप्ता

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एम. डी. अग्रवाल

सेवानिवृत्त आचार्य (वाणिज्य विभाग)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. एम. एल. शर्मा

आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संपादन एवं पाठ-लेखन

संपादक

प्रो. एन. डी. माथुर

सेवानिवृत्त आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पाठ लेखक

- प्रो. गोपाल सिंह (इकाई-6)
पूर्व निदेशक (शोध)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
- डॉ. एन.डी. कोहरी (इकाई-2)
उपाचार्य (से.नि.)
राजकीय सुदर्शन महाविद्यालय, बीकानेर

सह संपादक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा

आचार्य (वाणिज्य)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

- डॉ. आशीष माथुर (इकाई-7,21)
विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध विभाग
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
- डॉ. उम्मेद सिंह (इकाई-1,8,9,10,18,20)
पूर्व सहायक आचार्य
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा

• **प्रो. रेणु जटाना** (इकाई-12,17)
पूर्व प्रोफेसर, डीन एवं संकाय अध्यक्ष
एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

• **डॉ. के.सी. गोयल** (इकाई-3)
पूर्व प्रोफेसर (प्रबंधन एवं वाणिज्य)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

• **डॉ. मनीष चुध** (इकाई-4)
सहायक संचालक
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नॉएडा

• **शीतल विजयवर्गीय** (इकाई-5)
अतिथि शिक्षक (वाणिज्य)
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

• **डॉ. कपिल देव शर्मा** (इकाई-11,14,16)
पूर्व प्राचार्य
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा

• **डॉ. बी.डी. शर्मा** (इकाई-13,15,19)
पूर्व प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सांगोद (कोटा)

• **डॉ. किरण सोनी** (इकाई-22,23)
सह आचार्य (प्रबंधन)
गीतांजली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डबोक, उदयपुर

• **डॉ. छितर मल** (इकाई-24)
प्रो. (से.नि.) आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा
कुलगुरु
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

प्रो. बी. अरुण कुमार
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

डॉ. रवि गुप्ता
प्रभारी
पाठ्यक्रम उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

July 2026

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by mimeograph or any other means, without permission in writing from the V.M. Open University, Kota.

Published on behalf of Registrar V.M. Open University, Kota.



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विषय सूची

व्यावसायिक वातावरण

इ. स.	इकाई का नाम	पृष्ठ स.
1.	व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति और संरचना	1 - 19
2.	समष्टि आर्थिक वातावरण	20 - 35
3.	व्यावसायिक नैतिकता तथा निगमीय सामाजिक दायित्व	36 - 52
4.	राष्ट्रीय आय - माप, प्रवृत्ति और संरचना	53 - 64
5.	मौद्रिक नीति	65 - 74
6.	राजकोषीय नीति : एक अवलोकन	75 - 88
7.	व्यापार और सरकार	89 - 102
8.	औद्योगिक नीति	103 - 125
9.	तकनीकी वातावरण	126 - 143
10.	भारत में आर्थिक सुधार	144 - 163
11.	सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश कार्यक्रम	164 - 183
12.	भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण	184 - 196
13.	संरचनात्मक क्षेत्र के विकास और नीति	197 - 215
14.	काले हंस लक्षण जैसी महामारी एवं उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व पुनरुद्धार की व्यूह रचना	216 - 241
15.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण	242 - 254
16.	विदेशी विनिमय एवं प्रबंधन अधिनियम (1999)	255 - 282
17.	श्रम वातावरण और श्रम नीति	283 - 302
18.	व्यावसायिक वातावरण पर विभिन्न सन्नियमों का प्रभाव	303 - 326
19.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों को लघु वित्त	327 - 344
20.	औद्योगिक रुग्णता	345 - 359
21.	भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रयोग	360 - 378
22.	कारोबारी माहौल के लिए रणनीतिक प्रतिक्रियाएं	379 - 401
23.	भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था	402 - 415
24.	वित्तीय पर्यावरण	416 - 426

इकाई -1

व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति और संरचना (Nature and Structure of Business Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of unit)

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा
- 1.3 व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति
- 1.4 व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता/महत्व
- 1.5 व्यावसायिक वातावरण के संघटक/अंग
- 1.6 व्यावसायिक वातावरण के प्रकार
 - 1.6.1 व्यवसाय का आंतरिक वातावरण
 - 1.6.2 व्यवसाय का बाह्य वातावरण
- 1.7 सारांश
- 1.8 अधिगम परिणाम
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 स्व-परख प्रश्न
- 1.11 संदर्भ/ग्रंथसूची
- 1.12 अन्य पठन सामग्री
- 1.13 वेब संसाधन व लिंक

1.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य बन सकेंगे कि:

- व्यावसायिक वातावरण के अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति या इसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- व्यावसायिक वातावरण के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।

- व्यवसाय वातावरण के विभिन्न संघटकों को जान पायेंगे।
- व्यवसाय वातावरण के प्रकार, आन्तरिक व बाह्य वातावरण का अर्थ एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

व्यवसाय एवं वातावरण के बीच बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। व्यवसायकर्ताओं के लिए व्यावसायिक वातावरण का विस्तृत एवं गहन ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे वे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अवसरों से लाभ प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक वातावरण निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। अतः एक व्यवसायकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण पर अपनी पैनी नजर बराबर बनाये रखें। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उसे अपने आपको इस वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो इन संस्थाओं का अस्तित्व ही धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। आज व्यावसायिक संस्थायें जिस सीमा तक अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल हो पा रही हैं, उस सीमा तक ही उनके उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं।

इस प्रकार, व्यावसायिक संगठन को बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण के अनुसार नीतियों, कार्यक्रमों एवं व्यूह रचनाओं में वांछित परिवर्तन कर लेना चाहिए, तभी जाकर वह व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होगा। व्यावसायिक वातावरण के निरन्तर अध्ययन एवं विश्लेषण से भावी चुनौतियों व अवसरों का समय पर ज्ञान हो जाता है। इससे व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने व व्यूह रचना में आवश्यक परिवर्तन करके इन चुनौतियों का भलीभाँति सामना किया जा सकता है। इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति मजबूत होती है।

1.2 व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Business Environment)

व्यावसायिक वातावरण शब्द व्यवसाय तथा वातावरण के योग से मिलकर बना है। अतः सम्पूर्ण शब्द का अर्थ समझने से पूर्व वातावरण शब्द को समझ लेना उपयुक्त रहेगा।

सामान्यतः वातावरण का अर्थ उन घेरे रखने वाली दशाओं, शक्तियों, तत्वों एवं परिस्थितियों से है जो सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, उस पर व्यक्ति या संस्था का कोई नियन्त्रण नहीं होता है।

प्रो. रोबिंस के अनुसार, “वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किन्तु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियन्त्रण होता है।”

वातावरण का अर्थ समझने के बाद, व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय एवं इसकी परिभाषा करना आसान हो जायेगा। सामान्य शब्दों में, व्यावसायिक वातावरण से आशय व्यावसायिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाली उन शक्तियों, प्रभावों, तत्वों, गतिशील दशाओं एवं परिस्थितियों से हैं जो व्यवसाय की प्रबन्ध एवं संगठन व्यवस्था में बदलाव लाती हो।

व्यावसायिक वातावरण की परिभाषाएँ :

1. बेयार्ड ओ व्हीलर के अनुसार, “व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है।”

2. **रैनके एवं शूएल** के शब्दों में, “व्यवसाय के वातावरण में वे सभी बाह्य घटक अथवा बातें शामिल हैं, जिनसे यह घिरा हुआ है और जिनसे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।”

इस प्रकार संक्षेप में, व्यावसायिक वातावरण का तात्पर्य व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली उन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैधानिक आदि घटकों, शक्तियों एवं दशाओं से हैं, जिनका समायोजन कर महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं ताकि समाज के हितों की पूर्ति करके व्यवसाय में लाभ कमाया जा सके।

1.3 व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति (Nature of Business Environment)

व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति अथवा प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार स्पष्ट की जा सकती हैं:-

1. **गतिशील वातावरण (Dynamic Environment):** व्यावसायिक वातावरण कभी स्थिर न होकर गतिशील होता है। उसे अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण में प्रतिदिन नये परिवर्तन होते रहते हैं तथा एक व्यवसायी की कार्य करने की नीतियाँ, निर्णय एवं विधियाँ समयानुसार बदलती रहती हैं।
2. **व्यापक वातावरण (Comprehensive Environment):** व्यावसायिक वातावरण बहुत विस्तृत होता है। इसके अन्तर्गत आन्तरिक एवं बाहरी वातावरण, दोनों को शामिल करते हैं। व्यवसायी अपने आन्तरिक वातावरण पर सरलता से नियन्त्रण कर लेता है। किन्तु, बाहरी वातावरण विस्तृत होता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं वैधानिक आदि सभी प्रकार के वातावरण सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक व्यवसायी को इसी बाह्य वातावरण के अनुसार अपने आपको ढालना होता है।
3. **व्यवसाय वातावरण की उपज है (Business is the Output Environment):** व्यवसाय को वातावरण की उपज इसलिए माना जाता है क्योंकि व्यवसाय अपने चारों ओर घिरे वातावरण में कार्य करता है, वृद्धि होता है और विकास करता है तथा उसी के अनुरूप कार्य करता है। एक व्यवसायी परिवर्तित परिस्थितियों एवं चुनौतियों के अनुरूप अपने व्यवसाय में सफलता हेतु निर्णय लेता है तथा वातावरण में बदलाव के अनुसार व्यूहरचना का निर्माण करता है। अतः एक व्यवसाय की सफलता व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण पर निर्भर करती है।
4. **भौगोलिक सीमा (Geographical Limit):** प्रत्येक व्यवसाय के कार्यक्षेत्र के अनुरूप ही उसके वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। जो व्यक्ति बहुत छोटा एवं स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करता है तो उसे प्रायः स्थानीय स्तर का बाह्य वातावरण ही प्रभावित करता है तथा उसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है।
5. **समाज में महत्वपूर्ण बदलाव का माध्यम (Significant Medium of Changes in Society):** व्यावसायिक वातावरण समाज, राष्ट्र एवं व्यवसाय के परिवेश को प्रभावित करने एवं दिशा देने की क्षमता रखता है। व्यवसाय के बाह्य वातावरण में कई घटक हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक घटक (प्रथाएँ, परम्पराएँ, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, भाषा एवं खानपान आदि) भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवसाय के द्वारा समाज में शिक्षा, जीवन शैली, आचरण, नैतिक स्तर में परिवर्तन लाये जा सकते हैं।
6. **घटकों की पारस्परिक निर्भरता (Mutual Dependency of Factors):** व्यवसाय वातावरण के सभी घटक परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यावसायिक वातावरण का निर्माण आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनैतिक, सांस्कृतिक घटकों आदि से मिलकर होता है। उदाहरणार्थ, किसी देश की आर्थिक स्थिति तकनीकी विकास को प्रभावित करती है अतः एक वर्ग के घटक का प्रभाव दूसरे वर्ग के घटक पर पड़ता है।

7. **सूचनाओं का विनिमय (Exchange of Informations):** प्रत्येक व्यवसायी अपने वातावरण से आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ सूचनाओं का भी विनिमय करता है। इन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय प्रबन्धक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है एवं व्यवस्थापन का निर्माण करता है जिससे व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके।
8. **अनिश्चितता एवं बाधा उत्पन्न करता है (Uncertainty and Barriers):** व्यवसाय के बाह्य वातावरण के घटक अनियन्त्रित होते हैं। व्यवसायी के लिए इनके प्रभावों का मूल्यांकन कर ठीक से अध्ययन कर पाना कठिन होता है। ऐसी अनियन्त्रित एवं अनिश्चित प्रकृति के कारण व्यवसाय में हर कदम पर जोखिम एवं बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
9. **अवसर एवं चुनौतियाँ (Occassions and Challenges):** प्रत्येक व्यवसायी को वातावरण अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करता है। दूसरी तरफ, यह अवसरों के साथ ही चुनौतियाँ या समस्याएँ भी खड़ी करता है। वही व्यवसायी सफल होता है जो अपने वातावरण की चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न अवसरों को लाभ में परिवर्तित करता है।
10. **विषम परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलनशीलता (Adaptivity with Reciprocal Circumstances):** व्यवसाय के संचालन में अनेकों प्रकार की विषम बाधाएँ, समस्याएँ, चुनौतियाँ एवं दबाव निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। किन्तु, व्यवसायी में इतनी अनुकूलनशीलता का होना जरूरी है कि वह विभिन्न विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर अपने कार्य का निष्पादन सही प्रकार से कर सके।
11. **बदलते परिवेश पर निरन्तर ध्यान रखना (Attention on Dynamic Environment):** व्यवसायकर्ता को व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि, वातावरण में हो रहे परिवर्तन के बारे में निरन्तर सजग, एवं सावचेत रहना बहुत जरूरी है। एलविन टोफ्लर ने सही कहा है कि “वातावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन”। अतः व्यवसायकर्ता बदलते परिवेश पर निरन्तर नजर रखें। इससे न केवल उसे अपनी व्यवसायिक व्यवस्थापन बनाते में सहायता मिलेगी बल्कि, वातावरण के परिवर्तन-अध्ययन से पूर्वानुमान लगाने में बहुत मदद प्राप्त होगी।
12. **अन्य विशेषताएँ :**
 - (i) व्यावसायिक संगठनों को वातावरण में हुए आकस्मिक परिवर्तनों के खतरों को सहन करना पड़ता है। ये खतरे जैसे-विद्युत संकट, मंदी एवं ब्याज दरों में तीव्र उतार-चढ़ाव, आदि प्रमुख हैं।
 - (ii) व्यावसायिक वातावरण में हो रहे बड़े परिवर्तनों की पहचान का दायित्व व्यवसाय का होता है।
 - (iii) प्रत्येक व्यवसायी को अपने वातावरण की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को संतुष्ट करना होता है।
 - (iv) वातावरण, व्यवसायी एवं उसके संगठन या संस्था के उद्देश्यों व कार्यों से सम्बन्ध रखता है।

1.4 व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता/महत्व (Need/Importance of Studying Business Environment)

आधुनिक व्यवसाय का वातावरण दिनोंदिन अधिक जटिल एवं गतिशील होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि आज के युग में बदलते हुए परिवेश का मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करना कठिन कार्य है। व्यवसाय की सफलता हेतु यह आवश्यक

है कि इसके वातावरण का विश्लेषण व अध्ययन निरन्तर रूप से करते रहे जिससे व्यवसाय में ठोस निर्णय लेने तथा नीतियों एवं व्यूह रचनाओं के सफल निर्माण में सहायता मिल सके। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता या महत्व निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:-

1. **व्यवसाय का सफल संचालन संभव (Possibility of Successful Business):** आधुनिक समय में व्यवसाय की सफलता इसके वातावरण के विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण पर बहुत कुछ निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक फर्म वातावरण के अध्ययन में रुची नहीं रखती वो संस्थाएँ अपने जीवन चक्र को समाप्त कर लेती हैं। **हौज तथा एन्थोनी** के अनुसार “कोई भी संगठन जो अपने वातावरण के सम्पर्क में नहीं है, वह दीर्घकाल में स्वतः समाप्त हो जायेगा।”
2. **व्यावसायिक अनिश्चिताओं एवं जटिलताओं का ज्ञान (Knowledge of Business Uncertainties and Complexities):** व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवसाय के क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चिततों का पता लगाकर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साथ ही, वातावरण के विभिन्न घटकों का प्रभाव विविध रूपों में होता है। अतः इन अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं का ज्ञान एवं मापन करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन व विश्लेषण करना जरूरी हो गया है।
3. **तीव्र प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा (Safety in cut Throat Competition):** व्यवसाय को तीव्र प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के उत्पादों, तकनीकों, लागतों, उत्पादन विधियों एवं विपणन विधियों आदि का निरन्तर अध्ययन करना पड़ता है। यदि व्यवसायी को आन्तरिक एवं बाहरी वातावरण की पूर्ण जानकारी है तो वह उसी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेकर या व्यूह रचना बनाकर तीव्र प्रतिस्पर्धा में सुरक्षित हो सकता है।
4. **ठोस निर्णय में सहायक (Helpful in Correct decision):** ठोस एवं प्रभावकारी निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्भर करते हैं। प्रबन्धक अच्छे निर्णय वातावरण के अध्ययन किये बिना नहीं ले सकता है। इसलिए रेनकी एवं शाल के मतानुसार, “वातावरण सम्बन्धी वास्तविकताओं का समुचित अध्ययन ही ठोस निर्णयों का आधार है।” अतः व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण ठोस निर्णयों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
5. **परिवर्तनों का ज्ञान (Knowledge of Changes):** व्यवसाय के क्षेत्र में निरन्तर बदलाव होते रहते हैं। ग्राहकों की रुचियों, तकनीक, उत्पाद एवं उत्पादन विधियों आदि सभी में परिवर्तन होता रहता है। इन सभी का ज्ञान हेतु व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण एवं अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
6. **लाभदेयता में वृद्धि (Increase in Profitability):** व्यवसाय की लाभदेयता में वृद्धि वातावरण के प्रति सजग एवं सावचेत रहकर प्राप्त की जा सकती है। प्रतिस्पर्धियों का ज्ञान एवं उनके विरुद्ध ठोस उपायों तथा आर्थिक घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों के अन्तर्गत अनेक अवसरों का अनुकूलतम लाभ वातावरण का पर्याप्त अध्ययन कर उठाया जा सकता है। फलस्वरूप, उपक्रम के लाभों के अवसर में वृद्धि हो जाती है।
7. **दीर्घकालीन योजना व व्यूहरचना हेतु (Long Term Plan and Strategy):** व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण व्यवसाय की दीर्घकालीन योजनाओं, नीतियों एवं व्यूहरचनाओं के निर्माण के लिए अत्यन्त जरूरी है। व्यवसाय की व्यूहरचना समग्र वातावरण की पहचान करने, अध्ययन करने, समझने तथा इनके

अनुरूप कार्य योजना पर आधारित होती हैं। सफल व्यूह- रचना के निर्माण में वातावरण का अध्ययन आवश्यक होता है।

8. **अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं दबावों को समझना (Understanding the International Incidents and Enforcement):** आधुनिक समय में औद्योगिक संस्थाओं व अर्थव्यवस्था पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव शीघ्र पड़ने लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक बदलावों से कोई भी देश व वहाँ की व्यावसायिक संस्थाएँ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय के अस्तित्व, लाभदेयता एवं अच्छी कार्य प्रणाली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं दबावों का अध्ययन किया जाए।
9. **प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था (Effective Management System):** व्यवसाय में प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि उसके वातावरण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। यह तब ही सम्भव है जब व्यवसाय एवं वातावरण के बीच मजबूत सूचना प्रणाली निरन्तर कार्य करे। प्रबन्ध की प्रभावशीलता तब बढ़ती है जब उसे व्यवसाय के वातावरण से सम्बन्धित सभी विश्वसनीय सूचनाएँ यथासमय मिलती रहें, जिससे वह ठोस निर्णय ले सके।
10. **चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना (Adherence with Challenges and Problems):** व्यवसाय के क्षेत्र में नित नयी समस्याएँ एवं चुनौतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। गतिशील वातावरण ने व्यवसाय में अनेकों चुनौतियाँ खड़ी की है जैसे- मांग एवं प्रतिस्पर्धा में बदलाव, ग्राहकों की रुचि व फैशन में परिवर्तन, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में बदलाव से नीतियों में परिवर्तन एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बदलाव, आदि। व्यवसायकर्ता को समय रहते उत्पन्न समस्याओं व चुनौतियों से निपटना जरूरी होता है और इसके लिए वातावरण का अध्ययन आवश्यक है।
11. **नव-प्रवर्तन (Neo-innovation):** वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में निरन्तर नवाचार व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। नव-प्रवर्तन से तात्पर्य है नये विचार, नये उत्पाद, उत्पादन की नयी तकनीक तथा विधियों को अपनाना आदि से है। किन्तु, नव-प्रवर्तन व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होने पर ही सफल होते हैं। परिणामस्वरूप, व्यावसायिक उपक्रम बाजार में अपने नेतृत्व के साथ प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति में रहता है।
12. **संस्था की कार्य प्रणाली के प्रभाव की जानकारी (Knowledge of Working of Institution):** व्यावसायिक संस्था के कार्यों पर इसके वातावरण के अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अच्छे प्रभाव जैसे- देश पर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार व्यक्तियों के जीवन-स्तर में वृद्धि, रोजगार के क्षेत्र में उन्नति आदि हो सकते हैं। बुरे प्रभाव में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही, प्रदूषण, देश के संसाधनों की बरबादी आदि हो सकते हैं। अतः इन प्रभावों की जानकारी के लिए व्यवसायकर्ता को अपने वातावरण का मूल्यांकन करना होता है।
13. **सरकार की आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ (Economic and Labour Policies of Government):** सरकार की आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ व्यवसाय पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती हैं। प्रत्येक देश में आर्थिक व श्रम नीतियों सम्बन्धी घटकों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रबन्धकों को इन घटकों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सार्थक निर्णय लेने एवं व्यूह रचना बनाने जैसे कार्य करना चाहिए।

14. **बाजार के परिवर्तनों का ज्ञान (Knowledge of Changing Market)** व्यवसाय के सफल संचालन के लिए बाजार की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होना जरूरी है। बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की मांग है, मंदी एवं तेजी की स्थिति, सरकार की व्यवसाय सम्बन्धी नीति, प्रतिस्पर्धीयों की स्थिति आदि की उपयुक्त जानकारी रखना व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

15. **अन्य महत्व (Other Significance) :-**

- (i) प्राकृतिक एवं माननीय संसाधनों का अधिकतम विदोहन का श्रेय व्यावसायिक वातावरण को जाता है।
- (ii) व्यावसायिक वातावरण औद्योगिक विकास, परिवर्तन, विविधता एवं आर्थिक प्रगति के अवसर उपलब्ध करवाता है।
- (iii) व्यावसायिक वातावरण से व्यवसाय की उपयुक्त कार्ययोजनाओं (Action-Plans) के निर्माण में सहायता मिलती है।
- (iv) व्यावसायिक संस्था के वर्तमान उद्देश्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन करने में व्यावसायिक वातावरण बहुत उपयोगी होता है।
- (v) व्यवसाय वातावरण के विभिन्न घटकों का अन्य घटकों पर कैसा एवं कितना प्रभाव हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन आवश्यक है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. आपकी दृष्टि में एक श्रेष्ठ व्यवसायी नहीं हो सकता है जिसे आस-पास के सम्पूर्ण वातावरण / व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान हो। इस तथ्य को पूर्ण मनन एवं चिंतन से समझने का प्रयास करते हुए, अपने मित्र-वर्ग को भी समझाएँ।
2. एक व्यवसाय के लिए वैधानिक वातावरण/वैधानिक नियमों एवं विनियमों के औचित्य को समझकर, यह स्पष्ट करने का प्रयास करें कि ये नियम एवं विनियम, व्यवसाय के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं?
3. व्यावसायिक वातावरण की आवश्यकता के अध्ययन के निम्न कारण हो सकते हैं :
 - (अ) व्यवसाय के सफल संचालन के लिए
 - (ब) दीर्घकालीन व्यूहरचना के लिए
 - (स) प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था हेतु
 - (द) उपरोक्त सभी
4. आपने व्यावसायिक वातावरण के अर्थ और परिभाषा का ज्ञान अर्जित किया है। व्यावसायिक वातावरण की प्रोफेसर रोबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा को लिखकर स्वयं को परखिए।
5. “व्यवसाय, वातावरण की उपज है।” इसे सिद्ध करने के लिए स्व-निर्मित बिन्दुओं को तथा वाक्य लिखिए।

1.5 व्यावसायिक वातावरण के संघटक/अंग (Components of Business Environment)

व्यावसायिक वातावरण अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल है। यह गतिशील एवं प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। इसके विभिन्न संघटक/अंग निम्नलिखित हैं :-

1. **आर्थिक घटक (Economic Components):** इसमें समस्त आर्थिक घटना, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक सन्निध, पूँजी निर्माण एवं निवेश, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, बाजार की स्थिति, मांग एवं पूर्ति, आयात-निर्यात, कर सम्बन्धी नीतियाँ आदि।
2. **भौगोलिक एवं पारिस्थितिक घटक (Geographical and Environmental Components):** इसमें प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, भूगर्भीय संसाधन, शक्ति के साधन, पर्यावरण, आधारभूत ढाँचा, समुद्री संसाधन, जनोपयोगी साधन आदि सम्मिलित किये जाते हैं।
3. **सामाजिक-सांस्कृतिक घटक (Social-Cultural Components):** इसमें सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ, सामाजिक मूल्य, परिवार संरचना, जीवन शैली, धार्मिक आस्थाएँ, धारणाएँ, संस्कार आदि को शामिल किया जाता है।
4. **तकनीकी घटक (Technological Components):** इसमें औद्योगिक तकनीकी विकास, प्रयोगशालाएँ, शोध एवं विकास, ऊर्जा के नवीन स्रोत, जैविक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट संप्रेषण, कम्प्यूटर आदि प्रमुख माने जाते हैं।
5. **राजनीतिक घटक (Political Components):** इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से राजनीतिक व शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक विचारधारा, विदेश नीति, संवैधानिक व्यवस्था सरकारी नीतियाँ, विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति आदि सम्मिलित किये जाते हैं।
6. **वैधानिक घटक:** इसमें न्याय व्यवस्था, औद्योगिक एवं श्रमसन्निध, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्निध, कर नीति एवं व्यवस्था, संवैधानिक प्रावधान, प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम आदि मुख्य माने जाते हैं।
7. **अन्य घटक (Other Components):** व्यावसायिक वातावरण के अन्य घटकों में जनसंख्या, शैक्षिक विकास एवं प्रगति, नीतिशास्त्रीय मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, पर्यावरणीय संकट, औद्योगिक शान्ति आदि प्रमुख हैं।

1.6 व्यावसायिक वातावरण के प्रकार (Types of Business Environment)

किसी व्यावसायिक संस्था के वातावरण को प्रमुख दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. आन्तरिक वातावरण तथा
2. बाह्य वातावरण।

1.6.1 व्यवसाय का आन्तरिक वातावरण (Internal Environment of Business)

आन्तरिक वातावरण से तात्पर्य संस्था के भीतर के उन घटकों से है जो संस्था की चारदीवारी/परिसर के अन्दर के वातावरण का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के वातावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:-

- (i) संस्था का दर्शन (विचारधारा) एवं उद्देश्य
- (ii) आन्तरिक संगठन संरचना
- (iii) संस्था की नीतियाँ एवं नियम
- (iv) प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध

- (v) संस्था का उत्पादन, कार्य विधियाँ एवं प्रौद्योगिकी
- (vi) अनुसंधान एवं विकास क्षमता
- (vii) संस्था की स्थित एवं संस्था के संसाधन
- (viii) प्रबन्धकीय कार्य शैली, आदि।

1.6.2 व्यवसाय का बाह्य वातावरण (External Environment of Business)

बाह्य वातावरण से अभिप्राय संस्था के अपने परिसर से बाहर मौजूद कार्य वातावरण से है। अन्य शब्दों में, जो संस्था के बाहर की परिस्थितियों द्वारा निर्मित वातावरण है, उसे बाह्य वातावरण कहा जाता है। इस वातावरण के बारे में विस्तार से नीचे वर्णन दिया जा रहा है।

बाह्य वातावरण एवं इसके घटक (External environment and its components): बाह्य वातावरण एवं इसके घटकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

I सूक्ष्म/व्यष्टि/कार्य वातावरण, तथा

II वृहत्/साधारण वातावरण।

I सूक्ष्म/व्यष्टि/कार्य वातावरण (Micro/Task Environment): जो बाह्य वातावरण संस्था के कार्यों तथा प्रबन्धकों के बहुत नजदीक होते हैं और संस्था की कार्यविधि को प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम प्रभावित करता है, उसको व्यष्टि/सूक्ष्म या कार्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। इस वातावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:-

1. **ग्राहक (Customers):** ग्राहक या उपभोक्ता व्यष्टि वातावरण का एक प्रमुख घटक है। उपभोक्ता की मांग व रुचि में निरन्तर बदलाव होता रहता है। आज व्यवसाय का केन्द्र बिन्दु ग्राहक एवं ग्राहक की आवश्यकताएँ व इच्छाएँ हैं। ग्राहक कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें उपभोक्ता ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक, अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक आदि शामिल हैं। इन सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि, फैशन, आय व शिक्षा का स्तर, आयु, लिंग, पेशा आदि का ज्ञान व जानकारी व्यावसायिक प्रबन्धकों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
2. **पूर्तिकर्ता (Suppliers):** आपूर्तिकर्ता संस्था की कुशलता को अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ये पूर्तिकर्ता आवश्यक संसाधनों की समय पर आपूर्ति करते हैं जिससे इन संस्थाओं में उत्पादों के निर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया बिना व्यवधान के निरन्तर चलती रहती है। अतः प्रबन्धकों को आपूर्ति सम्बन्धी नीतियों, शर्तों, उत्पाद की आपूर्ति की मात्रा, किस्म तथा आपूर्ति में आने वाले व्यवधान की संभावना आदि का अध्ययन करते रहना चाहिए।
3. **प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ (Competitive Institutions):** व्यावसायिक प्रबन्धकों को अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें वे प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की योजनाओं, व्यूह रचनाओं, नीतियों, उनके द्वारा निर्मित उत्पाद, उनकी गुणवत्ता व मूल्य एवं उनके ब्रांड की विश्वसनीयता आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त करना आवश्यक होता है।
4. **मध्यस्थ (Intermediaries):** मध्यस्थ निर्माता और ग्राहक के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्यस्थ संस्था के उत्पादों/सेवाओं के विक्रय, वितरण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामान्यतया मध्यस्थों में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, वितरक, एजेंट आदि शामिल हैं। इनका वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यावसायियों को ऐसे महत्वपूर्ण घटक की नीतियों, ग्राहक सम्बन्ध व व्यवहार, कार्य-प्रणाली एवं प्रदत्त सेवाओं का बारीकी से विश्लेषण एवं अध्ययन करना चाहिए।

5. जन-समूह (Public): जन-समूहों से अभिप्राय जनता के किसी ऐसे समूह से है जिसका किसी संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में प्रत्यक्ष हित विद्यमान होता है अथवा वे उस क्षमता को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। जन-समूह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

- (i) **वित्तीय जन-समूह:** इस जन-समूह में प्रायः बैंक, अंशधारी, ऋणदाता, ऋणपत्रधारी, अन्य विनियोग करने वाली संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं।
- (ii) **संचार माध्यम जन-समूह:** इसके अन्तर्गत समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, टीवी, रेडियो तथा अन्य सूचना तंत्र आदि शामिल हैं।
- (iii) **सरकारी जन-समूह:** इसमें सरकारी संस्थाएँ एवं अधिकारी सम्मिलित हैं जो सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। आयकर एवं वाणिज्य कर अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, श्रम कानून निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी आदि ऐसे जन-समूह शामिल हैं।
- (iv) **स्थानीय जन-समूह:** संस्था के नजदीक या आस-पास रहने वाले लोग इस जन-समूह के अन्तर्गत आते हैं।
- (v) **सामान्य जन-समूह:** इसमें उन व्यक्तियों के समूह सम्मिलित किये गये हैं जो संस्था के उत्पादों/सेवाओं के उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
- (vi) **नागरिक कार्यवाही जन-समूह:** इनमें जनता का प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण प्रदान करने वाले समूह सम्मिलित हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण संघ, उपभोक्ता संरक्षण संघ, अल्पसंख्यक संघ, श्रम संघ आदि शामिल होते हैं।
- (vii) **आन्तरिक जन-समूह:** इनमें संस्था के संचालकों, प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के समूह को सम्मिलित करते हैं।

ये सभी समूह व्यावसायिक संस्था की छवि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये छवि या ख्याति को बना सकते हैं अथवा बिगाड़ सकते हैं। अतः इनसे सम्पर्क बनाये रखना तथा उनकी समस्याओं, सुझावों आदि पर ध्यान रखना प्रबन्धकों लिए अत्यन्त आवश्यक है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया है। यह स्पष्ट करें कि निम्न दो घटकों में कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाता है :
 - (अ) तकनीकी घटक
 - (ब) राजनीतिक घटक
2. आप, अपने अध्ययन के आधार पर स्व-मूल्यांकन के लिए, निम्न को स्पष्ट करने का प्रयास करें:
 - (अ) “व्यवसाय का आन्तरिक वातावरण संस्था की स्वयं की प्रणाली का वातावरण”
 - (ब) “परिसर के बाहर का वातावरण बाह्य वातावरण कहलाता है”

3. अपने द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर , निम्न शब्दों का अभिप्राय ज्ञात करके लिखें :
(अ) उपभोक्ता (ब) प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ (स) वित्तीय जनसमूह
4. किसी भी राष्ट्र में अपनाई जाने वाली औद्योगिक-नीति, मौद्रिक नीति , राजकोषीय नीति , आयत-निर्यात नीति, मूल्य नीति, विदेशी-विनियोग नीति तथा रोजगार नीति को किस मूल-नीति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं ? एक शब्द में उत्तर दीजिए ।
5. व्यवसाय के सामाजिक – सांस्कृतिक वातावरण के कोई दो घटक, जो आपके अध्ययन के अनुरूप सर्वाधिक प्रभावशाली हों , को स्पष्ट करने का प्रयास करें ।

II **वृहत्/समष्टि/सामान्य वातावरण (Macro/General Environment):** व्यावसायिक वातावरण की बाहरी शक्तियाँ वृहत् या समष्टि वातावरणीय घटक कहलाती हैं। ये घटक अथवा शक्तियाँ अनियन्त्रित होते हैं और व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये शक्तियाँ/घटक प्रबन्धकों के लिए अनेक अवसरों के साथ-साथ अनेक चुनौतियों/संकटों को भी जन्म देती हैं। समष्टि वातावरण में विभिन्न प्रकार के वातावरण सम्मिलित हैं। इनमें प्रमुख वातावरण एवं उनके घटक निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं:-

1. **जनांकिकीय वातावरण (Demographic Environment):** व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित उत्पाद/सेवाएँ मनुष्य के लिए एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं। इस वातावरण का निर्माण मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं या घटकों से होता है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या की संरचना, आयु, लिंग, जाति, धर्म, शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का आकार व घनत्व, आय, जन्मदर, मृत्युदर आदि को सम्मिलित किया जाता है।

जनसंख्या सम्बन्धी इन सूचनाओं के सही जानकारी के अभाव में एक व्यवसायकर्ता व्यवसाय के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता क्योंकि जिन लोगों (ग्राहकों) की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, उनके बारे में यह जानना आवश्यक है कि उनकी आयु, लिंग व आय कैसी है और वे कितनी धनराशि खर्च करने को तैयार है?

जनसंख्या सम्बन्धी इन घटकों में निरन्तर बदलाव होता रहता है। प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। व्यक्तियों की आय, शैक्षिक स्तर, आयु में परिवर्तन हो रहे हैं। घरेलू इकाई का आकार एवं जनसंख्या के क्षेत्रीय स्वरूप भी परिवर्तित होता जा रहा है। संस्था के प्रबन्धकों को इन सभी बातों का निरन्तर अध्ययन एवं विश्लेषण करना पड़ता है।

2. **प्राकृतिक/भौतिक वातावरण (Natural/Physical Environment):** व्यवसाय का प्राकृतिक/भौतिक वातावरण किसी भी व्यवसाय की संरचना को न केवल प्रभावित करता है बल्कि, इसके भावी विकास एवं विस्तार को भी निर्धारित करता है। साथ ही, आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक वातावरण के कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:-

- (i) **प्राकृतिक संसाधन की स्थिति एवं उपलब्धता** - वनस्पति, भूमि, खनिज, कोयला, तेल, सौर-ऊर्जा, समुद्र, नदियाँ, पहाड़ वन एवं जल आदि की स्थिति एवं उपलब्धता।
- (ii) **जलवायु**- सर्दी, वर्षा, गर्मी, बर्फीले और रेगिस्तानी प्रभाव आदि की स्थिति।
- (iii) **प्राकृतिक परिस्थितियाँ** - प्रदूषण की स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप की दशाएँ वायु, जल एवं शोरगुल प्रदूषण की स्थिति। इसी प्रकार भूकम्प, बाढ़ एवं तूफान की स्थिति, आदि।

- (iv) **प्रकृतिवाद-** इसमें प्रकृति के विकास एवं प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति।

आज सम्पूर्ण विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक साधनों का धीरे-धीरे विनाश होता जा रहा है। प्राकृतिक साधनों के स्थान पर प्लास्टिक एवं रासायनिक पदार्थों का चलन बढ़ता जा रहा है। फलतः इसके अनेक दुष्परिणाम प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहे हैं। जल तथा वायु प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अब प्रबन्धकों का दायित्व है कि वे अपने भौतिक या भौगोलिक वातावरण की न केवल सुरक्षा करें बल्कि, भौतिक वातावरण के घटकों का व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव का भी निरन्तर अध्ययन करते रहें।

3. **आर्थिक वातावरण (Economic Environment):** आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन समस्त बाह्य शक्तियों या घटकों से है जो व्यावसायिक संस्था की कार्य-प्रणाली एवं कुशलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। अन्य शब्दों में, आर्थिक वातावरण में वे सभी घटक/तत्व सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवसायी के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण के कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:-

- (i) **आर्थिक प्रणाली (Economic System):** व्यवसाय की दृष्टि से, देश के आर्थिक वातावरण को समझने से उस देश की आर्थिक प्रणाली को अपने उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलती है। किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली उस देश की आर्थिक विचारधारा, आर्थिक संरचना तथा आर्थिक खुलेपन को दर्शाती है। किसी देश की आर्थिक प्रणाली-पूँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी एवं मिश्रित आर्थिक प्रणाली हो सकती है।
- (ii) **आर्थिक नीतियाँ (Economic Policies):** आर्थिक नीतियाँ देश में विकसित होने वाले व्यवसाय, उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आर्थिक क्रियाओं में उतार-चढ़ाव, विस्तार, विकास, शोध, प्रतिस्पर्धा एवं निर्यात संवर्द्धन आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं।

एक देश की आर्थिक नीतियों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है:-

- औद्योगिक नीति
- मौद्रिक नीति
- राजकोषीय नीति
- औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति
- खनिज नीति एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं विदोहन के लिए नीति
- आयात-निर्यात नीति
- रोजगार, आय एवं मूल्य नीति
- कृषि नीति
- विदेशी विनियोग नीति

- श्रम नीति, आदि।

(iii) आर्थिक दशाएँ (Economic Conditions): किसी देश की आर्थिक दशाएँ उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। इसके अलावा यह आर्थिक विकास का आधार तैयार करती है। देश की अर्थव्यवस्था की विकास की दशा यह तय करती है कि यह विकासशील, अविकसित या विकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित हो गयी है। आर्थिक दशाएँ देश के लोगों के जीवन-स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय के लिए व्यक्तियों का उपभोग का स्तर व प्रारूप, जीवन-स्तर तथा जन सामान्य की आर्थिक स्थिति अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। व्यवसाय इनके आधार पर अपने विस्तार एवं विकास, नये बाजारों की खोज, नये उत्पादों का नियोजन एवं विकास, विज्ञापन व संबर्द्धन व्यूहरचना, आदि के बारे में योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार करता है। सामान्यता आर्थिक दशाओं में निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है:-

- प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति
- पूँजी निर्माण
- विदेशी पूँजी की उपलब्धता
- उपभोग का स्तर
- आर्थिक विकास एवं प्रगति का स्तर
- उद्यमशीलता एवं साहस
- बाजार का आकार
- देश का आधारभूत ढाँचा
- सामान्य मूल्य स्तर एवं मुद्रा प्रसार
- मानव संसाधनों का उपयोग एवं विकास
- विदेशी मुद्रा अर्जन
- राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा वितरण
- नव-प्रवर्तन एवं कौशल निर्माण आदि।

(iv) कर ढाँचा: आयकर, आयातकर, उत्पाद एवं सेवा कर, तटकर आदि की दरें।

(v) ऊर्जा के स्रोत: कोयला, विद्युत, पेट्रोल, डीजल तथा गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत एवं भण्डार।

(vi) मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति: शिक्षित-प्रशिक्षित, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय क्षमतावान व्यक्तियों की उपलब्धता। देश में औद्योगिक क्षेत्र में श्रम व सेवायोजकों के मध्य अच्छे व मधुर सम्बन्ध। प्रत्येक देश के इन आर्थिक घटकों में निरन्तर बदलाव होते रहते हैं। व्यावसायिक प्रबन्धकों को इन परिवर्तनों पर नजर बनाये रखनी चाहिए एवं इनका निरन्तर रूप से अध्ययन करते रहना चाहिए। इन अध्ययनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं व्यूहरचना के निर्माण में सहायता मिलती है।

4. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण (Socio-Cultural Environment):** व्यावसायिक वातावरण में सामाजिक.सांस्कृतिक वातावरण के घटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक.सांस्कृतिक मान्यताएँ, मूल्य, आस्थाएँ परम्परा, रीतिरिवाज एवं जीवन शैली होती है। प्रत्येक समाज अपने सामाजिक व सांस्कृतिक मापदण्ड निर्धारित करता है। सामाजिक मापदण्ड, मूल्य एवं मान्यताएँ अनौपचारिक ही होते हैं परन्तु ये औपचारिक से भी ज्यादा बाध्यकारी हो जाते हैं। **स्टुडिन्वेन्ट** के अनुसार, “शिक्षा, फैशन, प्रवृत्ति, जनसंख्या विस्तार, परिवार का विस्तार व ढाँचा, गतिशीलता एवं मौद्रिकवाद इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण, जैसे घटक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं।” सामाजिक. सांस्कृतिक वातावरण के घटक निम्नलिखित हैं :-

- (i) सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ, मूल्य एवं मापदण्ड
- (ii) धार्मिक आस्थाएँ
- (iii) सामाजिक रीतिरिवाज एवं परम्पराएँ
- (iv) समाज के लोगों के जीवन.स्तर, जीवन की गुणवत्ता तथा जीवन शैली
- (v) परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण
- (vi) समाज में जाति, वर्गभेद तथा रंगभेद
- (vii) समाज में लिंग भेद अर्थात् महिलाओं की स्थिति
- (viii) समाज में लोगों के बीच सहयोग एवं आपसी व्यवहार का स्तर
- (ix) रूढ़ियों तथा परम्पराओं के प्रति दृष्टिकोण
- (x) कार्य के प्रति दायित्व बोध
- (xi) परिवार, संरचना जैसे - एकल इकाई परिवार और संयुक्त परिवार आदि
- (xii) समाज में कला, साहित्य एवं लोक संगीत के प्रति दृष्टिकोण आदि।

सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के इन घटकों में परिवर्तन निरन्तर होता रहता है। आज सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, धार्मिक आस्थाएँ बदल रही हैं तथा जीवन शैली एवं जीवन-स्तर में अन्तर देखने को मिल रहा है।

5. **तकनीकी वातावरण (Technological Environment):** व्यावसायिक वातावरण को नवीन एवं गतिशील विज्ञान व तकनीकी विकास सम्बन्धित गतिविधियाँ प्रभावित करती हैं। आज आधुनिकीकरण, स्वचालन, मशीनीकरण, कम्प्यूटर एवं अन्य नवाचार आदि के विकास के कारण व्यावसायिक प्रगति में तेजी से वृद्धि हुई है। तकनीकी सुधारों के कारण ही उत्पादन विधियों में परिवर्तन हुए हैं, जिससे लागत में कमी के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन करना सम्भव हुआ है।

तकनीकी वातावरण के कुछ प्रमुख घटक हैं - तकनीक की उपलब्धता, तकनीकों के उपलब्ध विकल्प, उपलब्ध तकनीकों का स्तर एवं लागत, सरकार की तकनीकी नीति, तकनीकों के आयात.निर्यात की नीति, देश एवं विदेशों में तकनीकी परिवर्तनों की गति आदि। तकनीकी घटकों का प्रभाव व्यवसाय एवं समाज पर बहुत व्यापक होता

है। ये संस्था की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज आदि पर भी गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः तकनीकी घटकों के प्रभावों का बड़ी सावधानी से आकलन करना चाहिए। प्रबन्धकों व उद्योगपतियों को उन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए।

6. **राजनीतिक वातावरण (Political Environment):** राजनीतिक वातावरण या घटक व्यावसायिक संस्थाओं एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सरकार, राजनीति एवं व्यवसाय के मध्य होने वाली अन्तक्रियाएँ व्यवसाय के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। सामान्यतया, यह कहा जाता है कि राजनीतिक निर्णय व्यवसाय के विकास एवं संरचना की दशा ही बदल सकते हैं। राजनीतिक वातावरण के विभिन्न प्रमुख घटक हैं- सरकार की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीतियाँ एवं नियम, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सैन्य नीति, लोक कल्याण एवं सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति, अफसरशाही, राजनीतिक दान एवं भेंट आदि।

राजनीतिक निर्णय अनेक कारणों से प्रभावित व शासित होते हैं। इनमें प्रमुख है- राजनीतिक विचारधारा, जनसेवा, जन-कल्याण, राजनीतिक दबाव, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव, स्वार्थ भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश हित, समूह विशेष का दबाव आदि। राजनीतिक निर्णयों को व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा इनके अनुसार अपनी कार्य योजनाओं में सम्मिलित करने के प्रयास किये जाते हैं।

इस प्रकार, राजनीतिक वातावरण व्यवसाय के स्वरूप को न केवल प्रभावित करता है बल्कि व्यवसाय की संरचना में ही बदलाव कर देता है।

7. **वैधानिक वातावरण (Legal Environment):** वैधानिक वातावरण के अन्तर्गत व्यवसाय से जुड़े अन्य पक्षकारों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए तथा संस्था के क्रियाकलापों के लिए समुचित वैधानिक व्यवस्था या नियमन करते हैं। इसके अतिरिक्त, अवांछनीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। व्यवसाय के वैधानिक वातावरण में प्रमुख घटक-संवैधानिक प्रावधान, आर्थिक नीतियाँ, कर नीति एवं व्यवस्था, औद्योगिक एवं श्रम सन्निधिम, व्यापारिक सन्निधिम, प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम एवं न्यायिक व्यवस्था, आदि सम्मिलित हैं।

वैधानिक वातावरण से व्यवसाय को पूर्ण संरक्षण मिलने के साथ-साथ सही तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वैधानिक प्रणाली द्वारा जनहित में अभिवृद्धि के प्रयास किये जाते हैं। वैधानिक वातावरण के घटकों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। अतः प्रबन्धकों को परिवर्तित कानूनों को समझना एवं उन्हीं के अनुरूप अपना कार्य एवं व्यवहार करना होता है।

8. **नैतिक वातावरण (Ethical Environment):** आज व्यवसाय का स्वरूप बहुत बदल गया है। व्यवसाय को समाज के नीतिशास्त्रीय मूल्यों का पालन करना होता है। व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में नैतिकता के मूल्य व सिद्धान्त, प्रतिमान, आदर्श आदि आज प्रबन्धकों के व्यवहार का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

नैतिक व्यवहार के अन्तर्गत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वस्तुओं के प्रतिस्पर्धी मूल्य व किस्म निर्धारण, उचित विज्ञापन, अच्छी कार्य की दशाएँ, करों का समय पर भुगतान, उपभोक्ता व्यवहार, अंशधारियों व ऋणपत्रधारियों के मामले, श्रम-कल्याण व सामाजिक सुरक्षा, आदि सम्मिलित किये जाते हैं। इनसे सम्बन्धित निर्णय नीतिशास्त्रीय मूल्यों या सिद्धान्त के अनुसार लिये जाते हैं। एक व्यवसायी द्वारा इन्हें मध्यनजर रखते हुए अपनी संस्था का प्रबन्ध एवं संचालन करना आवश्यक हो गया है। व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नैतिक मूल्यों पर किये जाने के लिए सरकार एवं कानून विशेष जोर दे रहे हैं।

9. **अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण (International Environment):** वर्तमान में, व्यवसाय के क्षेत्र में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव से सभी देशों की व्यावसायिक व विपणन क्रियाएँ प्रभावित हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार व वाणिज्य क्रियाओं में वृद्धि सूचना क्रांति के बाद तेजी से हुई है। बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रवेश, राष्ट्रों के मध्य आपसी सम्बन्धों को बढ़ावा देने एवं सूचना तकनीकी से राष्ट्रों के मध्य दूरियां कम होती जा रही हैं। इसी के फलस्वरूप, एक देश का दूसरे अन्य देशों पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं तकनीकी प्रभाव पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं:-

- (i) विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध
- (ii) विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक व औद्योगिक नीतियाँ
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का स्तर
- (iv) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या, कार्य क्षेत्र की सीमा एवं समझौते की संभावनाएँ
- (v) विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीतियाँ एवं नियम
- (vi) आयात-निर्यात की संभावनाएँ
- (vii) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण एवं समझौते की संभावनाएँ
- (viii) विदेशी पूँजी के निवेश एवं उपलब्धता की संभावनाएँ
- (ix) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की स्थिति इत्यादि।

आज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली न केवल व्यावसायिक संस्थाएँ इन घटकों से प्रभावित हो रही हैं बल्कि, वैश्वीकरण व उदारीकरण के बढ़ते क्षेत्र के प्रभाव से अन्य सभी व्यावसायिक उपक्रमों पर इनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह कहना उपयुक्त है कि कुछ उपक्रमों पर इन घटकों का असर कम देखने को मिलता है जबकि कुछ अन्य उपक्रमों को ये गम्भीर रूप से प्रभावित करते हैं। अतः एक व्यावसायिक प्रबन्धक को, आधुनिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय में सफल होना है तो अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के इन सभी घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण निरन्तर करते रहना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए पूर्व अध्ययन के पश्चात् ही विभिन्न क्षेत्र हेतु निर्णय लेना चाहिए तथा उपयुक्त व्यूहरचना का निर्माण करना चाहिए।

वृहत् या समष्टि वातावरण के उपर्युक्त वर्णित सभी घटकों का सभी व्यावसायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। किन्तु, यह संभव है कि इनका प्रभाव कुछ संस्थाओं पर कम तथा अन्य दूसरी संस्थाओं पर अधिक हो सकता है।

बाह्य घटकों के प्रभाव का अध्ययन पृथक् – पृथक् नहीं किया जा सकता है। इनका आपसी परस्पर सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में **प्रो. शेपर्ड** ने लिखा है कि “आर्थिक विकास किसी एक घटक से नहीं अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के उचित अनुपात के सम्मिश्रण से होता है।”

1.7 सारांश (Summary)

व्यावसायिक वातावरण गतिशील एवं जटिल होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को, यह वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उसे इस वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। व्यवसाय की सफलता इसके वातावरण का निरन्तर अध्ययन करते रहने पर निर्भर करती है।

व्यावसायिक वातावरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली उन शक्तियों, प्रभावों, तत्वों एवं परिवर्तित परिस्थितियों से है, जो व्यवसाय की प्रबन्ध एवं संगठन व्यवस्था में बदलाव लाती हो।

व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता/महत्व को इन बिन्दुओं के द्वारा बताया जा सकता है-

- (i) व्यवसाय का सफल संचालन (ii) अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं का ज्ञान (iii) तीव्र प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा (iv) ठोस निर्णय में सहायक (v) परिवर्तनों का ज्ञान (vi) लाभदेयता में वृद्धि (vii) दीर्घकालीन योजना व व्यूहरचना के लिए (viii) प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था (ix) नवप्रवर्तन (x) चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना इत्यादि।

व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न संघटक/अंग हैं, जो इस प्रकार हैं- आर्थिक घटक, भौगोलिक एवं पारिस्थितिक घटक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक, तकनीकी घटक, राजनीतिक घटक, वैधानिक घटक, इत्यादि।

व्यावसायिक वातावरण को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं- (i) आन्तरिक वातावरण (ii) बाहरी वातावरण। आन्तरिक वातावरण के मुख्य घटक हैं- संस्था के उद्देश्य, संस्था की नीतियाँ एवं नियम, संगठन-संरचना, उत्पादन विधियाँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी योजनाएँ एवं नीतियाँ आदि।

बाह्य वातावरण के अन्तर्गत सम्मिलित हैं- आर्थिक वातावरण, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, नीतिशास्त्रीय वातावरण, पर्यावरणीय वातावरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण इत्यादि। व्यवसाय की सफलता एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के सभी घटकों का ध्यान रखा जाता है।

1.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

विद्यार्थीगण, इस इकाई के अध्ययन एवं मनन के उपरान्त यह ज्ञानार्जन करने एवं सीखने तथा समझने में सक्षम हो गए होंगे कि -

- मूलरूप में, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं पारिभाषिक तथ्य, आपके मस्तिष्क में क्या है और इन्हें आत्मसात किया जा चुका है।
- व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति/विशेषताओं को बिन्दुवार किस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है?
- एक प्रारम्भिक तथा उभरते हुए व्यवसाय के लिए 'व्यावसायिक वातावरण' की आवश्यकता को, उसके महत्व के अनुरूप, किस स्वरूप में सीखा गया है?
- व्यावसायिक वातावरण, जिन घटकों/संघटकों पर निर्भर होता है, उनका अपने सुचारू एवं सुनिश्चित अध्ययन कर लिया है।
- व्यावसायिक वातावरण के 'आन्तरिक एवं बाह्य' प्रभावित करने वाले घटकों को अधिगमित (learned) कर लिया है। अप भावी परीक्षा में, उपरोक्त तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रख सकेंगे।

1.9 शब्दावली (Glossary)

- **वातावरण (Environment):** वातावरण से आशय उस घेरे में रहने वाली दशाओं, प्रभावों एवं दशाओं से है, जो किसी व्यक्ति, संस्था एवं कार्य/प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

- **वातावरण विश्लेषण (Environment Analysis):** वातावरण विश्लेषण से तात्पर्य वातावरण के विभिन्न घटकों एवं उनकी शक्तियों का किसी उपक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है।
- **व्यूहरचना (Strategy):** व्यूहरचना संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत एवं सुव्यवस्थित कार्य योजना है।
- **मौद्रिक नीति (Monetary Policy):** मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के नियमन एवं नियन्त्रण के उद्देश्य से बनायी जाती है।
- **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):** राजकोषीय नीति से तात्पर्य किसी देश की उस नीति से, जिसके अन्तर्गत सरकार अपने आय-व्यय तथा सार्वजनिक ऋण की उन क्रियाओं का विवेचन करती है जिनके द्वारा सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करती है।
- **प्रबन्ध (Management):** किसी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाने, व्यवस्था करने, नेतृत्व करने और उन पर नियन्त्रण करने की प्रक्रिया से है।

1.10 स्वपरख प्रश्न (Self-Tested Questions)

1. व्यावसायिक वातावरण से क्या आशय है? व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति को समझाइये।
2. एक व्यवसायी के लिए व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की महत्ता या आवश्यकता क्यों है? विस्तृत रूप में समझाइये।
3. “व्यवसाय वातावरण की उपज है” स्पष्ट कीजिये। व्यवसाय एवं वातावरण के सम्बन्ध की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
4. व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। ये किस प्रकार व्यवसाय को प्रभावित करते हैं?
5. आर्थिक वातावरण क्या है? आर्थिक वातावरण एवं इनके घटकों का वर्णन कीजिए।
6. बाह्य वातावरण से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले बाह्य घटकों का वर्णन कीजिए।

1.11 संदर्भ/ग्रंथसूची (References/Bibliography)

- फ्रांसिस चेरूनीलम: “बिजनेस इन्वायरमेन्ट”, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2018
- सिन्हा वी.सी. : “व्यावसायिक पर्यावरण”, साहित्य भवन, आगरा, 2020
- उपाध्याय, शर्मा, दयाल, : “व्यावसायिक वातावरण”, रमेश बुक डिपो प्रकाशन, जयपुर, 2020
- बेदी सुरेश: “बिजनेस इन्वायरमेन्ट” टाटा मेकग्राहिल, नई दिल्ली, 1918
- एम. अधिकारी: “इकोनोमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस”, सुल्तान चंद एण्ड संस, नई दिल्ली, 2019

1.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- नीति आयोग, भारत सरकार।

- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार।
- इण्डियन इकोनोमिक रिव्यू-देहली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।

1.13 वेब संसाधन व लिंक (Internet Web Resources & Links)

- <https://www.mgkvp.ac.in/Uploads/Lectures/47/1416.pdf>
- https://nios.ac.in/media/documents/SrSec319NEW/319_Bus_Studies_Eng/319_Bus_Studies_Eng_Lesson3.pdf
- <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lebs103.pdf>
- <https://economictimes.indiatimes.com/defaultinterstitial.cms>

इकाई – 2

समष्टि आर्थिक वातावरण (Macro Economic Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 समष्टि वातावरण का अर्थ एवं वर्गीकरण
- 2.3 समष्टि वातावरण के घटक
- 2.4 सारांश
- 2.5 अधिगम परिणाम
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 स्वपरख प्रश्न
- 2.8 सन्दर्भ
- 2.9 अन्य पठन सामग्री
- 2.10 वेबसाइट सन्दर्भ

2.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवसाय को प्रभावित करने वाले समष्टि वातावरण की जानकारी देना है। समष्टि वातावरण को कैसे वर्गीकृत किया जाए और समष्टि वातावरण विभिन्न के घटक क्या क्या हैं, उनकी जानकारी देना है। साथ ही इन घटकों के प्रभाव को समझने में और उनका विश्लेषण करने की जानकारी देना उद्देश्य है।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

समष्टि वातावरण से आशय वातावरण के उन घटकों से है जो मोटे तौर पर एक संस्थान को बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। अतः समष्टि आर्थिक वातावरण को बाह्य वातावरण भी कहा जा सकता है। यह वातावरण संस्थान के प्रत्यक्ष प्रभाव से परे होता है और अनियन्त्रणीय होता है, लेकिन ये संस्थान के कार्यकलापों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बाह्य वातावरण में व्यक्ति, समूह, एजेंसियाँ, संगठन, घटनाएं, परिस्थितियाँ और ऐसी ताकतें सम्मिलित हैं, जिनके संपर्क में एक संस्थान अपने कार्यकलापों के दौरान बराबर सम्पर्क में आता है। ये परस्पर क्रियाओं और अंतर्सम्बद्ध सम्बन्धों को स्थापित करते

हैं, सौदे करते हैं, उपयुक्त व्यूहरचनाओं और नीतियों को डिजाइन एवं उसे लागू करते हैं ताकि आने वाले उच्चावचनों पर विजय प्राप्त की जा सके या भविष्य के लिये अपने तरीके से पराक्रमण किया जा सके।

2.2 समष्टि वातावरण का अर्थ एवं वर्गीकरण (Meaning and Classification of Macro Economic Environment)

समष्टि वातावरण उन समस्त बाहरी वातावरणीय घटकों या शक्तियों को इंगित करता है जो व्यवसाय की सफलता, व्यूहरचनाओं और निर्णयन को प्रभावित करते हैं। ये बाहरी घटक व्यवसाय की सफलता को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन इन पर संगठन का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है। समष्टि वातावरण को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

आर्थिक वातावरण और गैर आर्थिक वातावरण

आर्थिक वातावरण (Economic Environment) – इसमें समष्टि आर्थिक मापदंड, आर्थिक पद्धति, व्यवसाय चक्र की विभिन्न स्थितियां, वित्तीय पद्धति आदि आते हैं। विभिन्न समष्टि वातावरण के घटक आर्थिक तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और व्यवसाय की सफलता को प्रभावित करते हैं, किसी भी व्यवसाय का विद्यमान आर्थिक वातावरण पूर्णतया जटिल और समझने में कठिन है।

गैर-आर्थिक वातावरण (Non-Economic Environment) – इसमें राजकीय नीतियां जनसांख्यिकीय घटक, वैधानिक ढांचा, सामाजिक पद्धति, राजनीतिक पद्धति, तकनीकी विकास आदि सम्मिलित हैं, सामान्यतया गैर आर्थिक वातावरण घटक किसी भी व्यवसाय की सफलता पर ठोस प्रभाव डालते हैं।

2.3 समष्टि वातावरण के घटक (Elements of Macro Economic Environment)

समष्टि वातावरण के घटकों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है – आर्थिक घटक (Economic Elements) और गैर आर्थिक घटक (Non-Economic Elements) -

2.3.1 आर्थिक घटक (Economic Elements)

आर्थिक वातावरण का आशय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं प्रवृत्ति से है जिसमें एक संस्थान प्रतिस्पर्धा कर रहा है या प्रतिस्पर्धा करेगा। आर्थिक वातावरण में क्षेत्र और राष्ट्र की सामान्य स्थिति, संसाधनों के बाजारों की स्थिति (मुद्रा बाजार, मानव संसाधन बाजार, कच्चा माल एवं उपकरण, सेवाएं, आपूर्ति बाजार आदि) जो उपक्रम के आगमों की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं उनकी लागत, किस्म, उपलब्धता और आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता।

आर्थिक वातावरण बाजार की शक्ति और आकार का निर्धारण करता है। एक अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति, वर्तमान आय; मूल्य; बचतें; मुद्रा का संचलन; ऋण एवं साख की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आय वितरण प्रारूप वितरण संभावनाओं का निर्धारण करता है, मुख्य बिंदु यह है कि आर्थिक संभावनाओं एवं मुद्रा स्फीति का फर्म के क्रिया कलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यूहरचनाकार को विभिन्न आर्थिक घटकों की बारीकी से जांच, निगरानी, पूर्वानुमान लगाना और आवश्यक आर्थिक घटकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

व्यवसाय के आर्थिक वातावरण में मुख्यतया तीन घटकों का समावेश होता है – देश की आर्थिक प्रणाली, देश की आर्थिक नीतियां तथा देश में विद्यमान आर्थिक दशाएं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है –

(i) आर्थिक प्रणाली (Economic System)–

व्यवसायिक दृष्टि से किसी देश में पहुंच व प्रवेश के लिए तथा वहां के आर्थिक वातावरण को समझने के लिए उस देश में प्रचलित आर्थिक प्रणाली को जानना व समझना जरूरी है। किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली, उस देश की आर्थिक विचारधारा, आर्थिक संरचना और आर्थिक खुलेपन को प्रदर्शित करती है। इसके अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि आखिर वह देश कहां खड़ा है, वह किस ओर है तथा उसका झुकाव किस तरफ है? इन बातों की जानकारी क्षेत्रीय एवं बहुराष्ट्रीय निगमित व्यूचनाएं निर्माण करने में काफी उपयोगी है।

आर्थिक प्रणालियाँ मुख्यतया तीन प्रकार की होती हैं –

(अ) पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली (Capitalist or Laissez Faire Economy) –

इसके अन्तर्गत निजी उद्यम की बहुलता होती है। अर्थव्यवस्था के खुलेपन के कारण पूंजीवादी प्रणाली को स्वतंत्र या खुले बाजार की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं–

- आर्थिक स्वतंत्रता
- स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा
- निजी संपत्ति व लाभ की प्रेरणा
- मूल्य तंत्र की बाजार क्रियाशीलता
- उपभोक्ता संप्रभुता का महत्वपूर्ण स्थान
- उपक्रम स्वतंत्रता
- व्यवसाय एवं पेशों के चयन की स्वतंत्रता
- उत्पादन के साधनों में पूंजी का सर्वोपरि स्थान
- संसाधन आवंटन व विनियोग निर्णयन में बाजार शक्तियों का आधिपत्य तथा सरकार की सीमित भूमिका।

(आ) समाजवादी आर्थिक प्रणाली (Socialistic Economic System) –

समाजवादी व्यवस्थाओं में आर्थिक प्रणाली का एक व्यापक स्वरूप देखने में आता है, एक ओर तो साम्यवादी देश हैं जहां राज्य पूंजीवाद की बहुलता है तथा दूसरी ओर प्रजातांत्रिक समाजवादी देश हैं जिनमें प्रभावी निजी क्षेत्र कार्यरत हैं, लेकिन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सामान्यतया उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियन्त्रण या स्वामित्व पाया जाता है तथा संसाधन आवंटन, विनियोग प्रारूप, उपभोग, आय, वितरण आदि राज्य द्वारा विनियमित या निर्देशित होते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली मुख्यतः राज्य द्वारा संचालित प्रणाली है, सरकार ही विकास की प्राथमिकताओं, उत्पादन के स्वरूपों एवं साधनों को निर्धारित करती है, इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं –

- केन्द्रीय नियोजन की प्रधानता
- सरकार की बढ़ती हुई भूमिका एवं व्यापक हस्तक्षेप
- सरकारी नियन्त्रण एवं स्वामित्व
- केन्द्रीय अभिकरणों की प्रधानता
- मूल्य एवं मजदूरी का सरकार द्वारा निर्धारण
- आय वितरण में समानता पर जोर
- उपभोक्ता संप्रभुता का निम्नतम स्थान
- स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा का अभाव
- व्यवसाय, पेशे, धंधे, रोजगार आदि की पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव।

(इ) मिश्रित आर्थिक प्रणाली (Mixed Economy) -

मिश्रित आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी एवं समाजवादी आर्थिक प्रणालियों का मिला जुला प्रभाव होता है। इस प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। सार्वजनिक अथवा राजकीय क्षेत्र सरकार के प्रबन्ध एवं संचालन में रहता है, लेकिन निजी क्षेत्र भी सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। सरकार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व, प्रभाव क्षेत्र, विदोहन क्षमता, कल्याण पक्ष तथा अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति के आधार पर करती है। सरकारी सहभागिता के लिए ऐसी आर्थिक प्रणाली में काफी सम्भावनाएं हैं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं -

- केन्द्रीय नियोजन
- विभिन्न क्षेत्रों की विद्यमानता सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्रों की विद्यमानता
- निजी क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं स्थान
- आर्थिक क्रियाओं पर सरकार द्वारा नियन्त्रण एवं विनियमन
- रोजगार पेशे एवं व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता
- बचत एवं विनियोजन की स्वतंत्रता
- नीतियाँ, प्राथमिकताएं, संसाधन आवंटन सरकार द्वारा निर्धारित
- सरकार एवं सरकारी संस्थाओं की आधिकारिक भूमिका
- सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- प्रतिबन्ध रहित उपभोग प्रारूप।

(ii) आर्थिक नीतियां (Economic Policies) –

किसी देश की आर्थिक नीतियां उस देश में पनपने वाले व्यवसाय, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव, वृद्धि-संकुचन, स्थानीयकरण, निर्यात संवर्धन, विस्तार, विकास, शोध, प्रतिस्पर्धा आदि उस देश की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों का निर्धारण आर्थिक समानता, रोजगार सृजन, गरीबी निवारण, मुद्रा स्फीति एवं संकुचन पर नियन्त्रण, साधन आवंटन, आय वृद्धि, आंतरिक बचत एवं विनियोजन अभिवृद्धि, पूंजी निर्माण, निर्यात संवर्धन, विदेशी विनियोजन एवं विदेशी विनिमय संतुलन आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आर्थिक नीतियों में सम्मिलित प्रमुख नीतियां हैं -

- औद्योगिक नीति
- औद्योगिक अनुज्ञापन नीति
- विशिष्ट उद्योगों के लिए नीति
- मौद्रिक नीति
- राजकोषीय नीति
- कर नीति
- सार्वजनिक व्यय नीति
- सार्वजनिक ऋण नीति
- घाटे की वित्त व्यवस्था नीति
- आय रोजगार एवं मूल्य नीति
- आयात निर्यात नीति
- खनिज नीति एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं विदोहन के लिए नीति
- आर्थिक मूल ढांचे से संबंधित नीति तथा इसके अन्तर्गत पृथक क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक नीति
- आर्थिक विनियोजन एवं विदेशी विनियोजन नीति
- कृषि नीति।

(iii) **आर्थिक दशाएं (Economic Conditions) –**

आर्थिक दशाएं एक ओर आर्थिक प्रगति का सूचक मानी जाती हैं तो दूसरी ओर आर्थिक विकास की संभावनाओं का आधार प्रस्तुत करती हैं। व्यवसाय के लिए आर्थिक दशाओं का महत्व व्यावसायिक संभावनाओं या अवसरों की पूर्ति से जुड़ा हुआ है, सरकार आर्थिक दशाओं के नियोजन एवं विकास को आधार मानकर अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती है, आर्थिक दशाएं इनमें सुधार तथा आर्थिक समृद्धि, लोगों के जीवन स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के लिए लोगों का उपभोग स्तर व प्रारूप, जीवन स्तर तथा जनसामान्य की आर्थिक समृद्धि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, व्यवसाय इनके आधार पर अपने विस्तार एवं विकास, नये

बाजारों की खोज, नये उत्पादों की शुरुआत, विज्ञापन रणनीति, व्यावसायिक उपक्रमों का स्थानीयकरण, सौ प्रतिशत निर्यात उपक्रमों की स्थापना, विभिन्न उत्पादों का सम्मिश्रण, नयी उत्पादक अभिकल्पनाएं, नए मॉडल आदि के बारे में योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करता है। सामान्यतया प्रमुख आर्थिक दशाएं हैं –

- प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति
- मानवीय संसाधनों का उपयोग
- आर्थिक विकास एवं प्रगति का स्तर
- पूंजी निर्माण
- विदेशी पूंजी
- उद्योगों की प्रकृति, प्रकार एवं उत्पादन
- उपभोग का स्तर
- आय-वितरण
- देश में प्रचलित सामान्य मूल्य स्तर
- बाजार का आकार
- उद्यमशीलता एवं साहस
- व्यावसायिक ढांचा
- देश का औद्योगिक विकास
- देश में मूलभूत आर्थिक ढांचा
- देश में लोक कल्याणकारी कार्य
- विदेशी व्यापार एवं विदेशी मुद्रा अर्जन
- नवाचार एवं कौशल निर्माण और मौद्रिक ढांचा
- ब्याज की दरें तथा बैंकिंग प्रणाली।

2.3.2 गैर आर्थिक घटक (Non-Economical Elements) -

2.3.2.1 जनसांख्यिकीय वातावरण सम्बन्धी घटक (Elements Related to Demographic Environment)

व्यवसाय के लिये जनसंख्या का असीम महत्व है। व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा जनित उत्पाद एवं सेवाएं मनुष्यों के लिए ही हैं। विपणन प्रधान युग में जनसंख्या के विभिन्न आयामों जैसे वर्ग, आयु, घनत्व, जन्म-दर, मृत्यु-दर, आवागमन प्रवृत्ति, भौगोलिक फैलाव, साक्षरता दर, संपत्ति का स्वामित्व, विवाहित जोड़े, धर्म, जाति, लिंग, स्थानानुसार जनसंख्या का वितरण आदि घटकों का अत्यधिक महत्व हो गया है। कुछ जनसांख्यिकीय घटक

व्यवसाय पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। सामान्य आयु रूपरेखा, लिंगानुपात, शिक्षा, विकास दर आदि व्यवसाय पर भिन्न भिन्न परिमाण में प्रभाव डालते हैं। विभिन्न देशों की तुलना में भारत में युवा जनसंख्या अधिक है जबकि चीन में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। बहुत सी बहुउद्देशीय कम्पनियाँ भारत में जनसंख्या के आकार के कारण व्यवसाय करने को आतुर हैं।

व्यावसायिक संस्थाओं को विभिन्न जनसांख्यिकीय घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है।

इस भाग में मुख्य रूप से निम्न घटकों का अध्ययन अति आवश्यक है –

(i) जनसंख्या का आकार (Population Size) –

संभावित ग्राहकों पर ध्यान रखने वाली कम्पनी के लिए जनसंख्या का बड़ा या छोटा आकार महत्वपूर्ण है। जनसंख्या आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न हैं –

- राष्ट्र की जन्म-दर में परिवर्तन और/अथवा परिवार के आकार में परिवर्तन।
- कुल जनसंख्या में वृद्धि या कमी।
- प्राकृतिक संसाधनों या खाद्य आपूर्ति पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव।

कंपनियों पर राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन और जीवन प्रत्याशा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लोगों की जीवन प्रत्याशा, शिशुओं की जीवन प्रत्याशा तथा स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली का भी प्रभाव पड़ेगा और जनसंख्या में वृद्धि या युवाओं को लक्ष्य कर बनाए उत्पादों के विकास पर प्रभाव पड़ेगा।

(ii) भौगोलिक वितरण (Geographical Distribution)

जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन या गैर मेट्रो शहरों से मेट्रो शहरों की ओर पलायन, एक कम्पनी की व्यूहरचनात्मक प्रतिस्पर्धा शक्ति को प्रभावित करता है। विचारणीय विषय हैं -

- किसी स्थान विशेष की और कम्पनी का आकर्षण राजकीय सहयोग से प्रभावित होता है।
- कम्पनी को अपने स्थान परिवर्तन पर विचार करना चाहिए यदि जनसंख्या पलायन से कुशल श्रम की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है।
- भारत में बहुत छोटे स्तर पर घर पर काम करने और इलेक्ट्रॉनिक हाइवे को प्राप्त करने की अवधारणाओं का विकास हुआ है। इस से भर्ती एवं कार्यकारी दल के प्रबंधन में परिवर्तन हुआ है।

(iii) संजाति मिश्रण (Ethnic Mix)

इसका आशय जनसंख्या की जातीय आकार बनावट से है जिसका प्रभाव कम्पनी के संभावित ग्राहकों एवं कार्यदल दोनों पर पड़ता है। इसमें सम्मिलित किये जाने वाले विचारणीय मुद्दे निम्न हैं –

- जनसंख्या के जातीय मिश्रण में परिवर्तन का उत्पाद एवं सेवाओं के डिजाइन एवं सुपुर्दगी में क्या परिवर्तन करना होगा?
- क्या नए उत्पाद एवं सेवाओं की मांग होगी या वर्तमान उत्पाद को रूपांतरित करना होगा।
- प्रबन्ध को ज्यादा भिन्न सांस्कृतिक कार्यदल का प्रबन्ध करने के लिए तैयार होना होगा।
- बड़े हुए विषम कार्यदल से कंपनी कैसे लाभ प्राप्त कर सकती है?

2.3.2.2 राजनैतिक – वैधानिक वातावरण (Political - Legal Environment)

यह घटक आंशिक रूप से सभी संस्थानों के लिए समान होता है और आंशिक रूप से कुछ संस्थानों के लिए विशेष होता है, इसमें राजनीतिक विकास की सामान्य स्थिति, राजनैतिक नैतिकता का स्तर, कानून और व्यवस्था की स्थिति, राजनैतिक स्थायित्व, सत्ताधारी पार्टी की राजनैतिक विचारधारा और व्यवहार, सरकारी विभागों की उपादेयता एवं कुशलता, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप और उसकी मात्रा, राजकीय नीतियां, (राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, श्रम और आयात निर्यात नीतियां), विशिष्ट विधान और उनका ढांचा जिसके अधीन एक संस्थान को कार्य करना होता है और उसकी प्रभावशीलता का स्तर जिसके अधीन वे लागू की जाती हैं, सामान्य व्यवसाय के प्रति जनता का दृष्टिकोण और विशेष संस्थान के प्रति दृष्टिकोण आदि। राजनैतिक वैधानिक वातावरण के निम्न तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं –

- (i) **सरकार (Government)** – व्यवसाय सरकारी नीतियों द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होता है अतः एक देश में शासन करने वाली सरकार का उपक्रमों पर शक्तिशाली प्रभाव होता है। एक व्यावसायी को नियामक ढांचे में परिवर्तन एवं उसके प्रभाव को विचार करना होता है। कर एवं शुल्क दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि व्यवसाय से वसूले जाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए अनुषंगी लाभ कर (Fringe Benefit Tax) के लागू होने से व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।
- (ii) **वैधानिक (Legal)** – व्यावसायिक संस्थान उस जगह कार्य करने को वरीयता देते हैं जहां सुदृढ़ वैधानिक ढांचा है। फिर भी किसी देश में व्यवसाय करते समय व्यवसायियों को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों, प्रतियोगिता और संगठनों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, भले ही वे किसी भी देश में कार्य कर रहे हों। व्यावसायिक संस्थानों को कंपनियों, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक सम्पदा, विदेशी विनिमय, श्रम आदि से संबंधित कानूनों का ज्ञान होना चाहिए।
- (iii) **राजनैतिक (Political)** – राजनैतिक दबाव समूह संस्थानों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें बाधित करते हैं, किसी उत्पाद, सेवा या संस्थान के विरुद्ध छितराए हुए विरोध के अतिरिक्त राजनीति का संगठनों पर अत्यधिक प्रभाव है, साथ ही विशेष हितकारी समूह और राजनीतिक कार्य समितियां उपभोक्ताओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं पर दबाव डालती हैं।

2.3.2.3 सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण (Socio-Cultural Environment) –

यह घटक लगभग सभी संस्थानों को समान रूप से प्रभावित करता है, यह विभिन्न घटकों का जटिल समूह है जिसमें सामाजिक परम्पराएं, मूल्य एवं विश्वास, साक्षरता तथा शिक्षा का स्तर एवं मापदंड, नैतिक मूल्यों एवं समाज की स्थिति, सामाजिक विन्यास का विस्तार, विरोध और जुड़ाव आदि सम्मिलित हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में मानवीय संबंधों से संबंधित घटक आते हैं और, जिसमें संगठन के व्यवसाय को प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रवृत्ति और सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित हैं। विश्वास, मूल्य और समाज के मानदंड यह तय करते हैं कि व्यक्तियों एवं संगठनों के अंतर्संबंध कैसे होंगे? किसी विशिष्ट समाज के प्रमुख विश्वास

स्थायी होते हैं, किसी व्यवसाय के मूल मूल्यों में परिवर्तन करना कठिन है जो उसके व्यवसाय के कार्यों को निर्धारित करते हैं।

इस वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण घटक और प्रभाव हैं –

- (i) समाज में व्यवसाय की भूमिका, पर्यावरणीय प्रदूषण, भ्रष्टाचार, प्रचार संसाधनों का उपयोग, उपभोक्तावाद से सामाजिक सरोकार।
- (ii) सामाजिक प्रवृत्ति एवं मूल्य जैसे व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक रीतियां, विश्वास, परम्पराएं एवं व्यवहार, परिवर्तनशील जीवन शैली और उपभोक्तावाद।
- (iii) परिवार का ढांचा और उसमें परिवर्तन, परिवार की ओर तथा परिवार के प्रति प्रवृत्ति और पारिवारिक मूल्य।
- (iv) महिलाओं की समाज में भूमिका, बच्चों की स्थिति और परिवार एवं समाज में किशोरा।
- (v) शिक्षा का स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं सजगता, समाज के सदस्यों की कार्यनैतिकताएं।

2.3.2.4 तकनीकी वातावरण (Technological Environment) –

तकनीक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, नियन्त्रण करती है। वास्तव में तकनीक ने आश्चर्यचकित कर दिया है, मनुष्य चन्द्रमा पर चलने का स्वप्न साकार कर सकता है, अंतरिक्ष यान में यात्रा कर सकता है और पृथ्वी के दूसरी तरफ कुछ घंटों में जा सकता है। मनुष्य ने सौ वर्ष जीने का सपना आनुवंशिकी विज्ञान और तकनीक से लेना शुरू कर दिया है। तकनीक ने इन्टरनेट और टेली कम्युनिकेशन के अविष्कार से लोगों में सन्देश भेजने का तरीका बदल दिया है। अब व्यवसाय कैसे कार्य करेगा, तकनीक ने यह बदल दिया है। इसके कारण अनेक नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हो गए हैं और वर्तमान तरीके अप्रचलन में चले गए हैं। तकनीकी वातावरण का अध्ययन करने के लिए निम्न घटकों पर विचार करना चाहिए –

- (i) तकनीकी परिवर्तन का फैलाव
- (ii) तकनीकी नवाचार से उत्पन्न होने वाले अवसर
- (iii) तकनीकी विकास की जोखिम एवं अनिश्चितताएं
- (iv) देश में शोध एवं विकास की भूमिका एवं सरकार का शोध एवं विकास बजट

तकनीक व्यवसाय के लिए अवसर एवं खतरा दोनों हैं, यह अवसर हो सकती है यदि तकनीकी नवाचार को व्यवसाय अपने लाभ के लिए अपनाए। हालांकि उसी समय तकनीक खतरा हो सकती है यदि एक संगठन अपने लाभ के लिए इसे अपनाने में असमर्थ हो। उदाहरण के लिए उत्पादन पद्धति में नवाचार एक व्यवसाय के लिए खतरा हो सकता है यदि वह अपनी उत्पादन पद्धति को बदल नहीं पा रहा हो। नए प्रवेशकर्ता हमेशा उपलब्ध परिष्कृत तकनीक का अपने उत्पाद एवं उत्पादन पद्धतियों में प्रयोग करते हैं जो व्यवसाय के लिए खतरा है। तकनीक से उत्पन्न होने वाले अवसर एवं खतरे उत्पाद या उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं तकनीक व्यवसाय की सारी गतिविधियों पर व्याप्त रहती है, यह व्यवसाय के कार्यों व क्रियाकलापों को रूपांतरित कर सकती है।

तकनीक और व्यवसाय दोनों अत्यधिक अंतर्संबंधित तथा परस्पर निर्भर हैं। तकनीकी शोध एवं विकास के फल समाज को व्यवसाय के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं जिससे समाज में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है इसीलिये तकनीक को व्यवसाय द्वारा संरक्षित किया जाता है, तकनीक व्यवसाय का संचालन करती है और इसे कैसे चलाया जाए उसमें पूर्ण परिवर्तन करती है, तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जो कंपनियों को प्रभावित करते हैं, उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- (i) इन्टरनेट के माध्यम से इन्फोर्मेशन हाईवे तक पहुंच जिसने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाया या व्यवसायियों को सूचनाओं के समृद्ध स्रोतों तक पहुंच की सुविधा प्रदान की।
- (ii) व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) विक्रय और विनिमय।
- (iii) इन्टरनेट के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना।

चूंकि तकनीकी पहलू काफी महत्वपूर्ण है अतः तकनीकी वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूँढना आवश्यक है, ये उत्तर निम्न प्रकार से हैं-

- (i) कम्पनी द्वारा प्रयुक्त तकनीकें क्या हैं? (निर्माण एवं सूचना तकनीक दोनों)
- (ii) कौनसी तकनीक कम्पनी के व्यवसाय, उसके उत्पाद या उसके भाग द्वारा प्रयोग की जा रही है?
- (iii) प्रत्येक व्यवसाय और उत्पादों के लिए तकनीक कितना गुणागुणज्ञ (Critical) है?
- (iv) कौनसी बाहरी तकनीकें गुणागुणज्ञ हो गयी हैं और क्यों? क्या वे कम्पनी को बाहर से मिलती रहेंगी?
- (v) इन तकनीकों के लिए उत्पाद में और प्रक्रिया में कितना विनियोग होगा? (कम्पनी और उसके प्रतिस्पर्धियों के लिए), डिजाइन, उत्पादन, सेवाओं और क्रियान्वन में?
- (vi) कम्पनी की तकनीक के अन्य उपयोग? किस उपयोग में कम्पनी वर्तमान में भाग ले रही है और क्यों? किस उपयोग में कम्पनी ने भाग नहीं लिया है और क्यों?
- (vii) किन तकनीकी विनियोगों में कटौती करनी चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए?
- (viii) वर्तमान निगमिय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस अतिरिक्त तकनीक की आवश्यकता होगी?
- (ix) निगमिय व्यूहरचना के लिए तकनीक और व्यवसाय पोर्टफोलियो के क्या प्रभाव होंगे?

2.3.2.5 वैश्विक वातावरण (Global Environment)

आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में यह आवश्यक है कि कम्पनियां तेजी से परिवर्तनीय वैश्विक वातावरण का विश्लेषण करें। नवीन वैश्विक गांव की अवधारणा ने व्यक्तियों और संगठनों में परस्पर संबंध कैसे होंगे, इसको परिवर्तित कर दिया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक वातावरण के कारण श्रमशक्ति की पलायन की आदतों और व्यावसायिक गतिविधियों के समुद्र पारीय परिचालन की गत्यात्मकता को भी परिवर्तित कर रहा है। जिन वैश्विक वातावरण के घटकों का मूल्यांकन किया जाना है वे इस प्रकार हैं –

- (i) महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जैसे खेलों का आयोजन या कोई आतंकी हमला।
- (ii) महत्वपूर्ण उभरते हुए वैश्विक बाजार और वैश्विक बाजार में परिवर्तन की पहचान करना। इसमें एशिया के नवीन औद्योगिक राष्ट्र जहां उत्पादों के लिए नए बाजार खुले हैं या वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है जैसे कोरिया और चीन देशों के साथ।
- (iii) प्रत्येक वैश्विक बाजार के सांस्कृतिक और संस्थागत गुणों में अंतर।

आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय व्यवसायी भी देश की सीमाओं के परे देखने लगे हैं। भारतीय कम्पनियां विभिन्न देशों में व्यवसाय का अधिग्रहण कर रही हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से सोचना और कार्य करने की आवश्यकता सार्वभौमिक है। लम्बे समय तक प्रत्येक स्थान पर व्यवसायी यह विश्वास करते थे कि घरेलू बाजार पर्याप्त एवं सुरक्षित थे। मोटे तौर पर उन्होंने समुद्र पारीय बाजारों का विदोहन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। यदि ये व्यवसायी कुछ अतिरिक्त विक्रय निर्यात से प्राप्त कर सकते थे तो वे अतिसंतुष्ट होते। लेकिन अब दृश्य अलग है, अब कंपनियों की वैश्वीकरण में रुचि बढ़ रही है।

वैश्वीकरण की प्रकृति

वैश्वीकरण का अर्थ अनेक वस्तुएं, अनेक लोगों के लिए हैं। कईयों के लिए यह एक नया प्रकार (Paradigm) है। एक ताज़ा धारणाओं/आस्थाओं का समूह, कार्यप्रणालियों और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकताएँ जिनकी पूर्व मान्यताएं अब वैध नहीं रही हैं। विकासशील राष्ट्रों के लिए इसका अर्थशास्त्रीय अर्थ- विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और सामान्य शब्दों में वैश्वीकरण, विश्व को एक विशाल बाजार में एकीकृत करने की प्रक्रिया है। ऐसा एकीकरण देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान करता है। राजनीतिक और भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो गयी हैं। कंपनी के स्तर पर वैश्वीकरण से आशय दो बातों से है (अ) विश्व के विभिन्न निर्माण स्थलों पर कम्पनी सघन रूप से उत्पादन करने को प्रतिबद्ध होती है और अनेक विभेदिकृत उद्योगों में उत्पाद प्रस्तुत करती है और (ब) इसका यह भी अर्थ है कि घरेलू बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा की क्षमता।

एक कंपनी जो वैश्विक बाजार में जाती है उसे बहुराष्ट्रीय (Multi National Company - MNC) या एक पारदेशीय (Trans-National Company - TNC) कंपनी कहते हैं, इस प्रकार एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी वह कम्पनी है जो अपने क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में करती है और शोध एवं विकास, उत्पादन, विपणन और लागतों में वित्तीय लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करती है जो पूरी तरह से स्वदेशी प्रतिस्पर्धियों को प्राप्त नहीं होते हैं। वैश्विक कंपनी विश्व को एक बाजार के रूप में देखती है। राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व न्यूनतम करती है, और जहां वह अच्छा काम कर सकती है, वहां से संसाधन, पूंजी प्राप्ति और बाजार निर्माण करती है।

विशेष रूप से एक वैश्विक कम्पनी की तीन विशेषताएं होती हैं:

- (अ) यह विभिन्न इकाइयों का संपीडन (Conglomerate-विश्व के विभिन्न भागों में स्थित) है, लेकिन सभी समान स्वामित्व से जुड़ी हुई हैं।
- (आ) विभिन्न इकाइयों संसाधनों जैसे धन, साख, सूचना, पेटेंट्स, व्यापारिक नाम और नियन्त्रण पद्धति को सामान्य पूल से लेती है।
- (इ) इकाइयाँ एक समान व्यूहरचना का प्रतियुत्तर देती हैं। नेस्ले इंटरनेशनल एक ऐसे उपक्रम का उदाहरण है जो बहुराष्ट्रीय बन गया है, यह अपने उत्पादों का विक्रय प्रायः सभी देशों में करता है और कई देशों में निर्माण करता है, इसके प्रबंधकों के अतिरिक्त इसके अंशधारी भी विभिन्न राष्ट्रों में बसे हुए हैं।

वैश्वीकरण का आविर्भाव (Manifestation of Globalization) – वैश्वीकरण अपने आप में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होता है उनमें से प्रमुख हैं –

- (i) **विश्व में कहीं भी अवस्थित होना** – एक MNC अपने विभिन्न क्रियाकलापों को विभिन्न देशों में कच्चे माल की उपलब्धता, उपभोक्ता बाजार और निम्न श्रम लागत के आधार पर अवस्थित कर सकती है।
- (ii) **अंतर्संबंधित एवं अंतर्निर्भित अर्थव्यवस्थाएं** – आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) के सन्दर्भ में वैश्वीकरण से आशय एकमात्र आर्थिक अंतरनिर्भर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से है। प्रत्येक राष्ट्र की सम्पन्नता शेष विश्व से अंतर्संबंधित होती है। कोई भी राष्ट्र केवल घरेलू उद्योगों के कार्यरत रहने के आधार पर एकांत और अकेला रहने की लम्बे समय तक आशा नहीं कर सकता।
- (iii) **व्यापार एवं प्रशुल्क बाधाओं में कमी (Lowering of Trade and Tariff Barriers)** – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं का प्रत्यक्ष एवं वास्तविक पतन एक नई वैश्विक सहकारी व्यवस्था और सरकार एवं उद्योग की भूमिका की पुनर्व्याख्या है। निर्माण एवं सेवा क्षेत्र की ओर निजीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, व्यावसायिक निर्णयों में

सरकार का घटता हस्तक्षेप, बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थान प्राप्त करने के लिये मूल्य संवर्द्धित क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता। पूरे विश्व में सरकार वाणिज्यिक व्यवसाय से हाथ खींच रही है। व्यापारिक प्रशुल्क और कस्टम बाधाएं कम हो रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि, कम लागत पर अधिक मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है।

- (iv) **आधारभूत ढाँचे और आगतों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आपूर्ति (Infrastructural Resources and Inputs at International Prices)** – यदि कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है तो आधारभूत आगतों की प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी। सस्ते श्रम (और अन्य आगतों) के लाभ ने लगातार बढ़ती मुद्रा स्फीति और उच्च आधारभूत लागतों को नगण्य कर दिया है।
- (v) **बढ़ती निजीकरण की प्रवृत्ति (Increasing Trend towards Privatization)** – सरकारें सभी जगह व्यवसाय में स्वामित्व और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन से स्वयं को दूर कर रही हैं। निजी साहसियों को व्यावसायिक इकाइयां चलाने हेतु अधिक पहुंच और स्वतंत्रता दी जा रही है। निजी व्यवसायों को समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने की भूमिका कम हो गयी है।
- (vi) **साहसी और उसकी इकाई की केन्द्रीय आर्थिक भूमिका है (Entrepreneur and his Unit have a Central Economic Role)** – उभरते हुए विश्व क्रम में आर्थिक विकास की प्रक्रिया और एक राष्ट्र के विकास में साहसी और उसकी इकाई की केन्द्रीय भूमिका है। सही वातावरण प्राप्त होने पर, व्यवसाय नवाचार करने योग्य होते हैं, नए उत्पाद लाते हैं और राष्ट्र की सम्पदा में योगदान देते हैं। उनके द्वारा उठाई गयी जोखिम और प्रयासों का पुरस्कार लाभ है। इसी के साथ व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। केवल वे ही इकाइयां अस्तित्व में बनी रहती हैं और समृद्ध होती हैं जो किफायती और अच्छी किस्म के उत्पाद बनाती हैं। कमजोर और सीमान्त फर्म अपने स्वाभाविक अंत की ओर चली जाती हैं।
- (vii) **कुशल संसाधनों की गतिशीलता (Mobility of efficient Resources)** – एक समय में कुशल श्रम किसी संयंत्र के स्थानीयकरण का निर्णायक घटक होता था और किसी राष्ट्र के तुलनात्मक लाभ का निर्धारण करता था। कुशल श्रम अत्यधिक गतिशील है, आधुनिक फैक्टरियाँ अति कुशल श्रम का प्रयोग करती हैं जो स्वतंत्र रूप से गतिशील है जहां श्रम अकुशल है वहाँ प्रबन्ध श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता हेतु बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य घटक (भूमि एवं पूंजी) भी गतिशील हैं। एक विकासशील राष्ट्र जिसके पास बहुत सारी भूमि हो और पूंजी की कमी हो वह विदेशी विनियोग को आमंत्रित कर इस कमी को दूर कर सकता है इसी प्रकार एक विकसित राष्ट्र जिसके पास पूंजी की अधिकता हो लेकिन भूमि की कमी हो वह अपने निर्माण क्रियाकलापों का आधार किसी विकासशील राष्ट्र की भूमि पर अवस्थित कर सकता है।
इस प्रकार उत्पादन के परंपरागत घटक यथा भूमि, श्रम और पूंजी उपयोग हेतु अब अगतिशील या प्रतिबंधित नहीं रहें हैं, उन्हें विश्व के किसी भी भाग से अन्य भाग पर ले जाया जा सकता है। समस्त विश्व एक वैश्विक गांव बन चुका है।
- (viii) **बाजार की कुशलता (Market Side Efficiency)** – वैश्विक बाजारों के एकीकरण में लागत, किस्म, प्रक्रिया का समय और व्यवसाय की शर्तें प्रतियोगिता चालक बन गए हैं उपभोक्ता अपने धन के अधिकतम मूल्य के आधार पर उचित उत्पाद या सेवा का चयन कर सकते हैं। एकाधिकारी बाजार जिसका उपयोग फर्म करती थी वे अब उपलब्ध नहीं हैं। तकनीक का अनवरत दबाव और इसके एकीकरण की आवश्यकता का आशय है कि घटिया उत्पाद और सेवाएं जो राजकीय एकाधिकार द्वारा दी जाती थीं वे उपभोक्ताओं को संतुष्ट नहीं करेंगी।

- (ix) **क्षेत्रीय संघों का निर्माण (Formation of Regional Blocks)** – वैश्वीकरण का अंतिम परिणाम व्यापार संघों का निर्माण है। इन संघों के निर्माण का कारण स्पष्ट है। राष्ट्रों को निगमों की तरह आर्थिक एवं तकनीकी खतरों का सामना करने और संबंधित तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए संधियां करनी पड़ती हैं। नाफ्टा (North American Free Trade Area) का निर्माण जो उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुआ उसने इन देशों के लिए नए बाजार और निर्माणी अवसरों को उत्पन्न किया तथा जापान जैसी विश्व शक्ति की योजनाओं एवं व्यूहरचनाओं के लिए खतरा खड़ा किया। इसी प्रकार यूरोपीय संघ (European Union) और आशियान (ASEAN) ने विश्व व्यापार संतुलन को प्रभावित किया है।

भारत SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) का भाग है, इसमें सम्मिलित राष्ट्र – बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भारत भी इसका सदस्य है। सार्क क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास करता है। यह सामाजिक प्रगति और क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयासरत रहता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहयोग को संवर्द्धित करता है तथा सामान्य हित के मुद्दों के लिए सदस्य राष्ट्रों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग को सशक्त करता है।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास- प्रथम –

1. पूंजीवादी प्रणाली की दो विशेषताएं बताइये।
2. समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण या स्वामित्व पाया जाता है?
3. किन्हीं दो प्रमुख आर्थिक नीतियों के नाम लिखिये।
4. शिक्षा का स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं सजगता समाज के सदस्यों की कार्य नैतिकताएं किस वातावरण का भाग है?
5. जो कम्पनी वैश्विक बाजार में जाती है उसे क्या कहते हैं?

2.3.2.6 पेस्टले विश्लेषण (PESTLE Analysis) –

पेस्टले शब्दावली समष्टि वातावरण घटकों का विश्लेषण करने की रूपरेखा को बताती है, पेस्टले विश्लेषण एक संगठन या उसकी नीतियों को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, वैधानिक और वातावरणीय प्रभावों की पहचान और अवलोकन का तरीका उपलब्ध करता है।

पेस्टले विश्लेषण एक मान्यता प्राप्त और बढ़ता हुआ विश्लेषण का तरीका है जिसने वातावरण की निगरानी करने वाले परंपरागत पेस्ट PEST विश्लेषण को प्रतिस्थापित कर दिया है। PESTLE के परिवर्णी शब्द हैं –

P-Political

E-Economic

S-Socio-Culture

T-Technological

L-Legal

E-Environment

पेस्टले विश्लेषण समझने में आसान और शीघ्र लागू किया जा सकता है। इस उपकरण के यह लाभ हैं कि यह प्रबन्ध को निर्णयन के लिए संरचित सोच और अग्रसक्रिय करता है।

विशिष्ट घटक (Key Factors) –

- (i) राजनैतिक घटक यह बताते हैं कि अर्थव्यवस्था और निगमिय गतिविधियों में कैसे और किस सीमा तक सरकार हस्तक्षेप करती है। राजनैतिक घटकों में सरकार जिन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करना चाहती है या सरकार उपलब्ध नहीं करना चाहती है उनको भी सम्मिलित किया जाता है। साथ ही सरकार का राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढाँचे पर गहरा प्रभाव होता है।
- (ii) आर्थिक घटकों का प्रभाव व्यवसाय के संचालन एवं निर्णयन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। उदहारण के लिए ब्याज दरों का एक फर्म की पूंजी की लागत पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार किस सीमा तक वह व्यवसाय बढ़ता है या फैलता है। एक अर्थव्यवस्था में विनिमय दरें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और आपूर्ति की लागत को प्रभावित करती हैं और राष्ट्र में आने वाले निर्यात की कीमतों को प्रभावित करती हैं। मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा स्फीति, साख प्रवाह, प्रति व्यक्ति आय और विकास दर व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
- (iii) सामाजिक घटक एक कम्पनी के उत्पादों की मांग और कम्पनी कैसे संचालित होती है, को प्रभावित करते हैं।
- (iv) प्रौद्योगिक घटक प्रवेश बाधा को निर्धारित करते हैं, न्यूनतम कुशल उत्पादन स्तर और आउटसोर्सिंग निर्णयों को प्रभावित करते हैं, साथ ही औद्योगिक परिवर्तन लागत और किस्म को प्रभावित कर सकता है और नवाचार की ओर अग्रसर करता है।
- (v) वैधानिक घटक एक कम्पनी कैसे संचालित होती है, इसकी लागतें क्या हैं और इसके उत्पादों की मांग क्या है, को प्रभावित करते हैं।
- (vi) वातावरणीय घटक पर्यटन, कृषि और बीमा जैसे उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति सजगता कम्पनी के संचालन और कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में नए बाजारों का निर्माण और विद्यमान बाजारों को कम करने या समाप्त करने (दोनों) के लिए कम्पनी कैसे कार्य करेगी, इसको प्रभावित करता है।

इनके आधार पर यह संभव है कि बहुत से महत्वपूर्ण वातावरणीय प्रभावों की पहचान की जा सके जो परिवर्तन के चालकों को प्रभावित करते हैं।

स्व-मूल्यांकन- द्वितीय

1. व्यवसाय की सफलता पर ठोस प्रभाव डालने वाले गैर आर्थिक वातावरणीय घटकों के नाम लिखिये।
2. समाजवादी आर्थिक प्रणाली का संचालन कौन करता है? और उसकी चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
3. मिश्रित आर्थिक प्रणाली में विद्यमान विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसके अंतर्गत संसाधनों का आवंटन कौन करता है?
4. तकनीकी वातावरण का अध्ययन करने के लिये किन घटकों पर विचार करना चाहिए?
5. पेस्टले विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

2.4 सारांश (Summary)

सारांश में हम कह सकते हैं कि एक संस्थान जहां कार्य करता है। उस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, समष्टि वातावरण प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं होता है लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। समष्टि वातावरण के घटकों को आर्थिक वातावरण एवं गैर आर्थिक वातावरण शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाएं सम्मिलित हैं तथा गैर आर्थिक वातावरण में जन्सांखिकीय, राजनैतिक-वैधानिक,

सामाजिक-सांस्कृतिक, तकनीकी और वैश्विक वातावरण आदि को सम्मिलित होती हैं। बाह्य वातावरण को समझने के लिए पेस्टले विश्लेषण का प्रयोग उपयोगी रहता है।

2.5 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. अध्याय में समष्टि आर्थिक वातावरण का सामान्य परिचय प्रदान किया गया।
2. समष्टि आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटकों का वर्गीकरण किया गया जिनमें आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक दशाओं की जानकारी दी गई।
3. समष्टि आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक घटकों का वर्गीकरण किया गया जिनमें जनसांख्यिकीय, राजनैतिक-वैधानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तकनीकी, वैश्विक वातावरण की जानकारी दी गई।
4. अध्याय में वैश्विक वातावरण, उसकी प्रकृति, आविर्भाव और संबंधित पक्षों का समीचीन ज्ञान दिया गया साथ ही पेस्टले (PESTLE) विश्लेषण का ज्ञान कराया गया।

2.6 शब्दावली (Terminology)

- **समष्टि(Macro):** समष्टि का आशय उन बाहरी शक्तियों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं लेकिन व्यवसाय का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है।
- **संपीड़न(Conglomerate):** एक ही स्वामित्व के अधीन आने वाली इकाइयां।
- **बहुराष्ट्रीय कम्पनी(MNC)/पारदेशीय कंपनी(TNC):** ऐसी कम्पनियाँ जिनके क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में होते हैं।

2.7 स्वपरख प्रश्न (Question for Self-Assessment)

1. स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए?
2. कंपनियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों को समझाते हुए यह बताइये कि तकनीकी वातावरण का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए?
3. वैश्वीकरण के आविर्भाव से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न पहलुओं को समझाइये।

2.8 सन्दर्भ (References)

- 'Strategic Management:', ICAI, New Delhi, July 2014. pp. 1.15-1.26.
- उपाध्याय, जी. एवं अन्य, 'व्यावसायिक वातावरण', आर. बी. डी. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012.

2.9 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- एम.एल. झिंगन, समष्टि अर्थशास्त्र, अष्टम संस्करण वृन्दा पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
- डॉ. जे.पी. मिश्रा, समष्टि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा 2023.

- रिचर्ड टी. फ्रॉयन (Richard T. Froyan) Macro Economics Tenth Edition, Pearson.
- पॉल ए. सेमुअलसन व विलियम डी. नोर्डहॉस (Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus) Macro Economics, 28th edition, McGraw Hills.
- डॉ. वी. सी. सिन्हा व डॉ. पुष्पा सिन्हा, समष्टि अर्थशास्त्र SBPD

2.10 वेबसाइट सन्दर्भ (Website References)

- Macro Environment
- www.vedantu.com/commerce/macro-environment

इकाई - 3

व्यावसायिक नैतिकता तथा निगमीय सामाजिक दायित्व (Business Ethics and Corporate Social Responsibility)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ एवं परिभाषाएँ
- 3.3 व्यावसायिक नैतिकता की प्रमुख विशेषताएँ
- 3.4 व्यावसायिक नैतिकता के विशिष्ट लक्षण
- 3.5 व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र अथवा क्रियात्मक क्षेत्र
- 3.6 व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांत
- 3.7 व्यावसायिक नैतिकता का महत्व
- 3.8 निगमीय सामाजिक दायित्व
- 3.9 निगमीय सामाजिक दायित्व का अर्थ एवं परिभाषाएँ
- 3.10 निगमीय सामाजिक दायित्व एक द्विमार्गीय प्रक्रिया
- 3.11 निगमीय सामाजिक दायित्व की विशेषताएँ
- 3.12 निगमीय सामाजिक दायित्व का महत्व
- 3.13 निगमीय सामाजिक दायित्व के लाभ
- 3.14 निगमीय सामाजिक दायित्व की हानियाँ
- 3.15 निगमीय सामाजिक दायित्व के प्रकार
- 3.16 निगमीय सामाजिक दायित्व-एक वैधानिक आवश्यकता
- 3.17 सारांश
- 3.18 अधिगम परिणाम
- 3.19 शब्दावली
- 3.20 स्व-परख प्रश्न

3.21 संदर्भ/गंथ सूची

3.22 अन्य पठन सामग्री

3.23 वेब संसाधन/लिंक

3.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र एवं सिद्धांतों को जान पायेंगे।
- व्यावसायिक नैतिकता के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
- निगमीय सामाजिक दायित्व का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- निगमीय सामाजिक दायित्व के लाभ/महत्व एवं हानियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- निगमीय सामाजिक दायित्व के विभिन्न प्रकारों एवं इसकी वैधानिक आवश्यकता को जान पाने में सक्षम हो सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

आज का युग प्रतिस्पर्धी है। वर्तमान में हमें व्यवसाय को 'क्रेता बाजार' की परिस्थितियों में संचालित करना होता है, जिसमें क्रेता बाजार का सम्राट या सम्प्रभु होता है। ऐसे बाजार में क्रेता अपने नियम एवं शर्तें तय करने की स्थिति में होता है। देश की सरकार भी उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखते हुए कई सारे नियम एवं कानून बनाती है, जिनका पालन करना व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है। ऐसी स्थितियों में व्यवसाय का संचालन अनैतिक व्यवहारों को अपना कर नहीं किया जा सकता। साथ ही, व्यवसाय केवल लाभ कमाने अथवा लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के लिए भी संचालित नहीं किया जा सकता। व्यवसाय को नैतिकता के मापदण्डों पर खरा उतरना होता है तथा अपने व्यवसाय के केवल स्वामियों अथवा अंशधारियों के हितों का ध्यान रखते हुए न संचालित कर समस्त हितधारकों यथा ग्राहक, कर्मचारी, विनियोगकर्ता, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय समुदाय, सरकार तथा समाज के हित इमें संचालित करना होता है ताकि व्यवसाय में अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सके। प्रस्तुत अध्याय में छात्रों को व्यावसायिक नैतिकता तथा व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों से परिचित करवाने का एक प्रयास किया गया है।

3.2 व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Business Ethics)

नैतिकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द (Ethos) से हुई, जिसका आशय है चरित्र। नैतिकता सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जो मानवीय कार्यों के कुछ अवधारणाओं जैसे सही, गलत, अच्छा एवं बुरा, उचित तथा अनुचित, न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण, वैधानिक तथा अवैधानिक नैतिक तथा अनैतिक आदि से सम्बन्धित है। यह नैतिक सिद्धान्त तथा सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित है। व्यावसायिक नैतिकता कुछ सम्भावित विवादित विषयों जैसे निगमीय संचालन, इन साइडर ट्रेडिंग,

रिश्त, विभेद, निगमीय सामाजिक दायित्व तथा विश्वासाश्रित सम्बन्ध में उचित व्यापारिक नीतियों एवं व्यवहारों का अध्ययन है।

क्रेन (Crane) के अनुसार, “व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक स्थितियों, क्रियाओं तथा निर्णयों का अध्ययन है, जिनमें सही एवं गलत के मुद्दे का हल किया जाता है।”

रेमण्ड सी. बौमहार्ट (Raymond C. Baumhart) के अनुसार, “व्यवसाय की नैतिकता, दायित्व की नैतिकता है। व्यवसायी को यह वचन देना चाहिए कि वह जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचायेगा”।

आक्सफोर्ड शब्दकोष (Oxford Dictionary) के अनुसार, “नैतिकता नैतिक सिद्धान्त है जो एक व्यक्ति के व्यवहार अथवा एक क्रिया को कैसे की जाती है, को संचालित करते है।”

व्यावसायिक नैतिकता एक ऐसी आचरण संहिता है, जिसको व्यवसायी के द्वारा दूसरो के साथ व्यवहार करने में अपनाने की अपेक्षा की जाती है। आचरण संहिता सिद्धांतों एवं प्रत्याशाओं का एक समूह है जो किसी भी व्यक्ति, जो एक समूह का सदस्य है, के लिए बन्धनकारी समझी जाती है। आचरण संहिता के वैकल्पिक नाम ‘नैतिकता संहिता’ तथा ‘व्यवहार संहिता’ है।

व्यावसायिक नैतिकता में सिद्धान्त एवं प्रमाण सम्मिलित है जो व्यवसाय के संचालन में व्यवहार को निर्देशित करते है। व्यवसाय को अपने लाभ को अधिकतम करने की इच्छा तथा हितधारकों की आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करना चाहिए।

3.3 व्यावसायिक नैतिकता की प्रमुख विशेषताएँ (Main Characteristics of Business Ethics)

व्यावसायिक नैतिकता को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझना आवश्यक है। व्यावसायिक नैतिकता की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है :

1. **एक पृथक विधा (A Separate Discipline) :** सामान्य विश्वास के विपरीत व्यावसायिक नैतिकता ज्ञान की शाखा मात्र नहीं है वरन एक पृथक विद्या है। व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक कार्यों के निर्देशक सिद्धान्त है। यह वह ज्ञान है, जिसके माध्यम से एक व्यावसायिक स्थिति में मानवीय व्यवहार को सीखा जाता है।
2. **प्राचीन अवधारणा (Ancient Concept) :** व्यावसायिक नैतिकता एक प्राचीन अवधारणा है। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ-साथ इसका उद्भव हुआ है।
3. **व्यक्तिगत गौरव (Personal Dignity) :** नैतिकता का सिद्धान्त व्यक्तिगत सम्मान विकसित करना है। नैतिकता सम्बन्धी बहुत सारी समस्याएँ व्यक्तियों को सम्मान नहीं दिये जाने के कारण उत्पन्न होती है। व्यवसाय के सभी निर्णय व्यक्तियों जैसे ग्राहक, कर्मचारी, वितरक, अंशधारी, लेनदार, स्थानीय समाज को केन्द्र बिन्दु में रखकर उनका गौरव बढ़ाने के लिए लेना चाहिए अन्यथा व्यवसाय संचालन में अनैतिकता विकसित होती है।
4. **मानवीय पहलू से सम्बन्धित (Related to Human Aspects) :** व्यावसायिक नैतिकता उन क्रियाओं तथा निर्णयों का अध्ययन करती है, जो मानवीय पहलू से जुड़ी हुई है। व्यावसायिक नैतिकता का यह कार्य है कि

अच्छे अथवा बुरे, उचित अथवा अनुचित व्यापारिक आचरण से सम्बन्धित निर्णयों को ग्राहकों, स्वामियों, सरकार, समाज, प्रतिस्पर्धी तथा अन्यो का सूचित करें।

5. **लक्ष्यों एवं साधनों का अध्ययन (Study of Goals and Means) :** व्यावसायिक नैतिकता पावन उद्देश्यों का विवेकपूर्ण चयन एवं उनकी प्राप्ति के लिए लक्ष्यों एवं साधनों का अध्ययन है। यह “शुद्ध लक्ष्य शुद्ध साधनों के लिए प्रेरित करते हैं” तथा साधन साध्य को उचित ठहराते हैं, के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। यह आवश्यक है कि लक्ष्य तथा साधन नैतिकता पर आधारित हों।
6. **सामाजिक दायित्व से भिन्न (Different from Social Responsibility) :** सामाजिक दायित्व प्रमुखतया एक उपक्रम की नीतियों एवं कार्यों से सम्बन्धित होते हैं, जबकि व्यावसायिक नैतिकता व्यवसायी का आचरण एवं व्यवहार होता है। हांलाकि यह भी एक तथ्य है कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं दूसरी नीतियाँ व्यावसायिक नैतिकता से प्रभावित होती हैं।
7. **कानून से अधिक (Greater than Law) :** यद्यपि कानून विभिन्न सामाजिक निर्णयों को स्वीकृति प्रदान करता है, फिर भी कानून नैतिकता से बढ़ा नहीं होता। कानून सामान्यतया सामाजिक प्रथाओं के न्यूनतम नियन्त्रण से सम्बन्धित होता है, जबकि नैतिकता व्यक्ति तथा सामाजिक कल्याण कार्यों को महत्व देती है।

3.4 व्यावसायिक नैतिकता के विशिष्ट लक्षण (Distinctive Features of Business Ethics)

व्यावसायिक नैतिकता के निम्नलिखित आठ विशिष्ट लक्षण हैं, जो इसे अन्य से भिन्न बनाते हैं :

1. **आचरण संहिता (Code of Conduct) :** व्यावसायिक नैतिकता वास्तव में आचरण संहिता का एक रूप है। यह हमें क्या करें तथा क्या न करें जानने के योग्य बनाता है। व्यवसाय को इस आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से अनुगमन करना होता है।
2. **नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित (Based on Moral and Social Values) :** व्यावसायिक नैतिकता एक विषय है, जो कि नैतिकता (Moral) तथा सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। यह व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ शिक्षा एवं सामाजिक सिद्धान्त (नियम) उपलब्ध करवाता है।
3. **सामाजिक समूहों को संरक्षण (Protection to Social Groups) :** व्यावसायिक नैतिकता विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे ग्राहक, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, सरकार, अंशधारी, लेनदार, स्थानीय समुदाय आदि को संरक्षण प्रदान करता है।
4. **आधारभूत ढाँचा प्रदान करना (Offers a Basic Framework) :** व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय को उचित ढंग से संचालित करने के लिए आधारभूत ढाँचा है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा अन्य सीमाओं का निर्माण करता है, जिसके अन्दर रहकर व्यवसाय का संचालन करना चाहिए।
5. **स्वैच्छिक (Voluntary) :** व्यावसायिक नैतिकता स्वैच्छिक है। यह व्यवसाय स्वयं अपनी इच्छा से अपनाता है, न कि कानून के द्वारा बन्धनकारी बनाया जाता है।

6. **शिक्षा एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता (Requires Education and Guidance) :** व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के सम्बन्ध में उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इसके अभाव में व्यावसायिक नैतिकता को ठीक प्रकार से लागू किया जाना लगभग असम्भव है। व्यापार संघों तथा वाणिज्यिक चेम्बर्स को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
7. **सापेक्षिक शब्द (Relative Term) :** व्यावसायिक नैतिकता सापेक्षिक होती है। यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। यही नहीं यह देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
8. **नयी अवधारणा (Newer Concept) :** व्यावसायिक नैतिकता तुलनात्मक रूप से एक नयी अवधारणा है। विकसित देशों को व्यावसायिक नैतिकता अपनाने का अधिक अनुभव (Exposure) होता है, जबकि गरीब एवं विकासशील देश सामान्यतया व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धान्तों को अपनाने में पीछे रह जाते हैं।

3.5 व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र अथवा व्यावसायिक नैतिकता के क्रियात्मक क्षेत्र (Scope of Business Ethics or Functional Areas of Business Ethics)

व्यावसायिक नैतिकता का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। व्यवसाय का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो इससे अछूता हो अथवा इससे प्रभावित न होता हो। व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्रों को नीचे दिये गये विवरण से समझा जा सकता है :

1. **अनुपालना में नैतिकता (Ethics in Compliance) :** अनुपालना से आशय नियमों तथा सत्ता का पालन करना है। कानून एवं नियमों की अनुपालना दण्ड के भय अथवा दण्ड से बचने के लिए हो सकती है बजाय इसके स्वैच्छिक अनुपालन की इच्छा से। व्यवसाय में नैतिक वातावरण इस बात को सुनिश्चित करता है कि संगठन में कानून एवं नियमों की अनुपालना स्वेच्छा से हो न कि दण्ड के भय से।
2. **वित्त में नैतिकता (Ethics in Finance) :** वित्तीय क्षेत्र व्यवसाय की वह कमजोर कड़ी है जहाँ आसानी से नैतिकता को ताक में रखकर अनैतिक तथा अवांछनीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वे वित्तीय क्षेत्र जहाँ अनैतिकता अपनाने की सम्भावनाएँ अधिक रहती है :
 - (i) लेखांकन-विन्डोड्रेसिंग, गुमराह करने वाले वित्तीय विश्लेषण।
 - (ii) सम्बन्धित पक्ष व्यवहार।
 - (iii) इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रतिभूति धोखा अथवा घोटाले।
 - (iv) अधिकारियों का पारिश्रमिक।
 - (v) रिश्वत खोरी, अधिक राशि का बिल बनाना एवं भुगतान करना।
 - (vi) जाली पुनर्भरण।
3. **मानव संसाधन में नैतिकता (Ethics in Human Resources) :** मानव संसाधन व्यवसाय का ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आसानी से अनैतिकता का शिकार बनाया जा सकता है। मानव संसाधनों से सम्बन्धित नैतिकता विषय निम्नलिखित हो सकते हैं :

- विभेदकारी मुद्दे जैसे जाति, लिंग, वर्ण, रंग, वेषभूषा, भाषा, निवास स्तर, अक्षमता आदि;
- यौन उत्पीड़न;
- सकारात्मक क्रियायें (Affirmative Actions);
- कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तथा कार्यस्थल को लोकतन्त्रात्मक बनाने से सम्बन्धित मुद्दे तथा श्रम संघवाद;
- कर्मचारियों की निजता को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्य स्थल निगरानी, ड्रग परीक्षण आदि;
- विसिल ब्लोवर से जुड़े मुद्दे;
- रोजगार अनुबन्ध की उचितता तथा नियोक्ता-नियोजित के मध्य शक्ति सन्तुलन से सम्बन्धित विषय;
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा।

4. विपणन में नैतिकता (Ethics in Marketing) : इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपना अस्तित्व बचाये रखने तथा प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यवसायियों में अनैतिक आचरण अपनाने की प्रवृत्ति की ओर झुकना पाया गया है। सामान्यतया विपणन के क्षेत्र में निम्न विषयों में अनैतिक आचरण अपनाने की सम्भावना अधिक पायी जाती है :

- मूल्य निर्धारण, मूल्य विभेद तथा मलाई उतार मूल्य निर्धारण;
- प्रतिस्पर्धी रोधी व्यवहार, आपूर्ति में चालाकी, एकाधिरात्मक व्यवहार समझौते;
- गुमराह करने वाले विज्ञापन;
- विज्ञापन की विषय वस्तु;
- अनुचित निर्णयन;
- विपणन में बच्चों का उपयोग;
- सरोगेट विज्ञापन;
- काला बाजार तथा अवैधानिक बाजार।

5. उत्पादन में नैतिकता (Ethics in Production) : व्यावसायिक नैतिकता का यह क्षेत्र यह सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है कि व्यवसाय के उत्पाद तथा उत्पादन प्रक्रिया समाज को हानि पहुँचाने वाले न हो। कुछ व्यवसायी अपने छुद्र स्वार्थ के लिए अपने उत्पादन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का संचालन इस प्रकार करते हैं कि इससे समाज को अत्यधिक नुकसान होता है। विपणन में सामान्यतया निम्न क्षेत्रों में अनैतिक आचरण अपनाने की सम्भावना अधिक रहती है :

- दूषित, व्यसनी तथा स्वाभाविक रूप से खतरनाक उत्पाद;
- कम्पनी तथा पर्यावरण के मध्य नैतिक सम्बन्ध उदाहरणार्थ : प्रदूषण, पर्यावरणीय नैतिकता, तथा कार्बन उच्छन्न, ग्लोबल वार्मिंग आदि;
- नयी प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाली नैतिक समस्याएँ जैसे - आनुवंशिकीय संशोधित भोजन;
- उत्पाद परीक्षण नैतिकता।

3.6 व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धान्त (Principles of Business Ethics)

व्यावसायिक नैतिकता के कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण तथा निर्णयों के लेने में इन सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

1. **आत्मा की आवाज का सिद्धान्त (Principle of Conscience)** : यह सिद्धान्त सही अथवा गलत का विश्लेषण करने की व्यक्ति की क्षमता का उसके आन्तरिक भावना पर आधारित होने से सम्बन्धित है।
2. **फल की कामना रहित कार्य का सिद्धान्त (Principle of wish less work)** : यह सिद्धान्त बतलाता है कि हम जो भी कार्य करें उसमें फल की कामना का त्याग करना चाहिए। हमें कार्य आत्मकेन्द्रित अथवा स्वहित की भावना से नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों एवं प्रयासों को समाज के हित को बढ़ावा देने की कामना से करना चाहिए।
3. **भावना का सिद्धान्त (Principle of Esprit)** : इस सिद्धान्त के अनुसार व्यवसायियों को हर सम्भव सर्वोत्तम सेवायें प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए तथा सेवायें प्रदान करने में सभ्यता एवं समर्पण की भावना को विकसित करना चाहिए। व्यवसाय में व्यवसायी का सम्पूर्ण व्यवहार तथा क्रियायें मूल्यों तथा सेवा भावना पर आधारित होनी चाहिए।
4. **प्रचार का सिद्धान्त (Principle of Publicity)** : इस सिद्धान्त के अनुसार व्यवसाय में किये जाने वाले समस्त कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी संगठन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्तियों से सभी प्रकार के सन्देहों तथा गलतफहमियों को दूर करना है।
5. **शुद्धता का सिद्धान्त (Principle of Purity)** : यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी को मानसिक शांति की अनुभूति के लिए नम्रता, सत्यता तथा सहनशीलता का मार्ग अपनाना चाहिए।
6. **मानवीयता का सिद्धान्त (Principle of Humanity)** : प्रत्येक व्यवसायी को मानवीय मूल्यों, मानवीय आदर्शों तथा मानवीय पहलुओं का अपनी नीतियों, कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अनुकरण करना चाहिए। नैतिक व्यवहार मानवीयता का मार्ग निर्धारित करता है।
7. **सार्वभौमिक मूल्यों का सिद्धान्त (Principle of Human values)** : प्रत्येक व्यवसायी को सार्वभौमिक मान्यताओं, प्रथाओं तथा समाज द्वारा समग्र रूप से स्वीकृत मापदण्ड तथा सिद्धान्तों का अनुकरण करते हुए अपने कार्यों एवं गतिविधियों का संचालन एवं निष्पादन करना चाहिए।
8. **वचनबद्धता का सिद्धान्त (Principle of Commitments)** : इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी को दूसरे व्यक्तियों को दिये गये आश्वासनों तथा वचनबद्धताओं का पालन करना चाहिए। वचनबद्धताओं का क्रियान्वयन ईमानदारी तथा जवाबदेयता पर आधारित होना चाहिए।
9. **विवेकपूर्णता का सिद्धान्त (Principle of Rationality)** : नैतिक आचार संहिता के आधार पर, प्रत्येक व्यवसायी को अपने व्यावसायिक व्यवहारों तथा दिन-प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में अच्छे अथवा बुरे, सही अथवा गलत, नैतिक अथवा अनैतिक पहलुओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना चाहिए। व्यवसायियों को विवेकपूर्ण प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों का अनुकरण करना चाहिए।

10. **सम्प्रेषणीयता का सिद्धान्त (Principle of Communicability) :** इस सिद्धान्त के अनुसार व्यवसाय से जुड़े आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण के लिए प्रभावी साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। सम्प्रेषण खुले, स्पष्ट एवं न्याय संगत विधि से स्थापित होना चाहिए।
11. **बुराइयों में असहयोग का सिद्धान्त (Principle of Non-cooperation on Evils) :** व्यवसायियों को बुराइयों में सहयोग देकर उनको प्रोत्साहित करने के स्थान पर उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।
12. **दूसरों के साथ सहयोग का सिद्धान्त (Principle of Cooperation with others) :** नैतिक मापदण्ड सहयोग तथा दलीय भावना को प्रोत्साहित करते हैं। व्यवसायी को अपनी क्षमता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर दूसरों के साथ उनके अच्छे आचरण तथा मूल्य आधारित व्यवहार के आधार पर पूर्ण सहयोग करना चाहिए।
13. **सन्तुष्टि का सिद्धान्त (Principle of Satisfaction) :** प्रत्येक व्यवसायी को अपनी भूमिका तथा व्यवहार का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि दूसरों तथा सम्पूर्ण समाज को खुशी एवं प्रसन्नता मिले। व्यवसाय में ग्राहकों को अपने उत्पादों तथा सेवाओं से प्रत्येक स्तर पर संतुष्टि प्रदान करना चाहिए।
14. **लक्ष्यों एवं साधनों में समन्वय का सिद्धान्त (Principle of Coordinate Ends and Means) :** व्यवसायियों को अपने कार्य निष्पादन तथा इसकी सहायक क्रियाओं में अपने लक्ष्यों एवं साधनों के बीच समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित करना चाहिए। अपने संसाधनों एवं क्षमताओं की सीमाओं में रहकर उन्हें अपने व्यवसाय को विकसित करना चाहिए।
15. **उचित प्रक्रियाओं का सिद्धान्त (Principle of Due Processes) :** व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों तथा कर्मचारियों को निर्णयन प्रक्रिया तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदारी प्रदान करनी चाहिए। व्यवसायियों को अपने संगठन में एक उचित एवं न्यायसंगत कार्य प्रणाली का अनुगमन करना चाहिए।
16. **प्रत्याशाओं में पसंदगी का सिद्धान्त (Principle of liking in Expectations) :** व्यवसाय में नैतिक प्रमाण तथा आचरण स्थापित करने के लिए व्यवसायी को समस्त अच्छे एवं स्वीकृत व्यवहार का अनुगमन करना चाहिए। उन्हें दूसरों की प्रत्याशाओं के अनुरूप कुछ श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
17. **खुलेपन का सिद्धान्त (Principle of Transparency) :** नैतिकता शुद्धता तथा सत्यता की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। सभी व्यावसायिक गतिविधियों तथा व्यवहार के बारे में व्यवसाय के समस्त हितधारकों तथा समाज को समुचित तथा न्यायसंगत तरीके से सूचित करना चाहिए।

3.7 व्यावसायिक नैतिकता का महत्व (Importance of Business Ethics)

भिन्न-भिन्न विद्वानों एवं लेखकों ने व्यावसायिक नैतिकता के महत्व का वर्णन अपने अनुसार अलग-अलग प्रकार से किया है। उन सबके अध्ययन के उपरान्त व्यावसायिक नैतिकता के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है :

1. **प्रतिभावान कर्मचारियों की अधिप्राप्ति तथा रोके रखना (Procurement and Retention of Talented Employees) :** जो व्यवसाय व्यावसायिक नैतिकता का पालन करते हैं वे कर्मचारियों की उचित

देखभाल करते हैं, उन्हें उनका उचित हिस्सा प्रदान करते हैं, उन्हें निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी देते हैं। ऐसे व्यवसाय में कर्मचारी कार्य से सन्तुष्टि प्राप्त करते हैं।

अतः ऐसे संगठनों में प्रतिभावान कर्मचारी अपनी सेवायें देना पसन्द करते हैं तथा व्यवसाय में निरन्तर सेवायें देने के लिए अभिप्रेरित होते हैं।

2. **प्रतिष्ठा का निर्माण एवं अनुरक्षण (Building and Maintaining Reputation) :** जो व्यवसाय व्यावसायिक नैतिकता का पालन करते हैं, उनकी समाज के सभी वर्गों जैसे-कर्मचारी, ग्राहक, विनियोगकर्ता, आपूर्तिकर्ता आदि में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सभी हितधारकों में ऐसे संगठनों के लिए सकारात्मक छवि का निर्माण होता है तथा यह निरन्तर बनी रहती है।
3. **उच्च उत्पादकता (Higher Productivity) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठनों की उत्पादकता अन्य संगठनों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे संगठन अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में सफल रहते हैं। कर्मचारी सन्तुष्टि का प्रत्यक्ष परिमाण श्रम आवर्तन दर में कमी, साधनों के अपव्यय में कमी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग आदि के रूप में सामने आता है, जिसके फलस्वरूप संगठन की उत्पादकता बढ़ती है।
4. **ग्राहक सन्तुष्टि एवं निष्ठा में वृद्धि (Increases Customer Satisfaction and Loyalty) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठन ग्राहकों को धोखा देने, अपने लाभ को अधिकतम करने तथा ग्राहकों के साथ अवांछनीय क्रियायें करने में विश्वास नहीं करते वरन् सेवा प्रथम लाभ बाद में के सिद्धान्त का अनुगमन करते हैं। वे अपने ग्राहकों को श्रेष्ठ किस्म का माल उचित मूल्य, उचित समय, उचित स्थान एवं उचित शर्तों पर देने में विश्वास करते हैं। इससे ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होती है तथा ग्राहकों की निष्ठा संगठन में अटूट बनी रहती है।
5. **दलीय भावना को बढ़ावा (Increases Team Spirit) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठनों में कार्यरत कर्मचारी एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं वरन् पूरक समझते हैं। अतः वे एक दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे संगठन की कई समस्याओं का आसानी से समाधान हो जाता है।
6. **व्यावसायिक जोखिमों में कमी (Reduces Business Risk) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठनों में आपसी सदविश्वास तथा निष्ठा का निर्माण होता है। इससे व्यवसाय में सम्भावित ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, विनियोगकर्ताओं आदि के शोषण का खतरा न्यूनतम हो जाता है।
7. **लागत में कमी (Reduces Costs) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठनों में लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इन संगठनों में उच्च उत्पादकता, संसाधनों का न्यूनतम अपव्यय, निम्न श्रम आवर्तन दर, न्यूनतम मुकदमेबाजी की लागत, कम दण्ड, आदि के कारण लागत में महत्वपूर्ण रूप से कमी आती है।
8. **कानून का अनुपालन (Compliance of Law) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठन देश में प्रचलित सभी नियमों उपनियमों, कानूनों आदि का पालन न केवल शब्दानुसार वरन् भावना अनुसार भी करते हैं। परिणामतः इन संगठनों को कानून के उल्लंघन पर लगने वाले दण्ड तथा मुकदमेबाजी का सामना नहीं करना पड़ता है।
9. **लाभों में वृद्धि (Increases profits) :** सामान्य विश्वास है कि व्यावसायिक नैतिकता से व्यावसायिक लाभों में कमी आयेगी, किन्तु इससे भिन्न व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय के लाभों में वृद्धि में सहायक होती है। उच्च

उत्पादकता संसाधनों का न्यूनतम अपव्यय, ग्राहक एवं कर्मचारी सन्तुष्टि एवं निष्ठा में वृद्धि, व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के फलस्वरूप व्यवसाय के लाभों में वृद्धि होती है।

10. **स्वस्थ प्रतिस्पर्धायों को बढ़ावा (Promotes healthy Competition) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठन एक दूसरे के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा में विश्वास न कर, एक दूसरे के साथ सहयोग में विश्वास करते हैं। वे जियो एवं जीने दो के सिद्धान्त पर काम करते हैं। इससे सभी व्यवसायों को विकसित एवं विस्तारित होने का अवसर मिलता है।
11. **दीर्घकालिक लाभों की प्राप्ति (Achievement of Long - term Gains) :** व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले संगठन अल्प दृष्टि (Myopia) से पीड़ित नहीं होते वरन् दूर दृष्टि (Foresightedness) को अपनाते हैं। इससे व्यवसाय में दीर्घकालीन लाभों की प्राप्ति होती है।

स्व मूल्यांकन - प्रथम

1. व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय के सामाजिक दायित्व से किस प्रकार भिन्न है?
2. क्या व्यावसायिक नैतिकता स्वेच्छिक है?
3. विपणन के क्षेत्र में किन विषयों में व्यावसायिक नैतिकता की अधिक आवश्यकता होती है?
4. व्यावसायिक नैतिकता के वचनबद्धता के सिद्धांत को समझाइये।
5. व्यावसायिक नैतिकता एक प्राचीन अवधारणा है। समझाइये।

3.8 निगमीय सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility CSR)

निगमीय सामाजिक दायित्व राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी द्वारा प्रतिपादित न्यासी (Trusteeship) सिद्धान्त को अमली जामा पहनाने का माध्यम है। गान्धी जी की मान्यता थी कि व्यावसायियों एवं धनी व्यक्तियों को अपने धन को जनता की धरोहर मानकर इस धन के न्यासी के रूप धन का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपने आपको धन का स्वामी नहीं वरन् न्यासी समझना चाहिए। जिस तरह एक न्यासी न्यास के रूप में धन का उपयोग अधिकतम जन कल्याण हेतु तथा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करता है, उसी तरह व्यवसायी को अपने व्यवसाय के धन एवं संपत्ति का उपयोग अधिकतम जन कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लाभों को अधिकतम करने के लिए।

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा यह बताती है कि एक व्यवसाय को अपने धन, संसाधनों तथा संपत्ति का उपयोग व्यवसाय के हितधारकों (Stakeholders) के अधिकतम कल्याण के लिए करना चाहिए न कि व्यवसाय के लाभों को अधिकतम करने के लिए।

3.9 निगमीय सामाजिक दायित्व का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of CSR)

सामान्य शब्दों में, निगमीय सामाजिक दायित्व एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से अंशधारियों एवं हितधारकों की प्रत्याशाओं की पूर्ति करते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं (Imperatives) के मध्य सन्तुलन स्थापित किया जाता है।

निगमीय सामाजिक दायित्व का अर्थ है कि जिससे एक संगठन अपने मूल्यों, व्यवस्थाओं तथा क्रियाओं का एक पारदर्शी तथा उत्तरदायी तरीके से समाज के सामान्य, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक चिन्ताओं के साथ अपने को एकीकृत करता है ताकि सम्पूर्ण समाज के लिए धन सृजन तथा समाज के जीवन-स्तर में सुधार के लिए अपना योगदान दे सके।

बोवेन (Bowen) के अनुसार, “निगमीय सामाजिक दायित्व को एक व्यवसायी के द्वारा उन नीतियों के अनुगमन करने, उन निर्णयों को लेने तथा उन कार्य पथ का अनुगमन करने के दायित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उद्देश्यों तथा सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में वांछनीय है।”

स्थिर विकास के लिए **विश्व व्यापार परिषद (World Business Council for Sustainable Development)** के अनुसार, “निगमीय सामाजिक दायित्व व्यवसाय द्वारा कार्य शक्ति तथा उनके परिवारों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण समाज के जीवन गुणात्मकता स्तर में सुधार करते हुए नैतिक आचरण तथा आर्थिक विकास करने की निरन्तर वचनबद्धता है।”

इस प्रकार निगमीय सामाजिक दायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यवसायी अपने व्यवसाय के विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए निरन्तर समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विषयों के बीच सन्तुलन स्थापित करने का कार्य करता है।

3.10 निगमीय सामाजिक दायित्व - एक द्विमार्गीय प्रक्रिया (CSR- A Two Way Process)

निगमीय सामाजिक दायित्व एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, जिसमें व्यवसाय तथा व्यवसाय हितधारक, दोनों को अपना-अपना दायित्व निभाना होता है। जिस प्रकार ठीक प्रकार से चलने के लिए मनुष्य को दोनों पैरों अथवा ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक दायित्व का उचित निर्वहन करने के लिए दोनों पक्षकार अर्थात् व्यवसाय तथा व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को अपना-अपना दायित्व निभाना होता है। यदि केवल एक ही पक्षकार अर्थात् व्यवसाय अथवा व्यवसाय में हितधारक पक्षकार अपने दायित्व का निर्वहन करता है तथा दूसरा पक्षकार नहीं, तो सामाजिक दायित्व की अवधारणा को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा सकेगा। व्यवसाय को व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार जैसे-ग्राहक, कर्मचारी, अंशधारी, ऋणदाता, विनियोगकर्ता, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी, पूरक, स्थानीय समुदाय, सरकार तथा सम्पूर्ण समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाना होता है। इसी प्रकार इन सभी पक्षकारों को भी व्यवसाय के प्रति अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना होता है। वास्तव में, दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं तथा व्यवसायी रूपी गाड़ी को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए इन दोनों पक्षों का साथ-साथ चलना तथा दोनों को अपने-अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह करना आवश्यक है।

3.11 निगमीय सामाजिक दायित्व की विशेषताएँ (Characteristics of Corporate Social Responsibility)

निगमीय सामाजिक दायित्व की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. **स्वैच्छिक (Voluntary) :** व्यवसाय को अपना सामाजिक दायित्व स्वैच्छिक रूप से निभाना चाहिए, न कि कानून की अनुपालना की बाध्यता के कारण। यदि कोई संगठन कानूनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है तो इसे सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं माना जाता है। कानूनी बाध्यता के परे

एवं व्यवसाय द्वारा समाज हित तथा व्यवसाय के हितधारकों के लिए जो कुछ किया जाता है उसे सामाजिक दायित्व का निर्वहन माना जाता है। हमारे देश में टाटा समूह इसका एक अच्छा उदाहरण है।

2. **बाह्य परिणामों का प्रबन्धन (Managing External Consequences) :** सामाजिक दायित्व व्यावसायिक संगठनों के लिए एक बड़ा कर्तव्य लेकर आते हैं। कम्पनियों को मुद्रित तथा सामाजिक माध्यम (Print and Social Media) तथा यहाँ तक की ग्राहकों द्वारा फैलाये गये कुछ बाह्य परिणामों का निपटारा करना होता है। ऐसे में सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर इन बाह्य परिणामों से निपटा जा सकता है। साथ ही, अच्छी छवि एवं ख्याति का निर्माण किया जा सकता है।
3. **बहुसंख्यक हितधारक अभिमुखीकरण (Multiple Stakeholder Orientation) :** बड़ी कम्पनियों में विभिन्न प्रकार के हितधारक जैसे - ग्राहक, कर्मचारी, विनियोगकर्ता, आपूर्तिकर्ता, अंशधारी, स्थानीय समुदाय आदि होते हैं। अतः व्यवसाय को न केवल अपने स्वामियों अथवा अंशधारियों के प्रति अपना दायित्व निर्वहन करना होता है वरन सभी हितधारकों को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रखना होता है। निगमीय सामाजिक दायित्व इन सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखना तथा उनको पूर्ण करना एवं बढ़ावा देना है।
4. **सामाजिक एवं आर्थिक मिलान (Social and Economic Alignment) :** निगमीय सामाजिक दायित्व में सामाजिक तथा आर्थिक हितों में समुचित तालमेल स्थापित किया जाता है। निगमीय सामाजिक दायित्व मात्र लाभ कमाने के हेतु के साथ कभी नहीं किया जाता वरन इससे व्यवसाय के आर्थिक एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जहाँ एक ओर आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लाभ कमाया जाता है, वही दूसरी ओर कमाये गये लाभों को स्वामियों में नहीं बांटा जाता वरन उसका एक हित समाज के हित संवर्द्धन के लिए खर्च किया जाता है।
5. **व्यवहार एवं मूल्य (Practices and Values) :** निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ अच्छी मान्यताओं एवं व्यवहारों का पालन करना है। इसमें व्यवसाय उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करता है तथा अनुचित आचरण, व्यवहार एवं मान्यताओं से दूरी बनाता है। निगमीय सामाजिक दायित्व व्यवसाय में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करना है।
6. **लोकोपकार से परे (Beyond Philanthropy) :** निगमीय सामाजिक दायित्व लोकोपकार से भिन्न है। लोकोपकार दान की भावना अथवा प्रतिफल रहित होता है, किन्तु निगमीय सामाजिक दायित्व के निर्वहन में अन्ततः व्यवसाय को ही लाभ होता है। इसके निर्वहन से व्यवसाय को सभी पक्षों का सहयोग मिलता है, व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है, व्यवसाय की एक ब्रांड इक्विटी विकसित होती है। अतः निगमीय सामाजिक दायित्व लोकोपकार से परे अथवा भिन्न है।

3.12 निगमीय सामाजिक दायित्व का महत्व (Importance of CSR)

1. **ग्राहक अधिप्राप्ति (Customer Acquisition) :** निगमीय सामाजिक दायित्व के निर्वहन के माध्यम से एक व्यवसाय की पहुँच एक बड़ी संख्या में लोगों तक हो जाती है। ये लोग ही व्यवसाय के सम्भावित ग्राहक होते हैं। यदि व्यवसाय ठीक प्रकार से रणनीति बनाये तो इन लोगों को व्यवसाय में ग्राहक के रूप में बदला जा सकता है। इससे व्यवसाय को दीर्घकालीन के लिए ग्राहकों का डेटाबेस तैयार करने में सहायता मिलती है।

2. **ग्राहक रोकना (Customer Retention) :** व्यवसाय में नये ग्राहकों को रोके रखना होता है। सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर ग्राहकों के सन्तुष्टि स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा विद्यमान ग्राहकों को रोके रखना सम्भव हो पाता है।
3. **ब्रान्ड छवि (Brand Image) :** व्यावसायिक दायित्व का निर्वहन से व्यवसाय की समाज में एक सकारात्मक ब्रान्ड छवि के निर्माण में सहायता मिलती है। टाटा की आज विश्व स्तर पर जो ब्रान्ड छवि है, उसमें उनके द्वारा निभाये गये सामाजिक सरोकारों का एक बड़ा योगदान है।
4. **ग्राहक जुड़ाव (Customer Engagement) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से ग्राहकों में व्यवसाय के प्रति अपनत्व की भावना का विकास किया जा सकता है, इससे ग्राहक अपने आपको व्यवसाय से जुड़ा हुआ महसूस करता है।

3.13 निगमीय सामाजिक दायित्व के लाभ (Advantages of CSR)

1. **मजबूत ब्रान्ड पहचान (Strong Brand Recognition) :** प्रत्येक कम्पनी निगमीय सामाजिक दायित्व का निर्वहन बाजार में अपनी मजबूत पेट बनाने के लिए करती है। इससे समाज में संस्था के उत्पादों की एक मजबूत ब्रान्ड पहचान पैदा होती है।
2. **ख्याति में सुधार (Improves Goodwill) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से व्यवसाय की समाज में एक सकारात्मक छवि बनती है जिससे व्यवसाय की ख्याति में सुधार होता है।
3. **मजबूत ग्राहक सम्बन्ध (Strong Customer Relations) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से ग्राहकों में व्यवसाय के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होता है। ग्राहकों का व्यवसाय के प्रति जुड़ाव बढ़ता है जिससे उनके साथ मजबूत सम्बन्धों का सूत्रपात होता है।
4. **ब्रान्ड का प्रभावी विज्ञापन (Effective Advertisement of Brand) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से समाज एवं बाजार में संस्था के नाम, इसके उत्पादों एवं ब्रान्ड के बारे में जागरूकता एवं एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। ऐसे में ब्रान्ड का जब विज्ञापन किया जाता है तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
5. **नये विनियोगकर्ताओं को आकर्षित करना (Attracting New Investors) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से संस्था की समाज में एक सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। इससे नये विनियोगकर्ता सहज ही अपने धन का विनियोग व्यवसाय में करने को इच्छुक एवं तत्पर रहते हैं।

3.14 निगमीय सामाजिक दायित्व की हानियाँ (Disadvantages of CSR)

1. **मुख्य उद्देश्य से भटकाव (Distraction from Main Motive) :** कुछ लोगों का मानना है कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए लाभ कमाना है। ऐसे में सामाजिक दायित्व के निर्वहन से व्यवसाय अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता, जिससे अन्ततः व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ता है।
2. **धैर्यहीन ग्राहक (Impatient Customers) :** कुछ आलोचकों का मानना है कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन ग्राहकों की भूख को बढ़ाता है। व्यवसाय द्वारा समाज एवं ग्राहक हित में किये कार्यों से सन्तुष्ट नहीं होते

है। वे इन्हें अपर्याप्त तथा ऊँट के मुंह में जीरे के समान बताने लगते हैं तथा उनकी व्यवसाय से अपेक्षाओं ओर अधिक बढ़ जाती हैं।

3. **अतिरिक्त व्यय (Additional Expenditure) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन पर कम्पनी को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। यह कम्पनी की लेखा पुस्तकों में अतिरिक्त खर्च के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कम्पनी के वित्तीय निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
4. **उच्च संलाचन लागत (Higher operational Costs) :** जब व्यवसाय समाज के लिए काम करता है, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है तो इसके साथ एक लागत जुड़ी रहती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में इस लागत को उत्पाद के मूल्य में जोड़कर ग्राहकों से वसूल नहीं किया जा सकता, वरन् व्यवसाय को स्वयं ही वहन करना होता है। इससे व्यवसाय की संचालन लागत बढ़ जाती है।
5. **ध्यान केन्द्रण में परिवर्तन (Shift in focus) :** सामाजिक दायित्व के निर्वहन से व्यवसाय का उद्देश्य लाभदायकता के स्थान पर सामाजिक कल्याण पर केन्द्रित हो जाता है।

3.15 निगमीय सामाजिक दायित्व के प्रकार (Types of CSR)

निगमीय सामाजिक दायित्व के प्रमुखतया निम्नलिखित चार प्रकार हैं :

1. **नैतिक दायित्व (Ethical Responsibility) :** नैतिक सामाजिक दायित्व अपने स्वयं के तथा आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों के प्रति उचित श्रम व्यवहार तथा कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित है। व्यवसाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को समय पर उचित वेतन मिले, अच्छी कार्यदशाएँ एवं कार्य वातावरण उपलब्ध करवाया जावे तथा कर्मचारियों के साथ लिंग, जाति, धर्म, वर्ण, रंग, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
2. **परोपकारी दायित्व (Philanthropic Responsibility) :** परोपकारी दायित्व से तात्पर्य मानवता की सेवा से है। इस दायित्व में व्यवसाय समाज में पिछड़े, शोषित तथा वंचित वर्गों तथा जरूरतमन्द लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान दिया जाता है। कम्पनियाँ अपने परोपकारी दायित्व की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुण्यार्थ संस्थाओं को समय, धन तथा संसाधनों आदि का दान करते हैं।
3. **पर्यावरणीय दायित्व (Environmental Responsibility) :** पर्यावरणीय दायित्व के अन्तर्गत व्यावसायिक संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होता है। इसके अन्तर्गत दो मुख्य क्षेत्र शामिल हैं प्रथम, प्रदूषण को सीमित रखना तथा द्वितीय, ग्रीन हाऊस गैसेज को कम करना।
4. **आर्थिक दायित्व (Economic Responsibility) :** आर्थिक दायित्व एक अन्तः सम्बन्धित क्षेत्र है, जो व्यवसाय पर्यावरणीय तथा परोपकारी व्यवहारों के बीच सन्तुलन स्थापित करने पर बल देता है। आर्थिक दायित्व के अन्तर्गत व्यवसाय को सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय तथा परोपकारी सरोकार को निभाते हुए उचित माध्यमों को अपनाते हुए एवं पर्याप्त लाभ कमाना चाहिए ताकि इस प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय के अस्तित्व की रक्षा करते हुए इसे विकास एवं विस्तार के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके।

3.16 निगमीय सामाजिक दायित्व-एक वैधानिक आवश्यकता (CSR- A statutory Requirement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ने धारा 135, कम्पनीज (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 तथा अनुसूची VII का निर्माण किया है, जो कम्पनियों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किये जाने वाले निगमीय सामाजिक दायित्व की व्यवस्था करते हैं। निगमीय सामाजिक दायित्व सम्बन्धी प्रावधानों का लागू होना प्रत्येक कम्पनी जिसमें इसकी सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनी सम्बन्धित है, जिसके तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष में।

- शुद्ध सम्पत्ति मूल्य 500 करोड़ रु या अधिक है, अथवा
- विक्रय 1000 करोड़ रु या अधिक है, अथवा
- शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है तथा

एक विदेशी कम्पनी जिसकी भारत में शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय है तथा जो उपरोक्त मापदण्ड को पूरा करते है को अनिवार्य रूप से निगमीय सामाजिक दायित्व सम्बन्धी प्रावधानों का पालन करना होगा।

यदि कोई लगातार पिछले तीन वर्षों से उपरोक्त मापदण्डों का पालन नहीं कर रही है तो ऐसी कम्पनी पर निगमीय सामाजिक दायित्व सम्बन्धी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कम्पनियाँ जो उपरोक्त मापदण्डों के अन्तर्गत आती है, उन्हें अपने पिछले तीन वर्षों के औसत लाभों का 2 प्रतिशत निगमीय सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर खर्च करना होगा। ऐसी कम्पनियों को एक निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का भी गठन करना होगा।

निगमीय सामाजिक दायित्व समिति (CSR Committee) : प्रत्येक कम्पनी जिस पर निगमीय सामाजिक दायित्व सम्बन्धी प्रावधान लागू होते है, को अपने संचालक मण्डल की एक निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना होगा जिसमें :

- तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। यदि किसी कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता न हो तो ऐसी कम्पनी की सी.एस.आर. समिति में 2 या अधिक निदेशक होंगे।
- यदि किसी निजी कम्पनी में केवल दो निदेशक है, वो ऐसी कम्पनी की सी.एस.आर. समिति में दो निदेशक होंगे।
- एक विदेशी कम्पनी की दशा में कम से कम दो निदेशक, जिसमें एक निदेशक इसका अधिकृत भारत में निवासी व्यक्ति होगा तथा दूसरा विदेशी कम्पनी द्वारा नामंकित होगा।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय अपनाने से किस प्रकार दलीय भावना का विकास होता है?
2. निगमीय सामाजिक दायित्व की अवधारणा को समझाइये।
3. निगमीय सामाजिक दायित्व किस प्रकार एक द्वि-मार्गीय प्रक्रिया है?
4. निगमीय सामाजिक दायित्व किस प्रकार ग्राहकों की अधिप्राप्ति एवं उनको रोकने में सहायक है?

5. अपने आस-पास स्थित किसी उद्योग अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जाकर यह पता लगाइए कि वहाँ किस प्रकार निगमीय सामाजिक दायित्व की पूर्ति की जा सकती है?

3.17 सारांश (Summary)

व्यावसायिक नैतिकता एवं निगमीय सामाजिक दायित्व आज के समय की अनिवार्यता है। बिना व्यावसायिक नैतिकता का पालन किये तथा निगमीय सामाजिक दायित्व का निर्वहन किये कोई भी व्यवसाय आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में सफल नहीं हो सकता है। व्यावसायिक नैतिकता एक आचरण संहिता है, जिसका व्यवसाय से दूसरों के साथ पालन करने में अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर निगमीय सामाजिक दायित्व एक अवधारणा है, जो व्यवसाय के अपने हित धारकों के साथ अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। कोई भी व्यवसाय अपने हितधारकों के सहयोग के बिना अपना अस्तित्व बचाये नहीं रख सकता है। इन हितधारकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है।

3.18 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थियों को इस तथ्य का बोध होगा कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, एक व्यवसाय के लिए इसका क्या महत्त्व है, व्याख्या क्व किन क्षेत्रों में इसकी उपादेयता है, किन सिद्धान्तों का पालन कर इसे लागू किया जा सकता है, निगमीय सामाजिक दायित्व क्या है, किस प्रकार यह व्यावसायिक नैतिकता से भिन्न है, किस प्रकार निगमीय सामाजिक दायित्व एक द्वि-मार्गीय प्रक्रिया है, निगमीय सामाजिक दायित्व का महत्त्व एवं उपादेयता क्या है? इसके गुणागुण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा क्या निगमीय सामाजिक दायित्व अपनाना एक वैधानिक आवश्यकता है?

3.19 शब्दावली (Glossary)

- **व्यावसायिक नैतिकता (Business Ethics)** : व्यवसाय को अपने नीतियों एवं निर्णयों में सही-गलत, अच्छा-बुरा, नैतिक-अनैतिक आदि की पहचान करना होता है।
- **निगमीय सामाजिक दायित्व (CSR)** : एक व्यवसाय द्वारा अपने व्यवसाय के विभिन्न हितधारकों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना ही निगमीय सामाजिक दायित्व कहलाता है।

3.20 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. व्यावसायिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए तथा व्यावसायिक नैतिकता के महत्त्व को समझाइये।
2. व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धान्तों को समझाइये।
3. निगमीय सामाजिक दायित्व से क्या आशय है। इसके महत्त्व को समझाइये।
4. निगमीय सामाजिक दायित्व क्या एक वैधानिक आवश्यकता है? समझाइये।

3.21 संदर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- William shaw : “Business Ethics”, Cengage Learning, 2010
- Andrew crane & D Matten: “Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization” oxford university press, 2016.
- Philip kotler : “Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause”, John wiley & Sons, 2008.
- Sanjay Agarwal: Corporate social Responsibility in India, Response, 2008.

3.22 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- Matten, Visser, Pohl & Tolhurst : “The A to Z of Corporate Social Responsibility”. John wiley & sons. 2010.
- Prasad LM : “Principles of Management,” New Delhi, 2018.
- Trepathi Prakash C : “Principles of Management”, Tata Mcgraw Hills, New Delhi, 2016.

3.23 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/ Links)

- <https://www.google.com/businessethics>
- <https://www.google.com/csr>
- <https://www.wikipedia.com/businessethics>
- <https://www.wikipedia.com/corporatesocialresponsibility>

इकाई – 4

राष्ट्रीय आय - माप, प्रवृत्ति और संरचना (National Income: Measurement, Trends and Structure)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 राष्ट्रीय आय का परिचय
- 4.2 राष्ट्रीय आय – परिभाषा
- 4.3 राष्ट्रीय आय - घटकों की विभिन्न अवधारणा
- 4.4 राष्ट्रीय आय मापने के तरीके
- 4.5 राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ
- 4.6 राष्ट्रीय आय और कल्याण (आर्थिक)
- 4.7 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान
- 4.8 भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के पीछे का कारण
- 4.9 सारांश
- 4.10 अधिगम परिणाम
- 4.11 शब्दावली
- 4.12 स्व परख प्रश्न
- 4.13 संदर्भ / ग्रंथ सूची/अन्य पठन सामग्री/ वेब संसाधन व लिंक

4.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि:

- राष्ट्रीय आय अनुमानों का अर्थ और महत्व बताएं;
- राष्ट्रीय आय की गणना के तरीकों को समझें और लागू करें;
- 1950-51 से भारत के आर्थिक विकास का आकलन करें;
- भारत में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारणों का पता लगा सकेंगे;

4.1 राष्ट्रीय आय का परिचय

किसी दी गई समय अवधि के दौरान, विशेष रूप से एक वर्ष के दौरान, अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। अधिक विशिष्ट होने के लिए,

राष्ट्रीय आय (National Income) एक वर्ष की अवधि के लिए एक देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय को कई दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आय के अनुमान, समुदाय के जीवन स्तर के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर दर्शाते हैं। राष्ट्रीय आय के आँकड़े देश की आर्थिक समस्याओं का निदान करते हैं और साथ ही उपचार भी सुझाते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की दर देश की राष्ट्रीय आय पर भी निर्भर करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को मापती है।

4.2 राष्ट्रीय आय (National Income)- परिभाषा

एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग, आमतौर पर एक वर्ष, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है। अधिक विशिष्ट होने के लिए, एनआई किसी देश द्वारा एक निश्चित समय अवधि, जैसे एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय को कई दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है:

1. राष्ट्रीय आय (एनआई): कपड़े की उपर्युक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पादन कारक, जैसे भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी का उपयोग किया जाता है। रुपये का पूरा मूल्य रु. 2000 को उत्पादन के विभिन्न कारकों के बीच आय के रूप में किराए, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित होता है। इन योगों को एनआई के रूप में उल्लिखित किया जाता है।
2. राष्ट्रीय व्यय: उत्पादन के साधन से जो भी आय प्राप्त होती है वह उस कारक द्वारा खर्च की जाएगी जो राष्ट्रीय व्यय जमा करेंगे।
3. राष्ट्रीय धन: ये किसी देश में उत्पादन के उद्देश्य से एक समय में उपलब्ध प्राकृतिक उपहार हैं। हमारे जल संसाधन वन संसाधन, खनिज संसाधन, मानव संसाधन आदि सभी धन के भाग हैं।
4. राष्ट्रीय राजधानी: जब उत्पादन के उद्देश्य के लिए धन का उपयोग किया जाता है तो इसे राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है। किसी भी संपत्ति को तब तक पूंजी नहीं कहा जा सकता जब तक उसका उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। यह केवल उत्पादन है जिसका परिणाम अंततः राष्ट्रीय राजधानी में होगा।

अल्फोर्ड मार्शल के अनुसार

"किसी देश का श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर काम करते हुए हर साल सभी प्रकार की सेवाओं सहित वस्तु, सामग्री और अभौतिक का एक निश्चित शुद्ध समुच्चय उत्पन्न करती है। यह किसी देश या राष्ट्रीय लाभांश की वास्तविक वार्षिक आय है।"

पिगौस के अनुसार

"राष्ट्रीय लाभांश समुदाय की वस्तुपरक आय का वह भाग है जिसमें निश्चित रूप से विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है जिसे पैसे में मापा जा सकता है।"

फिशर के अनुसार

"राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाओं का समावेश होता है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर एनआई के मुख्य घटक हैं:

1. यह वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
2. माल में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं।
3. ये माल मध्यवर्ती नहीं अंतिम होना चाहिए।
4. यह समय की अवधि, यानी एक वर्ष का संकेत देना चाहिए।
5. यह स्टॉप कॉन्सेप्ट पर नहीं फ्लो कॉन्सेप्ट पर आधारित है।

4.3 राष्ट्रीय आय (National Income)- घटकों की विभिन्न अवधारणा

1. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** जीडीपी किसी देश के घरेलू क्षेत्र में किसी विशेष अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है। वास्तव में, जीडीपी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, निर्माण, परिवहन और व्यापार में उत्पन्न सभी अंतिम उत्पाद का धन मूल्य है।

ये सामान और सेवाएं या तो उपभोक्ता या पूंजीगत सामान हो सकती हैं, टिकाऊ या गैर-टिकाऊ सामान हो सकती हैं। इनका उत्पादन निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जा सकता है, हालांकि इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं है।

जीडीपी (एमपी) $GDP_{(MP)} = \text{वस्तुओं और सेवाओं की कीमत} * \text{माल और सेवाओं की मात्रा}$

जीडीपी (एफसी) $GDP_{(FC)}$: मूल्य वर्धित के रूप में ज्ञात वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान प्रवाह में प्रत्येक उत्पादक इकाई का योगदान। जीडीएफपी (एफसी) $GDP_{(FC)}$ का अनुमान विभिन्न उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य और निश्चित पूंजी की खपत के योग के रूप में लगाया जाता है।

जीडीपी (एफसी) = जीडीपी (एमपी) - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

$GDP_{(FC)} = GDP_{(MP)} - \text{Indirect Tax} + \text{Subsidy}$

2. **शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी):** जब उत्पादक गतिविधियाँ की जाती हैं तो प्रक्रिया में निश्चित पूंजी की निश्चित मात्रा की खपत होती है। अचल पूंजी की इस खपत को मूल्यहास कहा जाता है।

एनडीपी = जीडीपी - मूल्यहास

$NDP = GDP - \text{Depreciation}$

एनडीपी (एमपी) = जीडीपी (एमपी) - मूल्यहास

$NDP_{(MP)} = GDP_{(MP)} - \text{Depreciation}$

एनडीपी (एफसी) = जीडीपी (एफसी) - मूल्यहास

$NDP_{(FC)} = GDP_{(FC)} - \text{Depreciation}$

3. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी):** सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा जीडीपी की अवधारणा से व्यापक है। इसमें विदेशों में काम करके हमारे अपने नागरिकों द्वारा किया गया योगदान शामिल है। इस आय को विदेश से अर्जित आय कहा जाता है। इस प्रकार, जीएनपी का अनुमान लगाने के लिए हमें विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ना या घटाना होगा, यानी विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय - (माइनस) भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय।

सकल घरेलू उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद $\pm$ विदेशों से शुद्ध कारक आय [परिवर्तन एसीसी। एमपी और एफसी के लिए]

4. **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी):** एनडीपी में विदेश से होने वाली नेट फैक्टर आय को एनडीपी में शामिल करने के बाद एनएनपी का अनुमान लगाया जाएगा।

एनएनपी = एनडीपी+ विदेश से नेट एफआई

या

एनएनपी = जीएनपी- मूल्यहास

एनएनपीएनपी = एनएनपीएमपी + एनएफआई

5. **व्यक्तिगत आय:** यह एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर व्यक्ति या परिवार द्वारा वास्तव में प्राप्त कुल धन भुगतान को संदर्भित करता है।

व्यक्तिगत आय: एनआई + स्थानांतरण भुगतान - कर सहयोग- अविभाजित लाभ- सामाजिक सुरक्षा- योगदान

भुगतान का स्थानांतरण

1. स्वैच्छिक हस्तांतरण भुगतान (दान)
2. अनिवार्य (कर)
3. वर्तमान स्थानांतरण भुगतान (छात्रवृत्ति, उपहार, पुरस्कार आदि)
4. पूंजी अंतरण भुगतान (निवेश अनुदान)
6. डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय: यह उपभोग और बचत पर खर्च करने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत आय है।

डीपीआई = व्यक्तिगत आय - व्यक्तिगत कर

7. निजी आय: प्रा. आय व्यक्ति और प्राइवेट द्वारा अर्जित की जाती है। घरेलू क्षेत्र के भीतर और विदेशों में क्षेत्र। यह विदेशों से घरेलू आय और शुद्ध FI को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

निजी आय = प्रत्यक्ष क्षेत्र से घरेलू उत्पाद से आय + सरकार से वर्तमान हस्तांतरण + राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज + शेष दुनिया से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण + विदेश से शुद्ध एफआई

8. प्रति व्यक्ति आय: यह देश के प्रत्येक नागरिक की औसत आय है। यह व्यक्तिगत आय से कम या ज्यादा हो सकता है।

प्रति व्यक्ति आय: राष्ट्रीय आय / जनसंख्या

4.4 राष्ट्रीय आय मापने के तरीके

1. उत्पादन विधि:

- a. अंतिम उत्पाद दृष्टिकोण: इस पद्धति के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल बाजार मूल्य का अनुमान सकल उत्पाद को बाजार मूल्य से गुणा करके लगाया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (एमपी) = मूल्य च वस्तुओं और सेवाओं x माल और सेवाओं की मात्रा

सकल होने के कारण इसमें मूल्यहास शामिल है, बाजार मूल्य होने के कारण इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल है और घरेलू होने के कारण इसमें देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादन शामिल है।

यदि मूल्यहास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जीडीपी (एमपी) से काट लिया जाता है तो हमें एनडीपी (एफसी) या घरेलू आय प्राप्त होती है। विदेश से नेट एफआई जोड़ने पर हमें एनएनपी (एफसी) मिलता है जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अंतिम उत्पाद दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त अनुमान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि हमेशा दोहरी गणना की संभावना होती है।

- b. मूल्य वर्धित दृष्टिकोण: उनकी पद्धति के अनुसार घरेलू क्षेत्र के भीतर एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा कारक लागत पर जोड़े गए शुद्ध मूल्य को एनडीपी (एफसी) या घरेलू आय के मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

शुद्ध मूल्य वर्धित (एफसी) = सकल उत्पादन - मध्यवर्ती खपत - मूल्यहास- शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
विदेश से शुद्ध FI को घरेलू आय में जोड़ने पर हमें NI मिलता है।

एनआई = शुद्ध मूल्य वर्धित (एफसी) - विदेश से शुद्ध एफआई

मूल्य वर्धित दृष्टिकोण में शामिल कदम

1. घरेलू अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक इकाइयों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करना।
2. प्रत्येक उत्पादक इकाई को जोड़कर शुद्ध मूल्य वर्धित (FC) का अनुमान लगाना। इसमें आउटपुट, इंटरमीडिएट खपत, मूल्यहास और अप्रत्यक्ष कर के मूल्य का अनुमान शामिल है।
3. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली सभी उत्पादक इकाइयों के एफसी पर जोड़े गए शुद्ध मूल्य का योग करके प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के शुद्ध मूल्य का अनुमान लगाना।
4. घरेलू आय (डीआई) की गणना करें।
5. डीआई में जोड़े जाने के लिए विदेश से शुद्ध आय का अनुमान।

एहतियात

राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. मालिक के कब्जे वाले घर का आरोपित किराया
2. स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन
3. एक उद्यम, सरकार द्वारा अचल पूंजी संपत्ति का खुद का उत्पादन। & परिवार।

राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है

1. सेकेंड हैंड सामान की बिक्री और खरीद।
2. मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य।
3. अवैध गतिविधियां शामिल नहीं हैं (तस्करो की आय)
4. एक कंपनी के बांड की बिक्री।

2. आय विधि:

आय पद्धति के तहत एनआई को देश के एक सामान्य निवासी द्वारा देश के भीतर या बाहर सालाना अर्जित कुल कारक आय के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

एनआई = किराया + ब्याज + लाभांश + अविभाजित लाभ + सार्वजनिक उद्यमों का परिचालन अधिशेष + स्वरोजगार की मिश्रित आय + सरकार द्वारा एकत्र प्रत्यक्ष कर। + विदेश से शुद्ध कारक आय + स्व-उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य

आय पद्धति में शामिल कदम

1. उन उद्यमों की पहचान करना जो कारक सेवा का उपयोग करते हैं।
2. विभिन्न प्रकार के कारक भुगतानों को वर्गीकृत करना, अर्थात् किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभा
3. कारक भुगतान की राशि का अनुमान लगाने के लिए।
4. घरेलू आय प्राप्त करने के लिए घरेलू क्षेत्र के भीतर किए गए सभी कारक भुगतानों को जोड़ना।
5. विदेश से शुद्ध साधन आय का अनुमान लगाना जिसे राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए घरेलू आय में जोड़ा जाता है।

एहतियात

1. स्थानांतरण भुगतान जैसे पेंशन छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी आदि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2. स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन के मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए।
3. अवैध आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
4. लॉटरी जैसे अप्रत्याशित लाभ को एनआई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
5. संपत्ति कर, उपहार कर और अप्रत्याशित लाभ पर कर शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
6. सेकेंड हैंड सामान की बिक्री को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई कमीशन दिया जाता है या बिक्री से अर्जित किया जाता है, तो इसमें कमीशन शामिल होता है।
7. प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर (कर्मचारी द्वारा उनके वेतन से भुगतान), कॉर्पोरेट टैक्स (एक उद्यम द्वारा अपने लाभ से भुगतान किया गया) एनआई में शामिल हैं।

3. व्यय विधि:

यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सभी क्षेत्रों द्वारा उपभोग और बचत पर पूरी आय खर्च की जा सकती है। घरेलू क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों ने या तो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी आय खर्च की या अपनी आय का एक हिस्सा बचा लिया।

एनआई = सी + आई + जी + (एक्स - एम)

विस्तार

सी = उपभोग व्यय

जी = सरकारी व्यय/पूँजी निर्माण

आई = निवेश व्यय।

ई = वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात

एम = वस्तुओं और सेवाओं का आयात

व्यय विधि में शामिल कदम

1. निजी खपत व्यय, निजी निवेश सरकारी खपत व्यय, सरकारी निवेश इत्यादि को एक साथ जोड़ा गया जो सकल घरेलू उत्पाद (एमपी) को जन्म देते हैं।
2. एनडीपी (एमपी) प्राप्त करने के लिए जीडीपी (एमपी) से मूल्यहास काटा जाता है।
3. निर्यात जोड़ा जाता है और एनएनपी (एमपी) प्राप्त करने के लिए एनडीपी (एमपी) से आयात घटाया जाता है।
4. एनएनपी (एफसी) या एनआई प्राप्त करने के लिए सरकारी सब्सिडी को जोड़ा जाता है और एनएनपी (एमपी) से अप्रत्यक्ष कर काटा जाता है।

एहतियात

1. पुरानी वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2. शेयरों, बांडों, डिबेंचर आदि की खरीद को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
3. व्यय मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
4. स्थानांतरण भुगतान को बाहर रखा जाना चाहिए।
5. उत्पादन स्व-उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए।

4. उपयुक्त विधि

एनआई को तीन तरीकों से अलग-अलग मापा जाता है क्योंकि प्रत्येक विधि एक अर्थव्यवस्था का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है और अन्य तरीकों की सटीकता पर भी जांच प्रदान करती है लेकिन प्रत्येक विधि के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, उत्पादन विधि (मूल्य वर्धित) में सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य के बारे में डेटा की आवश्यकता होती है, आय पद्धति में उत्पादन में उत्पन्न कारक आय के बारे में डेटा की आवश्यकता होती है, जबकि व्यय विधि में अंतिम व्यय के बारे में डेटा की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भारत में उत्पादन पद्धति का उपयोग प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, आदि) के योगदान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जहाँ इनपुट की लागत आसानी से निर्धारित की जा सकती है।

द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण उद्यम, गैस, जल आपूर्ति, आदि) और सेवा क्षेत्र (व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, आदि) में व्यय विधि का उपयोग निर्माण में किया जाता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) गणना कौन करता है ?
2. निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य को समझाइए।
3. उत्पाद विधि को उदाहरण देकर समझाइए।
4. प्रयोज्य आय मतलब समझाइए।
5. राष्ट्रीय आय व व्यक्तिगत आय में अंतर समझाइए।
6. स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं ?

4.5 राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ

1. दोहरी गणना की समस्या: जब हम अनुमान लगाते हैं कि NI माल और सेवाओं को एक से अधिक बार गिना जा सकता है। कभी-कभी, मध्यवर्ती खपत और अंतिम खपत के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, घर पर इस्तेमाल किया जाने वाला गेहूं का आटा अंतिम अच्छा होता है और इसलिए इसे एनआई में शामिल किया जाना चाहिए जबकि बेकरी में इस्तेमाल होने पर यह एक मध्यवर्ती अच्छा होता है और इस तरह एनआई को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2. स्व-उपभोग के लिए माल का उत्पादन: अधिकांश किसान छोटे किसान हैं जो मुख्य रूप से अपने उपयोग के लिए माल का उत्पादन करते हैं। ऐसी वस्तुओं के मूल्य की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वे अपना उत्पादन बाजार में नहीं लाते हैं। इसलिए, ऐसे मामले में अनुमान-कार्य का एक अच्छा सौदा किया गया है।
3. निरक्षरता और अज्ञानता: हमारे देश में अधिकांश लोग अनपढ़, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। वे अपनी आय और व्यय का लेखा-जोखा नहीं रखते हैं इसलिए ऐसे समूहों से डेटा एकत्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
4. व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव: लोग एक से अधिक व्यवसायों से अपना जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय किसान मुख्य रूप से कृषि में काम करते हैं लेकिन जब वे स्वतंत्र होते हैं तो वे कुटीर और लघु उद्योगों में भी काम करते हैं। क्या उन्हें कृषि श्रमिक या औद्योगिक श्रमिक के रूप में माना जाना चाहिए। जब लोगों के पास आय के विभिन्न स्रोत होते हैं तो आय के मुख्य स्रोतों को जानना मुश्किल हो जाता है और परिणामस्वरूप आय का एक बड़ा हिस्सा एनआई से बाहर हो जाता है।
5. अचल पूंजी की खपत: जीएनपी से मूल्यहास लागत घटाकर हम एनएनपी प्राप्त करते हैं लेकिन वर्ष के दौरान मूल्यहास, यानी मशीनों आदि के सही मूल्य को मापना बहुत मुश्किल है।
6. गैर-मुद्रिकरण क्षेत्र: कई विकासशील देशों में और भारत ऐसे देश में से एक है जहां बाजार क्षेत्र के साथ-साथ कुछ क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं जो पूरी तरह से गैर-मुद्रिकृत हैं। दूरदराज के ग्रामीणों में अभी भी आर्थिक लेन-देन का एक बड़ा हिस्सा वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर संचालित किया जाता है। इस क्षेत्र को अंतर-मौद्रिक शब्दों में कैसे अनुवादित किया जाना है यह एक बड़ी कठिनाई है।
7. मूल्य-स्तर में परिवर्तन की समस्या: मूल्य परिवर्तन के कारण एनआई का अनुमान लगाने में एक और कठिनाई उत्पन्न होती है। मूल्य में वृद्धि और गिरावट के साथ एनआई बढ़ता और गिरता है। उत्पादन की भौतिक मात्रा के बावजूद स्तर।
8. डेटा की समस्या: एनआई के आकलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या न केवल डेटा की अपर्याप्तता बल्कि डेटा की विश्वसनीयता की भी है। एनआई से संबंधित डेटा के संग्रह में लगी एजेंसियां और संगठन अलग हैं।

4.6 राष्ट्रीय आय और कल्याण (आर्थिक)

1. जनसंख्या: जनसंख्या वृद्धि कारक पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर NI वृद्धि की दर से तेज है, तो कल्याण में सुधार नहीं किया जा सकता है। एनआई के लाभों को अधिकतम करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

2. मूल्य-स्तर: यदि एनआई बढ़ता है और मूल्य स्तर एक ही समय में तेजी से बढ़ता है, तो आर्थिक कल्याण की दर गिरती है। कल्याण को बढ़ाने के लिए मूल्य स्तर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है।
3. आय वितरण: यदि गरीब गरीब हो जाता है और अमीर अमीर हो जाता है, तो कल्याण नहीं बढ़ाया जा सकता है। आय को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
4. सामाजिक लागत: यहाँ सामाजिक लागत का अर्थ वह लागत है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज द्वारा वहन की जाती है। जिन कामकाजी परिस्थितियों में एनआई का उत्पादन किया गया था, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि लोगों को अमानवीय और अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करके उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो एनआई में वृद्धि से कल्याण नहीं होगा।
5. आय का आकार: यदि एनआई के आकार में परिवर्तन सकारात्मक है, तो लोगों को अधिक आय प्राप्त होगी। वस्तुओं और सेवाओं की खपत बढ़ने से कल्याण में वृद्धि हो सकती है। परिणामस्वरूप, लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए आय के आकार को एक सकारात्मक संकेतक के रूप में माना जा सकता है।

4.7 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान

ब्रिटिश काल के दौरान, दादाभाई नौरोजी (1868), विलियम डिग्बी (1899), फाइंडले शिरास (1911, 1922 और 1934), शाह और खंबाटा (1921), वी.के.आर.वी. राव (1925-29) और आर.सी. देसाई (1931-40) द्वारा राष्ट्रीय आय के कई अनुमान लगाए गए थे।

भारत में राष्ट्रीय आय के इन सभी पूर्व-स्वतंत्रता अनुमानों में, नौरोजी, फाइंडले शिरास और शॉ और खंबाटा के अनुमानों ने कृषि क्षेत्र द्वारा उठाए गए उत्पादन के मूल्य की गणना की है और फिर गैर-कृषि द्वारा अर्जित आय का कुछ हिस्सा जोड़ा है। लेकिन इन अनुमानों का अपना कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।

उसके बाद डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने उत्पादन की जनगणना और आय के तरीकों की जनगणना के संयोजन को लागू किया। पूरी अर्थव्यवस्था को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हुए उन्होंने कृषि, चारागाह, वन, मछली पकड़ने, शिकार और खानों को पहली श्रेणी में शामिल किया और इन क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य को प्राप्त करने के लिए लागू उत्पादन पद्धति को शामिल किया।

उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाओं, व्यवसायों, उदार कला और घरेलू सेवाओं जैसी अन्य गतिविधियों को दूसरी श्रेणी में शामिल किया गया था और इन सभी सेवाओं से प्राप्त आय की राशि को प्राप्त करने के लिए लागू आय पद्धति को शामिल किया गया था।

भारत में राष्ट्रीय आय 1950- 51 से 2021-22

Year	NNP (crore)		Per Capita income (Rs.)	
	Current Prices	Constant Prices	Current Prices	Constant Prices
1950-51	9531	448483	265	12493
1960-61	16680	694569	384	16004
1970-71	43598	1011757	806	18702
1980-81	135470	1352931	1995	19925
1990-91	513966	2292078	6126	27319
2000-01	1902148	3924698	18667	38515
2010-11	6756720	7373384	56971	62170
2011-12	7742330	7742330	63462	63462
2012-13	8766345	8094001	70983	65538
2013-14	9897663	8578417	79118	68572
2014-15	10978238	9224343	86647	72805
2015-16	12162398	9963681	94797	77659
2016-17	13623936	10782092	104880	83003
2017-18	15140418	11508774	115224	87586
2018-19	16704645	12240380	125883	92241
2019-20	17994301	12681246	134186	94566
2020-21	17461759	11745872	128829	86659
2021-22	20573371	12861032	150326	93973

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2011-12 की कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय रुपये से बढ़ी है। 1950-51 में 448, 483 करोड़ रु. 2021-22 में 2057, 3371 करोड़। यह सत्तर वर्षों में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, इस अवधि के दौरान यह वृद्धि न तो एक समान रही और न ही स्थिर रही और हाल के वर्षों में कोविड-19 वायरस के प्रकोप और तबाही के कारण विकास धीमा है।

4.8 भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के पीछे का कारण

- A. भारत में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर विकास प्रक्रिया को धीमा कर रही है और राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- B. राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा जो आमतौर पर कृषि से आता है। यह कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 34 प्रतिशत है। इसलिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न भूमि-आदमी अनुपात आदि भी कृषि उत्पादकता की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं जो बदले में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।
- C. व्यावसायिक संरचना
- D. प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और इसका खराब अंगीकरण
- E. खराब औद्योगिक विकास और बुनियादी सुविधाओं आदि का खराब विकास।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. धन आय और वास्तविक आय में अंतर बताइये।
2. घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताइए।
3. राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौनसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?
4. भारत की वर्तमान राष्ट्रीय आय कितनी है ?
5. भारत की वर्तमान आय क्षेत्रवार (सेक्टर वाइस) बताइये।
6. विवेक से शुद्ध कारक आय किसे कहते हैं ? और इसके घटक को उदहारण सहित समझाइए।

4.9 सारांश (Summary)

राष्ट्रीय आय अनुमान एक अर्थव्यवस्था के सबसे विश्वसनीय व्यापक आर्थिक संकेतक हैं। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को मापते हैं; इसी तरह, एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों के बदलते महत्व को दर्शाता है। भारत में, राष्ट्रीय आय, साथ ही प्रति व्यक्ति आय, लगातार बढ़ रही है। हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में तेजी आई है। यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में अतीत की तुलना में तेज दर से बढ़ रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की संरचना में भी परिवर्तन आया है; तृतीयक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है।

4.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- राष्ट्रीय आय अनुमानों का अर्थ और महत्व समझ पाएंगे।
- आप राष्ट्रीय आय की गणना के तरीकों को समझ पाएंगे एवं राष्ट्र आय की गणना विभिन्न तरीकों से कर पाएंगे।

- 1950-51 से भारत के आर्थिक विकास का आकलन कर पाएंगे।
- भारत में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारणों का पता लगा पाएंगे

4.11 शब्दावली (Glossary)

- राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इस प्रकार, यह एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम है और पैसे के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय एक अनिश्चित शब्द है और इसे अक्सर राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय व्यय के साथ परस्पर उपयोग किया जाता है।
- एक वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद है।
- **बाजार कीमत**-अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क आदि सहित वास्तविक मूल्य या कारक लागत बाजार मूल्य है।

$$\text{कारक लागत} + \text{अप्रत्यक्ष कर} = \text{बाजार मूल्य}$$
- **कारक लागत**-इसमें उत्पादन के कारकों की लागत शामिल है उदा। पूंजी पर ब्याज, श्रमिकों को मजदूरी, हितधारकों को भूमि लाभ के लिए लगान। इस प्रकार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और निर्माता द्वारा बेचे गए सामान राजस्व मूल्य के बराबर हैं।

4.12 स्व-परख प्रश्न

1. वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर करें।
2. अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है?
3. आय पद्धति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आय को मापते समय बरती जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए।
4. "उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अर्थ है अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति वस्तुओं की अधिक उपलब्धता।" क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में वैध कारण दीजिए।
5. 'वास्तविक' सकल घरेलू उत्पाद और 'नाममात्र' सकल घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें से कौन लोगों के कल्याण का बेहतर सूचकांक है और क्यों?

4.13 संदर्भ / ग्रंथ सूची/अन्य पठन सामग्री/ वेब संसाधन व लिंक

- Ahluwalia, M., 1976a, "Income Distribution and Development: Some Stylized Facts,".
- <https://www.business-standard.com/about/what-is-gross-national-product-gnp>
- EEC-10 National Income Accounting Paperback – 1 January 2012
- National Income and Social Accounting By Ronald Cooper, Professor Harold C Edey ,Harold C. Edey ,Professor Sir Alan T Peacock ,Alan T. Peacock.
- The Review of Economics and Statistics Vol. 37, No. 4 (Nov., 1955), pp. 321-335 (15 pages) Published By: The MIT Press.

इकाई -5

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 5.0 उद्देश्य
- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 मौद्रिक नीति का अर्थ
- 5.3 मौद्रिक नीति की परिभाषाएं
- 5.4 मौद्रिक नीति के उद्देश्य
- 5.5 मौद्रिक नीति के उपकरण
- 5.6 मौद्रिक नीति के निहितार्थ
- 5.7 सारांश
- 5.8 अधिगम परिणाम
- 5.9 शब्दकोश
- 5.10 स्वपरख प्रश्न
- 5.11 संदर्भव ग्रन्थसूची
- 5.12 अन्य पठन सामग्री
- 5.13 वेब संसाधन/लिंक

5.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मौद्रिक नीति का अर्थ समझाना है। साथ ही उसका आशय व परिभाषा पर भी प्रकाश डाला गया है। यह इकाई छात्रों को मौद्रिक नीति के उपकरणों व उनके उपयोग से भी अवगत कराती है। अध्याय में छात्रों को मौद्रिक नीति व भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध की जानकारी भी प्राप्त होगी।

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इस नीति के माध्यम से देश का सेंट्रल बैंक उसकी अर्थव्यवस्था में विभिन्न दरों को नियंत्रित कर मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि मुद्रास्फीति से बचाया जा सके और अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो सके। मौद्रिक नीति कई उपकरणों की सहायता से अर्थव्यवस्था में साख

को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। मौद्रिक नीति के सफल संचालन हेतु मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है। इस समिति के द्वारा समय-समय पर दरों में बदलाव कर साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है।

5.2 मौद्रिक नीति का अर्थ (Meaning of Monetary Policy)

मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत उपयोगी नीति है। कई अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण से आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अपने विचार प्रस्तुत किए हुए हैं। इस विषय पर अनेक विचारधाराओं द्वारा विभिन्न रूपरेखा बनाई गई। कई वर्षों तक अर्थशास्त्रियों ने गहन शोध तथा विश्लेषण कर स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया है की मौद्रिक नीति एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, लागत व साख को नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। यह सभी नियंत्रण देश की केंद्र बैंक द्वारा किए जाते हैं। मौद्रिक नीति ना सिर्फ मुद्रा से संबंधित है अपितु इसमें सभी सहायक नीति व उपाय भी सम्मिलित है जो देश की मौद्रिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। इस नीति से कोई भी देश अपनी सीमाओं के भीतर विकास परियोजनाओं में विनियोग के स्तर को कई उपकरणों द्वारा प्रभावित कर सकता है। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रा की मात्रा को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में तटस्था के प्रवाह को लाया जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक इन उपकरणों का उपयोग करती है। प्रस्तुत अध्याय में मौद्रिक नीति क्या है, इसकी परिभाषा, उपकरण व निहितार्थ पर प्रकाश डालेंगे।

5.3 मौद्रिक नीति की परिभाषाएं (Definition of Monetary Policy)

कई अर्थशास्त्री ने मौद्रिक नीति की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं उनमें से कुछ है-जॉनसन के द्वारा की गई परिभाषा कहती है “सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के औजार के रूप में यह नीति है”

केन्ट के अनुसार “मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है।”

पाल इंजिंग के मतानुसार, “मौद्रिक नीति के अन्तर्गत वे सभी मौद्रिक निर्णय तथा उपाय आते हैं, जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है।”

हैरी जी. जानसनके शब्दों में, “मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है, जिसके द्वारा केन्द्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रित करता है।”

पी. डी हजेलाके कथनानुसार, “मौद्रिक नीति से अभिप्राय उन नियमों से है, जिनसे किसी देश की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक उस देश को आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं।”

5.4 मौद्रिक नीति के उद्देश्य (Objective of Monetary Policy)

जैसा कि हमें ज्ञात है, मौद्रिक नीति किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग में ली जाती है। यह उद्देश्य प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग होते हैं। कम विकसित देशों में मौद्रिक नीति की क्रियाशीलता सीमित रहती है। इसके कुछ कारण है जैसे सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन हेतु अपर्याप्त बाजार व खुले बाजार की क्रियाओं का कार्य क्षेत्र सीमित होना। भारतीय परिपेक्ष में मौद्रिक नीति कुछ मुख्य उद्देश्य हेतु बनाई जाती है जैसे आर्थिक विकास व कीमतों में स्थिरता। विकासशील देश की नीति

विकसित देशों से भिन्न होगी क्योंकि तब नीति अनेक कारणों से प्रभावित होगी। अधिकतर देशों में मूल्य स्थिरता नीति निर्धारण का प्रमुख बिंदु रहता है। इसी के साथ विकास भी केंद्र बिंदु बन जाता है। विकासशील देश अपनी नीति निर्माण पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति के अनुकूल, आय में समानता, बचत प्रोत्साहन, निवेश में बढ़ोतरी हेतु करते हैं। इन उद्देश्यों को मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख कार्य मूल्य स्थिरता के साथ विकास है। जिसके लिए पर्याप्त मौद्रिक साधनों की मात्रा तथा उनके उपयोग पर नियंत्रण जरूरी है ताकि यह साधन कीमतों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। मौद्रिक नीति की रूपरेखा बनाने व कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को निहित है। इस नीति के संचालन हेतु केंद्र बैंक द्वारा धारा 45ZB के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है जो समय समय पर अर्थव्यवस्था के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करती है। इस कार्य के निष्पादन हेतु रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग, मौद्रिक नीति समिति की सहायता करता है। सभी की सहमति, विश्लेषण व आर्थिक हित के दृष्टिकोण को ध्यान में रख विभिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं। इस समिति में सदस्यों की संख्या 6 है। जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र से अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। इस नीति को लागू करने हेतु केंद्र बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों की सहायता ली जाती है। मौद्रिक नीति समय-समय पर सामाजिक, आर्थिक नीति व कई कारणों से परिवर्तित की जाती है। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य-

1. **आर्थिक विकास (Economic Development) :** मौद्रिक नीति के द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना साथ ही निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ाना होता है। इस कार्य के लिए मौद्रिक नीति सभी वित्तीय साधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता व लागत को कम कर उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य में प्रयासरत रहती है। मौद्रिक नीति का उपयोग उत्पादन वृद्धि के द्वारा पूर्ण रोजगार व आय में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। परिणामस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है जिससे देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है व देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कई उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं।
2. **कीमत स्थिरता (Price Stability) :** कीमत स्थिरता प्राप्त करना मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह मुद्रा मांग तथा पूर्ति में समुचित समायोजन बनाए रखती है। कीमतों में अस्थिरता होने से अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ जाती है। मुद्रा आपूर्ति में कमी वृद्धि दर को रोक मुद्रास्फीति लाती है इसलिए मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति रोकने के लिए तथा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की मांग के अनुपात में बढ़ाया जाता है। कीमतों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहती है और अक्सर देखा जाता है कि विकासशील देशों में जहां विकास की प्रक्रिया से मुद्रास्फीति की परिस्थितियां आने लगती हैं वहां पर आंतरिक कीमतों में कई उच्चावचनों का डर बन जाता है। इसके लिए मौद्रिक नीति नियंत्रित करने तथा समन्वय बनाए रखने का कार्य करती है।
3. **कुशल भुगतान तंत्र (Effective Payment Mechanism) :** किसी भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा एक कुशल भुगतान यंत्र होता है। एक अर्थव्यवस्था में जितना अच्छा भुगतान यंत्र होगा उतनी ही उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास होगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा उनकी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कुशल भुगतान यंत्र पर टिका होता है। बढ़ती मौद्रिक क्रियाओं का पूर्ण भार भुगतान प्रणाली पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। मौद्रिक नीति द्वारा इस यंत्र में कुशल व्यवस्था स्थापित की जाती है। जिसके लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित कर नीति बनाई जाती है।
4. **बचत व विनियोग में मौद्रिक साम्य (Equilibrium between saving and investment) :** मौद्रिक नीति बचत व विनियोग हेतु अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। इनमें साम्य स्थापित कर अर्थव्यवस्था

को पूर्ण रोजगार की स्थिति में लाया जा सकता है। मौद्रिक नीति द्वारा बचत को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे विनियोग भी बढ़ता है। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास हेतु गति प्रदान करती हैं। मौद्रिक नीति मुद्रा प्रसार दबावों को नियंत्रित कर विनियोग को प्रोत्साहन प्रदान करती है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था का प्रयास बचत व निवेश के जरिए उच्च रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था को ले जाने का होता है। जिससे अर्थव्यवस्था में आए वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था का विकास होता है।

5. **पूर्ण रोजगार (Full Employment) :** मौद्रिक नीति का के प्रमुख उद्देश्यों में एक है ,पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। रोजगार के जरिए हम देश में आर्थिक स्थिरता लाकर, राष्ट्र के सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। यहां पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है, जहां एक राष्ट्र में रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्तियों को मजदूरी की प्रचलित दर पर रोजगार मिल रहा हो। पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत निवेश की साम्यावस्था को मौद्रिक नीति का उद्देश्य माना जाता है। मौद्रिक नीति का प्रयास निवेश प्रभावित उत्पादन साधनों के उपयोग से संबंधित व उन साधनों को पूर्ण रोजगार की स्थिति में लाना होता है। ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार व आय का चक्र बराबर चलता रहे। अनुकूल परिस्थितियां निवेश को आमंत्रित करती हैं व निवेश को प्रभावित भी करती है। अर्थव्यवस्था में साख नीति सस्ती हो तो आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है व इन साधनों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाती है।
6. **ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy) :** मौद्रिक नीति समय-समय पर अनेक बिंदुओं को अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दर नीति निर्धारित करती है यह नीति अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करती है जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ऊंची ब्याज दर नीति अधिक बचत को प्रोत्साहित करती है। वह लोगों में बचत की आदतें बढ़ाती है। यही बचत आगे जाकर बैंकों के जरिए निवेश में परिवर्तित हो जाती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार व आय में भी वृद्धि होती है तथा यह चक्र चलता रहता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण को तीव्रता प्रदान करती हैं, जो पूंजी निर्माण और आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।
7. **विनिमय दर में स्थिरता (Stability in Exchange Rate) :** अर्थशास्त्र की दुनिया में स्वर्ण मान युग के पतन के बाद विनिमय दर में स्थायित्व स्थापित करने की समस्या पैदा हो गई थी। विनिमय दरें पूर्णतया नियंत्रित नहीं रखी जा सकती हैं और इनकी निरंतर अस्थिरता अल्प विकसित देशों के लिए एक संकट बन जाता है। विदेशी पूंजी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर पाया जाता है कि इन देशों के आर्थिक स्थिति में निर्यात कम व आयात अधिक होते हैं और विदेशी पूंजी का अभाव रहता है। इन देशों की अर्थव्यवस्था अधिकतर विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। अतः मौद्रिक नीति के माध्यम से विनिमय दर को घटाकर व बढ़ाकर अस्थिरता को रोका जा सकता है। मौद्रिक नीति अपने उपकरणों से प्रयास करती है कि विनिमय दर में स्थायित्व बना रहे। विनिमय दर अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के मांग और पूर्ति के संबंध से निर्धारित होती है। विनिमय दर में स्थायित्व बने रहने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में भी स्थिरता आती है।
8. **मुद्रा की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना (Equilibrium in Demand and Supply) :** मौद्रिक नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है या कम होती है तो उसके दुष्परिणाम पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। दोनों ही दशा में साम्य लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति कार्य करती है। मौद्रिक नीति अपने कई उपकरणों के जरिए अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पर नीति के अंतर्गत आने वाली दरें जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा पर प्रभाव डालती है, जिन्हें समय अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है।

9. **भुगतान शेष घाटा कम करना (Reducing Balance of payment deficit) :** भुगतान शेष घाटे की स्थिति किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब उसकी आयात ज्यादा और निर्यात कम होते हैं। जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है। मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुशल भुगतान प्रणाली को अभिप्रेरित किया जाता है। जिससे संतुलन कायम रह सके। कुछ ऐसे उपकरणों का सहारा लेकर इस भुगतान शेष घाटे को कम किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके।

स्व मूल्यांकन अभ्यास – प्रथम

1. मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं?
2. आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति कि क्या भूमिका है?
3. भुगतान शेष घाटा क्या है?
4. कुशल भुगतान यन्त्र से आप क्या समझते हैं?
5. मौद्रिक नीति से विनिमय दर में स्थिरता कैसे स्थापित होगी?

5.5 मौद्रिक नीति के उपकरण (Instruments of Monetary Policy)

मौद्रिक नीति मुद्रा के अर्थव्यवस्था में प्रबंधन व नियंत्रण से संबंधित एक बहुत अहम नीति है, जो कि राष्ट्र के केंद्र बैंक द्वारा निर्मित व क्रियान्वित की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति को आर्थिक नीति का सहायक माना जाता है व इस कार्य का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बैंक द्वारा देश में मौद्रिक आवश्यकता के अनुरूप मुद्रा एवं साख की मात्रा निश्चित की जाती है। इससे मुद्रा के प्रवाह यानी तरलता को नियंत्रित किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा हो तो ऐसे में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ऐसे में मुद्रा के प्रवाह को कम कर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नीचे लाने का प्रयास करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो तब मांग प्रभावित होती है जो कि उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं। अतः आर्थिक समृद्धि नीचे आती हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता सुनिश्चित करती है। मौद्रिक नीति मुख्यतः दो प्रकार की होती है मात्रात्मक या परिमाणात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण।

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपकरण (Quantitative Instruments)

1. **बैंक दर (Bank rate) :** बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी विनिमय प्रपत्र के बिलों की पुनः कटौती करता है। अन्य शब्दों में बैंक दर वह दर है, जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई हैं। इस दर को कटौती दर भी कहा जाता है। इस दर का प्रत्यक्ष असर दीर्घावधि श्रेणी क्रियाओं पर होता है। यह ऋण मुख्यतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थाएं व सहकारिता बैंक द्वारा ली जाती है। बैंक दर के परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में भी परिवर्तन किया जाता है। यदि बैंक दर को बढ़ाया जाता है तब व्यावसायिक बैंकों को केंद्र बैंक से प्राप्त होने वाला ऋण महंगा पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपने ग्राहकों को ऋण महंगा देते हैं। जिससे ग्राहक बैंक लोन कम लेंगे। जिससे अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके विपरीत बैंक दर कम करने से वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध मुद्रा मात्रा ज्यादा रहती है। जिससे वह ग्राहकों को ज्यादा लोन प्रदान कर सकते हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है।

2. **खुले बाजार की क्रियाएं (Open market operations) :** खुले बाजार की क्रियाओं के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा मुद्रा के प्रवाह को कम या ज्यादा किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक मात्रा में प्रवाहित है तब मुद्रास्फीति का डर मंडराने लगता है। इस स्थिति में केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को प्रतिभूति धारकों को बेच देता है, जिससे धारकों के पास साख की कमी होने लगती है। इस उपकरण हेतु रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के भंडार का उचित मात्रा में होना निश्चित करना पड़ता है। अन्य शब्दों में, केंद्रीय बैंक के अनुसार अगर व्यावसायिक बैंकों के पास नकद अधिक है और उनके उपयोग से साख निर्मित किया जा रहा है जिस कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो साख निर्माण की मात्रा को कम करने के लिए केंद्र बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रारंभ किया जाता है। जिससे व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्रय कर लिया जाता है। इस प्रकार इन व्यावसायिक बैंकों का नगद कोष कम होकर केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में साखसृजन कम होता है और अर्थव्यवस्था को फिर से साम्य की स्थिति में लाया जा सकता है। ज्ञात हो सरकारी प्रतिभूतियों में जनता का विश्वास अधिक होता है व यह जोखिम रहित होती है।
3. **साख का नकद आरक्षित अनुपात (Cash reserve ratio) :** भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास उपलब्ध पैसों (उपभोक्ताओं द्वारा जमा अथवा शुद्ध मांग और समय देयताएं) को केंद्रीय बैंक के पास कुछ प्रतिशत रिजर्व रखना अनिवार्य है। जो एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिसे कैश रिजर्व रेश्यो कहा जाता है। यह दर सामान्यतः 3 से 15% के बीच में रहती है। भारत में वर्तमान में इसकी दर 4% के आसपास है। जिस वक्त केंद्रीय बैंक को मुद्रा की तरलता को अधिक करना होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। जिससे बैंकों के पास उपलब्ध मुद्रा में कमी आती है और बैंक लोन देने में कमी करते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को अधिक करना होता है, तो सीआरआर को कम कर दिया जाता है जिससे बैंकों के पास अधिक मुद्रा लोन देने के लिए बच जाती है और बैंक लोन अधिक मात्रा में दे पाते हैं।
4. **वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory liquidity ratio) :** बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के द्वारा अनिवार्य किया गया है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने कुल दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सानकद एवं प्रतिभूतियों के रूप में, बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। अर्थात् इन पैसों से बैंक लोन नहीं दे सकता है। पूर्व में यह दर 25 से 40% के बीच तय की जाती थी परंतु बैंकिंग सुधारों के नियम के पश्चात वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम दर सीमा हटा दी गई है वह उच्चतम दर सीमा 40% यथावत रखी गई है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के अनुसार इस अनुपात को घटाती या बढ़ाती है जिसका प्रभाव व्यापारिक बैंकों की साख सृजन शक्ति पर पड़ता है जिससे मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करा जा सकता है।
5. **रेपो दर (Repo rate) :** रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। इसी दर के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारों तथा निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को केंद्रीय बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है अन्य उपकरणों की तरह इस उपकरण का भी उद्देश्य अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करना व मूल्य स्तर ला मुद्रास्फीति से बचाना होता है। इसके अंतर्गत केवल 1 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंक अपने प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक को इस शर्त पर विक्रय करती है कि रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अल्पकाल में पुनः खरीद लेगा, यह ब्याज की दर रेपो रेट कहलाती है। दूसरे शब्दों में रिजर्व बैंक, बैंकिंग फंड या तरलता को बढ़ाने के लिए किसी समझौते के अंतर्गत प्रतिभूतियों को बेचता है कि भविष्य में उसे क्रय लेगा। रिजर्व बैंक इस उपकरण से तरलता को घटाकर मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत तरलता को बढ़ाकर मंदी से बचा सकती है। मुद्रा बाजार का मांग मुद्रा या कॉल मनी भी इसी दर पर कार्य करता है।

6. **रिवर्स रेपो दर (Reverse repo rate)** : यहां एक केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के मध्य संबंध समझौता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करती है तथा भविष्य में इन्हीं प्रतिभूतियों को पुनः वापस वाणिज्यिक बैंकों को बेच दिया जाता है। इस समझौते के अंतर्गत देय ब्याज दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की व्यवसाय चक्र के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है।

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण (Qualitative Instruments)

1. **चयनित साख नियंत्रण (Selective credit control)** : यह यंत्र अप्रत्यक्ष रूप से अन्य यंत्रों में सहभागिता देता है। चयनित साख निधि प्रत्यक्ष तौर पर साख नियंत्रण और सर्जन पर प्रभाव ना डाल बल्कि उसके उपयोग व क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती है। इस यंत्र का उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना होता है। देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने के लिए एक सामान साख नियंत्रण नीति ना अपनाकर बल्कि कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति तथा अन्य क्षेत्रों में कम उदार या कठोर साख नीति उपयोग की जाती है। इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक दिशा निर्देश जारी करता है। उनमें प्राथमिक कार्यों का दायरा, उनके लिए आवंटित राशि, मार्जिन सीमा, ऋण सीमा संबंधित दिशा-निर्देश सम्मिलित होते हैं। यह नीति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता कम करने के उद्देश्य से उपयोग में ली जाती है।
2. **विभिन्न ब्याज दरें (Different interest rates)** : इस उपकरण के द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ऊंची ब्याज दरें रखता है। यह अक्सर उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां बैंक लोन की मात्रा को कम करना होता है। ऊंची ब्याज दरों के कारण अधिक लोन नहीं लिया जाता है, जिससे साख की मात्रा अपने आप कम हो जाती है और कुछ हिस्सों में ब्याज दर को कम रखा जाता है ताकि अधिक लोन दिया जा सके। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को तो सुगम साख उपलब्ध हो जाता है और अन्य कई क्षेत्रों को कठिन शर्तों पर महंगा साख उपलब्ध होता है। उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र को विकास के लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देना हो तो कृषि तथा कृषि निर्यात से संबंधित कृषि ऋण कम कटौती दरों पर दिया जाता है।
3. **अधिकतम सीमा निर्धारण (Credit rationing)** : इस विधि के जरिए ऋण प्रदान की अधिकतम सीमा लागू कर दी जाती है। जिसके विरुद्ध बैंक साख प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु लगाई जाती है। इस गुणात्मक उपकरण के जरिए कुछ क्षेत्रों में वकुछ उद्योगों के कार्य विशेष हेतु अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है जिससे अधिक ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। सीमा निर्धारण से उन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलता है जिन से आर्थिक विकास होता है। यह सीमा मौद्रिक नीति द्वारा समय-समय पर मुद्रा स्थिति के अनुसार परिवर्तित की जाती है।
4. **साख सुविधाओं का विस्तार (Expansion of credit facilities)** : अर्थव्यवस्था में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर साख सुविधाओं के विस्तार को नियंत्रित करता है। वह उसी के अनुरूप दिशा निर्देश भी जारी करता है। इस तकनीक से समावेशी विकास के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इस विधि के अंतर्गत कई उपकरण अपनाए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत कई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करी जाती है। उनके संचालन और विस्तार पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता उसके बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है, इसी कारण औद्योगिक संस्थाओं, निगम की स्थापना की जाती है। साख सुविधा विस्तार में कई बार बैंकिंग शाखाओं का विस्तार भी किया जाता है। जिसका उदाहरण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो उनकी शाखाओं के विस्तार में तीव्रता देखने को मिली है। कई बार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को संतुलित विकास हेतु उन्हें प्राथमिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाता है।

हैं। जैसे कृषि एवं लघु उद्योग के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है। अन्य उपकरण उपकरणों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, बिल बाजारों का विस्तार आदि आते हैं।

5. **नैतिक अनुनय (Moral persuasion) :** केंद्रीय बैंक के अंतर्गत सभी व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुझावों व आदेशों की पालना करनी होती है। जिससे कि अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण किया जा सके। इस विधि के जरिए रिजर्व बैंक के अधिकारी अपने संबंध बैंकों के अधिकारियों को गश्ती प्रपत्र द्वारा नैतिक दबाव डालकर निश्चित दिशा में कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार नैतिक प्रभाव द्वारा केंद्र बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
6. **प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct action) :** भारतीय रिजर्व बैंक जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि को भी अपनाती है। कई बार केंद्रीय बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की बार-बार अवमानना करने पर वाणिज्यिक बैंकों को दंड स्वरूप कड़ी वैधानिक व कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक की आदेशों की अनुपालना नहीं करता, इस दशा में केंद्रीय बैंक द्वारा उस बैंक के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है।

स्व मूल्यांकन अभ्यास – द्वितीय

1. मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक उपकरण बताएं।
2. बैंक दर क्या है?
3. रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में अंतर लिखें।
4. वैधानिक तरलता अनुपात से आप क्या समझते हैं?
5. मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण लिखें।

5.6 मौद्रिक नीति के व्यावसायिक निहितार्थ (Business Implications of Monetary Policy)

मौद्रिक नीति किसी भी राष्ट्र के सफल संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा एवं साख की मांग पूर्ति पर नियंत्रण इसके द्वारा लाया जा सकता है। जिसके नियंत्रण, नियमन, संचालन व दिशा निर्देश प्रदान करने का दायित्व केंद्रीय बैंक के पास होता है। मौद्रिक नीति प्रमुख रूप से दो उद्देश्य के लिए होती है। धनराशि का सतत प्रवाह व मूल्य स्तर में स्थायित्व। मौद्रिक नीति द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन का सीधा प्रभाव वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का प्रसार में सीधा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो बढ़ती कीमतों को मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा कई विधियां उपयोग में ली जाती हैं। जिनमें बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं व प्रासंगिक अनुपातों की परिवर्तन सम्मिलित होते हैं परंतु इन सभी का प्रभावशीलता अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में साधनों की प्रभावशीलता बहुत ही सीमित हो जाती है क्योंकि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा और पूंजी बाजार पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं और बैंकिंग प्रणाली भी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के बाहर होती है। अविकसित देशों के प्रमुख उद्देश्य में एक उद्देश्य पर्याप्त वित्त प्रबंधन होना चाहिए। जिससे देश का आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर में उन्नति हो सके। व्यापार संतुलन में स्थिरता भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति अपनाकर विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करता है और व्यापार

संतुलन में अनुकूलता लेकर आने का प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि नियोजित विकास के कार्यक्रम में मौद्रिक नीति की एक सक्रिय भूमिका होती है।

विनिमय दरों में स्थायित्व, पूर्ण रोजगार का उद्देश्य, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास जैसे कई योगदान मौद्रिक नीति के सफल संचालन के परिणाम हैं।

जिसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा मात्रात्मक व गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। जिसके कोई भी हानिकारक प्रभाव मुद्रा प्रसार पर नहीं होते हैं। मौद्रिक नीति के साथ कुछ और मौद्रिक नीतियां भी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं। बजट नीति, व्यापार व निवेश नीति, कीमत नीति, आय तथा रोजगार नीति भी अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर मौद्रिक नीति को अप्रत्यक्ष रूप से साथ देती हैं।

5.7 सारांश (Summary)

अध्याय से हमने सीखा कि किस प्रकार मौद्रिक नीति एक देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए अत्यंत उपकारी नीति है। हमने यह जाना कि किस तरह से उपकरणों का इस्तेमाल कर अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति व मांग के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। हालांकि इन उपकरणों के जरिए अर्थव्यवस्था में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कई बाधाओं का सामना समिति को करना पड़ता है। भारतीय परिपेक्ष में देखा जाए तो संगठित मुद्रा बाजारों का अभाव आज भी देखने को मिलता है और मुद्रा बाजारों में असंगठित समूह अभी भी क्रियाशील है। बैंकिंग सेवाओं में असमन्वय, व्याज दरों में भिन्नता, मौद्रिक नीति का अन्य नीतियों के साथ समन्वय का अभाव, देश की आर्थिक परिस्थितियां, लोगों की बचत की आदतें। इसी के साथ वित्तीय प्रणाली व संबंधित नीतियां कई अहम कारकों पर भी निर्भर करती हैं जैसे अन्य देश की देशों की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक परिस्थितियां व व्यापार चक्राइन सभी को ध्यान में रखकर एक देश की मौद्रिक व गैरमौद्रिक नीतियां तय की जाती हैं। मौद्रिक नीति सभी प्रकार की मौद्रिक व गैर मौद्रिक दरों का संग्रह है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया जाता है। नीति का उद्देश्य सदैव मूल्य स्थिरता, निवेश में बढ़ोतरी, निर्यात आयात में साम्य स्थापित करना, ऋण का सामान वितरण आदि करना होता है। कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपकरणों का इस्तेमाल कर इन उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है।

5.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के द्वारा अपेक्षित है कि विद्यार्थियों ने मौद्रिक नीति का आशय समझा होगा। साथ ही विद्यार्थियों में मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में योगदान जानना होगा। इकाई संक्षिप्त रूप से मौद्रिक नीति के अर्थ, उद्देश्य, उपकरण व निहितार्थ की जानकारी देती है।

5.9 शब्दकोश (Glossary)

- **मौद्रिक नीति**- जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं।
- **मुद्रास्फीति**- किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तु और सेवाओं की कीमतों (मूल्यों) में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है।

- **विनिमय दर** - दो अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है, अर्थात एक मुद्रा के पदों में दूसरी मुद्रा के मूल्य की माप है। किन्हीं दो मुद्राओं के मध्य विनिमय की दर उनकी पारस्परिक माँग और आपूर्ति होती है।

5.10 स्वपरख प्रश्न (Self-Test Questions)

1. मौद्रिक नीति की परिभाषा दीजिए।
2. मौद्रिक नीति का अर्थ एवं आशय समझाएं।
3. मौद्रिक नीति के उद्देश्य लिखें।
4. मौद्रिक नीति के उपकरण बताएं।
5. मौद्रिक नीतिके मात्रात्मक व गुणात्मक उपकरण संक्षिप्त में समझाएं।

5.11 संदर्भव ग्रन्थसूची (References and Bibliography)

1. 'Monetary Theory', MC Vaish, Vikas Publication New Delhi (2005)
2. 'Managerial Economics', H.L. Ahuja, S. Chand & Company, New Delhi (2010)
3. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', एस एन लाल व एस के लाल, शुभम पब्लिशर्स (2023)

5.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- एम एल झिंगन, 'समष्टि अर्थशास्त्र', वृंदा पब्लिकेशंस, प्रा. लि., नई दिल्ली
- बी एल ओझा, 'बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली', अजमेरा बुक कंपनी, जयपुर
- कालका प्रसाद भटनागर, सुरेश चंद्र गुप्ता, तिलक नारायण हजेला, 'मुद्रा बैंकिंग विनिमय और विदेशी व्यापार', सरस्वती सदन, मसूरी
- एस बी गुप्ता, मौद्रिक अर्थशास्त्र
- एम एल सेठ, मौद्रिक अर्थशास्त्र
- भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

5.13 वेबसंसाधन/लिंक (Web resources/links)

- <https://www.wikipedia.org/>
- https://m.rbi.org.in/hindi/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2746

इकाई - 6

राजकोषीय नीति : एक अवलोकन (Fiscal policy: An Overview)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

- 6.0 उद्देश्य
- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 राजकोषीय नीति का अर्थ एवं परिभाषा
- 6.3 राजकोषीय नीति के उद्देश्य
- 6.4 राजकोषीय नीति के उपकरण/अंग
- 6.5 राजकोषीय नीति के प्रकार
- 6.6 दीर्घकालीन विकास तथा आय एवं धन की विषमताओं को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका
- 6.7 राजकोषीय नीति की सीमाएँ
- 6.8 सारांश
- 6.9 अधिगम परिणाम
- 6.10 शब्दावली
- 6.11 स्व-परख प्रश्न
- 6.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 6.13 अन्य पठन सामग्री
- 6.14 वेब संसाधन

6.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

- राजकोषीय नीति का आशय और उद्देश्यों के बारे में जान सकेंगे।
- राजकोषीय नीति के उपकरण अर्थात् इसके अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- राजकोषीय नीति के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे।

- राजकोषीय नीति के विकास और आय एवं धन की विषमताओं को कम करने में भूमिका के बारे में सुस्पष्ट हो सकेंगे।
- राजकोषीय नीति की सीमाओं से भी रूबरू हो सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजकोषीय नीति किसी भी सरकार की आय एवं व्यय नीति होती है जिसका सम्बन्धित देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से आर्थिक जीवन में होने वाले उच्चावचनों को रोकने अथवा उनका परिसीमन करने में मदद मिलती है। वस्तुतः देखा जाए, तो राजकोषीय नीति देश की एक प्रमुख आर्थिक नीति होती है जो सरकार के मन्तव्य और वक्तव्य का प्रतिबिम्ब होती है। 1930 की महान मंदी के पूर्व तक राजकोषीय नीति का कोई विशेष महत्व नहीं था। **लॉर्ड कीन्स** के नये आर्थिक विचारों के कारण नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास हेतु सरकारी हस्तक्षेप की सक्रिय भूमिका को भारी समर्थन मिला। तत्पश्चात् सरकार की आर्थिक नीतियों में राजकोषीय नीति एक प्रमुख नीति बनकर उभरी। इस इकाई में हम राजकोषीय नीति के विभिन्न आयामों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

6.2 राजकोषीय नीति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Fiscal Policy)

राजकोषीय नीति को **प्रशुल्क नीति** भी कहा जाता है। सामान्यतया इसका अर्थ सरकार की आय व्यय तथा ऋण से सम्बन्धित नीतियों से लगाया जाता है। **प्रो. आर्थर स्मिथिज** के अनुसार “राजकोषीय वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है।” राजकोषीय नीति द्वारा सरकार अपने व्यय, करोपण तथा उधार की क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधि के स्वरूप एवं प्रवृत्ति के साथ-साथ सकल माँग, उत्पादन और रोजगार को वांछित दिशा और स्तर पर बनाये रखना चाहती है। संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति किसी देश की वह आर्थिक नीति होती है जिसके द्वारा सरकार अपनी आय और व्यय नीति के माध्यम से वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

6.3 राजकोषीय नीति के उद्देश्य (Objectives of Fiscal Policy)

सरकार की अन्य नीतियों की तरह राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य किसी राष्ट्र विशेष के लिए उसकी परिस्थितियों, विकास संबंधी आवश्यकताओं और विकास की अवस्था के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, फलस्वरूप विकसित और विकासशील राष्ट्रों की राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में अन्तर होता है। इसके उपरान्त भी, राजकोषीय नीति के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कमोवेश रूप में प्रायः सभी राष्ट्रों में पाये जाते हैं। ये सामान्य उद्देश्य निम्नांकित हैं -

1. **पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और रख-रखाव (Achievement and maintenance of full employment)**
- राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना और उसे बनाये रखना है। **प्रो. लुइस** के अनुसार देश में उपलब्ध जनशक्ति को पूर्ण रोजगार प्रदान किये बिना आर्थिक विकास

का लक्ष्य अधूरा है और यह काम सरकार अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उचित समन्वय द्वारा कर सकती हैं। बेरोजगारी की समस्या विकसित एवं अल्पविकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पायी जाती है जो एक बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है।

2. **मूल्य स्थिरता को बनाये रखना (Maintenance of price stability)** - सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य कीमत-स्तर में प्रायः उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो एक सीमा के पश्चात अत्यधिक कष्टप्रद होते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाले तेजी और मंदी के दौर में कीमतों को स्थिर बनाये रखना एक बड़ी चुनौती होती है। सामान्यतया अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे कीमतें निरन्तर बढ़ती रहती है। **मुद्रा-प्रसार और मुद्रा संकुचन दोनों ही अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायित्व के लिए घातक होते हैं।** इसलिए सभी देशों में राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य कीमत स्थिरता को बनाये रखना होता है। राजकोषीय नीति द्वारा सरकार इसके विभिन्न उपकरणों के माध्यम से प्रभावपूर्ण माँग को प्रभावित कर कीमत स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।
3. **आर्थिक विकास की उच्च दर (High rate of economic growth)** - सभी प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास की ऊँची दर प्राप्त करना और उसे बनाये रखना है। क्योंकि इससे देश में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है, जिससे लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है और आय एवं रोजगार में त्वरित गति से वृद्धि होती है। राजकोषीय नीति अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। सरकार इस नीति के माध्यम से करों को कम कर बचत एवं विनियोगों में वृद्धि कर सकती है तथा सार्वजनिक व्यय का विकास कार्यों में विनियोग कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। अल्पविकसित देशों में नव-प्रवर्तन और उद्यमियों का अभाव होता है, जिसे सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा प्रोत्साहित कर सकती है। **प्रो. स्पेंगलर** के मतानुसार ऐसे बहुत से कार्य जो निजी साहसियों द्वारा किये जाने होते हैं, “सरकार उन्हें स्वयं सम्पन्न करके साहसियों की कमी को पूरा कर सकती है।” **सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में राजकोषीय नीति की बड़ी भूमिका होती है।**
4. **आय एवं धन वितरण की विषमताओं को न्यूनतम करना (Minimizing inequalities of income and wealth distribution)**- आय एवं धन का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से आय एवं धन के कमोवेश समान वितरण की दृष्टि से राजकोषीय नीति का विशेष महत्व है। **प्रगतिशील करारोपण (progressive taxation)**, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर ऊँची दर से कर लगाकर, सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय बढ़ाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है।

उपर्युक्त वर्णित राजकोषीय नीति के चार सामान्य उद्देश्यों की प्राथमिकता एवं महत्व प्रत्येक देश में अलग-अलग हो सकता है जो उसकी तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, **कीमत स्थिरता और आय एवं धन के वितरण में समानता** विकसित देशों की प्राथमिकताएँ हो सकती हैं, जबकि **उच्च**

आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और उन्हें बनाये रखना विकासशील देशों की प्राथमिकता में सर्वोपरि हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त राजकोषीय नीति के ये उद्देश्य सदैव परस्पर संगत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, आय वितरण में समानता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च आर्थिक विकास और दक्षता का एक सीमा तक त्याग करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से तीव्र आर्थिक विकास हेतु कुछ हद तक मूल्य स्थिरता के उद्देश्य का त्याग करना पड़ सकता है। इसलिए देश की सरकार को राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है।

5. **राजकोषीय नीति के अन्य उद्देश्य (Other objectives of fiscal policy)** - राजकोषीय नीति के सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त विभिन्न देशों में उनकी आवश्यकतानुसार निम्नांकित अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं -

(i) **पूँजी निर्माण (Capital formation)** - अल्प विकसित देशों में आय कम होने के कारण बचत एवं विनियोग का स्तर काफी नीचे होता है जिससे पूँजी का अभाव तथा **निर्धनता का दुश्चक्र (vicious circle of poverty)** एक बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। राजकोषीय नीति द्वारा अनावश्यक उपभोग को करारोपण द्वारा कम कर बचत और विनियोग को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे पर्याप्त पूँजी निर्माण संभव का सके। **प्रो. नर्कसे** का मत है कि “अल्प विकसित देशों में करारोपण नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि करना है जो पूँजी निर्माण में लगायी जा सके।

(ii) **गरीबी उन्मूलन (Poverty elimination)** - विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक रूप में गरीबी पायी जाती है। इसलिए इसे कम करने अथवा समूल मिटाने हेतु राजकोषीय नीति द्वारा सउद्देश्य प्रयास किये जाते हैं। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाकर रोजगार परक काम धन्धे उत्पन्न कर गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास किये जाते हैं।

राजकोषीय नीति के अन्य उद्देश्यों में **निर्यातों में वृद्धि, देशी और विदेशी विनियोगों में वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, बचतों को प्रोत्साहन देना** रोजगार में वृद्धि तथा **सामाजिक न्याय** पर जोर देना हो सकता है।

मायर एवं बाल्डविन के मतानुसार राजकोषीय नीति का आर्थिक विकास की दृष्टि से ऐसे व्यापक और प्रभावशील ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से वितरण हो सके, पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिले, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सके और रोजगार की दशाओं में सुधार हो सके।

6.4 राजकोषीय नीति के उपकरण/अंग (Instruments/Components of Fiscal Policy)

राजकोषीय नीति के प्रमुख रूप से चार उपकरण होते हैं-

1 करारोपण नीति; 2 व्यय नीति; 3 सार्वजनिक ऋण नीति; तथा 4 बजट नीति।

हम इनका अब थोड़ा विस्तार में अध्ययन करेंगे।

- 1 करारोपण नीति (Taxation Policy) :** कर सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा और अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत है। करों की दरों के निर्धारण और परिवर्तन के द्वारा निजी उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित किया जाता है। **करों की दरों/आकार पर सामान्य जनता की खर्च योग्य आय का आकार निर्भर करता है।** किसी भी देश का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक उसकी करारोपण नीति की सफलता पर निर्भर करता है। अतः करारोपण नीति बहुत सोच-समझकर बनायी जानी चाहिए। कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादन, बचत एवं विनियोग करने की इच्छा और शक्ति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस दृष्टि से करारोपण नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का उचित संतुलन होना चाहिए। **डॉ. भार्गव** का मत है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से अपनायी गयी करारोपण नीति में अधिकाधिक मात्रा में आय प्राप्त करने की क्षमता, निवेश को प्रोत्साहित करने की सक्रियता, मूल्य-स्तर को नियंत्रित बनाये रखना तथा उत्पादन पर न्यूनतम दुष्प्रभाव जैसे गुणों का होना आवश्यक है।

प्रो. किन्डलबर्जर के मतानुसार अल्प विकसित देशों में कर नीति को मुख्य रूप से अनावश्यक उपभोग व सट्टे आदि के कार्य पर होने वाले विनियोग पर रोक लगाना तथा पूँजी निर्माण व पुनर्विनियोग आधिक्य को बढ़ावा देना होना चाहिए। कर नीति में कर देय क्षमता में वृद्धि करने, न्याय एवं समानता की स्थापना करने के अलावा कर प्रशासन को योग्य, कुशल एवं ईमानदार बनाने का भी गुण होना चाहिए। संक्षेप में कहें, तो कर नीति न केवल सरकारी आय का प्रमुख स्रोत है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्ति का एक बड़ा हथियार भी है।

- 2 सार्वजनिक व्यय नीति (Public expenditure policy) -** सार्वजनिक व्यय के अन्तर्गत सरकार द्वारा विभिन्न विकास और गैर-विकास मदों पर किये जाने वाले समस्त खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक व्यय पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के रूप में होता है। सार्वजनिक व्यय के अन्तर्गत निम्नांकित व्यय सम्मिलित होते हैं -

- (i) सरकार के दैनन्दिन (रोजमर्रा) खर्चों को पूरा करने वाला वर्तमान में किये जाने वाला व्यय;
- (ii) समस्त पूँजीगत व्यय जो पूँजीगत सामग्री एवं मशीनरी तथा आधारभूत ढाँचे के निर्माण पर किया जाता है; तथा
- (iii) **हस्तान्तरण भुगतान (Transfer payments)-** जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कोई सीधा योगदान नहीं करते हैं। ये वे भुगतान होते हैं जो एक व्यक्ति अथवा समूह से दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को बिना किसी प्रतिफल के किये जाते हैं।

सरकार अपनी व्यय नीति के माध्यम से विभिन्न मदों/क्षेत्रों पर किये जाने वाले व्यय का निर्धारण एवं आबंटन करती है जो उत्पादक एवं गैर-उत्पादक दोनों प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए सरकार को अपनी व्यय नीति ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे इसका अधिकांश भाग आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक उपरिव्यय (यातायात एवं संचार, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा,

स्वास्थ्य, शोध एवं अनुसंधान इत्यादि) पर खर्च किया जा सके। सार्वजनिक व्यय नीति का उद्देश्य उत्पादन एवं पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विषमताओं को कम करना, आर्थिक स्थिरता बनाये रखना तथा सामाजिक कल्याण एवं न्याय प्राप्ति का होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय द्वारा देश में मानवीय पूँजी निर्माण भी होना चाहिए क्योंकि भौतिक पूँजी का सही और सम्पूर्ण उपयोग एवं उत्पादन मानव पूँजी के द्वारा ही किया जाता है।

प्रो. पीगू का मानना है कि सार्वजनिक व्यय के कारण गरीबों की वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय से रोजगार, आय और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर सरकार उपरोक्त सभी को प्रोत्साहित कर सकती है। मन्दीकाल में **लॉर्ड कीन्स ने पम्प प्राइमिंग (Pump Priming)** नीति अपनाकर मन्दी से निपटने के लिए सरकारी खर्च में जान-बूझकर वृद्धि करने के लिए अपना मत प्रकट किया था। आजकल सरकारें **क्षतिपूरक व्यय नीति (Compensatory expenditure policy)** द्वारा अर्थव्यवस्था में न केवल सरकारी व्यय बढ़ाती है वरन् इससे निजी निवेश एवं उपभोग को प्रोत्साहित कर व्यावसायिक विश्वास को भी बढ़ाती है। तेजीकाल में सरकारी व्यय में कटौती करने से अर्थव्यवस्था में स्फीतिजन दबावों को कम करने में भी मदद मिलती है।

- 3 सार्वजनिक ऋण नीति (Public debt policy) :** सार्वजनिक ऋण नीति राजकोषीय नीति का एक तीसरा उपकरण है। सार्वजनिक ऋण **आन्तरिक एवं बाहरी (Internal and External)** दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक ऋण और इनके पुनर्भुगतान की एक तर्क संगत नीति मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। सार्वजनिक आन्तरिक ऋण बाजार ऋण तथा छोटी बचतों से प्राप्त किये जाते हैं। अल्पकालीन सरकारी खर्चों की पूर्ति हेतु **ट्रेजरी बिल (Treasury Bill)** जारी किये जाते हैं तथा पूँजीगत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु **दीर्घकालिक बंध-पत्रों (Bonds)** का निर्गमन किया जाता है। छोटी बचतों के एकत्रण हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC), राष्ट्रीय विकास प्रमाण पत्र आदि बॉण्डों और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा जनता से उधार लिया जाता है।

सरकार ऋण लेकर जनता के पास से नकदी की मात्रा घटाकर समग्र माँग को कम करती है ताकि मुद्रा स्फीति काल में कीमतों में होने वाली वृद्धि के दबाव को कम किया जा सके। इसके विपरीत मंदीकाल में सरकार अपने ऋणों को मय ब्याज लौटाकर अर्थ व्यवस्था में तरलता में वृद्धि कर समग्र माँग को बढ़ा सकती है और अर्थव्यवस्था को मंदी के दुष्प्रभावों से बचा सकती है।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राप्त ऋणों का केवल उत्पादक कार्यों में ही उपयोग किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न न होने पाएँ। आन्तरिक ऋणों का मौद्रिक भार तो नगण्य होता है क्योंकि देश का धन देश में ही रहता है। जहाँ तक इनके वास्तविक भार का प्रश्न है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि ऋण राशि का किन कार्यों में प्रयोग किया गया है। ज्ञातव्य है कि उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त ऋणों का वास्तविक भार नगण्य होता है। बाहरी ऋण सोच-समझकर आवश्यक होने पर ही लिए जाने चाहिए क्योंकि इनका

मौद्रिक एवं वास्तविक भार अन्ततः देश के नागरिकों को ही वहन करना पड़ता है। एक सीमा से अधिक लिए गये बाहरी ऋण देश की सुरक्षा, स्थिरता और विकास को खतरे में डाल सकते हैं।

4. **बजटीय नीति (Budgetary policy)** - सरकार के बजट का उपयोग व्यापक रूप से राजकोषीय नीति के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अर्थव्यवस्था में समग्र माँग को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। वस्तुतः किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप एवं दिशा निर्धारित करने का श्रेय सरकार की बजट नीति को दिया जाता है। **सरकार की आय, व्यय, बचत, विनियोग एवं रोजगार नीति हकीकत में बजट नीति का ही अभिन्न अंग है।** बजट सरकार के एक वर्ष विशेष में करें तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त आय और विभिन्न मदों पर किये जाने वाले समस्त व्यय का एक समेकित विवरण है। देश के बजट का समग्र माँग पर शुद्ध प्रभाव बजट संतुलन पर निर्भर करता है। संतुलन की दृष्टि से बजट घाटे का, अतिरेक का अथवा संतुलित हो सकता है।

घाटे के बजट में सरकारी आय इसके व्ययों से कम होती है जिसके कारण सरकार का ऋण बोझ बढ़ जाता है, बचत कम हो जाती है, ब्याज दरें बढ़ जाती है, चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है, जिसका अन्तिम प्रभाव समग्र माँग में वृद्धि के रूप में फलित होता है। **फिण्डले शिराज** घाटे के बजट को एक फिसलने वाले मार्ग के समान मानते हैं; जबकि इसके विपरित **लॉर्ड कीन्स** इसे विकासशील राष्ट्रों के लिए एक संजीवनी मानते हैं, जहाँ पूँजी के अभाव और विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे अपनाया जाना न केवल आवश्यक है, बल्कि लाभप्रद भी है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि बजट घाटे की पूर्ति ऋण लेकर की जाए अथवा हीनार्थ प्रबंधन नीति अपनाकर, जिसके अन्तर्गत देश का केन्द्रीय बैंक सरकार को नोट छापकर देता है। भारत में प्रायः हीनार्थ प्रबंधन नीति का प्रयोग किया जाता रहा है। संक्षेप में, बजट में राजस्व एवं व्यय मदों की संरचना में जानबूझकर बदलावों का व्यापक आर्थिक वृद्धि, मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी एवं बाह्य स्थिरता जैसे समष्टिगत आर्थिक चरों को बदलने अथवा स्थितिनुसार अनुकूलन करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि बजट नीति राजकोषीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।

6.5 राजकोषीय नीति के प्रकार (Types of Fiscal Policy)

राजकोषीय नीति मूलतः दो प्रकार की होती है। एक विस्तारपरक और दूसरी संकुचनपरक। आगे हम इन दोनों प्रकार की राजकोषीय नीतियों के बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

1. **विस्तारपरक राजकोषीय नीति (Expansionary fiscal policy)** - विस्तारपरक राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था के मंदीकाल में अपनायी जाती है। जब अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद घटने लगता है, आय एवं रोजगार का स्तर सतत रूप से गिरने लगता है, लाभ एवं कीमतों में गिरावट होने लगती हैं और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में समग्र प्रभावी माँग (Aggregate effective demand) में कमी होने लगती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घटने लगता है। यह स्थिति तब आती है जब अर्थव्यवस्था व्यापार चक्र के संकुचन चरण (Downswing stage) में होती है अर्थात् जब प्रतिसार (Recession) अथवा मंदी की स्थिति होती है।

विस्तारपरक राजकोषीय नीति 'संकुचन अन्तराल' (Contractionary Gap) को पाटने के लिए अपनायी जाती है। संकुचन अन्तराल वह अवस्था होती है जब अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन संसाधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में होने पर होने वाले उत्पादन से कम होता है। सरल शब्दों में, देश में साधनों के पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो सकने वाले अधिकतम उत्पादन से जब वास्तविक उत्पादन कम होता है, तो इस स्थिति को संकुचन अन्तराल की स्थिति कहा जाता है। व्यापार चक्र के संकुचन चरण में अर्थव्यवस्था की समग्र माँग (AD) उसकी समग्र आपूर्ति (AS) से कम होती है, फलस्वरूप व्यापक रूप से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपने व्यय में वृद्धि करनी चाहिए और वास्तव में वह ऐसा करती भी है।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सरकारी व्यय (G) में वृद्धि के लिए साधन कहाँ से आयेंगे? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि या तो सरकार करों (T) में वृद्धि करें अथवा घाटे का बजट बनाये और उसकी पूर्ति नोट छापकर करें, जिसे **हीनार्थ प्रबंधन** (Deficit Financing) कहा जाता है। यदि सरकार कर बढ़ाती है, तो इससे लोगों की खर्च योग्य आय घटने के कारण समग्र माँग घट जाती है जो एक आत्मघाती कदम है। मजबूरन सरकार के पास दूसरा विकल्प घाटे का बजट का रह जाता है, जिसका **लॉर्ड कीन्स** ने समर्थन किया है। घाटे के बजट की पूर्ति उधार लेकर अथवा नोट छापकर की जा सकती है पर इसके कारण निजी निवेश के घट जाने का भय बना रहता है जिसे **क्राउडिंग प्रभाव** (crowding effect) कहा जाता है। 1930 की महान मंदी के समय कीन्स ने विस्तारपरक राजकोषीय नीति अपनाने का परामर्श दिया था और तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उनकी सलाह मानकर अमेरिका में मंदी को भगाने के लिए **न्यू डील नीति** (New Deal Policy) अपनायी थी।

2. **संकुचनपरक राजकोषीय नीति (Contractionary fiscal policy)** - संकुचन परक राजकोषीय नीति वह नीति है जो अर्थव्यवस्था के तेजीकाल में अपनायी जाती है और यह अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए मुद्रा स्फीतिक दबावों को रोकने में सहायक होती है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र माँग उसकी समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति को जान बूझकर अपनाती है। इस प्रकार की नीति का मुख्य उद्देश्य **मुद्रा-प्रसार अन्तराल** (Inflationary gap) को पाटना होता है। मुद्रा प्रसार अन्तराल तब उत्पन्न होता है जब समग्र माँग अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण रोजगार स्तर पर हो सकने वाले अधिकतम उत्पादन से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसार अर्थात् कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है जो न केवल आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, वरन् आम व्यक्ति के जीवन को काफी कष्टप्रद बना देती है।

संकुचन नीति के द्वारा सरकार निम्नांकित उपाय अपनाकर अर्थव्यवस्था में समग्र माँग को कम कर बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है -

- (i) सरकारी व्यय में कमी करके अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध कुल मुद्रा को कम किया जाता है जिसके कारण कुल माँग में कमी होती है।
- (ii) व्यक्तिगत आयकर तथा व्यावसायिक करों में वृद्धि कर लोगों की प्रयोज्य आय को कम किया जाता है जिसके कारण उनके उपयोग व्यय में कमी आती है और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र माँग कम हो जाती है।

- (iii) सरकारी खर्च में कटौती और व्यक्तिगत आय कर और या व्यावसायिक करों में वृद्धि का एक समुचित सम्मिश्रण करके भी समग्र माँग को घटाया जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यावश्यक है कि दोनों प्रकार की राजकोषीय नीति तभी पूर्णरूप से सफल होगी जब उनका मौद्रिक नीति के साथ उपयुक्त पारस्परिक सामंजस्य हो।

1930 की महान मंदी से पूर्व राजकोषीय नीति का विशेष महत्व नहीं था। एडम स्मिथ और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के माध्यम से स्वतः ही समायोजन (Self correcting) हो जाता है जिसे स्वचालित स्थिरक (Automatic Stabilizer) कहा जाता है। इन अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना ही अर्थव्यवस्था में होने वाले उच्चावचन एक समय सीमा के पश्चात स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं। लेकिन तीसा की महान मंदी के अनुभव के बाद लॉर्ड कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में उच्चावचनों के परिसीमन हेतु सरकारी हस्तक्षेप एक औषधि के रूप में आवश्यक है, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति (Discretionary Fiscal Policy) की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। विस्तारपरक और संकुचनकारी दोनों ही राजकोषीय नीतियाँ विवेकाधीन राजकोषीय नीति के उदाहरण हैं, क्योंकि इन नीतियों को काफी विचार-विमर्श कर जानबूझकर (साआयास) अपनाया जाता है। इसे निम्नांकित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है

$$AD/GDP = C+I+G+NX$$

यहाँ AD/GDP समग्र माँग/सकल घरेलू उत्पाद है, C निजी उपभोग, I निजी निवेश, G सरकारी व्यय तथा NX शुद्ध निर्यात है। विवेकाधीन राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सरकार सरकारी व्यय (G) को जानबूझकर आवश्यकतानुसार कम या अधिक करती है। सरकारी खर्च (G) के परिवर्तन से AD/GDP प्रत्यक्ष रूप से तथा C, I तथा NX अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

अर्थव्यवस्था के मन्दीकाल में आप वित्त मंत्री के रूप में किस प्रकार की राजकोषीय नीति लागू करेंगे और क्यों?

6.6 दीर्घकालीन विकास तथा आय एवं धन की विषमताओं को कम करने में राजकोषीय नीति की भूमिका (Role of Fiscal Policy in Long-Term Growth and Reduction in Disparities Of Income & Wealth)

राजकोषीय नीति के अभी तक के विश्लेषण से आप यह समझ पाये होंगे कि किस प्रकार अल्पकाल में राजकोषीय नीति द्वारा समग्र माँग को प्रभावित कर कीमत स्थिरता तथा रोजगार के वांछित स्तर को बनाये रखा जा सकता है? अब यह प्रश्न उठता है कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है? कुल समग्र पूर्ति को प्रोत्साहित करने वाली सामान्य नीतियाँ दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, इसलिए एक ऐसी राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है जिसमें ऐसे आधारभूत ढाँचे के विकास पर व्यय किया जाता है, जिसका आपूर्ति वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। उदाहरण के लिए, रेल-सड़क यातायात, बिजली आपूर्ति, दूर संचार सुविधाएँ, बन्दरगाह और हवाई सेवाओं का विस्तार इत्यादि पर किया गया अतिरिक्त सरकारी व्यय। इन सब आधारभूत सुविधाओं पर किये गये व्यय से न केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, वरन् इससे पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में भी सुधार

होता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध एवं अनुसंधान पर किया गया सरकारी व्यय दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक होता है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी विकास पर किया गया व्यय दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। इसी प्रकार एक अच्छी कर नीति जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली हो, निजी क्षेत्र में निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर दीर्घकालिक विकास को बल प्रदान कर सकती है। राजकोषीय नीति द्वारा निजी उद्यम को अनेक प्रकार की कर रियायतों तथा अन्य छूट प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस कारण से अर्थव्यवस्था में **निवेश जलवायु** सकारात्मक हो जाती है जिससे निजी क्षेत्र में निवेश स्वतः ही आने लगता है। सरकारी व्यय में वृद्धि और निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक छूटों के कारण निजी निवेश भी बढ़ता है, फलतः इसका विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

यह एक कटु सत्य है कि विश्व के अधिकांश देशों में आय एवं धन के वितरण में घोर असमानताएँ विद्यमान हैं। इसके कारण आय और अवसरों की असमानता भी बढ़ती है, परिणामस्वरूप समाज में **हजूर और मजूर** (Haves and Have Not's) की एक विभाजक रेखा उत्पन्न हो जाती है। इसे मानवीय और सामाजिक समरसता की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य तभी साकार होगा जब आर्थिक विकास से उत्पन्न आय का वितरण कमोवेश रूप से समान हो। आय एवं धन के वितरण की असमानताओं का यथा संभव कम करने के लिए राजकोषीय नीति एक प्रमुख अस्त्र अथवा साधन है क्योंकि यह आय एवं धन के वितरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। व्यक्तियों की चालू खर्च योग्य आय प्रत्यक्ष करों के आरोपण और उनमें परिवर्तन द्वारा एक सीमा तक प्रभावित होती है और इसी प्रकार अप्रत्यक्ष करों के आरोपण और उनमें परिवर्तन द्वारा भविष्य की संभावित आय को प्रभावित किया जा सकता है। आय एवं धन के पुनर्वितरण के लिए सार्वजनिक आगम और व्यय को परम्परागत रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। राजकोषीय खर्च करने के तरीकों में जान-बूझकर परिवर्तन करके आय एवं धन के वितरण की विषमताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसे अग्रांकित विवेचन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है :-

1. **प्रगतिशील कर प्रणाली** अपनाकर अधिक आय वाले व्यक्तियों पर ऊँची दर से कर लगाकर प्राप्त आय को सरकार अपने खर्चों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त कर सकती है।
2. **भेदकारी अप्रत्यक्ष कर नीति** (Discriminatory Indirect Tax Policy) अपनाकर सरकार विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगा सकती है और सामान्य व्यक्तियों द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं पर कम कर लगा सकती है अथवा उन्हें कर मुक्त रख सकती है।
3. अमीरों और विलासिता की वस्तुओं पर लगे करों से प्राप्त राजस्व का एक भाग सरकार **लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों** (Targeted welfare programs) पर व्यय कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर खर्च कर आय का पुनर्वितरण कर सकती है। जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबों के लिए मुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, आवास सुविधा, सामाजिक सुरक्षा योजना, (वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि) आम जनता के उपभोग की वस्तुओं पर उत्पादन सहायता प्रदान करना इत्यादि।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि **सरकार पुनर्वितरण राजकोषीय नीति अपनाकर** अर्थव्यवस्था में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को न्यूनतम कर सकती है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

- (i) लॉर्ड कीन्स ने तीसा की महान मंदी काल में राजकोषीय नीति को किस आधार पर और क्यों आवश्यक माना ?

6.7 राजकोषीय नीति की सीमाएँ (Limitations of Fiscal Policy)

हमने अभी तक यह समझा है कि सोच-समझकर अपनायी गयी विवेकपूर्ण एवं सोद्देश्यपरक राजकोषीय नीति द्वारा वांछित सामाजार्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सरकार व्यय और करों में जान बूझकर परिवर्तन करती है। किन्तु अनेक व्यावहारिक एवं आधारभूत कठिनाइयों के कारण राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती है। इस नीति की प्रभावशीलता में कुछ सैद्धान्तिक, तो कुछ व्यावहारिक सीमाएँ हैं, जो निम्नांकित हैं -

सैद्धान्तिक सीमाएँ (Conceptual Limitations) - इसके अन्तर्गत **मान्यता अन्तराल (Recognition Lag)**, **निर्णय अन्तराल (Decision lag)**, **कार्यान्वयन अन्तराल (Implementation Lag)** तथा **प्रभाव अन्तराल (Impact lag)** की पहचान और समझ की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण राजकोषीय नीति की प्रभोवत्पादकता आशानुरूप नहीं हो पाती है।

व्यावहारिक सीमाएँ (Practical Limitations)

1. अल्प विकसित राष्ट्रों में अर्थ व्यवस्था का एक बड़ा भाग अमुद्रीकृत (Unmonetised) होता है, फलतः वस्तु विनिमय का प्रचलन होने के कारण राजकोषीय नीति अपेक्षानुसार प्रभावी नहीं होती है।
2. **भ्रष्टाचार और कर चोरी की समस्या** प्रायः सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में अंशान्तर से विद्यमान रहती है, जो राजकोषीय नीति को अधिक प्रभावी नहीं होने देती है।
3. अर्थव्यवस्था से **संबंधित पर्याप्त एवं सही समकों का समय पर उपलब्ध न होना** एक व्यावहारिक समस्या है।
4. **अशिक्षा, सामाजिक जड़ता तथा जन सहभागिता की कमी** राजकोषीय नीति के सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी समस्या है - विशेषकर पिछड़े राष्ट्रों में।
5. **लचर प्रशासनिक ढाँचा, नौकरशाही का प्रभुत्व तथा सत्ताधारी राजनैतिक दल का अनावश्यक हस्तक्षेप** भी उपयुक्त राजकोषीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन की एक बड़ी व्यावहारिक बाधा है।
6. अनेक बार **मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में उपयुक्त सामंजस्य का अभाव** पाया जाता है, जिसके कारण राजकोषीय नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है।
7. अनेक देशों में विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में एक **समन्वित, प्रभावी एवं उचित कर प्रणाली** का अभाव पाया जाता है तथा अनावश्यक प्रशासनिक व्यय की भरमार रहती है, जो राजकोषीय नीति को वांछनीय स्तर तक सफल नहीं होने देते हैं।
8. अनेक बार राजकोषीय नीति के विभिन्न उद्देश्यों के बीच **संगतता (Consistency) की समस्या** बनी रहती है अर्थात् एक उद्देश्य की प्राप्ति का दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक कल्याण कार्यों पर अधिक धन खर्च करने के लिए निगम कर को बढ़ाया जाता है, तो इसका निजी निवेश और विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6.8 सारांश (Summary)

राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नीति होती है। इसे प्रशुल्क नीति भी कहा जाता है। यह सरकार के राजस्व एवं व्यय की ऐसी नीति है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार पर वांछित प्रभाव डाला जाता है ताकि सामाजार्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। राजकोषीय नीति के सामान्य उद्देश्यों के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और रख-रखाव, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास की उच्चदर एवं आय एवं धन वितरण की विषमताओं

को कम करना, पूँजी निर्माण इत्यादि को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। करारोपण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण नीति एवं बजट नीति राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण हैं। राजकोषीय नीति या तो विस्तारपरक होती है अथवा संकुचनपरक। विस्तारपरक नीति मंदीकाल में तथा संकुचनपरक नीति तेजीकाल में अपनायी जाती है। राजकोषीय नीति की दीर्घकालिक विकास एवं आय एवं धन के वितरण की विषमताओं को कम करने में अहम भूमिका होती है। इस नीति की अनेक सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक सीमाएँ हैं, जिनके कारण इसकी पूर्ण सफलता संदिग्ध होती है।

6.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के पठन के पश्चात आप यह जानने में सक्षम हो गए होंगे कि :

- राजकोषीय नीति क्या है और इसके क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं?
- राजकोषीय नीति के कौन-कौन से अंग अथवा उपकरण होते हैं ?
- राजकोषीय नीति कितने प्रकार की अर्थात् कैसी हो सकती है?
- राजकोषीय नीति देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है?
- राजकोषीय नीति की कौनसी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सीमाएँ होती हैं?

6.10 शब्दावली (Glossary)

- **राजकोषीय नीति (Fiscal policy)**- यह सरकार की आगम एवं व्यय नीति है जिसके माध्यम से वह आर्थिक क्रियाओं को अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वांछित दिशा और मात्रा में प्रभावित करने की चेष्टा करती है।
- **प्रगतिशील करारोपण (Progressive taxation)**- इसका अन्तर्गत आय के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है अर्थात् अधिक आय पर अधिक कर और कम आय पर कम कर या कोई कर नहीं लगता है।
- **निर्धनता का दुश्चक्र (Vicious circle of poverty)** - यह चक्र इस बात को स्पष्ट करता है कि “गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है।” दुश्चक्र की स्थिति में प्रारंभिक बिन्दु और अन्तिम बिन्दु एक ही होता है। रेगनर नर्कसे का मानना है कि गरीबी का कारण गरीबी है।
- **हस्तान्तरण भुगतान (Transfer payments)** - ये वे भुगतान होते हैं जो एक व्यक्ति/समूह से दूसरे व्यक्ति/समूह को बिना किसी प्रतिफल के किये जाते हैं और ये अनुत्पादक होते हैं। इसलिए इससे देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा दिये जाने वाला बेरोजगारी भत्ता।
- **पम्प प्राइमिंग (Pump priming)**- यह मन्दी को दूर करने के लिए एक बार में किया गया अतिरिक्त व्यय है। इसका उद्देश्य निजी उपभोग एवं निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना होता है।

- **क्षतिपूरक व्यय (Compensatory expenditure)**- यह वह अतिरिक्त सरकारी व्यय है जो मंदीकाल में निजी निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह एक से अधिक बार किया जाता रहता है।
- **बजट (Budget)** – यह सरकार का वर्ष विशेष में संभावित प्राप्त होने वाली समस्त आय और विभिन्न मदों पर किये जाने वाले समस्त व्यय का एक समेकित विवरण है, जो अनुमानित आंकलन पर आधारित होता है।
- **घाटे का बजट (Deficit budget)** - जब बजट में दर्शायी गयी आय बजट व्यय से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में यह घाटे का बजट कहलाता है।
- **विस्तारपरक राजकोषीय नीति (Expansionary fiscal policy)**- जब सरकार मंदी काल में जान बूझकर अपनायी गयी नीति के अन्तर्गत अपने व्यय को बढ़ाती है और करों में कटौती करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन, उपभोग और रोजगार में वृद्धि हो सके, तो ऐसी नीति को विस्तारपरक राजकोषीय नीति कहते हैं।
- **संकुचनपरक राजकोषीय नीति (Contractionary fiscal policy)** - इस नीति के अन्तर्गत सरकार चलाकर अपने व्ययों में कटौती करती है, जिससे प्रभावी माँग कम हो सके। कभी-कभी करों में वृद्धि करके प्रयोज्य योग्य आय को घटाती है ताकि समग्र माँग कम हो सके।
- **संकुचन अन्तराल (Recessionary gap)** - यह वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन संसाधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो सकने वाले उत्पादन से कम होता है।
- **मुद्रा प्रसार अन्तराल (Inflationary gap)**- यह वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो सकने वाले उत्पादन से अधिक होता है।
- **हीनार्थ प्रबंधन (Deficit financing)** - जब बजट घाटे की पूर्ति देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा नई मुद्रा छापकर की जाती है, तो इसे हीनार्थ प्रबन्धन कहा जाता है।

6.11 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

अति लघुरात्मक प्रश्न (Very - Short Answer Questions)

1. राजकोषीय नीति का आशय स्पष्ट कीजिए।
2. संकुचन अन्तराल को समझाइए।
3. मुद्रा - स्फीति अन्तराल को परिभाषित कीजिए।
4. हीनार्थ प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है?
5. संकुचनपरक राजकोषीय नीति से आपका क्या आशय है?
6. राजकोषीय नीति की सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. राजकोषीय नीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके विभिन्न उपकरणों को समझाइए।
2. मंदीकाल में किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनायी जानी चाहिए और क्यों? इस प्रकार की नीति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए।
3. राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए।

4. दीर्घकालिक विकास और आय एवं धन वितरण की विषमताओं में कमी करने में राजकोषीय नीति की भूमिका का विवेचन कीजिए।
5. अर्थव्यवस्था के तेजीकाल में किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनायी जानी चाहिए और क्यों? इस प्रकार की नीति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

6.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

- Jingan, M.L. & Jhingan, B.K. : The Economics of Development and Planning, Vrinda Publication, Agra, 2021-22
- Musgrave, Richard A : The Theory of public finance. New York : McGraw-Hill, 1959
- J. Smith's Adam : The Wealth of Nations, 1776.
- Keynes J. M. : The General Theory of Employment Interest and Money, 1936
- The Institute of Chartered Accountants of India: Economics for Finance, New Delhi, 2019

6.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- सिंह एस.पी.: आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 2007
- वैश्य एवं सिंह: लोक वित्त
- सिन्हा वी.सी. : आर्थिक संवृद्धि एवं विकास, एसबीपीडी पब्लिकेशन्स, आगरा, 2021—22
- सिंह एवं गुप्ता : मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व, रमेश बुक डिपो, जयपुर 2003
- झिंगन, एम.एल. एण्ड झिंगन, बी.के., : आर्थिक विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र, वृन्दा पब्लिकेशन, आगरा, 2021—22

6.14 वेब संसाधन (Web Resources/Links)

- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm>
- <https://www.econlib.org/library/Enc/FiscalPolicy.html>
- <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience-60f640a8/>
- <https://www.business-standard.com/about/what-is-fiscal-policy>
- <https://www.britannica.com/topic/fiscal-policy>
- <https://www.indiabudget.gov.in/>

इकाई - 7

व्यापार और सरकार (Business and Government)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका
- 7.3 व्यापार पर सरकार का नियंत्रण
- 7.4 सरकारी नियामक ढांचा
- 7.5 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध
- 7.6 सारांश
- 7.7 शब्दकोष
- 7.8 स्वपरख प्रश्न
- 7.9 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 7.10 अन्य पठन सामग्री
- 7.11 वेब संसाधन / लिंक

7.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो जाएंगे:

- व्यापार के क्षेत्र में सरकार की चौगुनी कमाई का वर्णन करें।
- सरकार की नियामक भूमिका की प्रकृति और निहितार्थ की कल्पना करें।
- नियामक ढांचे को संरचित करने और नियामक ढांचा प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें।
- भारतीय संविधान के भागों में केंद्र- राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि "आज समाज में दो सबसे शक्तिशाली संस्थान व्यवसाय और सरकार हैं; जहां वे आम जमीन पर मिलते हैं - सौहार्दपूर्ण या अन्यथा - एक साथ वे एक राष्ट्र के लिए विदेशी और घरेलू दोनों सार्वजनिक नीति निर्धारित करते हैं"।

ऐतिहासिक रूप से, व्यापार के संबंध में सरकार की भूमिका, अहस्तक्षेप और व्यापारिकता से लेकर केंद्रीकृत योजना और लगभग राज्य एकाधिकार की विशेषता वाले पारंपरिक साम्यवाद तक, प्रकार और डिग्री में काफी भिन्न थी। पिछले साढ़े छह दशक या तो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि और विश्व बैंक - आईएमएफ और जीएटीटी (डब्ल्यूटीओ के अग्रदूत) के अस्तित्व में आने के बाद, कई बदलाव देखे गए हैं, क्रांतिकारी के लिए विकासवादी, दुनिया भर में व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप के दृष्टिकोण, नीति और तरीके में। 2008 के आसपास दुनिया भर में फैले आर्थिक संकट ने एक बार फिर सरकार की आर्थिक स्थिरीकरण भूमिका का प्रदर्शन किया।

हालाँकि, सरकार आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां तक कि आधुनिक पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित या विनियमित प्रणाली हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में "देश के उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जाता है, निजी आय का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक बजट में उत्पन्न होता है, और सार्वजनिक कर और हस्तांतरण भुगतान निजी आय वितरण की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं"।

इसके अलावा, बजट नीति निजी क्षेत्र में रोजगार के स्तर और कीमतों को प्रभावित करती है। इस प्रकार, वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रणाली है, जिसमें बाजार क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और लगभग महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है।

जैसा कि मुसग्रेव्स टिप्पणी करते हैं, "सरकार की व्यापकता राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं की उपस्थिति को दर्शा सकती है जो उपभोक्ता की पसंद और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के परिसर से निकलती हैं। लेकिन यह कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तथ्य है कि अकेले बाजार तंत्र सभी आर्थिक कार्य नहीं कर सकता है। कुछ मामलों में इसे निर्देशित करने, सही करने और पूरक करने के लिए सार्वजनिक नीति की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को महसूस करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उचित आकार, एक महत्वपूर्ण डिग्री, एक वैचारिक मुद्दे के बजाय एक तकनीकी है।" कई कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बाजार संचालन के लिए आवश्यक संविदात्मक व्यवस्थाएं और एक्सचेंज सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनी ढांचे के संरक्षण और प्रवर्तन के बिना मौजूद नहीं हो सकते।
2. दावा है कि बाजार तंत्र कुशल संसाधन उपयोग की ओर जाता है (यानी, जो उपभोक्ता सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे सस्ते तरीके से करता है) प्रतिस्पर्धी कारकों और उत्पाद बाजारों की स्थिति पर आधारित है। इसका मतलब है कि मुक्त प्रवेश में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं और उत्पादकों को बाजार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन शर्तों को सुरक्षित करने के लिए सरकारी विनियमन या अन्य उपायों की आवश्यकता है।
3. भले ही प्रतिस्पर्धा की सभी बाधाओं को हटा दिया गया हो, उत्पादन या खपत कुछ वस्तुओं की विशेषताएं ऐसी होती हैं कि इन वस्तुओं को बाजार के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। "बाहरी लोगों" की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो "बाजार की विफलता" की ओर ले जाती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से समाधान की आवश्यकता होती है।
4. भविष्य (वर्तमान के सापेक्ष) खपत के मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली छूट की दर सार्वजनिक और निजी दृष्टिकोण से भिन्न हो सकती है।

5. बाजार प्रणाली, विशेष रूप से अत्यधिक विकसित वित्तीय अर्थव्यवस्था में, जरूरी नहीं कि उच्च रोजगार, मूल्य स्तर की स्थिरता और आर्थिक विकास की सामाजिक रूप से वांछित दर लाए। इन उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक नीति की आवश्यकता है।
6. सामाजिक मूल्यों को आय और धन के वितरण में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जो बाजार प्रणाली और विरासत के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होता है।

जैसा कि मुस्रेक्स आगे टिप्पणी करते हैं, "यह तर्क देने के लिए कि बाजार तंत्र की ये सीमाएं सार्वजनिक नीति के क्षतिपूर्ति उपायों के सुधार के लिए बुलाती हैं, निश्चित रूप से, कोई भी नीतिगत उपाय जो किया जाता है वह वास्तव में आर्थिक प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार करेगा। सार्वजनिक नीति, निजी नीति से कम नहीं, त्रुटिपूर्ण और अक्षम हो सकती है।"

महामंदी के बाद से, मुख्य रूप से बाजार अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों द्वारा किए गए स्थिरीकरण, आवंटन और वितरण कार्यों में वृद्धि हुई है। हालाँकि, राज्य नियंत्रण की सीमा और नियंत्रण के प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति और चरण, निजी क्षेत्र के व्यवहार, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक प्रणाली आदि के आधार पर राष्ट्रों के बीच व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

यहां तक कि बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, उद्यमों और यहां तक कि पूरे कुछ उद्योगों का राज्य स्वामित्व असामान्य नहीं है। इन देशों में सार्वजनिक उपयोगिताएँ या तो राज्य के मजबूत नियंत्रण में हैं या राज्य के स्वामित्व में हैं। इनमें से कुछ देशों में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण उद्योगों में उद्यमों के मालिक होने की प्रवृत्ति भी रही है। यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), कनाडा, आदि के सदस्यों के लिए सच था। हालांकि, 1970 के दशक के उत्तरार्ध से, प्रवृत्ति निजीकरण की रही है।

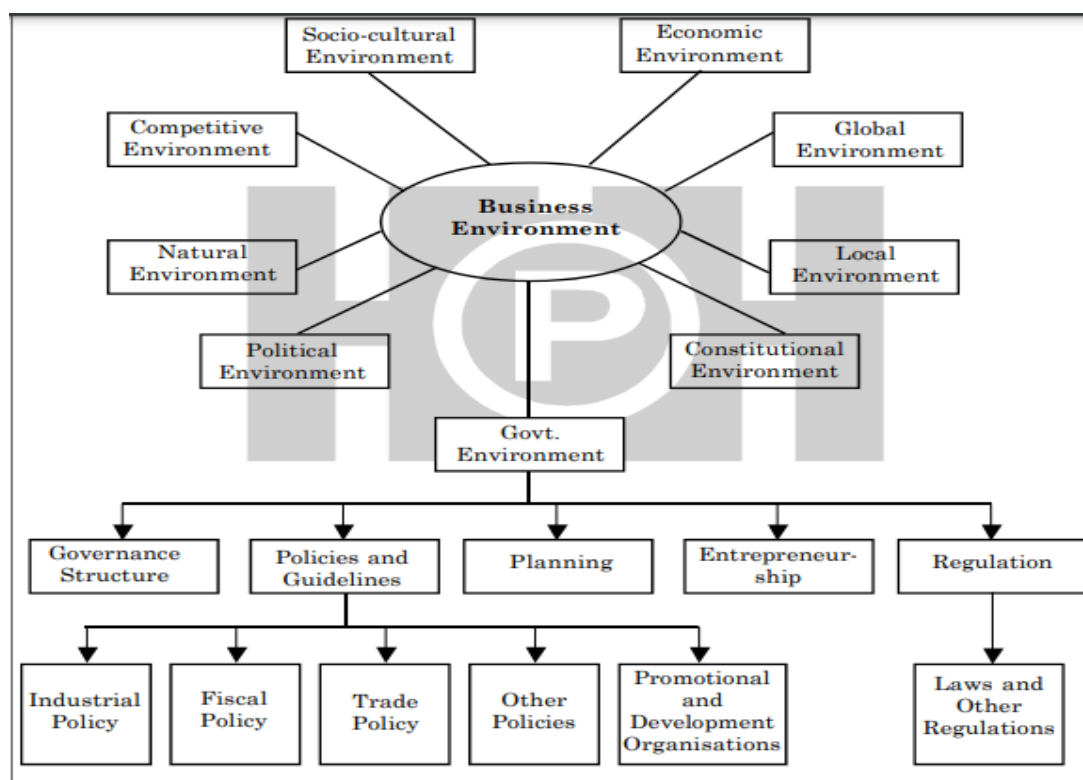


Fig. 1.1: Business and Government — A Component of Business Environment

यह अक्सर राजनीति है जो आर्थिक और व्यावसायिक नीतियों को निर्धारित करती है जो व्यापार के लिए राजनीतिक वातावरण के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालती है। राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक दलों की विशेषताओं और नीतियों, संविधान की प्रकृति और सरकारी प्रणाली और आर्थिक और व्यावसायिक नीतियों और विनियमों को शामिल करने वाले सरकारी वातावरण जैसे कारक शामिल हैं। ये कारक अलग-अलग राष्ट्रों के बीच, एक ही राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों के बीच और अतिरिक्त समय के बीच काफी भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख आर्थिक नीतिगत फैसलों में अक्सर राजनीतिक आधार होते हैं। 1950 के दशक की शुरुआत में, कांग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक-आर्थिक दर्शन के रूप में समाज के समाजवादी पैटर्न के सिद्धांत को अपनाना, जिसने 1995 तक भारत पर शासन किया, एक संक्षिप्त अवधि (1977-1980) को छोड़कर, मुख्य रूप से जनता के लिए जिम्मेदार था। 1990 के दशक के प्रारंभ तक भारत में क्षेत्र प्रधान विकास रणनीति अपनाई गई। यह वास्तव में तत्कालीन यूएसएसआर और पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक माहौल में नाटकीय बदलाव है जिसने 1980 के दशक के अंत में उनकी आर्थिक नीतियों में भारी बदलाव को जन्म दिया। और इन घटनाओं ने 1991 में भारत की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रोत्साहित किया।

21वीं सदी के लिए प्रबंधन चुनौतियों में पीटर ड्रकर कहते हैं: "यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक इकाइयों के भीतर भी, राष्ट्रीय राजनीति अभी भी आर्थिक तर्कसंगतता को खत्म कर देती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बावजूद, बेल्जियम में एक पूरी तरह से निरर्थक संयंत्र को बंद करना और काम को केवल तीस मील दूर उसी कंपनी के फ्रांसीसी संयंत्र में स्थानांतरित करना राजनीतिक रूप से असंभव साबित हुआ है, लेकिन एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ।" कई राजनीतिक निर्णयों के गंभीर आर्थिक और व्यावसायिक निहितार्थ होते हैं। सत्तारूढ़ दल की आर्थिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत में, कम्युनिस्ट और अन्य वामपंथी राज्य पूंजीवाद का समर्थन करते थे और निजी पूंजी के खिलाफ थे, खासकर विदेशी।

7.2 अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका (Role of Government in the economy)

समग्र अर्थव्यवस्था और व्यापार परिदृश्य में सरकार की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। पारंपरिक अर्थों में, किसी भी सरकार की भूमिका कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, देश को बाहरी हमले से बचाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, रक्षा-उत्पादन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक उपयोगिताओं पर नियंत्रण रखने की रही है। ये भूमिकाएँ व्यवसाय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के संदर्भ में थीं ताकि आंतरिक वातावरण व्यवसाय के लिए अनुकूल बना रहे।

लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे इस पारंपरिक भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव आया। 1917 की रूसी क्रांति, 1929 की विश्व मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, नियोजित आर्थिक विकास पर जोर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्होंने इस विचार को जन्म दिया कि व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए और व्यवसाय द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कार्य के निर्वहन की दृष्टि से व्यापार जगत में सरकार की निष्क्रिय भूमिका को सक्रिय भूमिका में परिवर्तित कर दिया गया। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की गति को तेज करने और बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण विचार था। इस सक्रिय भूमिका का अर्थ यह नहीं है कि राज्य व्यवसाय को समग्रता में ले लेता है।

चूंकि सरकार की भूमिका व्यवसाय करने से हट गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवसाय ध्वनि तर्ज पर चल रहा है, भूमिका ने चार आयाम ग्रहण किए हैं - नियामक, प्रचार, उद्यमशीलता और योजना। इन चार भूमिकाओं के पीछे का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि संतुलित आर्थिक विकास की योजना संवैधानिक ढांचे के भीतर इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि सार्वजनिक उपयोगिताओं और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण हो।

इन चार आयामी भूमिकाओं के अलावा राज्य व्यापार और उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने में भी हस्तक्षेप करता है। यह सहायता अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संकट और तकनीकी जटिलताओं के कारण उचित है। प्रत्यक्ष सहायता सुरक्षा प्रदान करने, वित्तीय सहायता, तकनीकी सलाह, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता, औद्योगिक प्रशिक्षण और कर प्रोत्साहन के रूप में हो सकती है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष सहायता के पीछे का विचार अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना है।

आइए हम सरकार द्वारा निभाई गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं (Regulating Roles) पर विस्तार से चर्चा करें:- व्यवसाय को विनियमित करने का मूल उद्देश्य (i) बाजार संरचना को एकाधिकार बनने से रोकना, (ii) छोटे और नए उद्यमियों का विकास करना, और (iii) समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

नियामक भूमिका में सरकार द्वारा देश की आर्थिक और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करना शामिल है। विनियमन का अर्थ है व्यवसाय के संचालन में सहायता के उद्देश्यों के साथ निर्देशन करना। इसमें नियंत्रण शामिल हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा सामान्य मानदंड और मानक निर्धारित किए जाते हैं। यह सार्वजनिक उपयोगिता लाभ, लाभांश पर उच्चतम सीमा और अतिरिक्त लाभ कर लगाने पर प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता है। विनियमन के माध्यम से कम हाथों में आर्थिक शक्ति की अनुचित एकाग्रता और कम क्षेत्रों में व्यापार की एकाग्रता को भी नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रबंधन और श्रम के बीच के संघर्षों को सुलझाना भी है।

पूरे नियमन पर व्यवसाय को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है ताकि प्रगति सामाजिक न्याय के अनुरूप हो। व्यवसाय को विनियमित करते समय दो सावधानियां आवश्यक हैं। पहला, कानूनी विनियमन अत्यधिक नहीं होना चाहिए और दूसरा, विनियमन दक्षता के साथ किया जाना चाहिए। यदि इन दो सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा गया तो विनियमन आर्थिक विकास को गति देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो सकता है।

7.3 व्यापार पर सरकार का नियंत्रण (Government control over business)

व्यापार पर सरकारी विनियमन वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सकता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रकृति में कठोर और सामग्री में विवेकाधीन होते हैं। सरकार अपने विवेक से सूक्ष्म स्तर पर फर्म से फर्म या उद्योग से उद्योग तक सीधे तौर पर व्यवसाय को नियंत्रित करती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मुख्य औचित्य यह है कि चूंकि निजी उद्यम में सामाजिक न्याय के संदर्भ में कुछ खामियां हैं, इसलिए आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दर्शन को सही ठहराने के लिए उनकी गतिविधियों को विनियमन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली इस औचित्य पर आधारित है कि चूंकि बाजार तंत्र सामाजिक अनुकूलन के लिए डराने वाले संसाधनों को आवंटित करने में विफल रहता है, इसलिए इसे विधिवत विनियमित किया जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रकृति में अप्रत्यक्ष हैं और वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों, प्रोत्साहनों, दंडों और पुरस्कारों के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। निर्यातोन्मुखी उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार आयात के स्तर को कम करने की दृष्टि से उच्च आयात शुल्क लगाया जा सकता है।

नियामक नियंत्रण अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब ऐसा नियंत्रण अत्यधिक न हो और साथ ही इसे प्रभावी ढंग से किया जाए। उदाहरण के लिए, भारत में नियामक नियंत्रण निम्नलिखित तरीकों से प्रयोग किया जाता है:

- i) **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** इसका मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों को विनियमित करना है। इस अधिनियम के माध्यम से
 - a) उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है;

- b) आर्थिक शक्ति की एकाग्रता नियंत्रित होती है;
 - c) संसाधनों को ठीक से आवंटित किया जाता है; तथा
 - d) नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- a) अनुसूचित उद्योगों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करने और नियंत्रित करने वाले निषेधात्मक प्रावधान;
 - b) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण और आपूर्ति और वितरण प्रणाली और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक प्रावधान;
 - c) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, समीक्षा उप समितियों, स्थायी समितियों, विकास बोर्ड और औद्योगिक सलाहकार समूह की स्थापना के रूप में रचनात्मक प्रावधान।
- ii) **औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली:** इस प्रणाली का उद्देश्य नए उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करना और मौजूदा उद्योगों की क्षमता में वृद्धि करना है। 1980 के बाद इस प्रणाली के प्रावधानों को सरल और उदार बनाने के लिए कई प्रयास किए गए।
 - iii) **कैपिटल इश्यू पर नियंत्रण:** कैपिटल इश्यू (कंट्रोल) एक्ट, 1947, कैपिटल इश्यू के कंट्रोलर के अनुमोदन के लिए प्रदान किया गया। यह राजधानी को सही दिशा में ले जाने की दृष्टि से प्रदान किया गया था। लेकिन 1991-92 के दौरान इस नियंत्रण में काफी ढील दी गई। अब पूंजी नियंत्रण प्रावधान भारतीय प्रतिभूति और निवेश बोर्ड के दायरे में हैं।
 - iv) **मूल्य नियंत्रण:** केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कीमतों को नियंत्रित करती हैं।
 - v) **वितरण तंत्र:** दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से नियंत्रित और नियंत्रित किया जाता है।
 - vi) **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम:** यह 1956 से परिचालन में है और इसका उद्देश्य कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर को विनियमित करना है। यह विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। 1995 तक 25 स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा सरकार ने ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (OTCEI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना की है।
 - vii) **एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969:** इसके प्रमुख उद्देश्य थे (a) आम नुकसान के लिए आर्थिक शक्ति की एकाग्रता की रोकथाम, और (b) एकाधिकार का नियंत्रण। प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाएं जो जनहित के प्रतिकूल हैं। 1982, 1984, 1985 और 1991 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
 - viii) **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973:** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (1999) इन दोनों अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का विनियम एवं प्रबंध करना रहा है।
 - ix) **विदेश व्यापार का विनियमन और संवर्धन:** निर्यात और आयात नीति (एक्जिम नीति) भारत की विदेश व्यापार नीति को दर्शाती है। नीति ज्यादातर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदान किए गए नियामक ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
 - X) **औद्योगिक नीति:** भारत में, 1948 में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है। 1956, 1973, 1977, 1980, 1990 और 1991। इन नीतियों के माध्यम से निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र में पड़ने वाले उद्योगों के विकास के संबंध में विभिन्न घोषणाएं व्यापार हैं। क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र।

- xi) **कंपनियों का विनियमन:** कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पूंजी निर्गम, लाभांश वितरण, ऋण और अग्रिम, शेयर पूंजी और अन्य मामलों का प्रबंधन शेयरधारकों और लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।
- xii) **लाहौर मामले:** सरकार द्वारा शोषण या श्रम की सुरक्षा और रोकथाम के लिए विभिन्न वैधानिक उपाय किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं: कारखाना अधिनियम, 1948, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1975 और औद्योगिक विवाद अधिनियम। 1947.
- xiii) **वाणिज्य अधिनियम:** व्यापार और व्यवसाय के संचालन संबंधी पहलुओं जैसे विधायी अधिनियमों जैसे विधायी अधिनियमों को विनियमित करने की दृष्टि से। भारतीय अनुबंध अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम, आदि सरकार द्वारा पारित किए गए हैं।
- xiv) **विविध नियामक अधिनियम:** इसके अलावा, व्यापार और वाणिज्यिक वस्तु विपणन अधिनियम, 1959, कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) एसीएल, 1959, जैसे व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को छूने वाले विभिन्न अधिनियम, मानकीकृत बाट और माप अधिनियम, 1956, बैकिंग अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि भी पारित किए गए हैं।

7.4 सरकारी नियामक ढांचा (Government Regulatory Framework)

निरूपण और व्याख्या विकास के दो पहलू हैं। नियामक ढांचा पुल प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, योजनाओं की प्रभावशीलता न केवल रास्ते पर निर्भर करती है जिसमें इसे निरूपित किया गया है, लेकिन इसे किस तरीके से लागू किया गया है, इस पर विचार किया। के लिये पूर्ण रूप से इसे विधायी समर्थन की आवश्यकता है। यह विधान: समर्थन अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है आर्थिक और राजनीतिक-कानूनी वातावरण के बीच। धारा 5.3 के तहत विभिन्न नियामक उपायों पर चर्चा की गई है। नीचे विभिन्न बुनियादी विधानों की एक सूची दी गई है जो सरकार द्वारा अधिक उत्पादक और सहायता में सरकार की भूमिका निभाने के लिए अधिनियमित किया गया है अर्थपूर्ण।

1. **एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969:** इस अधिनियम के तीन उद्देश्य हैं:
 - (i) कुछ में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए व्यापार और उद्योग के हाथ,
 - (ii) एकाधिकार और एकाधिकार व्यापार के लिए प्रथाओं,
 - (iii) प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए जनहित में किसी को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है
2. **कंपनी अधिनियम, 1956:** भाभा समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी अधिनियम के पांच उद्देश्य हैं:
 - (i) व्यवसाय के न्यूनतम मानक को बनाए रखने के लिए कंपनियों के प्रचार और प्रबंधन में सत्यनिष्ठा और आचरण,
 - (ii) निष्पक्ष और पूर्ण कंपनी के मामलों से संबंधित सभी उचित जानकारी का प्रकटीकरण,
 - (iii) से शेयरधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और नियंत्रण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ब्याज,
 - (iv) कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन को लागू करने के लिए,
 - (v) उन कंपनियों के मामलों में हस्तक्षेप करना और जांच करना जो शेयरधारकों और जनता के हितों के खिलाफ प्रबंधित की जाती हैं।

3. **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947:** विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947: इस अधिनियम में 1957, 1965 में संशोधन किया गया था 1973 नवीनतम संशोधनों के अनुसार इसका उद्देश्य
 - (i) गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है बहुराष्ट्रीय व्यवसाय का,
 - (ii) विदेशी पूंजी का प्रवाह, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय उद्यम, और
 - (iii) विदेशी सहयोग और संयुक्त उद्यम।
4. **कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट, 1956 और सिक्क्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट:** ये दो अधिनियम सरकार की दोहरी भूमिकाओं को प्रवर्तक और संरक्षक के रूप में मान्यता देते हैं क्रमशः पूंजी बाजार और शेयरधारक। उनका उद्देश्य एक कुशल सुनिश्चित करना है उत्पादक निवेश उपक्रमों में दुर्लभ पूंजी संसाधनों का आवंटन
5. **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1974:** इसका उद्देश्य उचित आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करना है आवश्यक वस्तुओं की और असामाजिक तत्वों के खिलाफ निर्देशित है। जैसे अनाज के जमाखोर, मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले।
6. **बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1975:** यह एक की स्थापना का प्रावधान करता है राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों के चयन के लिए आयोग:
7. **औद्योगिक संबंध अधिनियम 1978:** इसका उद्देश्य औद्योगिक संबंधों में सुधार करना है देश।
8. **बीमार कपड़ा। उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974:** इसके लिए प्रावधान किया गया बढ़ाने के उद्देश्य से 103 रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उचित मूल्य पर उत्पादन एवं वितरण।
9. **शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976:** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनर्जित आय और धन के वितरण में बढ़ती असमानताओं को जोड़ना है। यह भविष्य के घरों के प्लिंथ क्षेत्र पर एक सीलिंग निर्दिष्ट करता है और किसी भी शहरी संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण पर सरकारी नियंत्रण लगाता है।
10. **कंपनी (लाभांश पर अस्थायी प्रतिबंध) अधिनियम, 1974:** अधिनियम का उद्देश्य सलाहकार खर्च पर अंकुश लगाना और अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान करता है कि कुछ कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश कर के बाद शुद्ध लाभ के एक तिहाई या कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर 12 प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
11. **प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विधेयक, 1990:** इसके तहत विधायी उपायों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सहभागी प्रबंधन को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया है।
12. **रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985:** इस अधिनियम में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना का प्रावधान है। इसका उद्देश्य बीमार होने का दावा करने वाली कंपनियों के प्रबंधन और वास्तविक स्थिति की जांच करना है।
13. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:** इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
14. **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** यह अधिनियम उद्योगों के विकास, विनियमन के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है ताकि इसे देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के अनुरूप लाया जा सके।

इस अधिनियम के तहत सरकार को देश के उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करने और देश के क्षेत्रीय विकास को संतुलित तरीके से लाने के उपाय करने का अधिकार है।

नियामक प्रावधानों के तीन भाग हैं -

i) प्रशासनिक ii) नियंत्रण iii) परामर्श।

i) प्रशासनिक प्रावधानों को कभी-कभी प्रकृति में प्रतिबंधात्मक कहा जाता है और उनका पालन उद्योगों के लिए अनिवार्य है। डिफॉल्ट पैनल के मामले में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

ii) नियंत्रण के प्रावधान प्रकृति में उपचारात्मक हैं और उनके संचालन को नियंत्रित करने का प्रावधान करते हैं। सरकार ने आपूर्ति, वितरण, कीमतों और प्रबंधन पर भी नियंत्रण का प्रयोग किया।

iii) परामर्श प्रावधान विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करने और संभावित समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों वाले विभिन्न सलाहकार निकायों की स्थापना के लिए प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे सलाहकार निकाय हैं: केंद्रीय सलाहकार परिषद, केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति, समीक्षा उप-समिति, विकास परिषद। उन मामलों में जहां विकास परिषदों की स्थापना संभव नहीं है, औद्योगिक पैनल स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

कुछ सबसे महत्वपूर्ण विधायी उपायों की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने भारत में व्यापार के नियमन के लिए एक बहुत ही ठोस, व्यापक और संपूर्ण नियामक ढांचा प्रदान किया है। लेकिन मुख्य समस्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में है। हमारे पास बहुत से कानून हैं, लेकिन उनका पालन संदिग्ध है।

अनेक विधायी अधिनियमों के बावजूद हम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए कुछ ऐसी मशीनरी विकसित करने की आवश्यकता है जो उनके पालन को सुनिश्चित कर सके।

7.5 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध (Center State financial relations):

भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र- राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं।

केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। संविधान निर्माताओं ने इन तीनों सिद्धांतों में समन्वय करने की अद्भुत चेष्टा की है।

वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है। योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय राज्यों को वित्तीय संकट से मुक्ति पाने के लिये केंद्रीय अनुदान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राज्यों को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

स्विटजरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है।

केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-

संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 286, 287, 288 तथा 289 में केंद्र तथा राज्य सरकारों को एक-दूसरे द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है और उन्हें कुछ करों से भी मुक्ति प्रदान की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को शरण लेने का अधिकार भी प्रदान करते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 265 यह प्रबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर शपथ या संग्रहीत नहीं किया जा सकता।

संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच निम्न तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया गया है-

संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है।

राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है।

समवर्ती सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को कर निर्धारण का पूर्ण अधिकार है।

80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र-राज्य के बीच कर राजस्व बँटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 88वें संशोधन से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 D जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। हालाँकि 101वें संविधान संशोधन द्वारा नए अनुच्छेद 246 A, 269 A एवं 279 A को शामिल किया गया और अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया।

आयात और निर्यात पर लगाने वाले अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केंद्र को ही समस्त शक्ति प्राप्त है जबकि राज्य वस्तुओं की बिक्री पर अप्रत्यक्ष कर लगा सकता है।

अनुच्छेद 266 में संचित निधि एवं अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रबंध किया गया है।

अनुच्छेद 274 यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों, जिनसे राज्य का हित जुड़ा हो, के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी।

जीएसटी से प्रभावित संवैधानिक अनुच्छेद-

246A - इसमें केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इसमें सीजीएसटीआई एवं जीएसटी के संबंध में केंद्र को व एसजीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है।

269A - इसके तहत आईजीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके तहत अंतर - राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी जिसे बाद में राज्यों को बाँट दिया जाएगा।

279A - यह जीएसटी परिषद की संरचना व गठन का प्रावधान करता है।

वित्त आयोग-

वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए।

15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था ताकि उसके द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की 5 वर्षीय अवधि हेतु सुझाव दिया जा सके। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

1. 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पूर्ववर्ती आयोग की सिफारिशों को सुरक्षित रखा है। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्तीय वर्ष 2020 -21 हेतु राज्यों के लिये 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है जो कि अब तक 42% थी।
2. केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
3. वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती साधारणतया पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्से के बराबर है।
4. वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है जो कि अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व का 4.31 प्रतिशत है।

ध्यातव्य है कि 2020 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिये जाएंगे-

राजस्व घाटा अनुदान

स्थानीय निकाय अनुदान

आपदा प्रबंधन अनुदान

5. आयोग ने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के लिये कानूनी मसौदा बनाने हेतु एक विशेष समिति गठित करने का सुझाव दिया है ताकि एक वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके।
6. आयोग ने क्षमता बढ़ाने पर भी सुझाव दिये हैं-
कर आधार को बढ़ाया जाए
कर दरों को सुव्यवस्थित किया जाए
सरकार के सभी स्तरों पर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए।
7. केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी हेतु आयोग ने मानदंड तैयार किये हैं जिसमें आय-अंतर, जनसंख्या प्रदर्शन, वन और परिस्थितिकी, कर संबंधी प्रयास आदि शामिल हैं।

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण संघ सरकार अधिनियम, 1935 की पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान निर्माताओं का यह मत था कि केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध लचीली व बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हों। इस प्रयोजन हेतु एक वित्त आयोग की स्थापना का उपबंध भी किया गया।

किसी भी परिसंघीय संविधान में इस तरह की कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों में राजस्व का समयानुकूल समायोजन और वितरण होता रहे। यह व्यवस्था भारतीय संविधान का मौलिक योगदान है।

7.6 सारांश (Summary)

राज्य, यानी, सरकार, बाजार अर्थव्यवस्थाओं सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है, यद्यपि, राज्य के हस्तक्षेप की सीमा और प्रकृति राष्ट्रों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है।

राज्य के कार्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तक भिन्न होते हैं। सरकार के कार्यों को एक निरंतरता के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है, उन गतिविधियों से जो राज्य के हस्तक्षेप के बिना बिल्कुल भी नहीं ली जाएंगी, जिसमें राज्य बाजारों के समन्वय या परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में सक्रिय भूमिका निभाता है।

सरकार की आर्थिक भूमिकाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। **चित्र 1.2** राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों और आर्थिक भूमिकाओं का एक सारांश दृश्य प्रस्तुत करता है।

विधायी और प्रशासनिक संबंधों की भाँति वित्तीय क्षेत्र में भी संघ सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है किंतु राज्यों को भी पर्याप्त सहायता व स्वायत्तता प्रदान की गई है।

Functions of Government	Economic Roles of Government
Basic Functions These include the pure public goods such as the provision of property rights, macroeconomic stability, control of infectious diseases, safe water, roads, and protection of the destitute.	Regulatory Role Regulation may cover a wide spectrum extending from entry into a business through the conduct of the business to final results of the business, and also the exit. Regulation is very important for the proper functioning of a market economy.
Intermediate Functions These, include matters such as management of externalities (e.g.: pollution), regulation of monopolies, and the provision of social insurance (pensions, unemployment benefits).	Entrepreneurial Role Direct participation of government in business was very common particularly in the socialist and developing countries. Reasons included ideological and dearth of private entrepreneurship and capital. Privatisation, however, has become widespread since the mid-1980s.
Activist Functions These involve measures to stabilize and promote markets and to redistribute assets/income.	Planning Role The national necessity for proper utilisation of scarce resources and prioritization of development objectives and ideological reasons have made this an important role of governments in the developing and socialist countries.
	Promotional Role This is also more important in developing countries than in the developed because speedy development of the industry and commerce and the economy requires the development of the infrastructure, including facilitating organisations.

Figure 1.2: Functions and Economic Roles of Government

7.7 शब्दकोष (Glossary)

राज्य और सरकार की कुछ अवधारणायें :

राज्य, अपने व्यापक अर्थों में, संस्थाओं के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसके पास वैध बल प्रयोग के साधन होते हैं, एक परिभाषित क्षेत्र पर प्रयोग किया जाता है और इसकी आबादी को समाज के रूप में संदर्भित किया जाता है। राज्य एक संगठित सरकार के माध्यम से अपने क्षेत्र में शासन करने का एकाधिकार करता है।

सरकार को आमतौर पर शक्तियों के तीन अलग-अलग नाम होते हैं , जिनमें से प्रत्येक की अपनी नियत भूमिका होती है। एक है विधायिका, जिसकी भूमिका कानून बनाने की होती है। दूसरा कार्यपालिका, कभी कभी सरकार का संदर्भित रूप जो कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरी न्यायपालिका है, जो कानून की व्याख्या और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

सरकार के कई वर्गीकरण हैं लेकिन दो मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है; कार्यालयों की व्यवस्था, जो अवधारणा में अधिक संकीर्ण है, और सरकार और शासित के बीच संबंध।

पहला वर्गीकरण कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों पर आधारित है। **संसदीय प्रणाली** में, कार्यपालिका का पद पर बने रहना विधायिका के समर्थन को बनाए रखने पर निर्भर करता है। कार्यपालिका के सदस्य सामान्यतः विधायिका के सदस्य भी होते हैं। एक प्रधान मंत्री कार्यपालिका का सबसे शक्तिशाली सदस्य हो सकता है, लेकिन कार्यपालिका के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय आमतौर पर मंत्रियों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं। **राष्ट्रपति प्रणाली** में कार्यपालिका की स्थिति विधायिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका के सदस्य सामान्य रूप से विधायिका के सदस्य भी नहीं होते हैं, और कार्यपालिका के भीतर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति, राष्ट्रपति के पास होता है।

दूसरा वर्गीकरण सरकार के स्तरों के बीच शक्ति के वितरण पर केंद्रित है। **एकात्मक राज्य** में, कानून बनाने का सारा अधिकार एक सर्वोच्च विधायिका में निहित होता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश को कवर करता है। स्थानीय विधायिका मौजूद हो सकती है, लेकिन केवल राष्ट्रीय विधायिका की पीड़ा के साथ। एक संघीय राज्य में, स्थानीय विधायिकाओं को कम से कम स्वायत्त निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के उपाय की गारंटी दी जाती है। एक परिसंघ में, संप्रभु राज्यों का एक समूह निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए गठबंधन करता है, लेकिन प्रत्येक राज्य अपनी संप्रभुता बरकरार रखता है।

7.8 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Questions)

1. सरकार की नियामक भूमिका की प्रकृति और निहितार्थ की व्याख्या करें?
Explain the nature and implications of regulatory role of government?
2. व्यवसाय में सरकार की नियामक भूमिका की संरचना में कौन-कौनसी समस्याएं आती हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
What problems arise in the structure of the regulatory role of government in business?
How can they be removed?
3. उन चार आयामों का उल्लेख कीजिए जिन्हें सरकार की भूमिकाएं मानती हैं।
Mention the four dimensions that the roles of the government consider.
4. मूल उद्देश्य या व्यवसाय को विनियमित करने वाले क्या हैं?
What are the basic objectives or those regulating the business?

7.9 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- Cherunilam Francis Dr. (2012) “**Business and Government**”, Himalayan Publishing House, 15th Revised Edition, 2012. <http://www.himpub.com/documents/Chapter689.pdf>
- Marshall E. Dimock, “**Business and Government**”, New York: Holt, Rhinemann and Winston Inc. 1960, p. 1.

- R. A. Musgrave and P. B. Musgrave, “**Public Finance in Theory and Practice**”, McGrawHill Kogakusha Ltd., Tokyo, 1976, p. 5.
- R. A. Musgrave, “**The Theory of Public Finance**”, Kogakusha Ltd., Tokyo, 1959, p. 3.

7.10 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Maguire M., Wilson G. (2017) “**Introduction to Business and Government**”, Semantic Scholar, November 2017. scholar.org/paper/Introduction-to-Business-and-Government-%E2%88%97-Maguire-Wilson/6fa10bedc1559c8d383ea343d791b007f2c71c17
- Grant Wyn, Coen David (2016) “**Business and Government: Introduction**”, Research Gate, November 2016.
https://www.researchgate.net/publication/312383463_Business_and_Government_Introduction

7.11 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/ Links)

- <https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper2/center-state-financial-relations>
- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/12650/1/Unit-5.pdf>

इकाई – 8

औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 8.0 उद्देश्य
- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 औद्योगिक नीति का अभिप्राय
- 8.3 औद्योगिक नीति का उद्देश्य एवं महत्व
- 8.4 स्वतंत्रता से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति
- 8.5 स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक नीति
 - 8.5.1 औद्योगिक नीति, 1948
 - 8.5.2 औद्योगिक नीति, 1956
 - 8.5.3 औद्योगिक नीति, 1977
 - 8.5.4 औद्योगिक नीति, 1980
 - 8.5.5 औद्योगिक नीति, 1985
 - 8.5.6 औद्योगिक नीति, 1991
- 8.6 औद्योगिक नीति, 1991 में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन
- 8.7 वर्तमान में औद्योगिक नीति का परिदृश्य
- 8.8 सारांश
- 8.8 अधिगम परिणाम
- 8.9 शब्दकोष
- 8.10 स्व-परख प्रश्न
- 8.11 संदर्भ/ग्रंथसूची
- 8.12 अन्य पठन सामग्री
- 8.13 वेब संसाधन/लिंक

8.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- औद्योगिक नीति का अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व को जान पायेंगे।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति का ज्ञान हो पायेगा।
- स्वतन्त्रता के बाद भारत की विभिन्न औद्योगिक नीतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- औद्योगिक नीति (नवीन), 1991 में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी हो सकेगी।
- वर्तमान समय में भारत में औद्योगिक नीति का परिदृश्य क्या है? इसे समझ सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तीव्र आर्थिक विकास का सपना संजोया था। भारत ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण का रास्ता अपनाया था। औद्योगिक नीतियाँ और नियम मूल रूप से व्यवसाय एवं व्यापार के अवसरों एवं चुनौतियों को निर्धारित करते हैं। सरकार ने व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ सीमाएँ और मानदंड भी निर्धारित किए हैं। भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों और विनियमों ने न केवल औद्योगिक क्षेत्र अपितु, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के विकास के पैटर्न और गति को भी प्रभावित किया है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक उचित एवं प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति में बड़े व लघु उद्योग, विदेशी पूँजी, श्रम व पूँजी, तकनीक एवं कर प्रणाली सम्बंधित सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक नीति एक उपकरण है, जिसकी सहायता से सरकार अर्थव्यवस्था एवं औद्योगीकरण की विकास प्रक्रिया में भाग लेती है। देश में उचित औद्योगिक वातावरण की स्थापना करने, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने तथा औद्योगिक इकाईयों को विनियमित (Regularise) करने के लिए एक श्रेष्ठ औद्योगिक नीति का निर्माण आवश्यक होता है।

8.2 औद्योगिक नीति का अभिप्राय (Meaning of Industrial Policy)

औद्योगिक नीति देश के औद्योगिक विकास का ढाँचा तैयार कर समृद्ध एवं स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः सरकार की औद्योगिक नीति स्पष्ट एवं सुपरिभाषित तथा प्रगतिशील होनी चाहिए। औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए।

साधारण अर्थ में, औद्योगिक नीति का आशय देश की सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों की एक ऐसी औपचारिक घोषणा से है, जिसमें सरकार समस्त उद्योगों की स्थापना व विकास हेतु सामान्य नीति अपनाते हुए राजकीय सिद्धान्त, नियम व नीतियों को सम्मिलित करती है। **प्रो. ए. एन. अग्रवाल** के मतानुसार, “औद्योगिक नीति से आशय उन सभी बातों को समाविष्ट करने वाली वह विचारधारा है जो उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए नीतिगत संरचना और क्रियान्वयन के उपकरण प्रदान करती है।”

8.3 औद्योगिक नीति के उद्देश्य एवं महत्व (Objectives and Importance of Industrial policy)

औद्योगिक नीति के उद्देश्य एवं महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है:-

1. **प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग:** औद्योगिक नीति द्वारा देश के अपने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग कर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों के अन्तर्गत भूमि, जलवायु,

पानी, वन, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के साधन जैसे- कोयला, पेट्रोल, गैस आदि शामिल किए जाते हैं। औद्योगिक नीति प्राकृतिक साधनों के वृहत्तर उपयोग में सहायक होती है।

2. **सन्तुलित आर्थिक विकास:** देश के आर्थिक विकास में आशातीत वृद्धि के लिए छोटे एवं बड़े उद्योगों का विकास किया जाता है। औद्योगिक नीति में देश के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर एवं औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर तथा उनको देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़कर आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाया जाता है। अतः औद्योगिक नीति द्वारा देश के सभी भागों का सन्तुलित विकास किया जा सकता है।
3. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** किसी देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था व बेरोजगारी की स्थिति वहाँ के आर्थिक विकास, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विचारों के विस्तार के स्तर पर निर्भर करती है। औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगीकरण द्वारा देश में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। छोटे व बड़े उद्योगों के विकास हेतु नीति एवं प्रावधानों का निर्माण कर मजबूत आधार तैयार किया जाता है। अतः औद्योगिक नीति द्वारा उद्योगों के विस्तार द्वारा देश में विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर विकसित किए जाते हैं।
4. **नवीन तकनीक द्वारा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन:** सभी देश अपनी क्षमतानुसार नवीनतम तकनीकों की खोज एवं आविष्कार के कार्य में लगे हुए हैं। औद्योगिक नीति में शोध एवं विकास कार्य हेतु सरकार द्वारा वित्त व्यवस्था की जाती है। औद्योगिक नीति में स्वदेशी तकनीक एवं आयातित तकनीक में सन्तुलन स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र में नवीन तकनीक के प्रयोग से आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर होता है तथा उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के निर्माण से औद्योगिक समूहों को प्रतिस्पर्धा में लाभ प्राप्त होता है।
5. **क्षेत्रीय असमानता को कम करना:** औद्योगिक नीति के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद मिलती है। यह कृषि एवं उद्योगों के बीच सन्तुलन स्थापित करती है। इसी प्रकार छोटे व बड़े उद्योग, शहरी व ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों के विकास हेतु औद्योगिक नीति में ठोस एवं दीर्घगामी कदम उठाये जाते हैं। देश का सन्तुलित विकास करना औद्योगिक नीति का प्रमुख ध्येय होता है।
6. **औद्योगिक शांति:** देश में औद्योगिक शांति व अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण में औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार की औद्योगिक नीति के प्रावधान अस्पष्ट एवं श्रम विरोधी है तो देश में औद्योगिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक अशांति से उद्योगों के उत्पादन में गिरावट होती है। अतः श्रम, पूँजी एवं सरकार के मध्य मधुर संबंधों के निर्माण से औद्योगिक विकास को गति मिलती है।
7. **बड़े एवं लघु उद्योगों के मध्य समन्वय:** औद्योगिक नीति बड़े पैमाने के उद्योग एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के मध्य सन्तुलित एवं समन्वित विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। औद्योगिक नीति इन उद्योगों के मध्य परस्पर आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करती है तथा प्रतिस्पर्धा को दूर करने का प्रयास करती है।
8. **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सीमा का रेखांकन:** औद्योगिक नीति के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जाता है ताकि दोनों क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सके। निजी क्षेत्र पर नियन्त्रण रखने हेतु औद्योगिक नीति में स्पष्ट दिशानिर्देश पूर्व में ही तय कर दिये जाते हैं जिससे निजी क्षेत्र अपनी सीमा में रहकर देश के औद्योगिक विकास में सहयोग कर सके।

9. **विदेशी विनियोग को आकर्षित करना:** औद्योगिक नीति विदेशी पूँजी एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करती है। इसके माध्यम से देश का तीव्र औद्योगिक विकास संभव होता है। स्पष्ट एवं उचित औद्योगिक नीति देश में विदेशी विनियोग एवं सहयोग के खतरों या समस्याओं पर नियन्त्रण में सहायता प्रदान करती है।
10. **आधारभूत ढाँचे का विकास:** औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढाँचे (Infrastructure) का पर्याप्त एवं समुचित विकास होना आवश्यक है। औद्योगिक नीति के द्वारा सरकार देश में आधारभूत संरचना का निर्माण करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र के सहयोग एवं साझेदारी को प्रोत्साहित कर आधारभूत ढाँचे का विकास किया जाता है।
11. **अन्य उद्देश्य एवं महत्व**
- (i) औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि को बनाये रखना।
 - (ii) मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।
 - (iii) देश की औद्योगिक इकाईयों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का भाव विकसित करना।
 - (iv) लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करना।
 - (v) देश में औद्योगिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करना।

8.4 स्वतंत्रता से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of India before Independence)

ब्रिटिश शासन के दौरान, विदेशी सरकार ने देश के उद्योग-व्यापार को बढ़ावा न देकर औद्योगीकरण के लिए निष्क्रिय एवं उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया था। तत्कालीन सरकार भारत को एक कृषि उपनिवेश एवं ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक उपग्रह में परिवर्तित करने पर आमादा थी। ब्रिटिश सरकार अपने औद्योगिक विकास के लिए भारतीय खाद्य और कच्चे माल के विकास में रुचि रख रही थी तथा बाजार के स्रोत के रूप में भारत को रखने सम्बन्धी नियमों पर जोर दे रही थी। रेलवे के निर्माण, चाय बागानों और कुछ सिंचाई कार्य को छोड़कर, उनका भारत में औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन दृष्टिकोण था। उन्होंने केवल उन क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार किया जिनसे उनके व्यापार एवं शासन को चलाने की अत्यन्त आवश्यकता थी।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस आर्थिक नीति में कुछ बदलाव आया था। भारतीय बाजार में बाहरी औद्योगिक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का डर, सैन्य समान की आपूर्ति की अनुपलब्धता, भारतीय पूँजीपतियों के सहयोग की इच्छा तथा युद्ध के प्रयासों ने ब्रिटिश शासन को कुछ आधारभूत और निर्यात योग्य सामान वाले उद्योगों की स्थापना के लिए एक अग्रणी नीति अपनाने के लिए मजबूर किया।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर 1916 में एक औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। सन् 1917 में इण्डियन एम्युनिशन बोर्ड का गठन किया गया था। तत्पश्चात् 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों को प्रान्तीय विषय बना दिया था। उद्योगों के संरक्षण की मांग को स्वीकार करते हुए तत्कालीन सरकार ने 1921 में शुल्ज आयोग की स्थापना की थी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय उद्योगों की सहायता के लिए विभेदात्मक संरक्षण नीति को सरकार ने अपने हाथ में लिया था।

इस नीति से कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन मिला था। इस दौरान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल एक उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने के लिए एक राजकोषीय आयोग का गठन किया गया था। इसने भारतीय बाजारों में आने वाली विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर घरेलू औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया था।

1924-1939 के बीच कई उद्योगों जैसे- वस्त्र, इस्पात एवं सीमेंट आदि को प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया गया था लेकिन, सरकार का दृष्टिकोण विकासवादी नहीं था बल्कि अंग्रेजों के हितों की सेवा करने के लिए था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास ने कुछ गति पकड़ी थी। सन् 1940 में औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड को स्थापित किया गया और 1943 में उद्योगों के समयबद्ध विकास के लिए योजना और विकास विभाग की स्थापना की गई। सन् 1945 में सर्वप्रथम एक औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। ब्रिटिश शासन में औद्योगिक नीति के नाम पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ जरूर की गईं लेकिन उन्होंने वही कार्य किये जो उनके देश के अनुकूल थे।

8.5 स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of India after Independence)

भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश का औद्योगिक ढाँचा बहुत ही कमजोर था जिसके प्रमुख कारण वित्त की कमी, कच्चे माल की कमी, तकनीक एवं मशीनों का अभाव, औद्योगिक अशांति, कुशल प्रबन्धकों का अभाव तथा सामान्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव इत्यादि थे। इस स्थिति के समाधान हेतु दिसम्बर, 1947 में औद्योगिक वातावरण की स्थापना करने हेतु सरकार ने एक औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक सुस्पष्ट औद्योगिक नीति के निर्धारण पर विचार मंथन हुआ था। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें जो सरकार को प्रस्तुत की गईं उनमें देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर रोक, उद्योगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हास व करों में छूट, सामाजिक न्याय एवं उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटना आदि प्रमुख थी। इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर सन् 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गयी।

8.5.1 औद्योगिक नीति, 1948 (Industrial Policy, 1948)

देश की आजादी के पश्चात् प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति के माध्यम से भारत में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार की स्थापना की थी। इस औद्योगिक नीति ने देश में औद्योगिक विकास की प्रकृति तथा स्वरूप को निर्धारित किया।

1. उद्देश्य: औद्योगिक नीति, 1948 के मुख्य उद्देश्य थे:-

- (i) ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, जिसमें सभी व्यक्तियों को न्याय एवं विकास के समान अवसर मिल सकें,
- (ii) देश के उपलब्ध संसाधनों के यथासंभव दोहन के माध्यम से जनता के जीवन-स्तर में तेजी से वृद्धि करना,
- (iii) रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना,
- (iv) उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करना,
- (v) निजी क्षेत्र के उद्योगों पर उचित नियन्त्रण, तथा
- (vi) एकीकृत आर्थिक नियोजन को अपनाना।

2. **उद्योगों का चार श्रेणी में वर्गीकरण:** बड़े स्तर के उद्योगों को चार वर्गों में विभजित किया गया :-
 - (i) **राज्य एकाधिकार वाले उद्योग:** इस प्रथम श्रेणी में वे उद्योग शामिल किए गये जिन पर राज्य का पूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया। इसमें अस्त्र-शस्त्र निर्माण उद्योग, अणु-शक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेलवे परिवहन आदि उद्योग सम्मिलित किए गए।
 - (ii) **मिश्रित क्षेत्र:** इस वर्ग में 6 मुख्य आधारभूत उद्योग सम्मिलित किए गए जैसे-लोहा तथा इस्पात, कोयला, वायुयान निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, खनिज तेल, तथा टेलीफोन तार एवं बेतार के कल-पुर्जे बनाने के उद्योग। इन उद्योगों में नई इकाईयाँ लगाने का अधिकार सरकार को दिया गया तथा पहले से स्थापित इकाईयों का प्रबन्ध व विकास 10 वर्षों तक निजी क्षेत्रों के हाथ में सौंपा गया लेकिन, 10 वर्षों के बाद यदि सरकार उपयुक्त समझे तो इनका राष्ट्रीयकरण कर सकेगी।
 - (iii) **निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित:** इस श्रेणी में 18 महत्वपूर्ण उद्योग शामिल किये गये जैसे- सूती वस्त्र, सीमेन्ट, चीनी, कागज, समुद्री यातायात, खनिज, ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियाँ, भारी मशीन औजार, भारी रसायन एवं बिजली आदि। इन उद्योगों पर राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सरकार का सामान्य नियन्त्रण एवं नियमन बना रहेगा लेकिन, इन्हें निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा संचालित किया जायेगा।
 - (iv) **निजी और सहकारी क्षेत्र:** इसके अन्तर्गत शेष वे सभी उद्योग रखे गये जिन्हें निजी स्वामित्व अथवा सरकारी आधार पर चलाया जाएगा। अगर कोई उद्योग ठीक प्रकार से कार्य न करें तो उसके कार्य में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। निजी क्षेत्र के साथ-साथ सहकारिता को भी शामिल किया गया था।
3. **कुटीर और लघु उद्योग:** औद्योगिक नीति के माध्यम से कुटीर और लघु उद्योगों को पर्याप्त महत्व देने का निश्चय किया गया। इन लघु उद्योगों को स्थानीय साधनों के प्रयोग, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कार्यकुशलता प्राप्त करने व अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए इस औद्योगिक नीति में सरकारी सहायता देने के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया।
4. **श्रम और पूँजी सम्बन्ध:** इस नीति में निर्बाध उत्पादन हेतु श्रम व पूँजी के सहयोग पर विशेष बल दिया गया। सरकार के द्वारा इन दोनों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना था। श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाएँ देने का निश्चय किया गया तथा श्रमिकों को लाभ व प्रबन्धकीय कार्यों में सहभागी बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए आवास सुविधा पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।
5. **विदेशी पूँजी के प्रति दृष्टिकोण:** देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के लिए विदेशी पूँजी के महत्व को स्वीकार किया गया किन्तु, विदेशी पूँजी पर सरकार का नियन्त्रण जरूरी माना गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबन्ध के मुख्य भाग पर भारतीयों का कब्जा रहेगा।
6. **प्रशुल्क नीति में परिवर्तन:** औद्योगिक नीति में यह कहा गया कि देश के संसाधनों के विकास के लिए भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार की प्रशुल्क नीति में परिवर्तन किया जायेगा। परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान रखा गया कि किसी ऊँचे शुल्क से उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े।
7. **योजना आयोग:** देश के योजनाबद्ध विकास के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

इस औद्योगिक नीति के पीछे बुनियादी विचार औद्योगिक संगठन के पूँजीवादी स्वरूप को नियन्त्रित करना और एक नया संस्थागत ढाँचा जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, को शुरू करना था। यह इस दृष्टि से स्वागत योग्य कदम था कि देश के औद्योगिकरण के कार्य को पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ देने की अपेक्षा सरकार को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति दी गई थी। जहाँ इस नीति की एक तरफ यह कहकर आलोचना हुई कि राष्ट्रीयकरण की धमकी से निजी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यह औद्योगिक विकास के मार्ग में रुकावट का कारण बन जायेगा। दूसरी बात, इस नीति में समन्वय का अभाव देखा गया क्योंकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य समान दृष्टिकोण का अभाव पाया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुभव किया गया कि सरकारी क्षेत्र में लालफीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला हो जाएगा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी एवं घटिया किस्म की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होगा।

8.5.2 औद्योगिक नीति, 1956 (Industrial Policy, 1956)

30 अप्रैल, 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने 1948 के मूल औद्योगिक नीति संकल्प का स्थान लिया, जिसमें सरकार ने समाजवादी स्वरूप को अपने दृढ़ आदर्श के रूप में अपनाया। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह कहा गया था कि “आर्थिक विकास की दर में तेजी लाने और औद्योगिकरण को नीति देने के लिए, विशेष रूप से भारी उद्योगों के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना तथा बढ़ते सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना आवश्यक है।” इस औद्योगिक नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

1. उद्देश्य:

- (i) औद्योगिकरण की गति को तीव्र करके आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना,
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना और बड़े एवं वृद्धिशील सहकारी क्षेत्र की स्थापना करना,
- (iii) आधारभूत एवं भारी मशीन व यंत्र बनाने के उद्योगों का विकास करना,
- (iv) निजी एकाधिकार एवं कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण पर रोक लगाना,
- (v) आय व सम्पत्ति में उत्पन्न असमानता को कम करना,
- (vi) रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना,
- (vii) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना।

2. उद्योगों का वर्गीकरण: औद्योगिक नीति, 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया :-

- (i) **राज्य का एकाधिकार क्षेत्र:** इन सभी उद्योगों को अनुसूची ‘अ’ में रखा गया। इसके अन्तर्गत 17 उद्योगों को शामिल किया गया था। इन्हें पाँच श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है :-
 - (अ) रक्षा उद्योग,
 - (ब) भारी एवं आधारभूत उद्योग,
 - (स) परिवहन एवं संचार उद्योग,
 - (द) खनिज उद्योग,

(ई) विद्युत उत्पादन एवं वितरण उद्योग।

इनमें से चार उद्योग आयुध तथा गोला बारूद, अणु-शक्ति ऊर्जा, रेल्वे और विमान यातायात को सरकारी एकाधिकार में रहना था तथा शेष 13 उद्योगों में केन्द्र सरकार को सभी में नई इकाइयों की स्थापना करना था। तथापि, निजी क्षेत्र में मौजूद इकाइयों के अस्तित्व और विस्तार की अनुमति दी गई।

(ii) **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र:** अनुसूची. 'ब' में 12 उद्योगों को सम्मिलित किया गया था। इन उद्योगों में अधिक से अधिक नई इकाइयों की स्थापना राज्य द्वारा की जायेगी। इसके साथ निजी क्षेत्र को विद्यमान उद्योगों के विकास एवं विस्तार का अवसर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र चाहे तो व्यक्तिगत रूप से या राज्य की साझेदारी में इनकी स्थापना या विकास कर सकता है।

(iii) **निजी क्षेत्र हेतु उद्योग:** अनुसूची. 'स' में रखे गये उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र की पहल पर छोड़ दिया गया। यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हुआ तो इस श्रेणी के उद्योगों में सरकार प्रवेश कर सकेगी। सरकार इस वर्ग के उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं अन्य संसाधनों की सहायता के लिए तत्पर रहेगी।

3. **लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन :** ये उद्योग तुरन्त रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं। अतः इस कारण बड़े उद्योगों में उत्पादन को प्रतिबंधित कर विभेदात्मक करारोपण या प्रत्यक्ष राजकीय सहायता एवं लघु क्षेत्र के लिए कतिपय उत्पादों के आरक्षण इत्यादि द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने पर बल दिया गया।
4. **क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना:** सरकार देश के संतुलित विकास हेतु पिछड़े हुए क्षेत्रों का औद्योगिक विकास पर अधिक जोर देगी। पिछड़े क्षेत्रों में पानी, बिजली एवं यातायात के साधनों को बढ़ाने पर विशेष बल देगी जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग-धंधे पनप सकें।
5. **तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कर्मचारी :** तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए इस नीति में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया। इस हेतु विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में व्यावसायिक प्रबन्ध में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया गया था।
6. **मधुर औद्योगिक संबंध :** यह स्वीकार किया गया कि औद्योगिक विकास हेतु श्रम व पूँजी के बीच मधुर एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जरूरी है। इस नीति में श्रम-सहभागिता को लाभ एवं प्रबन्ध से जोड़कर अच्छे औद्योगिक संबंध विकसित करने पर ध्यान दिया गया था।
7. **विदेशी पूँजी संबंधी नीति :** इस नीति में विदेशी पूँजी से संबंधित नीति में काफी सुधार एवं संशोधन किये गये। विदेशी पूँजी का बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए विशेष छूट दी गई थी। यह भी प्रावधान रखा गया कि यदि विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उचित मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
8. **निजी क्षेत्र के साथ उचित बर्ताव:** निजी क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत, परिवहन व वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ देकर सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जायेगा। सरकार निजी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव वाली नीति नहीं अपनाएगी और इन्हें स्वतंत्रता एवं समानता का अवसर प्रदान करेगी लेकिन राष्ट्रहित के लिए सरकार द्वारा नियन्त्रण अवश्य किया जायेगा।

9. **सरकार की भूमिका:** सरकार एकाधिकार क्षेत्र को छोड़कर धीरे-धीरे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी भाग लेगी। नई इकाइयों की स्थापना में सरकार पहल करेगी। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोककर अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण के उपायों को अपनाएगी। जनहित को ध्यान में रखकर निजी उद्योगों के क्रियाकल्पों पर नियन्त्रण रखा जायेगा।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

औद्योगिक नीति, 1956 अत्यन्त विस्तृत है और इसमें सभी पहलूओं अर्थात् श्रम नीति, पूँजी नीति, मुद्रा नीति, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र आदि पर ध्यान दिया गया था। यह नीति लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार, एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने, निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधाएँ एवं प्रजातांत्रिक समाजवाद बढ़ाने में बहुत उपयुक्त रही है। इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है।

इस नीति में कुछ कमियाँ भी रही हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ उचित होगा। इस नीति से गांवों व शहरों के मध्य असमानता में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की अकुशलता, विदेशी तकनीक का अवांछनीय रूप से आयात एवं बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों पर कम ध्यान दिया जाना आदि ऐसी बातें थी, जिसके कारण इस नीति को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

8.5.3 औद्योगिक नीति, 1977 (Industrial Policy, 1977)

यह देश में प्रथम गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति थी। इस नीति की चर्चा करने से पूर्व सन् 1970 एवं 1973 की औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन किये गये, उन्हें जानना जरूरी है। **दत्त समिति** की सिफारिश के आधार पर सरकार ने फरवरी, 1970 में नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की। सन् 1973 में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को नये सिरे से परिभाषित किया गया, जिसमें बड़ी औद्योगिक इकाई उसे माना गया जिसकी परिसम्पत्तियाँ 20 करोड़ रुपये से अधिक थी। इन नीतियों से बड़े उद्योगों की स्थापना के लाभ कुछ ही व्यक्तियों को मिलने के कारण समाज में आर्थिक विषमता में इजाफा हुआ। इन दोषों को दूर करने के लिए एवं देश के तीव्र आर्थिक विकास हेतु इस नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता अनुभव की गई थी।

23 दिसम्बर, 1977 को संसद में तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा नयी औद्योगिक नीति को प्रस्तुत किया गया था। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नयी नीति पुरानी विकृतियों को दूर करने के लिए बनायी गयी है। जनता सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

1. उद्देश्य:

- (i) देश के मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग,
- (ii) रोजगारोन्मुखी उद्योगों का तेजी से विकास,
- (iii) ग्रामीण विकास योजना का सफल क्रियान्वयन,
- (iv) देश में बदली हुई सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक एवं औद्योगिक विकास,
- (v) क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर देश का संतुलित विकास,
- (vi) लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन,
- (vii) एकाधिकारी प्रवृत्ति वाले उद्योगों पर प्रतिबंध।

2. **लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता:** इस नीति में इस बात पर बल दिया गया कि वे वस्तुएँ जो लघु एवं कुटीर क्षेत्र में उत्पादित की जा सके, वे उन्हीं के द्वारा उत्पादित की जायें। लघु क्षेत्र के लिए 504 वस्तुओं की एक सूची का निर्माण किया, जिन्हें लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु आरक्षित किया गया था। यह भी तय किया कि लघु क्षेत्र के उद्योगों की सहायता एवं संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान बनाये जायेंगे।
3. **रोजगार को बढ़ावा:** हमारे देश में मानव संसाधनों की बाहुल्यता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी उसी तीव्रता के साथ किया जाए जितना शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है। देश की नई औद्योगिक नीति रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मानव को देश के नियोजन एवं परियोजनाओं में केन्द्रीय स्थिति में रखेगी।
4. **बड़े उद्योग:** इस नीति में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को शहर एवं बड़े कस्बों में उनकी स्थापना के लिए लाइसेन्स निर्गमित नहीं किये जायेंगे। बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। तत्कालीन उद्योग मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों के विकास की इस प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा बल्कि दूसरे क्षेत्रों के उद्योगों को अधिक सहायता एवं प्रोत्साहन देकर उनका विकास किया जायेगा।
5. **स्वदेशी एवं विदेशी तकनीक:** देश में जहाँ तक सम्भव हो, दीर्घकाल में उद्योगों का विकास स्वदेशी तकनीकी के विकास के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही, जिन क्षेत्रों में अभी देश में तकनीकी का विकास नहीं हो पाया है, उनमें आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार विशेष योगदान देगी तथा विदेशी प्रौद्योगिकी को आयात करने एवं अपनाने की भी अनुमति प्रदान करेगी।
6. **संयुक्त साहस को बढ़ावा:** भारतीय साहसियों द्वारा अन्य देशों में अनेक संयुक्त साहस उपक्रम स्थापित किये गये हैं। लेकिन देश के वर्तमान परिदृश्य में दूसरे देशों में पूँजी लगाना न तो उचित रहेगा और न ही ऐसा करना सम्भव होगा। पूँजीगत विनियोग हेतु भारत सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गयी।
7. **बड़े औद्योगिक गृहों पर प्रतिबंध:** इस नीति में सर्वप्रथम बड़े औद्योगिक गृहों की स्थापना एवं विस्तार की अनुमति पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे एकाधिकार या आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर रोक संभव हो सकी।
8. **विदेशी विनियोग पर नियन्त्रण:** नयी औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि विदेशी विनियोग एवं प्रौद्योगिकी को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। उन क्षेत्रों में जहाँ विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ विद्यमान संस्थाओं का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
9. **सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार:** सार्वजनिक क्षेत्र, अनेक क्षेत्रों में उत्पादन एवं वितरण को अपने हाथ में ले सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र सहायक एवं लघु उद्योगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विकास एवं कुशल प्रबन्ध हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति का पूरा प्रयास करेगी जिससे ये इकाइयाँ कुशलता के साथ कार्य कर सकें एवं पर्याप्त लाभ अर्जित कर सकें।
10. **उद्योगों का स्थानीयकरण:** स्वतंत्रता के बाद उद्योगों का विकास शहरों एवं महानगरों तक सीमित एवं केन्द्रित हो गया था। इसके दूषित परिणामों की वजह से इस नीति में सरकार ने यह निश्चय किया कि जिन महानगरों की आबादी 10 लाख से अधिक है तथा उन शहरों में जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है, उद्योग हेतु नये लाइसेन्स प्रदान नहीं किये जायेंगे। सरकार उन उद्योगों को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योगों को स्थापित एवं विकसित कर करेंगे।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

इस औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण वे ही बातें हैं जिन्हें 1956 की नीति में रखा गया था। इसमें पूर्व की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। इस नीति में ग्राम विकास एवं रोजगारपरक उद्योगों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने हेतु विशेष सहायता एवं प्रोत्साहन योजनाओं को हाथ में लिया गया था। इस नीति में स्वदेशी एवं भारतीयता का पुट दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सहायक एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास में अहम् रहेगी, इसका संकल्प लिया गया।

इस नीति में प्रमुख कमियाँ यह थी कि बड़े उद्योगों के विकास को प्रतिबंधित किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका भी स्पष्ट नहीं थी। जनवरी 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार के सत्तारुढ़ हो जाने के बाद पूर्व नीतियों को बंद कर प्रगतिशील नीतियों को अपनाने की योजना पर कार्य शुरू किया गया। सन् 1977 में घोषित नीति सत्ता परिवर्तन के कारण प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी।

8.5.4 औद्योगिक नीति, 1980 (Industrial Policy, 1980)

23 जुलाई, 1980 को कांग्रेस के पुनः सत्तारुढ़ होने के कुछ महीने पश्चात् नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नीति का संकल्प मूलतः 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्तर्गत ही बनाया गया। इस नीति में आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख विशेष तौर से किया गया है। इन उद्देश्यों का मुख्य आधार देश का तीव्र एवं संतुलित आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा देश के सभी व्यक्तियों को अधिकतम लाभ उपलब्ध करवाना रहा है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में निर्यात सम्भावित उद्योगों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों का अधिकतम सृजन करना, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल, कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करना, आदि सम्मिलित थे।

8.5.5 औद्योगिक नीति, 1985 (Industrial Policy, 1985)

देश में औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1985 में महत्वपूर्ण घोषणाएँ एवं आधारभूत निर्णय लिए गये थे। इस औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य में, इस बात पर जोर दिया गया कि आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया जायेगा। साथ ही, देश में विकास, विनियोग व उत्पादन की गति में अभिवृद्धि की जायेगी। इस औद्योगिक नीति में आधुनिकीकरण एवं उपकरणों की प्रतिस्थापना को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा रुग्ण उद्योगों का पुनर्स्थापना का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप, औद्योगिक विकास के सभी स्तरों पर पर्याप्त कुशलता देखने को मिली एवं अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास दिखाई दिया।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. स्वयं के अभिमत के आधार पर औद्योगिक नीति का अभिप्राय : स्पष्ट करें।
2. औद्योगिक नीति के मूल उद्देश्यों को लिख-लिखकर याद करने का बार-बार प्रयास करें।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की प्रथम औद्योगिक नीति (1948) के अंतर्गत, बड़े स्तर के उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, बारम्बार याद करते रहें।
4. औद्योगिक नीति में कुटीर और लघु उद्योगों को किस स्वरूप में परिभाषित किया गया है? याद करने का प्रयास करते रहें।
5. औद्योगिक नीति, 1985 के प्रमुख उद्देश्यों को मस्तिष्क में चिंतन करते हुए मनन करें।

8.5.6 औद्योगिक नीति, 1991 (Industrial Policy, 1991)

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री ने 31 मार्च, 1990 को औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना था। कुछ ही समय के बाद पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई और भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के नियमन एवं नीति निर्धारण के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री ने 24 जुलाई, 1991 को 'नवीन औद्योगिक नीति' घोषित की। इस नीति का मूल तत्व 'परिवर्तन सहित निरन्तरता' (Continuity with change) था। इस नीति को खुली एवं उदार माना गया। पहली बार इस औद्योगिक नीति में सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी उद्योगों को प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे।

I उद्देश्य: 1991 की नई औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) इस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था को 'अनावश्यक घोषित' नियन्त्रण से मुक्त करना है।
- (ii) देश के औद्योगिक कुशलता में इतनी वृद्धि करना जिससे कि देश के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में शामिल होने योग्य बनाया जा सके।
- (iii) आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना।
- (iv) मुद्रा स्फीति की दर को नीचे लाना और देश के भुगतान असंतुलन को दूर करना।
- (v) प्रतिबंधों को समाप्त कर उत्पाद व सेवाओं, पूँजी, मानव संसाधनों और प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था।
- (vi) देश को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ-साथ, इसे वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाना था।
- (vii) देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी उद्योगों की भागीदारी में वृद्धि करना।
- (viii) देश के उपलब्ध संसाधनों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना।
- (ix) औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना तथा औद्योगिक विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना।
- (x) देश के पूँजी बाजार का विकास एवं औद्योगिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना।

II नवीन औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ :

1. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग:- इस औद्योगिक नीति में सरकार ने (i) अस्त्र-शस्त्र (ii) परमाणु शक्ति (iii) खनिज तेल (iv) कोयला एवं लिग्नाइट (v) कच्चा लोहा, मैंगनीज, सोना, हीरा, जिप्सम, गंधक आदि (vi) तांबा, जस्ता, शीशा, टिन (vii) रेलवे यातायात (viii) परमाणु शक्ति में प्रयुक्त होने वाले खनिज आदि आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आरक्षित घोषित किया तथा इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

इस नीति में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की पूँजी, बाजार में क्रय-विक्रय के लिए उपलब्ध हो सकेंगी। इस क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु पेशेवर प्रबन्धकों की नियुक्ति की जा सकेंगी एवं प्रबन्धकों को अधिक शक्ति एवं अधिकार दिये जा सकेंगे।

1. **लाइसेन्स प्रणाली समाप्त:** इस नीति में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाइसेन्स प्रणाली समाप्त कर दी गई। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि निम्न 15 उद्योगों को छोड़कर सभी अन्य उद्योग अब लाइसेन्स मुक्त रहेंगे। निम्नलिखित उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया (i) कोयला (ii) औषधि (iii) कागज (iv) चीनी (v) सिगरेट (vi) खतरनाक रासायनिक उत्पाद (vii) पशु-चर्बी एवं तेल (viii) मनोरंजक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-टी.वी., वी.सी.आर. आदि (ix) पेट्रोलियम (x) एसबेस्टोस (xi) प्लाईवुड (xii) वायुयान तथा रक्षा उपकरण (xiii) औद्योगिक विस्फोटक (xiv) शराब (xv) फर की खाल।
24 अप्रैल, 1993 से रेफ्रिजरेटर, मोटरकार एवं चमड़ा व खाल उद्योग को लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया।
2. **विदेशी निवेश:** सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए यह घोषणा कर दी कि उच्च प्राथमिकता वाले 34 उद्योगों में विदेशी पूँजी अनुपात 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब विदेशी पूँजी निवेश की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जायेगी। विदेशी उद्यमियों को पूँजी निवेश हेतु प्रेरित किया जायेगा।
3. **विदेशी प्रौद्योगिकी:** इस नीति में सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी के सहयोग को प्रोत्साहन दिया ताकि उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि की जा सके। लेकिन, विदेशी पूँजी निवेश का प्रस्ताव पास होने के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं होगी। विदेशी तकनीक विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी का विदेशों में परीक्षण के लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता नहीं होगी।
4. **एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में संशोधन:** इस औद्योगिक नीति द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम में संशोधन कर सरकार ने साहस का परिचय दिया। इसके अन्तर्गत नये उपक्रमों की स्थापना, एक उपक्रम का दूसरे उपक्रम में विलय, एक औद्योगिक इकाई द्वारा दूसरी औद्योगिक इकाई को क्रय करने या दो उपक्रमों का आपसी विलय, आदि के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से मुक्ति दे दी गई। इतना ही नहीं, एम. आर. टी. पी. आयोग को पूर्ण अधिकार देते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाँच, एकाधिकारी शक्तियों के व्यापारिक क्षेत्र जो संशयपूर्ण हों, उनकी जाँच हेतु स्वतंत्रता दे दी गई।
5. **श्रमिकों के सम्बन्ध में नीति में संशोधन:** भारत सरकार ने उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी केवल उत्पादन तक ही सीमित न करके उन्हें प्रबन्ध में सक्रिय हिस्सेदारी देने का निर्णायक फैसला लिया गया। इस नीति में श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा योजनाओं में वृद्धि, श्रमिकों को तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करना आदि योजनाओं को संचालित करने की बात कही गयी है।
6. **निजी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण:** नई औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका की दिशा में विद्यमान व्यवस्था में परिवर्तन के विचार को अपनाया गया। कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस से छूट के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आरक्षित रहे उद्योगों में अब निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में छूट देने के कारण निजी क्षेत्र का विकास एवं विस्तार संभव होगा।
7. **उद्योगों का प्रसार एवं पर्यावरण:** इस नीति में नए उद्योगों की अवस्थिति के बारे में सर्वप्रथम विचार किया गया। इस पहलू के मामले में उपबंध भौगोलिक रूप से औद्योगिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीयकरण सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं गैर-प्रदूषणकारी

उद्योगों को ही स्थापित किया जा सकेगा तथा अन्य उद्योगों की स्थापना शहर की सीमा से 25 किलोमीटर दूर की जायेगी। पर्यावरण की सुरक्षा एवं जनसंख्या के घनत्व को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस नीति को अपनाया गया है। देश में क्षेत्रीय विषमता को दूरकर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने को विशेष सरकारी प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान किये जायेंगे।

8. **लघुक्षेत्र के उद्योगों का संवर्द्धन:** नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को सुदृढ़ एवं लाभप्रद इकाई बनाने के लिए पुरानी नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इस नीति में लघु उद्योग क्षेत्र को सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना, कच्चे माल की आपूर्ति और विपणन सुविधाओं आदि का प्रावधान किया गया।

8.6 औद्योगिक नीति, 1991 में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन (Changes Incorporated in Industrial Policy of 1991)

औद्योगिक नीति, 1991 में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :-

1. **औद्योगिक अनुज्ञापन में ढील:** 1991 की औद्योगिक नीति जब घोषित हुई थी तो उस समय 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस लेना आवश्यक था, जिसमें 14 अप्रैल, 1993 को तीन अन्य उद्योगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद 1997 में केन्द्र सरकार ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 अन्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। इसके तीन वर्ष बाद पुनः 4 और उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार अब केवल 5 उद्योगों को अनुज्ञापन लेना अनिवार्य है :
 - (i) एल्कोहलिक पेयों का आसवन व इनसे शराब बनाना,
 - (ii) तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तम्बाकू के अन्य विकल्प,
 - (iii) औद्योगिक विस्फोटक सामग्री,
 - (iv) इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस व सुरक्षा उपकरण,
 - (v) खतरनाक रसायन।
2. **सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी:** औद्योगिक नीति, 1991 में सरकारी क्षेत्र के 17 आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम कर 8 किया गया तथा बाद में 2002 में इनकी संख्या घट कर 3 रह गयी। जिन 3 उद्योगों को आरक्षित रखा गया वे हैं (i) परमाणु ऊर्जा (ii) रेलवे यातायात (iii) परमाणु ऊर्जा आदेश, 1953 में विनिर्दिष्ट खनिज।
3. **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का निर्माण:** भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP ACT) 1969 के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाने का निर्णय विजय राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लिया। इस संदर्भ में संसद द्वारा वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा विधेयक को पारित किया गया।
4. **उत्पाद एवं आयात शुल्कों में कमी:** 1991 की औद्योगिक नीति में उत्पाद एवं आयात शुल्कों को सरल एवं तार्किक बनाने का प्रयास किया गया था, परन्तु इसके पश्चात् भी पूँजीगत वस्तुओं पर उत्पादक शुल्कों को और

युक्तिसंगत बनाया गया है। पूँजी सम्बन्धी लागतों को कम करने के लिए तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयात एवं उत्पाद शुल्कों में और भी कटौती की गयी है।

5. **विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण:** औद्योगिक नीति, 1991 में देश के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 34 उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 51 प्रतिशत तक किया गया था, परन्तु बाद में इन उद्योगों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गयी। खनन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले तीन उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा 50 प्रतिशत तथा अन्य उद्योगों में विदेशी निवेश सीमा को 74 प्रतिशत तक करने की अनुमति सरकार ने प्रदान की थी।

गैर-स्वीकृत कम्पनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक, एक कम्पनी की पूँजी में अब 10 प्रतिशत तक (पूर्व में 5 प्रतिशत थी) निवेश कर सकते हैं।

6. **विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का गठन:** 18 फरवरी, 2003 को इस बोर्ड का पुनर्गठन करके इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तान्तरित किया गया। बोर्ड के पुनर्गठन के अन्तर्गत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार बनाया है।
7. **पूँजी लाभ पर कर में कमी:** पूँजी बाजार में विदेशी निवेश स्तरों में वृद्धि व प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अल्पकालीन पूँजी लाभों पर 30 प्रतिशत की रियायती दर आरम्भ की गयी है।
8. **दूर संचार में उदार निवेश तथा नीति में परिवर्तन:** नयी औद्योगिक नीति में आधारभूत दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में 24 प्रतिशत विदेशी निवेश की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उदारीकरण के पश्चात् इसके विदेशी निवेश की सीमा 2000-01 में 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इसके बाद 2004-05 के बजट में इसके विकास एवं विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गयी है।
9. **उपक्रम पूँजी निधियों को छूट:** नयी औद्योगिक नीति में नये उपक्रमों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपक्रम पूँजी निधियों को अब यह सुविधा है कि वे किसी कम्पनी में अपनी संग्रहित राशि का 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, परन्तु बाद में इस सीमा में वृद्धि करके इसे 10 प्रतिशत कर दिया गया था।
10. **फिल्म एवं मनोरंजन को उद्योग का दर्जा:** फिल्म व मनोरंजन क्षेत्र का विकास एवं विस्तार में सहायता करने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 2000 में फिल्मों सहित मनोरंजन क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उद्योग बीमा कराने तथा करों में विवेकीकरण करने की सुविधा प्रदान की।
11. **बीमा व्यवसाय में निजी कम्पनियों को अनुमति:** नवीन औद्योगिक नीति में बीमा व्यवसाय केवल सरकारी क्षेत्र में ही रहेगा, परन्तु अक्टूबर, 2000 में इसमें बदलाव किया गया तथा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) ने निजी क्षेत्र की तीन कम्पनियों को बीमा व्यवसाय प्रारम्भ करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया था।
इन तीन कम्पनियों में जीवन बीमा के क्षेत्र में एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. को तथा साधारण बीमा के क्षेत्र में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. व रॉयल सुन्दरम एलायंस कम्पनी लि. को लाइसेंस प्रदान किये गये। जून, 2008 तक निजी क्षेत्र की कुल 19 जीवन बीमा कम्पनियों तथा 13 सामान्य बीमा कम्पनियों को बीमा व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है।
12. **रक्षा सम्बन्धी उत्पादन में निजी क्षेत्र को अनुमति:** नयी औद्योगिक नीति में रक्षा संबंधी उत्पादन का कार्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा करने का प्रावधान था लेकिन केन्द्र सरकार ने 9 मई 2001 को लिए गये निर्णय में

सुरक्षा संबंधी उद्योग में 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी, परन्तु सुरक्षा संबंधी उत्पादन करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनी को रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रक्षा संबंधी किन-किन उत्पादों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी है, इसका निर्णय रक्षा मंत्रालय ने अपने अधीन रखा।

13. **लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षण सीमा:** लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली आरक्षित उत्पादों की संख्या 836 थी, जिसमें समय-समय पर कमी की जाती रही, जो वर्तमान में केवल 35 वस्तुएँ ही आरक्षित वर्ग में रह गयी हैं।
14. **लघु इकाईयों की निवेश सीमा में अभिवृद्धि:** नयी औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के निवेश की सीमा को एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया था। लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास विधेयक, 2005 के अनुसार लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है।
15. **तेल शोधन के क्षेत्र में विदेशी निवेश:** तेल शोधन के क्षेत्र में अभी तक केवल 26 प्रतिशत तक ही विदेशी पूँजी निवेश (FDI) की अनुमति थी, जिसे सरकारी तेल कम्पनियों की रिफाइनरियों को छोड़कर शेष पर 100 प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति दे दी गयी है।
16. **तेल की खोज क्षेत्र में विदेशी निवेश:** तेल की खोज क्षेत्र में गैर-कम्पनी वाले संयुक्त उद्यमों में 60 प्रतिशत तथा कम्पनी बनाकर काम करने वाले संयुक्त उद्यमों में 100 प्रतिशत (पहले यह 51 प्रतिशत थी) तक विदेशी पूँजी निवेश कर दिया गया है।
17. **निर्यात पुनर्वित्त ऋण सीमा में वृद्धि:** निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में वृद्धि की गई है। पुनर्वित्त ऋण का 90 प्रतिशत अब अमेरिकी डॉलरों में उपलब्ध है।
18. **विनिवेश आयोग का गठन:** सार्वजनिक उद्योगों की समता अंश पूँजी के विनियोग हेतु अगस्त, 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गयी थी। सुझाव देने के लिए आयोग के पास 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मामले भेजे गये थे।
19. **अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन/संशोधन:** कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन या संशोधनों का विवरण निम्नानुसार है:-
 - (i) गैर-वित्तीय कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100 प्रतिशत अनुमति दी गई।
 - (ii) कम्पनियों की रुग्णता (Sickness) का पता लगाने के लिए दिसम्बर, 1993 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन किया गया।
 - (iii) सेवा कर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया।
 - (iv) थोक दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति।
 - (v) सभी वस्तुओं पर सेनवैट 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करना।
 - (vi) औद्योगिक पार्कों की सीमा निर्धारण करने वाले प्रावधानों की समाप्ति।
 - (vii) एकल ब्राण्ड के खुदरा व्यापार में सरकार की अनुमति लेकर 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव।

- (viii) विद्युत व्यापार एवं उसकी प्रक्रिया, कॉफी एवं रबड़ के भण्डारण आदि के स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
- (ix) निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों में विदेशी पूँजी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया।

औद्योगिक नीति, 1991 का मूल्यांकन :

सरकार ने औद्योगिक नीति, 1991 को एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी है। इसमें अनेक आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं जैसे- औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा एकाधिकार अधिनियम आदि के अधिकांश भाग को समाप्त कर दिया गया, विदेशी पूँजी के पर्याप्त स्वागत की नीति को अपनाया गया, सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया तथा औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को पुनः तय किया गया था।

उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद कुछ आलोचकों का विचार है कि बड़ी कम्पनियों और औद्योगिक घरानों के विस्तार, विलीनीकरण एवं अधिग्रहण की जाँच व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने के संदर्भ में उचित नहीं किया। कुछ आलोचकों का विचार यह भी है कि विदेशी पूँजी एवं तकनीक के स्वागतपूर्ण आगमन से घरेलू उद्योगों के विकास पर विपरीत असर भी पड़ेगा। संक्षेप में, औद्योगिक नीति, 1991 के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि विदेशी पूँजी एवं तकनीक के आगमन पर सावधानीपूर्ण निगरानी रखी जाए तो यह नीति भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक, कुशल, गुणवत्ता प्रधान और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

8.7 वर्तमान में औद्योगिक नीति का परिदृश्य (Recent Scenario of Industrial Policy)

कांग्रेस सरकार ने सन् 2012 में खुदरा व्यापार (Retail Trade) में विदेशी निवेश के अन्तर्गत नियमों में कुछ ढील दी। इसके बाद सन् 2014 में मोदी सरकार के आने के पश्चात् औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र हेतु जोखिमपूर्ण एवं महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस सरकार द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया गया कि भारत में अधिक मात्रा में छिपी हुई उद्यमशील ऊर्जा है। इसे और अधिक पोषित-पल्लवित करने की आवश्यकता है ताकि हम नौकरी चाहने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बन सके। मोदी सरकार ने देश के औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो सके, इस हेतु निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया :-

1. **मेक इन इंडिया योजना:** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई, जिसे 25 सितम्बर, 2014 को आरम्भ किया गया था। इस योजना के माध्यम से बहुराष्ट्रीय एवं साथ ही घरेलू कम्पनियों को अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका मुख्य मिशन भारत में पूँजी एवं तकनीकी निवेश दोनों को ही आकर्षित करना है। साथ ही, रोजगार सृजन एवं कौशल विकास करने का भी उद्देश्य रखा गया।
2. **डिजिटल इण्डिया स्कीम:** देश में 21 अगस्त, 2014 को डिजिटल इण्डिया स्कीम की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं। डिजिटल बुनियादी सुविधाएँ, सेवाओं का डिजिटल वितरण एवं डिजिटल साक्षरता। सरकार ई-गवर्नेंस और ई-क्रांति के जरिए तकनीकी द्वारा जनता के कामकाज का जल्द निस्तारण करना चाहती है।

3. **स्मार्ट सिटी योजना:** भारत में शहरों को अर्थव्यवस्था एवं औद्योगीकरण के लिए “विकास संचालक” माना जाता है। इस योजना को भारत में 25 जून, 2015 को लागू किया गया था। इस स्कीम से अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ-साथ देश के औद्योगिक क्षेत्र हेतु नए विचारों, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के लिए उत्साहवर्धक माहौल पैदा होगा। इस योजना में 100 शहरों के लिए पाँच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी ताकि इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके।
4. **स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया योजना:** भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया योजना एवं स्टैंड-अप इंडिया की शुरुआत क्रमशः जनवरी, 2016 एवं अप्रैल, 2016 में की। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य निर्माण के लिए नवाचार को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्टैंड-अप इंडिया स्कीम में प्रधानमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है।
5. **नवाचार केन्द्रों का निर्माण:** विशेष रूप से प्रौद्योगिक संचालन के क्षेत्र को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केन्द्रों का निर्माण, उन्नयन एवं अनुसंधान विकास प्रयासों में वृद्धि के माध्यम से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
6. **व्यवसाय करने में आसानी कार्यक्रम:** विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है। दुनिया के सदस्य देशों को उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। व्यवसाय में विभिन्न अवरोधों एवं प्रशासनिक रुकावटों में कमी कर नये उद्योगों की स्थापना तथा विकास में सहयोग एवं प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार सन् 2015 में भारत की रैंक 142 वें से घटकर 130 वें स्थान पर आ गई तथा वर्तमान में यह स्थान 77 वें पायदान पर पहुँच गया है।
7. **उदय योजना:** मोदी सरकार द्वारा भारत में 18,000 गांवों में बिजली पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने माना कि बिजली वितरण में सुधार के बिना बिजली की आपूर्ति एवं स्वच्छ ऊर्जा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। राज्यों के डिस्कोम्स को सशक्त बनाने, बिजली लागतों में कमी करना एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने का केन्द्र सरकार ने मुख्य उद्देश्य रखा है। इस योजना द्वारा बिजली बचत का उपयोग मेक इन इंडिया को सफल बनाने एवं देश के उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल उपाध्याय ज्योति योजना द्वारा गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है।
8. **बुनियादी ढाँचा का विकास:** आधारभूत ढाँचा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। बुनियादी ढाँचे का स्तर किसी भी देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास एवं अभिवृद्धि के लिए पूर्व अपेक्षा है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु निजी क्षेत्र को अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षा प्रदान कर उसकी साझेदारी को मजबूती प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने बुनियादी ढाँचे हेतु पीपीपी (Private & Public Partnership) मॉडल को अपनाया है। नीति आयोग के एक अनुमान के अनुसार, बुनियादी ढाँचे में 2018 तक कुल निवेश 45 लाख करोड़ होना है। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र से (जो पहले 36 प्रतिशत था) निवेश आयेगा।
9. **लघु व मझोले उद्योगों के नियम में ढील:** मोदी सरकार ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। ऐसे में वह अपना ध्यान छोटे व मझोले उद्योग (MSME) पर केन्द्रित कर रही है, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत अप्रैल, 2015 में की थी, जिसके माध्यम से छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये

तक का क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इनके श्रमिकों के कौशल विकास व प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जायेगा। लघु व मझोले क्षेत्र के उद्योगों को सब्सिडी एवं कर्जों में छूट भी प्रदान की जायेगी।

- 10. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** देश में रोजगार सृजित करने के लिए एवं विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जायेगा। मोदी सरकार ने तय किया कि सालाना 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश में लाया जायेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जान फूँकी जा सके।

नई औद्योगिक नीति, 2018 :

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना, नियामकीय बाधाओं को दूर करना तथा भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनाना है। उद्योग मंत्रालय ने नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया मई, 2017 में शुरू की थी। यह भी कहा गया कि वर्ष 1956 और 1991 के बाद यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी। नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य सालाना 100 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना रहेगा।

नई औद्योगिक नीति, 2018 के मुख्य उद्देश्य:

- (i) यह राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को सम्मिलित करती है।
- (ii) इसका मुख्य उद्देश्य भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना है।
- (iii) नई नीति के लिए नोडल निकाय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग ने फीडबैक आमंत्रित करते हुए एक चर्चा-पत्र जारी किया है।
- (iv) उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को देखने के लिए सरकारी विभागों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक के सदस्यों के साथ फोकस समूह स्थापित किए जायेंगे।
- (v) छः विषयगत फोकस समूहों में विनिर्माण और एमएसएमई, प्रौद्योगिकी और नवाचार, व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढाँचा, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति, कौशल व रोजगार क्षमता शामिल हैं।
- (vi) इसके अलावा, नीति के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए भारत के आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

नीति प्रस्ताव: इस औद्योगिक नीति में निम्नलिखित कई उपायों को शामिल किया है :-

- (i) औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास करना।
- ii) यह सुनिश्चित करने के लिए एफडीआई नीति की समीक्षा करना कि यह अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है तथा रणनीतिक संबंधों और नवाचार का लाभ उठाती है।
- (iii) औपचारिक क्षेत्र में कम रोजगार सृजन की समस्या का समाधान करना।
- (iv) उन्नत विनिर्माण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसी स्मार्ट तकनीकों के उपयोग को सुगम बनाना।
- (v) आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करने वाली वैश्विक भारतीय फर्मों की संख्या में वृद्धि और विश्व बाजारों में भारतीय उपस्थिति का दावा करने के लिए बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशका समर्थन करना।

- (vi) बैंकों के लिए विकल्प विकसित करना और पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउडफंडिंग जैसे विकल्पों के माध्यम से लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए पूँजी तक पहुँच में सुधार करना।
- (vii) लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए क्रेडिट रेटिंग तंत्र प्रदान करना।
- (viii) नौकरियों और रोजगार पर स्वचालन के प्रभाव का अध्ययन करना।
- (ix) औद्योगिक गतिविधियों से न्यूनतम/शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करना और उत्सर्जन में मौलिक कटौति के लिए कुछ क्षेत्रों को लक्षित करना।
- (x) कर्तव्य संरचना के साथ समस्याओं का समाधान करना और बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत दायित्वों के खिलाफ संतुलन बनाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी को अपडेट करना होगा, लागत कम करनी होगी, लॉजिस्टिक्स में सुधार लाना होगा और अपने श्रमिकों को कौशल युक्त बनाना होगा। यह औद्योगिक नीति इन सारी बातों को एक साथ लाएगी और यह बताएगी कि क्या करने की जरूरत है। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा।

8.8 सारांश (Summary)

औद्योगिक नीति का सामान्य अर्थ, सरकार के उस चिन्तन से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप तय किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति देश के औद्योगिक विकास को सुनियोजित कर देश व अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी एवं सुदृढ़ करती है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किसी औद्योगिक नीति की घोषणा कभी नहीं की गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन था तथा वह भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन नहीं होना देना चाहती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल, 1948 को घोषित की थी। इस नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों को साथ मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया था।

सन् 1948 के पश्चात् देश में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके कारण भारत में नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः भारत की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल, 1956 को की गयी थी। इस नीति में विनियमित क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं था किन्तु, लघु उद्योगों और श्रम.प्रबन्ध के बीच अच्छे संबंधों के महत्व को स्वीकार किया गया। वर्ष 1970 की लाइसेंसिंग नीति में भारी निवेश क्षेत्र की परिभाषा की गई, जिसमें 5 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योग सम्मिलित किये गये थे। वर्ष 1973 में औद्योगिक लाइसेंसिंग वक्तव्य में जिस प्रमुख परिवर्तन की घोषणा की गई वह थी 'बड़े घरानों' की नई परिभाषा को स्वीकार करना। बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा उन घरानों के रूप में की गई थी जिनकी परिसम्पतियाँ 20 करोड़ रुपये से अधिक थी।

वर्ष 1973 की नई औद्योगिक नीति में 'संयुक्त क्षेत्र' स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 1980 दशक में औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं में लाइसेन्स समाप्त करने के उपाय और निर्यात उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना प्रमुख था। इसके बाद सरकार ने सन् 1991 में एक नई एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसे एक खुली औद्योगिक नीति की संज्ञा दी गई। इस नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था तथा एकाधिकार अधिनियम के अधिकांश भाग को समाप्त कर दिया गया था।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में औद्योगिक विकास हेतु कई महत्वपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण फैसले लिए गये। जिनमें प्रमुख रूप से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, उदय योजना, लघु व मझोले उद्योगों के लिए विशेष सहायता एवं छूट तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना आदि योजनाओं पर विशेष बल दिया गया था। वर्ष 2018 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजित करना एवं विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जायेगा।

8.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

विद्यार्थीगण, इस इकाई के अध्ययन, मनन, चिंतन एवं विश्लेषण के उपरान्त, आप यह ज्ञात करने एवं सीखने में सक्षम हो गए होंगे कि -

- औद्योगिक नीति, एक राष्ट्र के लिए क्या आशय रखती है तथा इसका मूल उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के लिए क्या है?
- औद्योगिक नीति, राष्ट्र के योगदान में क्या महत्ता रखती है तथा उद्योगों एवं जनता के प्रति, इसके 'लक्ष्य' क्या है?
- भारतवर्ष की परतंत्रता के समय, औद्योगिक नीति पर ब्रिटिश सरकार के उदासीन रवैये का क्या प्रभाव पड़ा था तथा स्वतंत्रता समाप्ति के पश्चात इस नीति की दशा एवं दिशा, किस स्वरूप में प्रकट हुई है।
- औद्योगिक नीति से, आपने यह भी सिख ली होगी कि सरकारी नियंत्रण एवं खुली-पद्धति के अनुरूप, किस प्रकृति के उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- भारतमे औद्योगिक नीति कब-कब बनी तथा अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप के अनुसार, उनमें कौनसे परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई?
- सन् 1948 से 2018 तक औद्योगिक नीति की निष्क्रियता/सक्रियता कितनी रही तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के लिए रचित एवं प्रतिपादित योजनाएँ कौन-कौनसी हैं?
- आपने शब्दकोश के माध्यम से विभिन्न शब्दों के आशय को भी दृष्टिगत किया होगा जो पूर्व में अध्ययन नहीं किए गए थे।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. औद्योगिक-नीति, 1991 के कोई चार उद्देश्यों को, लिखने व याद करने का प्रयास करें।
2. 1991 कि औद्योगिक - नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में से, अपने अध्ययन के आधार पर, कोई दो उद्योग बताएँ।
3. एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के स्थान पर जो नवीन अधिनियम, भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, उसका नाम बताइए।
4. क्या आपने अध्ययन के आधार पर 'उदारीकरण' का अर्थ समझ लिया है? यदि हाँ, तो स्पष्ट कीजिए।
5. 'मेक इन इंडिया' योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था तथा इसका आशय क्या तथ्य प्रस्तुत करता है, अपने शब्दों में बताइए।

8.10 शब्दकोष (Glossary)

- **बुनियादी ढाँचा (Infrastructure)** : बुनियादी ढाँचा की अवधारणा का अर्थ अर्थव्यवस्था के चारों ओर बुनियादी संस्थागत सुविधाओं के संयोजन से है, जो विकास के प्रयासों और उत्पादन को काफी बढ़ावा देता है।
- **उद्यमी (Entrepreneur)** : उद्यमी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो व्यापार या विभिन्न व्यापार स्थापित करता है एवं लाभ प्राप्त करने की आशा में वित्तीय जोखिम उठाता है।
- **बड़े पैमाने के उद्योग (Large Scale Industry)** : बड़े पैमाने के उद्योगों से अभिप्राय है, जिन्हें बड़े आधारभूत ढाँचे, मानव शक्ति और बड़ी मात्रा में राशि की आवश्यकता होती है।
- **कुटीर उद्योग (Small Scale Industry)** : ये व्यक्तियों द्वारा उनके ही घर पर व्यवसाय करने या विनिर्माण गतिविधि करने से संबंधित है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता (Self Economic Reliance)** : इससे तात्पर्य है, मौलिक आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा और मकान की पूर्ति हेतु होने वाली आय की राशि से हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Direct Foreign Investment)** : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी संस्था की अंश पूंजी में विदेशी संस्थाओं द्वारा किया गया विनियोग होता है।
- **बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation)** : ये वे संस्थायें हैं जिनकी उत्पादन एवं विपणन गतिविधियाँ दो या अधिक राष्ट्रों में होती हैं।
- **निजीकरण (Privatisation)** : सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र व क्रियाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है। सामान्य अर्थ में, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम और निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)** : यह वह क्षेत्र है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियन्त्रण होता है तथा जो समाज कल्याण कार्यों में संलग्न रहते हैं।

8.11 स्व-परख प्रश्न (Self-Test Question)

1. औद्योगिक नीति से क्या आशय है? इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
2. 1956 की औद्योगिक नीति की उपलब्धियों और असफलताओं पर प्रकाश डालिए।
3. भारत सरकार की 1991 की औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
4. औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइये। 1991 के बाद इस नीति में कौन-कौन से नये व प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं, समझाइये।
5. भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं?

8.12 संदर्भ व ग्रंथ सूची (Reference & Bibliography)

- उपाध्याय, शर्मा एवं दयाल: “व्यावसायिक वातावरण”, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2020

- जस्टिन पोल : “बिजिनेस इन्वायरमेन्ट”, टाटा मेकग्रा हिल, नई दिल्ली, 2018
- सुरेश बेदी : “बिजिनेस इन्वायरमेन्ट”, एक्सेल बुक्स, नई दिल्ली, 2017
- रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम : “भारतीय अर्थव्यवस्था”, एस.चंद एण्ड कं., नई दिल्ली, 2018
- फ्रांसिस चेरूनीलम : “बिजिनेस इन्वायरमेन्ट”, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2018
- एम.अधिकारी : “इकानोमीक इन्वायरमेन्ट ऑफ बिजनेस”, सुल्तान चंद एण्ड संस, नई दिल्ली, 2019

8.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- आर्थिक सर्वे : भारत सरकार।
- इण्डियन इकॉनोमिक रिव्यू: देहली स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स।
- योजना : योजना आयोग, भारत सरकार।
- इण्डियन डवलपमेंट रिपोर्ट : भारत सरकार।
- इण्डियन इकोनोमिक जर्नल : इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन।

8.14 वेब संसाधन व लिंक (Internet Web Resources & Links)

- <https://dpiit.gov.in/policies-rules-and-acts/policies/industrial-policy>
- https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/es96-97/7%20Industrial%20Policy%20and%20Development.pdf
- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/37990/1/Unit-22.pdf>
- <https://www.novojuris.com/thought-leadership/salient-features-of-new-industrial-policy-2020-25.html>

इकाई – 9

तकनीकी वातावरण (Technological Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 9.0 उद्देश्य
- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 तकनीकी वातावरण की अवधारणा
- 9.3 तकनीकी परिवर्तन के स्रोत
- 9.4 तकनीकी विकास एवं प्रगति
- 9.5 तकनीकी वातावरण के निर्धारक तत्व
- 9.6 विज्ञान एवं तकनीकी नीति
- 9.7 भारत में शोध एवं विकास व्यय का परिदृश्य
- 9.8 तकनीकी हस्तान्तरण
 - 9.8.1 तकनीकी हस्तान्तरण की अवधारणा
 - 9.8.2 तकनीकी हस्तान्तरण के तरीके
 - 9.8.3 समस्याएँ और संभावनाएँ
- 9.9 व्यवसायिक वातावरण पर तकनीकी का प्रभाव
- 9.10 सारांश
- 9.11 अधिगम परिणाम
- 9.12 शब्दकोष
- 9.13 स्व-परख प्रश्न
- 9.14 संदर्भ/ग्रंथ सूची
- 9.15 अन्य पठन सामग्री
- 9.16 वेब संसाधन/लिंक

9.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् हम इस योग्य हो सकेंगे:

- तकनीक एवं तकनीकी वातावरण के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
- तकनीकी परिवर्तन के प्रमुख स्रोत एवं तकनीकी विकास एवं प्रगति को जान पायेंगे।
- तकनीकी वातावरण के निर्धारक तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- भारत सरकार की विज्ञान एवं तकनीकी नीति को समझ सकेंगे।
- भारत में शोध और विकास व्यय के बारे में जानकारी हो पायेगी।
- तकनीकी हस्तांतरण का अर्थ, तरीके एवं इसमें आने वाली समस्याओं से परिचय हो पायेगा।

- व्यावसायिक वातावरण पर तकनीकी प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

व्यावसायिक वातावरण विभिन्न जटिल, गतिशील एवं अनियन्त्रित बाह्य घटकों का योग हैं, जिसमें सामान्यतया आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं तकनीकी घटकों को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय के बाह्य वातावरण का तकनीकी वातावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। तकनीकी घटक को व्यवसाय की लाभदेयता और प्रगति के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास की सफलता का शक्तिशाली पहलू माना जाता है। तकनीकी वातावरण देश के सामान्य व्यवसाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तकनीकी वातावरण में प्रमुख रूप से उपयोग में ली जाने वाली तकनीक, तकनीकी विकास का स्तर एवं गति, तकनीकी का प्रसार या फैलाव और सरकार की तकनीकी नीति आदि को शामिल किया जाता है।

एक व्यावसायिक प्रबन्धक को तकनीकी वातावरण हेतु देश में तकनीकी सम्बन्धी संसाधनों की स्पष्ट जानकारी एवं ज्ञान के बारे में पता होना जरूरी है। सामान्यतया, हम इस जानकारी एवं ज्ञान में जो बातें सम्मिलित करते हैं, उनमें प्रमुख हैं- नवीन या उन्नत तकनीक का ज्ञान, औद्योगिक संगठनों द्वारा आयातित तकनीक पर विभिन्न कर्मों में अवकाश या छूट, अन्य देशों के साथ तकनीकी सम्बन्धी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौते एवं अनुबंध की जानकारी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी में बदलाव तथा सरकार की तकनीकी नीतियों का ज्ञान, आदि। एक व्यावसायिक प्रबन्धक को इन सभी बातों का विस्तृत ज्ञान होने से यह लाभ होगा कि वह अपनी व्यावसायिक व्यूहरचना का निर्माण सही प्रकार से कर सकेगा ताकि व्यावसायिक कार्यों में सफलता अर्जित की जा सके।

9.2 तकनीकी वातावरण की अवधारणा (Concept of Technological Environment)

तकनीकी वातावरण की अवधारणा को समझने से पहले हमें तकनीक के अर्थ को समझना होगा।

तकनीक से आशय समस्त ज्ञान, उत्पाद, प्रक्रिया, मशीन व उपकरण, विधियाँ और प्रणाली से है, जो माल के निर्माण या सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है अर्थात् तकनीकी ज्ञान का व्यावहारिक क्रियान्वन है।

तकनीक की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं -

स्टीफन रोबिन्स के मतानुसार, “तकनीकी शब्द यह दर्शाता है कि कैसे एक संगठन अपने लगाये हुए संसाधनों को परिणामों में हस्तान्तरित करता है।”

लुइस डेविस के शब्दों में, “प्रौद्योगिकी में कौशल का संयोजन, उपकरण, सुविधायें, यंत्र एवं संबद्ध तकनीकी ज्ञान सम्मिलित है, जिनकी आवश्यकता सामग्रियों, सूचना या व्यक्तियों में रूपान्तरण करने के लिए होती है।”

तकनीकी वातावरण से आशय उन शक्तियों या तत्वों से है जो किसी उपक्रम में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं अथवा जो किसी संगठन में प्रौद्योगिकी के उपयोग या तकनीकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

9.3 तकनीकी परिवर्तन के स्रोत (Sources of Technological Change)

तकनीकी गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता को निर्धारित करने वाले कई घटक हैं। तकनीकी परिवर्तन के स्रोत अन्तरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। उद्योगों में तकनीकी नेता (Technological Leader) बाह्य तकनीकी स्रोत से सम्बन्धित हो सकते हैं, जो अपने उद्योग के लिए बाह्य विकसित तकनीक को अपनाने की योग्यता रखते हैं तथा अपने उद्योग को श्रेष्ठ अग्रिम विकसित तकनीक मुहैया करा कर अधिक लाभ कमाने में विश्वास रखते हैं।

एक कम्पनी के तकनीकी परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों को निम्नलिखित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है:-

1. **ग्राहकों की आवश्यकताएँ एवं अपेक्षाएँ (Customer needs and Expectations):** एक कम्पनी अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं से प्रभावित होकर अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा तकनीकी अभिमुखी कार्यक्रम अपने हाथ में लेती है। हमारे देश में विशेषतौर से भवन निर्माण परियोजना, शक्ति परियोजना आदि केस में ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप इन्हें डिजाइन किया जाता है। फ्लाईओवर एवं सड़क निर्माण हेतु तकनीक में नवीनता का प्रयोग ग्राहकों की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
2. **प्रतिस्पर्धा (Competition) :** प्रतिस्पर्धा अच्छी एवं नवीन तकनीक को अपनाने पर बल देती है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए प्रत्येक संस्था नवीन तकनीक विकसित करने के लिए निरन्तर अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करती रहती है। उदाहरण के लिए, रेनबेक्सी एवं सनफार्मा (दवाई कम्पनियाँ) अनुसंधान एवं विकास आधारित कम्पनियाँ हैं, जो नवीन अनुसंधान से निरन्तर लाभ अर्जित करती हैं और अपने क्षेत्र के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में सफल रहती हैं।
3. **मांग (Demand) :** तकनीक का चुनाव कुछ मांग संबंधी कारकों के आधार पर भी तय किया जा सकता है। यदि किसी उत्पाद की तीव्र गति से मांग बढ़ रही है तो यह घटक बड़े पैमाने पर तकनीक का विकास एवं उसे अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
4. **पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव (Suppliers offerings) :** कई बार एक कम्पनी के पूर्तिकर्ताओं के द्वारा भी तकनीकी परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, निर्माणी इंजीनियरिंग फर्म या पूँजीगत माल के पूर्तिकर्ताओं के द्वारा इनकी निर्माता कम्पनियों को उन्नत तकनीक को शीघ्र अपनाने पर जोर दिया जाता है। अतः पूर्तिकर्ताओं के प्रस्ताव को मानकर कम्पनियाँ अपनी तकनीक में परिवर्तन करती हैं।
5. **स्थानापन्न उत्पाद में सुधार (Improvement in Substitutes) :** नवसृजित स्थानापन्न उत्पाद में सुधार या उसका नवीन विकल्प तकनीक परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक स्थानापन्न फाइबरग्लास विकसित करना। इसी प्रकार परम्परागत गैस ओवन की जगह माइक्रोवेव ओवन विकसित करना। अतः इसमें तकनीक परिवर्तन को अपनाकर नये उत्पाद बनाये जाते हैं।
6. **सामाजिक शक्तियाँ (Social forces) :** सामाजिक शक्तियाँ पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरणीय समस्याओं के विरोध में सड़कों पर उतर आती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए कई कम्पनियाँ पर्यावरण-फ्रेंडली उत्पादों (Eco-friendly products) का निर्माण नवीन तकनीकों को अपनाकर कर रही हैं। इस प्रकार आज पर्यावरणीय असन्तुलन को दूर करने में सामाजिक दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई कम्पनियों ने अपनी तकनीक में परिवर्तन कर पर्यावरण की समस्या को कम करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग एवं थर्मल पावर कम्पनियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार सामाजिक समस्याएँ प्रेरक शक्तियाँ रही हैं।
7. **सरकारी नीतियाँ (Government policies) :** देश में तकनीकी वातावरण के निर्माण में सरकार की तकनीकी विकास नीति महत्वपूर्ण होती है। यह नीति औद्योगिक उपक्रमों के विकास में मददगार साबित होती है। सरकार द्वारा उदारीकरण/वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के पश्चात् भारतीय उपक्रमों के विदेशी कम्पनियों के साथ वित्तीय एवं तकनीकी समझौते या अनुबन्ध पिछले दशक में बड़ी तेजी से बढ़े हैं। संयुक्त उपक्रमों की स्थापना इस ओर एक कदम है। इन सबका उद्देश्य आपस में तकनीक उन्नयन, नवीनतम तकनीक तथा तकनीक की जानकारी को साझा करना है और तकनीकी हस्तान्तरण की सुविधा को बढ़ाना है।
8. **अनुसंधान संगठन / तकनीकी संस्थान (Research organization/Technical institutions) :** देश में आर्थिक गतिविधियों एवं व्यावसायिक फर्मों के तकनीकी वातावरण में अभिवृद्धि करने हेतु विभिन्न अनुसंधान

संगठन, तकनीकी संस्थान एवं विभिन्न विश्वविद्यालय सामान्यतया नयी-नयी तकनीकें विकसित करते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान काउंसिल (ICAR), रक्षा एवं विज्ञान क्षेत्र में भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, रक्षा व खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला एवं भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि कार्यरत हैं।

9.4 तकनीकी विकास एवं प्रगति (Technological Development and Growth)

तकनीकी विकास एवं प्रगति ने व्यवसाय को वैश्विक व्यापार की अवधारणा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार लेने में सक्षम बनाया है। वास्तव में, तकनीक में क्रान्तिकारी प्रगति के कारण व्यवसाय, उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी ने जीवन के सभी क्षेत्रों, सभी देशों और पूरे विश्व को प्रभावित किया है। **जे.के. गैलब्रेथ** के मतानुसार, प्रौद्योगिकी के रूप में विशेष रूप से वैज्ञानिक या अन्य संगठित ज्ञान का एक व्यवस्थित प्रयोग प्रौद्योगिक ज्ञान का अनुप्रयोग कहलाता है। इनके अनुसार, प्रौद्योगिकी पिछले 50 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व रूप से उन्नत हुई है।

राष्ट्र आर्थिक रूप से विकसित होते हैं जब वे विज्ञान को उपयोगी तकनीकी में अनुवाद करते हैं और बदले में नवाचारों से धन बनाते हैं। नवाचार विज्ञान या ज्ञान का उपयोगी अनुकूलन है, जिसमें नए उत्पादों या प्रक्रियाओं का आविष्कार शामिल है। आविष्कार पूरी तरह से नई चीजों का निर्माण है। कुछ कम्पनियाँ या लोग आविष्कार करते हैं लेकिन, कई कम्पनियाँ आवेदन और व्यावसायीकरण द्वारा धन उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को अपनाती हैं।

प्रौद्योगिकी का स्तर सभी देशों में समान नहीं है। उन्नत या विकसित देश नवीनतम तकनीक का लाभ उठाते हैं जबकि विकासशील देश अप्रचलित या पुरानी तकनीक के परिणामों का सामना करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अध्ययन एवं शोध से यह पता चलता है कि बड़े औद्योगिक विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों में पिछले दो दशकों में, इनके मध्य असमानता के गुणांकों या आय के अन्तर को अधिक विकसित करने में प्रौद्योगिकी अधिक योगदान दे रही है।

तकनीकी प्रगति के क्रमिक विकास एवं प्रगति का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि 1950 के दशक में विकास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में तकनीकी प्रगति को मुख्यधारा के आर्थिक सिद्धान्त की चर्चा में लाया गया था। विकास हेतु भौतिक कारकों के योगदान के लिए **सोलो** ने सन् 1957 में अपने अग्रणी प्रयास से विकास लेखांकन की तकनीक की शुरुआत की, जिससे पता चला कि वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्द्ध के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में भौतिक कारकों से हटकर उत्पादन एवं विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यह अब काफी अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि आज उत्पादकता की वृद्धि के पीछे अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप तकनीकी प्रगति सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

तकनीकी प्रगति के साथ उत्पादकता वृद्धि में बराबरी करना विकासशील देशों की विकास सफलताओं को समझने में कुछ हद तक कठिन हो सकता है। समस्त उत्पादकता वृद्धि 'शुद्ध' तकनीकी प्रगति से प्राप्त नहीं होती है बल्कि, उत्पादकता वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा श्रम शक्ति में सुधार और मानव पूँजी संचय से उत्पन्न हो सकता है।

नवशास्त्रीय सैद्धान्तिक परम्परा में तकनीकी प्रगति की पहचान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रमुख सफलता के साथ की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सीमान्त परिवर्तन होता है। नतीजन, नई तकनीकों के प्रसार, अनुकूलन और अनुप्रयोग में तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है। **लाल** (1987) के मतानुसार, प्रमुख तकनीकी नवाचार औद्योगिक विकास के इतिहास में उत्पादकता सुधार का एक मात्र शायद मुख्य स्रोत नहीं हैं और दी गई तकनीकों में सामग्री, प्रक्रियाओं और डिजाइनों में व्यावहारिक रूप से हर उद्योग में उत्पादकता लाभ के लिए महत्वपूर्ण और निरन्तर स्रोत है। इसलिए कोई व्यक्ति **बेल** (1984) के अनुरूप तर्क दे सकता है कि तकनीकी प्रयास को आदर्श रूप से देखा जाना

चाहिए। तकनीकी जानकारी का सचेत उपयोग और तकनीकी का संचय अन्य संसाधनों के साथ मौजूदा तकनीक को चुनने, आत्मसात करने और अनुकूलन करने और/या नई तकनीक बनाने के लिए हो। अवशोषित, आत्मसात, अनुकूलन दी गई (आयातित) प्रौद्योगिकी की नकल और शायद सुधार को अपनाकर अपने देश में तकनीकी परिवर्तन किया जा सकता है। स्वदेशी तकनीक क्षमताओं के निर्माण के लिए सचेत तकनीक प्रयास और अनुसंधान एवं विकास में जोखिम भरे निवेश की आवश्यकता है। पिछड़े विकास वाले राष्ट्रों के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है इसके बहुत व्यापक और सरल शब्दों में दो विकल्प हैं-

- (i) आयातित तकनीक को काम में लाने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- (ii) नई तकनीक को पैदा करने की क्षमता पैदा करने के लिए ज्ञान और अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करें और उन्नत राष्ट्रों को अपने स्तर पर पकड़ने का प्रयास करें।

पिछड़े विकास वाले राष्ट्रों ने आमतौर पर उपरोक्त दोनों के विभिन्न संयोजनों को चुना है। **इवनसन व जॉनसन (1998)** ने विकासशील देशों को तकनीकी क्षमता के छः स्तरों में वर्गीकृत किया है। तकनीकी क्षमता के निम्नतम तीन स्तरों वाले देश आमतौर पर कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं करते हैं। यद्यपि, तीसरे स्तर पर अनुसंधान एवं विकास का थोड़ा सा प्रयास अवश्य दिखाई देता है। लेकिन, पाँचवें स्तर में अनुसंधान एवं विकास कार्य का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष (लाइसेंसिंग) या परोक्ष रूप से तकनीकी खरीद की सुविधा प्रदान करना है। इस कदम में खरीदी गई तकनीक को सफलता पूर्वक समझने और अनुकूलित करने और कार्यान्वित करने के लिए अवशोषण क्षमता बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी बुनियादी ढाँचे के छठे स्तर में ‘‘खरीदे-तब-नकल’’ रणनीति के माध्यम से प्रौद्योगिकी उत्पादन की जागरूक नीति के रूप में लिया जाता है। जॉनसन के इस वर्गीकरण के अनुसार, भारत तकनीकी क्षमता के पाँचवें स्तर पर आता है।

देश के स्वतन्त्र होने के बाद हमने श्रमोन्मुखी (Labour oriented) तकनीकी पर जोर दिया ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके। लेकिन 1980 के बाद हमने पूँजी उन्मुखी (Capital oriented) तकनीकी पर अधिक वरीयता देना इसलिए जरूरी माना कि उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद या सेवाओं का विपणन हेतु उचित लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएँ बनाना जरूरी था। अतः इस दौर में देश में प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर न देकर सुविधानुसार अन्य विकसित राष्ट्रों से तकनीक का आयात किया या इन देशों से द्विपक्षीय समझौते करके तकनीक उधार ली गई।

विश्व में तकनीकी परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। वास्तव में, इससे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। **एल्विन टोफ़लर** ने कहा है ‘‘प्रौद्योगिकी अधिक प्रौद्योगिकी को संभव बनाती है।’’ इस प्रकार प्रौद्योगिकी दुनिया को करीब लाती है। बहुराष्ट्रीय निगमों, संयुक्त उद्यमों, तकनीकी गठबंधनों, लाइसेंसिंग और फ्रैंचाइजिंग के माध्यम से उन्नत देशों से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी प्रवाहित होती है। हमारे देश ने 1990 के बाद निजीकरण और वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीति को अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अपनाया था। 1991 में नवीन औद्योगिक नीति को अपनाया गया, जिसमें एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि हम अपने उद्योगों का विकास विदेशी विनियोग एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी एवं निजी भागीदारी द्वारा तकनीकी विकास पर कार्य करेंगे।

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। वर्तमान में तकनीकी क्रांति ने इसे कम लागत पर उच्च किस्म वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया। इसने घरेलू कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार खोजने के लिए विदेशों में प्रवेश करने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रकार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। आज हम ‘‘सूचना क्रांति’’ के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुप्रयोग द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च किस्म की सूचनाओं का संग्रहण, प्राविधियन एवं संचार सम्भव हो गया है। यही कारण है कि सम्पूर्ण संसार आज एक वैश्विक गाँव (Global village) में परिवर्तित हो गया है। सूचना तकनीक ने इंटरनेट, वेबसाइटों, ई-मेल, साइबरस्पेस,

सूचना सुपर हाईवे, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन, कम्प्यूटर एडेड उत्पादन और ऑनलाइन लेन-देन जैसे विकास के माध्यम ने वैश्विक व्यापार को फिर से परिभाषित कर दिया है तथा वैश्विक व्यापार महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है। कई सक्षम प्रौद्योगिकियों द्वारा वैश्वीकरण की गति को तेज किया गया है। परिवहन एवं संचार जैसे कई क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति ने दूरी एवं लागत जैसी प्राकृतिक बाधाओं के नुकसान को कम करने में जबदस्त योगदान देकर वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है। एयर कार्गो ने परिवहन के क्षेत्र में विकास कर संवेदनशील वस्तुओं के त्वरित और सुरक्षित परिवहन को सरल करके वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है।

हैरिस कैथेटिन के अनुसार, “तकनीकी का विस्तार हमारे व्यासाय एवं प्रबन्ध करने के तौर तरीकों को बदल रहा है। साथ ही, यह ग्राहकों एवं पूर्तिकर्ताओं के साथ सम्बन्धों को बदल रहा है। वास्तव में, यह कोई तकनीकी पहलू नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव है।” वर्तमान में कम्प्यूटर्स एवं सूचना प्रणाली के बढ़ते उपयोग ने व्यवसाय के प्रबन्ध की पद्धतियों में परिवर्तन ला दिया है। तकनीक ने समाज के लोगों के जीवन-स्तर एवं जीवन शैली को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

9.5 तकनीकी वातावरण एवं उसके घटक (Technological Environment and its Components)

तकनीकी वातावरण से आशय उन घटकों एवं शक्तियों से है, जो किसी संगठन के लिए तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन में तकनीकों के उपयोग या तकनीक क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। तकनीकी वातावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन निम्नानुसार है:-

- 1. तकनीकी की उपलब्धता की स्थिति:** तकनीकी वातावरण के लिए देश में तकनीकी उपलब्धता की स्थिति किस प्रकार की है, यह जानना अति आवश्यक है। जिस देश में आविष्कार, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उस देश में तकनीक की उपलब्धता की स्थिति बेहतर बनी रहती है। सरकार एवं निजी क्षेत्र मिलकर देश में अनुसंधान एवं विकास पर अधिक कोष का आवंटन कर अच्छे एवं उपयुक्त तकनीकी वातावरण का निर्माण करते हैं।
- 2. तकनीकों के उपलब्ध विकल्प:** तकनीकी वातावरण का दूसरा घटक है, तकनीक की उपलब्धता के विभिन्न विकल्प कौन-कौनसे हैं? उदाहरणार्थ, विद्युत शक्ति तकनीक के विभिन्न स्रोत-आणाविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला थर्मल पावर प्लान्ट द्वारा निर्मित ऊर्जा आदि हो सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य नवीन क्षेत्र की भी खोज की जा सकती है। किसी तकनीक के जितने अधिक विकल्प होंगे, हमें किसी एक विकल्प पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- 3. उपलब्ध तकनीकों का स्तर:** उपलब्ध तकनीकों को सामान्यतया हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं:
 - (i) श्रम आधारित तकनीक, तथा
 - (ii) पूँजी आधारित तकनीक।
 श्रम आधारित तकनीक में मानव शक्ति के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि पूँजी आधारित तकनीक में स्व-चालित यंत्र, सूचना आधारित तकनीक, डिजिटाइजेशनल आधारित तकनीक आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तकनीकी वातावरण इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने देश में किस स्तर की तकनीक को अपनाना चाहते हैं।
- 4. उपलब्ध तकनीकों की लागत:** किसी देश के तकनीकी वातावरण के निर्माण में उपलब्ध तकनीकों की लागत प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। यदि देश में ही तकनीक की खोज की जाती है और इसमें दूसरे देश से आयातित

तकनीक की तुलना में लागत अधिक आती है तो हमें ऐसी तकनीक को दूसरे देश से आयातित करना ज्यादा लाभदेय होगा। सामान्यतया विकसित राष्ट्र ही नवीन तकनीक की खोज पर अधिक राशि खर्च कर रहे हैं। विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों से द्विपक्षीय समझौते द्वारा या तकनीक का आयात करके अपने देश में तकनीकी वातावरण का कम लागत पर निर्माण कर रहे हैं।

5. **देश एवं विदेशों में तकनीकी परिवर्तनों की गति:** वर्तमान युग में देश एवं विदेशों में तकनीकी परिवर्तनों की गति अत्यन्त तीव्र होती जा रही है। इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं जैसे- सरकारी नीतियाँ एवं नियमन, पूर्ण रूप से नये उद्योग की रचना करना, उद्योग में अप्रचलित तकनीक के स्थान पर नवीन तकनीक को अपनाना एवं उद्योग को जीवंत बनाये रखने के लिए उसके उत्पाद में सुधार एवं लागत में कमी लाना आदि। तकनीकी परिवर्तनों की गति तकनीक के हस्तान्तरण, नवाचार, अन्वेषण, तकनीकी ज्ञान एवं सजगता पर निर्भर करती है।
6. **सरकारी तकनीकी नीति:** किसी देश के तकनीकी वातावरण पर सबसे अधिक प्रभाव उस देश की सरकार की विज्ञान एवं तकनीकी नीति पर अधिक निर्भर करता है। विदेशी कम्पनियों के साथ भारतीय उद्योगों का वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा अपनायी गई उदार नीति के कारण हाल के दशकों में कई गुना बढ़ गयी है। यदि सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अधिक कोष का बजट में निर्धारण करें तो इस कारण भी देश के तकनीकी वातावरण में बढौतरी संभव है। कई बार सरकार अन्य देशों के उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें या दूसरे देशों की सरकारों से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते या अनुबन्ध को अपना कर भी तकनीकी सुधार में योगदान कर सकती है।
7. **तकनीकों के आयात-निर्यात की नीति एवं व्यवस्था:** सभी राष्ट्र अपने चहुँमुखी विकास के लिए तकनीकों के आयात-निर्यात की नीति को अपना रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में तकनीक हस्तान्तरण के कई तरीके पाये जाते हैं, उनमें से प्रमुख हैं- लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग प्रदान करना, संयुक्त उपक्रम की स्थापना के माध्यम द्वारा, अनुसंधान एवं विकास के अनुबन्ध द्वारा तथा तकनीक की खरीद करना, आदि। अतः किसी भी राष्ट्र के तकनीकी वातावरण के लिए आयात एवं निर्यात नीति पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।
8. **तकनीकों के प्रयोग एवं आत्मसात करने की क्षमता:** आज तकनीक को संपत्ति अथवा एक वस्तु की तरह खरीदा एवं बेचा जा सकता है। आज देश में तकनीक की उपलब्धता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसका सही समय एवं स्थान पर अनुप्रयोग एवं आत्मसात करने की क्षमता का होना महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास पर बहुत सारे संसाधनों का विनियोग/निवेश होता है और यदि यह तकनीक विदेशी विनियोग से आयातित की है तब भी उस पर लगी हुई पूँजी का सही एवं अनुकूलतम उपयोग होना आवश्यक है। साथ ही, तकनीकी का हमारे देश के वातावरण के अनुकूल होना आवश्यक है। अतः प्राप्त तकनीक का सही उपयोग एवं आत्मसात द्वारा उपयुक्त तकनीकी वातावरण का सृजन किया जा सकता है।

9.6 विज्ञान एवं तकनीकी नीति (Science and Technology Policy)

सरकार का प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य देश में तकनीकी पर्यावरण विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास एवं ठोस कदम होता है। सरकार विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में विभिन्न तरीकों को अपना कर प्रोत्साहित कर सकती है यथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना, अनुसंधान एवं वित्त-पोषण में प्रत्यक्ष भागीदारी, निजी उद्यमों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश हेतु प्रोत्साहित करके, करों में छूट एवं अवकाश सहायता राशि द्वारा प्रोत्साहन आदि।

भारत ने अपने देश के तकनीकी विकास के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करने वाली एक स्पष्ट औद्योगिक नीति का पालन किया है। भारत की तकनीकी नीतियों में स्वदेशी तकनीक विकास के लिए प्रत्यक्ष नीतियों के साथ-साथ तकनीकी आयात और तकनीकी हस्तान्तरण को प्रतिबंधित और विनियमित करने के लिए अप्रत्यक्ष नीतियाँ शामिल हैं। देश में पहला वैज्ञानिक प्रस्ताव 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद तकनीकी विकास के प्रति नीतिगत रुख में निरन्तर बदलाव आता गया। केन्द्र सरकार ने 1991 में नवीन औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें आर्थिक सुधारों और व्यापार उदारीकरण के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयों को स्थान दिया गया था।

I सुधार पूर्व अवधि (1991 से पूर्व) में प्रौद्योगिकी नीति : भारत में स्वतंत्रता के बाद की प्रौद्योगिकी नीति का मूल उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के लिए उपयुक्त आयातित प्रौद्योगिकी का कुशल अवशोषण और अनुकूलन था। तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को भारत के तकनीकी विकास के केन्द्र में रखा गया था। इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक विकास में “राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के लिए उपयुक्त रखा गया। सन् 1990 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था संरक्षण, हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण की नीति व्यवस्था के अन्तर्गत एक व्यापक ढाँचे के भीतर संचालित होती थी। उस समय औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार पर प्रतिबंध और नियम व्यापक थे। इस पृष्ठभूमि में समग्र नीतिगत ढाँचे में भारत में ठोस प्रौद्योगिक नीति पर ध्यान केन्द्रित नहीं था।

अप्रैल, 1949 में घोषित विदेशी निवेश और सहयोग से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत, यह प्रस्ताव रखा गया कि विदेशियों के साथ गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जायेगा तथा तकनीकी क्षेत्र में भी अन्य देशों का सहयोग लिया जा सकेगा। विदेशी सहायता से देश में विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ, भारतीयों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी परामर्श की व्यवस्था आदि कार्य हुए साथ ही, अनुसंधान कार्यों को भी प्रोत्सहन मिला है।

देश में 1948 की औद्योगिक नीति के तदुपरान्त सन् 1956 में देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु एक आधारभूत औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें देश में द्रुतगति से औद्योगिकरण और तकनीक के विकास एवं आयात पर विशेष बल दिया गया, जिससे भावी औद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार तैयार हो सके।

भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने सन् 1953 में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम (National Research and Development Corporation) की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता प्रदान करना है। यह प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का कार्य भी करता है तथा यह निगम अन्य अनुसंधान संस्थानों व परिषदों के सहयोग से कार्य करता है। इनमें मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय औषध परिषद, आदि सम्मिलित हैं। सन् 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम द्वारा लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कई प्रयास किये गये, जिनमें प्रमुख हैं- तकनीकी सेवा केन्द्र/विस्तार केन्द्रों की स्थापना, सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों की स्थापना, प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र की स्थापना, आदि। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research) का गठन किया गया था। देश में एक प्रयास वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हुआ, जिसमें इन संस्थाओं ने तकनीकी सलाहकार संगठन (Technical Consultancy Organisation) स्थापित करके उद्योगों को तकनीकी सलाह प्रदान की है।

1960 के दशक के मध्य में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के चलते सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा था। इस प्रकार देश में विदेशी निवेश एवं तकनीक हेतु प्रतिबन्धात्मक नीति अपनायी गई। साथ ही, विदेशी तकनीक के अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे।

सन् 1977 की औद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों के स्थान पर रोजगारपरक छोटे उद्योगों को महत्व दिया गया था। इस नीति में भारतीयता का पुट अधिक था। पूँजी, तकनीक एवं प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में भारतीय साधनों के प्रयोग को अधिक महत्व दिया गया।

सन् 1980 में औद्योगिक नीति में फिर महत्वपूर्ण संशोधन किये गये, जिसमें उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने तथा इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की नीति को अपनाने पर जोर दिया गया था। इस प्रकार पूर्व सुधार युग में भारत की तकनीकी नीति अनिवार्य रूप से कुछ बिन्दुओं पर आधारित थी जैसे-सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण एवं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि लघु नवाचारों की अवशोषित और अनुकूलन क्षमताओं का विकास किया जा सके, जिससे अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चलती रहें।

II सुधारों के बाद के युग में प्रौद्योगिकी नीति: सन् 1990 के दशक के शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को गैट एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO) ढाँचे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में सामंजस्य बैठाना पड़ रहा था। सन् 1991 में भारत ने अपनी मूलभूत नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी थी। इस नीति में सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को अपनाने पर जोर दिया गया था। प्रत्यक्ष विनियोग के द्वार खोल दिए गए तथा तकनीकी हस्तान्तरण को स्वतंत्र कर दिया गया था। इस नवीन औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना तथा विदेशी विनियोग एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में योजना आयोग ने कहा है “नए क्षितिज की खोज और आर्थिक समृद्धि के नये दौर की प्रतियोगिता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मुख्य केन्द्र बिन्दु में रहना है और आर्थिक, औद्योगिक, व्यापार एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करना है तो प्रौद्योगिकी नीति को तकनीकी आयात, अनुकूलन और आत्मसात से परे जाना चाहिए।” इसी वक्तव्य के आगे यह भी स्पष्ट लिखा है कि तकनीकी के विकास और विपणन के लिए न केवल मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ढाँचे के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता है बल्कि उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं के बीच संबंध स्थापित करने तथा इस उद्देश्य के लिए उद्यम पूँजी निधि को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।

III विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति: विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (Science, Technology and Innovation) (एस टी आई) आर्थिक एवं मानव विकास के प्रमुख चालक हैं। भारत को सतत् विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता अति आवश्यक है। एक “आत्मनिर्भर भारत” प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्रणाली, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। प्रभावशाली तकनीक के उद्भव ने नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं और साथ ही साथ अधिक से अधिक अवसर भी उत्पन्न किये हैं। COVID-19 महामारी ने अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के लिए एक सम्मोहक चुनौती एवं अवसर प्रदान किया है। नई विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का उद्देश्य गहन परिवर्तन लाना है।

चार राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियाँ-वैज्ञानिक नीति संकल्प, (एस पी आर) 1958, प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य, (टीपीएस) 1983, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, (एस टी पी) 2003 एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एस टी आई पी), 2013 ने भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के विकास को निर्देशित किया है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नई चुनौतियों के साथ अवसर भी सृजित किये हैं। हमारे देश में सन् 2000 के बाद से ज्ञान को धन और मूल्य में बदलने पर ध्यान केन्द्रित किया। इसके पश्चात्

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 को लाया गया, जिसमें देश की सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करने का संकल्प लिया गया था। एस एण्ड टी नीति, 2003 के बाद वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप 2010 से 2020 के दशक को महत्वपूर्ण दशक के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इस अवधि में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की कार्य योजना के साथ नवप्रवर्तन एवं राष्ट्रीय प्रगति के लिए अभिनव मानसिकता का निर्माण आदि प्रमुख उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति, 2013 (एस टी आई पी, 2013) का निर्माण भारत को शीर्ष पाँच वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों में लाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। देश में विज्ञान एवं तकनीकी के नेतृत्व वाला नवाचार परिस्थितिकी तंत्र और निजी क्षेत्र को शोध एवं विकास हेतु आकर्षित करना, इस नीति की प्रमुख विशेषता थी।

भारत की नवीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:-

1. विज्ञान एवं तकनीकी गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखकर सार्वजनिक एवं निजी वित्त पोषण संबंधी वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देना।
2. भारतीय अनुसंधान एवं विकास की परिवर्तनकारी शक्तियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और जवाबदेह अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र बनाना है। साथ ही इस तंत्र का उद्देश्य देश को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ हमारी सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करना भी रखा गया था।
3. अनुसंधान में तेजी लाने के लिए देश में उच्च शिक्षा संगठनों में नवाचार और सभी स्तरों पर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को समाज से जोड़ना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, अधिक अकादमिक अनुमति देने के लिए एक बुनियादी तंत्र बनाया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान एवं नवाचार हेतु बौद्धिक और कार्यालय स्वायत्ता प्रदान करने के साथ जवाबदेही से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा स्तर से विज्ञान एवं अनुसंधान का ज्ञान करवाया जायेगा।
4. अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का निर्माण एवं विकास, राज्यों के साथ तकनीकी साझेदारी का निर्माण एवं मेगा विज्ञान परियोजनाओं आदि में बड़े पैमाने पर निवेश किया जायेगा।
5. खुले विज्ञान को बढ़ावा देना और सार्वजनिक वित्त पोषित से सभी आउटपुट और डेटा तक पहुँच को सक्षम बनाना।
6. अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामूहिक और समावेशी वैश्विक विकास का लक्ष्य रखना।
7. भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसंधान उत्कृष्टता ढाँचा विकसित करना तथा कौशल निर्माण के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करना।
8. अनुसंधान संस्कृति को फिर से बढ़ावा दिया जायेगा, जिसमें अनुसंधान की गुणवत्ता होगी तथा अकादमिक उपलब्धि के साथ-साथ दोनों के आधार पर मूल्यांकन, मान्यता और पुरस्कृत किया जायेगा।
9. अत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाना अर्थात् स्वदेशी का विकास आमंत्रित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर किया जायेगा। देश में प्रौद्योगिकी विकास और अनुकूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जुड़ाव सुनिश्चित किया जायेगा।

10. भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए यह जरूरी है कि देश अंतरिक्ष, परमाणु, साइबर जैसे सामरिक क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता में वृद्धि करने का सतत प्रयास करेगा।
11. विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिकों और समाज के बीच जो अन्तराल है, उस बाधा को दूर कर विज्ञान संचार द्वारा जागरूकता और मान्यता पैदा करने की आवश्यकता को मजबूत करने के लिए उपयुक्त तंत्र का विकास किया जायेगा।
12. अन्तर्राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय जुड़ाव के साथ इनमें चयन और प्रतिबद्धता में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का पालन किया जाएगा। राष्ट्रीय वैज्ञानिक हितों एवं तकनीकी क्षमताओं पर विचार करते हुए विज्ञान एवं तकनीकी परियोजनाओं को स्वीकार किया जायेगा।
13. एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास शासन ढाँचा स्थापित किया जायेगा जिससे अनुसंधान एवं नवाचार तथा शासन के बीच के अन्तर्सम्बंधों को मजबूती प्रदान की जा सके।
14. देश के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान पर आधारित हरित पहल करना। साथ ही, राष्ट्रीय जल, कृषि, खाद्य, पोषण एवं सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण को सक्षम बनाने में विज्ञान एवं तकनीकी का सदुपयोग करना।

9.7 भारत में शोध एवं विकास व्यय का परिदृश्य (R&D Expenditure Scenario)

भारत में स्वतन्त्रता के समय वैज्ञानिक और तकनीकी बुनियादी संरचना न के बराबर थी। कई वर्षों के प्रयास के उपरान्त सुसज्जित विशेषज्ञता के भंडार के साथ एक बुनियादी ढाँचे और क्षमताओं का निर्माण किया जा सका है। अब केन्द्र और राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और गैर-लाभकारी संस्थाओं सहित एक विस्तृत व्यवस्था शामिल है, जो देश में शोध एवं विकास कार्यों पर वित्त एवं कोष की पर्याप्त व्यवस्था द्वारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं बल्कि, ये एक स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण का भी निर्माण कर रहे हैं।

एशिया में शीर्ष दस तकनीकी नेतृत्व में भारत अभी पाँचवें स्थान पर है। भारत में अनुसंधान एवं विकास का परिदृश्य सन् 1971 के बाद बदलना शुरू हुआ, जब प्रौद्योगिकी पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और आयोजन, समन्वय और संवर्द्धन के लिए एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के उद्देश्य से की गई थी। यह विभाग विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में शोध एवं विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना था। विज्ञान और इंजीनियरिंग परिषद् (SERC) नामक सलाहकार निकाय जो अपनी सलाहकार समितियों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास कार्य में सहायता करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की “औषधि और औषधि अनुसंधान” में एक योजना है जो औषधि के क्षेत्र में शोध एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करती है। सन् 1996 में गठित एक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग के प्रयास या अपनाने के लिए औद्योगिक संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत में 2000-01 की गणना में शोध एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.86 प्रतिशत था, जबकि अमेरिका में उस समय 2.79 प्रतिशत एवं जापान में 2.83 प्रतिशत था। भारत में शोध एवं विकास गैप इस बात से भी स्पष्ट है कि कारपोरेट्स समग्र शोध एवं विकास व्यय में क्या योगदान करते हैं। जापान में यह लगभग 80 प्रतिशत है और अमेरिका में लगभग 70 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 15 प्रतिशत से कम है।

अनुसंधान पर व्यय का अनुपात देखे तो भारतीय उद्योग कुल बिक्री का 0.3 प्रतिशत खर्च अनुसंधान कार्यों पर करते हैं, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात आमतौर पर दोहरे अंकों में होता है। भारतीय दवा फर्मों के मामले में यह अनुपात औसतन 2 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक स्तर की दवा कम्पनी जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, फाइजर में यह अनुपात 9.46

प्रतिशत और 15.42 प्रतिशत के बीच रहा है। एक राय के अनुसार, भारत की अनुसंधान क्षमता का दोहन करने का सबसे अच्छा तरीका “निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति” प्रदान करने के अलावा “अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन” तैयार करने में पहल करना लाभदायक सिद्ध होगा।

देश में सुधारों और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति व्यवस्था को लागू करने के उपरान्त भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सन् 2003 की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का स्पष्ट जनादेश- ‘उदारीकरण’ के बाद की अवधि में हाउस इंडस्ट्रियल 0.91 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर दसवीं योजना के अंत तक भारत के सफल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत कर दिये जाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत 1 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुँचने में ही सफल नहीं हो पाया था।

सरकार का अनुसंधान एवं विकास का वर्गीकृत व्यय इस प्रकार है- केन्द्रीय संस्थागत अनुसंधान एवं विकास और सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रयोगशालाएँ एवं औद्योगिक अन्तरिक अनुसंधान एवं विकास उद्यम पर कुल (राष्ट्रीय) अनुसंधान विकास का व्यय क्रमशः 62.6 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत तथा एक छोटा सा हिस्सा 4.1 प्रतिशत उच्च शिक्षा में जा रहा है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास व्यय में सरकार की कुल हिस्सेदारी 79.7 प्रतिशत है तथा निजी क्षेत्र में शोध एवं विकास की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत बनी हुई है। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (सार्वजनिक \$ निजी क्षेत्र) कुल शोध एवं विकास का केवल 24.8 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने शोध एवं विकास पर 2014-15 में 87,473.41 करोड़ रुपये, 2015-16 में 95,452.44 करोड़ रुपये, 2016-17 में 10,3099.26 करोड़ रुपये, 2017-18 में 1,13,825.03 करोड़ एवं 2018-19 में 1,23,847.71 करोड़ रुपये व्यय किये। 2019-20 में अनुमानित 1,31,752.56 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया था।

अंत में, इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि शोध एवं विकास पर व्यय की राशि पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

स्व – मूल्यांकन – प्रथम

1. “तकनीकी शब्द यह दर्शाता है कि कैसे एक संगठन, अपने लगाए हुए संसाधनों को परिणामों में हस्तांतरित करता है।” स्पष्ट कीजिए
2. तकनीकी की परिवर्तन के कोई दो प्रमुख स्रोत बताइए।
3. “प्रौद्योगिकी अधिक प्रौद्योगिकी को संभव बनाती है।” इस कथन के लेखक का नाम स्पष्ट कीजिए।
4. निम्न में से कौनसा घटक तकनीकी वातावरण से सम्बंधित नहीं है : -
 (अ) तकनीकों की उपलब्धता की स्थिति (ब) श्रम / पूंजी आधारित तकनीक
 (स) तकनीकों के उपलब्ध विकल्प (द) सरकारी आर्थिक / सामाजिक नीति
5. ‘सुधार पूर्व अवधि’ में प्रौद्योगिकी नीति से तात्पर्य, आपकी दृष्टि में है : -
 (अ) 1998 से पूर्व (ब) 1999 से पूर्व
 (स) 1991 से पूर्व (द) 2014 से पूर्व

9.8 तकनीकी हस्तान्तरण (Technology Transfer)

9.8.1 तकनीकी हस्तान्तरण की अवधारणा (Concept of Technology Transfer):

किसी तकनीक के उपयोगकर्ता का उसका आविष्कारक या निर्माता होना आवश्यक नहीं है। अधिकांश आविष्कार उन संस्थाओं के बाहर किये जाते हैं, जो उनसे लाभान्वित होते हैं।

तकनीकी हस्तान्तरण का सामान्य अर्थ हैं, एक ऐसी प्रक्रिया से जिसके द्वारा एक उपक्रम में एक विशेष उद्देश्य के लिए विकसित प्रौद्योगिकी, ज्ञान और सूचना को दूसरे उपक्रम में लागू या उपयोग किया जाता है। तकनीकी हस्तान्तरण बुनियादी विज्ञान एवं अनुसंधान पर सूचना के प्रसार से लेकर किसी विशिष्ट उत्पाद के व्यावसायीकरण तक हो सकता है।

जैन और ट्रायंडिस के मतानुसार, “तकनीकी हस्तान्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विज्ञान और तकनीकी को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे में स्थानान्तरित किया जाता है, जो इस नए ज्ञान को अपने काम करने के तरीके में शामिल करता है।

तकनीकी हस्तान्तरण निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है:-

1. व्यापार चिन्ह, सेवा चिन्ह और व्यापार नामों को छोड़कर, जब वे तकनीकी हस्तान्तरण या लेनदेन का हिस्सा नहीं हैं, को छोड़कर सभी प्रकार की औद्योगिक संपत्ति की बिक्री एवं लाइसेंसिंग।
2. इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रशिक्षण के लिए विनिर्देश उपकरण, तकनीकी सलाहकार और प्रबन्धकीय कर्मियों का प्रशिक्षण।
3. संयन्त्र और उपकरण और टर्नकी परियोजनाओं की स्थापना, संचालन के लिए तकनीकी ज्ञान का प्रावधान।
4. मशीनरी, उपकरण, मध्यवर्ती सामान और कच्चे माल को प्राप्त करने एवं स्थापित करने और उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का प्रावधान जो खरीद, पट्टे या अन्य माध्यमों से प्राप्त किया गया है।
5. औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग व्यवस्था के लिए तकनीकी सामग्री का प्रावधान। उदाहरणार्थ, विकसित और तीसरी दुनिया के देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समझौता।

9.8.2 तकनीकी हस्तांतरण तंत्र (Mechanism of Technology Transfer)

औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से तकनीक को स्थानान्तरित करने के कई तरीके हैं। औपचारिक प्रक्रियाएँ वे हैं जो हस्तान्तरण प्रक्रिया में प्रतिभागियों के बीच कानूनी व्यवस्था का उपयोग करती हैं, जबकि अनौपचारिक प्रक्रिया इसके विपरीत है। तकनीकी हस्तान्तरण में शामिल तरीके या तंत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. **लाइसेंसिंग समझौता (Licensing Agreement):** लाइसेंसिंग समझौते के अन्तर्गत निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर लाइसेंस देने वाले और इसे प्राप्त करने वाले के बीच तकनीकी हस्तांतरण समझौता या अनुबन्ध होता है।
2. **मशीन और उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुबन्ध (Contract for Supply of Machinery and Equipments):** इस अनुबन्ध में मशीन एवं उपकरणों की आपूर्ति के अतिरिक्त सम्बंधित परिचालन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का प्रावधान किया जाता है, जो विनिर्माण उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।
3. **तकनीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण या नियुक्ति (Training or Employment of Technical Experts):** यह एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटी और अप्राप्य निर्माण तकनीकों/प्रक्रियाओं का हस्तान्तरण शामिल है। इसमें उपयुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षित करके या विदेशी विशेषज्ञ की नियुक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है।
4. **पूर्वापेक्षा अनुबंध (Turnkey Contract):** यह एक अनुबन्ध के माध्यम से जटिल तकनीक का एक व्यापक हस्तांतरण है, जिसमें ग्राहक (Client) के पक्ष में सुविधा हेतु डिजाइन की आपूर्ति, सृजनात्मक सेवा एवं पर्यवेक्षण आदि की आपूर्ति शामिल हैं।
5. **उप-अनुबंध (Sub-Contracting):** कई विदेशी उपक्रम मेजबान देश के उत्पादकों के लिए इनपुट की खरीद के उप अनुबंध करते हैं और तकनीकी सहायता, सूचना और तकनीकी जानकारी की पूरी श्रृंखला प्रदान करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ऑटोमोबाइल एवं टेलीविजन उद्योगों में पाई जाती है।

6. प्रौद्योगिकी के स्वामित्व वाली कम्पनी या व्यवसाय का अधिग्रहण।
7. प्रौद्योगिकी मालिकों के साथ संयुक्त उपक्रम सहयोग / समझौता।

9.8.3 समस्याएँ और संभावनाएँ (Problems and Prospects)

तकनीकी के हस्तान्तरण से जुड़ी कई समस्याएँ हैं। तकनीकी का आयात कठोर, कठिन एवं अलाभदेय शर्तों के आधार पर किया जाता है। तकनीकी हस्तान्तरण समझौतों में कई प्रतिबंधित शर्तों का समावेश होने के कारण तकनीक की गोपनीयता, डिजाइन या प्रक्रिया में परिवर्तन करना कठिन कार्य था। तकनीकी हस्तान्तरण में उत्पन्न होने वाली समस्याएँ निम्नानुसार हैं:-

1. कुछ विदेशी कम्पनियों में पुरानी तकनीक को कम विकसित देशों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। आधुनिक तकनीक वाले देश अपने पास अधिक उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी विकसित देशों में अप्रचलित तकनीक को विकासशील देशों में खपा कर उससे उबरने का प्रयास करते हैं।
2. कहा जाता है कि विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की लागत कम विकसित राष्ट्रों के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकी हस्तान्तरण के साथ जुड़ा हुआ है और रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज एवं तकनीकी शुल्क के रूप में तकनीकी हस्तान्तरण कम्पनियाँ कमाई का बड़ा भाग अपने देश में ले जाती हैं।
3. कई बार तकनीकी हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता देश सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के लिए अनुपयुक्त होता है, जिसके कारण तकनीकी हस्तान्तरण अप्रासंगिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रौद्योगिकी पर पूर्ण निर्भरता लंबे समय में राष्ट्रीय हित के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
4. जब देश में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अपर्याप्त प्रयास होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। लेकिन देश में ही तकनीक के विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाया जाए तो तकनीकी हस्तान्तरण पर निर्भरता कम की जा सकती है।
5. विदेशी प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप शामिल लागत और शुद्ध पूँजी का बहिर्गमन के अलावा प्रौद्योगिकी प्रसार और अनुकूलन के लाभ हमेशा मेजबान देश द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते हैं और न ही अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कोई उत्प्रेरक प्रभाव होता है। इसके विपरीत, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अवांछनीय प्रथाओं का सहारा लेना पड़ता है, इससे कई मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है।
6. तकनीकी हस्तान्तरण में विदेशी सहयोगियों को मूल प्रौद्योगिकी में समय-समय पर किए गए सुधारों और संशोधनों के बारे में पूरी तरह से सूचित नहीं किया जाता तथा अधिकांश मामलों में पूरी जानकारी नहीं देने की समस्या हमेशा रही है।
7. तकनीकी सहयोग समझौतों की अवधि की सीमा तय होती थी लेकिन, यह देखा गया कि समझौतों का विस्तार और नवीनीकरण कर इसका उल्लंघन किया जाता है।

9.9 व्यावसायिक वातावरण पर तकनीकी का प्रभाव (Effect of Technology on Business Environment)

आधुनिक युग में व्यवसाय एवं उद्योगों का स्वरूप अत्यन्त व्यापक एवं जटिल हो गया है। तकनीक विज्ञान एवं अनुसंधान ने व्यवसाय की काया पलट कर रख दी है। नवीन प्रौद्योगिकी ने बड़े निगमों से लेकर सबसे छोटे व्यवसाय के संगठन एवं कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है। व्यवसाय में प्रौद्योगिकी का उपयोग श्रम को कम करने, गुणवत्ता में सुधार करने, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने या फर्म के संचालन के तरीके को बदलने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा,

उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने, नवीन उत्पाद की संरचना करने, उत्पादन को नियन्त्रित करने एवं विपणन के नये तरीकों को अपनाने, आदि कार्य में भी नवीन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आज दुनिया भर में आधुनिक उद्योगों की वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की बहुलता के साथ उनमें बड़े पैमाने पर विविधता के प्रमुख कारणों का पता करेंगे तो हम पायेंगे कि तकनीकी परिवर्तनों के प्रयोग द्वारा ही यह संभव होता है।

वर्तमान युग में तकनीकी वातावरण में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तनों का परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, वह निम्नानुसार है:-

- (i) कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय एवं कारोबारी माहौल को अत्यधिक गतिशील बना दिया है।
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उत्पादन एवं सेवा उद्योग में उच्च दक्षता को सक्षम बनाने में मदद मिली है। आज ई-व्यवसाय, ई-विपणन आदि के माध्यम से घर बैठे व्यवसाय किया जा सकता है।
 - (iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिंक बनाने वाले ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच त्वरित एवं नए संबंध बनाता है और उन्हें सन्तुष्टि प्रदान करता है।
 - (iv) नवीन तकनीक व्यावसायिक संगठनों को आधुनिक आकार देने में उपयोगी साबित हुए हैं। इसके अलावा, इन संगठनों के प्रबन्धकीय कार्य में नवीन तकनीक के प्रयोग से कुशलता में वृद्धि हुई है।
 - (v) परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति ने दूरी और लागत जैसी प्राकृतिक बाधाओं के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तकनीकी परिवर्तन अब व्यावसायिक प्रतियोगिता के प्रमुख चालक के रूप में माना जाता है। एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में तकनीकी नवाचार प्रमुख हथियार है।
 - (vi) प्रत्येक व्यावसायिक संगठन निरन्तर शोध एवं विकास पर जोर दे रहे हैं ताकि अपने उत्पाद, उत्पादन सामग्री एवं उत्पादन विधियों में सुधार एवं संशोधन कर सकें।
 - (vii) उत्पादन की प्रणालियों में नवीन यंत्र एवं उपकरणों का विकास हो रहा है, फलतः इनमें कम्प्यूटरों एवं यांत्रिक मानव (Robots) का प्रयोग प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
 - (viii) ऊर्जा के नवीन-स्रोतों का ज्ञान होने से गैर-परम्परागत एवं नवकरणीय ऊर्जा (Non-Traditional and Renewable Energy) के स्रोतों की खोज की जा रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं।
 - (ix) जैविक तकनीक (Bio-technology) के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं।
 - (x) औषध या दवा उद्योग में नवीन शोध एवं तकनीक के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है। आज आधुनिक जाँच एवं ईलाज की सुविधा से किसी भी घातक बीमारी से स्वस्थ हुआ जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था लेकिन शोध के माध्यम से तत्काल ही इसकी वैक्सीन की खोज कर ली गई और इस बीमारी के आंतक से निजात पाने में सफलता प्राप्त कर ली गई।
 - (xi) विकसित राष्ट्र कम विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को तकनीक के हस्तांतरण के समझौते कर रहे हैं।
- तकनीकी प्रगति के कारण आज व्यवसाय राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर वैश्विक बन गया है। उन्नत सूचना तकनीक और आई टी समकक्ष सेवाएं-इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर स्पेस की जानकारी तेजी से ग्राहकों से संपर्क बनाने का तौर तरीका बदल रहे हैं। ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने, प्रसंस्करण, नेटवर्किंग और व्यापार प्रणालियों में एकीकरण बैठाने में नवीन तकनीक का बड़ा योगदान है।

तकनीकी घटकों का व्यवसाय एवं इसकी कार्यप्रणाली पर बहुत व्यापक प्रभाव होता है। ये संस्था की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डालते ही हैं साथ ही ग्राहकों, समाज, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि पर भी जबरदस्त प्रभाव उत्पन्न करते

हैं। अतः तकनीकी वातावरण के घटकों के प्रभावों का बड़ी सावधानीपूर्वक एवं सोच विचार कर मूल्यांकन करना चाहिए। प्रबन्धकों को उन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यावसायिक व्यूहरचना का निर्माण करना चाहिए।

स्व- मूल्यांकन – द्वितीय

1. बताने का अभ्यास करें कि क्या तकनीकी हस्तांतरण में तकनीक के उपयोगकर्ता का, उसका आविष्कारक या निर्माता होना आवश्यक है ?
2. तकनीकी हस्तांतरण तंत्र के अंतर्गत ‘लाइसेंसिंग समझौता’ क्या है?
3. तकनीकी हस्तांतरण की मूल समस्या, निम्न में से कौनसी हो सकती है –
 - (अ) विदेशी कम्पनियों द्वारा पुरानी तकनीक को हस्तांतरित किया जाना
 - (ब) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत, कम विकसित राष्ट्रों के लिए उचित नहीं होगा
 - (स) तकनीकी सहयोग समझौतों का बार – बार उल्लंघन होना
 - (द) उपरोक्त सभी
4. व्यावसायिक वातावरण पर तकनीक प्रभाव के कोई दो लाभ बताइए।
5. “तकनीकी घटकों का संस्था की आर्थिक स्थिति, ग्राहकों, कार्मिकों, समाज तथा आपूर्तिकर्ताओं पर वृहद प्रभाव पड़ता है।” संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

9.10 सारांश (Summary)

तकनीकी वातावरण का मानव जीवन के साथ सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। तकनीकी वातावरण से तात्पर्य, उन समस्त शक्तियों से है जो संस्था में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता या संगठन के तकनीकी उपयोग को प्रभावित करते हैं। तकनीकी परिवर्तन के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ग्राहकों की आवश्यकता एवं अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्ताव, सामाजिक शक्तियाँ, मांग एवं प्रतिस्पर्धा।

तकनीकी प्रगति एवं विकास, देश की स्वतंत्रता के बाद नाम मात्र का था लेकिन 1990 के दशक के बाद जब उदारीकरण एवं निजीकरण को अपनाया गया तो इसका अत्यन्त तीव्र गति से विकास हुआ।

तकनीकी वातावरण के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं- तकनीकों की उपलब्धता, तकनीकों के उपलब्ध विकल्प, उपलब्ध तकनीकों का स्तर, तकनीकों के आयात-निर्यात की नीति, तकनीकों के प्रयोग एवं आत्मसात करने की क्षमता, आदि।

हमारे देश की प्रौद्योगिकी नीति में सरकार और निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार द्वारा घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों एवं पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी के विकास हेतु विभिन्न नीतिगत फैसले लिए गए। सन् 1991 की नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण एवं निजीकरण को अपनाने पर जोर दिया गया तथा तकनीकी एवं शोध के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये गये। सर्वप्रथम नयी विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति की 2013 में घोषणा की गई।

देश में शोध एवं विकास पर व्यय स्वतंत्रता के समय नाम मात्र का था। अब सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम कर रही है। भारत सरकार ने दसवीं योजना में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत शोध एवं तकनीकी विकास पर खर्च का लक्ष्य रखा, जिसे भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

विज्ञान एवं तकनीकी शोध ने छोटे व बड़े व्यावसायिक संगठनों की उत्पादन एवं उत्पादन विधियों, उत्पाद एवं इसके विपणन के तरीकों, ग्राहक सेवा तथा प्रबन्धकीय कार्यों में चमत्कारिक प्रभाव डाला है।

9.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

विद्यार्थीगण, इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त, आप तत्संबंधित विषय के सम-सामयिक बिन्दुओं के बारे में अवगत होते हुए समझने में सक्षम हो गए होंगे कि -

- तकनीकी वातावरण किस प्रकृति के आन्तरिक एवं बाह्य घटकों पर निर्भरता लिए हुए है?
- तकनीकी अवधारणा में प्रौद्योगिकी के किन संघटकों के द्वारा तकनीकी ज्ञान को कुशलतापूर्वक रूपांतरित किया जा सकता है?
- तकनीकी को गत्यात्मक प्रदान करने में ग्राहकों की अपेक्षाओं एवं प्रतिस्पर्धा की भूमिका क्या होती है तथा ऐसे तकनीकी परिवर्तन के स्रोत क्या होते हैं?
- भारत में तकनीकी विकास एवं प्रगति में चरणबद्ध रूप में, किन-किन बातों को बदलती हुई आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए क्रियाशीलता दर्शायी गई है?
- तकनीकी का विकास के लिए किन-किन तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है?
- राष्ट्रीय-शासन द्वारा प्रतिपादित तकनीकी नीति से 'विज्ञान' की संबद्धता की गहनता एवं सक्षमता का स्वरूप सही दिशा में स्फुरित हुआ है।
- अनुसंधान-संस्कृति, गुणवत्ता, अनुकूलन, उत्कृष्टता, मूल्यांकन, स्वदेशीकरण तथा मान्यताएँ, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामूहिक एवं समावेशी वैश्विक विकास के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त करने में सफलता मिली है।
- भारत में शोध एवं विकास (तकनीकी) के व्यय के लिए कितनी व्यवस्था की जाती है और वह शोध के उद्देश्यों को पूर्ण, किस सीमा तक करती है।
- तकनीकी हस्तांतरण एवं तन्त्र की प्रकृति क्या है और इसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएँ तथा उन्हें दूर करने की संभावनाएँ क्या हैं, इस बात की सिख मिली है।
- व्यावसायिक वातावरण पर तकनीकी के प्रभाव में वृद्धि के दृष्टिकोण से कम्प्यूटर, ई-व्यवस्था तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किस स्वरूप में प्रभाविता को स्पष्ट करते हैं।

9.12 शब्दकोष (Glossory)

- **प्रौद्योगिकी (Technology)** : किसी उत्पाद के निर्माण, किसी प्रक्रिया के अनुप्रयोग या सेवा के प्रतिपादन के बारे में जानकारी।
- **पूर्वापेक्षा अनुबंध (Turnkey Contract)** : एक अनुबंध के द्वारा एक जटिल प्रौद्योगिकी का व्यापक हस्तांतरण।
- **फ्रैंचाइज (Franchise)** : एक विशिष्ट तकनीक का मालिक एक मेजबान कम्पनी को फ्रैंचाइजी शुल्क के बदले अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **नीति (Policy)** : नीति एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होते हैं जो निर्णय लेने वालों के लिए निर्धारित होते हैं।
- **निजी क्षेत्र (Private Sector)** : वह क्षेत्र जिसमें उत्पादन एवं लाभ के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। यह लाभ अर्जित हेतु कार्य करता है।

- **उदारीकरण (Liberlisation)** : उदारीकरण का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम या पूर्णतया समाप्त किया जाना है।
- **वैश्वीकरण (Globalization)** : यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश की सीमाओं को समाप्त कर अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है।
- **तकनीकी हस्तांतरण (Technological Transfer)** : यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तकनीक का मालिक दूसरे देश या उपक्रमों को उपयोग के लिए तकनीकी का प्रसार करता है।

9.13 स्वपरख-प्रश्न (Self-Test Questions)

1. तकनीकी वातावरण का क्या अर्थ है? तकनीकी परिवर्तन के विभिन्न स्रोतों को स्पष्ट कीजिए।
 2. स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई तकनीकी नीति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
 3. प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के विभिन्न तरीकों को समझाइये।
 4. भारत में तकनीकी प्रगति एवं विकास पर एक विस्तृत लेख लिखिये।
 5. व्यावसायिक वातावरण पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
 6. तकनीकी को परिभाषित कीजिए। तकनीकी वातावरण को निर्धारित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिये।
-

9.14 संदर्भ/ग्रंथसूची (References/Bibliography)

- घोष पी.के. एवं कपूर जी.के. : “व्यवसाय नीति एवं पर्यावरण”, सुल्तान चंद एण्ड संस, नई दिल्ली।
 - उपाध्याय जी., शर्मा आर.एल. एवं पी. दयाल: “व्यवसायिक वातावरण”, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
 - सिन्हा, वी.सी. : “व्यावसायिक वातावरण”, साहित्य भवन पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
 - मिश्रा जे.पी. : “व्यावसायिक पर्यावरण” साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
 - **Francis Cherunilam**: “Business Environment”, Himalaya publishing House, Mumbai .
 - **Lall S.** : “Multinational, Technology and Exports, Macmillan, London.
 - **M. Adhikari**: “International Business Environment”, Sultan Chand & Sons, New Delhi.
-

9.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- ‘आर्थिक समीक्षा’, वार्षिक प्रतिवेदन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - ‘योजना’ (हिन्दी मासिक पत्रिका), योजना भवन, नई दिल्ली।
 - ‘Science, Technology and Innovation policy’, Govt. of India Ministry of Science & Technology, Department of Science & Technology, December, 2020.
-

9.16 वेब संसाधन व लिंक (Internet Web Resources & Links)

- <https://www.aicte-india.org/>
- <https://www.privacyshield.gov/article?id=India-Environmental-Technology>
- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/12356/1/Unit-21.pdf>
- <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-environmental-technology>

इकाई – 10

भारत में आर्थिक सुधार (Economic Reforms in India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of unit) :

- 10.0 उद्देश्य
- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 आर्थिक सुधार की अवधारणा
- 10.3 आर्थिक सुधार की आवश्यकता
- 10.4 आर्थिक सुधारों का प्रभाव
- 10.5 विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार
- 10.6 आर्थिक सुधार के प्रमुख स्तम्भ
- 10.7 भारत में आर्थिक सुधारों का युग
- 10.8 आर्थिक सुधारों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ
- 10.9 कोविड के दौरान आर्थिक सुधार
- 10.10 भारत में नवीन आर्थिक सुधार
- 10.11 सारांश
- 10.12 अधिगम परिणाम
- 10.13 शब्दावली
- 10.14 स्व-परख प्रश्न
- 10.15 सन्दर्भ/ग्रंथ सूची
- 10.16 अन्य पठन सामग्री
- 10.17 वेब संसाधन व लिंक

10.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

- आर्थिक सुधार का अर्थ स्पष्ट कर पायेंगे।
- आर्थिक सुधार की आवश्यकता एवं विभिन्न क्षेत्रों में उसके प्रभाव को जान पायेंगे।
- आर्थिक सुधारों के प्रमुख स्तम्भों का ज्ञान हो सकेगा।

- आर्थिक सुधारों की चुनौतियाँ एवं नवीन आर्थिक सुधारों का विस्तृत ज्ञान हो पायेगा।
- कोविड के दौरान भारत में अपनाये गए आर्थिक सुधारों से परिचय हो पायेगा।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने पुनरुत्थान हेतु नियोजित तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विचारधारा को विकसित किया एवं इसे आगे बढ़ाया। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में अत्यधिक नियंत्रण, लाइसेंस राज एवं अत्यधिक रूकावटों के चलते औद्योगिक विकास में गिरावट आ रही थी। इन कठोर नीतियों के कारण अकुशल संसाधन उपयोग, उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था का कुप्रबन्धन, अल्प तकनीकी विकास, विदेशी विनिमय की कमी, उद्योगों को अतिसंरक्षण एवं घाटे की अर्थव्यवस्था, आदि कमियाँ उजागर होने लगी।

इनके परिणामस्वरूप, नीति निर्धारकों पर तनाव एवं दबाव के कारण देश की सरकार को नीतिगत ढाँचे के पुनरवलोकन करने के लिए बाध्य कर दिया। इसका परिणाम आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के समूह में आया जिसे विस्तृत अर्थ में आर्थिक सुधार का नाम दिया गया। आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य वैश्वीकरण के एक युग में प्रवेश करना था।

जून, 1991 में श्री पी.वी. नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान की। यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है), पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गयी। उस समय देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इस संकट से उत्पन्न स्थिति ने सरकार को मूल स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया।

अतः देश में आर्थिक सुधार के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्वअर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता थी तथा आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत आयात कम करके निर्यात प्रेरित वृद्धि पर बल देने पर जोर दिया गया। आज, हम कह सकते हैं कि इन नीतियों के फलस्वरूप भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विश्व स्तर के वित्तीय संस्थान को भी मदद दे सका। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है तथा यहाँ कारोबार करना आसान हुआ है। हम लगातार व्यापार को आसान कर रहे हैं।

10.2 आर्थिक सुधार की अवधारणा (Concept of Economic Reforms)

सामान्य अर्थ में, आर्थिक सुधार वह नियमावली है जो ऐसा वातावरण तैयार करती है जिससे बाजार में खुलापन, निजी पूँजी का प्रवाह एवं सरकारी नियमों में शिथिलता देखने को मिलती है। आर्थिक सुधार न केवल व्यापार अपितु आम जनता के लिए भी अनेकों अवसर प्रदान करते हैं। आर्थिक सुधार एक बार नहीं बल्कि अनेकों क्षेत्रों में ढील देने की प्रक्रिया है जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा, विदेशी पूँजी को देश में निवेश करने को प्रोत्साहन, आदि कार्य किया जाता है। आर्थिक सुधार किसी भी देश की व्यापारिक गतिविधियाँ को आगे बढ़ाने का माध्यम है। “आर्थिक सुधार उन नीतियाँ का समूह है जिसमें व्यापार पर सरकारी नियंत्रण एवं विनिमय दरों को कम अथवा समाप्त करके, मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ाना देने का उद्देश्य होता है”।

10.3 आर्थिक सुधारों की आवश्यकता (Needs for Economic Reforms)

देश में आर्थिक सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की गई :-

1. **राजकोषीय घाटे में वृद्धि:** राजकोषीय घाटे से आशय है एक वर्ष के दौरान आय पर व्ययों की अधिकता होने के कारण सरकार द्वारा ली गई उधार राशि से है। वर्ष 1981-82 में राजकोषीय घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.4% का अनुमान था जो बढ़कर 1990-91 में 8.4% हो गया। यह स्थिति सरकार के लिए 'ऋण जाल' की स्थिति थी।
2. **विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी:** भारत के विदेशी विनिमय कोष सन् 1990-91 में बहुत कम हो गये थे कि वे 10 दिन के आयात के बिल का भुगतान करने के लिए भी कॉफी कम थे। सन् 1986-87 में रु. 8151 करोड़ के थे वे गिर कर 1989-90 में रु. 6252 रुपये करोड़ रह गए।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुप्रबन्ध:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कई हजार करोड़ रुपये की पूँजी निवेश की हुई है लेकिन इनमें से अधिकतर कुशल प्रबन्ध के अभाव में भ्रष्टाचार के प्रमुख केन्द्र बन गए, इसके कारण इन्हें भारी हानि हुई है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक सुधार एवं कुशल प्रबन्ध की जरूरत पड़ी थी।
4. **आयात लाइसेंस:** सरकार द्वारा आयात लाइसेंस से नियंत्रण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कई कमियाँ उत्पन्न हुई हैं। जैसे- अकुशलता को बढ़ावा, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का कम होना, आदि। इन सभी कारणों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के नये आर्थिक सुधार को एक प्रमुख घटक माना गया जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके।
5. **व्यापार में भुगतान असंतुलन:** भारत के व्यापार में भुगतान संतुलन की प्रवृत्ति नकारात्मक होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गड़बड़ा गया था। उस समय देश के आयात में अत्यधिक वृद्धि होती गयी एवं निर्यात लगातार घटते गये।
6. **मुद्रा-स्फीति दर में वृद्धि:** देश में मुद्रा-स्फीति दर दिनों दिन बढ़ती जा रही थी जिससे आम जरूरतों के सामान के दामों में लगातार वृद्धि देखी गयी। अतः सरकार ने मुद्रा-स्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सुधार के माध्यम से ठोस उपाय उठाये।
7. **विदेशी सहायता व ऋण भार में वृद्धि:** केन्द्र सरकार पर अत्यधिक मात्रा में ऋण भार होने के कारण अपने स्वर्ण भंडार से सोना बेचना पड़ा। सरकार को अपनी उधारी चुकाने के लिए बैंकों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ा।
8. **आधुनिक तकनीक का अभाव:** सामान्यतया, यह देखा गया कि देश के अनेक उद्योगों के समक्ष एक प्रमुख समस्या आधुनिक तकनीक एवं आधुनिकीकरण की रही है। अपने देश के उद्योगों की विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने हेतु आर्थिक सुधारों को इसलिए अपनाया गया जिससे आधुनिकीकरण एवं नवीन तकनीक हेतु विदेशी आयात एवं विदेशी समझौते किये जा सकें।
9. **अन्य कारण:** देश में आर्थिक सुधार की आवश्यकता के अन्य कारण निम्नानुसार हैं :-
 - (i) देश में उद्योगों, श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य आपसी सम्बन्ध मधुर न होने से हड़ताल, तालाबंदी एवं तोड़फोड़ जैसी घटनायें अधिक होने लगीं।
 - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण।
 - (iii) औद्योगिक संस्थाओं के उत्पादन की उच्च लागत एवं गुणवत्ता का अभाव।

- (iv) अर्थव्यवस्था में खुलेपन का अभाव।
- (v) भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आर्थिक सुधार की आवश्यकता अनुभव की गयी।
- (vi) विश्व बैंक (IBRD) व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत पर नयी आर्थिक नीति को लागू करने का दबाव बनाया।

नौकरशाही, भ्रष्टाचार, सत्ता का केन्द्रीयकरण, कृषि क्षेत्र में कम पूँजी निवेश एवं नवाचार, आदि समस्याओं के कारण भी आर्थिक सुधार जरूरी हो गया था।

10.4 आर्थिक सुधारों का प्रभाव (Effects of Economic Reforms)

भारत में आर्थिक सुधारों का व्यापक ढांचा एवं नियमों का सरलीकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव द्वारा शुरू किया गया। देश में विदेशी विनियम कोष की मात्रा केवल दो सप्ताह भर के आयात के लायक ही शेष रह गयी थी एवं विश्व बाजार में भारत की आर्थिक साख को भारी जोखिम उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार की गंभीर आर्थिक संकट से उबरने के लिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उदारीकरण का नया मार्ग अपनाया, जिसके अंतर्गत दो मुख्य प्रक्रिया :

- स्थापना उपाय (Establishment measures)
- ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (Structural adjustment program)

को लागू किया गया।

ये सभी आर्थिक सुधार भारत के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किये गए, यथा:

1. **आंतरिक आर्थिक सुधार:** भारत में आंतरिक पक्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से किये गए सुधार जैसे- कृषि, उद्योग, वित्त, आधारभूत संरचना, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों में, व्यापक परिवर्तन सुधार तथा उनके प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया को अपनाना।
2. **बाह्य आर्थिक सुधार:** इसके अन्तर्गत, भारत को विश्व बाजार में प्रस्तुतीकरण एवं भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, जैसे- विदेशी बाजार, विदेशी पूँजी, आयातित मशीनरी व तकनीक, व्यापार एवं विचारधारा को भारत के बाजार में लाना।

इन दोनों सुधारों को अपनाने से भारत में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनकारी परिवर्तन हुए :

- खुली व व्यापक आर्थिक प्रतिस्पर्धा का जन्म ।
- अधिक कार्यकुशल एवं अनुभवी कार्मिकों का खुला बाजार ।
- पूँजी, कौशल व तकनीक का प्रवाह ।
- एकाधिकार पर रोक ।
- नए करों की उगाही ।
- उपभोक्ताओं के पास अनेकों विकल्पों का प्रावधान, इत्यादि।

भारत में 24 जुलाई, 1991 को नियंत्रित एवं चयनित तरीके से व्यवस्थित वैश्वीकरण (Calibrated globalisation) व संचयी आर्थिक सुधार (Cumulative economic reforms) की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत विदेशी सहयोग लेते समय भारतीय कृषि उद्योग एवं रोजगार को सर्वोपरि रखा गया। उद्योगों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचे एवं भारतीय कामगारों, देहाड़ी मजदूरों, छोटे उद्योगों व कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को पूरी सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान किया गया। अतः इन सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, भारत ने तब से ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा एवं क्रियान्वयन करके, जिसमें आर्थिक सुधारों के अंतर्गत होने वाले आमूलचूल परिवर्तनों की स्पष्ट व्याख्या की है।

10.5 विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार (Economic Reforms in Different Areas)

भारत में सन् 1991 से जारी विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के आर्थिक सुधार अपनाये गए हैं। इनमें से कुछ विशेष निम्नलिखित हैं:

1. **संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव (Structural Reform Initiative) :** इस श्रेणी में कई प्रकार की सुधारात्मक नीतियाँ बनायी गई जो निम्नानुसार हैं:-

- राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत निवेश का आमंत्रण।
- खपत में वृद्धि को प्रगतिशील तरीके से बढ़ाना।
- ऐसी नीतियों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNDP) एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।
- कृषि सुधार कानून लागू करना।
- नई शिक्षा नीति को अपनाना।
- **श्रम सुधार कानून-** इसमें सामाजिक, आजीविका एवं औद्योगिक सुरक्षा को प्रधानता प्रदान की गयी है।
- **स्वामित्व स्कीम-** इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी संपत्ति का दस्तावेजीकरण, जिसमें सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके।
- बैंकिंग सुधार कार्यक्रम अमल में लाना।
- लाइसेंस प्रथा की समाप्ति, औद्योगिक, खाद्य पदार्थ सम्बंधित तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) को लागू करना।
- नयी दवा व औषध निर्माण नीति अपनाना।
- विनिवेश योजना (Dis-investment Scheme) लागू करना।
- सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करना।

2. **राजकोषीय सुधार के अन्तर्गत अपनाये गए सुधार :-**

- बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्माण एवं निर्धारण, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी न हो।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility & Budget Management Act, 2003) को पारित करना।

- व्यापार एवं निवेश नीति सुधार हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आमंत्रित तथा तकनीक का व्यापार में अनुप्रयोग करना।
 - एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolistic & Restrictive Trade Practices Act) में परिवर्तन करना।
 - सीमा शुल्क में (Customs duty) में कमी या समाप्त करना। इसके साथ ही, कपड़ा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व मनोरंजन आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यक्रम व रियायतें लागू करना।
3. **आधारभूत संरचना सुधार (Infrastructural Reforms) :** आधारभूत संरचना सुधार के अन्तर्गत अपनाये जाने वाले प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं :-
- वृहत् स्तर की परियोजनाओं को 15-20 वर्षों तक विस्तार की अनुमति प्रदान की गयी है।
 - ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को अपनाना।
 - विशिष्ट रेलवे सुरक्षा कोष का निर्माण करना।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण योजना नीति को अपनाना।
 - सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी संस्थाओं का प्रवेश एवं साझेदारी।
 - शहरी सुधार कार्यक्रम नीति को अपनाना।
 - विभागों/कर्मचारियों की संख्या में कमी करना।
4. **पूंजी एवं मुद्रा बाजार सुधार (Capital & Money Market Reforms) :** इसमें दो विशेष अधिनियमों का क्रियान्वयन किया गया है:
- (i) भारतीय समाशोधन निगम, 2001 (Clearing Corporation of India, 2001) जो भारत में सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा तथा मुद्रा बाजार के लेन देन से सम्बंधित निकासी और निपटारे हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है।
 - (ii) भारतीय समझौता व्यवहार प्रणाली (Negotiated Dealing System of India) को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002 में क्रियान्वित एवं संचालित किया जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक मंच है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों एवं भिन्न प्रकार के मुद्रा बाजार प्रपत्रों (Financial Market Instruments) का निर्गमन एवं संचालन किया जाता है।
 - (iii) अन्य:
 - सरकारी अनुबंध पत्र, स्टॉक व शेयर बाजार व वायदा बाजार के प्रस्तावना हेतु कार्य, आदि।
 - पूंजी बाजार का उदारीकरण।
5. **वित्तीय क्षेत्र में सुधार (Financial Sector Reforms):** वित्तीय क्षेत्र में सुधार के प्रयास निम्नानुसार हैं :
- ब्याज दरों में अविनियमन (De-regulation of Interest Rates) नीति को अपनाना।

- वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquid Ratio) तथा नकदी आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) के कुल अनुपात में कमी करना।
 - भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय बैंकों की भूमिका में परिवर्तन, जिससे आर्थिक सुधारों को गति मिले।
6. **औद्योगिक क्षेत्र में सुधार (Industrial Sector Reforms):** इनमें से कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:
- सरकारी उपक्रमों की संख्या में कटौती तथा विनिवेश को बढ़ावा।
 - औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना।
 - पूँजीगत वस्तुओं (Capital goods) के आयात को प्रोत्साहन।
 - उत्पाद शुल्क में कमी करना।
 - उद्योग क्षेत्र का अविनियमन (De-regulation) करना।
7. **बाजार व्यवस्था में सुधार (Market Sector Reforms):** बाजार क्षेत्र में प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं :
- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization & Globalization) की अवधि को बढ़ाना।
 - सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी का आमंत्रण।
 - खुली प्रतिस्पर्धा का वातावरण सृजित करना।
 - आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO: Initial Public Offering) को प्रोत्साहन।
8. **विदेशी क्षेत्र के सुधार (External Sector Reforms):** विदेशी क्षेत्र में किये गये सुधार इस प्रकार हैं :
- विदेशी विनियोग सुधार लागू करना।
 - विदेशी प्रौद्योगिकी एवं कौशल को आमंत्रित करना।
 - आयात शुल्क में कमी तथा निर्यात को बढ़ावा देना।
 - रुपये का अवमूल्यन करना।
 - सीमा शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कमी करना।
 - अन्तर्राष्ट्रीय कोष व विश्व बैंक से वित्तीय सहायता व सलाह प्राप्त करना।
 - बाजार संचालित ब्याज दर को अपनाना।
 - विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA: Foreign Exchange Management Act) को लागू करना।
9. **कर सुधार (Tax Reforms):** देश में कर सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :
- आयकर तथा निगम कर (Corporate Tax) में कमी करना।
 - सेवा कर की शुरुआत करना।

- मूल्य व संवर्द्धन कर (VAT: Value Added Tax) की पहल तथा बाद में वस्तु व सेवा कर (GST: Goods & Service Tax) को लागू करना।
- रियायतों में कमी करना।
- कर भुगतान में सरलीकरण करना।

10. कृषि सुधार (Agriculture Reforms):

- कृषि उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (संवर्द्धन सुविधा) विधेयक।
- मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) अनुबंध विधेयक।
- आवश्यक वस्तु संशोधन बिल।

11. अन्य सुधार (Other Reforms):

- पेंशन सुधार- अटल पेंशन योजना।
- सस्वास्थ्य सुधार- आयुष्मान योजना।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. “आर्थिक सुधार निजी पूंजी के प्रवाह तथा सरकारी नियमों में शिथिलता का समन्वय है।” अपने अर्जित अध्ययन के आधार पर स्वयं स्पष्ट करने का प्रयास करें।
2. एक देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है :-
 - (अ) राजकोषीय घटे की वृद्धि को दूर करने के लिए
 - (ब) मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए
 - (स) विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की पूर्ति के लिए
 - (द) उपरोक्त सभी के लिए
3. आप देश के आन्तरिक आर्थिक सुधारों के अंतर्गत किन क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे, अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर उन क्षेत्रों के नाम ज्ञात कीजिए।
4. (अ) भारत की विश्व बाजार में प्रस्तुति
 - (ब) आयातित मशीनरी एवं तकनीक
 - (स) अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को बढ़ावा
 - (द) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

यह ज्ञात करें कि उपरोक्त सभी तथ्य, किस प्रकृति के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आते हैं?
5. औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के, अपने अध्ययन के आधार पर कोई दो उपाय बताइए।

10.6 आर्थिक सुधार के प्रमुख स्तम्भ (Main Pillars for Economic Reforms)

सन् 1991 से एवं उसके बाद भारत में आर्थिक सुधारों को निम्नलिखित विधियों के द्वारा लागू किया गया, जो आर्थिक सुधार के आधार स्तम्भ भी कहलाते हैं :-

1. पूँजीवाद (Capitalism)
2. मुक्त बाजार (Free market or Free economy)
3. बाजारीकरण (Complete Marketization/Commercialization)
4. उदारीकरण (Liberalization)
5. निजीकरण (Privatization)
6. वैश्वीकरण (Globalization)
7. सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मॉडल (PPP Model)

1. **उदारीकरण (Liberalization) :** उदारीकरण की प्रक्रिया में एक देश या राज्य का आर्थिक गतिविधियाँ में कम या बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। उदारीकरण में, घरेलू या विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में प्रतिबंधों को समाप्त करना, उद्यमियों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना तथा अफसरशाही की जटिलता को खत्म करना, आदि मुख्य कार्य होता है। संक्षेप में, उदारीकरण में आर्थिक सुधार की गति को बढ़ावा देते हुए देश के आर्थिक विकास में अवरोध पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियाँ, नियमों, प्रोटोकॉल, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। अतः व्यापारिक संगठन सुगमता से निर्णय लेते हुए कार्य करते हैं जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता है।

उदारीकरण के उद्देश्य (Objectives of Liberalization): उदारीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- घरेलू उद्योगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करना।
- भारत में विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी एवं नयी सोच को आमंत्रित करना।
- भारत को एक विश्व बाजार के रूप में प्रस्तुत करना एवं भारत के बाजारों को, विश्व की प्रमुख कंपनियों को व्यापार के लिए खोलना।
- देश के आयात व निर्यात में सामंजस्य स्थापित करना।
- भारत के क्षेत्रीय संसाधनों, उत्पादों एवं अन्य प्रकार की सेवाओं को खोजना, आगे बढ़ाना, उनमें नवाचार करना तथा विश्व के बाजारों तक उनकी पैठ बनाना।
- विदेशी मुद्रा को आकर्षित करना तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अभिवृद्धि करना।
- सरकारी भूमिका को कम करते हुए निजी क्षेत्रों को आर्थिक सुधार में प्रमुख स्थान देना।

उदारीकरण की आवश्यक शर्तें: (Essential Conditions Under Liberalization): उदारीकरण की आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया :-

- औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना। अति विशिष्ट उद्योगों जैसे रक्षा उपकरण, शराब, औद्योगिक विस्फोटक, सिगरेट, खतरनाक रसायन और औषधियाँ आदि को छोड़कर, अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।
- एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन करना।

- विदेशी विनियमन नियंत्रण की समाप्ति।
- आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्रों को भी देश में आर्थिक गतिविधियों में अधिक हिस्सा देना।
- वस्तुओं, सेवाओं तथा इनसे संबंधित चीजों पर आवाजाही की छूट, इनकी कीमतों को तय करने की तथा इनका उत्पादन व पैमाना तय करने की स्वाधीनता, इत्यादि।
- सरकार की अनुमति के बिना तकनीकी आयात करने तथा उद्योगों का विकास व विस्तार करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।
- लघु उद्यमों की निवेश सीमा में वृद्धि करना।

2. **निजीकरण (Privatization) :** निजीकरण के तहत निजी उद्यमियों व निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देना होता है एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका को कम करते हुए गुणात्मक सुधार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सरकारी उपक्रमों में सरकारी नियंत्रण वाली प्रबंधन प्रणाली को कमतर किया जाता है एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया अपनायी जाती है। निजीकरण में राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक सेवा एवं उद्योगों को निजी क्षेत्रों अथवा निजी गैर-लाभकारी संगठनों (Non-profit organization) को स्थानांतरित किया जाता है। इसमें या तो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के अंश (Share) को बहुमत वाली निजी कंपनी खरीद लेती है या दूसरी प्रक्रिया में पारस्परिक सहकारी संगठन बनाकर संयुक्त स्कंध कंपनी बना लेते हैं। अतः निजी उद्योगपति सरकारी उपक्रमों का स्वामी बन जाता है या उस उपक्रम का प्रबंधन अपने हाथों में ले लेता है।

निजीकरण के उद्देश्य (Objectives of Privatization): निजीकरण को अपनाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- पूँजी की बर्बादी को रोकना या कम करना।
 - वित्तीय अनुशासन में सुधार एवं आधुनिकीकरण को अपनाना।
 - आधारभूत संरचना को सही प्रकार से उपयोग में लेना।
 - भ्रष्टाचार, अकुशलता, दूरदर्शिता की कमी, भाई-भतीजावाद एवं बेकारी के मुद्दों को जड़ से खत्म करना।
 - राजकोषीय घाटे में कमी लाना।
 - विनिवेश (Dis-investment) के सिद्धांत को अमल में लाना।
 - स्वतंत्र निर्णय लेते हुए तेजी से काम की गति को आगे बढ़ाना।
 - राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में सभी का सहयोग लेना।
 - स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपनाते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्ता उत्पाद एवं सेवा का लाभ उपलब्ध करवाना।
3. **वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण (Globalization):** वैश्वीकरण के अन्तर्गत, एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जाता है। वैश्वीकरण में घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समावेश होता है अर्थात् व्यापार (निजी और विदेशी), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पूँजी प्रवाह (Flow of Capital) आयातित तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक संयोजन बनाना है।

संक्षेप में, वैश्वीकरण में पूरे विश्व के देश एक साथ, एक संयुक्त समाज का निर्माण करते हैं एवं एक साथ कार्य करते हैं। यद्यपि, किसी भी देश को वैश्वीकरण को अपनाना आसान नहीं होता है क्योंकि इसको लागू करने में कई सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है तथा एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। वैश्वीकरण में विश्व की व्यापारिक रणनीति को अपने देश की व्यापारिक रणनीति के अनुकूल बनाना पड़ता है। वैश्वीकरण में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका पायी जाती है, जैसे- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (**International Monetary Fund**) विश्व बैंक (**World Bank**) विश्व व्यापार संगठन (**World Trade Organization**) अंतर्राष्ट्रीय संधियां, मुक्त व्यापार क्षेत्र (**Free Trade Zones**), रणनीतिक सम्बन्ध, इत्यादि। वैश्वीकरण केवल व्यापार का ही नहीं होता है अपितु इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, परिवहन आदि घटकों का भी विशेष योगदान होता है। वैश्वीकरण को सारांश में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भी कह सकते हैं।

भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक बातों पर विशेष ध्यान रखा गया है:

- तटकरों में कमी करना, जिससे वस्तुओं, सेवाओं एवं उत्पादन के उपकरणों में किसी भी प्रकार का बंधन ना हो अर्थात् स्वतंत्र प्रवाह हो।
- ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें पूँजी निवेश का व्यापक तौर पर स्वतंत्र प्रवाह हो।
- श्रम/मानवीय संसाधनों में आवागमन पर कोई रुकावट न आए।
- विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में प्रवेश या व्यापार पर प्रतिबंध न हो।
- विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण, कोटा परमिट एवं किसी भी तरह की अनिवार्यता समाप्त करना।
- मुद्रा को परिवर्तनशील बनाते हुए विदेशी निवेशक और भारतीय निवेशक अपनी-अपनी मुद्रा को एक दूसरे के देश में ले जा सकते हैं।
- विदेशी निवेश की अंश सीमा में बढ़ोतरी करना।
- दीर्घकालिक उदार व्यापार नीति को लम्बी अवधि तक अपनाना।
- स्थानीय उपभोक्ता को अपनी पसंद का उत्पाद एवं सेवा चुनने का अधिकार हो एवं बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा हो, जिससे गुणवत्ता का लाभ हर किसी को मिल सके।

4. **सार्वजनिक / निजी साझेदारी (PPP: Public Private Partnership)** : सार्वजनिक / निजी साझेदारी के अंतर्गत, दो या दो से अधिक सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की कंपनियों के बीच सहयोग की भावना विकसित होती है जिसे सामान्यतया एक लम्बे अंतराल तक के लिए चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र को सरकारी मापदंडों को पूरा करते हुए दिए गए कार्य करने होते हैं। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भागीदारी कर किसी भी परियोजना की डिजाइन, पूँजी लागत, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता (**Expertise**) समय एवं प्रतिष्ठा (**Credit**) द्वारा निवेश करता है तथा आगे जाकर उस परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन भी करता है। इसके बदले में निजी भागीदार को सरकार से गारंटी, साख एवं तयशुदा समय तक के लिए परिचालन की अनुमति मिलती है लेकिन नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है।

सार्वजनिक / निजी साझेदारी (PPP) के उद्देश्य : सार्वजनिक / निजी साझेदारी के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :

- निजी क्षेत्रों को पूँजी निवेश के द्वारा आमंत्रित करना, जिससे आधारभूत संरचना में सुधार हो सके।
- निजी क्षेत्रों के आविष्कारों, उपलब्धियों, योगदानों व उनके कौशल का सही प्रकार से दोहन एवं अनुकूलतम उपयोग करना।
- भारत में विकास की दर को अधिक गति प्रदान करना।
- अनुपयोगी उपक्रमों, संस्थानों, कार्यस्थलों एवं मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करना।

भारत में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के व्यापक निवेश वाले क्षेत्र :

- परिवहन क्षेत्र जैसे- हवाई अड्डा, रेलवे, मेट्रो रेलवे, बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग, कंटेनर सेवाएँ, इत्यादि।
- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल सेवा एवं इंटरनेट सेवा, आदि।
- बिजली उत्पादन व वितरण एवं अन्य ऊर्जा क्षेत्र, पानी आपूर्ति व स्वच्छता, गृह निर्माण, स्वास्थ्य योजनाएँ व अस्पताल सेवाएँ, शिक्षा, अपशिष्ट जल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन (**Waste Management**) आदि।

10.7 भारत में आर्थिक सुधारों का युग (Era of Economic Reforms in India)

भारत में आर्थिक सुधारों के युग को हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं :

- 1. प्रथम श्रेणी/युग के सुधार (1st Generation Reforms 1991-2000) :** इसके अन्तर्गत सरकार खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई, जिनमें बाजार की शक्तियों पर विशेष बल रहा तथा बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिससे निजी क्षेत्र (घरेलू व विदेशी) की भविष्य में ज्यादा सहभागिता हो।
 - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार :** सरकारी क्षेत्रों के निगमों को अधिक दक्ष, कार्यकुशल, अधिक उत्पादनकर्ता एवं लाभदायक बनाने की दृष्टि से विनिवेश को प्रोत्साहित किया गया।
 - (ii) निजी क्षेत्र को बढ़ावा :**
 - उद्योगों का अपरक्षण (De-reservation) व अनुज्ञापत्र मुक्त व्यवस्था (De-licensing) प्रदान करना तथा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम को समाप्त करना।
 - चरणबद्ध उत्पादन को खत्म करना।
 - ऋण को अंशों में परिवर्तनीय बनाना।
 - उद्योगों की स्थापना में पर्यावरण नियमों का सरलीकरण।
 - (iii) विदेशी क्षेत्र में सुधार :**
 - आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों (Quantitative Restrictions) को समाप्त करना।
 - चालू खातों में रुपए को पूर्ण परिवर्तन करना।
 - तरलीकरण विनिमय दर (Floating Exchange Rate) को अपनाना।
 - पूँजी खाते (Capital Account) में सुधार करना।
 - विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुमति प्रदान करना।

- फेमा (विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम, 1999) की स्थापना, प्रचार, प्रसार व अनुकरण।

(iv) वित्तीय क्षेत्र में सुधार :

- सन् 1991 में नरसिम्हन आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों में आर्थिक सुधार के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने हेतु व्यापक सुधार एवं बैंकों को स्वायत्ता प्रदान करने पर बल दिया गया।
- बैंकिंग, बीमा, पूँजी बाजार व पारस्परिक निधि (Mutual Fund) में सुधार किया गया है।

(v) कर सुधार :

- सन् 1993 में राजा चल्लैया आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत कर सुधार, ब्याज व कर समाप्त करना, उपहार की छूट सीमा बढ़ाना, पेन (PAN) की जगह टिन (TIN) आरम्भ करना तथा काले धन की समाप्ति, आदि के लिए मापदंड अपनाये गए।
- कर आधार का विस्तार किया गया।
- कर संरचना को सरल व आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया।
- कर चोरी (Tax evasion) को पकड़ने के लिए एक प्रणाली (System) का निर्माण करना, आदि।

(vi) औद्योगिक नीति में सुधार : नयी औद्योगिक नीति का सृजन, नियंत्रण मुक्त उद्योग, उद्योगों में विनिवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना।

2. दूसरे पीढ़ी/युग के सुधार (2nd Generation Reforms) :

इस युग में कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले जैसे- श्रम कानूनों में सरलता, कर्मचारी के योगदान के अनुसार पेंशन सुधार कार्यक्रम, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा सामाजिक क्षेत्रों जैसे- शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि, दूसरे युग के आर्थिक सुधारों को लागू करने में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे- बैंकों व सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की छंटनी व स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का आंदोलनकारी रूप, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी से निम्न व मध्यवर्गीय जनता के हितों पर कुठाराघात, आदि। इन सबके बावजूद केंद्र सरकार की नीतियों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले, जिससे कि राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान किये गए। दूसरे युग की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र में सुधार : इसमें ज्यादा जोर क्रियात्मक स्वायत्ता (Functional Autonomy), पूँजी बाजार को अधिक प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, अवसरंचना परियोजना (Greenfield Ventures), आदि पर रहा।

(ii) बाजार सम्बन्धी सुधार : बाजार सम्बन्धी सुधारों में प्रमुख निम्न हैं :

- सरकारी नियंत्रण मूल्य प्रणाली का समाप्त होना।
- पेट्रोल क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलना।
- कुछ खाद्य पदार्थों पर भी रियायत को घटाना।

- (iii) **सरकारी संस्थानों में सुधार :** सरकारी उद्योगों में सरकार की भूमिका नियामक/नियंत्रक (Regulator) के स्थान पर समन्वयक/सहायक (Facilitator) के रूप में उभर कर आयी।
 - (iv) **राजकोषीय सुधार :**
 - कर सुधार का विस्तार किया गया।
 - सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क संरचना को अधिक सरल बनाया गया।
 - एक मजबूत संरचना का निर्माण, जिससे राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) बना रहे।
 - (v) **विधि क्षेत्र के सुधार :** भारतीय दंड संहिता (IPC: Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure), श्रम कानून, कंपनी कानून व साइबर कानून (Cyber Law) में सुधार योजनाओं को अपनाया गया।
 - (vi) **विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार :** ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार, कृषि व कृषि विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि में सुधार योजनाएँ व कार्यक्रम को अपनाया।
3. **तीसरी पीढ़ी के सुधार (3rd Generation Reforms) :** तीसरे युग के सुधार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान घोषित किये गए। जिनमें पंचायती राज संस्थानों को अधिक विकेन्द्रीकृत एवं शक्तिशाली बनाया गया, जिससे कि आर्थिक सुधारों का लाभ गाँव के कोने-कोने तक पहुँच सके।
- विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना (World Class Infrastructure) पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, उद्यमशीलता को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दिया गया।
 - संविधान में भी कुछ बदलाव किये गए, जिससे विकास की प्रक्रियाओं को विकेन्द्रीकृत किया गया। अतः समावेशी वृद्धि (Inclusive Growth) व विकास की नीति को अपनाकर जन-जन को लाभ पहुँचाया जा सके, यह प्रयास किया गया।
4. **चौथी पीढ़ी के सुधार (4th Generation Reforms) :** इन सुधारों की अधिकारिक घोषणा नहीं है किन्तु सन् 2002 में कुछ अतिविशिष्ट लोगों व संस्थानों द्वारा घोषित नारा है, जिसमें भारत को तकनीकी तौर पर संपूर्ण सक्षम दिखाया गया है। यह सुधार द्विमार्गीय प्रक्रिया (Two-Way) है, जिसमें आर्थिक सुधार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, एक दूसरे के पूरक हैं।

10.8 आर्थिक सुधारों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (Problems & Challenges of Economic Reforms)

आर्थिक सुधारों से उत्पन्न समस्याएँ एवं चुनौतियाँ निम्नलिखित है :-

1. चौतरफा निजीकरण (Privatization) व उदारीकरण (Liberalization) की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके कारण उससे उत्पन्न नुकसान अधिक दिखायी दिये।
2. मुद्रा-स्फीति (Inflation) में बेहताशा वृद्धि एवं महंगाई बेलगाम हो गयी, जिससे आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ा।

3. उत्पाद एवं सेवाकर (GST) की जटिल दर तथा दुलमुल कर संग्रहण व्यवस्था, जिसने व्यापार एवं व्यापारियों के लिए अनेकों मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
4. भारतीय रिजर्व बैंक की नवीन नीतियाँ जो कुछ हद तक कठोर थी, जिसने खुले व्यापार के क्षेत्र में प्रतिबन्ध व रुकावट का काम किया।
5. छूट (Subsidy) से उत्पन्न कुप्रबंधन, जिसमें सभी व्यापारियों ने छूट के लिए आवेदन किया लेकिन, कुछ ही व्यापारियों को फायदा मिला।
6. आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure) के निर्माण में कमी एवं उनके रखरखाव पर खर्च भी कम कर दिया गया।
7. आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि बैंकिंग प्रणाली की जटिलतायें एवं कुप्रबंधन की वजह से अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA : Non Performing Assets) में जबरदस्त वृद्धि हुई है।
8. आर्थिक सुधारों की वजह से चौतरफा बढ़ती हुई बेरोजगारी और अपराध की दर में वृद्धि देखने को मिल रही है।
9. सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ भ्रष्टाचार एवं आम जनता का त्रस्त होना।
10. बढ़ती हुई गरीबी तथा अमीर व गरीब के बीच आय की असमानता का बढ़ता हुआ अंतर दिखाई दे रहा है।
11. औद्योगिक क्षेत्र में श्रम व बदलते हुए श्रम कानून ने और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा की है।
12. बीमा तथा स्वास्थ्य की जटिलताओं ने आम जनता के अधिकारों का हनन किया है।
13. ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल व डीजल क्षेत्र की समस्याएँ व चुनौतियाँ से अन्य क्षेत्रों में समस्याएँ पैदा हुई हैं।
14. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कमी देखी गयी है।
15. कोविड की वजह से देश में कम उत्पादन, कामगारों का पलायन, संसाधनों की कमी, सीमित परिवहन, आय में कमी एवं निवेश व बचत में कमी देखी गयी है।
16. कोविड के सख्त नियमों के संचालन से अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

10.9 कोविड के दौरान आर्थिक सुधार (Economic Reforms during Covid-19)

कोरोना महामारी ने दिसम्बर, 2019 से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था तथा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में कुल चार चरणों में लोक डाउन 25 मार्च, 2020 से लगातार 31 मई, 2020 तक कुल मिलाकर 69 दिनों का रहा था। इस दौरान देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी। सबसे ज्यादा, इसकी मार कृषक व कृषक कामगारों, छोटे उद्योगों, दिहाड़ी मजदूरों एवं गरीब कामगारों पर पड़ी। सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों पर तो कम प्रभाव पड़ा पर सबसे ज्यादा पीड़ा निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों ने उठाई। इन सभी की रोजी-रोटी छिन गयी एवं भूखे मरने की नौबत तक आ गयी थी। इन सभी की समस्याओं को देख कर तत्कालीन मोदी सरकार ने कुछ अभूतपूर्व कदम उठाए, जिसमें विशेषकर बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा लाभ पहुँचाये गये, जो निम्नलिखित हैं:-

1. अन्नपूर्णा/अंत्योदय/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज के वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान करना।

2. नकद हस्तांतरण (Cash transfer) व खाद्य सुरक्षा योजना प्रदान करना।
3. सरकार द्वारा सहायता (Subsidy) की राशि सीधी लाभकर्ताओं के खाते में डालना।
4. अतिरिक्त बोनस, सहायता राशि तथा अन्य प्रकार की सुविधाजनक उपाय से मदद करना।
5. केन्द्र सरकार ने बैंकों को अगले आदेश तक ऋण की राशि न वसूलने का आदेश दिए, जिससे सामान्य लोगों को लाभ मिला।
6. कोविड के दौरान ऋण स्थगित (Moratorium) की बढ़ी हुई समय अवधि आमजन तक पहुँचाने का आदेश दिया गया।
7. सरकार द्वारा सभी प्रकार के कर्ज, ऋण, टैक्स एवं अन्य प्रकार की आदायगी न वसूलने का आदेश दिया गया।
8. छूट की सीमा को भी बढ़ाया गया, जिससे आमजन पर भार कम से कम पड़े।
9. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के किसी भी प्रकार के प्रीमियम, भुगतान तथा देनदारियाँ पर बढ़ी हुई समय अवधि तक चुकाने का आदेश दिया गया।
10. बड़े उद्योगों या विशिष्ट संगठनों को बहुत ही सीमित मात्रा में कम से कम कामगारों के साथ उत्पादन या सेवाएँ देने की छूट, किन्तु पूरी सतर्कता व मेडिकल सेवाओं के साथ प्रदान की गई।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. निम्न में से कौनसा आर्थिक सुधार का प्रमुख स्तम्भ मन जाता है : -
 (अ) पूँजीवाद (ब) मुक्त बाजार
 (स) उदारीकरण (द) उक्त सभी
2. निजीकरण के प्रमुख उद्देश्यों को, अपने अध्ययन के आधार पर संक्षिप्त रूप में लिखकर स्पष्ट करें।
3. सार्वजनिक/निजी साझेदारी व्यवस्था के प्रमुख तथ्यों को स्पष्ट करके, यह बताइए कि आर्थिक सुधारों में यह कैसे उपयोगी सिद्ध हुई है ?
4. विदेशी क्षेत्र में आर्थिक सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त व्याख्या, अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर, अपने शब्दों में कीजिए।
5. कोविड-19 के समय किन बातों के कारण आर्थिक सुधारों में निरन्तर समस्याएँ उत्पन्न हुई, उनका वर्णन कीजिए।

10.10 भारत में नवीन आर्थिक सुधार (New Economic Reforms in India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सन् 2014 के बाद एवं वर्तमान समय में अपनायी जा रही नयी आर्थिक सुधारों की सूची विस्तृत है लेकिन, उनमें से कुछ नवीन आर्थिक सुधारों को निम्नलिखित बिन्दुओं में वर्णित कर रहे हैं :-

1. **व्यवसाय सुधार (Business Reforms) :** देश में सन् 1991 के बाद लाइसेंस राज को समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारत में व्यापार सुगमता (Index of Ease of Doing Business) की श्रेणी में वृद्धि होना। अतः विदेशी निवेशक भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कंपनी अधिनियम में भी नवीनतम संशोधन लागू किया गया। लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME) में निवेश की सीमा में (पूँजी व मशीन उपकरणों में) वृद्धि की गई। आयात व निर्यात नीतियों में सरलीकरण किया तथा उद्योगों में पूँजीगत स्वतंत्रता प्रदान की गई।
2. **बैंकिंग सुधार (Banking Reforms) :** बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन आयोग की नीतियों को सरकारी एवं निजी बैंकों में लागू किया गया। सन् 2021 में बैंकिंग सुधार व पुनः पूँजीकरण योजना (Re-capitalization),

- व्यावसायिक पेशागत दक्षता (Professionalism of business) को अपनाना, बैंकों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना तथा व्यावसायिक बैंकों को स्वयं की ब्याज दर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र किया गया।
3. **वित्तीय सुधार (Financial Reforms) :** वित्तीय एवं मौद्रिक नीति में सुधार करते हुए इसे मुद्रा-स्फीति नियंत्रण (Inflationary Control) से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेश (Financial inclusion) को बढ़ाना एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT: Direct Benefit Transfer) का विस्तार, आदि वित्तीय सुधारों को अपनाया गया।
 4. **कर सुधार (Tax Reforms) :** कर सुधार योजना के अंतर्गत, आयकर सीमा में वृद्धि तथा बचत व निवेश को प्रोत्साहन दिया गया एवं उद्योगों को कर संरक्षण व छूट (Tax Protection & Subsidy) प्रदान की गई। काले धन (Black Money) की देश एवं विदेशों में तलाशी व उगाही तथा कर वंचन (Tax Evasion) पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया।
 5. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** स्थावर संपदा (Real Estate), विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र एवं खुदरा व्यापार (Retail Business) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। ऊर्जा व कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता (Transparency) तथा गैर-विवेकशील निर्णय (Non-Deliberate Decision) अपनाते हुए कोयला आवंटन निजी क्षेत्रों को भी प्रदान करना, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके। डीजल की कीमतों में अवमूल्यन (De-valuation) एवं डीजल व पेट्रोल में निजी निवेश को आमंत्रित करना। इसके साथ ही, खाद्य प्राकृतिक गैस, केरोसिन इत्यादि में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया जायेगा।
 6. **सर्वोत्कृष्ट योजना (Flagship Program) :** इस के तहत निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं को देश के विकास हेतु अपनाया गया है:-
 - सन् 2014 में जनधन योजना लागू करना, मेक इन इंडिया अभियान व क्लीन इंडिया तथा स्वच्छ भारत अभियान (शौचालय का निर्माण) इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन।
 - सन् 2015 में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजनाओं को अपनाना।
 - सन् 2016 में उज्ज्वला योजना, दिवालिया कानून (Insolvency & Bankruptcy Code) तथा सबसे चर्चित नोटबंदी (De-Monetization) के लिए नियमों एवं नीतियों का निर्माण।
 - सन् 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST: Goods & Service Tax) को पूरे देश में लागू किया गया।
 - सन् 2018 में आयुष्मान भारत योजना (Medical Health Scheme) को अपनाया गया।
 - सन् 2020 में कृषि कानून सुधार (Agro Reforms) तथा स्वैच्छिक रूप से गैस सब्सिडी (Voluntarily Giving gas-subsidy) छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया।
 - सन् 2020 में आत्मनिर्भर भारत (Self-reliant India) के निर्माण पर बल दिया गया।
 - सन् 2021 में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल भुगतान योजना पर अधिक जोर दिया गया।
 - इनके अतिरिक्त, अन्य योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन बीमा/सुरक्षा योजना (Life/Health Insurance), इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।
 7. **निजीकरण योजना (Privatization Scheme) :** निजीकरण योजना के अन्तर्गत हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, रेलवे स्टेशनों एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के निजीकरण को सम्मिलित किया गया है। आधारभूत सुविधा,

सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि में खुली निविदा प्राप्त (Open Tender System) कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

8. अन्य सुधार (Other Reforms) :-

- (i) राज्य सरकारों को और अधिक स्वावलंबी बनाना।
- (ii) सहकारिता आंदोलन को भारत की सुदूर सीमाओं तक पहुँचाना।
- (iii) ई-वीसा का विस्तार, सुविधाजनक सीमा निकासी (24x7 custom clearances) एवं हवाई-अड्डों व बंदरगाहों पर विशेष निर्माण तथा सुविधाओं का विस्तार करना।
- (iv) सरकारी व निजी क्षेत्रों में असंख्य प्रकार के नवीनतम रोजगारों की सृजन की योजना।
- (v) कृषि व सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation), स्वच्छता, पौष्टिक आहार, खेलकूद, आवासीय दशा (Living Condition) व अन्य सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में सुधार।
- (vi) आवश्यक सुविधा- पीने का स्वच्छ पानी (जल मंत्रालय का गठन), प्रत्येक परिवार को बिजली की सुविधा, इत्यादि।

➤ विशेष तथ्य (Significant Facts) :

- वर्तमान में, भारत में सकल धरेलू उत्पाद 2 लाख, 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर है तथा जिसे बढ़ाकर 2025 तक इसका लक्ष्य 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर रखा गया है। आज भारत विश्व में पाँचवी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तथा जल्दी ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था बन गई है।
- सन् 2020-23 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सन् 2025 तक प्रति व्यक्ति आय को 20,000 अमेरिकी डॉलर तक ले जाना तय किया है।
- शेयर बाजार ने अभी हाल में ही (2020-21) मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 60,000 सूचकांक को पार किया है। जिससे यह पता लगता है कि बाहरी देशों ने हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अधिक मात्रा में विनियोग करने का मन बनाया है।

10.11 सारांश (Summary)

आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य, भारत में सन् 1991 के दौरान एवं तत्पश्चात् के काल में किये गए आर्थिक सुधारों को बारीकी से समझना तथा आम जनता पर उनका प्रभाव एवं उनसे उत्पन्न चुनौतियों एवं लाभ का अध्ययन करना है। आर्थिक सुधार, एक तरह से देश को आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास है तथा अर्थव्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सुगम रास्ता भी बतलाता है। आर्थिक सुधार, कई प्रकार की नीतियों को बनाने में मदद करती है, जैसे आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, कृषि नीति, अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध एवं कर नीति, इत्यादि।

10.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

तत्संबंधित इकाई के अध्ययन, चिंतन तथा मनन के आधार पर यह सीखने एवं अभिज्ञात करने में सक्षम हो जाएँगे कि –

- आर्थिक सुधार, अर्थव्यवस्था की वर्तमान उपलब्धियों में 'और' सुधार करने की तथा विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने की नियमावली है।
- यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साहसियों के मध्य समन्वयकारी प्रणाली हैं।

- ये सुधार सरकार के नीतिगत ढाँचे का पुनरवलोकन है, जिसके आधार पर भावी प्रगतिशील परिवर्तन करते हुए वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर होना है।
- आर्थिक सुधारों की आवश्यकता प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को दूर करने, राजकोषीय घाटे से उबरने, सार्वजनिक क्षेत्रों के कुप्रबंधन को दूर करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान असंतुलन की कमी से सहज निपटने तथा नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए होती है।
- आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए स्थापना उपाय एवं ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम को लागू करने का क्या परिणाम हुआ है ?
- ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार किया गया है और वे कहाँ तक सफल हो पाए हैं ?
- उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रारूप को आर्थिक सुधारों के स्तंभ, क्यों माना गया है ?
- प्रथम पीढ़ी के सुधारों एवं द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के बारे में, आपने अधिज्ञान अर्जित कर लिया है।
- कोविड-19 जैसी महामारी में किए गए आर्थिक सुधारों से आम जनता कितनी लाभान्वित हुई है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में नवीनतम आर्थिक सुधार कौनसे किए गए हैं जो सम्पूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं तथा हो रहे हैं।

10.13 शब्दावली (Glossary)

- **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)** : यह वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय (Expenditure) तथा आगम (Income) के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है।
- **विनिवेश (Disinvestment)** : सार्वजनिक उपक्रमों (Public Sector Undertakings) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment)** : किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है।
- **मुद्रा-स्फीति (Inflation)** : यह वह स्थिति होती है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा देश के कुल उत्पादन से अधिक हो जाती है। इस कारण देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।
- **उदारीकरण (Liberalisation)** : यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में लगे आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम किया जाता है या पूर्णतया समाप्त किया जाता है।
- **सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises)** : जिस उपक्रम में न्यूनतम 51 प्रतिशत अंश पूँजी सरकार के स्वामित्व में होती है, उसे सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं।

10.14 स्व-परख प्रश्न (Self-assessment Questions)

1. आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।
2. विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की व्याख्या कीजिये।

3. किन्हीं तीन आर्थिक सुधार की विधियों पर टिप्पणी लिखिये।
4. कोविड के दौरान आपके विचार से और कौन से अन्य सुधार अपनाये जा सकते थे?
5. भारत में नवीन आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिये।

10.15 संदर्भ ग्रंथ सूची (References/Bibliography)

- डांगी, डॉ. वंदना : “भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में बढ़ती पहचान”, प्रभात प्रकाशन नयी दिल्ली।
- करूपया, शंकरगणेश : “भारतीय अर्थव्यवस्था : सूक्ष्म अवधारणा”। टाटा मेक-ग्रा हिल प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली।
- डांगी, डॉ. वंदना : “वैश्विक युग का भारत-आर्थिक युग और समावेशी विकास का आधार”, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली।
- माथुर, बी.एल. : “आर्थिक नीति एवं विकास” अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
- माहेश्वरी, डॉ. पी.डी. गुप्ता एवं डॉ. शीलचंद : “भारतीय आर्थिक नीति”। कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
- पाठक, गोपाल : “उदारीकरण और आर्थिक विकास”। इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।

10.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- आर्थिक सर्वे : भारत सरकार।
- इण्डियन इकोनोमिक रिव्यू : देहली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स।
- योजना : योजना आयोग, भारत सरकार।
- इण्डियन डवलपमेंट रिपोर्ट : भारत सरकार।
- इण्डियन इकोनोमिक जर्नल : इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन।

10.17 वेब संसाधन व लिंक (Internet Web Resources & Links)

- <https://dea.gov.in/>
- <https://economictimes.indiatimes.com/topic/economic-reforms>
- <https://indiareforms.csis.org/>
- <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/>
- <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/reliving-the-landmark-1991-economic-reforms/article35547510.ece>

इकाई –11

सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश कार्यक्रम (Disinvestment Programme in Public Sector)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 विनिवेश की पृष्ठभूमि
- 11.3 विनिवेश की संकल्पना
- 11.4 विनिवेश के उद्देश्य
- 11.5 विनिवेश का महत्व
- 11.6 विनिवेश की नीतियां
- 11.7 विनिवेश के तौर तरीके
- 11.8 विनिवेश: एक समय रेखा
- 11.9 भारत में विनिवेश
- 11.10 भारत की विनिवेश नीति की आलोचना
- 11.11 सारांश
- 11.12 अधिगम परिणाम
- 11.13 शब्दकोश
- 11.14 स्वपरख प्रश्न
- 11.15 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 11.16 अन्य पठन सामग्री
- 11.17 वेब संसाधन/ लिंक

11.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे
- विनिवेश की संकल्पना को जान सकेंगे

- विनिवेश के उद्देश्य एवं महत्व की जानकारी कर सकेंगे
- विनिवेश के तौर-तरीकों की पहचान कर सकेंगे
- भारत में विनिवेश नीतियां एवं वर्तमान विनिवेश लक्ष्यों के बारे में जान सकेंगे
- भारत में विभिन्न समय अंतराल एवं सरकारों के दौरान विनिवेश की स्थिति को समझ सकेंगे
- भारत के विनिवेश लक्ष्यों एवं वास्तविक उपलब्धियों की तुलना कर सकेंगे
- भारत की विनिवेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत की नवीन आर्थिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर पर्याप्त महत्व एवं ध्यान दिया गया है। यह विनियोग का विक्रय है। विनिवेश से आशय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की अंशधारिता की बाजार में बिक्री से है। यह अर्थव्यवस्था के निजीकरण एवं उदारीकरण की दिशा में उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया वर्ष 1992 से प्रारंभ हुई थी। निजीकरण एवं विनिवेश एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। निजीकरण से आशय उपक्रमों के स्वामित्व में परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप प्रबंधन में भी परिवर्तन होता है। विनिवेश से निजीकरण तभी होता है जब सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम में अपने 51 प्रतिशत अथवा अधिक अंश निजी उद्यमियों को बेच देती है। इसके विपरीत विनिवेश व्यापक रूप में वह स्थिति है जिसमें या तो सरकार के हित का इस स्तर पर विलीन किया जाता है जिसके फलस्वरूप उपक्रम के प्रबंधन में परिवर्तन हो जाता है अथवा इसे इस सीमा तक ही हस्तांतरित किया जाता है कि उपक्रम पर सरकार का नियंत्रण बना रहे। उपक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक विनिवेश की दशा में प्रबंधन का हस्तांतरण होता है जबकि 50 प्रतिशत से कम विनिवेश की दशा में सरकार का उपक्रम में प्रमुख अंश बना रहता है।

11.2 विनिवेश की पृष्ठभूमि (Background of Disinvestment)

स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से भारत की बजाए अपने देश को बढ़ावा देने वाली थी। इसलिए अधिकांश औद्योगिक गतिविधि भारत से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन से तैयार उत्पादों के आयात पर केंद्रित थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति सोवियत संघ की तर्ज पर तैयार की गई थी, जिसे 'समाजवादी ढांचे' के रूप में जाना जाता था। तथापि औद्योगिकरण की समाजवादी नीति ने अधिकांश निजी उद्यमों के संचालन को कठोर प्रतिबंधों के साथ नियंत्रित किया, फलस्वरूप एक अप्रभावी औद्योगिक प्रणाली को आयात-प्रतिस्थापन औद्योगिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन एवं 1991 के भुगतान संतुलन संकट ने नीति निर्माताओं को पुनर्मूल्यांकन एवं कार्यक्रम सुधारों के द्वारा एक खुली एवं बाजारोन्मुख नीति को अपनाने हेतु बाध्य किया।

1996 में, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विनिवेश आयोग की स्थापना की। आयोग को अधिदेश था कि पांच-दस वर्षों की अवधि के लिए बाजार के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व के विविधिकरण के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर व्यवहार्यता और सरकार की सलाह का आकलन किया जाए।

10 दिसंबर 1999 को, आयोग को भंग कर दिया गया और भारत में विनिवेश पर सभी निर्णय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक अलग विनिवेश विभाग द्वारा लिये जाने लगे। वर्ष 2000 में, वाजपेयी सरकार ने विनिवेश विभाग का एक पूर्ण मंत्रालय के रूप में उन्नयन कर दिया। 2004 में, मनमोहन सिंह सरकार ने जो अनेक फैसले लिए उनमें से पहला विनिवेश मंत्रालय को बंद करना और इसका एक स्वतंत्र विभाग के रूप में वित्त मंत्रालय में विलय करना था। बाद में, 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया।

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) हेतु शासनादेश इस प्रकार था:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समग्र अंशों के विनिवेश सहित समता पूंजी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री के प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट या किसी अन्य तरीके से केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले।
- विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामले, जिनमें पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक साझेदार द्वारा कॉल ऑप्शन के प्रयोग से संबंधित एवं इससे उत्पन्न होने वाले मामले शामिल हैं, को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा, जहां आवश्यक हो, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से निपटाना जारी रहेगा।

11.3 विनिवेश की संकल्पना (Concept of Disinvestment)

भारत में विनिवेश भारत सरकार की एक नीति है, जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी संपत्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से परिसमापन करती है। विनिवेश का निर्णय मुख्य रूप से राजकोषीय बोझ को कम करने और सरकार की राजस्व कमी को पाटने के लिए है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास का लक्ष्य हासिल करने में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को दी गई थी। पीएसई की स्वतंत्रता के बाद की अन्य जिम्मेदारियों में, राष्ट्र के सामाजिक और विकास संबंधी दायित्व सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी आड़ में ये इकाइयां निजी इकाइयों से प्रतिस्पर्धी दौड़ से पिछड़ गयीं। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियां कुछ भिन्नता लिए हुए थीं। वे गैर-प्रमुख क्षेत्रों जैसे- होटल और उपभोक्ता वस्तुओं की ओर भी ध्यान केंद्रित करने लगे, जिसकी उनसे पूर्व में अपेक्षा नहीं थी। सार्वजनिक उद्यमों को राजनीतिक और नौकरशाही के कार्य-साधन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा; जो कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादकता, नवाचार करने में विफलता एवं विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जटिल निर्णय लेने की प्रक्रिया में विफलता के रूप में सामने आने लगा।

1980 के दशक के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास (जैसा कुछ टिप्पणीकारों ने व्यक्त किया था) एक "अपने आप में अंत" की ओर बढ़ गया। ये भारत के विकास में बाधक बने। फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खराब प्रदर्शन ने भारत के विकास की कमजोरी को दूर करने हेतु आर्थिक सुधारों हेतु आह्वान किया। 1991 में सरकार

बदलने के बाद अनेक आर्थिक सुधारों में से निजीकरण प्रमुख उपाय था, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के उधार को कम करके तथा राजकोषीय मितव्ययिता के द्वारा राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने हेतु आवश्यक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।

विनिवेश-अर्थ: विनिवेश को सरकार की उस कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को बेचना या समाप्त करना है ताकि सरकार को उत्पादन व्यवसाय से बाहर निकाला जा सके तथा सार्वजनिक वस्तुओं और बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में अपनी उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके। विनिवेश से प्राप्त धनराशि से सार्वजनिक ऋण को कम करने एवं ऋण से जीडीपी अनुपात को कम करने में भी मदद मिलेगी तथा प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक उपक्रम प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होंगे।

विनिवेश की परिभाषा: बुनियादी स्तर पर, विनिवेश को निम्नानुसार समझाया जा सकता है:

- निवेश से तात्पर्य प्रतिभूतियों, डिबेंचर, बांड या पैसे पर किसी अन्य दावे को धन या नकदी में बदलने से है। इस प्रकार, विनिवेश में धन के दावों अथवा प्रतिभूतियों को धन या नकदी में बदलना सम्मिलित है।
- विनिवेश को किसी संगठन (या सरकार) द्वारा किसी संपत्ति को बेचने या परिसमापन करने की कार्यवाही के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे निवेश वापस ले लेना या स्वत्वमोचन भी कहा जाता है।
- अधिकांश संदर्भों में विनिवेश सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम की, आंशिक अथवा पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाने वाली बिक्री को संदर्भित करता है।
- एक कंपनी या एक सरकारी संगठन आमतौर पर एक रणनीतिक चरण के रूप में या सामान्य /विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक परिसंपत्ति का विनिवेश करते हैं।
- आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) किसी गैर- सूचीबद्ध सीपीएसई या सरकार या दोनों के संयोजन से अपनी अंशधारिता की पहली बार सदस्यता हेतु जनता को की गयी अंशों की पेशकश।
- आगे की सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ): एक सूचीबद्ध सीपीएसई या सरकार द्वारा अथवा दोनों के संयोजन द्वारा अपनी शेयर धारिता से जनता को शेयरों की पेशकश या सदस्यता के लिए आमंत्रण।
- स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कंपनी प्रवर्तकों के द्वारा शेयरों की बिक्री की पेशकश (ऑफर फॉर सेल)। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्म पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है। 2012 से सरकार द्वारा इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- सामरिक बिक्री- प्रबंधन-नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के 50 प्रतिशत तक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत तक सरकारी अंशधारिता के पर्याप्त हिस्से की बिक्री।
- संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आईपीपी) इसमें केवल संस्थान ही पेशकश में भाग ले सकते हैं।
- सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)- ईटीएफ के माध्यम से विनिवेश विभिन्न क्षेत्रों में एकल पेशकश के द्वारा विभिन्न सीपीएसई में भारत सरकार की हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री की अनुमति देता है। यह भारत सरकार को उन सीपीएसई में अपनी अंशधारिता का मुद्राकरण करने हेतु तंत्र प्रदान करता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बास्केट का हिस्सा हैं।

11.4 विनिवेश के उद्देश्य (Objectives of Disinvestment)

जुलाई 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल बहुत नकारात्मक रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम अक्षम बन गए थे एवं सरकार के संसाधनों पर लगातार दबाव बना रहे थे। ये जो संपत्ति की बजाय सरकार के लिए देनदारियां बन गए थे। पारंपरिक रूप से विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित कई उपक्रम अर्थव्यवस्था पर बोझ साबित हो रहे थे। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद और एकल राष्ट्रीय बचत भी पीएसयू से मिलने वाले कम प्रतिफल के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। पीएसयू से कम बचत के कारण कुल सकल घरेलू बचत का लगभग 10 से 15 प्रतिशत कम हो रहा था। नियोजित पूंजी पर लाभ का स्तर बहुत कम था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम लाभ के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों में से निम्नलिखित की पहचान विशेष रूप से की गई थी:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति
- क्षमता का कम उपयोग
- परियोजनाओं की योजना और उनके क्रियान्वयन संबंधित समस्याएं
- श्रम, कार्मिकों और प्रबंधन से संबंधित समस्याएं एवं
- निर्णयन में स्वायत्तता का अभाव

अतः सरकार को इन इकाइयों से छुटकारा पाने तथा मुख्य गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। सरकार ने यह भी विचार किया कि उसे उन व्यवसायों से बाहर निकलना चाहिए, विशेष रूप से जहाँ निजी क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सामान्य/ विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु धन जुटाने के लिए भी विनिवेश को एक साधन के रूप में देखा गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 'विनिवेश नीति' की घोषणा की तथा इसे सार्वजनिक उपक्रमों में वित्त पोषण के बोझ को कम करने हेतु एक सक्रिय दस्तावेज बतलाया गया। विनिवेश नीति में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया गया:

- सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार
- प्रतिस्पर्धा एवं बाजार अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु
- विकास हेतु निधि प्रदान करने के लिए
- स्वामित्व को व्यापक बनाने के लिए
- आवश्यक सेवाओं का गैर राजनीतिकरण करने के लिए
- सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी तकनीक उन्नत कर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करने के लिए
- अपने कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित कर विवेकीकृत करने के लिए
- उपक्रमों की सामर्थ्य में वृद्धि एवं शोध व विकास को सशक्त बनाने के लिये एवं

- विविधीकरण व विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए।

इस तरह विनिवेश का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम अथवा समाप्त करना था। इसका उद्देश्य ढांचागत संशोधन द्वारा कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर सार्वजनिक उपक्रमों को आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना था। नई औद्योगिक नीति में यह मंशा व्यक्त की गई थी कि सार्वजनिक उपक्रमों को अपने संसाधन स्वयं जुटाने में मदद करने की लिए व्यापक जन भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी को साझा कोषों, वित्तीय संस्थानों, आमजन एवं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।

11.5 विनिवेश का महत्व (Importance of Disinvestment)

वर्तमान में सरकार का लगभग दो लाख करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगा हुआ है जो आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह गया है। अतः सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश महत्वपूर्ण है। विनिवेश का महत्व निम्नलिखित के लिए इन निधियों के उपयोग में निहित है:

- बढ़ते राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का वित्तपोषण
- अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए
- सरकारी ऋज से निवृत्त होने के लिए-केंद्र की राजस्व प्राप्तिओं का लगभग 40 से 45 प्रतिशत ऋण/ ब्याज को चुकाने में चला जाता है
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए
- तेजी से बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण भी विनिवेश महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक सार्वजनिक उपक्रमों का लाभप्रद रूप से काम करना मुश्किल हो जाता है, फलस्वरूप सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य में तेजी से क्षरण होता है। अतः उच्च मूल्य वसूल करने के लिए शीघ्र विनिवेश करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. विनिवेश के औचित्य से आप क्या समझते हैं?
2. विनिवेश कि संकल्पना से क्या अभिप्राय है?
3. बढ़ते राजकोषीय घाटे में वित्त पोषण में विनिवेश क्यों आवश्यक है?
4. सरकार कि विनिवेश हेतु नवीनतम नीति को बतलाइए।
5. हाल ही में दो प्रमुख उपक्रमों में किये गए विनिवेश को समझाइये।

11.6 विनिवेश नीतियां (Disinvestment Policies)

1991 से 1999 : देश में आर्थिक सुधारों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन को पुनः परिभाषित करने के लिए, 1991 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार की गई, जिसमें पीएसयू की भूमिका पर चर्चा की गई एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु एक व्यापक नीति बनाई गई। नीति में पीएसयू संचालक मंडलों (बोर्डों) को स्वायत्तता दी गई तथा उन्हें अपने

संचालन दक्षता में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने पीएसयू के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया तथा बाद में घाटे में चल रही अधिकांश संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया। औद्योगिक पुनर्गठन के तहत, सरकार ने अनेक क्षेत्रों को निजी उपक्रमों/क्षेत्र के लिए खोल दिया। सार्वजनिक क्षेत्र ने रेलवे, खनन और परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। 1991 की नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य "लालफीताशाही" को समाप्त करना था जिसे औद्योगिक लाइसेंस के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार इसमें किसी संस्था द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने में आवश्यक देरी को कम करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। 1991 के उद्योग नीति वक्तव्य की प्रमुख उपलब्धियों में से एक जिसे कि 1992 के केंद्रीय बजट में भी दर्शाया गया था, में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों को सत्रह से घटाकर चार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु बजटीय प्रावधानों में पर्याप्त कटौती कर दी गई और घाटे में चल रहे अधिकांश उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया। **सी. रंगराजन** की अध्यक्षता में विनिवेश हेतु दिशा निर्देशन विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। आयोग ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कंपनियों में 49 प्रतिशत तक और अन्य संस्थाओं में 100 प्रतिशत तक विनिवेश की अनुमति दी जाए।

1999 से 2004 : 1999 से 2004 के मध्य अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विनिवेश नीति ने देश में विनिवेश प्रक्रिया को गति दी। सरकार ने विनिवेश के लिए एक परिवर्तन किया। यह वही सरकार थी जिसने पहली बार विनिवेश के स्थान पर "निजीकरण" शब्द का प्रयोग किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: "रणनीतिक" और "गैर-रणनीतिक"। रक्षा संबंधी उपकरणों से संबंधित सभी उद्योगों को रणनीतिक संसाधनों के रूप में वर्णित किया गया था और इन क्षेत्रों के लिए किसी विनिवेश की सिफारिश नहीं की गई। जबकि अन्य सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी को घटाकर 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया। एनडीए सरकार की नीति गैर-रणनीतिक कंपनियों का निजीकरण करके रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने की थी। सरकार ने आवश्यक होने पर गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के 26 प्रतिशत या उससे कम के निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। वाजपेयी के नेतृत्व वाली प्रथम एनडीए सरकार के विनिवेश की दिशा में बाद कि एनडीए सरकारों की तुलना में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए आर्थिक विशेषज्ञों ने बताया कि, "विनिवेश नीति ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान एक सुनहरा सपना देखा था"।

2004 से 2014 : इस अवधि में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-I और यूपीए-II सरकारें सत्ता में थीं। दीपम से प्राप्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इन सरकारों ने विनिवेश कार्यक्रम में पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ली तथा भारत की लंबी अवधि की विकास गाथा को बाधित किया। 2004 में यूपीए-I सरकार ने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) तैयार किया, जिसमें उसने विनिवेश की अपनी नीति को अति महत्वाकांक्षी नहीं रखा। घोषित (एनसीएमपी) में कहा गया कि किसी लाभ कमाने वाले उद्यमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सभी नवरत्न कंपनियों को बनाए रखा जाएगा और एवं इन्हें पूंजी बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों एवं लंबे समय से बीमार पीएसयू को मजबूत करने के प्रयास भी किए जाएंगे। जिन उपक्रमों को बेचा जाएगा उनके कार्य बल

को विधिवत मुआवजा दिया जाएगा। निजीकरण से प्राप्त राजस्व का उपयोग चयनित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए किया जाएगा। यूपीए सरकार ने अन्य फैसलों में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की "रणनीतिक बिक्री" नीति की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। तथापि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पमत हिस्सेदारी की नीलामी भी इस दौरान की गई थी।

विनिवेश का प्रभाव : भारत में विनिवेश की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर किंतु सीमित सीमा तक इक्विटी को निजी इकाई में स्थानांतरित करने की थी न कि सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व का पूर्ण रूप से निजी उपक्रमों को हस्तांतरण करने की। इस प्रकार कुछ पर्यवेक्षकों ने इस तरह के लेन-देन हेतु, उपयुक्त शब्दावली के रूप में आंशिक निजीकरण का उपयोग किया है। डॉ. सुधीर नायब ने “भारत में विनिवेश: नीतियां, प्रक्रियाएं, व्यवहार” नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, “सरकार धीरे-धीरे विनिवेश से निजीकरण की ओर बढ़ रही है।” इसके अलावा, अपने शोध के माध्यम से, लेखक ने पाया कि, जब भी विनिवेश के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में निजी संस्थाओं को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, तो संबंधित उद्यम की आर्थिक क्षमता में सुधार होता है। इसी तरह, हरजीत सिंह ने अपनी पुस्तक “कारपोरेट स्ट्रक्चरिंग थ्रू डिसइनवेस्टमेंट (एन इंडियन पर्सपेक्टिव)” में लिखा है; “अल्पांश विनिवेश के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगत नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण वही बना रहा।” इसलिए, लेखक का मानना है कि “यह विनिवेश का आकार नहीं है जो दक्षता में सुधार करता है, बल्कि कंपनी के नेतृत्व में परिवर्तन और अन्य बाजार संबंधी प्रबल कारक जैसे नवाचार, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक हस्तक्षेप हैं जो आर्थिक दक्षता को प्रभावित करते हैं।”

विनिवेश की राजनीति : विनिवेश की प्रक्रिया सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य के स्वामित्व को कम करती है, कुछ विद्वानों ने अनुभव किया है कि विनिवेश नीतियों से निपटने में विभिन्न राजनीतिक कारक भी बाधा के रूप में सामने आ सकते हैं। **जैन और सरकार (2017)** ने अपने शोध में पाया कि “विनिवेश अधिक होता है, जब वामपंथी दलों की तुलना में समान विचारधारा वाले गठबंधन **दलों** वाली एक दक्षिणपंथी राजनीति करने वाली सरकार द्वारा विनिवेश किया जाता है”। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचारधारा को लेकर जितना अधिक केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य होगा, विनिवेश की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। कुछ विश्लेषकों ने अनुभव किया है कि विनिवेश नीति को मूल रूप से लागू नहीं करना 2004 के आम चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करने का एक प्रमुख कारण था। सीपीआईएम जैसी वामपंथी पार्टी के बाहरी समर्थन पर निर्भरता के परिणाम स्वरूप सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों की अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग विचारधाराएं थी।

विनिवेश का निजीकरण से क्या संबंध है? : चुनौतीपूर्ण समय में, सरकार निजी निवेशकों को एक पूरे उद्यम या किसी उद्यम में से बड़ी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप निजीकरण होता है। निजीकरण के बाद संचालन एवं स्वामित्व पर नियंत्रण सरकार के पास नहीं रहता। इसे पूर्ण निजीकरण या बहुसंख्यक विनिवेश के रूप में जाना जाता है। तथापि वास्तविकता में ऐसा दुर्लभ परिस्थिति में ही होता है।

आमतौर पर सरकार के पास सार्वजनिक उपक्रमों में आधी से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, इसलिए नियंत्रण सरकार के हाथ में ही बना रहता है।

भारत में किस विनिवेश नीति का पालन किया जाता है? : वित्त मंत्रालय के तहत एक अलग टीम विनिवेश से संबंधित कार्यों को संभालती है जिसे विनिवेश विभाग कहा जाता है। विभाग को अब एक अलग इकाई बना दिया गया है जिसे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कहा जाता है। विभाग के लक्ष्य प्रत्येक केंद्रीय बजट में निर्धारित किए जाते हैं जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भिन्न हो सकते हैं। 1990 के दशक से, सभी क्रमिक सरकारें सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाने हेतु विनिवेश लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। किसी कंपनी का विनिवेश करने का निर्णय लेने से पहले सरकार कई कारकों का अध्ययन करती है। जैसे, किसी कंपनी में सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी, उद्यम के स्वामित्व में निजी क्षेत्र की रूचि, बाजार की स्थिति, अपेक्षित मूल्य प्राप्ति इत्यादि।

वर्तमान विनिवेश लक्ष्य (वित्त वर्ष 2021-22) : केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (IDBI बैंक के अलावा) एवं एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एलआईसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आमजन के लिए भी खुला रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक विनिवेश नीति को सरकार की मंजूरी की पुष्टि की। नीति के अनुसार, न्यूनतम सीपीएसई को बनाए रखा जाएगा और शेष का निजीकरण कर दिया जाएगा। अगले दौर के लिये नीति आयोग द्वारा विनिवेश हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यों को भी अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना तैयार की जाएगी।

विनिवेश विभाग का नाम बदलने और पुनर्गठन की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2016-17 के बजट भाषण में की थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, विनिवेश विभाग का नाम बदलकर **निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग** या **'दीपम'** कर दिया गया है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

दीपम का उद्देश्य: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र के निवेश का कुशल प्रबंधन। इस हेतु दीपम को नीम शासनादेश था:

- सीपीएसयू के वित्तीय पुनर्गठन के मामलों में सरकार को सलाह देना।
- पूंजी बाजार के माध्यम से निवेश आकर्षित करना।
- पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस, शेयर आदि मुद्दों को संशोधित करना।

11.7 विनिवेश के तौर-तरीके (Methods of Disinvestment)

विनिवेश के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक तरीकों अथवा प्रारूपों को निष्पादित किया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **सार्वजनिक निर्गम:** इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंशों को तय मूल्य पर प्रविवरण के माध्यम से प्रस्तावित किया जाता है। यह प्रस्ताव आमजन को मान्यता प्राप्त बाजार मध्यस्थों के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ में अंशों का फुटकर विनियोक्ताओं को घरेलू जन निर्गम के माध्यम से प्रस्ताव किया जाता है। इसके बाद विदेशी बाजार से विनियोग आकर्षित करने के लिए जन निर्गम लाया जा सकता है।
- **समता अंशों की बिक्री:** यह पूर्व निर्धारित ग्राहकों को अंशों की नीलामी है जिनकी संख्या काफी बड़ी हो सकती है। मर्चेट बेकर्स की सहायता से सार्वजनिक उपक्रमों के इन समता अंशों का मूल्य आरक्षित किया जा सकता है।
- **विक्रय हेतु प्रस्ताव:** विक्रय हेतु प्रस्ताव में, सार्वजनिक उपक्रम के विक्रय हेतु न्यूनतम स्थिर मूल्य तय किया जाता है, बाद में खुली बोली लगाने वालों को आमंत्रित कर सर्वाधिक बोली लगाने वालों की बोली को स्वीकार कर लिया जाता है।
- **विपरीत धारण (क्रॉस होल्डिंग):-** इसके अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम में अपनी अंशधारिता का एक भाग एक अथवा अधिक सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देती है।
- **स्वर्णिम अंश (गोल्डन शेयर):** इस मॉडल में सरकार एक सार्वजनिक उपक्रम में 26 प्रतिशत अंशधारिता बनाए रखती है। इसके फलस्वरूप सरकार की ऐसी सार्वजनिक उपक्रम में प्रमुख अंशधारिता बनी रहती है।
- **भंडारण (वेयरहाउसिंग):-** इस प्रारूप के अंतर्गत सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित होता है कि वे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों के अंश क्रय कर अपने पास बनाए रखेंगे जब तक कि कोई तीसरा खरीददार उभर कर सामने नहीं आ जाता।
- **रणनीतिक विक्री:-** केंद्र सरकार ने कुछ समय बाद व्यूचनात्मक/ रणनीति विक्रय विधि को अपना आरंभ कर दिया। इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक उपक्रम में अपने स्वामित्व का बड़ा भाग (51 प्रतिशत एवं इससे अधिक) एक रणनीति खरीददार को खरीदने का अवसर देने के साथ उसका प्रबंधकीय नियंत्रण भी क्रेता को सौंप देती है। इसमें विनिवेश मूल्य बाजार ही तय करता है एवं इसे पूर्व में निर्धारित नहीं किया जाता। सार्वजनिक उपक्रम के अंश विनिवेश विभाग के अधीन रहते हैं।

11.8 विनिवेश एक समय रेखा (Disinvestment: A timeline)

सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के स्वामित्व वाले अंशों का विनिवेश 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और संरचनात्मक सुधारों के मद्देनजर एक नीति विकल्प के रूप में उभरा। प्रारंभ में इसकी कल्पना मौजूदा सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि बजटीय घाटे को कम करने एवं सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बाजार अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु तथा कुछ संसाधन जुटाने के उद्देश्य से समता/अंशों के सीमित विक्रय के रूप में की गई थी।

चंद्रशेखर सरकार : नवंबर 1990 में शुरुआत में, भारत को भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट एवं संप्रभु पुनर्भुगतान में त्रुटि के रूप में अभूतपूर्व जोखिम का सामना करना पड़ा। देश को अतिरिक्त राजस्व जुटाने और व्यय को कम करने की आवश्यकता थी, क्योंकि आयात कवर एक महीने से भी कम समय के स्तर तक गिर गया था। इस संकट के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में शेयर/इक्विटी बेचकर संसाधन जुटाने का प्रस्ताव था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

कोष के साथ प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा (सीसीएफएफ) के लिए बातचीत की। किंतु राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के समता अंशों के विक्रय से जुटाए गए धन के उपयोग का तरीका एक महत्वपूर्ण बिंदु था। सरकार का अभिप्राय बजटीय घाटे को कम करने हेतु इस आय के उपयोग करने का था। शुरू में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका विरोध किया क्योंकि यह आय लेखांकन शब्दजाल में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती है, उसका उपयोग ऋण को चुकाने के लिए या अन्य आर्थिक कुशल तरीकों से नहीं किया जायेगा।

पी वी नरसिम्हा राव सरकार : सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के शेयरों की पहली बिक्री छोटे बंडलों में साझा कोष और संस्थागत निवेशकों को 1991-1992 में पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह गठबंधन के दौरान हुई, जिन्होंने 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें भी इसके कार्यान्वयन में एक कठिन समय का सामना करना पड़ा। विश्व बैंक, जिसके साथ भारत सहायता के लिए बातचीत कर रहा था, ने यह रुख अपनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई आय का उपयोग केवल सरकार के खर्च को कम करने के लिए ही किया जाना चाहिए। सितंबर 1991 में वार्ता के दौरान, वित्त मंत्रालय विश्व बैंक को फिर से मनाने में सफल रहा कि भारत की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता है।

1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में रणनीतिक और आवश्यक बुनियादी ढांचे के उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और पुरानी बीमार एवं घाटे में चल रही इकाइयों से निपटने के लिए नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की पूरी प्रदान की गई।

90 के दशक के उत्तरार्ध में, बाद की गठबंधन सरकारों द्वारा रणनीतिक और गैर-रणनीतिक उद्यमों के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए विनिवेश की सीमा को धीरे-धीरे बढ़ाया गया ताकि वृद्धशील विनिवेश के माध्यम से गैर-प्रमुख उद्यमों में सरकारी शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सके अथवा रणनीतिक उद्यमों में बहुसंख्यक शेयरधारिता (51 प्रतिशत) को बनाए रखते हुए रणनीतिक विक्रय किया जाए।

आई. के. गुजराल सरकार : गैर-प्रमुख, गैर-रणनीतिक क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की वापसी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और श्रमिकों को नौकरी की सुविधा और पुनः प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों का आश्वासन देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। इसने एयर इंडिया सहित कई सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी के विक्रय या एकमुश्त बिक्री की सिफारिश की थी। उस वर्ष बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए इन समता/अंशों के विक्रय से प्राप्त राजस्व का उपयोग करने एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए एक कोष स्थापित करने का वादा किया गया था। लेकिन वर्षों से चले आ रहे घाटे को कम करने के लिए ज्यादातर पैसा भारत की संचित निधि में ही चला गया।

अटल बिहारी वाजपेई सरकार

- 1998-99 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26 प्रतिशत कर देगी। तथापि सी श्रेणी में बहुसंख्यक शेयरों को बनाए रखा जाएगा जिसे रणनीतिक श्रेणी माना जाता था।

इसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक पुनर्गठन कोष स्थापित करने का वादा भी किया गया था।

- इसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में रणनीतिक बिक्री की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख: मॉडर्न बेकरी, हिंदुस्तान जिंक और बाल्कों का विक्रय था जिसके फलस्वरूप विवाद सामने आने लगे।
- रणनीतिक बिक्री के माध्यम से, केवल गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण की परिकल्पना की गई थी। सरकार द्वारा 1999 में रणनीतिक उद्यमों के अंतर्गत केवल रक्षा-संबंधी, परमाणु ऊर्जा उपक्रम और रेलवे को शामिल करने एवं अन्य सभी उद्यमों को गैर-रणनीतिक उपक्रमों के रूप में सम्मिलित करने के लिए सीमांकन को पुनः परिभाषित किया गया था।
- नीति को लागू करने का सरकार का दृढ़ संकल्प 1999 में एक नए विनिवेश विभाग की स्थापना में परिलक्षित हुआ, जो 2001 में एक पूर्ण मंत्रालय बन गया।

भारत ने आईएमएफ को आश्वस्त किया कि भारत की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए, इस समय राजकोषीय प्रबंधकों को घाटे को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति देना बेहतर होगा। 1991 का अंतरिम बजट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संपत्ति की बिक्री का उल्लेख करने वाला पहला प्रयास था। इसमें "विनिवेश" शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि "निजीकरण" रणनीतिक रूप से अनुपयुक्त था। हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, योजनाएं अधूरी ही रहीं।

पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार : सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के शेयरों की पहली बिक्री छोटे बंडलों में साझा कोषों एवं संस्थागत निवेशकों को 1991-92 में पीवी नरसिम्हा राव-मनमोहन सिंह गठबंधन के तहत हुई, जिन्होंने 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी लेकिन उन्हें भी इसके कार्यान्वयन में एक कठिन समय का सामना करना पड़ा। विश्व बैंक, जिसके साथ भारत सहायता के लिए बातचीत कर रहा था, ने यह रुख अपनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई आय का उपयोग केवल सरकार के कर्ज को कम करने के लिए किया जाना चाहिए।

मनमोहन सिंह सरकार : यह सरकार रणनीतिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थी। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के घोषणा पत्र में कहा भी गया था कि वह निजीकरण को चुनिंदा तरीके से पूरा करेगी। एनडीए सरकार ने जो किया था, उसके विपरीत, केवल अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु धन जुटाने हेतु कोई विनिवेश नहीं होगा। विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग निर्दिष्ट सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए ही किया जाएगा। इसके अनुसरण में सरकार ने एक निवेश कोष, (एनआईएफ) का 2005 में गठन किया। इसमें विनिवेश से जुटाई गई धनराशि को रखा गया था। पेशेवर निवेश प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित इस कोष का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं हेतु निधि जुटाने के लिए आय के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग करना था। लेकिन 2008-09 के वित्तीय संकट एवं बाद में सूखे के कारण, इसे तीन साल के लिए रोक दिया गया था। बाद में 2013 में, फंड का उपयोग करने में लचीलापन प्रदान करने के लिए इसे पुनर्गठित किया गया।

नरेंद्र मोदी सरकार - वर्तमान स्थिति : भले ही यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 में रणनीतिक बिक्री पर जो रोक लगाई थी, उसे हटा लिया गया हो लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की नकल करने की योजना नहीं बना रहे थे। थैचर का दृढ़ विश्वास था कि सरकार के पास व्यवसाय करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। 1980 के दशक में ब्रिटेन को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 670 का निजीकरण करने हेतु प्रेरित किया गया था। यह नीति न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (एनपीएम) के सिद्धांत के अनुरूप थी जो वहां प्रख्याति प्राप्त कर रहा था। यदि थैचरवाद (निजीकरण) राज्य की संपत्ति एवं कंपनियों को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करके व्यवसाय से बाहर निकालने में के बारे में था, तो मोदी सरकार की नई विनिवेश नीति से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकने वाली थी। नई नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र को छोटा करना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि और नकदी शेष सहित संपत्ति को अलग किया जा सके और उनका नई परियोजना में निवेश के लिए उपयोग किया जा सके। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर "निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग" (दीपम) करना नई सोच का प्रतिबिंब है। मौजूदा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए विनिवेश का उपयोग कर रही है। विनिवेश का नया मंत्र है:-

- हस्तक्षेप कम से कम करें,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाणिज्यिक सिद्धांतों के साथ काम करने दें, तथा
- निर्णय लेने में प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करें, जैसे नियुक्तियों में।

नई नीति स्पष्ट रूप से निजीकरण और विनिवेश के बीच अंतर को उजागर करती है। जबकि 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी की बिक्री, शायद 100 प्रतिशत तक निजीकरण है। इसमें यहाँ-वहाँ कोई भी फेरबदल विनिवेश कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों की बड़े पैमाने पर बिक्री के पिछले प्रयास अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, नौकरशाहों में रणनीतिक बिक्री के प्रति एक प्रकार के विरोध को विकसित किया है। नई विनिवेश नीति बिक्री में सम्मिलित करने हेतु बाजार मूल्य पर भूमि के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। यह किराए की मांग वाली किसी भी गुंजाइश को रोकने में मदद तो करेगा ही साथ ही नौकरशाही की विवेकाधीन शक्तियों को भी कम करेगा। इस प्रकार यह निर्णय उन्हें यथास्थिति से दूरी बनाने में सक्षम बनाता है। नीति आयोग को घाटे में चल रही उन इकाईयों के विनिवेश हेतु सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है जिनकी बिक्री की जा सकती है, तथा उनकी संपत्ति का मूल्यांकन और निपटान किया जा सकता है तथा संभावित रणनीतिक बिक्री को पूरा किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय मानकों जैसे कि उधार और परिचालन लाभ पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि उनके अंशों की खरीद की संभावनाओं को जाना जा सके। यह एक प्रकार का विनिवेश है जिसे सरकार ने हाल ही में आरंभ किया है।

11.9 भारत में विनिवेश (Disinvestment in India)

8 अक्टूबर, 2021 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एयर इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तय की गई बोली को मंजूरी दे दी। इसका लेन-देन दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने विनिवेश से प्राप्तियों को 1.75 लाख करोड़ पर आंका था। बजट

भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार 2021-22 में एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को पूरा करेगी। इस परिपेक्ष में हम पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की विनिवेश प्राप्तियों के रुझानों को देख सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक ओर जहां विनिवेश लक्ष्य आक्रामक होते गए हैं वहां वास्तविक प्राप्तियां लक्ष्य से कम ही रही हैं। 2026-27 में लक्ष्य 80,000 करोड़ रु. रखा गया है।

विनिवेश लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2010-11 to 2026-27)

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)	वास्तविक (करोड़ रुपये में)	प्राप्ति अनुमान का प्रतिशत
2010-11	40,000	22,846	57%
2011-12	40,000	18,088	45%
2012-13	30,000	25,890	86%
2013-14	54,000	29,368	54%
2014-15	58,425	37,737	65%
2015-16	69,500	42,132	61%
2016-17	56,500	47,743	85%
2017-18	72,500	1,00,045	138%
2018-19	80,000	94,727	118%
2019-20	1,05,000	50,304	48%
2025-26	34,000	17,400	71.9%
2026-27	80,000	-	-

नोट :- केंद्रीय बजट खातों के आंकड़े 2021 -21 के लिए वास्तविक लेखा महानियंत्रक से लिया गया है।

2010 से, दो वर्षों (2017-18 और 2018-19) को छोड़कर, केंद्र सरकार की विनिवेश से वास्तविक प्राप्तियां लगातार बजट अनुमान से कम रही हैं। 2017-18 में, विनिवेश प्राप्तियों का 37 प्रतिशत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के रणनीतिक विनिवेश से मिला था एवं 24 प्रतिशत विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की लिस्टिंग से प्राप्त किया गया था।

2018-19 में, सरकार ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से 45080 करोड़ रुपये जुटाए एवं आरईसी लिमिटेड की बिक्री का कार्य पूरा कर लिया। वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने बजट में निर्धारित विनिवेश लक्ष्य का केवल 5 प्रतिशत (9,111 करोड़ रुपये एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों की बिक्री से प्राप्तियों को छोड़कर) पूरा किया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विनिवेश प्राप्तियों में आमतौर पर कुछ संस्थाओं के साथ परस्पर चार बार विचार विमर्श करने के कारण भी लंबा समय लगाता है। 2015-16 से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 21 मामलों में, सरकार ने अभी तक रणनीतिक विनिवेश लेन-देन पूरा नहीं किया है। सामरिक परिवेश में निजीकरण सम्मिलित नहीं है और यह भी देरी से प्रभावित हुआ है।

- * नोट: उपरोक्त में एयर इंडिया शामिल है। लेकिन इसमें आईडीबीआई बैंक शामिल नहीं है जिसे मई 2021 में रणनीतिक विनिवेश के लिए मंजूरी दी गई थी।
- * रणनीतिक विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी के एक बड़े हिस्से की बिक्री (50 प्रतिशत या अधिक तक) शामिल है।
- * पिछले छः वित्तीय वर्षों में, सभी लेन-देनों में जहां सरकार ने सीपीएसई में अपनी 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बेची है, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ, सरकार की हिस्सेदारी लेने वाले एक अन्य सीपीएसई को सम्मिलित किया गया है। 2017-18 में, सरकार ने राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के साथ एचपीसीएल की बिक्री से 36,915 करोड़ पर जुटाए। इसी तरह, 2018-19 में, सरकार को आरईसी लिमिटेड की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री से 14,500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो बिजली क्षेत्र में राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है।

अनेक रणनीतिक विनिवेश लेनदेन लंबे समय से प्रक्रियाधीन हैं। उदाहरण के लिए, नवंबर 2019 में स्वीकृत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री अभी भी पूरी नहीं हुई है। ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) सरकार के लिए अधिकतम विनिवेश प्राप्तियां लाए हैं। सरकार विनिवेश हेतु विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। पिछले 6 वर्षों में, विनिवेश के सबसे महत्वपूर्ण तरीके एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस), रणनीतिक विनिवेश, पुनर्खरीद एवं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) रहे हैं। ईटीएफ अंशों की एक टोकरी है। सरकार के दो प्राथमिक ईटीएफ हैं: (i) सीपीएसई-ईटीएफ और (ii) भारत 22 ईटीएफ। 2015-16 से 2020-21 के मध्य सरकार ने ईटीएफ से अधिकतम विनिवेश प्राप्तियां की हैं। विक्रय हेतु प्रस्ताव में शेयर बाजार में सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री सम्मिलित है। हालांकि, इसमें सीपीएसई शामिल हैं जो अन्य सरकारी कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत विक्रय हेतु प्रस्ताव का 45 प्रतिशत खरीदा था। मार्च 2013 में, एलआईसी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 5.82 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री का 71 प्रतिशत खरीदा था। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सीबीएसई का निजीकरण किया जाना है। लेकिन जिन कंपनियों को रणनीतिक विनिवेश बंद करने हेतु पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें सम्मिलित किया नहीं किया है। नई पीएसई नीति के अनुसार केंद्र सरकार ने

अधिकांश क्षेत्रों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। तथापि सामरिक क्षेत्र में, सरकार न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगी। शेष संस्थाओं को निजीकरण, विलय, सहायक कंपनी बनाने या बंद करने हेतु विचार किया जाएगा। रणनीतिक वर्गीकृत क्षेत्र में शामिल हैं: (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, (ii) परिवहन एवं दूर दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, तथा (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। गैर-रणनीति क्षेत्रों में सीपीएसई का या तो निजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों जैसे विकास वित्तपोषण पुनर्वित्त संस्थानों, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट एवं कमजोर समूह को सहायता प्रदान करने वाले सीपीएसई इस संरचना के बाहर रखा गया है।

स्रोत: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग; केंद्रीय बजट दस्तावेज; वित्त संबंधी स्थाई समिति की 25 वीं रिपोर्ट, 16 मार्च, 2021; वार्षिक रिपोर्ट (2018-19), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग; नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("पीएचसी") आत्मानवीर भारत नीति, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए नीति (4 फरवरी, 2021) "एलआईसी ने सेल में सरकार द्वारा विनिवेश किए गए 71 प्रतिशत अंश खरीदे", **द इकोनामिक टाइम्स, 26 मार्च, 2013**; "कोल इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री में एलआईसी ने प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत अंश खरीदे" **द इकोनामिक टाइम्स, 2 फरवरी, 2015**।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम जो विद्युत जनरेटर का निर्माण करता है अपनी औद्योगिक जनरेटर उत्पाद लाइन का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले धन में वृद्धि हेतु अपनी उपभोक्ता जनरेटर उत्पाद लाइनों और विनिर्माण सुविधाओं का विनिवेश करना चाहता है। आप इस उपक्रम के लिए विनिवेश व्यूह रचना सुझाइये।
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की एक उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनी एक लाभदायक डिजीजन को बेचना चाहती है जो अब लंबी अवधि के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकेगी। कंपनी के लिए उपयुक्त विनिवेश कार्यक्रम की अनुशंसा कीजिए।
- (iii) एयर इंडिया के विनिवेश कार्यक्रम के बारे में जानकारी जुटाकर इसे संक्षेप में समझाइए।
- (iv) निम्नलिखित प्रस्तावित विनिवेश कार्यक्रम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
 - (a) भारतीय जीवन बीमा निगम
 - (b) आई.डी.बी.आई. बैंक

11.10 भारत की विनिवेश नीति की आलोचना (Criticism of Disinvestment Policy of India)

1950 के दशक की शुरुआत में, स्टील जैसे बुनियादी उद्योगों के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र ने विविध औद्योगिक आधार के साथ भारत की मजबूत आर्थिक नीति रखने में मदद की। आजादी के पहले चार दशकों में, आर्थिक गतिविधि के लगभग हर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ और कुछ ही समय में यह बुनियादी एवं उपभोक्ता सामान उत्पादन इकाइयों और सेवा उद्योगों का एक बड़ा समूह बन गया। इनमें से अनेक सार्वजनिक उपक्रमों ने बेहतर लेखा-जोखा दिया होता यदि उन्हें अधिकतम स्वायत्तता, नौकरशाही नियंत्रण से मुक्ति एवं जवाबदेह बनाया गया होता। तेल की बड़ी कंपनियों

जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चुनिंदा समूह के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद उनके बड़े कारोबार को देखते हुए उनका शुद्ध लाभ बहुत कम रहा था। विनिवेश की परिकल्पना न केवल भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था में तीव्र वित्तीय आवश्यकता के संदर्भ में की गई थी, जो घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को लगातार बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य थी, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र को समग्र रूप में कुल निवेश पर उचित वापसी की दर प्रदान कर पाने में विफलता के कारण भी थी। भारत में विनिवेश मंथर गति से आगे बढ़ा है। जबकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य और पूर्वी यूरोप के विकासशील देशों में निजीकरण ने तीव्र प्रगति की है। वहां निजी निवेशकों को विशेष रूप से उत्पादक संपत्तियों के स्वामित्व का हस्तांतरण तेजी से किया गया है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे (बिजली, दूरसंचार, तेल और खनिज) और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में। आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों एवं सूचनाएँ स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना लगातार विनिवेश लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही है।

11.11 सारांश (Summary)

निजीकरण एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। इसके विपरीत विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संगठन या सरकार अपनी संपत्ति को बेचती है या उसका परिसमापन करती है। व्यवसाय में, विनिवेश का अर्थ कुछ संपत्तियों जैसे कि एक विनिर्माण संयंत्र, एक डिजीजन या सहायक, या उत्पाद लाइन को बेचना है। विनिवेश को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के विपरीत अर्थों के रूप में भी वर्णित किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्ष 1990 के मध्य की अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया तथा एवं इसकी कमियां कम क्षमता उपयोग और कम दक्षता में प्रकट भी होती रहीं। फलस्वरूप वर्ष 1991 विभिन्न सरकारों ने विनिवेश के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया। भारत में यह परिवर्तन की प्रक्रिया वर्ष 1991-92 में शुरू हुई। विनिवेश का उद्देश्य अक्षम सार्वजनिक उपक्रमों के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में सुधार करना है। यह प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन का परिचायक है एवं सरकार को जनहित एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के उपाय के रूप में देखा जाता है।

11.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के औचित्य को समझ सके हैं।
- विनिवेश कि संकल्पना से परिचित हो सके हैं।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विनिवेश के महत्त्व को जान सके हैं।
- विनिवेश कि नीतियों एवं तरीकों की जानकारी कर सके हैं।
- भारत में अब तक विनिवेश कार्यक्रम की प्रगति से अवगत हो सके हैं।
- भारत में लागू विनिवेश नीति की आलोचना के औचित्य से अवगत हुए हैं।

11.13 शब्दकोश (Glossary)

- **विनिवेश:** आर्थिक सुधारों का एक तरीका जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंशों को सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को बेचने का प्रावधान होता है।
- **निजीकरण:** सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय का हस्तांतरण।
- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड:** एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसी प्रतिभूति पर मिलकर किया गया एक विनियोग है जो साझा कोष की तरह ही संचालित होता है। प्रायः यह किसी एक इंडेक्स, क्षेत्र, वस्तु अथवा संपत्ति के लिए होता है जिसका स्टॉक एक्सचेंज में नियमित अंशों की तरह कारोबार होता है।
- **सार्वजनिक निर्गम:** जब एक कंपनी अपने शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे सार्वजनिक निर्गम या प्रस्ताव कहा जाता है।
- **विक्रय हेतु प्रस्ताव:** कंपनी के अंश बेचने का तरीका जिसमें सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक अपनी अंशधारिता पारदर्शी तरीके से घटाते हैं तथा अंश विक्रय में अधिक विनियोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- **क्रॉस ट्रेडिंग:** एक ऐसा व्यवहार जिसमें एक ही संपत्ति के लिए क्रय एवं विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड के बिना आपस में ही मिलकर पूरा कर लिया जाता है।

11.14 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. विनिवेश से आप क्या समझते हैं ?
What do you mean by Disinvestment?
2. भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
Analyse the process of Disinvestment in India.
3. विनिवेश के उद्देश्यों को समझाइए।
Explain the objectives of Disinvestment.
4. भारत में विनिवेश की प्रगति पर एक लेख लिखिए।
Write a note on progress of Disinvestment in India.
5. वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विनिवेश पर आप अपनी राय की विवेचना कीजिए।
Discuss your opinion about Disinvestment in present Economic Scenario.

11.15 सन्दर्भ एवं ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- Arun, TG Nixson, F.I. (2010) "The Disinvestment of Public Sector Enterprises: The Indian Experience" Oxford Development Studies. 28 (1): 19-32.

- Burange, L.G Yamin, Shruti "A Review of India's Industrial Policy and Performance Retrieved 7 May 2020.
- Ghosh, Saptarshi; Devaiah, Vishwas H. (2009) "A critical discussion of the disinvestment/ privatization process in India since the start of the economic reforms in 1991" *Journal of Asian Public Policy*. 2 (2): 222- 231.
- "Modi Government must learn from Vajpayee: How to generate wealth from Disinvestment in PSUs" Retrieved 10 May 2020.
- Mandate/Department of Investment and Public Asset Management/Ministry of Finance, Government of India Retrieved 10 May 2020.
- What are the features of New industrial Policy of 1995 ? 4 October 2016. Retrieved 7 May 2020.
- Dhameja, Nand (2016) "PSU Disinvestment in India: Process and Policy-Changing scenario" *Vision: The Journal of Business Perspective* 10 (1): ISSN 0972-2629.
- "NDA is better in Pushing Disinvestment Policy The Sunday Guardian Live" 11 May 2020.
- Summery, Department of Investment and Public Asset management (Ministry of Finance) Government of India 11 May 2020.
- Kakkar, Bhawna (2017) "A Study of Disinvestment of Central Pubic Sector Enterprises in India (1991-2016)" *SSRN Working Paper Series* 5-6.
- Wadhwa, Charan (2005) "Review Disinvestment in India Policies, Procedures, Practices by Sudhir Naib" *Pacific Affairs* 78 (2): 319.
- Harjit Singh (December 2007) *Corporate Restructuring Through Disinvestment (An India Prospective)* New Age International (P) Limited. p.104.
- Gupta Nandini (2010) *Selling the family Silver to Pay the Grocer Bill? The Case of Privatization in India* 2010 (2): 2.
- Jain Ritika; Sarkar, Shubhro (2018) "An empirical analysis of disinvestment policy in India: Does ideology matter?" *Journal of Economic Policy Reform*. 22 (4):
- Ashraf, Fahmida (2007) "Congress-led UPA Government in india: CPI-M's Support and Chalenges" *Strategic Studies*. 27 (4):68.

11.16 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- Public Sector Enterprise in India: The Impact of Disinvestment and Self Obligation on Financial Performance.
- Disinvestment in India: Policies, Procedures and Practices by Dr Sudhir Naib.
- Business. Environment by V. Neelmegham 2nd Edition, Vrinda Publication Pvt.ltd.

11.17 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Link)

- <https://www.buisness-standard.com>
- [https://www.new indian express.com](https://www.newindianexpress.com)
- <https://dipam.gov.in>
- <https://en.wikipedia.org>
- <https://www.bsepsa.com>

इकाई - 12

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण (Indian Economy and Globalisation)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 वैश्वीकरण क्या है?
- 12.3 वैश्वीकरण की परिभाषा
- 12.4 वैश्वीकरण के कारण
- 12.5 वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं
- 12.6 वैश्वीकरण के संकेतक
- 12.7 वैश्वीकृत व्यवस्था के लाभ- एवं अवसर
- 12.8 वैश्वीकरण की प्रवृत्तियां
- 12.9 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना
- 12.10 जोसेफ स्टिग्लिट्ज के वैश्वीकरण के तर्क
- 12.11 सारांश
- 12.12 अधिगम परिणाम
- 12.13 शब्दकोष
- 12.14 स्व-परख प्रश्न
- 12.15 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 12.16 अन्य पठन सामग्री
- 12.17 वेब संसाधन

12.0 उद्देश्य (Objectives)

विश्व में सर्वत्र वैश्वीकरण की लहर चल रही है, क्योंकि आज विश्व के सभी देश सार्वभौमिक व्यावसायिक सम्बन्धों में बंधते जा रहे हैं। भारत भी वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस दिशा में आयात उदारीकरण , फेमा लागू किया जाना , विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना आदि कदम उठाए गए हैं। इस इकाई के अध्ययन से वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के संकेतक एवं इसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन, वैश्वीकरण के लाभ एवं हानियों का अध्ययन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए कदम एवं उससे प्राप्त लाभ एवं अवसरों का विस्तृत अध्ययन कर सकेगा।

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में वर्ष 1990 से विद्यमान आर्थिक संकटों के दौर में भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में नवचेतना लाने के अनेक प्रयास किये, जैसे-उदारीकरण, विदेशी, बहुराष्ट्रीय निगमों को निमन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक सुधार कार्यक्रम, विदेशी सहयोग समझौते आदि।

इस प्रकार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत एक देश की अर्थव्यवस्था को सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है ताकि सम्पूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था एवं एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके और जिसमें सीमाविहीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए व्यक्तियों, पूंजी, तकनीक, माल, सूचना एवं ज्ञान का पारस्परिक विनिमय सुलभ हो सके।

यह सम्पूर्ण विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को राष्ट्रेतर दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें एक नया एवं खुला दृष्टिकोण है क्योंकि इसको स्वीकार करने के पश्चात् किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बन्द नहीं रह सकती है।

इसकी प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या निगमों द्वारा सम्पन्न होती है।

वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में व्यापक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उदार व्यवस्थाओं के कारण विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। दुनियां छोटी होती जा रही है एवं राजनीतिक दीवारें समाप्त हो रही हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम को बाजार के रूप में सम्पूर्ण विश्व उपलब्ध होता है। इससे बाजार में लाभार्जन की भी असीमित सम्भावनाएं हो जाती हैं। फोर्चून पत्रिका के अनुसार, "वैश्विक कम्पनी सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में देखती है।"

12.2 वैश्वीकरण क्या है? (What is Globalization?)

वैश्वीकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम इसका उदभव अर्थ एवं इसका विकास समझना आवश्यक है।

अर्थ, उद्भव एवं विकास- (Meaning, origin and development)

'Gobalization' अंग्रेजी का शब्द है। इस शब्द की रचना इस प्रकार हुई है- मूल शब्द Globe है इसका अर्थ है गोल अथवा पृथ्वी। Globe का अर्थ है: Taking the whole world पूरे विश्व को समाहित करने वाला। Global से बना हुआ Verb (क्रिया) Globalize है एवं इसका संपूर्ण शब्द अंग्रेजी में Globalisation है एवं इस शब्द का हिंदी अनुवाद वैश्वीकरण है। इसका पर्यायवाची शब्द भूमण्डलीकरण है। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- अविश्वम् विश्वम् यथा स्यात् तथा इति वैश्वीकरणम्। अर्थात् जो विश्व नहीं है वह जैसे विश्व बन जाए वैसा करना वैश्वीकरण है। विश्व शब्द विश् धातु से व प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न होता है। वैश्वीकरण बनाने के लिए इसमें च्वि प्रत्यय लगाया जाता है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया से है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अर्थात् वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं एवं वह दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम 10 वर्षों में एक परिवार, एक राज्य, एक विश्व की भावना का तेजी से विकास हुआ है। यही भावना विश्व का एकीकरण अर्थात् वैश्वीकरण कहलाती है। 1990 में समाजवादी ताकतों के कमजोर होने से तथा तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीयता की भावना कमजोर होने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूर्ण तीव्रता के साथ आरंभ हो गई। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्वीकरण के मुख्यतः चार आधारभूत पहलू हैं-व्यापार और लेनदेन, पूंजी, तथा निवेश, विज्ञान व तकनीक का विकास, एवं देशों की आपसी निर्भरता का बढ़ना।

12.3 वैश्वीकरण की परिभाषा (Definition of Globalization)

थॉमस फाइडमैन के अनुसार वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। इसमें विश्व का मध्यम से छोटे रूप में ऐसा संकुचन हो रहा है जिससे हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जाए जितने में पहले कभी संभव नहीं था। पूर्व की सभी अन्तराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भाँति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी संबंधों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

इण्डा और रोसाल्डो के अनुसार वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से विश्व अत्यधिक अंतर्संबंधित हो रहा है। इसमें वैश्विक अंतर्संबद्धता चिरस्थायी सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं से परिपूर्ण विश्व संबंध और विनिमय पर बल दिया जाता है।

जगदीश भगवती के अनुसार 'आर्थिक वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट है और यह व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अल्पकालीन पूंजी प्रवाहों, श्रम तथा सामान्यतः मानवजाति के अन्तराष्ट्रीय प्रवाह एवं तकनीक के प्रवाह द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्वव्यापी अंतर्सम्बन्धों को अधिक व्यापक गहरा और तीव्र बनाती है एवं वैश्विक गाँव के उभरने के विचार को एक नया आयाम देती है।

12.4 वैश्वीकरण के कारण (Causes of Globalisation)

1. उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है।
2. टेलीग्राफ टेलीफोन माइक्रोचिप इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है।
3. पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि से निपटने हेतु अन्तराष्ट्रीय सहयोग। पर्यावरण की चिंता ने जनता को सालाना 'अर्थ आवर' का पालन करने के लिए मजबूर किया और हर साल मार्च महीने के अंत में हर साल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए गैर-जरूरी बिजली की रोशनी को बंद करने के लिए व्यक्तियों और व्यापारिक घरानों को प्रोत्साहित किया, ग्रह को बचाने के प्रतिबद्धता के प्रतीक रूप में। आज, किसी भी संकट को विभक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें इंटरलॉक किया जाता है।
4. वैश्वीकरण विकासशील देशों को उन्नत देशों द्वारा विकसित की गई तकनीक के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है।
5. श्रम बाजार अन्तराष्ट्रीय हो गया है। 1965 में 7 करोड़ व्यक्ति रोजगार की दृष्टि से दूसरे देशों में जाते थे अब यह संख्या 12 करोड़ से भी अधिक हो गई है।
6. इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रचार के कारण ग्लोबल संस्कृति का विकास हुआ है।

7. आज शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया है। आज अमेरिका जैसे विकसित देशों में उच्चशिक्षा के लिए जो विद्यार्थी जाते हैं वह वही पर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं।

12.5 वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं (characteristics of globalization)

भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ जुड़ी हुई है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव द्वारा 1991 में अपनाया गया था तथा जो एलपीजी (LPG) के नाम से लोकप्रिय है (एलपीजी-लिबरेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन) वैश्वीकरण वास्तव में कॉस्मोपोलिटन जीवन पद्धति के उद्भव का आधार है जो वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था तथा विश्व गांव की अवधारणा को साकार कर रहा है। वैश्वीकरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (1998) में विचार-विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र नामक पत्रिका में छपा गया। इसके अनुसार वैश्वीकरण बहुलवादी है जो संपूर्ण संसार की विभिन्नताओं का समावेश करता है। इसका प्रथम प्रयोग ईयानी एवं रॉबर्टसन ने एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में किया था। अतः इन्हें इसका जनक माना जा सकता है। मैलकम वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक 'ग्लोबलाइजेशन' (1988) में लिखा है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्क्रियाओं का पर्याप्त समावेश होता है। इसमें भूगोल तथा राष्ट्रीय सीमाओं के दबाव और बंधन धूमिल हो जाते हैं। वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने भौतिक एवं भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र में हम सम्मिलन देख सकते हैं। दूरियां मिट चुकी हैं, चारों ओर विश्ववादी कल्चर दस्तक दे रही है। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा खुली और ज्यादा गहनता से जुड़ गई हैं। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील मुक्त प्रवाह हो गया है।
2. वैश्विक व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देशों के मध्य आपसी जुड़ाव एवं निर्भरता में वृद्धि हुई है।
3. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी एवं तकनीकी प्रवाह ज्यादा तीव्रतर हो गए हैं। विचार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान उच्चतर गति से होता है।
4. वस्तुओं और सेवाओं का भारी मात्रा में आदान-प्रदान होता है एवं आदान-प्रदान की जा रही वस्तुओं में भारी विविधता है।
5. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विश्व को एक बाजार बनाने का प्रयास जारी है।

12.6 वैश्वीकरण के संकेतक (Indicators of Globalisation)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में वैश्वीकरण की भूमिका को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वैश्वीकरण के विभिन्न संकेतकों पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें से तीन कारकों पर अधिक जोर दिया गया है: आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव।

1. **वैश्वीकरण के आर्थिक कारक :** इनकी प्रक्रिया दो चरणों में प्रारम्भ हुई। पहला चरण द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के पश्चात शुरू होता है जब अगस्त 1944 में ब्रेटन वुड्स की बैठक में तीन औपचारिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र-राज्यों के बीच व्यापारिक संबंधों को नियमित करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने के उपाय हुए-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना, निश्चित विनिमय दरों के प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय

मौद्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु हुई इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट $\frac{1}{4}$ IBRD $\frac{1}{2}$ जो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, ऋण के रूप में युद्ध-ग्रस्त यूरोपीय देशों को फिर से संगठित करने के लिए इसकी स्थापना हुई और लोकप्रिय माध्यम से भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं को खत्म करने के लिए $\frac{1}{4}$ GATT $\frac{1}{2}$ की स्थापना हुई। 1970 के दशक में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था विफल हो गई क्योंकि रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिका अब सोने के लिए डालर का आदान-प्रदान नहीं करेगा। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व रहा। दूसरा चरण सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध के अंत के साथ शुरू होता है जिससे पूंजीवाद की विजय हुई। इसके बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों के बीच सम्बन्धों के अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का अनुसरण किया गया जैसे कि धन और व्यापार के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण जैसी नई तकनीकों का उपयोग प्रारंभ हुआ। आयात प्रतिबंधों में कमी हुई है। पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ एवं विकासशील देशों को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ा।

2. **वैश्वीकरण के राजनैतिक कारक :** राजनीतिक कारक को दो पहलुओं के द्वारा समझा जा सकता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयामों का पहला पहलू मौजूदा संस्थानों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक वैश्वीकरण पूंजीवाद और उदारवाद का प्रतिफल है। इसने उदारीकरण के आर्थिक और राजनीतिक रूपों के बीच में एक मजबूत संबंध स्थापित किया है। दुनिया भर में डेमोक्रेट्स ने इस व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत किया है - जिसे "लोकतंत्र का वैश्वीकरण भी कहा जा सकता है। तकनीकी विकास ने इस प्रसार की गति को तेज कर दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने आभासी समुदायों का निर्माण किया है। आज ये आभासी समुदाय नए तकनीकी ऐप (जैसे व्हाट्सएप, लिंकडिन, फेसबुक आदि) के उपयोग के माध्यम से इतने मजबूत हैं कि वे किसी भी देश में सरकार बनाने और वैश्विक राजनीतिक एजेंडा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया राय बनाने और सामाजिक /सामूहिक रूप से सशक्त बनाने का मजबूत साधन बन गया है। राजनीतिक समुदाय को समझने और महसूस करने के लिए वैश्विक समुदाय में परिवर्तित कर दिया गया है कि उनके पास दुनिया भर में किसी भी विषय पर कहने का अधिकार है। अंतर्संबंध ने लोगों को विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरणीय समस्याओं दृवैश्विक गर्मी, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार, आतंकवाद, रोग आदि के बारे में जागरूक किया है, जो अकेले कोई भी देश नहीं सुलझा सकता है, इसने अंतरराष्ट्रीय नागरिकता या वैश्विक नागरिकता के लिए एक आंदोलन तैयार किया है। प्रसार की प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक वैश्वीकरण से नागरिकों को मूल्यों के समरूपीकरण के मामले में राज्य के गैर-हस्तक्षेप के माध्यम से अपने व्यक्तिगत आत्म-विकास के बारे में सोचने की अनुमति मिलती है।

3. **सांस्कृतिक संकेतक :** सांस्कृतिक समरूपता के द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक कारक अलग-अलग संस्कृतियों के बीच स्वतंत्र और निर्भय अंतःक्रिया की ओर जाता है। तकनीकी प्रगति ने सामाजिक प्रक्रिया को उनके राष्ट्रीय और वैचारिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है।

अंतर्निर्भरता, एकीकरण और सूचना के विचार ने एक नई वैश्विक संस्कृति यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति के पक्ष में राष्ट्रीय संस्कृति को पराजित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। खाने-पीने एवं पहनावे के विकल्पों में वृद्धि हुई है जिससे विभिन्न देशों की भौतिक संस्कृतियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक मीडिया, सोशल मीडिया और

संचार के अन्य तेज तरीके सांस्कृतिक सभ्यता के परिवहनकर्ता हैं। यह 'मीडिया साम्राज्यवाद' का युग है। यह सोशल मीडिया जनता की राय को आकार देने के लिए तेजी से उभरता हुआ अद्वितीय उपकरण है, जो लोगों को क्षेत्र और संस्कृतियों से जोड़ता है और साथ ही किसी भी भौगोलिक सीमाओं से परे भागीदारी सुनिश्चित करता है। आज भारतीय लोग कम्प्यूटर के कार्यों में कामयाब हुए हैं एवं वैश्विक स्तरों पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं

4. **पर्यावरण वैश्वीकरण संकेतक** : यह पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पर्यावरण के खतरों को प्रकृति में वैश्विक रूप देने के लिए पर्यावरण- की स्थितियों का नुकसान पहुंचाया है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन की कमी, सुनामी आदि – राष्ट्र राज्य के नियंत्रण से परे हैं। इसके लिए एक सामूहिक / वैश्विक समझ और प्रयासों की आवश्यकता है। आज, मानव जाति प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील है। कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को सचेत किया है कि किसी भी बड़े संकट का सामना करने के लिए पूरे विश्व को एक होना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से प्रकृति को जीतने की मानव की महत्वाकांक्षा ने सभ्यता को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में डाल दिया है। संसाधनों को पाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों एवं राज्यों के बीच अत्याधिक - प्रतिस्पर्धा पर्यावरणीय कमी में समाप्त हो गई है। ग्लोबल अधि-उपभोग और अधि-जनसंख्या ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। और, यह आश्चर्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए अगर निकट भविष्य के युद्धों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे कि जल, जंगल, फसली भूमि आदि बीसवीं सदी की शुरुआत के साथ, तीव्र वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं भड़क उठी हैं, जिनमें दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए अकेले राष्ट्र-राज्य अपर्याप्त है। ग्रीनपीस जैसे गैर राज्य कर्ताओं, विभिन्न प्रकार के NGO और आईएनजीओ ने पर्यावरणवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं।

12.7 वैश्वीकृत व्यवस्था के लाभ- एवं अवसर (Gains & Opportunities from globalisation)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानवीय तथा धर्मार्थ कार्यों के बीच की अंतर्क्रिया को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है।

इस प्रकार वैश्वीकरण के विविध लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। जिन्हें निम्नलिखित रूप से विश्व की अर्थ व्यवस्था का संपूर्ण एवं बाजार वर्णित किया गया है:-

1. **मुक्त बाजार प्रणाली** : सन् 1980 के दशक में अमेरिका ने उदारीकरण की नीति आरंभ की तथा खुली अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार प्रणाली लागू हुई। अर्थव्यवस्था के एकीकरण के फलस्वरूप सन् 2001 में यूरोप के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यूरो नामक एक सामान्य मुद्रा को स्वीकार कर लिया। नवम्बर, 2003 में सार्क देशों का सम्मेलन संपन्न हुआ; इस सम्मेलन में एशियाई देशों की एक सामान्य मुद्रा बनाने की आवाज उठी यदि भविष्य में यह संभव हुआ तो एशियाई देशों विशेषकर विकासशील देशों के लिए एक नई आशा की किरण दिखाई पड़ेगी।
- अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों की गरीबी, वैश्विक समस्या के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। गरीबी उन्मूलन एवं नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयास आरंभ हुए तथा संबंधित नीतियों को निर्मित करने तथा इसके लिए कारगर उपाय ढूँढने के लिए सार्थक प्रयास आरंभ हुए हैं।

वैश्वीकरण ने विश्व बाजार को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया है। विश्व बाजार के एकीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया के अधिकांश देशों को दूसरे किसी भी देश के बाजार से माल खरीदने तथा उसमें अपना माल बेचने में सुगमता हो गयी है।

2. **विज्ञान व तकनीक का विकास :** जनसंचार के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण के प्रमुख निर्वाहक है। इन्होंने विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है। इसके प्रमुख लाभ निम्न है।

- (I) **कम्प्यूटर क्रांति-** 1970 के दशक में दुनिया से सेटेलाइट क्रांति हुई। इसके माध्यम से विश्वस्तरीय नेटवर्किंग द्वारा कम्प्यूटर क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। सामाजिक जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है। सैन्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र सहित अनेकानेक क्षेत्रों में कम्प्यूटर ने कार्य की गुणवत्ता में विकास किया है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रणाली ने एक सुव्यवस्थित मार्ग उपलब्ध कराया है। इस प्रकार से कम्प्यूटर के अनेकानेक लाभों से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- (II) **इंटरनेट का विकास-** इंटरनेट ने तो चमत्कार कर दिखाया है। इसके माध्यम से दुनिया के एक कोने पर बैठा व्यक्ति दूसरे कोने पर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है अथवा उसके संदेश को प्राप्त कर सकता है।
- (III) **ई-कॉमर्स तथा ई-बैंकिंग-** इंटरनेट के कारण ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ईलर्निंग, ई-शिक्षा आदि का चलन आरंभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप मानव समाज ने ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। ई-कॉमर्स तथा ई-बैंकिंग ने एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ATM तथा मास्टर कार्ड जैसी सुविधाएं तथा सेवाएं अस्तित्व में आयी।
- (IV) **टेलीविजन -** आज गांव-गांव में टीवी पहुँच चुका है। सैकड़ों देशी-विदेशी चैनल्स इस पर उपलब्ध हैं। चौबीसों घण्टे समाचार प्रसारित करने वाले चैनल्स चल रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में घटने वाली घटना का तत्काल सीधा प्रसारण हो रहा है, जिसे हम अपने घर बैठे देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
- (V) **विधि व्यवस्था का एकीकरण-** वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विधि व्यवस्था का एकीकरण हो रहा है। कुछ देशों में विद्यमान दोषपूर्ण कानूनों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों ने चुनौती दी है। इसमें प्रावधान है कि जहां भी मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और राज्य के कानूनों के बीच द्वंद्व की स्थिति हो तो ऐसे में व्यक्ति को वैकल्पिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने हेतु प्राथमिकता उपलब्ध होगी।
- (VI) **'शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण-** शिक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। राज्य अन्य मदों से धन अर्जित करके शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क अथवा न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराए यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की दलील रही है। इससे राष्ट्र-निर्माण का कार्य उत्कृष्ट तथा सम्यक् रूप से चलता है। किन्तु वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप गतिमान निजीकरण ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का भी तेजी से निजीकरण किया है। भारत के अधिकांश नगरों में 80 प्रतिशत बच्चे निजी प्रबंधन वाले स्कूलों में अध्ययनरत हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यही स्थिति दुनिया भर के देशों में है। 1990 तक दुनियां को साम्यवादी दर्शन का पाठ पढ़ाने वाले अगुआ देश रूस और यूकेन तो शिक्षा के निजीकरण में सबसे आगे है। यही स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं की भी है। निजी

अस्पतालों तथा नर्सिंग होम की आज भरमार है। निजी क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना आज के उद्योग व्यापार जगत के लिए वरीयता क्रम में प्रथम कार्य बन चुके हैं।

- (VII) **आउट सोर्सिंग-** आउट सोर्सिंग बाजार में भारतीय हिस्सेदारी की वृद्धि से भारत अनेक क्षेत्रों में लाभान्वित हो रहा है। जैसे रोजगार का सृजन हो रहा है, सेवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। एवं उद्योग व्यापार के अन्य क्षेत्रों में भारतीय भागीदारी में वृद्धि हो रही है।

12.8 वैश्वीकरण की प्रवृत्तियाँ (Trends in Globalisation)

आज के विश्व में, उपभोक्ता के रूप में हममें से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन घटना है। दो दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। इसकी मुख्य प्रवृत्तियों को निम्न दृष्टिकोण से समझा जा सकता है:

- (I) **अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन (International Production):** बीसवीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसा करती हैं।
- (II) **विश्व के सभी उत्पादों को एक-दूसरे से जोड़ना (To make connectivity between the products of world) :** सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे-भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियाँ लाभ अर्जित करेंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती हैं। वस्त्र, जुते-चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं, जहाँ विश्वभर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम-शर्तों का निर्धारण करने की प्रचण्ड क्षमता होती है। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटरगाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आयी और चेन्नई के निकट 1,700 करोड़ रूपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के

सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केन्द्र के रूप में करना चाहती हैं।

(III) बाजारों का एकीकरण (Integration of markets) : विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात् अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुँचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार, दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीददारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है।

12.9 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना (establishment of WTO)

1 जनवरी, 1995 को उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान हुए एक समझौते के तहत हुई थी। उरुग्वे दौर विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी) के तत्वावधान में आयोजित आवधिक व्यापार वार्ताओं की श्रृंखला का अंतिम था।

GATT के अधिकांश दौर टैरिफ को कम करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए समर्पित थे। 1960 में केनेडी दौर के परिणामों में एक नया गैट एंटी डंपिंग समझौता शामिल था। 70 के दशक के दौरान टोक्यो दौर प्रणाली को बढ़ाने और सुधारने का एक अधिक व्यापक प्रयास था।

1986-1994 के उरुग्वे दौर में कृषि और डंपिंग रोधी मुद्दों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसने सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दों में व्यापार को विनियमित करने की नींव भी रखी।

अंतिम और सबसे बड़ा GATT दौर, उरुग्वे दौर था जो 1986 से 1994 तक चला और WTO के निर्माण का कारण बना। GATT मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, विश्व व्यापार संगठन और उसके समझौते अब सेवाओं में व्यापार, और व्यापारिक आविष्कारों, निर्माणों और डिजाइनों (बौद्धिक संपदा) में शामिल हैं।

उरुग्वे दौर का एक उल्लेखनीय भविष्य यह था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के और अधिक उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें जीएटीटी से डब्ल्यूटीओ समझौते के माध्यम से परिकल्पित संस्थागत ढांचे के लिए बातचीत के दृष्टिकोण से मौलिक बदलाव आया।

1947 का GATT और WTO एक वर्ष 1994 की अवधि के लिए सह-अस्तित्व में थे। जनवरी 1995 में, हालांकि WTO ने GATT को पूरी तरह से बदल दिया।

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. LPG से क्या आशय है?

उत्तर. LPG – Liberalization, Privatization and Globalization

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

2. भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई?

उत्तर. जुलाई 1991 से

3. Gatt क्या है?

उत्तर. General Act for Trade % Tariff

4. IBRD का पूरा नाम बताइये।

उत्तर. International Bank for Reconstruction and Development (अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक)

5. WTO की स्थापना कौनसे समझौते के तहत हुई?

उत्तर. 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान हुए एक समझौते के तहत हुई।

12.10 जोसेफ स्टिग्लिट्ज के वैश्वीकरण के तर्क (Views of Joseph Stiglitz on globalisation)

वैश्वीकरण के युग में सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निर्णय लेने की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक पुस्तक चिंताका विषय लिखा है। स्टिग्लिट्ज के अनुसार देशों को अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण को अपनाना चाहिए। स्टिग्लिट्ज के अनुसार समस्या यह है कि वैश्वीकरण को सावधानी पूर्वक या निष्पक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस के विपरीत, उदारीकरण नीतियों को बहुत तेजी से, गलत क्रम में, और अक्सर अपर्याप्त – या स्पष्ट रूप से गलत-आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके लागू किया गया है। वे अस्थिरता बढ़ाएंगे, देशों को बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएंगे, विकास को कम करेंगे और गरीबी को बढ़ाएंगे। स्टिग्लिट्ज का मानना है कि 1990 के दशक की शुरुआत में, IMF, विश्व बैंक और यूएस ट्रेजरी ने दुनिया भर में आर्थिक सुधार चलाने के लिए एक तरह की साजिश रची थी – यह कुख्यात "वाशिंगटन सर्वसम्मति" है।

स्टिग्लिट्ज की वैश्वीकरण की आलोचना के केंद्र में तीन परस्पर संबंधित नीतिगत मुद्दे हैं। (1) 1990 के दशक के दौरान सुधार पैकेजों को डिजाइन करने में, अनुक्रमण और सुधार की गति के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजर अंदाज कर दिया गया था। अनतीज तन, कई देशों में, सुधार बहुत तेजी से लागू किया गया था – स्टिग्लिट्ज क्रमिकतावाद को प्राथमिकता देता है – और गलत क्रम में। (2) पूंजी खाता उदारीकरण की वकालत (और थोपना) एक बहुत बड़ी गलती थी। और (3), संकटों के लिए आई एम एफ की प्रतिक्रिया – और विशेष रूप से पूर्वी एशियाई संकट के लिए – एक ऐसी आपदा थी जिसने चीजों को बेहतर के बजाय बदतर बना दिया।

स्टिग्लिट्ज बार-बार तर्क देते हैं कि आर्थिक उदारीकरण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सुधारों को सही गति से और सही क्रम में लागू किया जाए। इसके अलावा, स्मिथ ने क्रमिकतावाद का समर्थन किया – जैसे स्टिग्लिट्ज करता है – इस आधार पर कि कोल्ड-टर्की उदारीकरण से बेरोजगारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लेकिन सहमत होना कि अनुक्रमण महत्वपूर्ण है, यह कहने के समान नहीं है कि पूंजी नियंत्रणक भी नहीं हटाया जाना चाहिए। एक कठिन और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा – और एक जिसे स्टिग्लिट्ज वास्तव में इस पुस्तक में नहीं सुलझाता है – यह है कि पूंजी प्रवाह में आने वाली बाधाओं को कैसे और कब दूर किया जाए।

स्टिग्लिट्ज विशेष रूप से उस तरीके के लिए महत्वपूर्ण है जिस तरह से आई एम एफ ने पूर्वी एशियाई संकटको संभाला है। उनके विचार में, प्रमुख गलतियों में शामिल हैं (1) वित्तीय दहशत के बीच, इंडोनेशिया में कई बैंक बंद करना; (2)

निजी और अधिकतर विदेशी लेनदारों को बाहर निकालना; (3) बहिर्वाह पर पूंजी नियंत्रण लगाने की अनुमति नहीं देना; और (4) सख्त राजकोषीय नीतियों और उच्च ब्याज दरों को लागू करना।

स्टिग्लिट्ज की दो आलोचनाएँ निशाने पर हैं: घबराहट के बीच बैंकों को बंद करना एक बड़ी गलती है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर खैरात महंगे और अप्रभावी हैं। कई लोगों ने इसे लंबे समय से मान्यता दी है, और आईएमएफ के पहले उपप्रबंध निदेशक, ऐनी क्रुएगर का हालिया प्रस्ताव, एक प्रभावी स्टैंड स्टिल ढांचे को लागू करने के प्रयास में एक सकारात्मक विकास है। स्टिग्लिट्ज की सबसे गंभीर आलोचना आईएमएफ की राजकोषीय और ब्याज दर नीतियों को संदर्भित करती है। उनका तर्क है कि पूर्वी एशियाई संकट ने विस्तार की मांग की, न कि जैसा कि आईएमएफ ने जोर देकर कहा, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियाँ।

स्टिग्लिट्ज को सरकारों की सही काम करने की क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा है, और वह बाजार की विफलताओं की सीमा को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। उनके अनुसार, एजेंडा संस्थानों और प्रोत्साहनों में सुधार करना होना चाहिए; प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देना; उत्पादकता बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने के लिए; वास्तव में गरीबों और निराश्रितों की मदद करने के लिए; भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए; और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्वीकरण एक निष्पक्ष प्रक्रिया बन जाए, जहां औद्योगिक देश भी अपने सुरक्षात्मक अवरोधों को समाप्त कर दें। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नौकर शाहों, जेनोफोबिक ऑटो क्रेट्स और भ्रष्ट राजनेताओं को वापस लाने का एजेंडा नहीं होना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिये।
2. वैश्वीकरण के दो कारण बताइए।
3. वैश्वीकरण के अर्थ बताइए।
4. वैश्वीकरण की दो विशेषताएँ लिखिए।
5. वैश्वीकरण के दो संकेतक लिखिए।

12.11 सारांश (Summary)

समकालीन विश्व में नव-उदारवाद की प्रेरणा से तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है जो एक दूसरे के साथ निकट से जुड़ी हैं- उदारीकरण वह नीति है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता और उससे मिलने वाले लाभ की अधिकतम वृद्धि के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा दिए जाते हैं या उनमें ढील दे दी जाती है ताकि बाजार की शक्तियों को बेरोक-टोक काम करने दिया जाए। इसके साथ यह विश्वास जुड़ा है कि आर्थिक गतिविधि में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मांग और पूर्ति तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम को काम करने देना चाहिए। साथ ही व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए प्रोत्साहनों के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए।

इस नीति के अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को कम करने की कोशिश की जाती है। उदारीकरण के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने से व्यक्ति स्वयं परिश्रम से विमुख हो जाते हैं

और राज्य के संसाधनों पर भी जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है। जो लोग अपनी सूझ-बूझ और कठिन परिश्रम के बल पर राज्य की समृद्धि को बढ़ाते हैं उन पर करों का बोझ बहुत बढ़ जाता है और वे भी परिश्रम से विमुख हो सकते हैं। अतः सब तरह के लोगों को परिश्रम की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य की कल्याणकारी सेवाओं को सीमित करना जरूरी है। निजीकरण या गैर सरकारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात् किन्हीं विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण को सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण से हटाकर निजी या गैर-सरकारी क्षेत्र को उनका स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है ताकि उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके उससे होने वाली वित्तीय हानि को रोका जा सके उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिकतम परिश्रम की ओर प्रेरित किया जा सके तथा राज्य के बोझ को कम किया जा सके और राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाया जा सके वैश्वीकरण के अंतर्गत उत्पादन विपणन और सेवाओं का जाल बिछाने तक के किसी भी कार्य को विश्व के किसी भी कोने में संपन्न किया जा सकता है। जहाँ उसकी लागत सबसे कम आए उसकी गुणवत्ता उन्नत की जा सके और जहाँ उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो वहाँ उसे सम्पन्न करने की अनुमति तथा सुविधाएं प्राप्त हों।

12.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी वैश्वीकरण के बारे में जान पाएंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी वैश्वीकरण के कारण एवं प्रभाव के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी वैश्वीकरण व्यवस्था के लाभ, हानि एवं अवसर को जान सकेंगे।

12.13 शब्दकोष (Glossary)

- **वैश्वीकरण** : पूरे विश्व को समाहित करने वाली व्यवस्था।
- **उपनिवेशवाद** : 16वीं-17 वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों द्वारा एशिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे बंटे हुए देशों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें अधीन देश बनाया।
- **उदारीकरण** : मुक्त बाजार व्यवस्था जिसका प्रचार अमेरिका द्वारा किया गया। सोवियत रूस के विघटन के पश्चात, पूंजीवादी प्रणाली के प्रसार को उदारीकरण कहा गया।
- **डब्ल्यू.टी.ओ.** : विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को डंकल प्रस्तावों की स्वीकृति के फलस्वरूप 1947 में स्थापित गैट के स्थान पर स्थापित हुआ। भारत गैर तथा विश्व व्यापार संगठन दोनों का ही संस्थापक सदस्य रहा है।
- **बहुराष्ट्रीय निगम** : यह निगम राष्ट्रीय सीमाओं से पार- वस्तुओं के आदान-प्रदान, तकनीक के प्रसार तथा प्रबंधकीय ज्ञान के सशक्त माध्यम होते हैं।

12.14 स्व-परख प्रश्न (Self-evaluation questions)

1. वैश्वीकरण तथा बाजार व्यवस्था के भारत पर होने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
2. वैश्वीकरण के अर्थ एवं उद्भव का वर्णन करते हुए, इसकी विकास यात्रा की समीक्षा कीजिए।

3. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की वैश्वीकरण के प्रसार में क्या भूमिका रही है? भारत में वैश्वीकृत बाजार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइये।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के पश्चात क्या प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र के संदर्भ में इन परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए।
5. वैश्वीकरण के पश्चात भारत की विकास दर में क्या बदलाव आया?
6. वैश्वीकरण का भारतीय उद्योगों पर कैसा प्रभाव हुआ है, समीक्षा कीजिए।
7. WTO पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

12.15 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली
- मिश्रा एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
- अग्रवाल, गुप्ता, सिंह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, रमेश बुक डिपो, जयपुर
- डा. सिंघई एवं मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त
- वैश्य एवं सुदामा सिंह, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, आक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच. पब्लिशिंग

12.16 अन्य पठन सामग्री (other reading material)

- Anand Kumar: “Globalization and Poverty: Some notes “A Research paper presented in International Seminar on Globalization & Poverty Organized by M.G. Kashi Vidyapeeth, Varanasi- 2004
- Indian Economy and Society in The Era of Globalisation and Liberalisation – Essays in Honour of Prof. A.M.Khusro-C.H.Hanumantha Rao, B.B.Bhattacharya & N.S.Siddharthan (Eds.)
- Indian Economy in the Globalised World (In 2 Vols.)- Dr. M.Sarngadharan & Dr. S.Rajitha Kumar, for Univ. of Kerala
- बी. एल. औझा, भारतीय अर्थव्यवस्था, आदर्श प्रकाशन, जयपुर।

12.17 वेब संसाधन (Web links)

- <https://ncert.nic.in>
- <https://www.culturaldiplomacy.org>
- <https://www.techwalla.com>

इकाई - 13

संरचनात्मक क्षेत्र के विकास और नीति

(Infrastructure Sector Development and Policy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 13.0 उद्देश्य
- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 संरचनात्मक विकास का आशय
- 13.3 संरचनात्मक विकास की नीति
- 13.4 संरचनाओं के प्रकार
- 13.5 संरचनात्मक विकास के विभिन्न क्षेत्र
- 13.6 दीर्घकालीन विकास हेतु संरचनात्मक क्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य बजट में किये गये प्रावधान
- 13.7 संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में आ रही बाधाएं
- 13.8 संरचनात्मक विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपाय
- 13.9 सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संरचनात्मक विकास
- 13.10 संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में नवीन प्रवृत्तियाँ
- 13.11 व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना
- 13.12 सारांश
- 13.13 अधिगम परिणाम
- 13.14 शब्दावली
- 13.15 स्वपरख प्रश्न
- 13.16 संदर्भ सूची
- 13.17 अन्य पठन सामग्री
- 13.18 वेब संसाधन / लिंक

13.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के द्वारा विद्यार्थियों को संरचनात्मक क्षेत्र के विकास का परिचय, अर्थ, संरचनात्मक विकास की नीति एवं उद्देश्य, विकास के विभिन्न क्षेत्र, संरचनात्मक विकास हेतु केंद्र एवं राज्य के बजट में प्रावधान, विकास में आ रही बाधाएं एवं उन्हें दूर करने के उपाय इत्यादि का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा।

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

कोई भी अर्थव्यवस्था उसके वर्तमान संरचनात्मक विकास के अभाव में विकसित नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था का ढांचा उसके मुख्य संरचनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं आधार स्वरूप होता है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य ढांचा ही अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा सार्थक होता है एवं इसके आधार के रूप में कार्यरत उपढांचा गैर-उत्पादक तथा आर्थिक व्यर्थों में वृद्धि कारक है, परंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है। एक भवन रूपी मुख्य ढांचे के मजबूत, दीर्घकालिक एवं सुरक्षित रहने के लिए उसके नीचे का आधार निर्माण मुख्य ढांचे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। जो लोग इस आधार निर्माण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, अति मितव्ययिता या लापरवाही करते हैं, उन्हें इसके परिणाम जल्दी ही भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधार संरचना का सुदृढ़ एवं ठीक तरह निर्मित होना परम आवश्यक है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि यदि कोई देश विकास करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपनी अवसंरचना का विकास करना होगा, इससे न केवल चक्रीय कारकों बल्कि संरचनात्मक कारकों को भी मदद मिलती है। भारतीय अर्थशास्त्री आई.जी. पटेल ने सन 2000 में कहा था कि भारत को तब तक अपना जी.डी.पी. विकास लक्ष्य 6 प्रतिशत रखना चाहिए जब तक कि हम अपनी अवसंरचना अथवा बुनियादी ढांचे का पूर्णतः विकास न कर ले। पूर्व आर.बी.आई. गवर्नर वाई.वी.रेड्डी. ने भी अपने एक भाषण के दौरान उल्लेख किया था कि भारत में बुनियादी ढांचे की कमी देश के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। हालांकि यह सही है कि गत कुछ वर्षों में हमने बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं परंतु यह भी सत्य है कि हम चीन जैसे देशों की तुलना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में कमजोर हैं और हमें इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है जिससे कि देश के आर्थिक विकास का पहिया तेजी से घूम सके।

13.2 संरचनात्मक विकास का आशय (Meaning of Infrastructure Development)

संरचनात्मक विकास का आशय ऐसे दीर्घकालीन कदमों से होता है, जिनके सहारे अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि की जाती है एवं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। संरचनात्मक सुधार की दृष्टि से भारत में अब तक कई प्रयास किए गए हैं जिनमें वर्ष 1991 में किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) उल्लेखनीय हैं।

आर्थिक जानकारों का कहना है कि वर्तमान परिदृश्य में चक्रीय एवं संरचनात्मक दोनों कारकों का ध्यान रखने के लिए सरकार का अर्थव्यवस्था में नकदी को बढ़ावा देना आवश्यक है। हाल ही में सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है परंतु अब तक धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, यह स्पष्ट नहीं है एवं निजी निवेश की भूमिका क्या होगी? इस संदर्भ में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) पर गठित विजय केलकर समिति की सिफारिशें उपयोगी साबित हो सकती हैं:-

विजय केलकर समिति :

वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर की अध्यक्षता में देश के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिस ने वर्ष 2015 में PPP मॉडल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की मुख्य सिफारिशें :

- सभी हितधारकों को जोखिमों की सही पहचान और आबंटन होना चाहिए।
- देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तात्कालिकता को देखते हुए सरकार को PPP को नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।
- अनुबंधों के मामले में वित्तीय लाभों के बजाय सेवा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जोखिम प्रबंधन की लागत प्रभावशीलता का आकलन किया जाना आवश्यक है।
- रेलवे जैसे क्षेत्रों में PPP के उपयोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

13.3 संरचनात्मक विकास नीति (Policy of Infrastructural Development)

भारत में सरकार की संरचनात्मक विकास की नीति निम्न प्रकार से है:-

- बंदरगाह, सड़क, नौवहन, रेलवे, शहरी विकास, बिजली, अंतर्देशीय जल परिवहन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और दूरसंचार क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सभी नीति सम्बन्धी मुद्दे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग को संदर्भित किए जाते हैं।
- बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और ऋण वृद्धि से संबंधित मामले।
- व्यवहार्यता और औचित्य के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में पी आई बी / सी सी ई ए / सी ओ एस / सी सी ई / ई एफ सी के अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रस्तावों की जाँच। इसके अतिरिक्त दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट और डी एम आई सी डी सी से सम्बंधित सभी मामले।
- अवसंरचना उप क्षेत्रों की सुसंगत सूची से संबंधित मामले।
- बुनियादी ढांचा नीति के मुद्दों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर सभी अंतरराष्ट्रीय इंटरफेस।
- जी-20 के बुनियादी ढांचे और निवेश कार्य समूह से संबंधित मामले।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से संबंधित नीतिगत मामले। सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकोष्ठ सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं; जिसमें नीति, योजनायें, कार्यक्रम और पीपीपी को मुख्यधारा में लाने से संबंधित अन्य सभी मामले शामिल हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर (वायबिलिटी गैप फंडिंग) स्कीम और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फण्ड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए वित्तीय सहायता योजना से संबंधित मामले और प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि के अनुदान के प्रस्तावों की जांच; अन्तराष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक फण्ड और प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति से संबंधित मामले।

केंद्रीय सरकार ने बुनियादी ढांचा की नीति के अंतर्गत कार्य / क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर प्रकोष्ठों का गठन किया है जो निम्न प्रकार हैं:-

- संरचना (नीति) सेल:- सड़कों, शिपिंग, रेलवे, बंदरगाहों, शहरी विकास, दूरसंचार क्षेत्र, बिजली, अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सभी नीति संबंधी मुद्दों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आर्थिक मामले के विभाग को संदर्भित किया गया है अथवा डीईए द्वारा पहचाना और जांचा गया है।
- उपरोक्त क्षेत्रों में प्रस्तावों की जांच के लिए उनकी व्यवहार्यता और औचित्य के लिए ईएफसी/सीसीईए/सीओएस/पीआईबी/सीसीआई के अनुमोदन की आवश्यकता है।
- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट और डी.एम.आई.सी.डी.सी. से संबंधित मामले।
- भारत सरकार की वीजीएफ योजना के तहत एसएफसी/ईएफसी/पीपीएसी और ईआई/ई सी सहित सड़क परियोजना (पीपीपी और गैर पीपीपी) से संबंधित मामले।
- स्मार्ट सिटी का विकास।
- इंफ्रास्ट्रक्चर उपक्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के लिए संस्थागत तंत्र।
- दूरसंचार आयोग।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

संरचनात्मक विकास हेतु सरकार की नीति निम्न है:-

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना के साथ राज्यों के साथ सतत् आधार पर संचनात्मक सहयोग की पहल तथा तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनिटर करना। अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिनमें मध्यावधि संशोधन भी है।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, भागीदारों एवं वृत्तिकों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, उद्यमशीलता, नवाचार सहायक प्रणाली बनाना।
- आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार के लाभ से वंचित वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने हेतु एक तंत्र तैयार करना तथा इन सभी को सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाना।
- क्षेत्र विशेष की आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना, सुनिश्चित करना।
- समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक एवं शैक्षिक और नीति अनुसंधान की संस्थाओं के मध्य परामर्श और भागीदारी को बढ़ावा देना।

- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना जिससे विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।
- नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल देना।
- सुशासन सतत् और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना।

13.4 संरचनाओं के प्रकार (Types of Infrastructure)

आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. **आर्थिक संरचना** - आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से एक देश के आर्थिक विकास से जुड़ा है। इसमें आधारभूत सुविधाएं और सेवाएं शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक वितरण की उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित एवं लाभान्वित करती है। आर्थिक संरचना के कुछ उदाहरण यातायात, विद्युत, सिंचाई, संदेश वाहन इत्यादि हैं।
2. **सामाजिक संरचना:-** इस प्रकार की संरचना में आधारभूत सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति की उत्पादकता और सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करती है। सामाजिक संरचना अप्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। उदाहरण के रूप में शिक्षा का क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देता। यद्यपि यह अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को उच्च किस्म की शिक्षा देता है जिससे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनिज्ञों को प्रदान करते हैं। सामाजिक संरचना के कुछ उदाहरण स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था है।

13.5 संरचनात्मक विकास के विभिन्न क्षेत्र (Various Sectors of Infrastructure Development)

संरचनात्मक क्षेत्र भारत सरकार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। सन 2019-23 के मध्य सरकार की इस क्षेत्र पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय करने की योजना है। जिसमें से सरकार 2018 से 2030 तक अकेले रेलवे के संरचनात्मक क्षेत्र में 50,00,000 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना है। इस हेतु भारत सरकार ने जापान से रणनीतिक समझौते भी किए हैं। संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में हम जिन उद्योगों को शामिल कर सकते हैं उन में प्रमुखतः निम्न हैं:-

- कृषि एवं सहायक उद्योग
- ऑटोमोबाइल्स
- ऑटो-उपकरण
- वायुयान
- बैंकिंग
- बायोटेक्नोलॉजी

- सीमेंट
- रसायन
- उपभोक्ता ड्यूरेबल्स
- रक्षा सामग्री निर्माण
- ई-वाणिज्य
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण
- अभियांत्रिकी और पूंजीगत सामान
- वित्तीय सेवाएं
- एफ.एम.सी.जी.
- हीरे और जवाहरात
- स्वास्थ्य सेवाएं
- संरचनात्मक
- बीमा
- सूचना प्रौद्योगिकी
- निर्माण उद्योग
- मीडिया और मनोरंजन
- चिकित्सा उपकरण
- मेटल्स और माइनिंग
- एम.एस.एम.ई.
- आयल एंड गैस
- दवाइयां
- बंदरगाह
- ऊर्जा
- रेलवे
- जमीन जायदाद

- खुदरा
- सड़क
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी
- सेवाएं
- स्टील
- दूरसंचार
- कपड़ा उद्योग
- पर्यटन एवं होटल उद्योग
- रिन्यूबल एनर्जी आदि।

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. संरचनात्मक विकास से तात्पर्य क्या है?
2. भारत में संरचनात्मक विकास की सरकार की नीति के चार पहलुओं को बतलाइये।
3. संरचनात्मक विकास के आठ क्षेत्रों को नामांकित कीजिये।

13.6 केंद्रीय बजट (2022-23) एवं (2026-27) में संरचनात्मक क्षेत्र के विकास हेतु किए गए प्रावधान (Provisions Regarding Infrastructure Sector Development in Central Budget (2022-23) and (2026-27))

देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में आधारभूत ढांचे को बूस्टर डोज दिया है जिससे ना सिर्फ विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। राज्यों के साथ संतुलन कायम किया जाएगा एवं स्मार्ट मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस बजट में नया ज्यादा कुछ नहीं है परन्तु बदलाव और सुगमता का गठजोड़ इस बजट में किया गया है। **नारेडको के नेशनल वाइस चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार-** बजट में काम, किसान और कमाई को फोकस किया गया है। भवन उपविधियों, टीडीआर सुधारों, शहरी नगर नियोजन, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और विकास अधिकारों में सुधार प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष तौर पर जोर दिया गया है। नए स्मार्ट टीयर शहरों पर ध्यान देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रियल स्टेट सेक्टर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। 48,000 करोड़ रुपये के आबंटन से शहरी गरीबों को आवास मिलने में काफी आसानी होगी। नगर नियोजन में राज्य के साथ केंद्र सरकार की भागीदारी से शहरों का और बेहतर तरीके से सुनिश्चित विकास होगा। बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

- **जरूरतमंदों को आवास:-** आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण क्षेत्र आवास का है और वो भी शहरी विकास का। इस क्षेत्र के लिए 76,549 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इससे 80 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा

जिससे जरूरतमंदों को छत मिलेगी। इन आवासों का निर्माण पीएम आवास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अफोर्डेबल आवास निर्माण को गति देने के लिए भूमि और निर्माण संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया में गति लाई जाएगी।

- **शहरों का विकास:-** बड़े शहरों में विकास का कवच तैयार किया गया है। टियर-2 एवं 3 शहरों का तेजी से विकास होगा। इसके लिए ऐसे शहरों में सुविधाओं का दायरा तेज गति से बढ़ाया जाएगा। इन्हें विकास सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। राज्यों में बेहतर नगर नियोजन के लिए केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। इसके लिए राज्यों को सहायता दी की जाएगी। नगर नियोजन योजना एवं परिवहन उन्मुखी विकास लागू करने का प्रावधान है।
- **हर घर में नल से मिलेगा स्वच्छ पेयजल:-** देश के 3.8 करोड़ परिवारों को हर घर नल प्रोजेक्ट से कवर किया जाने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत:-** बजट में सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। सौर ऊर्जा और उससे जुड़े उपकरणों के स्थानीय उत्पादन के लिए 19500 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।
- **कनेक्टिविटी पर जोर:-** अगले 3 वर्ष में देश में 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास एवं विनिर्माण होगा। 3 वर्ष में 100 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत उक्त योजना में 2000 किलोमीटर का कवच सुदृढ़ होगा। रेलवे मेट्रो निर्माण के लिए वित्त पोषण एवं तीव्र क्रियान्वयन के तरीकों को प्रोत्साहित करेगा। रेलवे पार्सलों की आवाजाही सुगम होगी। रेलवे एवं डाक विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रावधान है। रेलवे छोटे किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नए उत्पाद एवं कार्यकुशल लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा। एक स्टेशन एक उत्पाद को लोकप्रिय बनाने का प्रावधान किया गया है। रेलवे में इस बार पीपीपी मोड पर अधिक जोर दिया गया है।
- **उच्च राजमार्ग (हाईवे) का दायरा बढ़ेगा:-** वैश्विक महामारी से जूझ रहे देश में परिवहन को गति देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। सात इंजन (सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे) से परिवहन को गति मिलेगी। दुर्गम पर्वतीय इलाकों की राह सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय रोप-वे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर ही शुरू करने का प्रावधान है। सुगम परिवहन से दुर्गम इलाकों की राह आसान होगी। बजट में परिवहन व्यवसाय को लेकर नए तरीके अपनाए गए हैं। पीपीपी मोड पर चार स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य है। नेशनल हाईवे में 25000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का प्रावधान किया गया। एक्सप्रेस मार्ग पर तेज माल परिवहन के लिए इसे पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाया जाएगा। इस हेतु 20000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। यात्रियों को सुगम यात्रा और लगेज परिवहन की भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- **ई-व्हीकल को बढ़ावा:-** प्रदूषण रहित आवागमन के लिए इस बार बजट में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बैटरी की अदला-बदली नीति लाई जाएगी। बड़ी संख्या में चार्जिंग प्वाइंट्स बनाए जाएंगे। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा के लिए मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। सभी

माध्यमों के ऑपरेटर डाटा एक्सचेंज और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए अभिकल्पित, एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। इससे कुशल परिवहन होगा।

बजट के उपरोक्त प्रावधानों पर कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं उनमें उद्योगपति, अर्थशास्त्री, व्यापारिक संस्थाओं के अध्यक्ष आदि प्रमुख हैं। कुछ की प्रतिक्रिया यहाँ दी जानी तर्कसंगत एवं उचित प्रतीत होती है। **बायोकॉन कंपनी की चेयर पर्सन- किरण मजूमदार** का कहना है कि "इस आम बजट में मुख्य रूप से जोर राजकोषीय मजबूती और कारोबार सुगमता पर रहा है। पूंजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि होने से बुनियादी ढांचा और रोजगार बढ़ेगा।" **आर.पी.जी. एंटरप्राइजेज चेयरमैन हर्ष गोयनका** का मानना है कि "इस बजट में भविष्य की स्पष्ट कल्पना है जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है तथा नए सेक्टर में नई उम्मीदें देखी जा सकती हैं।"

राजस्थान बजट 2022-23 में बुनियादी ढांचे को बूस्ट-अप डोज (Rajasthan Budget-2022-23 A Boost-up Doze to Infrastructure)

जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने बजट में बुनियादी ढांचे को फोकस में रखा ; ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में बुनियादी ढांचे को बूस्ट-अप डोज दिया है। कुछ प्रमुख शहरों को भी स्मार्ट बनाने की योजना है। राज्य में बुनियादी ढांचे को बूस्ट-अप डोज देने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर (शहरी विकास, बिजली, पानी, सड़क) क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का खाका खींचा है। इस बार 20% से ज्यादा बजट दिया गया है। खास यह है कि शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर चल पड़ी है। शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान किया गया है। सड़क तंत्र को मजबूत करने पर फोकस किया गया है जिस पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। 13,921 करोड़ रुपये से 24 पेयजल परियोजनाओं के काम होंगे। इसी प्रकार 25,260 करोड़ रुपये का प्रावधान ऊर्जा क्षेत्र के लिए किया गया है। 4000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे जो दो लेन के नहीं हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी सेक्टर को साधने और विकास की गति देने की कोशिश की गई।

राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए **नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवंद्र माथुर का कहना है** कि "इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यह बजट प्रभावशाली है हालांकि इससे सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि बजट घोषणा तय समय पर धरातल पर उतरे। सरकार को निजी सेक्टर की कंपनियों के निवेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में आकर्षित करने के भी कदम उठाने चाहिए। गतिशक्ति का मतलब यह है कि आधारभूत संरचना की योजना, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग तीनों एक साथ चले। आमतौर पर वादे और हकीकत में दूरियां बढ़ती जाती हैं और फिर सरकार उसे पाटने में ही लगी रहती है; उम्मीद है अब ऐसा नहीं हो।"

राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं नीतिनुसार 17 जिलों में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है। पूर्व बजट में 64 औद्योगिक क्षेत्र विहीन उपखंडों पर 64 क्षेत्रों की घोषणा की थी जिस पर कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा से इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का पर्यटन विकास कोष का निर्माण किया है। सरकार ने प्रदेश में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देकर 30 वर्ष पुरानी मांग को पूरा कर इस क्षेत्र को संजीवनी प्रदान की है। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल विकसित करने की सरकार की योजना है जिससे सभी प्रकार के पर्यटन (धार्मिक, एडवेंचर, दर्शनीय स्थल, वन, जल एवं ऐतिहासिक) को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में रिफाइनरी के समीप ही पेट्रोलियम सहउत्पाद आधारित पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (पी.सी.पी.आई.आर.) का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इससे 1.40 लाख रोजगार के अवसर उद्योग क्षेत्र में उत्पन्न हो सकेंगे।

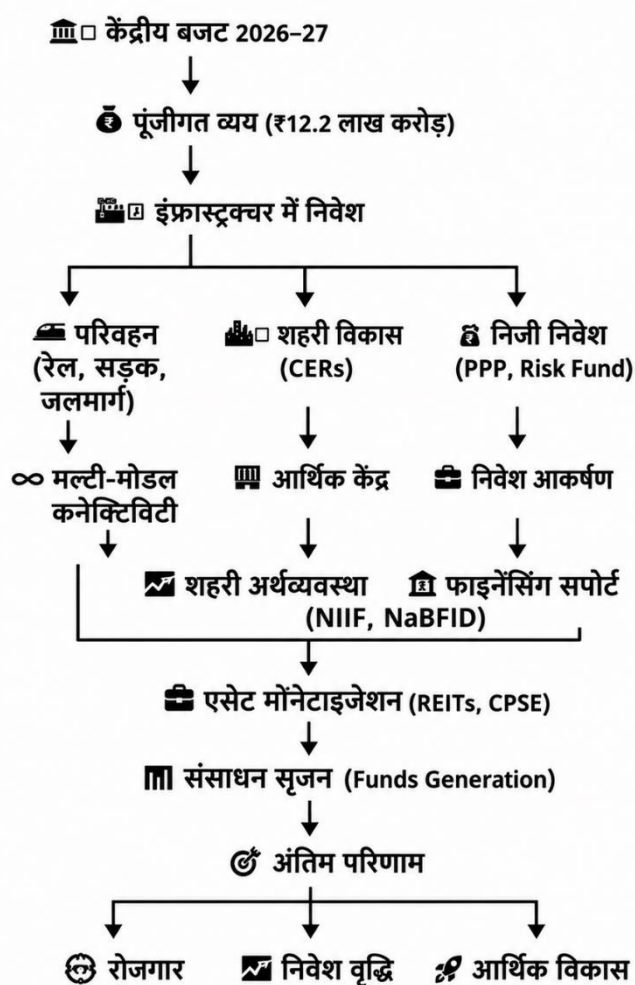
बजट 2026-27 के प्रावधान :

केन्द्रीय बजट 2026-27 में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना गया है। सरकार ने लगभग 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है, जो GDP का लगभग 3-4% है। यह निवेश “Infrastructure-led-growth” रणनीति को दर्शाता है।

परिवहन क्षेत्र में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर तथा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की योजना है, जिससे मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, City Economic Regions (CERs) के विकास हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए Infrastructure Risk Guarantee Fund स्थापित किया गया है तथा PPP मॉडल को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही, NIIF और NaBFID जैसी संस्थाओं को मजबूत कर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सुदृढ़ किया गया है।

एसेट मोनेटाइजेशन और REITs के माध्यम से संसाधन जुटाने पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार, बजट 2026 -27 में इन्फ्रास्ट्रक्चर को रोजगार, निवेश और समग्र आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बनाया गया है।



13.7 संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में आ रही बाधाएं (Obstacles in Development of Infrastructure Sector)

संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में समय-समय पर कई प्रमुख बाधाएं भी उत्पन्न होती रही हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं:-

- **पर्यावरण संबंधी चिंतायें:-** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भारत में बड़ी परियोजनाओं को या तो रोक दिया जाता है अथवा विलंबित किया है जबकि सरकार स्थाई विकास को प्रोत्साहन करने हेतु प्रतिबद्ध है। देश भर से ऐसी कई विवादित विकास रिपोर्ट है जो यह दर्शाती है कि नीति निर्माता एक ऐसा विकास मॉडल विकसित करने में असफल रहे हैं जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करती हो। यह सत्य है कि भारत विकास की गति को धीमा नहीं कर सकता तथा तेजी से बुनियादी ढांचा विकास के चरण में है। वर्तमान में, बुनियादी ढांचे के विकास और आवास सरकार के प्रमुख क्षेत्र में से एक हैं। यह भी सही है कि ऐसी परियोजना प्रकृति को नष्ट करने के इरादे से तैयार नहीं की जाती परंतु देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इसे टाला भी नहीं जा सकता।

पर्यावरणीय चिंताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

- सरदार सरोवर परियोजना जिस पर बांध बनाया जा रहा है उस पर विवाद चल रहा है।
- दिल्ली-मुंबई फ्रेंट कॉरीडोर के लिए मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की 58 एकड़ जमीन को रद्द कर दिया गया था।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में, एम.ओ.ई.फ. अधिसूचना के माध्यम से ओखला बर्ड अभयारण्य के पास लाखों अपार्टमेंट मंजूर किए गए।
- अहमदाबाद से मुंबई के लिए हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना में आ रही बाधा आदि।
- शहरी विकास
- शक्ति
- शहरी परिवहन
- पीने का स्वच्छ जल
- सीवरेज
- हवाई अड्डे
- रेलवे
- बंदरगाह
- सड़कें
- पुल

- पर्यटन अवसंरचना
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- स्वास्थ्य देखभाल
- मनोरंजन
- संचार

उपरोक्त क्षेत्रों के विकास में कोई न कोई बाधाएँ समय-समय पर उत्पन्न होने से परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं।

13.8 संरचनात्मक विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपाय (Measures to Remove Obstacles in Development of Infrastructure Development)

यह सही है कि बड़े स्तर पर देश में संरचनात्मक विकास की ओर कदम बढ़ाने में कई प्रकार की बाधाओं से सामना करना पड़ेगा परंतु हम इन बाधाओं को देखकर देश के हित में इन विकास परियोजनाओं को भी नहीं छोड़ सकते। अतः हमें इन बाधाओं को दूर करने अथवा कम करने के उपाय ढूंढने होंगे और दोनों में एक सही संतुलन बनाना होगा जिससे संरचनात्मक विकास की परियोजना बिना विलंब के सही दिशा में शीघ्रता से एवं श्रेष्ठता से पूर्ण हो सके। उसके लिए निम्न उपाय सुझाए जा सकते हैं:-

- परियोजना का निर्माण करते समय (ब्लूप्रिंट के समय) पर्यावरण अनुकूल परियोजना बनाई जाए। जैसे आवासों में हरियाली अथवा हरे रंग अथवा पर्यावरण फ्रेंडली बनाया जाए।
- परियोजना के निर्माण के समय प्रक्रियाओं और नियमों में लोचशीलता रखनी होगी जिससे परिस्थितिकी तंत्र पर परियोजना का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े।
- परियोजना निर्माण करने के समय ही वित्तीय संसाधन की मात्रा एवं स्रोत का प्रबंधन करना आवश्यक है जिससे परियोजना बीच में रोकनी नहीं पड़े अथवा विलम्बित ना हो; उसे समय पर पूरा नहीं किया जा सके।
- विकास परियोजनाओं के निर्माण के समय ही विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत शोध करने की आवश्यकता है जैसे स्थान कनेक्टिविटी, सुविधाएं एवं मानव-शक्ति; जिससे क्रियान्वयन के समय बाधाएँ उत्पन्न ना हो।
- शहरी क्षेत्रों में रहने योग्य भूमि की उपलब्धता भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं का भली-भांति मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। आवश्यक संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त कर ली जावे। सरकार की महती परियोजना स्मार्ट सिटी के निर्माण में भी यह बेहद आवश्यक है।
- परंपरागत शक्ति-स्रोतों की कमी हो रही है अतः उस पर निर्भरता कम करते हुए नए स्रोतों के सृजन एवं उपयोग पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिनमें इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, ग्रीन एनर्जी एवं ग्रीन हाइड्रोजन प्रमुख है।

13.9 सार्वजनिक-निजी भागीदारी और संगठनात्मक विकास (Public-Private Partnership and Infra-Structure Development)

- बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या है?

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोग दुनिया भर में सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कम लागत पर अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचा सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के तरीके के रूप में किया जा रहा है।

सड़कों, स्वच्छता नेटवर्क, पानी और परिवहन प्रणालियों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश शामिल हैं जो सार्वजनिक पर्स पर दबाव डाल सकते हैं। यह तनाव भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महान है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ तेजी से विकास और शहरीकरण के दौर से गुजर रही है और उन्हें विस्तारित बुनियादी ढांचे की बहुत आवश्यकता है।

आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए) पी पी पी को इस प्रकार परिभाषित करता है:-

पीपीपी का अर्थ है एक सरकारी अथवा वैधानिक इकाई या एक तरफ सरकारी स्वामित्व वाली इकाई और दूसरी तरफ एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच सार्वजनिक संपत्ति और / अथवा संबंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक लाभ के लिए और / या प्रबंधन द्वारा किए जा रहे निवेश के माध्यम से एक व्यवस्था। एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है, जहाँ निजी क्षेत्र के साथ पर्याप्त जोखिम साझाकरण होता है और निजी क्षेत्र को प्रदर्शन से जुड़े भुगतान प्राप्त होते हैं जो निर्दिष्ट, पूर्व निर्धारित और मापने योग्य प्रदर्शन मानकों के अनुरूप (या बेंचमार्क किए जाते हैं)।

बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्तर एक छोर पर अल्पकालिक सेवा अनुबंधों से लेकर दूसरे छोर तक पूर्ण निजीकरण (विनिवेश) तक एक स्पेक्ट्रम को कवर कर सकता है। सेवा अनुबंध और विनिवेश को आमतौर पर भारत में पीपीपी के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए भारत में एक बुनियादी ढांचा पीपीपी निजी क्षेत्र के साथ सेवाओं के लिए केवल एक अल्पकालिक अनुबंध से अधिक है लेकिन यह पूरी तरह से निजी क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण को शामिल करने तक ही नहीं है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी में विशेषताएं:-

- परियोजनाओं के परिचालन जीवन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजी भागीदारी के प्रदर्शन की निगरानी करना और अनुबंध की शर्तों को लागू करना है।
- निजी क्षेत्र की लागत परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोग से संबंधित शुल्कों से पूर्ण या आंशिक रूप से वसूल की जा सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र से भुगतान के माध्यम से वसूल की जा सकती है।
- निजी क्षेत्र परियोजना को पूरा करने या संचालित करने के लिए जिम्मेदार है और संबंधित परियोजना जोखिमों का एक बड़ा हिस्सा लेता है।

- अक्सर निजी क्षेत्र परियोजना की पूंजीगत लागत में अधिकांश योगदान देगा, हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता।
- सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान अनुबंध में निर्धारित प्रदर्शन मानकों पर आधारित होते हैं।

अर्थव्यवस्था और उपयोगकर्ताओं की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाना या जोड़ना अक्सर आवश्यक होता है। हालांकि बुनियादी ढांचा पीपीपी अवधारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि:-

- एक पीपीपी आउटपुट पर केंद्रित है, और
- पीपीपी के परिणाम अवसंरचना सेवाएं हैं, ना कि अवसंरचना परिसंपत्तियों।

संपत्ति के बजाय आउटपुट और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का कारण सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग और बेहतर बुनियादी ढांचा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है।

एक पीपीपी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक संविदात्मक समझौते में भागीदारी के रूप में एक पूर्व निर्धारित अवधि (उदाहरण के रूप में 25 वर्ष) के लिए एक साथ लाता है, जो सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली बुनियादी ढांचे की संपत्ति के जीवन से मेल खाता है। निजी भागीदार (जैसे ठेकेदार, ऑपरेटर और निवेशक) निर्दिष्ट बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में सार्वजनिक क्षेत्र या तो उन सेवाओं के लिए भुगतान करता है या निजी भागीदार को परियोजना से राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, निजी भागीदार को उपयोगकर्ताओं शुल्क लेने या परियोजना के अन्य पहलुओं से राजस्व प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। सबसे अच्छे पीपीपी में सार्वजनिक और निजी साझेदार होंगे जो एक दीर्घकालिक संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे तो सभी के लिए लाभकारी हो।

बुनियादी ढांचे में पीपीपी के उद्देश्य:-

- पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण का उपयोग करके प्राप्त की जा सकने वाली तुलना में अधिक दक्षता (प्रदान की गई सेवाओं के स्तर के लिए कम लागत) के साथ ऐसा करने के लिए।
- अवसंरचना सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि।
पीपीपी इसे संभव बनाते हैं क्योंकि:-
- पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र को परियोजना से संबंधित जोखिमों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।
- पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और दक्षता से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- पीपीपी निजी क्षेत्र के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संबंधित नीतिगत मामले: सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी प्रकोष्ठ सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है जिसमें नीति, योजना में कार्यक्रम और क्षमता निर्माण और पीपीपी को मुख्यधारा में लाने से संबंधित अन्य सभी मामले शामिल हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रकोष्ठ के कार्य:-

- केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित मामले कैबिनेट के अनुसार “केंद्रीय क्षेत्र के पीपीपी के लिए दिशानिर्देशों का संग्रह” और सड़क क्षेत्र को छोड़कर समय-समय पर सौंपे गए अधिकारों का प्रतिनिधि मंडल।
- सड़क क्षेत्र को छोड़कर सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) द्वारा मंजूरी से संबंधित मामले और प्रस्ताव।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फण्ड के लिए योजना से सम्बंधित मामले और प्रस्ताव।
- सड़क क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता योजना से सम्बंधित मामले और प्रस्ताव।
- पीपीपी के लिए क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रणनीतियों एक्सपोजर का प्रबंधन और पीपीपी को मुख्यधारा में लाने के लिए संस्थान निर्माण से संबंधित अन्य मामले।
- देश में पीपीपी को सुविधाजनक बनाने के लिए बहु-आयामी और अभिनव हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र विकसित करना, जिसमें पीपीपी को मुख्यधारा में लाने और राज्य और स्थानीय सरकारों को समर्थन देने पर द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी सहायता और कार्यक्रम शामिल हैं।

13.10 बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में उभरते रुझान (Emerging Trends in Infra - Structure Development)

गत 2 वर्षों से अधिक समय से कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी ने सभी अच्छी योजनाओं को हाईजैक कर लिया है। यहाँ तक कि अभी भी महामारी की अनिश्चितता हमारे चारों ओर फैली हुई है लेकिन दुनिया जो पहले महामारी से रुक सी गयी थी, वापस आगे बढ़ रही है सतत आर्थिक सुधार विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा करते हुए बुनियादी ढांचा क्षेत्र एक नये जोश के साथ संकट से उबरने की उम्मीद है। यह वर्ष संभवत विकास, स्थिरता और लचीलापन लिये हुए होगा और बुनियादी ढांचा इसका आधार होगा। बुनियादी ढांचे में उभरती हुई प्रवृत्तियों निम्न है:-

- बदलते शहरी परिदृश्य सभी हितधारकों के लिए नई चुनौतियों को आगे बढ़ा रहे हैं:- बुनियादी ढांचे का परिदृश्य कभी भी उतना गतिशील नहीं रहा जितना आज है, उपयोगिताओं और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र से नीतिगत संवादों के केंद्र में स्थानांतरित हो गया है। उभरते शहरी भारत में 2031 तक कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा होगा। शहरीकरण की तेज दर कस्बों और शहरों का विकास, शहरी सेवाओं पर जबरदस्त दबाव और नागरिकों की मांग फास्ट ट्रेक विकास से प्रेरित बुनियादी ढांचा एजेंसियों को अब नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न मॉडलों को अपनाने की जरूरत है।
- बुनियादी ढांचे के बाजार में नए खिलाड़ियों का आगमन:- निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों तथा डेवलपर्स के पारंपरिक सेट के साथ-साथ स्मार्ट बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता का उदय देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में उन्हें समामेलित करने के लिए अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य में अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसर्स, डेवलपर्स और सेवा प्रदाताओं सहित हितधारकों की भूमिकाएँ बदल रही है।
- **डिजिटल और तकनीकी व्यवधान भविष्य के बुनियादी ढांचे के लिए बदलाव ला रहे हैं:-** इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बॉट्स, ब्लॉकचेन और प्रौद्योगिकियों के नए रूप पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे हैं और प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं। बुनियादी ढांचे का परिदृश्य बुनियादी ढांचे में प्रौद्योगिकी अपनाने से अत्यधिक मूल्य जुड़ सकता है, लागत कम हो सकती है और समय बढ़ सकता है और क्षमता में वृद्धि हो सकती है, नागरिक जुड़ाव सक्षम हो सकता है और बुनियादी ढांचे को अधिक 'जनकेंद्रित' बनाने में मदद मिल सकती है और संसाधनों की कमी वाले वातावरण में भविष्य के बुनियादी ढांचे जैसे की गतिशीलता के भविष्य के निर्माण में मदद मिल सकती है।

इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और सामूहिक रूप से हम आगे आने वाली कई चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हैं। आदर्श भविष्य के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दृष्टि एक ऐसी दुनिया है, जहाँ सभी लोगों के लिए टिकाऊ, लचीला और समावेशी बुनियादी ढांचा काम करता है, यह न केवल सकारात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करेगा बल्कि यथास्थिति की तुलना में दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम देने की क्षमता भी रखता है। उद्योग के लिए सबसे अधिक जोखिम पेश करने वाले रुझानों के संदर्भ में परिपक्व और उभरते बाजारों में प्रतिक्रियाओं में निरंतरता है और ये हैं:-

- जलवायु परिवर्तन का बढ़ना
- प्राकृतिक आपदाओं का उदय और लचीला बुनियादी ढांचा
- बुढ़ापा बुनियादी ढांचा
- शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में आ रही दो बाधाओं को वर्णित कीजिये।
2. बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में उभरते चार रुझानों को दर्शाये।

13.11 व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना (Viability Gap Funding Plan)

वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना 2004 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत आने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी।

सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और अपशिष्ट उपचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के निवेश को शामिल करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता के प्रावधान का विस्तार किया है।

- वीजीएफ अनुदान केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा जहाँ प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रायोजकों का चयन किया जाता है।

- वीजीएफ अनुदान निर्माण स्थल पर ही वितरित किया जाएगा, लेकिन निजी क्षेत्र के डेवलपर द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक इक्विटी योगदान के बाद ही।

वित्त मंत्रालय ने 8100 करोड़ रुपए के परिव्यय पर एक संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को अधिसूचित किया, जिसके तहत वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। व्यवहार्यता गैर फंडिंग योजना आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्रालय ने 11 दिसंबर को 8100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह संशोधित योजना को अधिसूचित किया। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय संशोधित केंद्रीय योजना का प्रशासन करेगा तथा आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए परिव्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 तक है। संशोधित वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के कुछ तथ्य:-

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, केन्द्र और राज्य या वैधानिक निकायों द्वारा वीजीएफ के रूप में सरकार कुल परियोजना लागत के 30% तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा में वृद्धि करेगी।
- अन्य क्षेत्रों के लिए, वीजीएफ को सरकार और राज्यों या वैधानिक निकायों में से प्रत्येक में 20% का मौजूदा समर्थन जारी रहेगा। कुल परिव्यय 8100 करोड़ रुपए हैं। परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों/ राज्य सरकार या वैधानिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना है।
- पानी, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत के 60% तक की बढ़ी हुई व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान की जानी है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शनों और पायलट परियोजनाओं के लिए पहले 5 वर्षों के लिए कुल परियोजना लागत का 80% और पहले 5 वर्षों के लिए 50% संचालन और रखरखाव के लिए बढ़ाया गया व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण प्रदान किया जाना है।
- वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को बुनियादी ढांचे की पंजी द्वारा लागू किया जाएगा और एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सरकार या एक वैधानिक या क्षेत्र में पीपीपी को वित्तीय सहायता की योजना के रूप में जाना जाएगा।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार अद्यतन व्यवहार्यता अंतर निधि योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पात्रता के संबंध में, परियोजना को एक निजी क्षेत्र की कं निकाय द्वारा चुना जाएगा।

13.12 सारांश (Conclusion)

किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उसका संरचनात्मक क्षेत्र का विकास होता है। भारत ने भी इस तथ्य को पहचाना है और तीव्र संरचनात्मक विकास के प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं परंतु

समय-समय पर उनके हल भी निकाले जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारत का संरचनात्मक विकास अपने चरम पर होगा।

13.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त विद्यार्थियों को निम्न पहलुओं के ज्ञान की प्राप्ति अर्जित हुई है : -

- संरचनात्मक विकास की अवधारणा की जानकारी प्राप्त हुई।
- भारत सरकार की संरचनात्मक विकास की नीति का ज्ञान हुआ।
- संरचनाओं के विभिन्न प्रकार ज्ञात हुए।
- संरचनात्मक विकास के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिली।
- संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में आ रही बाधाओं की एवं उन्हें दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त हुई।
- संरचनात्मक विकास में निजी भागीदारी ज्ञात हुई साथ ही इस क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों की जानकारी मिली।

13.14 शब्दकोश (Glossary)

- पी.पी.पी. : सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership)
- जी.डी.पी. : सकल घरेलू उत्पाद
- एफ.एम.सी.जी. : तीव्र गतिशील ग्राहक उत्पाद
- वी जी एफ : व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण

13.15 स्वपरख प्रश्न (Self-Test Question)

1. संरचनात्मक विकास किसे किसे कहते हैं? इसकी नीति क्या है?
2. संरचनाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
3. संरचनात्मक विकास के विभिन्न क्षेत्रों को वर्णित कीजिए।
4. संरचनात्मक विकास हेतु केंद्रीय एवं राज्य बजट में किये किए गए प्रावधानों को वर्णित कीजिये।
5. संरचनात्मक क्षेत्र की विभिन्न बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपाय को बतलाइए।
6. सार्वजनिक - भागीदारी से आपका क्या तात्पर्य है? संरचनात्मक विकास में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिये।
7. संरचनात्मक क्षेत्र के विकास में नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिये।
8. व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को स्पष्ट कीजिये।

13.16 संदर्भ सूची (Reference List)

- डॉ राजीव कुमार – “भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना”, वाराणसी
- सिन्हा, रवि – “बुनियादी ढांचे के विकास पर्यावरण अनुकूल”

- शर्मा, दीपांशु : “भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बाधाएँ”, 4/12/2021
- The Hindu; Editorial - 21st sep; 2019

13.17 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Review of Infrastructure Development & Its Financing In India – R. Agrawal – 2020.
- India’s Infrastructure Push -9.02.2023 – Government of India- Budget 2022-23.
- Infrastructure in India – Economic Laws Practice.
- Regulating Infrastructure Development in India by S. Sapatmekar – 2018.
- Infrastructure Development in India : The Way Ahead – by S.Saini 2022; Sage Journal

13.18 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

- <https://unacademy.com>
- <https://www.dfat.gov.in>
- <https://journals.pagepub.com>
- <https://www.yedantu.com/infrastr....>

इकाई –14

काले हंस लक्षण जैसी महामारी एवं उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व पुनरुद्धार की व्यूह रचना

(Black Swan Syndrome like Pandemic and Its Impact on Indian Economy and Revival Strategy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 14.0 उद्देश्य
- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 ब्लैक स्वान सिंड्रोम से आशय
- 14.3 ब्लैक स्वान विचारधारा
- 14.4 ब्लैक स्वान घटनाएं
- 14.5 क्या कोविड महामारी ब्लैक स्वान घटना है?
- 14.6 भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव
- 14.7 भारत में कोविड-19 महामारी का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
- 14.8 पुनरुद्धार रणनीति, अनुसंधान एवं विश्लेषण का अन्वेषण
- 14.9 सारांश
- 14.10 अधिगम परिणाम
- 14.11 शब्दकोश
- 14.12 स्वपरख प्रश्न
- 14.13 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 14.14 अन्य पठन सामग्री
- 14.15 वेब संसाधन / लिंक

14.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- काला हंस परिलक्षण (ब्लैक स्वान सिंड्रोम) के आशय को समझ सकेंगे।
- कालांतर से अब तक काला हंस विचार के विकास को जान सकेंगे।

- काला हंस घटनाओं की समझ विकसित कर सकेंगे।
- यह विश्लेषण कर सकेंगे कि क्या कोविड-19 महामारी 'ब्लैक स्वान' घटना है?
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन कर सकेंगे।
- भारत में कोविड-19 महामारी के विभिन्न क्षेत्र पर प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति, अनुसंधान एवं विश्लेषण का अन्वेषण कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

'ब्लैक स्वान' जिसे हिंदी में 'काला हंस' कह सकते हैं को लगभग सभी कम संभावना एवं उच्च प्रभाव वाली घटनाओं को व्यक्त करने हेतु उपयोग में लेने का रिवाज बनता जा रहा है। कोविड-19 के प्रकोप जैसी घटना होने का खतरा खगोलीय रूप से दुर्लभ तो प्रतीत होता है; पर इसे दुर्लभ मान लेने के बाद इस बात का खतरा है कि हम आगे आने वाली इसी तरह की महामारियों की तैयारी में फिर विफल होंगे तथा इसकी आड़ में तैयारी हेतु जवाबदेह लोग घटना की असाधारण प्रकृति का हवाला देकर अपनी स्पष्ट विफलताओं को खारिज कर देंगे। जब हम किसी घटना को असाधारण मानते हैं; जबकि वास्तव में वह ऐसी नहीं होती, तो इसका उपयोग उन लोगों द्वारा बैसाखी के रूप में किया जाता है जो ज्ञात जोखिम का सामना करने में विफल रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व के सभी देशों में व्यापक जनहानि हुई एवं इन अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यंत विपरीत प्रभाव देखने को मिला। सभी देशों ने इस महामारी के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु अनेकानेक प्रयास भी किये। भारत में भी केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अपने तंत्र के द्वारा अथक प्रयास किये। तथापि अब यह प्रश्न उठाया जाने लगा है कि इस तरह की महामारियां हर 10 से 20 वर्षों में आती रहेंगी तो इन्हें 'ब्लैकस्वान' घटना नाम देकर तो नहीं बचा जाना चाहिए। हमें संसाधनों, योजना एवं तंत्र को अग्रसक्रिय बनाते हुए लोगों के बहुमूल्य जीवन एवं आर्थिक संसाधनों को बचाना चाहिए।

14.2 ब्लैक स्वान सिंड्रोम से आशय (Meaning of Black Swan Syndrome)

'काला हंस' एक अप्रत्याशित घटना है जो सामान्य रूप से किसी स्थिति की अपेक्षा से परे है एवं संभावित रूप से गंभीर परिणाम है। ब्लैकस्वान घटनाओं को उनकी अत्यधिक दुर्बलता, गंभीर प्रभाव और व्यापक लक्षणों से जाना जा सकता है।

14.3 ब्लैक स्वान विचारधारा (Black Swan Theory)

ब्लैक स्वान थ्योरी या ब्लैक स्वान घटनाओं का सिद्धांत एक लक्षण है जो ऐसी घटना का वर्णन करता है जो एक आश्चर्य के रूप में दस्तक देती है। इसका व्यापक प्रभाव होता है एवं प्रायः घटना युक्तिसंगत रूप से बिना किसी तर्क एवं दूरदर्शी लाभ के साथ प्रबंधित नहीं हो पाती है। यह शब्द एक प्राचीन कहावत पर आधारित है जिसके द्वारा यह माना जाता है कि काले हंस मौजूद थे ही नहीं - एक कहावत जिसकी पहली यूरोपीय मुठभेड़ के बाद सबक सिखाने हेतु पुनर्व्याख्या की गई। इस सिद्धांत को 2001 आरंभ करने हेतु नसीम निकोलस तालेब द्वारा विकसित किया गया जिसके द्वारा बताया गया कि:-

1. ये अधिक चर्चा में रहने वाली, कठिन-पूर्वानुमान वाली एवं दुर्लभ घटनाओं की अनुपातहीन उपस्थिति है जो इतिहास, विज्ञान, वित्त एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य अपेक्षाओं के दायरे से बाहर होती हैं।

2. वैज्ञानिक विधियों (छोटी संभावनाओं की प्रकृति के कारण) का उपयोग करके परिणामी दुर्लभ घटनाओं की संभावना की गणना करना आसान कार्य नहीं होता।

3. मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अनिश्चितता के माहौल में अंधा बना देते हैं तथापि ऐसे ऐतिहासिक मामलों की भूमिका एवं प्रभाव व्यापक होते हैं।

तालेब की "ब्लैक स्वान थ्योरी" केवल केवल बड़े परिमाण और परिणाम की अप्रत्याशित घटनाओं और इतिहास में उनकी भूमिका को संदर्भित करती है। इस तरह की वारदातें जो बाहरी होती हैं एवं सामूहिक रूप से नियमित घटनाओं की तुलना में बहुत व्यापक असर डालती हैं।

पृष्ठभूमि: "ब्लैक स्वान" वाक्य खंड लैटिन अभिव्यक्ति से निकला है। इसकी सबसे पुरानी ज्ञात घटना दूसरी शताब्दी के रोमन कवि **जुवेनल** के उनके व्यंग्य सिमिलिमा "भूमि पर एक दुर्लभ पक्षी और बहुत कुछ काले हंस की तरह" के निरूपण के रूप में है। जब वाक्य खंड बनाया गया था तब काले हंस के अस्तित्व में नहीं होने का अनुमान लगाया गया था। ब्लैक स्वान लक्षण का महत्व किसी भी विचार प्रणाली की नाजुकता के अनुसार, एक एकल काले हंस का अवलोकन किसी भी विचार प्रणाली के तर्क को नष्ट करने के साथ-साथ उस अंतर्निहित तर्क से आने वाले विचार को भी नष्ट कर देगा।

16वीं शताब्दी के लंदन में, जुवेनल का वाक्यांश असंभवता के एक बयान के रूप में सामान्य अभिव्यक्ति थी। लंदन अभिव्यक्ति पुरानी दुनिया की इस धारणा से निकली है कि सभी हंस सफेद होने चाहिए क्योंकि हंस के सभी ऐतिहासिक प्रमाणों में यह बताया गया है कि उनके सफेद पंख ही होते थे। इस संदर्भ में, एक काला हंस होना असंभव था या कम से कम अस्तित्वहीन तो था। तथापि 1697 में, **विलेम.डी.ब्लॉमिंग** के नेतृत्व में डच खोजकर्ता पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में काले हंस को देखने वाले प्रथम यूरोपीय बन गए। तत्पश्चात इस शब्द को इस विचार के लिए रूपांतरित किया गया कि कथित असंभवता को बाद में गलत साबित किया जा सकता है। **तालेब** ने लिखा कि 19वीं शताब्दी में, **जॉन स्टूअर्ट मिल** ने मिथ्याकरण की पहचान करने के लिए ब्लैक स्वान के तार्किक भ्रमों को नए शब्द के रूप में इस्तेमाल किया। ब्लैक स्वान की घटना की चर्चा **नसीम निकोलस तालेब** ने अपनी 2001 प्रकाशित पुस्तक "फूल्ड बाय रैंडमलेस" में की थी, जो मुख्यतः वित्तीय घटनाओं से संबंधित थी। उनकी 2007 में प्रकाशित पुस्तक "द ब्लैक स्वान" ने वित्तीय बाजारों के बाहर की घटनाओं के लिए लक्षणान्वित घटक का विस्तार किया। तालेब लगभग सभी प्रमुख वैज्ञानिक खोजों, ऐतिहासिक घटनाओं और कलात्मक उपलब्धियों को "ब्लैक स्वान" के रूप में देखते थे। वह इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर- प्रथम विश्व युद्ध, सोवियत संघ के विघटन और 11 सितंबर 2001 के हमलों को ब्लैक स्वान घटनाओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

तालेब का दावा था कि; जिसे हम ब्लैकस्वान कहते हैं वह निम्नलिखित तीन विशेषताओं वाली एक घटना है:

सबसे पहले, यह एक बाहरी घटना है, क्योंकि यह नियमित अपेक्षाओं के दायरे के बाहर है। अतीत में इस हेतु ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आश्चर्य रूप से भविष्य हेतु इंगित करता हो। दूसरा, यह अत्यधिक 'प्रभाव' डालता है। तीसरा, अपनी बाहरी स्थिति के बावजूद, मानव प्रकृति तथ्यों के साथ इस घटना के लिए मनगढ़ंत स्पष्टीकरण देती है, जिससे यह व्याख्या योग्य और पूर्वानुमेय हो जाता है। इसे सारांशित किया जा सकता है: दुर्लभता, अत्यधिक 'प्रभाव', और पूर्वव्यापी। ब्लैक स्वान की एक छोटी संख्या लगभग सब कुछ समझाती है जो हमारी दुनिया में विचारों, धर्मों की सफलता से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं की गतिशीलता जो हमारे निजी जीवन पर प्रभाव डालती है।

लेखक के मानदंडों के आधार पर ब्लैक स्वान घटना

- एक आश्चर्य का विषय है।
- बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है।
- पहली बार रिकॉर्ड किए गए उद्धरण के बाद, इसे दूरदेशी दृष्टि के साथ युक्तिसंगत बनाया गया है। तालेब के अनुसार, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि एक वैश्विक महामारी अंततः उपस्थित होगी अतः कोविड-19 महामारी एक काला हंस नहीं अपितु इसे सफेद हंस माना जाता है। इस तरह की घटना का प्रभाव तो अत्यधिक पड़ता है, लेकिन यह सांख्यिकीय प्रकृति के अनुकूल ही होती है।

काले हंसों से मुकाबला

तालेब की पुस्तक का व्यावहारिक उद्देश्य उन घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना नहीं है जो अप्रत्याशित हैं, बल्कि सकारात्मक घटनाओं का उपयोग करते हुए नकारात्मक घटनाओं के विरुद्ध पर्याप्त तैयारी करना है। तालेब का तर्क है कि बैंक एवं व्यापारिक संस्थान खतरनाक ब्लैक स्वान घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं एवं अप्रत्याशित नुकसान से प्रभावित होते हैं। व्यापार और विशेष रूप से परिमाणात्मक वित्त के विषय पर तालेब वित्तीय इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले सामान्य वितरण मॉडल उपयोग की आलोचना करते हैं, तथा इसे एक बड़ी बौद्धिक धोखाधड़ी मानते हैं। तालेब ने अपनी एक अन्य पुस्तक "एंटीफ्रैगाइल: थिंग्स डैट गेन फ्रॉम डिसास्टर" के केंद्रीय विषय के रूप में मजबूती वाली धारणाओं को स्पष्ट किया।

द ब्लैक स्वान के दूसरे संस्करण में, "काला हंस मजबूत समाज हेतु दस सिद्धांत" को प्रदान करते हैं। तालेब कहते हैं कि ब्लैक स्वान घटना इसके पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक पेरू पक्षी के लिए जो ब्लैक स्वान आश्चर्यजनक हो सकता है, वह उसका वध करने वाले के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए "काले हंस को सफेद करने" हेतु अति अतिसंवेदनशीलता के क्षेत्रों की पहचान करके भ्रम की स्थिति से बचने का उद्देश्य होना चाहिए।

ज्ञान-मीमांसा दृष्टिकोण

तालेब का काला हंस पूर्व के दार्शनिक संस्करणों से अलग है, विशेष रूप से ज्ञानमीमांसा के दृष्टिकोण से यह विशिष्ट अनुभवजन्य और सांख्यिकीय गुणों के साथ किसी घटना से संबंधित है जिसे वे "चौथा चतुर्थांश" करते हैं। तालेब की समस्या निर्णय हेतु शामिल क्षेत्रों के कुछ भागों में महामारी संबंधी मीमांसात्मक सीमाओं के बारे में है। ये सीमाएं दोहरी हैं: दार्शनिक और अनुभवजन्य। दार्शनिक समस्या ज्ञान में कमी से संबंधित है जब दुर्लभ घटनाओं की बात आती है और वे पिछले उदाहरणों में दिखाई नहीं दी है तो हमें एक मजबूत प्राथमिक(एक्सट्रपोलिंग) सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तदनुसार, घटनाओं की भविष्यवाणी सिद्धांतों पर तब अधिक निर्भर करती है जब उनकी संभावना कम होती है। तालेब के अनुसार उनके सामने आने वाले विचारक, जो असंभव (जैसे ह्यूम, मिल और पॉपर)की धारणा से निपटते थे, ने तर्क में शामिल होने की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से, विशिष्ट टिप्पणियों से सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए। तालेब की ब्लैक स्वान घटना की केंद्रीय और अनूठी विशेषता यह है कि यह उच्च दर्जे की है। उनका दावा है कि इतिहास में लगभग सभी परिणामी घटनाएं अप्रत्याशितता से आती हैं- फिर भी मानवीय स्वभाव है कि वे यह समझते हैं कि इन घटनाओं की भी व्याख्या की जा सकती है। एक समस्या, जिसे तालेब ने बेहूदा भ्रम करार दिया, वह यह विश्वास है कि जीवन में पाई जाने वाली असंरचित अनिश्चितता खेलों में पाई जाने वाली संरचित अनिश्चितता से मिलती जुलती है। इसकी उत्पत्ति इस धारणा से हुई है कि पिछले अवलोकनों के आधार पर समकों में भिन्नता से अप्रत्याशित भविष्यवाणी की जा

सकती है, विशेष रूप से जब इन आंकड़ों को सामान्य वितरण से नमूने का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया जाता है। ये चिंताएं अक्सर वित्तीय बाजारों में अत्यधिक प्रासंगिक होती हैं, जहाँ प्रमुख खिलाड़ी कभी-कभी जोखिम मॉडल पर मूल्य का उपयोग करते समय उसे सामान्य वितरण मान लेते हैं।

तालेब ने कहा: मैं विशेष रूप से सामान्य की पहचान नहीं करता। यदि आप किसी मित्र के स्वभाव, नैतिकता और व्यक्तिगत लालित्य का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो आपको उसे गंभीर परिस्थितियों की कसौटी पर देखना होगा, न कि दैनिक जीवन की नियमित चित्ताकर्षण आभा के साथ। क्या आप एक सामान्य दिन में जो कुछ करते हैं उसकी जांच करके किसी अपराधी के खतरे का आकलन कर सकते हैं? क्या हम जंगली बीमारियों और महामारियों पर विचार किए बिना स्वास्थ्य को समझ सकते हैं? वास्तव में सामान्य अक्सर ही अप्रासंगिक होता है। सामाजिक जीवन में लगभग हर दुर्लभ चीज परिणाम से लगे आघात और लंबी छलांग से सामने आती है। इस पुस्तक में इसका उपनाम 'जी.आई.एफ, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड' है, यह प्रारूप के बाहर की घटनाओं के प्रभाव को अनदेखा करता है। उदाहरण के लिए, दैनिक स्टॉक मार्केट प्रतिवेदन के एक साधारण प्रारूप में ब्लैक मंडे (1987) जैसे चरम कदम शामिल हो सकते हैं, लेकिन 11 सितंबर, 2001 के मामलों के बाद बाजारों के टूटने की प्रतिकृति नहीं हो सकते। नतीजतन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक एक्सचेंज 17 सितंबर, 2001 तक बंद रहे, जो महामारी के पहले सबसे लंबे समय तक चलने वाला बंद था। एक निश्चित प्रारूप "ज्ञात अज्ञात" पर विचार करता है, लेकिन "अज्ञात अज्ञात" की उपेक्षा करता है। शब्द "अज्ञात अज्ञात" 1982 में एयरोस्पेस उद्योग पर न्यूयॉर्क के एक लेख में दिखाई दिया, जो धातु की थकान का उदाहरण देता है। जो 1950 के दशक में कामेट एयरलाइनर की दुर्घटनाओं का कारण रहा था।

ब्लैकस्वान घटना को पुनः प्रस्तुत करने वाली नियतात्मक अराजक गतिकी पर अर्थशास्त्र में शोध किया गया। यह कुछ विवरणों के बारे में तालेब की टिप्पणी के अनुरूप ही है, जो सटीकता के साथ प्रयोग करने योग्य नहीं है। लेकिन यह अधिक वर्णनात्मक है। तालेब इस बात पर जोर देते हैं कि अनेक घटनाएं बिना किसी मिसाल के होती हैं। इस प्रकार वे तर्क के आधार को बड़ी सीमा तक कम कर देती हैं।

तालेब जोखिम पर विचार करते समय प्रतीतथ्यकात्मक तर्क का उपयोग करने हेतु सलाह देते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- काला हंस एक अत्यन्त दुर्लभ घटना है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं।
- इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती हालांकि इस तथ्य के बावजूद अनेक व्यक्ति यह झूठा दावा करते हैं कि इसका पूर्वानुमान किया जाना चाहिए था।
- ब्लैकस्वान घटनाएं बाजारों और निवेशकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकती है। यहां तक कि मजबूत प्रारूपों का उपयोग भी ब्लैक स्वान घटनाओं को रोक नहीं सकता।
- मानव पूर्वानुमानों पर भरोसा करके विफलता प्राप्त हो सकती है एवं जोखिम का प्रचार करके तथा झूठी सुरक्षा की पेशकश करके ब्लैक स्वान के प्रति भेदता में वृद्धि नहीं की जा सकती है।
- काला हंस शब्द को नसीब तालेब की पुस्तक 'द ब्लैक स्वान' ने लोकप्रिय बनाया।

14.4 ब्लैक स्वान घटनाएं (Black Swan Events)

- **काले हंस की समझ:-** इस शब्द को नसीम निकोलस तालेब जो कि वित्त प्रोफेसर, लेखक और वॉलस्ट्रीट के पूर्व व्यापारी थे, ने लोकप्रिय बनाया था। तालेब ने 2008 के वित्तीय संकट की घटनाओं से पहले 2007 में

प्रकाशित एक पुस्तक में ब्लैक स्वान विचार के बारे में लिखा था। **तालेब** ने तर्क दिया कि ब्लैक स्वान की घटनाओं की भविष्यवाणी करना असंभव है, तथापि इसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। लोगों के द्वारा सदैव यह मानना महत्वपूर्ण है कि ब्लैक स्वान घटना एक संभावना है अतः उसके अनुरूप योजना बनाने का प्रयास करें। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्लैक स्वान घटना होने पर विविधीकरण कुछ सीमा तक हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तालेब ने 2008 के वित्तीय संकट और ब्लैक स्वान की घटनाओं के विचार का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए भी किया कि यदि एक टूटी प्रणाली को विफल होने दिया जाए तो वास्तव में भविष्य में ब्लैक स्वान की घटनाओं के विनाश के विरुद्ध इसे सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रणाली जो जोखिम से मुक्त एवं अछूती है, वह अंततः दुर्लभ, अप्रत्याशित स्थितियों में भयावह नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

तालेब ने काले हंस को एक घटना के रूप में व्यक्त करते हुए बताया कि यह:

- इतनी दुर्लभ है कि इसके होने की संभावना भी अज्ञात है
- इसके होने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है
- इसे दूरदेशी तरीके से इस तरह से समझा जाता है कि यह घटना घटित होना तो अनुमानित था।

विशेष विचार

अत्यंत दुर्लभ घटनाओं के लिए, तालेब तर्क देते हैं कि संभावितता और भविष्यवाणी के मानक वास्तव में लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये बड़ी आबादी और पिछले समय तय नमूना आकारों पर निर्भर करते हैं। पुराने अनुभवों को दुर्लभ रूप से घटित घटनाओं के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछली घटनाओं के आधार पर सूचनाओं का भविष्य हेतु उपयोग काले हंसों की भविष्यवाणी करने हेतु उपयोगी नहीं है तथा यह हमें उनके प्रति अधिक संवेदनशील भी नहीं बना सकता है।

- काले हंस का अंतिम एवं महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में, पर्यवेक्षक इसे तथ्य के रूप में समझाने के लिए उत्सुक रहते हैं और अनुमान भी लगाते हैं कि इनके आधार पर कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि, आगे इस तरह की पूर्वव्यापी अटकलें काले हंसों की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं कर पाती, चाहे ये घटनाएं साख के संकट की हो अथवा युद्ध की स्थिति तक कुछ भी हो।

पिछली काला हंस घटनाओं के उदाहरण

2008 के वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकी आवास बाजार की घटना सबसे हालिया और प्रसिद्ध काला हंस घटनाओं में से एक है। इसका प्रभाव भयावह एवं वैश्विक था तथा केवल कुछ बाहरी विशेषज्ञ ही इसके होने की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। इसके अलावा 2008 में, जिंबाब्वे में 21वीं सदी में 79.6 बिलियन प्रतिशत प्रतिमाह से अधिक की चरम मुद्रास्फीति दर के साथ वाली घटना भी घटी थी। उस मुद्रास्फीति के स्तर की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था जो किसी भी देश का आर्थिक विनाश हेतु पर्याप्त थी।

2001 का डॉटकॉम बुलबुला एक और ब्लैक स्वान घटना थी जिसमें और 2008 के वित्तीय संकट की घटनाओं में समानताएं थी। अर्थव्यवस्था के विनाशकारी रूप से ध्वस्त होने से पहले अमेरिका तीव्र गति से आर्थिक विकास एवं निजी संपत्ति में तीव्र वृद्धि का आनंद उठा रहा था। चूंकि व्यवसायिक उपयोग के मामले में तब इंटरनेट प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए विभिन्न निवेश कोष प्रौद्योगिकी कंपनियों में तेजी से निवेश कर रहे थे, जिनका मूल्यांकन तो बढ़ा हुआ था लेकिन उनका कोई बाजार नहीं था। जब ये कंपनियां बंद हुईं, तो निवेश कोषों को भारी नुकसान हुआ तथा निवेशकों को नकारात्मक जोखिम उठानी पड़ी। डिजिटल फ्रंटियर नया था इसलिए पतन की भविष्यवाणी करना भी लगभग असंभव था। एक अन्य

उदाहरण पहले से सफल हेज फंड लाना-टर्म कैपिटल मैनेजमेंट 1998 में रूसी सरकार के ऋण चूक के कारण उत्पन्न लहर प्रभाव के फलस्वरूप भूगस्त हो गया था यह कुछ ऐसा था जिसकी कंपनी के कंप्यूटर मॉडल भी भविष्यवाणी नहीं कर सके थे।

एक अन्य तत्कालीन उदाहरण कोविड-19 वायरस का उद्भव हो सकता है, जिसने 2020 के बसंत में एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया एवं जिसने दुनिया भर के बाजारों एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को संकट में डाल दिया।

शेयर बाजार में ब्लैक स्वान घटना क्या है?

शेयर बाजार में ब्लैक स्वान घटना अक्सर एक बाजार दुर्घटना होती है जो मानक विचलन से कहीं बड़ी होती है। कुछ लोगों का तर्क है कि स्टॉक की कीमतें अनुमानित से कहीं अधिक हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं वास्तव में अपेक्षित आवृत्ति की तुलना में अधिक बार होती हैं।

घटनाओं को ब्लैक स्वान इवेंट क्यों कहा जाता है?

काले हंस को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर हंस सफेद होते हैं। वास्तव में, कहानी यह है कि काले हंसों के बारे में सोचा तो जाता था लेकिन ये वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे। इनका प्रतीकात्मक तात्पर्य यह है कि हम जो सोचते हैं घटनाएं उससे अधिक हो सकती हैं तथा पूर्व की सोच से अधिक सामान्य हो सकती हैं।

एक भूरा हंस घटना क्या है?

एक भूरा हंस घटना एक बाहरी घटना है, लेकिन जो एक काले हंस की तुलना में अधिक संभावित है। नतीजतन, लोग काले हंस की तुलना में भूरे हंस के लिए बेहतर तैयारी और बचाव कर सकते हैं।

14.5 क्या कोविड-19 ब्लैकस्वान घटना है? (Whether COVID-19 is a Black Swan Event?)

5 नवंबर 2008 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एक नए भवन के लोकार्पण हेतु लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स गयीं थी, यह लेहमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने के कुछ ही समय बाद की बात थी। इसके कुछ ही सप्ताह बाद अमीर दुनिया की सरकारों व केंद्रीय बैंकों को अपने सबसे बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बचाने हेतु आगे आना पड़ा। रानी ने उपस्थित अर्थशास्त्रियों से पूछा: "अगर ये चीजें इतनी बड़ी थी, तो आप सभी ने इन्हें पहचानने में इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? लगभग 13 वर्षों बाद, कोविड महामारी के लिए भी यही सवाल पूछा जा सकता है कि किसी ने इसे आते क्यों नहीं देखा या उन्होंने इसे अनदेखा क्यों किया। अनेक राजनेताओं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने महामारी को 'ब्लैकस्वान इवेंट' के रूप में संदर्भित किया है। **नसीम निकोलस तालेब** ने अपनी पुस्तक में इस अवधारणा को गढ़ा था। यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जो एक बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आती है। जैसे आस्ट्रेलिया में काले हंसों की उपस्थिति ने यूरोपीय लोगों को चकित कर दिया जो सबसे पहले इस महाद्वीप पर ही दिखाई दिए थे। उस समय तक, यूरोप में पेश किए गए सबूतों को देखते हुए, लोगों का विश्वास था कि सभी हंस सफेद ही होते हैं। ब्लैक स्वान घटना का सभी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। **तालेब** कहते हैं, "मनुष्य काला हंस देखने के बाद स्पष्टीकरण" गढ़ता है। इस बात को लेकर कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोगों ने कोविड महामारी को काला हंस करार दिया है। लेकिन क्या यह ऐसा है? **रयान-ए-बार्न** ने 'इकोनॉमिक्स इन वन वायरस' में इस विषय पर लिखा है "यह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राजनेताओं को इस बात पर विश्वास करने एवं हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि यही सच है। यदि किसी के पास भी इस महामारी का

अनुमान लगाने की स्थिति नहीं थी तो यह राजनेताओं और व्यवसाय प्रबंधकों को घटना की तैयारी या प्रतिक्रिया में सामने आई विफलताओं से मुक्त कर देता है।

महामारी को काला हंस कहकर प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सरकार की पैरवी करना आसान हो जाता है ताकि उन्हें करदाताओं के पैसे से राहत मिल सके। जहां तक राजनेताओं का संबंध है उस महामारी के प्रकोप को काला हंस घटना के रूप में वर्गीकृत करके, उन्हें लोगों को यह समझाने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार न होने की वजह से ठीक तरीके से इसका सामना नहीं कर सके। इसलिए, राजनेताओं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों दोनों ही के पास महामारी को काला हंस घटना के रूप में वर्गीकृत करने हेतु पर्याप्त आधार हैं, किंतु पुनः प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा है? तालेब ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने अप्रैल 2020 में 'द न्यू यार्कर' को बताया एक काला हंस "किसी भी बुरी चीज के लिए एक रूढ़ोक्ति बन गया है जो हमें आश्चर्यचकित करता है।" महामारी नियमित रूप से होती रहती है। चाहे हम केवल 20 वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद के ही इतिहास को देखें। 1918- 1920 का स्पेनिश फ्लू, 1957-1958 एशियाई फ्लू और हाल ही में इबोला, गंभीर तीव्र स्वसन सिंड्रोम (SARS), मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और निपाह वायरस संक्रमण। जैसा की बार्न लिखते हैं "मानवता को नियमित रूप से वायरल प्रकोप से निपटना पड़ता है, और ये जोखिम सस्ती हवाई यात्रा एवं अंतर्सम्बंधित नियमित अंतराल से आने वाली अनेक बीमारियों हेतु विशेष चेतावनी भी दी जाती है। **बिल गेट्स** ने 2018 में कहा था "एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया बहुत प्रगति नहीं कर रही है और वह है महामारी से रक्षा की तैयारी।" **हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू** में 2017 में एक लेख में लिखा गया "महामारी अब अधिक आवृत्ति के साथ होती है फिर भी एक घातक महामारी के खतरे को विशेषज्ञों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।"

इस तरह की अनेक चेतावनियाँ पिछले कुछ वर्षों में दी गई थी तथापि दुनियाभर में सरकारें महामारी के दस्तक देने के वक्त तक काफी सीमा तक तैयार ही नहीं थी। **नियाल फर्ग्यूसन**, "डूम: द पॉलिटिक्स आफ कैटास्ट्रोफ" में लिखते हैं: "हमारे पास अनगिनत चेतावनियाँ थीं कि मानवता का सबसे अधिक स्पष्ट एवं वर्तमान खतरा एक नया रोगजनक किसी भी क्षण वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। फिर भी यह चेतावनियाँ अधिकांश देशों में त्वरित प्रभावी कार्यवाही में तब्दील नहीं हो सकीं। इस हेतु एक सरल व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि एक महामारी का ठीक-ठीक स्वरूप पहले से ज्ञात नहीं हो सकता। इसे देखते हुए अनेक उन सरकारों के लिए इस हेतु तैयारी करना मुश्किल होगा जो वास्तव में संसाधन संपन्न नहीं हैं। लेकिन यह व्याख्या धनी पश्चिमी देशों की दशा में काम नहीं करती है। **फॉर्ग्यूसन** लिखते हैं: "आपदाओं से बचने के लिए जो किया गया उनके लिए नेताओं को शायद ही कभी पुरस्कृत किया जाता है- क्योंकि आपदा का घटित न होना शायद ही कभी उत्सव एवं कृतज्ञता का कारण होते हैं। इसका कारण यह है कि जो घटित ही नहीं हुआ वह देखा नहीं जा सकता एवं नागरिक उसे कैसे जान सकते हैं जिसको उन्होंने देखा ही नहीं। ज्यादातर राजनेता तो आपदा आने पर काम करते हुए दिखना पसंद करते हैं। बार्न लिखते हैं कि "मतदाता उन लोगों को ही पुरस्कृत करते हैं जो राहत उपाय देखकर संकट पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उन लोगों को प्रायः पुरस्कृत नहीं करते जो पूर्व तैयारी करके संकट के सबसे खराब परिणामों से लोगों को बचा लेते हैं।"

उक्त वर्णन काफी सीमा तक यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त है कि क्यों दुनियाभर की सरकारें कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस नियम के अपवाद भी हैं। दक्षिण कोरिया एक ऐसा ही देश था। जिसने अन्य देशों की तुलना में संक्रमण की पहली लहर को काफी बेहतर तरीके से संभाल लिया। इसके लिए स्पष्टीकरण इस तथ्य में निहित है

कि देश में 2015 में मध्य पूर्व श्वसन रोग का प्रकोप हुआ था तब तत्कालीन सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी क्योंकि वह उसे ठीक से संभाल नहीं सकी थी। इस कारण दक्षिण कोरिया महामारी का सामना बेहतर तरीके से करने हेतु तैयार था। एक बार जब अधिकांश देशों ने कोविड की लहर का सामना जैसे-तैसे कर लिया तो वे दूसरी लहर के लिए कुछ बेहतर तरीके से तैयार थे।

बेशक, यह अनेक सरकारों के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये सरकारें अपनी ही बयानबाजी पर विश्वास अधिक करते हुए पिछड़ गयीं। ब्लैक स्वान अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिनका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 कोई काला हंस घटना नहीं है।

बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि वैश्विक कोविड-19 महामारी एक ब्लैक स्वान घटना है। दरअसल, महामारियां प्रारंभ से ही मानव इतिहास का हिस्सा रही हैं। इन महामारियों की संख्या बहुत बड़ी है। बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाली महामारियों की संख्या कम तो है, लेकिन निश्चित रूप से दुर्लभ भी नहीं है। कई महामारियों ने कोविड-19 से ज्यादा नुकसान किया है। उदाहरण के लिए "थर्ड प्लेग", बुबोनिक प्लेग का पुनरुत्थान, जिसने 1300 के दशक के मध्यकालीन मृत्यु से कम से कम 120 लाख लोगों को उस समय मार डाला था जब दुनिया की आबादी अपनी वर्तमान आकार का केवल छठा हिस्सा थी। दुनिया भर में 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी में उस समय 10 करोड़ लोगों की जान ले ली होगी। कोविड-19 ने कुल आबादी में से 50 लाख से 190 लाख के बीच एक सदी पहले की तुलना में चार गुना अधिक लोगों की जान ले ली थी। वास्तव में दो महामारियों कोविड-19 और एचआईवी / एड्स में कोविड-19 मृत्यु की पूर्ण संख्या के मामले में कम घातक रहा है। 2004 में अपने चरम पर रहते एचआईवी/एड्स प्रतिवर्ष 17 लाख लोगों की जान ले रहा था। भले ही कोविड-19 ने एक वर्ष में एचआईवी/एड्स से अधिक लोगों की जान ली हो, लेकिन टीकों और प्राकृतिक प्रतिरक्षा के साथ कारण कोविड-19 से मरने वालों की संख्या एचआईवी/एड्स तक संभवतः नहीं पहुंच पाएगी।

इसके अतिरिक्त इस बात के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं कि महामारियों की रफ्तार धीमी हो रही है। बीसवीं शताब्दी के दौरान विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलताओं के बावजूद, अभी भी आठ महामारियाँ (वैश्विक पहुंच की महामारी) हैं, जिनमें से प्रत्येक में पांच लाख लोग मारे गए हैं। 1957 की इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद से, कोविड-19 तक प्रत्येक दशक में औसतन एक महामारी सामने आई है। यह एक प्रवृत्ति है जो संभवतः इक्कीसवीं सदी तक जारी रहेगी।

इसका एक कारण यह है कि संक्रामक रोग नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सफलता एंटीबायोटिक दवाओं का विकास है। अर्सफेनामिन जिसे आमतौर पर पहली सिंथेटिक एंटीबायोटिक माना जाता है को 1907 में जर्मन चिकित्सक पॉल एर्लिच द्वारा खोजा एवं इलाज हेतु इस्तेमाल किया गया था। उन शुरुआती आर्सेनिक-व्युत्पन्न यौगिकों को बाद 1930 में पेनिसिलिन और 1933 में सेल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स थे। अनुमान है कि एंटीबायोटिक्स ने बीसवीं शताब्दी में कई लाख लोगों की जान बचाई है। लेकिन एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणु रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी होती हैं। वर्ष 1800 के बाद से अधिकांश प्रमुख महामारियां वायरस के कारण हुई हैं।

वायरस के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार टीके और एंटीवायरल थैरेप्यूटिक्स हैं। लेकिन, एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत, ये प्रत्येक जीवाणु रोगजनकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित कर सकते हैं। टीकों और वायरस के बीच अत्यधिक विशिष्ट संबंध हैं- प्रत्येक वायरस के लिए एक अलग टीके की आवश्यकता होती है। दरअसल, फ्लू जैसे तेजी से विकसित होने वाले वायरस के लिए हमें वायरस के विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग टीकों की आवश्यकता होती

है। और टीकों को विकसित होने में समय लगता है। जिस अभूतपूर्व गति से कोविड-19 के टीके विकसित किए गए, उसके बावजूद दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महामारी शुरू होने के लगभग दो साल बाद भी इन टीकों तक सबकी एवं विशेषकर गरीब राष्ट्रों की पहुंच नहीं हो पायी है। कोविड-19 के विपरीत एचआईवी/एड्स के टीके को 30 साल की कोशिशों के बावजूद अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमारी प्राथमिक चिकित्सा सफलताएं उभरते वायरल रोगों के खिलाफ सीमित उपयोग की ही हैं। आधुनिक महामारियों में वायरल रोगों की अधिकता है। भविष्य हेतु यदि अतीत जैसा ही कुछ है, तो हम एक दशक में लगभग एक बार, एक नई महामारी की उम्मीद कर सकते हैं। अगली महामारी एक दशक से भी कम समय में प्रकट हो सकती है, या यह दो दशकों में भी दस्तक दे सकती है। लेकिन ऐसी महामारियां तो आती रहेंगी।

स्व मूल्यांकन - प्रथम

1. कोरोना के संदर्भ में काले हंस लक्षण को ऐतिहासिक रूप में किस तरह देखते हैं?
2. काले हंस सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं?
3. काले हंस विचारधारा से क्या अभिप्राय है?
4. काले हंस कि घटनाओं को जान सकेंगे।
5. क्या कोविड – 19 महामारी एक ब्लैक स्वान घटना है?

14.6 भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव (Impact of COVID-19 Pandemic on Indian Economy)

कोविड-19 के प्रकोप ने सामाजिक और आर्थिक जीवन को ठप्प कर दिया है। इस विवेचन, में विमानन, पर्यटन, खुदरा, पूंजी बाजार, एमएसएमई, तेल व गैस जैसे प्रभावित क्षेत्रों पर प्रभाव का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोविड-19 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक गतिशीलता प्रतिबंधित रही है। यात्रा और पर्यटन, जो सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% योगदान देते हैं, पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। विमानन राजस्व में 1.56 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी। मार्च 2021 में तेल 18 साल के सबसे निचले स्तर 22 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारत से लगभग 571.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी निकासी की थी। जहां तेल की कीमतों से चालू खाता घाटा कम होगा वही रिवर्स कैपिटल फ्लो इसका विस्तार करेगा। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उपक्रमों को भारी नकदी के संकट से गुजरना पड़ रहा है। देशव्यापी तालाबंदी के बीच, संकट में फसें प्रवासियों की पलायन करती बड़ी आबादी का एक भयावह दृश्य भी देखा गया। उनकी चिंता मुख्य रूप से नौकरी का नुकसान, दैनिक राशन और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति थी। भारत को इस सबके होते अपने विकास प्रतिमान पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे अधिक समावेशी बनाना चाहिए। कोविड-19 ने भारत को कुछ अनोखे अवसर भी प्रदान किए हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने के अवसर मिले हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में विश्वास खो रही हैं तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अनेक सुधारों की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।

जी.डी.पी. विकास दर, क्षेत्रीय प्रभाव एवं कोविड राहत उपाय

कोविड-19 के प्रकोप ने सभी राष्ट्रों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, विशेष रूप से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जिसने सामाजिक और आर्थिक जीवन को गतिरोध में डाल दिया था। एक ऐसी दुनिया जो नित नयी गतिविधियों से गुलजार रहती थी इस महामारी के चलते मौन हो गई एवं समस्त संभव संसाधनों को संकट का सामना करने के लिए झोंक दिया गया।

वायरस का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा क्योंकि सभी राष्ट्रों की आर्थिक गतिविधियां अत्यंत धीमी हो गई। जो ध्यान केंद्रित करने योग्य था वह एक ऐसी खतरे की घंटी थी जिसे 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी से लड़ने में दुनिया की अक्षमता के बारे में इंगित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक की 2019 की संयुक्त रिपोर्ट में वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद में 2.2 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत तक महामारी के विपरीत प्रभाव के अनुमान के रूप में था। ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सच सिद्ध हो गई, हम देखते भी हैं कि दुनिया इस संकट से अभी भी घिरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक अन्य रिपोर्ट जो 'कोविड-19 के काम की दुनिया पर प्रभाव और नीति प्रतिक्रिया' नाम से है, में बताया गया कि यह संकट अब आर्थिक और श्रम बाजार को बड़े आघात के रूप में बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख ने कहा कि “विश्व इस संकट की गहराई व अवधि को लेकर असाधारण अनिश्चितता का सामना कर रहा है। यह महामंदी के बाद की सबसे बुरी आर्थिक गिरावट थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खरबों डॉलर में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता का अनुमान लगाया। भारत भी महामारी की गिरफ्त में था 23 मार्च 2020 को प्रकाशित इकोनॉमिक टाइम्स की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अर्थशास्त्री कोविड-19 लॉकडाउन की लागत 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 4% (द इकोनॉमिस्ट) आंक रहे थे। कोविड-19 महामारी ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को प्रभावित किया जिनमें आतिथ्य, पर्यटन और यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, बैंक, होटल, रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, मनोरंजन, मीडिया एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्थिक तनाव महसूस किया गया, जो बाद में और तेजी से बढ़ता गया। जहां एक तरफ तालाबंदी और सामाजिक दूरी के कारण उत्पादकता में कमी आती है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी भी भारी गिरावट का कारण बनती है। इसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है। किंतु कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए तालाबंदी एवं सामाजिक दूरी ही एकमात्र प्रभावी उपकरण था। सरकारें इस दौर में प्रयोग करके ही सीख रही थीं।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नियंत्रण रणनीति की सफलता से सभी को सीखने का अवसर मिला। तथापि अर्थव्यवस्था के कभी भी बंद हो जाने का जोखिम बना हुआ है। इस तरह एक निर्धारित अवधि में बड़ी मात्रा में हल किये गये मामलों की प्रशंसा करना आवश्यक है, बावजूद इसके कि इसे भारी आर्थिक लागत के चलते प्राप्त किया गया।

सामग्री और विधियाँ

महामारी के आर्थिक प्रभाव का आंकलन करने के लिये पहले किए गए शोध अध्ययन अनुरूपण प्रतिरूप (Simulation Model) पर आधारित हैं। स्वीडिश अर्थव्यवस्था पर 1918 के स्पैनिश फ्लू महामारी के प्रभाव का आंकलन करने के लिये **मार्टिन कार्लसन (2014)** द्वारा किया गया अध्ययन **नवशास्त्रीय विकास मॉडल** पर आधारित है। स्वीडिश क्षेत्रों में अलग-अलग फ्लू मृत्यु दर का फायदा उठाने के लिए मानक अंतर (डीआईडी) अनुमानक को विस्तार से नियोजित किया गया था। एशियाई अर्थव्यवस्था पर एवियन फ्लू महामारी के आर्थिक प्रभाव का आंकलन करने हेतु आर्थिक पूर्वानुमान वैश्विक मॉडल पर आधारित समाविष्ट आर्थिक सिमुलेशन के माध्यम से किया गया है। यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हुए एक प्रघात के बाद नये संतुलन को समायोजित करता है।

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (एसएआरएस) महामारी के आर्थिक प्रभावों का अनुभवजन्य अनुमान जी-क्यूबेक (एशिया प्रशांत) नामक एक वैश्विक मॉडल पर आधारित है जिसे **ली और मैककिबिन (2004)** द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

महामारी के आर्थिक प्रभावों को बीमारी से संबंधित चिकित्सा लागत या बीमारी से संबंधित रुग्णता और मृत्युदर के परिणामस्वरूप छोड़ी गई आय से उत्पन्न होने वाली आर्थिक लागतों के माध्यम से मापा जाता है। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में, एक देश में महामारी के आर्थिक परिणाम एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी बाजार के कारण दूसरे देशों में स्थानांतरित हो जाते हैं।

14.7 भारत में कोविड-19 महामारी का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव (Impact of COVID-19 on Different Sectors in India)

- **पर्यटन विमानन और खुदरा पर प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के संकट के कारण पर्यटन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित रहा है। विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यूटीओ) (2020) के अनुमान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 20-30 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। ये आंकड़े भी वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित हैं और भविष्य में इनके बढ़ने या घटने की संभावना है। इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। कोविड-19 से पूर्व भारत में, यात्रा एवं पर्यटन उद्योग फल-फूल रहा था और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। फिक्की-यस बैंक की रिपोर्ट 'इंडिया इन बाउंड ट्यूरिज्म: अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटीज' शीर्षक से भारत को एक पर्यटन पावरहाउस और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बाजार बताया गया था। भारत में पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत हिस्सा है एवं 2018 में 26.7 मिलियन नौकरियों के सृजन के साथ इस क्षेत्र ने 247.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया था। वर्तमान में भारत सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में 8 वां सबसे बड़ा देश है (जगनमोहन, 2020)। रिपोर्ट के मुताबिक 2029 तक इस क्षेत्र से करीब 53 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। 2017 में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 10 मिलियन को पार कर गया। हालांकि, कोरोनावायरस महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया है जो इस क्षेत्र द्वारा उत्पन्न राजस्व एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर बड़ा विपरीत असर डालेगा। यह क्षेत्र अकेले जीडीपी की विकास दर में 0.45 फ्रीसदी की गिरावट ला सकता है। भारत का विमानन क्षेत्र वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। लॉकडाउन की पहली तिमाही में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आई है। लॉकडाउन की दूसरी तिमाही में भी आवक पर खासा असर पड़ा है। यदि हम उड़्डयन क्षेत्र के योगदान में 25% की रूढ़िवादी गिरावट का अनुमान लगाते हैं, तो यह 18 बिलियन की राशि होती है। रेलवे ने 2019 में जीडीपी में 27.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि में राजस्व में 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी।
- वित्त वर्ष 2019 में भारत के खुदरा उद्योग का मूल्य 790 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत और रोजगार का लगभग 8 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑनलाइन रिटेल में तेजी से वृद्धि गई है तथा बाजार के अनुमानों ने 2020 में ऑनलाइन रिटेल में 30 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया था (राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, 2020)। रिटेल के लिए एक महीने के बंद से तिमाही 2 के राजस्व पर असर पड़ा था। खुदरा क्षेत्र में, दबी हुई मांग में बहुत तेजी से पुनर्जीवित होने की प्रवृत्ति होती है। यह लॉकडाउन हटने के बाद इस क्षेत्र

को नुकसान की भरपाई करने में सक्षम रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के कुछ हिस्सों में ऑनलाइन रिटेल चालू था। इसके फलस्वरूप उद्योग के लिए कुछ नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

- **जीडीपी विकास दर पर प्रभाव:** जब कोविड-19 महामारी लगातार बढ़ रही थी और 15 अप्रैल 2020 तक इसमें रोकथाम के बहुत कम लक्षण दिख रहे थे तो देश के आर्थिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अत्यंत ही गंभीर था। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत की अर्थव्यवस्था हेतु जीडीपी वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत (संयुक्त राष्ट्र 2020) तक गिरने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र 'एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण' (ईएससीएपी) 2020 ने बताया कि कोविड-19 के व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणाम होंगे। इनमें पर्यटन, व्यापार और वित्तीय संबंधों के क्षेत्र में सीमाओं के पार सभी देशों में गतिविधियां प्रभावित होंगी (संयुक्त राष्ट्र, 2020)। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इसी वर्ष के दौरान 5.0 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के लिए अग्रिम अनुमान लगाया गया था। यह 2018-2019 में 6.8 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर की तुलना में काफी कम था। 2018-2019 के लिए सकल घरेलू उत्पाद रुपए (190,100 बिलियन) के अंतिम अनुमानों पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 204,400 बिलियन रूपये था। (आर्थिक सर्वेक्षण 2020) इसके साथ ही 28 फरवरी 2020 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संशोधित अनुमानों की घोषणा की गयी। यह पहली तिमाही में 8 प्रतिशत से 7.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत से 5.6% तक अनुमानित थी गोल्डमैन सैक्स ने 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में 1.6 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट का अनुमान लगाया था। मई के मध्य तक दुनियाभर में कोविड-19 महामारी त्वरित वापसी के मामलों में, केपीएमजी इंडिया ने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी वृद्धि 5.3 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत के बीच है। दूसरे परिदृश्य में जहां भारत वायरस के प्रसार को यदि नियंत्रित कर भी लेता है तो वह एक वैश्विक मंदी का दौर था, इसलिए वृद्धि 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत के बीच ही रहने का अनुमान लगाया गया। केपीएमजी इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि अगर भारत में वायरस और फैलता है और लॉकडाउन में विस्तार होता है तो भारत की जीडीपी विकास दर 3 प्रतिशत से नीचे गिर जाएगी (केपीएमजी 2020)। मोतीलाल ओसवाल के शोध से पता चलता है कि पूर्ण लॉकडाउन का एक दिन वार्षिक वृद्धि से 14-19 आधार अंक कम कर सकता है। बार्कलेज ने संचयी शटडाउन लागत लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत होने की सूचना दी (बार्कलेज, 2020)। भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने जीडीपी के 1 प्रतिशत बिन्दु पर 21 दिन का अनुमान लगाया। वैश्विक मंदी और भविष्य की अनिश्चितताएं विकास दर में 2 प्रतिशत की गिरावट आ जाने का अनुमान भी लगाया गया।
- **प्रवासी मजदूरों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी को 'द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे खतरनाक वैश्विक संकट' के रूप में वर्णित किया था। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लगभग 400 मिलियन लोग (कुल कार्यबल का 76.2 प्रतिशत) वायरस के विनाशकारी परिणामों के कारण गरीबी के गहरे गड्ढे में गिरने के जोखिम में रहे। जब आधी दुनिया में

लॉकडाउन लगा था तो 195 मिलियन पूर्वकालिक नौकरियों या वैश्विक स्तर पर काम के घंटों में 6.7 प्रतिशत कमी होने जा रही थी। कई लोग कम वेतन वाली, कम कुशल नौकरियां करने लगे। इस तरह अचानक लोगों एवं विशेषक कामगारों की आय का नुकसान होना विनाशकारी था। (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2020)।

काम के लिए श्रमिकों का मौसमी प्रवास ग्रामीण भारत की वास्तविकता है। लाखों लोगों का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से उद्योगों, शहरी बाजारों और खेतों की ओर होता है। भारत में प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर उत्तरप्रदेश और बिहार से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात तक है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व से कर्नाटक और आंध्रप्रदेश तक, राजस्थान से गुजरात तक, मध्यप्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु से केरल तक नए कॉरिडोर भी बनाए जा रहे थे। ये प्रवासी श्रमिक निर्माण क्षेत्र (40 मिलीयन), घरेलू कार्य (20 मिलीयन), कपड़ा (11 मिलियन), ईटभट्टा (10 मिलियन), परिवहन, खनन और कृषि में कार्यरत थे। लॉकडाउन के दौरान 92.5 फीसदी मजदूरों का 1 से 4 हफ्ते तक काम छूट गया। 27 मार्च से 29 मार्च 2020 के बीच, उत्तरी और मध्य भारत के 3176 प्रवासी कामगारों पर जन साहस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80 फीसदी प्रवासी कामगारों को डर था कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने से पहले उनके पास भोजन समाप्त हो जाएगा अथवा उन्हें वह नहीं मिल सकेगा। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 55 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों को रु. 200 और रु. 400 दैनिक वेतन मिल रहा था एवं 39 प्रतिशत श्रमिकों को रु.400 से रु.600 तक का वेतन मिल रहा था, जो न्यूनतम मजदूरी दर से कम था। केवल 4 प्रतिशत श्रमिकों को रु.600 अथवा उससे अधिक प्रतिदिन मिल रहे थे। यह दर न्यूनतम मजदूरी दर के नजदीक है। वह शोषक परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अक्सर कर्ज में डूबे रहते थे। उनकी स्वयं की बचत बहुत कम थी। सर्वे में शामिल इन श्रमिकों में से करीब 49.2 प्रतिशत ने कहा है कि उनके पास राशन नहीं है 39.4 प्रतिशत ने कहा है कि उनके पास राशन तो है लेकिन 2 सप्ताह तक ही चलेगा।

सर्वेक्षण में आगे बताया गया है कि इनमें से लगभग 99.2 प्रतिशत के पास आधार कार्ड थे। 6.7 प्रतिशत के पास बैंक खाता या जन धन दस्तावेज थे। 61.7 प्रतिशत के पास राशन कार्ड थे एवं 23.7 प्रतिशत के पास गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) कार्ड थे। हालांकि सरकार ने रु.1,7000 बिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन उनमें से अनेक को इसका लाभ मिलना मुश्किल था। इन श्रमिकों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मासिक राशन और मासिक वित्तीय सहायता देगी (जन साहस सर्वेक्षण 2020)। देशव्यापी तालाबंदी के दौरान इस संकट के कारण प्रवासियों की अस्थायी आबादी का सामूहिक पलायन देखा गया। उनकी चिंताएं प्रमुख रूप से नौकरी छूटने और सामाजिक सुरक्षा जाल के अभाव को लेकर थी। सरकार के आश्वासन के बावजूद वे पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे थे। यह इस आकस्मिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रही कमजोर आबादी की असमानता, गरीबी और उनके सामाजिक बहिष्कार की कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण प्रवासी मजदूरों के अपने गांव में बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। कोरोना वायरस के कारण श्रमिकों के अचानक विस्थापन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ना तय था। श्रमिक गुरुग्राम, सूरत और मुंबई के औद्योगिक शहरों में काम पर नहीं लौट सकते थे। अपनी सीमांत खेतों की मजदूरी या आसपास के क्षेत्र में ही रोजगार की तलाश कर रहे थे। तालाबंदी के कारण व्यवहार परिवर्तन के परिणाम एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र पर रोजगार हेतु दबाव डालेंगे।

यदि नीतिगत रूप से ठीक नियोजन नहीं किया गया तो महामारी द्वारा निर्मित सामाजिक संकट और दीर्घावधि में असमानता, अपवर्जन, भेदभाव और बेरोजगारी को बढ़ा सकते हैं।

- **पूंजी बाजार, वैश्विक तेल बाजार की चुनौतियां एवं भारत पर इसका प्रभाव:** कोरोना वायरस के डर ने वैश्विक वित्तीय बाजारों को सदमे की स्थिति में डाल दिया था। दुनिया भर के शेयर बाजारों में दरों में कटौती थी। तथा गिरावट के कारण भारतीय पूंजी बाजार पश्चिमी पूंजी बाजारों में धन प्रवाह की परिकल्पना कर रहे थे। एन.एस.डी.एल. के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एपीआई) ने भारत से बड़ी मात्रा में निकासी की थी। यह निकासी इक्विटी बाजारों से 247.76 बिलियन और ऋण बाजारों से 140.50 बिलियन थी जो सिर्फ 13 दिनों की छोटी अवधि अर्थात् 1 से 13 मार्च 2020 तक कर ली गई थी। दुनिया में एक बाजार से दूसरे बाजार में पूंजी के तेजी से प्रवाह के कारण पूंजी बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। तेल की मांग में ऐतिहासिक गिरावट के कारण कच्चे तेल की कीमतें मार्च में 18 साल के निचले स्तर 22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गई थी जो जनवरी में 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 5 अमेरिकी डॉलर की कमी से भारत के लिए 7-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होनी थी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत का चालू खाता घाटा कम हो गया है, जो 2019-20 में जीडीपी का 1.55 था (आर्थिक सर्वेक्षण, 2020)। लेकिन भारत से पूंजी का बहिर्वाह चालू खाता घाटे में संभावित बचत से कहीं अधिक होने का अनुमान था। भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर की औसत विनिमय दर 70.4 प्रति अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड की गई थी जो पहले से चल रही रु.75 प्रति अमेरिकी डॉलर के मनोवैज्ञानिक अवरोध से कम थी। यदि भारत से पूंजी का बहिर्वाह जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में भारतीय रुपए में और गिरावट आने की सम्भावना है।
 - **राजकोषीय एवं मौद्रिक उपाय:** कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए समन्वित राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति उपाय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राजकोषीय उपायों में महामारी के दौरान उठाए गए स्वास्थ्य देखभाल व्यय का भुगतान सम्मिलित था। मास्क, दस्ताने, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, संगरोध वार्ड, दवाएं और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का मतलब था स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में भारी वृद्धि। भारत में स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत था। चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना है। सरकार ने रु.1,70,000 बिलियन का राहत पैकेज घोषित किया, जिसका उपयोग समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को नकद राशि हस्तांतरण करने के लिए किया गया। जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित थे वे हैं, एमएसएमई और कृषि, जिन्हें एक और राहत पैकेज द्वारा समर्थित किया गया। पर्यटन और वे अन्य क्षेत्र जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हैं, उन्हें भी समर्थन की आवश्यकता थी। मंदी के कारण कर राजस्व में भी गिरावट आई थी। राजकोषीय प्राप्तियाँ सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान था। इन सभी राजकोषीय उपायों से राजकोषीय घाटे में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी जो कि वर्तमान में 3.2 प्रतिशत है।
- कोरोना वायरस प्रसार से उत्पन्न संकट निवेश और खपत को भी कम करेगा। परंपरागत रूप से, सकल घरेलू उत्पाद का मांग घटक 72.1 प्रतिशत उपभोग को बतलाता है इसमें से सरकारी खपत मुश्किल से 11.9 प्रतिशत ही है। खर्च

हेतु चिन्ता-प्रेरित अनिच्छा आदि विकास दर के लिए मुख्य खतरा है। मांग बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च बढ़ाना था। निवेश मांग को बढ़ाना देने के उपाय के रूप में विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन दिया गया है। बंधक मुक्त मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में रेपो दर में 75 आधार अंकों की कमी की गई। फेडरल रिजर्व ने भी अपनी ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कटौती की थी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 0-0.25 प्रतिशत के दायरे में रखने का फैसला किया गया था। महामारी से निपटने में मौद्रिक नीति कम प्रभावी रही है क्योंकि समस्या केवल तरलता नहीं है। आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और भविष्य की अनिश्चितता निवेश हेतु प्रोत्साहन को कम करती है। उपक्रमों एवं निवेशकों में व्याप्त चिन्ता के चलते मितव्ययिता निवेश को हतोत्साहित करती है।

- **स्टार्ट अप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर प्रभाव:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने भारत में 90 प्रतिशत से अधिक रोजगार का सृजन किया है, ने 114 मिलियन से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में नौकरियां दी हैं। इस क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत का योगदान किया है। लॉकडाउन बढ़ने का कारण इस क्षेत्र को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा है। इनमें से अनेक एमएसएमई का ऋण दायित्व और मासिक ईएमआई का भुगतान करना होता है। लॉकडाउन के कारण उनके नकदी चक्र में गड़बड़ी होने से इनमें से अनेक उपक्रम बन्द हो सकते हैं। इस स्थिति में निश्चित लागत का भार भी उन्हें उठाना पड़ता है। जिन्हें ऋण चुकाने हेतु स्थगन की आवश्यकता है। आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों को धन जारी किया है, जिनमें से कुछ एमएसएमई को भी वित्त प्रदान करते हैं। इसके अलावा, खराब होने वाले सामानों की आवाजाही बाधित होने से इन व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक संपन्न एमएसएमई क्षेत्र के बिना भारत में वास्तविक और सतत विकास नहीं हो सकता। यह संकट भारत में स्टार्ट-अप के लचीलेपन की भी परीक्षा लेगा। स्टार्ट-अप्स को सीमा पार से भी वित्त जुटाना होता है। इस दौर में कई संस्थापक अपने कारोबार को ठप होते देख रहे हैं। अप्राप्य राशि बढ़ रही है और उन्हें अपने उपक्रमों में लागत-घटाने के उपाय करने पड़ रहे हैं। सरकार को इस क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराना होगा क्योंकि प्रतिबंधित वैश्विक पूंजी प्रवाह के कारण उद्यम पूंजी फर्मों को आने और समर्थन करने में अभी पर्याप्त समय लग सकता है।
- **आर्थिक असमानता एवं भारत विकासात्मक प्रतिमान पर पुनर्विचार:** ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ (OXFAM) की रिपोर्ट 'भारत में आय असमानता, 2019' पर, भारत में विषम विकासात्मक प्रतिमान पर आंखें खोलने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2017-2018 में, सबसे अमीर 1 प्रतिशत आबादी के पास देश में उत्पन्न 73 प्रतिशत संपत्ति थी। इस समूह की संपत्ति में 20,913 बिलियन की वृद्धि हुई जो उसी वर्ष के केंद्र सरकार के कुल बजट के बराबर है। देश के सबसे अमीर 1 फ्रीसदी के पास 953 बिलियन जो देश की नीचे के वर्ग की आबादी का 70 प्रतिशत की संपत्ति से चार गुना अधिक हैं। 2017-2018 में 670 मिलियन भारतीय, जिनमें आधी आबादी शामिल है, ने अपनी संपत्ति में 1 प्रतिशत की वृद्धि देखी। स्पष्ट है कि विकास के लाभों को समाज के कुछ ही लोगों ने प्राप्त किया है। देश में भारी आय असमानताएं बताती हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो निर्वाह क्षेत्र से संबंधित है, वह भोजन और आश्रय की निर्वाह जरूरतों से ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। प्राकृतिक आपदा या महामारी से उत्पन्न आर्थिक संत्रास अनेक लोगों को निर्वाह क्षेत्र में वापस धकेल देता है। कोविड-19 महामारी ने देश में एक तरफा विकास को बढ़ावा दिया है। दैनिक मजदूरी के नुकसान ने समाज के एक बड़े हिस्से

को भूख से जूझने के लिए बाध्य कर दिया है। एक सूक्ष्म वायरस ने आर्थिक संसाधनों को नष्ट कर दिया है तथा निवेशकों के विश्वास को भी कम किया है। निजी खपत और निवेश धीमे हो गए हैं। कार्यस्थलों और बाजारों को विकृत कर बाधित कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 ने नेटवर्क उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, 'दुनिया को भारत से जोड़ने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने, 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की आकांक्षा को साकार करके 40 मिलियन रोजगार सृजित करने जैसी महत्वाकांक्षी योजना बनायी गई थी। कोविड-19 महामारी ने हमें इन नीतियों पर पुनर्विचार करने हेतु बाध्य किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण भी राष्ट्र को वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया था, 'चूंकि कोई अन्य देश अपने श्रम की प्रचुरता में चीन की बराबरी नहीं कर सकता अतः हमें श्रम प्रधान क्षेत्रों में खाली हो रहे स्थान को हथियाना चाहिए। महामारी ने वैश्विक उत्पादन के मुख्य आधार के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया क्योंकि चीनी प्रवासी श्रमिकों की गतिशीलता प्रतिबंधित थी एवं उत्पादन गतिविधियाँ रुक गई थीं। इस दौर में आधी मानवता तालाबंदी में कैद थी एवं लॉकडाउन के चलते शेष दुनिया में चीनी फर्मों की बिक्री में कमी के फलस्वरूप छंटनी, निवेश खर्च में कटौती एवं गहरी मंदी की स्थिति बन गयी। अगर वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका तो वस्तुओं की मांग और कीमतों में वृद्धि होगी, भले ही वैश्विक आपूर्ति बाधित हो एवं बेरोजगारी की दर अधिक हो। यह तब होगा जब मुद्रास्फीति जनित मंदी शुरू हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इनसे काफी हद तक सुरक्षित रखने के प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारतीय उत्पादक कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक सक्रिय भागीदार नहीं हैं। वैश्विक फर्मों लागत कम करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला जोखिम के लिए खुद को बहुत आगे तक ले जा चुकी है। वैश्विक उद्योग 'जस्ट इन टाइम' उत्पादों के नवीनीकरण पर निर्भर करता है और इस प्रकार, वे बहुत कम इन्वेंट्री बनाए रखते हैं। चीन वैश्विक निर्यात में 16 प्रतिशत और वैश्विक खनन आयात में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ विनिर्माण महाशक्ति है (द इकोनॉमिस्ट, 2020)। कोविड-19 के आरंभ में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र वुहान और शंघाई, वे स्थान थे जिन पर मोबाइल, कार एवं ऑप्टिकल फाइबर निर्माण में लगी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां असेंबली लाइन संचालन हेतु निर्भर है। भारतीय फर्मों को दुनिया से सोर्सिंग शुरू करने या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करने से पहले स्वयं की आपूर्ति श्रृंखला की जोखिमों का आकलन करना होगा।

सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से अर्थशास्त्रियों ने वायरस के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और रोकथाम के प्रयासों के विभिन्न परिदृश्यों की भविष्यवाणी की है। पहला परिदृश्य मई 2020 के अंत तक फैले वायरस की रोकथाम था। बाद में तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पुनर्जीवित होने लगी थी। दूसरा परिदृश्य वायरस के एक सामुदायिक प्रसार का था, जिसमें अधिक समय लग गया और यह अनुभव किया गया कि सितंबर तक आर्थिक पुनरुद्धार संभव नहीं है। दूसरे परिदृश्य में, आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में तीव्र कमी आयी और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। उत्पादन गृहों के लिए लंबी तालाबंदी अवधि आपूर्ति को प्रभावित कर रही थी तथा लग रहा था कि इसके कारण इस वर्ग को ये खत्म कर देगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित लागत भी बढ़ी एवं राहत के उपाय तेज करने पड़े। तीसरा परिदृश्य वह था जब वायरस का दूसरा या तीसरा प्रकोप हो रहा था एवं सभी रोकथाम के प्रयास विफल सिद्ध हो रहे थे। तीसरा परिदृश्य तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता था जब तक कि या तो हर्ड

इम्युनिटी विकसित हो या वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में लगे। अन्यथा स्थिति में अर्थव्यवस्था के गहरी मंदी में चले जाने, बेरोजगारी दर बहुत बढ़ जाने, बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान होने तथा करोड़ों लोगों के गरीबी में वापस धकेल दिए जाने की संभावना स्पष्ट दिख रही थी। लॉकडाउन खत्म होने और भारत के काम पर लौटने को लेकर चर्चा चल रही थी। किसी भी सरकार के लिए लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बीच चुनाव करना अत्यंत ही मुश्किल होता है। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अगर गरीब कोरोना से नहीं मरे तो लॉकडाउन जारी रहने से भूख से जरूर मर जाएंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अनूठी संरचना है। 50 प्रतिशत भारतीय परिवार अभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। निर्वाह क्षेत्र के लोग बेरोजगारी लाभ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा नहीं हैं। कठिन समय के दौरान, वे उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके भोजन एवं आश्रय का ध्यान रखेगी। अगर बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए तो वापसी के लिए तैयार भी हैं लेकिन सरकार को राहत उपायों को प्रभावी बनाना होगा, ताकि गरीब और कमजोर लोगों को कम से कम परेशानी हो। कई परोपकारी लोग भी एक निजी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करने हेतु आगे आए हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद मजदूरों की खेतों और उत्पादन केंद्रों में वापसी अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक कारकों पर निर्भर करेगी। मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में वापस जाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। वे आस-पास के क्षेत्र में नौकरी तलाशने का फैसला कर सकते हैं या सीमांत खेतों पर निर्भर हो सकते हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होगी। आंशिक लॉकडाउन हटने पर औद्योगिक घराने और निर्माण क्षेत्र उत्पादन शुरू कर सकते हैं। सरकार और उद्योगों को मजदूरों को काम पर वापस लाने के लिए उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रखते हुए विश्वास जगाना होगा। लॉकडाउन हटने के बाद प्रवासी मजदूरों को काम पर वापस लाना एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। यदि उनका प्रतिरोध बना रहता है, तो उद्योगों को कम क्षमता पर कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके कारण तंत्र को झटका लगेगा। भारत को अपने विकासात्मक प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। समान विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुंच महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक सबक जो कोविड-19 महामारी ने भारत के नीति निर्माताओं को सिखाया है, वह उन क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने को लेकर है जो संसाधनों का बेहतर आवंटन करते हैं और असमानताओं को कम करते हैं। कोविड-19 ने यह सबक भी सिखाया है कि संकट में आबादी कृषि क्षेत्र पर भरोसा करने के लिए लौट आती है। भारत के पास बड़ी कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि क्षेत्र की अपनी संरचनात्मक समस्याएं हैं। तथापि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत परिवार अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। एमएसएमई को अधिक समर्थन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक सार्वजनिक व्यय एवं अर्थव्यवस्था में श्रम बल को औपचारिक कार्मिक बनाने जैसे प्रयास कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं जिन्हें राष्ट्र को हासिल करना है। देश में किए जाने वाले आसन्न सुधारों में से एक श्रम सुधार है। भारत में श्रम कानून पुराने हो गए हैं, और इनमें से कुछ पिछली शताब्दी के हैं। विनिर्माण व्यवसायों को छोटा रखने और रोजगार सृजन में बाधा डालने के लिए भारत के जटिल श्रम कानूनों को दोषी ठहराया जाता था। उद्योग जटिल कानूनों के कारण अनौपचारिक रूप से श्रमिकों को काम पर रखता है और यह कम मजदूरी के लिए जिम्मेदार है। भारत में बेरोजगारी दर 2018 में चरम पर थी, जो 45 साल के उच्चतम 8.1 प्रतिशत (द हिंदू 2019) पर थी। सरल श्रम कानून के बन जाने से अब मजदूरी में वृद्धि की मांग को बढ़ावा देगी और निवेश हेतु प्रेरणा

भी प्रदान करेगी। महामारी ने श्रम सुधारों की प्रक्रिया को तेज बनाने का अवसर प्रदान किया है। श्रम सुधारों के साथ वित्तीय समावेशन से मजदूरी बढ़ाने और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।

आधुनिक राज्य के आगमन से पहले, भारत में सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः समुदाय आधारित थी। समुदाय (गांवों और शहरों में) वृद्ध, गरीब एवं कमजोर लोगों की देखभाल करता था। भोजन बांटना या भिक्षा के रूप में भोजन देना दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था तथा हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहिचान थी। समुदाय के लिए कई धर्मार्थ कार्य उन लोगों द्वारा किए किये जा थे जिनके पास संसाधन थे। संकट के समय, राज्य ने मदद की, लेकिन मदद का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय परोपकारी लोगों के माध्यम से आया। आधुनिक राज्य के निर्माण के बाद, समुदाय आधारित सामाजिक सुरक्षा उपायों को बंद कर दिया गया। भारत में सभी के लिए राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा की रचना अभी विकसित किया जाना शेष है। अब शत-प्रतिशत वित्तीय समावेश के साथ-साथ देश में सभी को एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड (एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ) प्रदान करने का समय है। उन्नत डिजिटल तकनीक की उपलब्धता भारत में इसे आसानी से संभव बना सकती है। प्रवासी मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन, तेज धूप में मीलों पैदल चलने के परिणामस्वरूप उनमें से कुछ के प्राण त्यागने की सूचना एवं कई दिनों तक भूखे रहने के समाचार लॉकडाउन के दौरान सबसे विचलित करने वाली सूचनाएँ थीं। औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव में राहत प्रयासों का दोहराव एवं अंतिम गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता न होना, कुछ ऐसी वास्तविकताएँ हैं जिन्हें महामारी द्वारा अनावृत किया गया। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक मजबूत राज्य पोषित सामाजिक सुरक्षा रचना बनाने का समय है।

उत्तरोत्तर व्यापक एवं बढ़ती महामारी ने दुनिया की संपन्न अर्थव्यवस्थाओं को अप्रत्याशित एवं अस्पष्ट रूप में विकृत कर दिया है। इसने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान मंदी मुख्य रूप से अतीत की मंदी से अलग है जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अब जब राष्ट्र, समूह, निगम तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां महामारी की भयावहता को समझ रही हैं, तो यह समय की मांग है कि भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो अधिक टिकाऊ, संरचनात्मक रूप से चिर स्थायी और कार्य करने के लिए अधिक व्यवहार्य हो।

कोरोना काल की अभूतपूर्व स्थितियों ने अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है, विशेष रूप से लॉकडाउन की अवधि के दौरान। राष्ट्र को अब राजकोषीय उपायों की शुरुआत करके अपने तरीके से काम करना होगा। जैसा कि केंद्र सरकार की कल्पना है। जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा आवश्यक है। श्रम बल की स्क्रीनिंग के बाद आर्थिक गतिविधियाँ धीरे-धीरे शुरू होनी चाहिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उद्योग द्वारा सख्त निवारक उपाय लागू किए जाने चाहिए। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार द्वारा भी पर्याप्त रूप से नीतिगत उपाय एवं सुधार किए जाने चाहिए। उद्योग, नागरिक समाज और समुदायों की संतुलन बनाए रखने में समान भूमिका होती है। जब तक हम वायरस को खत्म करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक सामाजिक दूरी, सभाओं से बचने या उन्हें रद्द करने तथा मास्क-सेनीटाइजर का उपयोग जीवन जीने का तरीका होना ही चाहिए। इस दौरान अर्थव्यवस्था को मानव जाति के सामाजिक व्यवहार के साथ जोड़ा जाता है। अतः आर्थिक गतिविधियों को वापस प्रारंभ करने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं होती अपितु उसमें हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है।

वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 के कारण वैश्विक मंदी की जोखिम बहुत अधिक थी। विश्व स्तर पर यह देखा गया कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आर्थिक गतिविधियों- उत्पादन, खपत और व्यापार को बंद करना आसन्न है। कोविड-19 के कारण सप्लाई में बाधा, मांग में कमी एवं बाजार समस्याओं के फलस्वरूप काम बंदी की प्रकृति अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत नुकसानदायक रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार सरकारी सहायता के समय और परिमाण के साथ कॉरपोरेट ऋण के स्तर पर निर्भर करते हैं यह इस बात को दर्शाता है कि कंपनियां एवं बाजार कम मांग का सामना किस प्रकार करते हैं। बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरतमंदों (बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र, प्रवासियों एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों का गठन) को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण उपाय हैं। हालांकि, प्रत्येक संकट मनुष्य, समुदाय और समाज के विकास के लिए अपनाये गये पथ पर पुनर्विचार करने का एक अनूठा अवसर देता है। तथापि महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि वह सतत विकास मॉडल को अपनाए, जो आत्मनिर्भरता, समावेशी ढांचे पर आधारित हो एवं पर्यावरण के अनुकूल भी हो। भारत आने वाले समयको विश्व स्तर पर निरंतर विकास और प्रभाव के लिए आर्थिक विस्तार एवं स्थिरता को प्राथमिकता देगा।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. अब तक गठित किन्हीं चार ब्लैक स्वान घटनाओं का उल्लेख कीजिए।
2. उक्त घटनाओं को ब्लैक स्वान घटना क्यों कहा जाता है?
3. कोविड-19 महामारी को ब्लैक स्वान घटना क्यों कहा जाता है?
4. आपकी राय में कोविड-19 घटना ब्लैक स्वान घटना है अथवा नहीं ? यदि है तो दो कारण बतलाइए और यदि नहीं है तो भी दो कारणों का उल्लेख कीजिए।
5. कोविड-19 के कारण भारत के सबसे अधिक विपरीत प्रभाव वाले चार क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

14.8 पुनरुद्धार रणनीति, अनुसंधान एवं विश्लेषण का अन्वेषण (Revival Strategy, Research and Analysis of Exploration)

- हम धीरे-धीरे एक पोस्ट-कोविड व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।
- अब अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर रुझान है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का शक्ति केंद्र एशिया में स्थानांतरित हो रहा है।
- इस नवयुग में, भारत वैश्विक स्तर पर निरंतर विकास एवं प्रभाव हेतु आर्थिक विस्तार तथा स्थिरता को प्राथमिकता देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के लगभग 2 साल बाद, दुनिया वायरस के कारण होने वाले व्यवधानों के साथ जी रही है। सबसे गहरा और परिणामी प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर महामारी का प्रभाव रहा है।

संक्रमणों का मुकाबला करने और वायरस के प्रसार को रोकने के सरकारी प्रयासों के कारण वैश्विक आपूर्ति को आघात लगा है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में। साथ ही लॉकडाउन और अन्य रोकथाम उपायों के कारण व्यापक व्यवसायिक

व्यवधान भी महसूस किया गया है। अब यह स्पष्ट चुका है कि महामारी ने दुनिया को 21वीं सदी के दूसरे महान आर्थिक और वित्तीय संकट में खड़ा कर दिया और इसके फलस्वरूप दीर्घकालिक संरचनात्मक परिणामों की संभावना है। कोरोना संकट ने वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मंथन महामारी से पहले ही शुरू हो चुका था। राजनीतिक बदलावों के कारण सत्ता समीकरण भी पहले ही बदलने लगे थे। एक आधिक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ने की निर्विवाद प्रवृत्ति देखी गई थी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का शक्ति केंद्र यूरोप व अमेरिका से एशिया की ओर स्थानांतरित होने लगा था। वर्तमान विश्व व्यवस्था काफी सीमा तक बदल गई है। अब यह एक नई कोविड पश्चात व्यवस्था को जन्म देने हेतु अग्रसर है। इस प्रवाह की स्थिति में, महत्वकांक्षी और उभरती शक्तियों के लिए केंद्रीय मंच लेने एवं सभी के लिए बेहतर भविष्य के साथ नये विश्व को आकार देने की आवश्यकता अनुभव की गई है। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्थाओं के उबरने की किरणें उभरने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 6% बढ़ेगी जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। दुनिया डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे में भी तेज वृद्धि को देख रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाने से लेकर क्लाउड सेवाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग सम्मिलित है। कई तकनीकी विशेषज्ञों ने इंगित किया है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से जो प्रगति कुछ महीनों के भीतर हासिल कर ली गई वह आमतौर पर प्राप्त करने में 2 से 3 वर्ष लगते थे। ये आशावादी संकेत हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

विश्व पटल पर भारत का भविष्य: वायरस के कारण हुई आर्थिक तबाही के बावजूद, भारत की स्फूर्तिमान प्रतिक्रिया सराहनीय रही है। खासकर तब जब देश ने 2021 की शुरुआत में वायरस की घातक दूसरी लहर का प्रबंधन करने हेतु अथक प्रयास किये। भारत पहला देश था जिसने विषाणुजनित डेल्टा संक्रमण के प्रभाव को महसूस किया लेकिन सीधे ही एवं अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के प्रयास में जुट गया। वैक्सीन की एक अरब खुराक पहले ही दी जा चुकी है। अपनी आबादी की रक्षा करने के साथ, भारत ने दुनिया के 150 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति एवं उपकरण प्रदान करने तथा विश्व बाजार में वैक्सीन की महत्वपूर्ण आपूर्ति कर सबके हित में कार्य किया है। वास्तव में, महामारी भारत के लिए एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी क्षमता पर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर था। विशेष रूप से ऐसे समय में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्षों से, भारत ने वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण दवाओं एवं चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। हाल ही में पुनः भारत ने दुनिया भर में समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कोविड वैक्सीन की आपूर्ति में निवेश किया है।

भारत के अग्रणी कोविड-19 अंतिम गंतव्य प्रतिक्रियादाता: हमारे शीर्ष 50 सामाजिक उद्यमों में से प्रत्येक अंतिम मील प्रतिक्रियादाताओं एवं बहु-हितधारक पहल हेतु आवश्यकता के चार प्राथमिकता क्षेत्रों में काम कर रहा है। ये हैं: रोकथाम और सुरक्षा; कोविड-19 उपचार और राहत; समावेशी टीका पहुंच; तथा आजीविका की सुरक्षा। इस सूची को क्षेत्रीय मेजबान **उत्प्रेरक 2030** के सामाजिक उद्यमिता के राष्ट्रीय संगठन तथा आविष्कार समूह के साथ संयुक्त रूप से चयनित एवं संगठित किया गया था।

सर्वोच्च अंतिम गंतव्य साझेदारी पहल के साथ सहयोग: कोविड संकट की शुरुआत में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की पहल से पहला बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसने **जी-20** समूह के देशों एवं अन्य को भी इसका पालन करने हेतु प्रेरित किया। देश के दिसंबर 2022 में **जी-20** अध्यक्ष बनने के साथ, यह निश्चित रूप से कोविड से उभरने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएगा। महामारी से आगे भारत अपने जलवायु परिवर्तन शमन वादों को पूरा करने सहित अन्य वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर रहा है। यह अन्य महत्वकांक्षी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लक्ष्य से काफी आगे हैं। जैसे कि 2030 तक नवीनीकरण नियम ऊर्जा को अपने ऊर्जा मिश्रण के 40 प्रतिशत तक लाना एवं 2.5 बिलियन टन कार्बन का प्रबंधन करना।

ग्लासगो, स्कॉटलैंड में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक महत्वकांक्षी पंचामृत प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध किया, जो देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु अर्थव्यवस्था के पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये हैं- ऊर्जा, गतिशीलता, उद्योग, बुनियादी ढांचा एवं शहर तथा कृषि। ये सब वैश्विक 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लक्ष्य को हासिल करने हेतु महत्वपूर्ण है।

वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की ताजा रिपोर्ट- **मिशन 2017: ग्रीन न्यू डील फार ए नेट-जीरो इण्डिया**- में बताया गया कि भारत के नेट के रास्ते पर 2030 तक \$1 ट्रिलियन से अधिक 2070 तक \$15 ट्रिलियन का अनुमानित आर्थिक प्रभाव होगा। इसके अलावा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि का समर्थन करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में सहयोग एवं डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी है।

चुनौतियां और अवसर: भारत अपनी अर्थव्यवस्था के विनियमन के 30 साल पूरे कर रहा है, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह स्वयं को पुनः स्थापित करने की क्षमता का एक वसीयतनामा है। न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर सरकारों ने ध्यान केंद्रित किया है। तथापि डिजिटल सशक्तिकरण एवं अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के वर्तमान प्रशासन के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकार समर्थित डिजिटल भुगतान प्रणाली के तहत लाखों गरीब, बिना बैंक वाले परिवारों ने औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है और अब वे बुनियादी वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वैश्विक मंच पर, भारत के राजनयिक प्रयास वासुदेव कुटुंबकम के दर्शन से प्रेरित- हैं जिसमें माना गया है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है इस समय मानवता को इस तरह के आख्यान की जरूरत है। वास्तव में, भारत का नवीकृत और सुधारित बहुपक्षवाद का आह्वान वैश्विक नेताओं और नीति- निर्माताओं के समर्थन से प्रतिध्वनित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं। भारत के परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सरकार की दृष्टि गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत मिशन सहित कई पहलों के शुभारंभ में स्पष्ट है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्राकरण योजना की भी घोषणा की है। यह व्यापक विकास एजेंडा कई क्षेत्रों में पहल का समर्थन करता है, जिसमें अनेक अलग-अलग श्रम कानूनों को समेकित करने हेतु सुधार, दिवाला और दिवालियापन संहिता का मसौदा तैयार करना तथा बैंकिंग सुधार शामिल है। भारत को इन प्रशंसनीय पहलों की गति को बनाए रखना चाहिए तथा अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती को बढ़ावा देना निरंतर रखना चाहिए। साथ ही, इन अन्य

संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड महामारी ने मौजूदा असमानताओं और कमजोर समूह पर प्रभाव को उजागर कर और बढ़ा दिया है। ये असमानताएं हैं जिन्हें भारत सरकार समावेशी और समान विकास के माध्यम से महामारी के आने से पहले ही संबोधित कर रही थी। इनमें किसानों के लिए आय, सहायता, सुरक्षित एवं किफायती आवास, सुरक्षित पेयजल एवं सभी के लिए ऊर्जा का प्रावधान प्रमुख है। आगे बढ़ते भारत को अपने विकास और प्रभाव के प्रक्षेपण को बनाए रखने के लिए आर्थिक विस्तार और स्थिरता को प्राथमिकता देनी होगी। देश को तेजी से विकास का समर्थन करने वाली आर्थिक नीति को आकार देने के लिए वृद्धिशील परिवर्तन के बजाए परिवर्तनकारी व्यवस्था को अपनाना जारी रखना चाहिए। इसके लिए वित्तीय संतुलन को बहाल करने एवं बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने हेतु प्रभावी उपायों के साथ व्यापक एवं प्रणालीगत क्षेत्रीय सुधारों हेतु निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

भारत को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने एवं व्यापार में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। देश को न केवल सड़कों और पुलों के लिए, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों को तेज करना होगा। यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारत का जनसंख्याक्रीय लाभ एक लाभांश बन जाए और प्रत्येक वर्ष कार्यबल में प्रवेश करने वाले लाखों युवा सार्थक रोजगार प्राप्त कर सकें।

यहां हमें भारतीय अंतरिक्ष संगठन की अंतरिक्ष क्षेत्र की अद्वितीय उपलब्धियों का भी उल्लेख करना चाहिए। पृथ्वी पर आ जाए तो भारत सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर पर्याप्त दे रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनः शुरू करने और उनके पुनर्वितरण में भौगोलिक विविधीकरण की खोज के साथ ही भारत एक सुरक्षित एवं स्थिर गंतव्य प्रदान कर रहा है। वैश्विक विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भारत उभर सकता है। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ, कुशल कार्यबल, तकनीकी जानकारी और वैश्विक बाजार में स्वयं के लिए एक मजबूत स्थान बनाने हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास क्षमता है। अंतिम किंतु अल्प कदापि नहीं, भारत अब अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में तीव्र गति से साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने की सरकार की योजना इसी दिशा में एक कदम है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत के पास अनूठा अवसर एवं महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा होते हैं। ताजा अस्थिरता वाली घटनाओं एवं परिवर्तन के माध्य भारत के पास न केवल अल्पकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है अपितु कोविड के बाद की दुनिया में शक्ति एवं प्रभाव की महत्वपूर्ण धुरी बनने तथा अनेक नीतिगत बदलाव करने के दुर्लभ अवसर भी हैं। विश्व भी अब आर्थिक मंच पर नई नेतृत्व भूमिकाओं को ग्रहण करने तथा दुनिया को सभी के लिए बेहतर, उज्ज्वल अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करने के प्रयासों में भारत के साथ खड़ा है।

14.9 सारांश (Conclusion)

कोविड-19 महामारी ब्लैक स्वान घटना है या नहीं इसे लेकर विवाद की स्थिति है, तथापि इस महामारी के कारण जन-धन की भारी क्षति उठानी पड़ी है। इस घटना के कारण जीवन का हर क्षेत्र विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है किंतु हमारे युवा

उद्यमियों ने इस संकट काल को अवसर में बदल दिया है। उन्होंने अनेक सफल स्टार्टअप स्थापित एवं विकसित किए हैं। भारतीय मनीषा की सृजन एवं नवप्रवर्तन क्षमता से समूचा विश्व आश्चर्यचकित है। इसके विपरीत हमारे व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र को कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। भारी मात्रा में प्रवासी श्रमिक विपरीत स्थितियों में घरों एवं गांवों में लौटने हेतु बाध्य हो गये। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट उपस्थित हो गया। हालांकि अब हमारी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद पुनः गति पकड़ने लगी है। अर्थव्यवस्था के 22 में से 19 संकेतों में कोविड पूर्व की स्थिति तक का उछाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने कुल तीन बेलआउट पैकेज की घोषणा की है ताकि कोई भी भूखा न रहे तथा सभी के हाथों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम धनराशि हो। इन पैकेजों में मुफ्त भोजन, नकद हस्तांतरण की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिकित्सा बीमा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए भी अनेक रियासतों की घोषणा की गयी। कोरोना संकट अभी टला नहीं है किंतु शुरुआती बुरे अनुभवों के बावजूद हम अपनी तैयारी बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। अब भविष्य में कोई महामारी ब्लैक स्वान सिंड्रोम का रूप न ले सके इस हेतु अग्र सक्रिय सोच के साथ अनेक क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

14.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- आप ब्लैक स्वान सिंड्रोम से परिचित हो सके हैं।
- आप इस विचारधारा को जान सके हैं।
- अब तक घटित होने वाली ब्लैक स्वान घटनाओं से वाकिफ हो सके हैं।
- कोविड-19 के भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं कुल प्रभाव को महसूस कर सके हैं।
- पुनरुद्धार रणनीति को समझ सके हैं।

14.11 शब्दकोष (Glossary)

- **सिंड्रोम:** लक्षण का समुच्चय अथवा किसी रोग में अनेक लक्षणों का समावेश।
- **ब्लैक स्वान:** ब्लैक स्वान को हिंदी में 'काला हंस' कहते हैं। जिस तरह काला हंस दिखना एक असाधारण स्थिति है, उसी तरह काला हंस घटना अप्रत्याशित घटनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है जो सामान्य अपेक्षा से परे है जिनके गंभीर परिणाम होते हैं।
- **कोविड-19:** लोगों को संक्रमित करने वाला एक नया कोरोना वायरस जिसे सर्वप्रथम 2019 में पहचाना गया जिसके कारण गंभीर स्वसन रोग पैदा हो सकता है।
- **डॉट कॉम बुलबुला:** इसे डॉट कॉम का तकनीक बुलबुला भी कहा जाता है। इसके कारण शेयर होल्डिंग के अंकित मूल्य में कमी आई और 2001 वर्ष में यह बुलबुला फट गया।
- **एंटीवायरल थेरेप्यूटिक्स :** प्रतिविषाणु चिकित्सा विधान

14.12 स्वपरख प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. काला हंस सिंड्रोम से आपका क्या आशय है ?

What do you mean by Black Swan Syndrome?

2. क्या कोविड-19 एक ब्लैकस्वान घटना है ?

Whether COVID-19 is a Black Swan Syndrome?

3. कोविड-19 को ब्लैक स्वान घटना बताने में किनके हित जुड़े हुए हैं और क्यों?

Which Interest groups Interest are linked to prove that COVID-19 is a Black Swan Event and why?

4. ब्लैक स्वान घटनाओं के विचार का वर्णन कीजिए।

Explain theory of Black Swan event.

5. भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

Explain the impact of COVID-19 Pandemic on Indian Economy.

6. भारत में कोविड-19 घटना के बाद अपनायी गई पुनरुद्धार व्यूह रचना को विस्तार से समझाइए।

Explain in detail recovery measures under taken in India after COVID-19.

14.13 संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference and Bibliography)

- जुबेर अहमद : 'कोरोना वायरस के बाद क्या भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ जाएगी?'
- सत्यार्थी, कैलाश: 'कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान'
- शर्मा, महेश: 'कोरोना से डरना कैसा?', प्रभात प्रकाशन
- थरूर, शशि एवं समीर सरन : 'कोविड-19, अव्यवस्था और नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका: ओ.आर.एफ'
- सरकार, देबोस्मिता एवं सौम्या भौमिक : 'भारत का 2022 : क्षमता का इस्तेमाल और आर्थिक पुनरुद्धार'

14.14 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- Guntraw Fritz Albin Werther : **Black Swan Aren't**
- Nassim Nicholas Taleb : **The Black Swan:The Impact** (Book ZZ.Org)
- Nassim Nicholas Taleb : **The Black Swan:The Impact of the Highly Improbable**
- Rakha Jagannath : **Impact of COVID-19 On Indian Economy; Amazon.in**
- Rajel Bhattacharya : Anaya Ghosh Dastidar ; Soumyes Sikdar : **The COVID-19 Pandemic, India and the world, World- Rutledge**

14.15 वेब संसाधन/ लिंक (web resources/ links)

- [https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49264-9-32](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49264-9-32)
- www.live-mint.com/Home/opinion/views/Covid-19 pandemic is not a Black Swan Event.

- www.network.com The Pandemic Isn't a Black Swan but a Portent of a more Fragile Global System.
- [https://times of india.indiatimes.com/](https://timesofindia.indiatimes.com/) Impact of COVID-19 on Indian Economy- Times of India
- <https://journals.sagepub.com> COVID-19 and Indian Economy: Impact on Growth.

इकाई –15

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण (International Trade Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 15.0 उद्देश्य
- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा
- 15.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के कारक
- 15.4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पर्यावरण के प्रति व्यवहार
- 15.5 व्यापार बनाम पर्यावरण: वैश्विक विरोध
- 15.6 गैट / विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण कार्यसूची
- 15.7 बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते
- 15.8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्यावरण संरक्षण एवं नियामक संस्थाओं के प्रावधानों का प्रभाव
- 15.9 पर्यावरणीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार - भारतीय अनुभव
- 15.10 सारांश
- 15.11 अधिगम परिणाम
- 15.12 शब्दावली
- 15.13 स्वपरख प्रश्न
- 15.14 संदर्भ ग्रंथ
- 15.15 अन्य पठन सामग्री
- 15.16 वेब संसाधन / लिंक

15.0 उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के कारक
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पर्यावरण के प्रति व्यवहार
- व्यापार बनाम पर्यावरण - वैश्विक विरोध
- गैट / विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण कार्यसूची
- बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्यावरण संरक्षण एवं नियामक संस्थाओं के प्रावधानों का प्रभाव

- पर्यावरण मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार-भारतीय अनुभव

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय- विक्रय तथा आदान-प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश में किए जाने वाले व्यापार से अधिक जटिल होता है; उसकी वजह यह है कि दोनों अथवा अधिक देशों का वातावरण जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कानून, भाषा एवं मुद्राएं भिन्न-भिन्न होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक मापदंड होता है। **रॉबर्टसन** कहते हैं कि "अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन होता है।" अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूलभूत कारण कारण ये होता है कि सभी देशों के पास संसाधन (प्राकृतिक, मानवीय, तकनीकी, ज्ञान-कौशल एवं आर्थिक) समान नहीं होते। उनका असमान वितरण एवं विदोहन के कारण किन्हीं देशों के पास कुछ वस्तुयें, सेवायें और संसाधन प्रचुर मात्रा में होने से वे जरूरत से अधिक को दूसरे देशों को देते हैं, जिसे निर्यात कहते हैं जबकि जो वस्तुयें, संसाधन एवं सेवाओं की उनके यहां कमी होती है उसको वह दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसे आयात कहते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आता है। यह सब स्थितियां सभी व्यापार की कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण का निर्माण करती है। हालांकि प्रत्येक देश स्वयं में आत्मनिर्भर बनना चाहता है परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं होता।

15.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा (Concept of International Trade Environment)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा से कहीं अधिक व्यापक एवं जटिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक फर्म को विदेशी पर्यावरण में व्यापार करना होता है; जो फर्म के नियंत्रण क्षेत्र के बाहर होती है तथा घरेलू फर्म को काफी हद तक प्रभावित भी करती है जैसे पूंजी की लागत और निर्यात प्रतिबंध आदि। यह ताकतें वैश्विक स्तर पर भी एक फर्म के संचालन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ये ताकतें अथवा विदेशी वातावरण को उन कारकों के रूप में देखा जा सकता है जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी संचालित होती है। इन कारकों में आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकीय मुख्य रूप से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म विभिन्न देशों में संसाधनों की भिन्न दुर्लभताओं के कारण हुआ है जो व्यापार में आवश्यकता एवं लाभ की संभावनाओं को दर्शाता है।

15.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की शक्तियाँ (Forces of International Trade Environment)

सबको यह विदित है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक पेचीदा है। इसकी वजह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाह्य वातावरण अपना प्रभाव डालता है; उसमें मुख्य कारक निम्न है:-

- **राजनीतिक वातावरण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश से व्यापार किया जा रहा है वहां की राजनीतिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है अर्थात वहां की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी

अथवा सेना से शासित है। वहां की सरकार अपनी शासन व्यवस्थानुसार ही निर्णय लेती है तथा व्यापारिक नीतियों एवं कार्यप्रणाली उसी के अनुसार होती है। अर्थात् व्यापार को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, निर्देशित और नियंत्रित करना उसी के अनुरूप किया जाएगा। एक राजनीतिक वातावरण ही लोगों की शासन व्यवस्था में भागीदारी तय करता है। व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा स्थिर, ईमानदार, कुशल एवं गतिशील प्रशासन देने की स्थिति उत्पन्न करता है। इन सब से काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं।

- **कानूनी वातावरण:** कानूनी पर्यावरण किसी भी देश में प्राप्त होने वाली कानून प्रणाली को दर्शाता है। किसी देश की कानून व्यवस्था जैसी है उसी अनुसार वहां के नियम और कानून होते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति तथा संगठन को उसकी पालना करनी होती है तथा वे उससे नियंत्रित भी होते हैं। किसी भी देश की कानूनी प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी महत्व रखती है। एक देश के कानून वहां की व्यापार पद्धतियों को नियंत्रित करते हैं। उसकी पालना में कमी से परिणाम स्वरूप अदालतों द्वारा दंड की गंभीरता अनुसार दंडित किया जाता है। ये कानून ही व्यापारिक सौदे में शामिल पक्षकारों के दायित्वों और अधिकारों की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे काफी प्रभावित होता है।
- **आर्थिक वातावरण:** आर्थिक वातावरण उन आर्थिक कारकों को दर्शाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है उनमें मुख्य: आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक स्थिति, विदेश निवेश, व्यापार चक्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे-विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और आई.एम.एफ. शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को न केवल विनियमित करते हैं बल्कि कानून और नियम भी बनाते हैं।
- **तकनीकी वातावरण:** आज के समय में अगर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया है तो वह प्रौद्योगिकी है जो हर दिन परिवर्तित हो रही है। प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। इनमें मुख्य रूप से निम्न को हम शामिल कर सकते हैं:-
 - **तकनीकी हस्तांतरण:** वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़े हैं। समय-समय पर तकनीक की भूमिका बदलती रहती है। यह भूमिका वैज्ञानिक शोध और उनके व्यावहारिक प्रयोगों तथा उत्पादों में परिवर्तन इत्यादि में होती है।
 - **उत्पादन का वैश्वीकरण:** आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्वस्तरीय नेटवर्क आवश्यक हो गया है। आज के समय में उत्पादन किसी एक देश में ना हो करके उन्हीं देशों में किया जाना ज्यादा अनुकूल होता है जहां उनको बेचा जाता है।
 - **दूरसंचार:** दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी ने जैसे 3G, 4G, 5G एवं एम.एम.एस. आदि सुविधाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है।
 - **परिवहन सेवायें:** परिवहन में नये नवाचार से विकल्प बढ़े हैं जिसने ट्रांस-शिपमेंट को सरल बनाया है। इसमें फ्रेंटकॉरिडोर, वाणिज्यिक जेट विमान, सुपर फ्रेटर्स का विकास तथा कंटेनरीकरण की शुरुआत आदि प्रमुख है।

- **ई-कॉमर्स:** ई-कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाया है। इसमें क्रेता एवं विक्रेता दोनों इंटरनेट तथा सोशल साईट के प्लेटफार्म पर मिलते हैं तथा अपनी जरूरत के हिसाब से आदेशों का आदान-प्रदान करते हैं।
- **बाजारों का वैश्वीकरण रूप:** जब से उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है बाजारों का स्वरूप किसी देश तक सीमित नहीं रह कर वैश्विक हो गया है। इससे सांस्कृतिक बदलाव भी संभव होता है।
- **सांस्कृतिक वातावरण:** प्रत्येक देश की अपनी भिन्न संस्कृति होती है, उसी के अनुसार उनके सांस्कृतिक मूल्य, विचार एवं विश्वास होते हैं। उसी के अनुसार वे अपना जीवन जीते हैं। इस सांस्कृतिक जीवन की झलक उनके क्रय व्यवहार पर भी पड़ती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है। क्रॉस संस्कृति संचार में सूचनाओं के आदान-प्रदान, निर्णय लेना, समस्या का हल निकालना, प्रेरित करना आदि संस्कृति के प्रबंधकों और कर्मचारियों की अन्य संस्कृति के ग्राहकों, सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ कुशलतापूर्वक संवाद पर निर्भर करती है। इनमें किसी भी प्रकार की गलती ना सिर्फ व्यापार को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अतः बड़ी सतर्कता के साथ इनसे व्यवहार किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक वातावरण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामाजिक वातावरण का भी काफी प्रभाव पड़ता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक समाज की अपनी मान्यताएं एवं मापदंड होते हैं तदनुसार उनके व्यवहार इससे संचालित होते हैं। हालांकि ये औपचारिक नहीं होकर अनौपचारिक ही होते हैं परंतु ये औपचारिक से कहीं अधिक बाध्यकारी हो जाते हैं जैसे कई देशों में कार्यशील महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है; इनका गंभीर प्रभाव उनके व्यवहार एवं उपभोग संरचनाओं पर पड़ा है। कार्यशील महिलाओं के लिए शिशुपालन ग्रहों, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एवं डिश वॉशर आज की जरूरत है। उनकी जीवनशैली बदली है अतः उसका प्रभाव व्यापार पर पड़ना लाजमी है। बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की सोच में बदलाव आया है वह बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है अतः खेल के सामानों, हेल्थ क्लब, जिम फिटनेस एवं योगा केंद्रों की मांग बढ़ी है। कम कोलेस्ट्रॉल वाले, कम नमक, रेशे युक्त विटामिंस एवं मिनरल्स युक्त खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन बदलती आवश्यकताओं एवं प्रवृत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक मान्यताएं, मूल्य एवं मापदंड से दस से बीस वर्षों में बदलते रहते हैं।
- **प्रतिस्पर्धी वातावरण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक प्रतिस्पर्धा भी है। जब विश्व-स्तर पर व्यापार होता है तो वहां प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही तीव्र होती है क्योंकि बहुत सी फर्म एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां की अपनी-अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय-विक्रय हेतु उपलब्ध रहती है। इन कंपनियों से वस्तु के हर पहलू पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है चाहे वह कीमत हो, डिजाइन हो, परिमाण हो, विज्ञापन हो, गुणवत्ता एवं साख ही क्यों ना हो।

उपरोक्त कारकों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ना लाजमी है। अतः ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहीं अधिक जटिल होते जा रहे हैं क्योंकि उन पर बाहरी वातावरण (कारकों) का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव कमी-बेशी पड़ता ही है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह वातावरण स्थायी नहीं होता; इसकी प्रकृति गतिशील है; समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। अतः फर्म को काफी सजग होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है।

15.4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पर्यावरण के प्रति व्यवहार (International Institutions Attitude with Environment)

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):- सन 1972 में स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय रूप से पर्यावरण को तथा प्राकृतिक संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाये; सुदृढ़ विकास पर जोर दिया गया था। इस सम्मेलन में सभी इस विचार से सहमत थे कि भावी विकास प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के द्वारा ही संभव है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम की क्रियाएं मुख्यतः निम्न क्षेत्रों पर केंद्रित है:-

- **अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून:-** यूनेप की पर्यावरण कानूनों नियमनों के संदर्भ में विविध अनुभव और पृष्ठभूमि के कारण वैश्विक आधार पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर वैधानिक मामलों को हल करने की विशेष स्थिति में है। यूनेप अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते, व्यापार उद्देश्यों की प्राप्ति में एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- **पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र:-** मई, 1993 में यूनेप की शासकीय परिषद ने यूनेप में एक पर्यावरणीय अर्थशास्त्र इकाई के निर्माण की स्वीकृति दी। इस इकाई की वर्तमान में 4 मूलभूत क्षेत्रों में कार्य करने की प्राथमिकतायें हैं:-
 - (i) पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन को प्रमोन्नत करना
 - (ii) पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन
 - (iii) पर्यावरण वस्तुओं और सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन
 - (iv) बाजार आधारित साधनों की पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भूमिका।
 यूनेप विशेष रूप से उन दो क्षेत्रों पर केंद्रित होकर कार्य करेगा जो व्यापार एवं पर्यावरण से संबंधित हैं। इनमें पहला- व्यापार नीतियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव के तरीकों पर कार्य करना तथा दूसरा-बाजार आधारित साधनों का व्यापार पर प्रभावों को जांचना।
- **पर्यावरण और वैज्ञानिक सूचना:-** यूनेप व्यापार और पर्यावरण पर विचार-विमर्श हेतु वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराने की संभावनाओं को भी तलाश रहा है। ये सूचनाएं वैज्ञानिक सूचनाओं, अवलोकन और मूल्यांकन तकनीकों, जोखिम मूल्यांकन और श्रेष्ठ उपलब्ध पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित हैं।

2. संयुक्त राष्ट्रसंघ का व्यापार और विकास पर सम्मेलन(UNCTAD):- संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास पर सम्मेलन व्यापार और विकास के क्षेत्र में एक मुख्य भाग है। सन 1964 में अंतर-सरकारों की एक स्थाई निकाय के रूप में स्थापना हुई; जिसमें 186 देशों के सदस्य थे। अंकटाड को व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में नीति विश्लेषण और वार्तालाप, संकल्पनात्मक कार्य, पर्यावरणीय और व्यापार नीतियों पर

सदस्य देशों द्वारा किए गए विचार-विमर्श से एक आम राय बनाना तथा नीति- निर्माताओं को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना जिससे उनको दिशा-निर्देश बनने में वे सहायक हो सके।

15.5 व्यापार बनाम पर्यावरण: वैश्विक विरोध (Trade Vs Environment: Global Conflicts)

गैट के नियमों को जिस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए रोकथाम के प्रयास किए गए उनके दुरुपयोग तथा उनकी भूमिका का विरोध किया जा रहा है कि वे मापदंड एकतरफा आधार पर अन्य देशों पर थोपे जा रहे हैं; जिससे निम्न व्यापार विवाद उभर रहे हैं:-

- **मेक्सिको/अमेरिका (तूना मछली के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध):-** घरेलू पर्यावरणीय दल के दबाव में आकर अमेरिकी प्रशासन ने मेक्सिको से आयात की जाने वाली तूना मछली पर अधिरोध लगाना शुरू कर दिया। उनके विरोध की वजह यह थी कि तूना को पकड़ने की प्रक्रिया में प्रशांत महासागर में जो जाल बिछाए जाते हैं, उससे कुछ डॉल्फिन मछलियां मर जाती थीं। अमेरिकी पर्यावरणविदों का कहना है कि उससे प्रशांत महासागर में डॉल्फिन की जनसंख्या 80% तक गिर गई। मेक्सिको का कहना है कि यह कदम एकतरफा और विभेद-कारी है। इससे मेक्सिको का सिर्फ अमेरिका में ही निर्यात व्यवसाय कम नहीं हुआ है बल्कि इटली, फ्रांस और जापान को भी तूना मछली के निर्यात पर असर पड़ा क्योंकि अमेरिकी कानून ने इन देशों पर भी तूना मछली के अमेरिका को पुनः निर्यात पर भी रोक लगा दी। मेक्सिको का तर्क था कि रोक पारिस्थितिकी कारणों से न होकर आर्थिक कारण से लगायी गयी क्योंकि उन्हें अमेरिकी मछुआरों के हितों को संरक्षित करना था न कि डॉल्फिनों को। हालांकि अमेरिकी परम्पराविदों का तर्क था कि डॉल्फिन मछलियों को संरक्षण देने हेतु ऐसा किया गया। गैट पैनल ने इस विवाद पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि मेक्सिको के तूना के उत्पादन के नियमन अमेरिका नियमनो को संतुष्ट नहीं करते अतः रोक सही है।
- **अमेरिका/थाईलैंड (थाईलैंड में सिगरेट पर आंतरिक करों द्वारा आयात पर प्रतिबंध):-** थाईलैंड यह चाहता है कि गैट के प्रावधान xx(b) के अंतर्गत आयातित सिगरेट पर वास्तविक रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे मानव, पशुओं अथवा पेड़-पौधे के जीवन अथवा स्वास्थ्य को आवश्यक रूप से संरक्षित किया जा सकता है। गैट दल की रिपोर्ट जिसे 1990 में अपनाया, में स्वीकार किया गया था कि "धूम्रपान मानव जीवन के लिए खतरनाक है अतः उसके उपयोग को कम करने हेतु उपाय किये जाये।" यह स्वीकार किया गया कि प्रावधान xx(b) के अनुसार अनुबंध करने वाला पक्षकार को इस व्यापार के दायित्व के साथ स्वास्थ्य लक्ष्यों को भी साथ में प्रकट करना चाहिये। हालांकि दल का मानना है कि सिगरेट आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि घरेलू उत्पाद तथा उसके विक्रय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। दल का मत था कि कोई भी अन्य अविभेदकारी सुधार अथवा कदम द्वारा स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है।

15.6 गैट / विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण कार्य सूची (GATT / WTO and the Environment Agenda)

गैट समझौतों में पर्यावरणीय पहलू किस प्रकार पर्यावरण कार्यसूची की केंद्रीय स्थिति में आये यह जानना जरूरी है।

- प्रथम, पश्चिमी देशों के उपभोक्ताओं में पर्यावरण प्रदूषण और अवक्रमण के घातक प्रभावों के संदर्भ में बढ़ती जागरूकता के कारण, ग्राहकों में उन वस्तुओं के क्रय के प्रति विरोध था जिनका उत्पादन वे देश कर रहे थे जिनका

पर्यावरण स्वच्छ नहीं था अथवा उन देशों में उत्पादित वस्तुएं जो निरंतर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अवपतन या नष्ट कर रहे थे। जब वैश्विक पटल पर यह चर्चा प्रारंभ हुई कि घने जंगलों की घटती संख्या से ओजोन परत प्रभावित हो रही है तो पश्चिमी देशों के उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक तौर पर लकड़ी से निर्मित फर्नीचर को क्रया करना बंद कर दिया। इस प्रकार पर्यावरणीय विषय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा और गैट इस मुद्दे को बहुत समय तक नजरअंदाज नहीं कर सका और अपनी चर्चा में उसे इसको शामिल करना पड़ा।

यहां यह वर्णित करना उचित होगा कि गैट ने कभी भी एक संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण को विशिष्ट रूप से उठाने का प्रयास नहीं किया। उसका मुख्य उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जितना हो सके खुला रखने तथा अनुबंधित पक्षकारों द्वारा व्यापार नीतियों की पालना में एक अनुशासन कायम करने का था। उसका मानना था कि पक्षकारों को संरक्षणवादी तरीकों से परहेज करना चाहिए- विशेषकर परिमाणात्मक प्रतिबंधों से तथा उन्हें व्यापार बाधाओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई विवाद हो तो एक तरफा उपाय से बचते हुए गैट के विवाद निपटारे के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि गैट उभरते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर असंवेदनशील है अथवा इस प्रसंग में उसका कोई विशिष्ट अभिमत नहीं है। गैट ने तीसरे विश्व के रूप में विकासशील देशों की खुली व्यापार व्यवस्था के प्रति अखण्डता को महसूस किया है और विकासशील पर्यावरण को सुधारने के लिए भी वे अपना योगदान देंगे। स्वतंत्र व्यापार की नीति के कारण विकासशील देश कहीं अधिक समृद्ध होंगे तो परिणाम स्वरूप वे पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक संसाधनों को आवंटित करेंगे। इसके अतिरिक्त विकसित देशों द्वारा पर्यावरणीय कारकों के लिए संरक्षणवादी उपायों को अपनाएंगे तो दोनों की वजह से पर्यावरण को न्याय एवं संरक्षण प्राप्त होगा।

कुछ पर्यावरणविदों की गैट के नियमों के प्रति यह राय थी कि वह पर्यावरण संरक्षण की राह में बाधक हैं। उनकी गैट के प्रसंग में कुछ आपत्तियां निम्न थी:-

- गैट के अंतर्गत व्यापार उदारीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे आर्थिक विकास हो, परंतु इससे वातावरण/पर्यावरण को हानि होगी।
- गैट, देशों को उस वस्तु को व्यापार से बाहर करने की अनुमति नहीं देता जो पर्यावरण की अनदेखी कर उत्पादित अथवा निर्मित की गयी हो।
- गैट एक देश की परिधि के बाहर पर्यावरणीय नीति को प्रभावित करने वाले व्यापारिक उपायों के प्रयोग को भी अस्वीकार करता है।
- गैट उन देशों को भी रोकता है जो अपने जंगलों अथवा संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए निर्यात पर रोक लगाता है।

15.7 बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते (Multilateral Environmental Agreements)

वर्तमान में 140 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते हैं उनमें से 17 व्यापार से संबंधित प्रावधान हैं। उनमें से चार को यहां लिया जा रहा है जो व्यापार प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं।

- **मॉन्ट्रियल संलेख (Montreal Protocol) :-** यह सम्मेलन सन 1985 में मॉन्ट्रियल संलेख के नाम से जाना जाता है जिसमें अमेरिका, यूरोपीय समुदाय और 22 अन्य देशों के हस्ताक्षर से हुआ। वैज्ञानिकों ने यह खोज की ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायॉलेट रेडिएशन से बचाती है जो कि बाहरी सतह से आती है। वैज्ञानिकों का यह

मानना है कि मानव द्वारा कारखानों में बनाए जा रहे रसायनों से विशेषतः क्लोरीफ्लोरोकार्ब्स से इस ओजोन परत के ऊपरी सतह को पूर्वानुमान से पूर्व ही तेजी से क्षति पहुंचा रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो ओजोन परत के छेदों में से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी उससे त्वचा कैंसर, कैटरैक्ट्स और मानव की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को कमजोर कर देगा। क्लोरीफ्लोरोकार्ब्स को बड़े स्तर पर विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है जिनमें रेफ्रिजेशन, एयर कंडीशनिंग, फॉम के उत्पादन और एरोसॉल प्रोपुलेण्ट्स के बनाने में किया जाता है। इस संलेख में सदस्य देश इस पर बात पर सहमत हुए कि चरणबद्ध रूप में इस तरह के रसायन के उत्पादन और उपभोग को कम किया जाएगा। गैर-सदस्य देशों के लिए व्यापार प्रावधान निम्न प्रकार थे:-

- जनवरी, 1990 से संलेख के गैर- सदस्य देशों से इस प्रकार का रसायन के आयात पर्याप्त स्तर तक नियंत्रित रहेगा।
- 1993 में विकासशील देशों से होने वाले नियंत्रित पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध की रोक को आगे बढ़ाया गया।
- तीन वर्ष के समझौते के अंतर्गत, गैर सदस्य देशों के उन वस्तुओं पर आयात रोक लगा दी जिसमें ऐसे पदार्थों का उपयोग होता है जो हानिकारक हैं जैसे- रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, एरोसोल वस्तुएं, इन्सुलेशन बोर्ड्स, पैन्ल्स और पाइप्स कवर्स आदि।
- **बेसल सम्मेलन (Basel Convention):-** बेसल सम्मेलन का मूल उद्देश्य हानिकारक अपशिष्टों की सीमा-पार आवागमन और उनको विकासशील देशों में नष्ट करने की प्रक्रिया पर नियंत्रण लगाने पर था। सम्मेलन में यह तय करने एवं आश्वस्त होने पर बल था कि पर्यावरणीय बचाव हेतु अपशिष्ट पदार्थों को जहां तक हो सके उनके उद्गम स्थान पर ही सुदृढ़ प्रबंधन द्वारा नष्ट करने की क्रिया संपादित हो। पक्षकारों पर मुख्य दायित्व इस प्रकार निर्धारित किये गये:-
 - हानिकारक अपशिष्ट की कम से कम उत्पत्ति हो।
 - देश के अंदर ही जहाँ अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है वहीं पर्याप्त रूप से उसको नष्ट या समाप्त किया जाये।
 - निर्यातक देश सीमा-पार अपशिष्ट को तब ही ले जावे या भेजे जबकि उसके यहां हानिकारक अपशिष्ट को तकनीकी रूप से नष्ट करने की सुविधा अथवा क्षमता ना हो।
- **लंदन मार्गदर्शिका (London Guidelines):-** लंदन मार्गदर्शिका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सरकारों को रसायनों पर वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अथवा वैधानिक सूचनाओं प्रदान करने से संबंधित है जिससे वे रसायनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस मार्गदर्शिका में पक्षकारों को विधायिका और नियामक पद्धतियों को स्थापित करने जिससे रसायनों के नियंत्रण और प्रबंधन में सुधार करने के दायित्व तय किए गए हैं और विषैले रसायनों को रखने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का प्रावधान भी रखा गया है। एक देश जो रसायन के आयात की अनुमति के लिए निर्धारित विधि के अंतर्गत प्रार्थना करता है उसे आयात की अनुमति, आयात पर प्रतिबंध अथवा विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आयात की अनुमति दी जा सकती है। एक सामान्य नियम के तौर पर आयातक देश से उतना ही प्रतिबंध उस विशिष्ट रसायन पर अपेक्षित है जितना वो अपने देश के रसायनों पर लगाता है।
- **साइट्स सम्मेलन (Cites Convention):-** वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों पर अंतराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (Cites Convention) 1963 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश अंतराष्ट्रीय व्यापार में जंगल के संकटापन्न जाति के (फोना और फ्लोरा) जीव-जन्तु और वनस्पति हेतु मार्गदर्शिका और तरीके निर्धारित करने से संबंधित था। जिससे उन्हें संरक्षित किया जा सके ना कि अंतराष्ट्रीय व्यापार के लिए उनका अत्यधिक शोषण और विदोहन किया जावे। ऐसे व्यापार पर नियंत्रण की मात्रा ऐसे जीव-जंतु एवं वनस्पति के विलोपन के भय के आधार पर निर्धारित होगी।

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की कोई चार शक्तियों बतलाइये।
2. कोई दो बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते के नाम लिखिए।

15.8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्यावरण संरक्षण एवं नियामक संस्थाओं के प्रावधानों के प्रभाव (Impact of Environment Protection and Regulatory Bodies Provisions)

गत एक दो दशक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ नए उभरते हुए मुद्दों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि यह मुद्दे ऐसे नहीं जो तुरंत उत्पन्न हुए हैं परंतु ये सच है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इनकी काफी चर्चा हो रही है और मुखर होकर उभर रहे हैं। ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रत्यक्ष रूप से मानव-जीवन के अस्तित्व से जुड़े हैं। इस कारण से इन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व जनसंख्या के हितों से इसका प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण ये मुद्दे आम जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और विश्व का एक बड़ा जन-मानस इन मुद्दों के समर्थन में उतर आया है तथा समय-समय पर आंदोलन करके जन-मानस का ध्यान आकर्षित करता रहता है। उन मुद्दों में से कुछ प्रमुख मुद्दे निम्न हैं:-

- **पर्यावरण संरक्षण :-** 1970 के दशक के प्रारंभ से पर्यावरण संरक्षण विषय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में आया तथा उस पर प्रारंभिक विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ। चर्चा के दौरान यह विषय रखा गया कि व्यापार इस तरह से होना चाहिए जिससे वातावरण पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियामक संस्थाओं में ये विषय काफी चर्चा में आने पर इन पर आचार-संहिता, नीतियाँ एवं कानून बनाए गये। उन संस्थाओं में मुख्यतः विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विश्व बैंक प्रमुख हैं। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जिनमें मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस तथा जापान हैं, उनका मानना है कि वैश्वीकरण से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और औद्योगिक-प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक विकास तेजी से करने के लिए विकासशील देश औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अतः इनपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिसमें मुख्यतः निम्न मुद्दे ज्वलंत हैं:-

- **जलवायु परिवर्तन:-** हाल ही में यह विश्व विश्व-पटल पर काफी उभर कर आया है। विश्व-मंच पर सम्मेलन के द्वारा चर्चा भी हुई है कि व्यापार के लिए अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तथा औद्योगिक प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं जो न सिर्फ मानव-जीवन बल्कि सभी जीवों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन गये हैं। अतः इसका तुरंत कोई हल निकाला जाना चाहिए।
- **ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन:-** 2008 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर विचार-विमर्श शुरू हुआ तथा इस पर चिंता व्यक्त की गई। बढ़ती औद्योगिकरण की रफ्तार ने इन ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाया है। ग्रीन हाउस गैसों ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिये उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरो-फ्लोरोकार्बन, वाष्प ओजोन आदि करती हैं। कार्बनडाईऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 वर्षों में 40 गुना बढ़ा है। एक प्रकार से यह कार्बन विकास पथ के रूप में विकसित हो गया है। इस खतरनाक स्थिति को तुरंत नियंत्रण की आवश्यकता है। इस स्थिति का जनक तीव्र गति से औद्योगिकरण को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की होड़ को इसके लिए उत्तरदाई ठहराया जाता है।
- **अपशिष्ट:-** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग के अनुसार उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है जो कारखानों में ही संभव है। इससे अपशिष्ट पदार्थ काफी मात्रा में निकलता है वो अलग-अलग प्रकार का होता है जैसे-रसायन,

प्लास्टिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा आदि। इन सब ने जलवायु और पर्यावरण को काफी प्रभावित किया है। इससे बढ़ती हुई चिंताओं के कारण उसका पुनः उपयोग (रीसाईक्लिंग) योग्य बनाने की प्रक्रियायें जारी हैं।

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:-** विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास उत्पादन के संसाधनों के अलावा प्रौद्योगिकी भी काफी उन्नत थी। धीरे-धीरे ये उच्च-प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण विकसित अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को की जाने लगी। इसका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगा।
- **प्रतिस्पर्धा का प्रभाव:-** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। इसमें सफल होने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उत्पादन लागत को कम करने का प्रयास करती हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के पर्यावरण के मापदंड कहीं निम्नतर होते हैं। अतः उन देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान) द्वारा इनका विरोध किया जाता है। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण असंतुलन को जन्म मिलता है।
- **गैट:-** जनरल एग्रीमेंट आफ टेरिफ एंड ट्रेड (प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य ठहराव) विश्व व्यापार संगठन ने एक समझौता पत्र का मसौदा बनाया है जिसमें व्यापार के संबंध में कई प्रतिबंध तथा प्रशुल्क लगाए हैं जिनकी पालना बाध्यकारी है। इसके अंतर्गत देशों की व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन पेड़ों का संरक्षण, मानव जीवन एवं पशुओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पहल करना आदि शामिल है।

15.9 पर्यावरणीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार- भारतीय अनुभव (Environmental Issues and International Trade- An Indian Experience)

भारत एक महत्वपूर्ण विकासशील देश है जो विश्व बाजारों में पूर्तिकर्ता की भूमिका निभा रहा है। गत दशकों से कुछ नये मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम में आने से जैसे पर्यावरण, बाल-श्रम, श्रम मापदंडों और मानव अधिकारों ने भारत की कर बाधाओं को और कोटा प्रणाली को कम करने के कारण लाभप्रद स्थिति को नकार दिया है। जहां तक पर्यावरण जैसे प्रश्नों का सवाल है, विकासशील देशों को अभी भी कुछ समय की आवश्यकता है जो अपने यहां आवश्यक तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित कर विकसित देशों के प्रमाणों तक आ सकें। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत संभवतः कहीं बेहतर स्थिति में है।

भारतीय निर्यात प्रमुख रूप से जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक है जैसे चमड़ा और चमड़े का सामान, वस्त्र एवं परिधान, कृषि आधारित वस्तुयें और रसायन इत्यादि पर आशंकायें मंडराने लगी हैं क्योंकि विकसित देशों के पर्यावरणीय मापदंड और विनियमन कहीं अधिक कठोर हैं। पर्यावरणीय नियमनों में विश्व को दो भागों में बांटा जा सकता है:- उत्तर के देश (विकसित देश) तथा दक्षिण के देश (विकासशील देश)। उत्तर के देश अधिकतर उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनमें पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न नहीं होता है। विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण करते हैं जिनमें कृषि अथवा उनसे संबंधित उद्योग प्रमुख हैं। निश्चित रूप से विकसित देशों के पर्यावरण के मापदंड काफी सख्त हैं तथा विकासशील देशों के नरम हैं। विकसित देशों में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उद्योग लगाने के लिए बहुत से प्रतिबंध हैं तथा कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है तथा कई प्रकार के कर अतिरिक्त रूप से देने होते हैं जिससे प्रदूषण, क्षरण एवं अन्य क्षतियों को कम अथवा रोकथाम की जा सके। विकासशील देशों में ऐसी कुछ कठोरता नियमों में नहीं होने से उद्योग तुलनात्मक रूप से आसानी से लग जाते हैं। स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा होने से प्रतियोगिता की अपनी भूमिका

होती है। अगर वस्तु की उत्पादन लागत अधिक होगी तो वह बाजार में विक्रय नहीं हो पाएगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता वैसे ही चरम पर होती है। अतः विकसित देशों में ऐसे उद्योग में उत्पादित वस्तु की लागत अधिक आने के कारण ये उद्योग वहां नहीं लग कर विकासशील देशों में स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ता श्रम, नरम पर्यावरण नियोजन तथा श्रम कानूनों की कठोरता नहीं होने से उत्पादन लागत कम आती है और वस्तुओं का विक्रय हो जाता है। ऐसे में अधिकांश उद्योग जो पर्यावरण को असंतुलित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, क्षरण करते हैं, वो एक देश में अथवा कुछ विकासशील देशों में केंद्रित हो जाते हैं। अल्पकाल की दृष्टि से, ऐसे देशों को रोजगार, आय संरचनात्मक विकास आदि में लाभ की स्थिति में तो होते हैं मगर दीर्घकाल में ये देश हानि की स्थिति में होते हैं क्योंकि इनका परिणाम इन्हें प्रदूषण, क्षरण, जहरीली गैसों की बढ़ती मात्रा और अनंततोगत्वा पर्यावरण असंतुलन के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसे उद्योगों में हम रसायन उद्योग, खाद, चमड़ा, कपड़ा एवं एल्यूमीनियम उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। भारत की भी कमोवेश यही स्थिति है जिससे देश के अंदर पर्यावरण असंतुलन बढ़ने से इसके विरोध में आवाज मुखर हो रही है।

निम्न कुछ वस्तुओं के उदाहरणों के द्वारा पर्यावरणीय मापदंडों की स्थिति में भिन्नता के कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है:-

- **चमड़े से निर्मित सामान:** 1980 के दशक के 'अंत में जर्मनी ने पर्यावरणीय मापदंडों के अंतर्गत पी.सी.पी. (पेंटा-क्लोरो-फेनॉल) रसायन जिसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है, के उपयोग पर रोक लगा दी। इसके परिणामस्वरूप भारत को अगले 5 वर्षों के लिए नए प्रौद्योगिक मापदंडों की पूर्ति हेतु 20 प्रतिशत पूंजीगत लागत में वृद्धि को वहन करना होगा।
- **कपड़ा और वस्त्र उद्योग:** भारतीय वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका और यूरोप में उभरते अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मापदंडों के कारण भारत को, इस क्षेत्र के उत्पादन में; हर स्तर पर- रूई की फसल काटने से लेकर सूत बुनने की प्रक्रिया, ड्राइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग तक प्रभावित करेगा। वास्तव में, भारतीय वस्त्र निर्यातकों को हाल ही में जर्मनी के आयातकों द्वारा वस्त्रों पर अजो-डाई के उपयोग पर रोक प्रस्तावित करने से एक अचानक आई परेशानी का सामना करना पड़ा। और अजो-डाईज जर्मनी के उपभोक्ताओं के कैंसर का कारण बनने के कारण इस पर प्रस्तावित रोक लगाई गई है। इस कारण से भारतीय निर्यातक ना केवल यह समझ गए हैं कि भविष्य में वस्त्र निर्यात के बाजार में इस डाई का उपयोग नहीं हो सकेगा बल्कि अजो-डाईज के निर्माताओं कोई उपयुक्त विकल्प भी तलाशना होगा।
- **चाय और कॉफी:** महामारी, फफूंद और अपतृण मिलकर 30 प्रतिशत से अधिक फसल को नष्ट कर देते हैं। भारतीय चाय उद्योग पूर्णतः विभिन्न कीटनाशकों, फफूंदनाशकों तथा अपतृणनाशकों पर निर्भर है। चाय एक खाद्य वस्तु है, अतः पश्चिमी देश, एक स्तर से अधिक इन कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति नहीं देते। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन/ एफ.ए.ओ. जो कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य के मापदंड निर्धारित करता है, ने इस हेतु एक सुरक्षित सीमा तय की है। अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण परिषद ने एक भिन्न मापदंड बताया है और जर्मनी ऊपर से कहीं अधिक कठोर मापदंडों को अपेक्षा रखता है। इस कारण से चाय एवं कॉफी के निर्यातकों को दोहरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. पर्यावरण संरक्षण एवं नियामक संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई तीन प्रभावों को वर्णित कीजिये।
2. पर्यावरण मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई दो भारतीय अनुभवों को स्पष्ट करें।

15.10 सारांश (Summary)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा में समयानुसार काफी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने के कुछ कारक हैं जिन्हें बाह्य कारक कहते हैं जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रतियोगिता एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आई.एम.एफ., विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, गैट आदि का पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यवहार संवेदनशील हो रहा है। हालांकि पर्यावरण के प्रति कठोर मापदंडों का विकासशील देश विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि उनके स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में वो बाधक बन रहे हैं; तदुपरांत भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यसूची में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कई सम्मेलनों में समझौते भी हुए हैं। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इन नियामक संस्थाओं के प्रावधानों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पर्यावरणीय मुद्दों पर भारतीय अनुभव भी अपनी जगह है।

15.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त विद्यार्थियों को निम्न बिन्दुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है: -

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के कारकों की जानकारी प्राप्त हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पर्यावरण के प्रति व्यवहार ज्ञात हुआ।
- व्यापार बनाम पर्यावरण के प्रति वैश्विक विरोध की स्थिति से अवगत हुए।
- गैट / विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण की कार्यसूची की जानकारी प्राप्त हुई।
- बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते ज्ञात हुए।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियामक संस्थाओं के प्रावधानों के प्रभावों की जानकारी प्राप्त हुई।
- पर्यावरण से संबंधित मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय अनुभवों की जानकारी प्राप्त हुई।

15.12 शब्दकोश (Glossary)

- गैट : व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता
- विश्व व्यापार संगठन : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियामक संगठन
- विश्व बैंक एवं आई.एम.एफ. : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं
- अंकटाड : संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास सम्मेलन
- मॉन्ट्रियल संलेख : वह शहर जहां समझौता / संलेख बना
- बेसल सम्मेलन : सम्मेलन वाले विश्व शहर का नाम
- ग्रीन हाउस गैस : वह स्थान विशेष जहां जहरीली गैसों की उत्पत्ति निर्माण क्रियाओं से होती है
- साइट्स सम्मेलन : सम्मेलन स्थल का नाम

15.13 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Question)

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये।
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइये।
3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरण के संदर्भ में विरोध के कारकों को स्पष्ट कीजिये।

4. बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते क्या होते हैं?
5. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियामक संस्थाओं के पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रावधानों के प्रभावों की विवेचना कीजिए।
6. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पर्यावरणीय मुद्दों पर भारतीय अनुभवों को रेखांकित कीजिए।

15.14 संदर्भ सूची (Reference List)

- चंद्र प्रकाश: 'व्यवसाय पर्यावरण', रावत प्रकाशन, नई दिल्ली 2012
- शर्मा, उपाध्याय एवं दयाल : 'व्यावसाय वातावरण', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2020
- शर्मा, जैन, दयाल एवं शर्मा : 'अंतर्राष्ट्रीय विपणन', हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2008
- Shukla, Prof. M.B. : 'Business Environment text series', New Delhi 2018
- Sinha & Srivastava : 'International Trade', Varanasi
- Swami, Gupta & Vaishnav : 'Economic & Business Environment', R.B.D Publish House; New Delhi; 2018

15.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Foreign Trade Management in India – M.L. Verma Vikas Publishing House, New Delhi - 1988
- International Business – Charles W.L. Hill Tata Mcgraw, New Delhi - 2009
- "Clearing the way for Exporters", Business Horizons, Oct, 1980, pp. 26-28
- "The Globalisation of Markets", Theodore Lavit HBR, May-June 1983 pp. 90-102
- "Managing in a Borderless World", -Kenichi Ohama; HBR, May-June 1989 pp. 152-61

15.16 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

- <http://www.wto.org>
- <http://www.oecd.org:trade:topics>
- <http://www.wto.org:envir=e>
- <http://www.trade.gov>
- <http://www.bu.edu:2019/06> (PDF)
- <http://commerce.gov.in>

इकाई-16

विदेशी विनिमय एवं प्रबंधन अधिनियम (1999) Foreign Exchange Management Act (1999)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 16.0 उद्देश्य
- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 अधिनियम के उद्देश्य
- 16.3 फेमा से सम्बन्धित शब्दावली
- 16.4 फेमा की विशेषताएँ
- 16.5 विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में फेमा के प्रावधान
- 16.6 विदेशी विनिमय वसूली एवं प्रत्यावर्तन प्रावधानों से छुट
- 16.7 अधिकृत व्यक्ति
- 16.8 उल्लंघन एवं दंड
- 16.9 न्यायिक अधिकारी के आदेश का प्रवर्तन
- 16.10 अपील न्यायाधिकरण
- 16.11 प्रवर्तन निदेशालय
- 16.12 विविध प्रावधान
- 16.13 सारांश
- 16.14 अधिगम परिणाम
- 16.15 शब्दकोष
- 16.16 स्वपरख प्रश्न
- 16.17 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची
- 16.18 अन्य पठन सामग्री
- 16.19 वेब संसाधन / लिंक

16.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- फेमा, 1999 की आवश्यकता एवं प्रावधानों को जान सकेंगे |
- इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी विनिमय वसूली एवं प्रत्यावर्तन प्रावधानों को समझ सकेंगे |
- फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय के लेनदेन हेतु अधिकृत व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |
- इस अधिनियम से संबन्धित विवादों की दशा में न्यायिक अधिकारी तथा उनके आदेशों के प्रवर्तन हेतु प्रावधान जान सकेंगे |
- इस अधिनियम के अंतर्गत घटित होने वाले अपील न्यायाधिकरण एवं प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना एवं कार्य प्रणाली को समझ सकेंगे |

16.1 प्रस्तावना(Introduction)

विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999(फेमा) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है तथा विदेशी मुद्रा के रखरखाव व व्यवहार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से संबन्धित कानून को समेकित एवं संशोधित करता है। इसे पूर्व में प्रचलित विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के स्थान पर 29 दिसम्बर 1999 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम विदेशी विनिमय से सम्बन्धित नागरिक अपराधों को अपराध की श्रेणी में रखता है। यह समुच्च्ये भारत में लागू होता है तथा पूर्व में प्रचलित विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है जो भारत सरकार की उदारीकरण समर्थक नीतियों के कारण अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है जो भारत सरकार की उदारीकरण समर्थक नीतियों के कारण असंगत हो गया था। इस अधिनियम ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उभरते स्वरूप के अनुरूप एक नयी विदेशी विनिमय व्यवस्था को सक्षम बनाया है। इसने घन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की शुरुआत का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो जुलाई, 2005 से प्रभावी हुआ।

इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनियोगों से सम्बन्धित प्रावधानों का सरलीकरण करना था। विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में विनियोगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना विदेशी विनियोग व विदेशी पूंजी निवेश को सरल बनाना तथा देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य था।

फेरा 1973 के स्थान पर 4 अगस्त, 1998 को लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल को स्थायी समिति वित्त को भिजवाया गया। समिति ने कुछ सामान्य परिवर्तनों तथा संशोधनों के पश्चात् 23 दिसम्बर, 1998 को संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि स्थायी समिति वित्त द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार कोई निर्णय ले पाती इससे पूर्व ही 12वीं लोकसभा का विघटन हो गया। परिणामस्वरूप यह बिल पारित नहीं हो सका।

स्थायी समिति वित्त द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा सुझावों को शामिल करने के उपरांत तत्कालीन वित्त मंत्री ने अक्टूबर, 1999 में यह बिल प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा ने दिसम्बर, 1999 को पारित कर दिया जिसे तत्पश्चात् राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल गई।

यह अधिनियम 1 जून, 2000 से लागू हो गया। इसकी मियाद को बाद में 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया ताकि फेरा, 1973 का अस्तित्व समाप्त हो सके। यह 2 वर्ष की अवधि 31 मई 2002 को समाप्त हो गई।

विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम, 1999 का क्षेत्र

- यह सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।
- यह अधिनियम उन सभी शाखाओं, कार्यालयों एवं एजेंसियों पर भी लागू होता है जो भारत के बाहर स्थित है तथा भारत के किसी निवासी के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है।
- यह अधिनियम उस तिथि से प्रभावी होगा जो तिथि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाए।
- फेमा को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके 1 जून, 2000 से प्रभावी कर दिया गया था।

फेमा में कुल 49 धाराएं हैं जो 7 अध्यायों में विभक्त हैं। ये अध्याय हैं –

- अ. **प्रारम्भिक** – इस अध्याय के अंतर्गत शीर्षक, विस्तार, लागू होने तथा महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वर्णन है।
- ब. **विदेशी विनिमय नियम एवं प्रबन्ध** – इस अध्याय के अंतर्गत विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबन्ध से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
- स. **अधिकृत व्यक्ति** – इसके अंतर्गत उन अधिकृत व्यक्तियों से सम्बंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है जो रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय में लेन-देन करते हैं तथा रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करने तथा निर्देश देने का अधिकार रखते हैं।
- द. **उल्लंघन एवं दण्ड** – इस अध्याय के अंतर्गत फेमा के अंतर्गत उल्लंघन तथा दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
- य. **निर्णयन एवं अपील** – इस अध्याय में न्यायिक अधिकारी, विशेष निदेशक, अपील न्यायाधिकरण तथा न्यायिक अधिकारी अथवा विशेष निदेशक (अपील) द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपील से सम्बंधित जानकारी है।
- इ. **प्रवर्तन निदेशालय** – इस के अंतर्गत फेमा में उल्लिखित प्रवर्तन निदेशालय से सम्बंधित प्रावधानों, क्रिया-विधि आदि का वर्णन किया गया है।
- ल. **विविध प्रावधान** – इसमें केंद्र सरकार की नियम-विनिमय बनाने की शक्तियाँ, फेरा, 1973 का निरस्तीकरण, तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने से स्थगित करने का वर्णन किया गया है।

प्रथम तीन अध्याय जहां प्रवर्तन भाग से सम्बंधित हैं तो शेष चार अध्याय दण्ड, अभिनिर्णय अपील, प्रवर्तन निदेशालय, एवं विभिन्न प्रावधानों को बतलाते हैं।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) द्वारा विस्तार से इन नियमों/विनिमयों को भारत के असाधारण गजट भाग-2, दिनांक 3 मई, 2000 को प्रकाशित किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

- विदेशी विनिमय (प्रपत्रों का सत्यापन) नियम- 2000
- विदेशी विनिमय सयुक्त कार्यवाही नियम- 2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (निर्णयन, कार्यवाह, अपील) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (चालू खाता व्यवहार) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (ड्राफ्ट, चेक, नकदीकरण, ब्याज निर्धारण एवं भुगतान) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत में स्थायी सम्पत्तियों के अधिग्रहण, हस्तारण) नियम-2000

- विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत में बाहरी स्थायी सम्पत्तियों के अधिग्रहण, हस्तारण) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (रुपए में उधार लेना-देना) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी विनिमय लेन-देन) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (जमा) नियम-2000
- विदेशी विनिमय अधिनियम (भारत में व्यापार के शाखा कार्यालय या अन्य स्थान की स्थापना) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (मुद्रा आयात-निर्यात) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (माल के निर्यात एवं सेवा) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी विनिमय उत्पत्ति अनुबंध) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (प्रत्याभूति) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (बीमा) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत में स्थित संस्था, सम्पत्ति में विनियोग) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (अनिवासी भारतीय संस्था या शाखा कार्यालय द्वारा प्रत्याभूति का निर्गमन) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान के तरीके) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी खाता व्यवहार) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी मुद्रा कब्जा/स्वामित्व एवं अवरोधन) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी मुद्रा वसूली, प्रत्यावर्तन एवं समर्पण) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (सम्पत्ति का प्रेषण) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी प्रत्याभूति का हस्तांतरण, निर्गमन) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (अनिवासी भारतीय द्वारा भारत से बाहर प्रत्याभूति का हस्तांतरण एवं निर्गमन) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (विदेशी निगम संस्थाओं के सामान्य आदेश को वापस लेना) नियम-2000
- विदेशी विनिमय प्रबंध (कठिनाइयों का निवारण) नियम-2000

16.2 अधिनियम के उद्देश्य (Objective of Act)

फेमा के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- भारत में विदेशी पूंजी के प्रवेश का नियमन करना।
- देश में विदेशियों के रोजगार का नियमन करना।
- विदेशी विनिमय व्यवहारों को नियंत्रित करना।

- विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना।
- विदेशों से तथा विदेशों में होने वाले भुगतानों का नियमन करना।
- भारत से पूंजी के बहिर्गमन का नियमन एवं नियंत्रण करना।
- आर्थिक कार्यक्रमों हेतु विदेशी मुद्रा की निरंतर आपूर्ति को बनाये रखना।
- अनिवासी भारतीयों के देश में रोजगार, व्यवसाय, विनियोजन, पेशा संचालन का नियमन।
- विदेशी बिलों से सम्बन्धित अनियमिताओं को रोकना।
- विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रावधानों को सरलीकृत करना।
- विदेशी व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- विदेशी विनिमय से सम्बन्धित प्रावधानों को उदार बनाना।
- अन्तर्राष्ट्रीय/बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहन देना।
- विदेशी पूंजी को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- अनिवासी भारतीयों को उद्योग, व्यवसाय आदि में निवेश हेतु प्रोत्साहन देना।
- आर्थिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के साथ प्रभावी समायोजन करना।
- विदेशी विनिमय संवर्धन।

16.3 फेमा से सम्बन्धित शब्दावली (Terminology Related to FEMA)

फेमा में उपयोग में ली जाने वाली प्रमुख शब्दावली की परिभाषाएँ निम्नानुसार है :-

न्यायिक अधिकारी/प्राधिकारी (Adjudicating authority)– न्यायिक प्राधिकारी वह अधिकारी है जिसे इस अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन अधिकृत या प्राधिकृत किया गया। [धारा 2(a)]

अपील अधिकरण (Appellate tribunal) – अपील न्यायाधिकरण या अधिकरण वह है जो विदेशी विनिमय हेतु धारा 18 के अधीन स्थापित किया गया है। [धारा (b)]

अधिकृत व्यक्ति (Authorised Person)–अधिकृत व्यक्तिसे तात्पर्य किसी ऐसे अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक, समुद्र-पार बैंकिंग इकाई या ऐसे ही किसी व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु अधिकृत किया गया है। [धारा 2(d)]

पूंजी खाता(Capital account transaction)– पूंजी खातालेन-देनसे तात्पर्य उन लेन-देन या सौदों से है जो भारत के निवासी व्यक्तियों की भारत के बाहर सम्पतियों या दायित्वों या आकस्मिक दायित्वों को परिवर्तित करता है अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों की भारत में सम्पतियों या दायित्वों का परिवर्तन करता है। इसमें वे सौदे भी सम्मिलित हैं जो धारा (6) में उल्लिखित हैं। [धारा 2(e)]

करेन्सी (Currency) – करेन्सी अथवा मुद्रा में सभी करेन्सी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्रेडिट कार्ड, तथा ऐसे ही अन्य विलेख सम्मिलित हैं जिन्हें भारत के रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। [धारा 2(h)]

करेन्सी नोट (Currencynotes) – करेन्सी नोट में बैंक नोट तथा सिक्के सम्मिलित हैं। [धारा 2(i)]

चालू खाता व्यवहार (Current account transaction) – चालू खाता व्यवहार से तात्पर्य पूंजी खाता लेन-देन के अतिरिक्त किसी व्यवहार से है जिसमें सामान्यतः निम्नांकित सम्मिलित हैं:

- (1) विदेशी व्यापार, अन्य चालू व्यवसाय या सेवा तथा व्यवसाय के साधारण संचालन के लिए अल्पकालीन बैंकिंग या साख सुविधाओं के सम्बन्ध में किया जाने वाला भुगतान।
- (2) ऋणों पर ब्याज तथा निवेशों से शुद्ध आय के रूप में किया जाने वाला भुगतान।
- (3) विदेश में निवास कर रहे माता-पिता, जीवन-साथी तथा बच्चों के रहन-सहन के खर्चों के लिए भेजा जाने वाला धन।
- (4) माता-पिता, बच्चों तथा जीवन-साथी की विदेश यात्रा, शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु व्यय। [धारा 2(j)]

निर्यात(Export) – निर्यात से आशय:

- (1) किसी भी सामान को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना; तथा
- (2) भारत के बाहर किसी व्यक्ति को भारत से सेवाओं की व्यवस्था करना। [धारा 2(l)]

विदेशी करेन्सी (Foreign currency)-विदेशी करेन्सी अथवा चल मुद्रा से आशय भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की करेंसी से है। [धारा 2(m)]

विदेशी विनिमय (Foregin exchange)- विदेशी विनिमय से तात्पर्य निम्नांकित से है:

- (1) निक्षेप/जमाएं, साख तथा शेष जो किसी भी विदेशी करेंसी में दी जानी हैं।
- (2) भारतीय मुद्रा में, भारत में लिखे गये ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख-पत्र अथवा विनिमय-विपत्र जो विदेशी करेन्सी में देय हैं।
- (3) भारत के बाहर बैंकों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा लिखे गये ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख-पत्र अथवा विनिमय पत्र जो भारतीय करेंसी में देय हैं। [धारा 2(n)]

विदेशी प्रतिभूति(Foreign security) –विदेशी प्रतिभूति से आशय किसी भी प्रतिभूति से है जो अंशो, स्कन्धों, बॉण्डों, ऋणपत्रों या अन्य किसी प्रपत्र के प्रारूप में है अथवा जो विदेशी करेन्सी में अभिव्यक्त या मूल्यांकित हैं। इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं जो विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त हैं किन्तु जिनका शोधन या उन पर किसी प्रकार का प्रतिफल जैसे ब्याज या लाभांश भारतीय मुद्रा में देय है। [धारा 2(o)]

आयात (Import) – आयात से तात्पर्य भारत में वस्तु या सेवा को लाने से है। [धारा 2(p)]

भारतीय करेन्सी (Indian currency) – भारतीय करेन्सी से आशय उस करेन्सी से है जो भारतीय मुद्रा में लिखी या अभिव्यक्त है किन्तु इसमें विशिष्ट बैंक नोट तथा विशिष्ट एक रुपये के नोट (जो रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28A के अधीन निर्गमित हैं), सम्मिलित नहीं हैं। [धारा 2(q)]

व्यक्ति (Person)- व्यक्ति में निम्नांकित शामिल हैं :

- (1) एक व्यक्ति
- (2) हिन्दू अविभाजित परिवार
- (3) कम्पनी
- (4) फर्म

- (5) व्यक्तियों का संघ एक साझेदारी अथवा संस्था, (चाहे उसका पंजीयन हुआ हो अथवा नहीं)
- (6) प्रत्येक कृत्रिम एवं विधिक व्यक्ति, जो उपयुक्त में से किसी भी संवर्ग में सम्मिलित नहीं है;
- (7) इनमें से किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व या नियन्त्रण में कोई एजेंसी कार्यालय या शाखा।
- [धारा 2(u)]

भारत में निवासी व्यक्ति – भारत में निवासी से तात्पर्य निम्नांकित से है:

- (1) जो व्यक्ति पिछले वर्ष के दौरान भारत में 182 से अधिक दिन से निवास कर रहा है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:
- (a) जो नीचे वर्णित में से किसी कारण से भारत के बाहर रह रहा है:
- (a) रोजगार के लिए; अथवा
 - (b) व्यवसाय या धंधे हेतु अथवा;
 - (c) अन्य किसी उद्देश्य के लिए किन्तु इस दशा में यह प्रकट होना चाहिए की उसका मन्तव्य अनिश्चित काल हेतु भारत के बाहर ठहरने या रहने का है।
- (B) जो निम्नांकित कारणों के अलावा किसी अन्य कारणों से भारत लोट चुका है अथवा भारत में रहता है:
- (a) किसी रोजगार के लिए; अथवा
 - (b) किसी व्यवसाय या धन्धे के संचालन हेतु; अथवा
 - (c) अन्य किसी उद्देश्य के लिए किन्तु, ऐसी दशा में यह लगना चाहिए की उसका अनिश्चित अवधि तक भारत में ठहरने या रहने का मन्तव्य है।
- (2) कोई भी व्यक्ति या कोई निगमित संस्था जिसका भारत में पंजीयन या समामेलन हुआ हो।
- (3) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन भारत के बाहर कोई कार्यालय, शाखा अथवा अभिकरण।
- (4) भारत के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन भारत में कार्यालय, शाखा या एजेंसी [धारा 2(v)]

भारत के बाहर का निवासी – भारत के बाहर निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारत में निवासी नहीं है।

[धारा 2(w)]

भारत को प्रत्यावर्तन – भारत को प्रत्यावर्तन से आशय प्राप्त की गई विदेशी विनिमय को भारत में लाने से है तथा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (1) विदेशी विनिमय को रुपये के बदले भारत में अधिकृत व्यक्ति को बेचना।
- (2) विदेशी विनिमय की राशी को रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सीमा तक भारत में अधिकृत किसी व्यक्ति के खाते में रखना।
- (3) वसूली गई राशी को विदेशी विनिमय में तय किए गये ऋण अथवा दायित्व के भुगतान में उपयोग करना। [धारा 2(y)]

प्रतिभूति – प्रतिभूति से तात्पर्य अंश, स्कन्ध, बाण्ड, ऋणपत्र, सरकारी प्रतिभूति जमा कराने की रसीदों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया या अन्य सहयोग निधि इकाईयों से है तथा इसमें प्रतिभूतियों के स्वामित्व के प्रमाणपत्र भी शामिल हैं। किन्तु, विनिमय-पत्र या प्रतिज्ञा-पत्र (भारत सरकार के प्रतिज्ञा-पत्रों को छोड़कर) अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रपत्र प्रतिभूतियों में शामिल नहीं होगा।

[धारा 2(za)]

सेवा- सेवा से तात्पर्य किसी प्रकार की सेवाओं से है जो भावी उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जाती हैं। इसमें बैंकिंग, वित्तीय, बीमा, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, चिट फंड, भू-सम्पदा, परिवहन, अभिक्रिया, विधुत अथवा अन्य उर्जा की पूर्ति, भोजन, आवास अथवा दोनों, आवास निर्माण, मनोरंजन, सूचनाएं तथा समाचार प्रदान करने से सम्बन्धित सुविधाएं सम्मिलित हैं। किन्तु निःशुल्क सेवाओं तथा व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं को इनमें नहीं रखा जाता है। [धारा 2(zb)]

अंतरण- इसके अंतर्गत विक्रय, क्रय, विनिमय, बंधक, गिरवी, भेंट, ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार से अधिकार, स्वत्व, ग्रहणाधिकारी का अंतरण शामिल है। [धारा 2(ze)]

16.4 फेमा की विशेषताएं (Features of FEMA)

फेमा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- यह अधिनियम पूर्ववर्ती 'फेरा' अधिनियम की तुलना में अधिक उदार है। कठोर प्रावधान के साथ फेरा 1973 में तब लागू किया गया था जब देश में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी।
- इस अधिनियम के अनुसार भारत देश में निवास कर चुका कोई भी व्यक्ति यदि भारत के बाहर का निवासी बन जाता है तो भी वह उन अंशों, प्रतिभूतियों व सम्पत्तियों को अपने पास रख सकेगा जो उसने भारत में रहने के दौरान प्राप्त की थी।
- 'फेरा' में सिद्ध करने का दायित्व आरोपी का था किन्तु 'फेरा' में यह दायित्व प्रवर्तन अभिकरण का होगा।
- फेमा में सम्मिलित 'सनसेट फेरा' के अनुसार फेरा के लम्बित प्रकरण दो वर्ष में समाप्त हो जाने का उल्लेख है।
- फेमा में सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत किया गया है की वे आवश्यक परामर्श कर चालू खाते के लेन-देन पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूंजी खाते में व्यवहार हेतु विदेशी मुद्रा निकलवाने की उचित सीमा भी निर्धारित की जा सकेगी।
- इस अधिनियम में सरकार को अधिकृत किया गया है की वह आवश्यक होने पर फेमा के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन को रोक दे अथवा आवश्यक हो तो पूरे ही अधिनियम के क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए निलम्बित कर दे।

16.5 विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबंध के सम्बन्ध में फेमा के प्रावधान (Provision of FEMA related with Foreign Exchange Regulation and Management)

विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (फेमा) में विदेशी विनिमय सम्बन्धी गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. **विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूतियों के लेन-देन सम्बन्धी प्रावधान (धारा 3)-** इन प्रावधानों के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है की कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति या स्वीकृति के बिना विदेशी विनिमय या प्रतिभूतियों से सम्बन्धित लेन-देन नहीं करेगा। फेमा के द्वारा इस हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गए हैं-
 - कोई भी व्यक्ति जिसे अधिकृत नहीं किया गया है, किसी विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति का न तो हस्तांतरण करेगा और न ही उस व्यक्ति के साथ इससे सम्बन्धित कोई व्यवहार करेगा। [धारा 3(a)]
 - किसी भी अनिवासी भारतीय को किसी भी रूप में कोई भुगतान नहीं किया जा सकेगा तथा किसी अनिवासी भारतीय, जो भारत के बाहर स्थित है की साख हेतु किसी भी रूप में भुगतान नहीं करेगा। [धारा 3(b)]
 - अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में अनिवासी भारतीय जो भारत में निवास नहीं करता है के आदेश से अथवा उनकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा। [धारा 3(c)]
 - किसी भी वित्तीय व्यवहार में शामिल नहीं होगा, जिसके द्वारा ऐसे भारत के बाहर किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण, निर्माण अथवा अधिग्रहण होता हो। [धारा 3(d)]
 - वित्तीय लेन-देन से आशय किसी भी व्यक्ति की ओर से अथवा आदेश से या उसकी साख के लिए कोई भी भुगतान प्राप्त करना अथवा किसी विनिमय-पत्र या प्रतिज्ञा-पत्र का आहरण, निर्गमन या विनिमय करना अथवा किसी प्रतिभूति का हस्तांतरण करना अथवा किसी ऋण की रसीद देना। [धारा 3(d)]
2. **विदेशी विनिमय को धारित करने सम्बन्धी प्रावधान [धारा 4]** – फेमा के प्रावधानों को छोड़कर भारत के निवासी कोई भी व्यक्ति देश से बाहर किसी विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति या अन्य अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण रखने, स्वामित्व रखने अथवा हस्तांतरण का उपयोग नहीं करेगा। इससे सम्बन्धित अपवाद इस अधिनियम की धारा 9 में बताए गये हैं।
3. **चालू खाते के लेन-देन सम्बन्धी प्रावधान [धारा 5]** – धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा का बेचान कर सकता है अथवा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है, यदि ऐसा विक्रय या आहरण चालू खाते के लेन-देन हो। लेकिन केन्द्रीय सरकार जनहित में जब उचित समझे तो भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर चालू खाते का लेन-देन पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है।
4. **पूंजी खाते के लेन-देन सम्बन्धी प्रावधान [धारा 6]** – फेमा की धारा 6 में पूंजी खाते के लेन-देन से सम्बन्धित प्रावधान को स्पष्ट किये गये हैं। धारा 6 की उपधारा (2) के अनुरूप पूंजी खाते के लेन-देन के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को अथवा उससे किसी विदेशी विनिमय का विक्रय या आहरण कर सकता है। सामान्यतः पूंजी लेन-देनों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

- रिजर्व बैंक फेमा की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार से परामर्श निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है-
- किसी श्रेणी या श्रेणियों के पूंजी खाते के लेनदेन जो अनुमति योग्य हैं।
- ऐसे लेन-देनो के लिए विदेशी विनिमय की सीमा का निर्धारण कर सकता है।
किन्तु, रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय के उन आहरणों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाएगा जिनका भुगतान ऋणों के परिशोधन हेतु देय है अथवा विनियोगो पर हास के रूप में देय है।

बिना किसी पूर्वाग्रह के इस अधिनियम अर्थात फेमा की उपधारा (2) को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक निम्नलिखित के नियमन, निषेध या प्रतिबन्ध के बारे में प्रावधान बना सकता है-

- भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति के हस्तांतरण अथवा निर्गमन पर।
- अनिवासी भारतीय व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी शाखा, कार्यालय अथवा एजेंसी द्वारा किसी प्रतिभूति या विदेशी प्रतिभूति के हस्तांतरण या निर्गमन पर।
- किसी भी रूप एवं नाम से विदेशी विनिमय को उधार लेने या उधार देने के सम्बन्ध में।
- भारतीय निवासी तथा अनिवासी के मध्य किसी रूप से एवं किसी भी नाम से रुपया उधार लेने देने पर।
- भारत के निवासी व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों के मध्य निक्षेपों पर।
- प्रचलित मुद्रा या प्रचलित मुद्रा नोटों के आयात-निर्यात पर।
- भारतीय निवासी द्वारा भारत के बाहर अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर, किन्तु इसमें अचल सम्पत्ति को पांचवर्षों की अवधि तक पट्टे पर देना सम्मिलित नहीं है।
- अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण या हस्तांतरण पर। किन्तु इसमें अचल सम्पत्ति को पांच वर्ष तक पट्टे पर देना सम्मिलित नहीं है।

किसी ऋण दायित्व अथवा किसी अन्य दायित्व हेतु गारण्टी अथवा जमानत देने पर जो की-

- (1) भारत के निवासी द्वारा अनिवासी भारतीय देय को दायित्व के सम्बन्ध में दी गई हो, अथवा
- (2) अनिवासी भारतीय व्यक्ति द्वारा दी गई हो।

एक भारतीय निवासी भारत से बाहर विदेशी प्रचलित मुद्रा, प्रतिभूति अथवा अचल सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है, इस पर स्वामित्व स्थापित कर सकता है, उसका हस्तांतरण कर सकता है, तथा उसमे विनियोग कर सकता है।

किन्तु वह प्रचलित मुद्रा, प्रतिभूति अथवा अचल सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा तब अधिग्रहित की गई हो, ग्रहण की गई हो, अथवा उसका स्वामित्व ऐसे व्यक्ति के पास होने पर जो उस समय अनिवासी भारतीय था अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया होजो उस समय अनिवासी भारतीय था।

एक व्यक्ति, जो अनिवासी भारतीय है, भारतीय प्रचलित मुद्रा, प्रतिभूति तथा भारत में स्थित अचल सम्पत्ति को ग्रहण कर सकता है, उस पर स्वामित्व स्थापित कर सकता है उसका हस्तांतरण कर सकता है अथवा विनियोग कर सकता है।

किन्तु वह भारतीय प्रचलित मुद्रा, प्रतिभूति या अचल सम्पति, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित की गई है या ग्रहण की गई है जो उस समय भारत में निवासी था या ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की गयी है जो उस समय भारत में निवासी था। [धारा 6(5)]

इस धारा में वर्णित प्रावधानों के बाहर न जाते हुए, रिजर्व बैंक नियम बनाकर या निषेध द्वारा, अनिवासी भारतीय पर किसी भी कार्यालय, शाखा अथवा अन्य व्यवसाय स्थलों को निषेधित कर सकता है, उन पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, अथवा उनका नियमन कर सकता है।

5. **माल तथा सेवाओं के निर्यात सम्बन्धी प्रावधान [धारा 7]**- फेमा की धारा 7 के अंतर्गत माल तथा सेवाओं के निर्यात सम्बन्धी प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान निम्नानुसार हैं:

माल या वस्तु के प्रत्येक निर्यातक का यह कर्तव्य होगा कि-

- **सम्बन्धित विवरण एवं तथ्यों की घोषणा करे** - प्रत्येक निर्यातक का कर्तव्य है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र में तथा विधि से जो निर्यात से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं निर्यात किए जाने वाले माल का मूल्य तथा यदि माल का मूल्य निर्यात के समय तक निर्धारित नहीं किया गया है तो बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित मूल्य, जो उस माल से विदेशी बाजार में प्राप्ति की आशा हो।
 - **रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित सूचनाएं**- वे सभी आवश्यक सूचनाएं जो रिजर्व बैंक को अपेक्षित है प्रदान करेगा, जिनकी आवश्यकता रिजर्व बैंक को हो सकती है तथा जिसके आधार पर रिजर्व बैंक को निर्यात प्रक्रिया के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन का विश्वास हो सके।
 - **रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश देने का अधिकार**- रिजर्व बैंक किसी भी निर्यातक को जबवह उचित समझता है, निर्देश दे सकता है कि निर्यातक बिना विलम्ब के रिजर्व बैंक को यह विश्वास दिलाए कि निर्यातक माल का पूर्ण निर्यात मूल्य या रिजर्व बैंक द्वारा कम किया मूल्य बिना किसी विलम्ब के अर्जित कर लेगा। [धारा 7(2)]
 - **सेवाओं के निर्यातक की घोषणा**- सेवाओं के निर्यातक से सम्बन्धित प्रत्येक निर्यातक का यह कर्तव्य है कि रिजर्व बैंक या अन्य ऐसे अधिकारी के समक्ष उस विधि से व प्रारूप में, जो निर्धारित किया गया है में सेवाओं के भुगतान से सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण घोषणा करेगा। [धारा 7(3)]
6. **विदेशी विनिमय की वसूली एवं प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रावधान**- फेमा की धारा 8 के अनुसार यदि इस अधिनियम में कोई विपरीत प्रावधान नहीं किया गया है तो भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति को देय अथवा उपार्जित विदेशी विनिमय की राशि की वसूली तथा उसे वापिस भारत भेजने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं विधि सम्बन्धी सभी कदम उठायेगा।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किन उद्देश्यों के लिए निवासी भारतीय विदेशी मुद्रा खरीद सकता है?
- (2) अपने निकट सम्बन्धी से एक व्यक्ति विदेशी मुद्रा में कितना ऋण ले सकता है?

16.6 विदेशी विनिमय वसूली एवं प्रत्यावर्तन प्रावधानों से छूट (Exemption provision from realization and repatriation of foreign exchange)

फेमा की धारा 9 उन दशाओं का वर्णन करती है जो धारा 4 एवं धारा 8 के प्रावधानों से छूट सम्बन्धी हैं। ये निम्नलिखित हैं-

1. यदि भारत का निवासी व्यक्ति निर्धारित सीमा तक विदेशी प्रचलित मुद्रा या विदेशी प्रचलित मुद्रा या सिक्के रखता है, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई है।
2. यदि व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रचलित मुद्रा में खाता खोला गया है या पहले से खुला हुआ है, किन्तु वह उस सीमा तक है, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित है।
3. यदि रिजर्व बैंक की विशेष अथवा सामान्य अनुमति से कोई व्यक्ति भारत के बाहर 8 जुलाई, 1947 से पहले से ही विदेशी विनिमय का धारक है या उसने उसे प्राप्त की है या उस विदेशी विनिमय या किसी अन्य आय को प्राप्त या अर्जित किया है तथा वह आय अभी भारत में नहीं लाई गई है।
4. यदि भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा उपहार या उतराधिकारी के अधीन विदेशी विनिमय में प्राप्त की गई आय या उस पर अर्जित अन्य आय जो उस सीमा के भीतर है, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित है।
5. यदि कोई व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, धन्धे सेवा मानदेय उपहार या अन्य किसी वैधानिक तरीके से विदेशी विनिमय उस सीमा तक प्राप्त करता है, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित है।
6. विदेशी विनिमय में वे अन्य प्राप्तियां जिन्हें रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे।

16.7 अधिकृत व्यक्ति (Authorised person)

फेमा की धारा 2(c) के अनुसार, अधिकृत व्यक्ति से आशय किसी ऐसे अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक, समुद्र पार बैंकिंग इकाई या अन्य किसी व्यक्ति से है जो फेमा की धारा 10(1) के अंतर्गत विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए अधिकृत किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 10 के द्वारा रिजर्व बैंक को अधिकृत किया गया है कि वह विदेशी विनिमय एवं विदेशी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए व्यक्तियों को अधिकृत करे। अधिकृत करते समय रिजर्व बैंक आवश्यक शर्तों का भी उल्लेख कर सकता है। इन शर्तों की अवहेलना किये जाने पर जनहित में रिजर्व बैंक उसकी अधिकृत हैसियत को समाप्त कर सकता है।

- रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत करना- रिजर्व बैंक के पास किसी भी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर उसे अधिकृत किया जा सकता है। अर्थात् उसे मुद्रा परिवर्तक के रूप में, समुद्र पार बैंकिंग के रूप में, विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए अधिकृत किया जा सकता है। [धारा 10(1)]
- लिखित एवं सशर्त – रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के रूप में माने जाने का अधिकार लिखित में देगा। यह अधिकार पत्र उन शर्तों के अंतर्गत होगा जो अधिकार पत्र में दी गई हैं। [धारा 10(2)]
- अधिकार पत्र का खण्डन – रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई अधिकृत को कभी भी समाप्त किया जा सकता है यदि रिजर्व बैंक इस हेतु संतुष्ट हो जाए कि –
 - ऐसा करना जनहित में है अथवा

- अधिकृत व्यक्ति उन शर्तों का पालन करने में असफल रहा है जिन शर्तों के अंतर्गत उसे अधिकृत किया गया था। [धारा 10(3)]

इसके साथ ही किसी भी अधिकृत व्यक्ति को वाक्यांश (ब) में वर्णित आधार पर तब तक खण्डित या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए उचित समय प्रदान नहीं कर दिया गया है। [धारा 10(3)]

- रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत व्यापार – अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवहार का दायित्व लेने से पूर्व ऐसी सभी सूचनाएं प्राप्त की जाएगी जिससे कि रिजर्व बैंक स्वयं को संतुष्ट कर सके कि किए गए व्यवहार से इस अधिनियम, नियम, नियमन, अधिसूचना, निर्देश या आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। यदि सम्बन्धित व्यक्ति रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को देने से मना करता है अथवा उसके द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक है तो इस दशा में मामले को अधिकृत व्यक्ति रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। [धारा 10(5)]
- विदेशी विनिमय का घोषित उद्देश्यों के लिए उपयोग न करने पर अधिनियम का उल्लंघन मानना – अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यदि विदेशी विनिमय ग्रहण करता है या क्रय करता है तथा इस सम्बन्ध में वह अधिकृत व्यक्ति के समक्ष धारा 10 उपधारा (5) के अंतर्गत विदेशी विनिमय का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता, जो उसने घोषित नहीं किए हैं।

इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति इस प्रकार से प्राप्त या क्रय किए गए विदेशी विनिमय का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए भी नहीं कर सकता, जो इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या विनियमों या निर्देशों या आदेशों से मेल नहीं खाते। यदि वह ऐसा करता है तो माना जाएगा की उसने इस अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है। [धारा 10 (6)]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निर्देश देने की शक्तियाँ (Powers of RBI to Issue Direction to Authorised Person) (धारा 11)

फेमा की धारा 11 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है-

- **कोई भुगतान या कार्य करने या छोड़ देने की शक्ति-** रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा वर्णित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं इसके अधीन जारी किये गए आदेशों की पालना के लिए अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी विनिमय से सम्बन्धित कोई भुगतान करने या नहीं करने का निर्देश दे सकता। [धारा 11(1)]
- **सूचना उपलब्ध करने के लिए निर्देश देने की शक्ति-** रिजर्व बैंक इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा इसमें वर्णित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं अथवा इसके अधीन जारी किए गए आदेशों की पालना के लिए अधिकृत व्यक्ति को वे सूचनाएँ देने का निदेश दे सकता है जो वह उचित व न्याय संगत समझे। [धारा 11(2)]
- **अर्थदंड देने की शक्ति-** जब कोई अधिकृत व्यक्ति रिजर्व बैंक द्वारा फेरा के अधीन दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करता है अथवा रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रतिवेदन फाइल करने में असमर्थ रहता है तो इस दशा में रिजर्व बैंक सम्बन्धित अधिकृत व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् दण्डित कर सकता है जो 10,000 रुपए तक हो सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दण्ड लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों के माध्यम से रिजर्व बैंक को उसके द्वारा जारी आदेशों का पालन न होने पर दण्ड देने की शक्तियाँ दी गई हैं। [धारा 11(3)]

रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण की शक्तियाँ

फेमा की धारा 12 के में यह प्रावधान किया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के दौरान सभी सहयोग करना होगा।

फेमा की धारा 12 (1) के द्वारा रिजर्व बैंक किसी भी समय अपने किसी भी अधिकारी को लिखित रूप में अधिकृत कर अधिकृत व्यक्ति के व्यवसाय का निरीक्षण करवा सकता है, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है। ऐसा निरीक्षण निम्नउद्देश्यों के लिए किया जाता है:

- (1) रिजर्व बैंक के समक्ष दिए गए वक्तव्य, सूचना या विवरणों के सत्यापन करने के लिए तथा किसी भी ऐसी सूचना या विवरण की प्राप्ति के लिए जिसे पूर्व में माँगा गया था, किन्तु अधिकृत व्यक्ति उस समय सूचनाओं को देने में असमर्थ रहा था।
 - (2) फेमा के या इसके किसी नियम, निर्देशों या आदेशों की पालना के लिए।
- अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण में सहयोग का कर्तव्य – फेमा की धारा 12(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि, अधिकृत व्यक्ति एवं जहाँ ऐसा व्यक्ति कंपनी अथवा फर्म है तो उसके प्रत्येक निवेशक, साझेदार या उस कंपनी अथवा फर्म के अन्य अधिकारी जो भी स्थित हो, का कर्तव्य है कि वह उपधारा (1) के अंतर्गत निरीक्षण के लिए अधिकारी द्वारा माँग किए जाने पर ऐसी पुस्तकें, खाते तथा अन्य प्रपत्रों, जो उसके अधिकार में है तथा कंपनी या फर्म के कार्य से सम्बन्धित कोई विवरण उस प्रारूप में तथा उस अवधि के भीतर प्रस्तुत करे जो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तय किये जाए।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

निम्न से आप क्या समझते हैं -

- (1) पूंजी खाता व्यवहार
- (2) प्रचलित मुद्रा
- (3) चालू खाता व्यवहार

16.8 उल्लंघन एवं दंड (Contravention and Penalties)

इस अधिनियम की धारा 13 फेमा की व्यवस्थाओं के उल्लंघन से सम्बन्धित है तथा यह एक दीवानी अपराध है। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किये गए निर्देशों एवं आदेशों के उल्लंघन की दशा में दण्ड का प्रावधान किया गया है, जो इस निम्नानुसार है-

- **न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जुर्माने की दशाएँ** – धारा 13(1) के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी निम्न दशाओं में जुर्माना कर सकता है-
 - (1) यदि कोई व्यक्ति फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
 - (2) यदि कोई व्यक्ति फेमा के किसी नियम, विनियम या जारी की गई अधिसूचना, दिए गये आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करता है।
 - (3) यदि कोई अधिकृत व्यक्ति रिजर्व बैंक के अधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है। [धारा 13(1)]
- **जुर्माने की राशि**- जब कोई व्यक्ति जारी किए गए आदेशों या रिजर्व बैंक की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसने जितनी राशि के सम्बन्ध में उल्लंघन किया है, तथावह राशि मापने योग्य है तो उस राशि का तीन गुणा तथा

जब राशि मापन योग्य नहीं है तो उसे दो लाख रुपए तक दण्ड दिया जा सकता है। जब दण्ड निर्धारण के पश्चात भी उल्लंघन जारी रहता है तो प्रथम तीन दिन को छोड़कर, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के हिसाब से दण्ड निर्धारित किया जाएगा। यह प्रतिदिन की दर से पांच हजार रुपए तक दिया जाता है।

- **करेंसी प्रतिभूति या सम्पत्ति का अधिग्रहण-** कोई भी अधिकारी जो उपधारा(1) के अंतर्गत किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में निर्णायक कार्यवाही कर रहा है के उचित समझने पर उल्लंघन के बारे में निर्धारित किए जाने वाले दण्ड के अतिरिक्त निर्देश दे सकता है कि जिस विदेशी प्रचलित मुद्रा, प्रतिभूति या कोई अन्य मुद्रा या सम्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है उसका केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए। जिस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, उसको विदेशी विनिमय के अंतर्गत पूर्ण या आंशिक रूप से भारत वापस लाने अथवा भारत के बाहर रहने दिया जाए।

16.9 न्यायिक अधिकारी के आदेश का प्रवर्तन (Enforcement of Order of Adjudicating Authority)

इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त न्यायिक अधिकारी के आदेश के प्रवर्तन सम्बन्धी प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **जुर्माना राशि जमा न करने पर कारावास-** यदि न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति पर धारा 13 के अंतर्गत उल्लंघन के लिए जुर्माना किया गया है तथा वह जुर्माने का नोटिस प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है। [धारा 14(1)]
- **गिरफ्तारी से पूर्व कारण बताओ नोटिस –** न्यायिक अधिकारी द्वारा दोषी पक्षकार को गिरफ्तार करने तथा उसे सिविल कारावास में रोके रखने का आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसने दोषी पक्षकार को अपने समक्ष नोटिस में वर्णित तिथि को अपील करने का नोटिस जारी न कर दिया हो। उस नोटिस में यह भी वर्णित हो कि दोषी पक्षकार कारण बताए कि क्यों न उसे सिविल कारावास में रखा जाए। [धारा 14(2)]
- **गिरफ्तारी का वारंट-** उक्त प्रावधानों के होते हुए भी न्यायिक अधिकारी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, बशर्ते न्यायिक अधिकारी शपथ पत्र या किसी अन्य रूप में सन्तुष्ट हो जाए कि दण्ड प्रमाण पत्र को लागू करने में देरी करने हेतु दोषी व्यक्ति फरार हो सकता है या न्यायिक अधिकारी के स्थानीय क्षेत्रधिकार की सीमा के बाहर जा सकता है। [धारा 14(3)]
- **उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट-** धारा 14(1) के अधीन जारी एवं दिए गये नोटिस के अंतर्गत दोषी पक्षकार के उपस्थित न होने पर न्यायिक अधिकारी उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। [धारा 14(4)]
- **अन्य न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट निष्पादित कराने की शक्ति-** एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को उस न्यायिक अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में वह दोषी व्यक्ति पाया जाए। [धारा 14(5)]
- **गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को न्यायिक अधिकारी के समक्ष लाना-** जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का पालन करने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को उस न्यायिक अधिकारी के समक्ष जिसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है शीघ्रताशीघ्र तथा गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु इसमें यात्रा के दौरान लगा समय सम्मिलित नहीं है।

- जब दोषी पक्षकार वारंट में उल्लेखित धनराशि का भुगतान कर देता है तथा उसे गिरफ्तार करने से सम्बन्धित अभिकरण को अपनी गिरफ्तारी से सम्बन्धित व्यय का भुगतान कर देता है तो उक्त अधिकारी द्वारा उसे तुरंत मुक्त कर दिया जायेगा। [धारा 14(6)]
- **दोषी व्यक्ति को अवसर-** जब दोषी पक्षकार, न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसे उन कारणों को बताना चाहिए, जिसके आधार पर उसे सिविल कारावास की सजा दी जानी है। [धारा 14(7)]
- जिस व्यक्ति के विरुद्ध जाँच लम्बित है, उसे अभिरक्षा में रखना- न्यायिक अधिकारी जाँच पूरी होने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोषी पक्षकार को किसी ऐसे अधिकारी की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे या वह अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी पक्षकार को जब भी बुलाया जाएगा, वह उपस्थित हो जाएगा, तो उसे छोड़ा जा सकता है। [धारा 14(8)]
दोषी पक्षकार को बकाया राशि के भुगतान का अवसर देने के पश्चात न्यायिक अधिकारी उसे कारावास भेजने का आदेश देने से पूर्व जिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है, उसकी हिरासत में अथवा किसी अन्य अधिकारी की हिरासत में एक निर्धारित अवधि तक, (जो पन्द्रह दिन से ज्यादा नहीं होगी) भेज सकता है। यदि न्यायिक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी व्यक्ति निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर निर्धारित अवधि के बाद स्वयं ही उपस्थित हो जाएगा तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। [धारा 14(9) का परन्तुक]
दोषी व्यक्ति को छोड़ना- जब उपधारा 9 के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी कारावास की सजा नहीं देता है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है।
- **कारावास की अवधि-** प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रमाण-पत्र का निष्पादन करने हेतु सिविल कारावास में रखा गया है तो उसे दी गयी सजा के आधार पर कारावास में रखा जा सकता है, यदि-
 - प्रमाण-पत्र में एक करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है तो तीन वर्ष तक, तथा
 - किसी अन्य मामले में छः माह तक।
 यदि दोषी पक्षकार सिविल कारावास के कार्यकारी अधिकारी को वारंट में वर्णित राशि का भुगतान कर देता है तो उसे कारावास से रिहा किया जा सकता है।
- **रिहाई, बकाया राशि के भुगतान से मुक्ति नहीं-** दोषी पक्षकार, जिसे इस धारा के अधीन कारावास से रिहा किया गया है बकाया राशि के भुगतान के दायित्व से केवल इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकता है कि उसे रिहा कर दिया गया है। किन्तु जब उसे प्रमाण-पत्र के निष्पादन हेतु कारावास भेजा गया था तो उसे इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- **गिरफ्तारी आदेश का क्रियान्वयन-** गिरफ्तारी आदेश का क्रियान्वयन भारत में कहीं भी अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 में वर्णित विधि द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है।

उल्लंघन के शमन अथवा समझोते की शक्ति (Power of Compound Contravention)

फेमा की धारा १३ के अधीन किए गए उल्लंघन को स्वीकार करते हुए यदि उल्लंघन करने हेतु दोषी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र देता है तो ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के १८० दिनों के भीतर प्रवर्तन निदेशक या प्रवर्तन निदेशालय का अन्य अधिकारी या रिजर्व बैंक के अधिकारी, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विधि से उस प्रार्थना-पत्र पर विचार करके उल्लंघन का समझोता द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा। [धारा 15(1)]

उपरोक्त वर्णित विधि से उल्लंघन का समझोता कर लेने के बाद न तो उस पर कोई कार्यवाही होगी एवं न ही कोई आगामी प्रक्रिया जारी रहेगी।

न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of Adjudicating Authority)

फेमा की धारा 16 में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

1. **नियुक्ति-** केंद्रीय सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर अपने अधिकारियों में से जितने आवश्यक हो उतने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। [धारा 16(1)]
2. **कार्य-** केंद्रीय सरकार द्वारा न्यायिक प्राधिकारियों की नियुक्ति निम्नांकित कार्यों के लिए की जाती है:
 - फेमा की धारा 13 के अनुरूप उल्लंघन हेतु आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध निर्धारित आवश्यक जाँच करने हेतु।
 - आरोपित पक्षकार या व्यक्ति पर जुर्माना करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए।
 - जब किसी न्यायिक अधिकारी को ऐसा लगे कि कोई दोषी व्यक्ति, लगाये जाने वाले जुर्माने से बचने का प्रयास करेगा या भाग जाएगा तो इस दशा में ऐसे व्यक्ति से उन शर्तों के अंतर्गत बांड या जमानत मांगने के लिए जो बह उचित समझे।
 - क्षेत्राधिकार- न्यायिक प्राधिकारियों का कार्यक्षेत्र केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित करके निर्धारित करेगी।
 - लिखित शिकायत- केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी लिखित शिकायत प्राप्त होने पर ही न्यायिक जाँच करने हेतु अधिकृत होगा।
 - शिकायत प्रस्तुति- अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत स्वयं अथवा वकील अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से की जा सकती है।
 - न्यायिक अधिकारी की शक्तियाँ- प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को सिविल न्यायालय के अनुरूप वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरण को धारा 28(2) के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। ये निम्नानुसार हैं:
 - न्यायिक अधिकारी के समक्ष की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 तथा धारा 228 के अधीन न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगा।
 - अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायिक प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
- 3 **शिकायत का निपटारा-** प्रत्येक न्यायिक प्राधिकारी यथा संभव शिकायत का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करेगा तथा यथासंभव शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसका निपटारा कर देगा।
किन्तु जब शिकायत का निर्धारण एक वर्ष के भीतर नहीं किया जा सके तो न्यायिक अधिकारी को एक निश्चित समय अन्तराल में लिखित रूप में शिकायत का निपटारा न होने के कारणों को दर्ज करना पड़ेगा।

विशेष निदेशक (अपील्स) को अपील

इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रावधान है कि न्यायिक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसकी सुनवाई के लिए विशेष निदेशक (अपील्स) की नियुक्ति एवं तत्संबंधी प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. **निदेशक की नियुक्ति-** केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर एक या अधिक विशेष निदेशकों (अपील) की नियुक्ति कर सकेगी तथा मामलों तथा स्थानों का निर्धारण करेगी जहाँ वह अपने-अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति का उद्देश्य न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई करना है।

2. **अपील का अधिकार-** यदि कोई व्यक्ति सहायक निदेशक प्रवर्तन या उप निदेशक प्रवर्तन द्वारा दिए गए निर्णय से पीड़ित महसूस करता है तो वह इस सम्बन्ध में विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
3. **अपील की अवधि-** न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्रति-प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर पीड़ित पक्षकार अपील कर सकता है। इस प्रकार की जाने वाली अपील निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित रीति से (सत्यापित एवं निर्धारित शुल्क के साथ) प्रस्तुत की जायेगी।
विशेष निदेशक उचित समझे तो अपील की अवधि (45 दिनों) के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकता है। इस हेतु उसे इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि देरी से अपील करने के उचित व पर्याप्त कारण थे।
4. **विशेष निदेशक द्वारा आदेश-** अपील प्राप्त होने के पश्चात् विशेष निदेशक (अपील) सम्बंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् पहले वाले निर्णय मानने को सही ठहरा सकता है अथवा जैसा उचित समझे निर्णय दे सकता है।
5. **आदेश की प्रति-** विशेष निदेशक अपने द्वारा जारी किए गए प्रत्येक निर्णय की प्राप्ति अपील से सम्बंधित पक्षकारों तथा सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों को भिजवाएगा।
6. **शक्तियाँ-** विशेष निदेशक (अपील) को दीवानी न्यायालयों के समान वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अपील न्यायाधिकरण को धारा 28(2) के अंतर्गत प्राप्त हैं यथा :

- उसके समक्ष की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 तथा धारा 228 के अंतर्गत कार्यवाही माना जाएगा।
- अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष निदेशक (अपील) को दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

16.10 अपील न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal)

इस अधिनियम में अपील अधिकरणकी स्थापना का प्रावधान है जो निम्न प्रकार है-

1. **स्थापना-** इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार अपील न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी जिसे विदेशी विनिमय अपील न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाएगा तथा वह न्यायिक अधिकारी तथा विशेष निदेशक (अपील) द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर की गई अपील की सुनवाई करेगा। [धारा 18]
2. **अपील का अधिकार-** फेमा प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो न्यायिक प्राधिकरण अथवा विशेष निदेशक(अपील) के आदेश से पीड़ित है तो वह अपील न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है। [धारा 19(1)]
किन्तु जब कोई व्यक्ति या पक्षकार न्यायिक प्राधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) के निर्णय के विरुद्ध अपील करता है, जिसके द्वारा कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया है तो उस व्यक्ति को अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करते समय उस राशि को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पक्षकार के पास जामा करवानी होगी। [धारा 19(1) का प्रथम परन्तुक]
जब अपील न्यायाधिकरण किसी मामले में यह मत रखता हो कि अपील के समय जुर्माना राशि जमा करवाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो, इस दशा में अपील न्यायाधिकरण जुर्माने की राशि जामा कराने से मुक्ति दे सकता है। लेकिन

न्यायाधिकरण को मुक्त किए जाने के समय यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में वसूली की सुरक्षा के लिए वे सभी शर्तें लगानी होंगी कि वसूली हो सके। [धारा 19(1) का दिव्तीय परन्तुक]

3. **अपील हेतु अवधि-** पीड़ित पक्षकार अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर कर सकेगा। साथ ही नियमानुसार निर्धारित शुल्क भी जमा कराएगा। [धारा 19(2)]
किन्तु अपील न्यायाधिकरण अपील को 45 दिन के पश्चात् भी स्वीकार कर सकता है यदि वह इसके लिए दिए गए कारणों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। [धारा 19(2) का परन्तुक]
4. **आदेश जारी करना-** अधिकरण अपील प्राप्ति के पश्चात् अपीलकर्ता पक्षकारों को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा व सुनवाई के पश्चात् जो भी निर्णय होगा उसे सम्बंधित पक्षकारों को जारी करेगा। [धारा 19(3)]
5. **आदेश की प्रति भिजवाना-** अपील न्यायाधिकरण द्वारा आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित न्यायिक प्राधिकारी एवं अपील से सम्बंधित पक्षकारों को भिजवाएगा। [धारा 19(4)]
6. **अपील का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र-** अपील न्यायाधिकरण अपील के पश्चात् यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करेगा। वह इस बात का प्रयास करेगा कि अपील का अंतिम रूप से निपटारा 180 दिनों के भीतर कर दिया जाए। [धारा 19(5)]
जब अपील को निपटारा 180 दिनों भी नहीं हो पाता तो अपील न्यायाधिकरण इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।
7. **न्यायिक प्राधिकारी के आदेश का परीक्षण-** अपील न्यायाधिकरण उचित समझोते न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की गहनता से जांच कर सकता है। यह परीक्षण उसके द्वारा दिए गए निर्णय की वैधानिकता, सत्यता, आधार व ओचित्य को परखने के लिए किया जाएगा। यह परीक्षण स्वतः संज्ञान लेकर या किसी पक्षकार के कहने पर किया जा सकता है तथा निर्णय से सम्बंधित समस्त कार्यवाही का अभिलेख भी मांग सकता है जैसा वह उचित समझे तदनु रूप आदेश दे सकता है। [धारा 19(6)]

अपील न्यायाधिकरण का गठन (Composition of Appellate Tribunals) (धारा 20)

अपील न्यायाधिकरण का गठन निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा:

- अध्यक्ष- अपील न्यायाधिकरण का एक अध्यक्ष होगा।
- सदस्य- अपील न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी केंद्रीय सरकार उचित समझे। [धारा 20(1)]
- क्षेत्राधिकार- अपील न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का निर्णय खंड-पीठों के आधार पर किया जा सकता है।
- पीठ का गठन- अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पीठ का गठन एक या अधिक सदस्यों के साथ किया जा सकता है।
- पीठों का स्थान- अपील न्यायाधिकरण की खंड-पीठें सामान्यतया नई दिल्ली एवं उन स्थानों पर बैठकर अपने कार्यों का सम्पादन करेगी जहाँ केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष से उचित परामर्श कर अधिसूचना जारी करे। [धारा 20(2)]
- सदस्य का स्थानान्तरण- अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी भी सदस्य का एक खंड-पीठ से किसी दूसरी खंड-पीठ में स्थानान्तरण कर सकता है। [धारा 20(3)]
- मामले की सुनवाई के समय यदि प्रतीत हो- यदि किसी मामले की सुनवाई करते समय अध्यक्ष या सदस्य को ऐसा लगे कि उस मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसकी सुनवाई किसी ऐसी खंड-पीठ के समक्ष होनी चाहिए जो

दो सदस्यों से युक्त हो तो अध्यक्ष उस मामले को किसी ऐसी खंड-पीठ के समक्ष हस्तांतरित कर सकता है। [धारा 20(4)]

अध्यक्ष, सदस्य तथा विशेष निदेशक (अपील) सम्बन्धी प्रावधान (धारा 21)

1. **योग्यता सम्बन्धी प्रावधान-** अध्यक्ष, सदस्य तथा विशेष निदेशक(अपील) की नियुक्ति की योग्यता से सम्बंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं-
 - (i) **अध्यक्ष की योग्यता** – एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, रहा हो या वह न्यायाधीश उच्च न्यायालय के समान योग्यताएँ रखता हो। [धारा 21(1)]
 - (ii) **सदस्य की योग्यताएँ-** एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा यदि वह जिला न्यायाधीश के पद पर है या रहा है अथवा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएँ रखता है। [धारा 21(1)]
2. **विशेष निदेशक (अपील) की योग्यताएँ-** एक व्यक्ति विशेष निदेशक (अपील) के पद पर नियुक्त किया जा सकता है यदि उसमें नीचे वर्णित योग्यताएँ हों :
 - (i) वह भारतीय विधि सेवा का सदस्य है तथा उस सेवा में प्रथम श्रेणी के पद पर रह चुका है, या
 - (ii) वह भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा है तथा उस सेवा में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान पद प्राप्त कर चुका हो। [धारा 21 (2)]
3. **कार्यकाल** – अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल उसके इस कार्यकाल को ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष का होगा।
तथापि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य उस समय अपने पद पर नहीं बना रह सकेगा यदि:
 - (i) अध्यक्ष की दशा में उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तथा
 - (ii) किसी सदस्य की दशा में, उसकी आयु 62 वर्ष हो जाए। [धारा 22]
4. **सेवा व शर्तें-** अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा विशेष निवेशक (अपील) के भते तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी, जो निर्धारित की जाएँ।
नियुक्ति, वेतन, भते तथा सेवा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जो उसको किसी प्रकार से हानि न पहुंचाए। [धारा 23]
5. **रिक्त पद-** केवल अस्थाई अनुपस्थिति की दशा को छोड़कर जब अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय का कोई पद रिक्त होता है तो ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी दुसरे व्यक्ति को रिक्त पद पर नियुक्त कर देगी तथा अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही उस स्तर के प्रारम्भ से की जा सकती है, जिस स्तर पर रिक्त पद भरा गया हो। [धारा 24]
6. **त्याग एवं पद से हटाना- [धारा 25]**
 - (i) अध्यक्ष अथवा सदस्य केंद्रीय सरकार को अपने हस्ताक्षर के साथ सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।
तथापि अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा पद त्याग की सूचना देने के बाद केंद्रीय सरकार ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था होने तक अथवा उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रहने को कह सकता है। [धारा 25(1)]

- (ii) अध्यक्ष अथवा सदस्य को उसके पद से तब तक विमुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वयं केंद्र सरकार उसे जांच कर दुर्यवहार अथवा अक्षम होने का दोषी पाकर उसे पद से हटाने का आदेश जारी ना कर दे। किन्तु ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य को जांच के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेगी।

7. दशाएँ जिनमें सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है :

- (i) मृत्यु, पद-त्याग या किसी अन्य कारण से जब अध्यक्ष पद रिक्त हो जाता है तो इस दशा में जिस तिथि तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष का कार्य करेगा।
- (ii) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति रहने, बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य निष्पादन करने में वह असफल रहता है, तो जिस तिथि तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य भार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

अपील न्यायाधिकरण एवं विशेष निदेशक (अपील) की कार्य प्रणाली तथा शक्तियाँ (Procedure and Powers of Appellate Tribunal and Special Director (Appeal))

- अपील न्यायाधिकरण तथा विशेष निदेशक (अपील) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वर्णित कार्य प्रणाली से बाध्य नहीं होंगे। तथापि वे प्राकृतिक न्याय के सिदांतों के अनुरूप निर्देशित होंगे।
- अपील न्यायाधिकरण विशेष निदेशक(अपील) को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को निष्पादन करने के लिए वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो शक्तियाँ एक सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी वाद पर कार्यवाही के समय निम्न हेतु प्राप्त होती है-
 - मुकदमे से सम्बंधित व्यक्ति या पक्षकार को बुलाना अथवा उसे उपस्थित होने के लिए कहना एवं शपथ दिलाकर उसका परीक्षण करना,
 - प्रपत्रों की खोज व उनका प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में
 - शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 व 124 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कार्यालय से कोई से सम्बन्धित सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रपत्रों को मांगना
 - साक्ष्यों के परीक्षण हेतु अधिकार-पत्र जारी करना
 - स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करना
 - दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व को निरस्त करना अथवा एकपक्षीय निर्णय देना
 - दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व को खारिज करने से सम्बन्धित दिए गए किसी आदेश को निरस्त करना या इसके द्वारा पारित किए गए एकपक्षीय निर्णय को निरस्त करना
- (i) कोई अन्य विषय जिसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाए

- आदेशों का क्रियान्वयन- इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश को अपील न्यायाधिकरण अथवा विशेषाधिकारी (अपील) द्वारा उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा जैसे सिविल न्यायालय के डिक्री आदेश का क्रियान्वयन।
- आदेश का सिविल न्यायालय को हस्तांतरण- अपील न्यायाधिकरण तथा विशेष अधिकारी (अपील) अपने आदेश को अपने क्षेत्राधिकार में स्थापित दीवानी न्यायालय को प्रेषित या हस्तांतरित कर सकते हैं। यह न्यायालय उस आदेश को उसी प्रकार से निष्पादित करेगा जिस प्रकार दीवानी न्यायालय द्वारा जारी कोई आदेश या डिक्री।

5. **न्यायिक कार्यवाही मानना**- अपील न्यायालय तथा विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष की जाने वाली समस्त कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। अपराधिक दण्ड सहित 1973 की धारा 343 एवं 346 के उद्देश्यों हेतु अपील न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय के अनुरूप ही माना जाएगा।

अपील न्यायाधिकरण इत्यादि से सम्बंधित अन्य प्रावधान (Other Provision Relating to Appellate Tribunal)

ये प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. **पीठों में कार्यों का वितरण**- अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष समय-समय पर अधिसूचना जारी करके अपना कार्य पीठों में वितरित करने की व्यवस्था करेगा।
2. **मामलों का हस्तांतरण**- अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर सुचना देकर एवं सुनवाई करने के पश्चात् अपनी इच्छा से लम्बे समय से लम्बित मामलों को किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकेगा।
3. **बहुमत द्वारा निर्णय**- दो सदस्यों वाली पीठ के सदस्यों में आपसी मतभेद होने पर मतभेद के मुद्दों को अध्यक्ष के निर्देश हस्तु भेजना होगा। उसके बाद या तो अध्यक्ष उन मुद्दों की स्वयं सुनवाई करेगा अथवा अपील न्यायाधिकरण के एक या दो सदस्यों को निर्देश देगा और बाद में सुनवाई करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाएगा।
4. **अपीलार्थी का अधिकार**- अपील न्यायाधिकरण अथवा विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष अपील करने वाले व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए स्वयं अथवा अपने वकील अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उपस्थित हो। केंद्र सरकार इस हेतु अपने एक अथवा अधिक वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा अपने अधिकारियों को प्रस्तुतकर्ता के रूप में अधिकृत कर सकता है।
5. **लोक सेवक के रूप में**- अध्यक्ष एवं सदस्य, विशेष निदेशक अपील तथा न्यायिक प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।
6. **सिविल अधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं**- सिविल न्यायालयों को यह अधिकार नहीं होगा कि वो एक न्यायिक अधिकारी, अपील न्यायाधिकरण अथवा विशेष निदेशक (अपील) द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर सकें। इसी तरह कोई भी न्यायालय अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकते हैं।
7. **उच्च न्यायालय में अपील**- अपील न्यायाधिकरण या विशेष निदेशक (अपील) द्वारा दिए गए निर्णय से पीड़ित कोई व्यक्ति 60 दिन के भीतर निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। इन 60 दिनों की गणना तब

से की जायेगी जब उसे अपील-न्यायाधिकरण या विशेष निदेशक (अपील) द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय की सुचना दी गई थी।

तथापि जब अपीलकर्ता निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका हो एवं उसके द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत न कर पाने के कारणों से उच्च न्यायालय संतुष्ट हो तो वह उसे 60 दिन से अधिक अवधि प्रदान कर सकता है।

16.11 प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement)

प्रवर्तन निदेशालय से सम्बंधित प्रावधान निम्नानुसार है:

1. फेमा की धारा 36 प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना से सम्बंधित है। इस हेतु स्थापना: केन्द्रीय सरकार निम्न अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है-
 - प्रवर्तन निदेशक
 - अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक
 - विशेष प्रवर्तन निदेशक
 - उप-प्रवर्तन निदेशक
 - सहायक प्रवर्तन निदेशक
 - इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य किसी श्रेणी के अधिकारी, जो सहायक प्रवर्तन निदेशक से नीचे के पद पर हों।
2. **नियुक्ति एवं शक्तियाँ-** केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक निदेशक स्तर से नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रवर्तन निदेशालय के अन्य अधिकारियों को अधिकृत करने से सम्बंधित है।
केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू शर्तों तथा सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा।
3. **उल्लंघन का अन्वेषण (धारा 37)-** प्रवर्तन निदेशालय के अन्य अधिकारी जो सहायक अधिकारी से निम्न स्तर के नहीं हैं वे फेमा की धारा 13 के अंतर्गत किए गए उल्लंघनों के अन्वेषण का कार्य करेंगे।
4. **केंद्र सरकार द्वारा अन्वेषण-** केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर स्वयं के राज्य सरकार या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग को [जो भारत सरकार के अपर सचिव से कम का पद धारक न हो] इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हुए उल्लंघन के अन्वेषण हेतु अधिकार प्रदान कर सकती है।
5. **आयकर अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग -** वे अधिकारी जिन्हें उपधारा (1) के अंतर्गत अधिकृत किया गया है वे आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यरत अधिकारियों के समान शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे तथापि वे ऐसा फेमा के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कर सकेंगे।
6. **अन्य अधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान करना-** केंद्र सरकार आदेश जारी कर कुछ सीमाओं और शर्तों के अनुरूप जिन्हें वह उचित व न्यायपूर्ण समझे, सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों अथवा किसी पुलिस अधिकारी या केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी को आदेश में उल्लेख कर उन सभी शक्तियों के उपयोग तथा कर्तव्यों के पालन हेतु अधिकृत कर सकती है जो प्रवर्तन निदेशक या अन्य किसी प्रवर्तन अधिकारी को प्राप्त हैं।
ऐसे अधिकारी उन शक्तियों का सम्यक उपयोग करेंगे जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिकारियों को प्रदत्त हैं। केंद्र सरकार उन अधिकारियों को यह प्रभार सौंपेगी जो इन परिस्थितियों एवं सीमाओं के अंतर्गत आते हैं।

16.12 विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions)

इस अधिनियम के अंत में फेमा के विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित प्रावधान निम्न प्रकार दिए गए हैं:

- 1. प्रलेखों या प्रपत्रों के सम्बन्ध में धारणाएं-** जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रपत्र या प्रलेख प्रस्तुत किया जाता है अथवा उससे अभिग्रहीत किया जाता है या भारत के बाहर प्राप्त किया गया है जिसके लिए ऐसा व्यक्ति आरोपित है तथा ऐसा प्रपत्र उसके विरुद्ध साक्ष्य में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में पकड़ा जाता है जिसके विरुद्ध उसके साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही चल रही है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इसकी मान्यता लेगी। यदि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हस्ताक्षर तथा ऐसे प्रपत्र का प्रत्येक भाग जो किसी व्यक्ति विशेष के हस्तलेख में बताया गया है या जिसको न्यायालय उचित रूप से उसके द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मान सकता है। यहाँ यह मान लिया जाएगा कि प्रलेख की विषय-वस्तु सही है। इसे असत्य बताने वाले व्यक्ति को स्वयं यह सिद्ध करना होगा कि प्रपत्र ठीक नहीं है तथा हस्ताक्षर व विषय-वस्तु असत्य है।
- 2. अधिनियम के प्रावधानों का निलंबन-** यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि विद्यमान दशाओं में अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कोई अनुमति बंद करनी चाहिए या लगाये गए प्रतिबन्ध हटा लेने चाहिए या जन हित में ऐसा करना उचित है तो इस दशा में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को स्थगित कर सकती है अथवा इन्हें उदार बना सकती है।
केंद्र सरकार इस हेतु अधिकृत है कि जब वह उचित समझे अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थगन निलम्बन अथवा उदारीकरण को हटा सकती है।
- 3. केंद्र सरकार की शक्ति-** फेमा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि फेमा के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है जो सरकार उचित व न्यायसंगत समझती हो। रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसे निर्देशों को लागू करेगा।
- 4. कंपनियों द्वारा उल्लंघन-** यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का या इसके अंतर्गत दिए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करता है तथा वह व्यक्ति एक कंपनी है तो ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो उस उल्लंघन के समय कंपनी का प्रभारी था तथा जो कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था वह तथा कंपनी उल्लंघन के लिए दोषी माने जाएंगे तथा उसी के अनुसार कार्यवाही एवं दण्ड के भागी होंगे।
तथापि जब ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ है या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अपने विवेक का उपयोग किया है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन एक कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति, मौन स्वीकृति से किया गया है अथवा इनमें से किसी लापरवाही के कारण किया गया है तो ऐसी दशा में उक्त निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे एवं नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।
- 5. मृत्यु या दिवालियापन-** फेमा की धारा 13 के प्रावधानों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व, कार्यवाही या अपील पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु या दिवालियापन का प्रभाव नहीं होगा। मृत्यु की दशा में ऐसे अधिकार व दायित्व व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि को मिल जायेंगे ? किन्तु मृतक का वैधानिक उत्तराधिकारी मृतक की जायदाद से उत्तराधिकार में मिलने वाली राशि या सीमा तक ही उत्तरदायी होगा।

6. **वैधानिक कार्यवाही पर प्रतिबन्ध-** इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाये गए किसी भी नियम, विनियम, दिए गए आदेश या निर्देश के अधीन दी गई शक्तियों के उपयोग अथवा प्रदान किए गए कार्यों को करने के लिए सद्भावना से कुछ भी किया गया है तो केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, उनके किसी भी अधिकारी आदि के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोग नहीं चलाया जाएगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।
7. **कठिनाइयों को दूर करना-** इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करते समय यदि कोई कठिनाई उपस्थित होती है तो केंद्रीय सरकार आदेश जारी कर उस कठिनाई दूर करने हेतु कुछ ऐसा कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो। किन्तु आदेश इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्षों के भीतर जारी किया जा सकता है। आदेश जारी होने के बाद उसे शीघ्रातिशीघ्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना होगा।
8. **नियम बनाने की शक्ति-** केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर फेमा के प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु निम्न नियमों का निर्माण कर सकती है-
 - चालु खाता व्यवहारों पर उचित प्रतिबन्ध लगाने हेतु
 - धारा 15 के अंतर्गत यह निर्धारण करने हेतु कि उल्लंघनों का निपटारा किस विधि से किया जाएगा ?
 - निर्णयकर्ता अधिकारियों द्वारा जांच की कार्यवाही की विधि के निर्धारण के सम्बन्ध में
 - धारा 17 एवं 19 के अंतर्गत प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्रों तथा अपील के लिए शुल्क निर्धारण हेतु
 - धारा 23 के अंतर्गत अपील न्यायाधिकरण अध्यक्ष सदस्यों तथा विशेष निदेशक (अपील) को देय वेतन, भत्ता सेवा की अवधि एवं अन्य शर्तों के लिए,
 - अपील न्यायाधिकरण एवं विशेष निदेशक (अपील) के कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा सेवा शर्तों हेतु अन्य मामले जिनके सम्बन्ध में अपील न्यायाधिकरण एवं विशेष निदेशक (अपील) एक सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
9. **रिजर्व बैंक के विनियमों को बनाने की शक्ति-** इस अधिनियम की धारा 47 में कहा गया है कि रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा फेमा के प्रावधानों व नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकता है। रिजर्व बैंक पूर्व प्राप्त अधिकारों के सामान्यीकरण के लिय बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नानुसार विनियम बना सकता है-
 - पूंजी खाते के व्यवहारों की उन श्रेणियों के सम्बन्ध में जिन्हें अनुमति प्रदान की गई हो।
 - धारा 7 (1) के वाक्यांश (a) के अनुरूप घोषणा की विधि एवं स्वरूप के लिए
 - धारा 8 के अनुरूप समय सीमा के सम्बन्ध में जिसके भीतर विदेशी विनियम को देश में लाया जाएगा
 - धारा 9 के वाक्यांश (b) के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रचलित मुद्रा तथा सिक्के रखने के लिए
 - धारा 9 के वाक्यांश (b) के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें विदेशी मुद्रा खाता खोलने का अधिकार है के लिए एवं उनके द्वारा विदेशी मुद्रा खाते में रखी जाने वाली करेंसी के लिए
 - धारा 9 के वाक्यांश (c) के अंतर्गत अर्जित की गई मुद्रा के सम्बन्ध में छूट के लिए
 - धारा 9 के वाक्यांश (e) के अनुसार अर्जित की गई मुद्रा को धारित करने की सीमा के लिए
 - अन्य कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियम का निर्माण आवश्यक है या हो सकता है।

10. नियमों व प्रावधानों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना - फेमा के अंतर्गत बनाये गए प्रत्येक नियम तथा विनियम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिकतम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। जब निर्धारित अवधि के पूर्व ही सत्रावसान हो जाए तो आगामी सत्र में उसको रखना आवश्यक होगा।

जब संसद के दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम व प्रावधान नहीं बनाये जाएँ तो इस दशा में या तो नियम व प्रावधान संशोधित रूप में लागू होंगे या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

11. विदेशी विनियम अधिनियम, 1973 का निरस्तीकरण तथा बचाव - फेमा 1999 के साथ ही विदेशी विनियम अधिनियम, 1973 को निरस्त कर दिया गया है तथा अधिनियम की धारा 52 (1) के द्वारा गठित अपील बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया है।

अन्य किसी विद्यमान अधिनियम में किसी बात के होने के बाद भी इस अधिनियम (फेमा) के लागू होने के दो वर्षों के पश्चात धारा 51 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय फेरा 1973 से जुड़े किसी अपराध की धारा 51 के अंतर्गत किए गए किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में नोटिस ले सकेगा। उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए निरस्त अधिनियम के अंतर्गत किए गए सभी अपराध, नए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी सम्मिलित होंगे।

जब निरस्त अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत कोई कार्य किया गया है या करने का निर्णय किया गया है जिसमें कोई नियम, अधिसूचना जारी की गयी थी या कोई आदेश, नोटिस, नियुक्ति, घोषणा, लाईसेंस, अनुमति, अधिकृतिकरण, मुक्ति, छूट या निष्पादित कोई प्रपत्र या विलेख अथवा कोई निर्देश भी सम्मिलित हैं एवं वह इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है तो ऐसे कार्य को फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जारी रखा जा सकेगा।

यदि कोई अपील जो फेरा 1973 की धारा 52(2) के अंतर्गत अपील बोर्ड के समक्ष की गई थी लेकिन फेमा 1999 के लागू होने से पूर्व तक जिसका निपटारा नहीं किया जा सका हो तो ऐसी अपील का निस्तारण इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अपील न्यायाधिकरण कर सकेगा।

जब भी कोई अपील फेमा के लागू होने से पूर्व तक नहीं की जा सकी हो तो इस दशा में अपील को लागू होने के 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण थे जिनके रहते वह समय पर अपील दायर नहीं कर सका है तो 60 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील को स्वीकार किया जा सकेगा।

16.13 सारांश (Conclusion)

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में विदेशी विनियम के उचित एवं बेहतर प्रबंध की आवश्यकता महसूस की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनियम नियमन अधिनियम, 1973 की समीक्षा की गयी। फलस्वरूप इस अधिनियम की कमियां देखते हुए इसे समाप्त कर इसके स्थान पर विदेशी विनियम प्रबन्धन अधिनियम, 1999 पारित किया गया। नए अधिनियम का उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाकर विदेशी मुद्रा बाजार का योजनाबद्ध एवं सुनियोजित विकास करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी विनियम में व्यवहार अधिकृत व्यक्ति ही कर सकते हैं। इस इकाई में

इस अधिनियम के प्रावधानों, क्रियान्वयन एवं इस हेतु स्थापित प्रवर्तन निदेशालय की कियाप्रणाली विवादों के निपटारे एवं अपील हेतु उपलब्ध व्यवस्था का उल्लेख है।

16.14 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- फेमा के उद्देश्यों की जानकारी ले सके हैं।
- फेमा की आवश्यकता व प्रावधान से अवगत हो सके हैं।
- विदेशी विनिमय एवं प्रत्यावर्तन प्रावधानों को समझ सके हैं।
- फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय हेतु अधिकृत व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सके हैं।
- इस अधिनियम से संबंधित न्यायिक अधिकारी, अपील प्राधिकरण (न्यायाधिकरण) एवं प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित प्रावधानों को समझ सके हैं।
- फेमा के उल्लंघन पर दंड के प्रावधानों को जान सके हैं।

16.15 शब्दकोष (Glossary)

- **विदेशी विनिमय:** एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करना विदेशी विनिमय कहलाता है।
- **फेमा:** विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम।
- **अधिकृत व्यक्ति:** फेमा में अधिकृत व्यक्ति से आशय अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक, समुद्र पार बैंकिंग इकाई या वह व्यक्ति है जिसे विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों के लेनदेन हेतु अधिकृत किया गया है।
- **न्यायाधिकरण:** विवाद-ग्रस्त विषय पर निर्णय करने वाला न्यायालय एवं उसके न्यायाधीशों का समूह।
- **अपील:** किसी निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में कानून द्वारा उच्च स्तर पर न्याय प्राप्त करने का सांविधिक अधिकार।

16.16 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. पूंजी खाता लेन-देन से आप क्या समझते हैं?
2. चालू खाता लेन-देन से आप क्या समझते हैं?
3. विदेशी विनिमय से आप क्या समझते हैं?
4. भारत में निवासी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं?
5. प्रतिभूति को परिभाषित कीजिये।
6. फेमा के विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबंध सम्बन्धी प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।
7. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिये।

8. फेमा के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन, दण्ड व अपील सम्बन्धी नियमों को समझाइए।
9. पूंजी खाता व्यवहार से सम्बंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। कौन-से पूंजीगत व्यवहार निषेधित हैं?
10. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के अधीन वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातक के दायित्वों का वर्णन कीजिये।
11. विदेशी विनिमय अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध करने की शक्ति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

16.17 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- Foreign Exchange Management Act with Rules (Taxmann's BARE Act)
- Foreign Exchange Management Act, 1999 alongwith Allied Rules and Orders (Professional's BARE Act)
- Practitioner's Guide to Foreign Exchange Management, Act. Sudha G. Bhushan
- Taxmann's Foreign Exchange Management Manual, 37th Edition 2021

16.18 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Universal's The Foreign Exchange Management Act, 1999, New Delhi, 2016
- Taxmann's FEMA Ready Reckoner 13th Edition, 2020.
- Foreign Exchange Operations Under FEMA, SudhirKochhar
- FEMA Good Ideas Book.

16.19 वेब संसाधन लिंक (Web Resources/Link)

- www.rbi.org.in
- <https://en.m.wikipedia.org>
- <https://www.indiacode.nic.in>
- <https://dor.gov.in>

इकाई - 17

श्रम वातावरण और श्रम नीति (Labour Environment and Policy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 17.0 उद्देश्य
- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 श्रम पर्यावरण अर्थ और परिभाषा
- 17.3 श्रम पर्यावरण के तत्व
- 17.4 श्रम वातावरण के प्रकार
- 17.5 श्रम वातावरण की विशेषताएँ
- 17.6 भारत में श्रम सुधार
- 17.7 भारत में श्रम कानूनों के उद्देश्य
- 17.8 भारत में श्रम कानून
- 17.9 राष्ट्रीय श्रम आयोग
- 17.10 कोरोना के दौरान श्रम सुधार और काम करने की परिस्थितियों में बदलाव
- 17.11 उदाहरण
- 17.12 सारांश
- 17.13 अधिगम परिणाम
- 17.14 शब्दकोष
- 17.15 स्व-परख प्रश्न
- 17.16 संदर्भ व ग्रंथसूची
- 17.17 अन्य पठन सामग्री
- 17.18 वेब साधन / लिंक

17.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम छात्रों को श्रम पर्यावरण अथवा वातावरण क्या है? इसका अर्थ, परिभाषा, तत्व, प्रकार, एवं इनकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी देंगे एवं इसके अतिरिक्त भारत में श्रम सुधार, इनके कानूनों का अवलोकन एवं

इनके उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ! राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या कार्य करता है एवं कोविड महामारी के दौरान श्रम सुधार के लिए क्या कार्य किए गए ! इन सभी तथ्यों की विस्तृत जानकारी इस इकाई में दी जाएगी !

17.1 प्रस्तावना (introduction)

श्रम एवं पर्यावरण दो अलग - अलग अवधारणाएँ हैं ! श्रम को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आमतौर पर आर्थिक प्रतिफल के लिए किया जाता है ! पर्यावरण में श्रम करने के वातावरण के सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है ! अतः श्रम पर्यावरण / वातावरण उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं एवं कारकों का योग है जो व्यवसाय अथवा कार्य पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है !

17.2 श्रम पर्यावरण : अर्थ और परिभाषा (Labour Environment : Meaning and Definition)

1. **श्रम** - श्रम एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रयासों की मात्रा है। यह कच्चे माल को तैयार उत्पादों और सेवाओं में बदलने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, जनशक्ति और सेवा की आपूर्ति करता है। यह उत्पादन का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण कारक है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के श्रम का समावेश होता है। इसमें वरिष्ठ प्रबंधन से लेकर दुकान के स्तर पर कर्मचारियों तक के पदानुक्रम के सभी स्तरों को शामिल किया गया है।
2. **श्रम पर्यावरण** - उन स्थितियों को संदर्भित करता है जो श्रम और प्रबंधन के कामकाजी माहौल और दोनों (श्रम और प्रबंधन) के बीच संबंधों को प्रभावित करती हैं। यह सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों और लागू श्रम कानूनों द्वारा बहुत नियंत्रित होती है।

17.3 श्रम पर्यावरण के तत्व (Element of Labour Environment)

सकारात्मक और उत्पादक कार्यस्थल की पहचान करने के लिए प्रत्येक श्रम वातावरण तत्वों का विवरणों निम्न प्रकार है:

- (I) **भौतिक वातावरण (Physical environment)** : आप जिन भौतिक परिस्थितियों में काम करते हैं, वे आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाएँगी। विचार करने के लिए आपके भौतिक वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में सम्मिलित हैं:

1. **आकार (Size)**: श्रम क्षेत्र का आकार इस बात पर प्रभाव डाल सकता है कि क्या मजदूर के पास अपना काम पूरा करने के लिए सब कुछ है, जबकि साथ ही यह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि कोई काम पर कैसा अनुभव करता है। अपने कार्यक्षेत्र के आकार का मूल्यांकन करने के लिए, उस स्थान की मात्रा पर विचार करें जिसमें आपको स्वतंत्र रूप से घूमना है, चाहे आपके पास आवश्यक सभी उपकरण हों और क्षेत्र सभी स्टाफ सदस्यों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हो।
2. **रूपरेखा (Blueprint)** : कुछ इनडोर कार्यस्थलों में खुली मंजिल योजना होती है, जबकि अन्य रिक्त

स्थान को विभाजित करने के लिए क्यूबिकल्स या अन्य डिवाइडर का उपयोग करते हैं। कार्यस्थल का डिजाइन कार्य के प्रकार पर निर्भर हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अधिक सहयोगी वातावरण एक खुले लेआउट से लाभान्वित हो सकता है, जबकि एक नौकरी जिसमें विवेक की आवश्यकता होती है, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग कार्यालयों या क्यूबिकल के साथ बेहतर ढंग से संचालित होगी।

3. फर्निशिंग (Furnishing) : डेस्क, कुर्सीयाँ, कॉन्फ्रेंस टेबल और अन्य कार्यस्थल फर्नीचर भी कर्मचारियों को काम पर प्रभावित कर सकते हैं। आरामदायक और पर्याप्त बैठने की जगह, स्वच्छ कार्यक्षेत्र और कार्यात्मक डेस्क तक पहुंच सुनिश्चित कर सकती है कि इनडोर कार्यस्थल सुव्यस्थित बने रहें। बाहरी कार्यस्थलों में अवकाश के समय के लिए आरामदायक फर्नीचर शामिल हो सकते हैं।
4. उपकरण (Instruments) : कुछ भूमिकाओं को अपना काम करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, और कंपनी के आधार पर, नियोक्ता इसे प्रदान कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। कुछ भूमिकाओं, जैसे कि मैकेनिक, को अपने स्वयं के उपकरणों का सेट लाने की आवश्यकता हो सकती है। इनडोर ऑफिस स्पेस में आवश्यक उपकरण प्रदान करने की अधिक संभावना है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर और काम पर इस्तेमाल होने वाली अन्य आवश्यक तकनीक।
5. सुविधाएं (Facilities) : उपलब्ध सुविधाएं श्रमिक कार्यशैली को भी प्रभावित कर सकती हैं। ब्रेक लेने या बाथरूम जाने में सक्षम होना किसी भी उत्पादक दैनिक दिनचर्या के आवश्यक अंग हैं, इसलिए इन सुविधाओं का स्थान श्रम वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। आरामदेह स्थान और साइट पर जिम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
6. **स्थान (Place)** : कुछ श्रमिक अपना कार्य मुख्य रूप से अंदर काम करते हैं, कुछ अपने कार्य दिवस का अधिकांश समय बाहर बिताते हैं और कुछ भूमिकाओं में इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के काम हो सकते हैं। कई नियोक्ता यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं या उपकरण प्रदान कर सकते हैं कि कर्मचारी काम करते समय सहज हों और उनकी उत्पादकता बनी रहे।

(II) कंपनी की संस्कृति (Culture of Company)

आपकी कंपनी के विश्वास और उनके लक्ष्य आपके साथ कैसे संरेखित होते हैं, यह श्रम वातावरण में आपकी सहजता का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यहाँ कंपनी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं:

- i. **आचार संहिता (Code of Conduct)** : कुछ कंपनियां औपचारिक आचार संहिता में अपनी व्यावसायिक संस्कृति की व्याख्या कर सकती हैं या कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकती हैं। ये दस्तावेज़ आपके लिए कुछ शर्तों का पालन कर सकते हैं जब कार्य करने के साथ-साथ सहकर्मियों, कार्यस्थल के नेताओं और बाहरी हितधारकों के साथ बातचीत करते समय। ये दिशानिर्देश अक्सर एक कर्मचारी पुस्तिका में पाए जाते हैं।

ii. **प्रोत्साहन और विकास (Incentive and development)** : कुछ नियोक्ता सीधे सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जोर देते हैं और सफल होने वाले कर्मचारियों को लगातार बढ़ावा देते हैं। अन्य नियोक्ता कर्मचारियों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिक रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।

iii. **कंपनी मिशन स्टेटमेंट (Company mission statement)** : यह कथन मूल्यों का एक समूह है जिसे कंपनी अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि इन मूल्यों पर दैनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है, वे आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य और संगठन में योगदानकर्ता के रूप में आपके द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य का मार्गदर्शन करते हैं।

(III) काम करने की स्थिति (Working conditions)

निम्नलिखित तत्व निर्धारित करते हैं कि दिन-प्रतिदिन कैसा दिख सकता है और आपका रोजगार आपके जीवन के उन क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है जो काम से संबंधित नहीं हैं:

- i. **कार्य संतुलन (Work life balance)** : भूमिका, कंपनी और उद्योग के आधार पर प्रत्येक सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या भिन्न हो सकती है। कुछ संगठन उदार भुगतान वाले समय या लचीले कार्य शेड्यूल की पेशकश करके कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य नियोक्ता कर्मचारियों को समय सीमा को पूरा करने या ग्राहकों को 24/7 सेवा प्रदान करने के लिए ओवरटाइम काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- ii. **नियोजन के निबंधन (Planning of work)** : निर्धारित घंटों के अलावा, इन शर्तों में यह शामिल हो सकता है कि आपका काम एक अस्थायी अनुबंध है या स्थायी रोजगार। इस तत्व में लाभ और भुगतान किए गए समय की शर्तों को भी शामिल किया जा सकता है।
- iii. **कार्यस्थल सुरक्षा (Safety measures)** : राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कार्यस्थल सुरक्षा नियम हैं जिनका सभी नियोक्ताओं को पालन करना चाहिए। आपका नियोक्ता सार्वजनिक स्थानों पर नियमों को प्रदर्शित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कर्मचारी इन नीतियों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। साथ ही, उपकरणों का सुरक्षित उपयोग, साथ ही निकास, आपातकालीन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा तक पहुंच, पर्यावरण के इस तत्व को प्रभावित करती है।
- iv. **स्वस्थ जीवनशैली (Healthy lifestyle)** : कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को फिट रहने और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए संतुलित भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे स्वस्थ स्नेक्स का स्टॉक भी कर सकते हैं, पास के जिम के साथ पार्टनर या शारीरिक गतिविधि को शामिल करने वाली टीम की मेजबानी कर सकते हैं।

17.4 श्रम वातावरण के प्रकार (Types of Labour Environment)

कई अलग-अलग प्रकार के कार्य वातावरण हैं जिनमें भौतिक घटकों, कंपनी संस्कृति और कार्य स्थितियों का संयोजन शामिल है। सर्वोत्तम प्रकार के कार्य वातावरण के लिए कौन से तत्व किसी संगठन के उद्योग और उम्र, कर्मचारियों की संख्या और प्रकार, और संगठन जिस आदर्श वातावरण को विकसित करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करते हैं।

1. **वास्तविक वातावरण (Real Environment)** : यह वातावरण शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देता है और अधिक गतिज कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम हो सकता है, जिन्हें "कर्ता" भी कहा जाता है। जो लोग इस माहौल में अच्छा काम करते हैं वे अक्सर कुशल होते हैं और औजारों का उपयोग करना और अपने हाथों से काम करना पसंद

करते हैं। यथार्थवादी कार्य वातावरण वाली नौकरियों में इंजीनियरिंग, रखरखाव और निर्माण शामिल हैं।

2. **खोजी (Investigator) :** इस प्रकार का वातावरण आलोचनात्मक सोच, प्रयोग और समस्या-समाधान पर निर्मित होता है। इस वातावरण में अधिकांश कार्यों में साक्ष्य एकत्र करना, जानकारी का अध्ययन करना और सीखना और साथ ही निष्कर्ष निकालना शामिल है। कर्मचारी जो "विचारक" हैं, इन वातावरणों में पनप सकते हैं, जो अक्सर स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे करियर में पाए जाते हैं।
3. **कलात्मक (Artistic) :** यह वातावरण नवाचार और प्रयोग के साथ-साथ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। कलात्मक वातावरण अक्सर "रचनाकारों" के रूप में जाने वाले लोगों के लिए सर्वोत्तम होते हैं जो अधिक लचीली और भावनात्मक सेटिंग्स में पनपते हैं। कुछ कैरियर जो इस प्रकार में सबसे अच्छा काम करते हैं, वे हैं डिजाइन, फाइन आर्ट और प्रदर्शन जैसे क्षेत्र।
4. **सामाजिक (Social) :** इस प्रकार का वातावरण कर्मचारियों के बीच संचार, सहायता, उपचार और शिक्षा को बढ़ावा देता है। जो लोग इस वातावरण में अच्छा करते हैं उन्हें अक्सर "चिकित्सक" के रूप में जाना जाता है और उनमें दया, सहानुभूति और करुणा जैसे लक्षण होते हैं। आमतौर पर सामाजिक कार्य वातावरण प्रदान करने वाले करियर में शिक्षा, सामाजिक कार्य, परामर्श और नर्सिंग सम्मिलित हैं।
5. **उद्यमी (Entrepreneur) :** इस कार्य वातावरण में संचार भी शामिल है लेकिन लक्ष्य की ओर दूसरों का मार्गदर्शन करने पर जोर दिया गया है। उद्यमशील वातावरण "प्रेरक" के लिए सबसे अच्छा है जो प्रतिस्पर्धा पर पनपते हैं और ऐसी भूमिकाओं में काम करना पसंद करते हैं जिनमें बिक्री, आश्चर्य करना और बहस करना शामिल है। कुछ कैरियर जिनमें उद्यमशील वातावरण होता है, उनमें रियल एस्टेट, राजनीति और सार्वजनिक सेवा और बिक्री सम्मिलित हैं।
6. **पारंपरिक (Traditional) :** यह वातावरण विशिष्टता, पूर्वानुमेयता और संगठन पर बनाया गया है। जो लोग पारंपरिक वातावरण पसंद करते हैं उन्हें अक्सर "आयोजकों" के रूप में संदर्भित किया जाता है और उन सेटिंग्स में सबसे अच्छा काम करते हैं जिनमें स्पष्ट आदेश होता है, व्यावहारिकता और मूल्य निर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं। पारंपरिक कार्य वातावरण में मौजूद भूमिकाओं में वित्त, सहायक पदों और पारंपरिक कार्यालय सेटिंग्स सम्मिलित हैं।

17.5 श्रम वातावरण की विशेषताएँ (Characteristics of Labour Environment)

एक अनुकूल श्रम वातावरण में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:

- घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है
- व्यावसायिक संगठनों की दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है
- प्रेरणा के स्तर को बढ़ाता है, और कार्य संतुष्टि को बढ़ाता है
- उत्पादक संपत्तियों को बेहतर उपयोग करता है
- रोजगार को बढ़ावा देता है
- औद्योगिक शांति को बढ़ावा देता है
- समाज में श्रमिकों की भूमिका और स्थिति को बढ़ाता है
- कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है

- अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देता है।

17.6 भारत में श्रम सुधार (Labour Reforms in India)

भारत की श्रम शक्ति बड़ी संख्या में निरक्षर श्रमिकों से लेकर उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवरों के एक बड़े संगठन तक है। भारत में श्रम कल्याण गतिविधियों की शुरुआत 1837 में हुई थी। आने वाले वर्षों के दौरान उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, भारतीय योजना आयोग ने बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, महिला श्रम और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने के उपाय निर्धारित किए हैं। भारत में कल्याण कार्य (मोटे तौर पर परिभाषित) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, ट्रेड यूनियन, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन हैं। इस क्षेत्र में गतिविधियों में आवास सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, बाल और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम, और कामकाजी महिलाओं के कल्याण में वृद्धि शामिल है। निजी क्षेत्र के कल्याणकारी उपाय समान प्रकृति के हैं। इस संबंध में पहल करने वाली उल्लेखनीय कंपनियां टाटा एंड लार्सन एंड टुब्रो हैं। सरकार, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

श्रम कानून सुधारों का अवलोकन

केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं से बदलने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य श्रम विनियमन को सरल और आधुनिक बनाना है।

श्रम सुधारों में प्रमुख चुनौती श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए रोजगार वृद्धि को सुगम बनाना है। प्रमुख बहस छोटी फर्मों के कवरेज, छंटनी के लिए पूर्व अनुमति के लिए सीमा तय करने, श्रम प्रवर्तन को मजबूत करने, श्रम के लचीले रूपों की अनुमति देने और सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने से संबंधित हैं।

इसके अलावा, समय बीतने के साथ, श्रम कानूनों को सरलीकरण और अपडेशन सुनिश्चित करने के लिए एक बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे प्रावधान भी हैं जो श्रम के उभरते रूपों (जैसे, गिग वर्क) की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह नोट इन चुनौतियों और चार संहिताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों पर चर्चा करता है।

1. **कवरेज (coverage):** अधिकांश श्रम कानून एक निश्चित आकार (आमतौर पर 10 या उससे अधिक) के प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। आकार-आधारित सीमाएं अनुपालन बोझ को कम करने में फर्मों की मदद कर सकती हैं। हालांकि, कोई यह तर्क दे सकता है कि मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की स्थिति से संबंधित बुनियादी सुरक्षा सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होनी चाहिए।
2. **छंटनी (Retrenchment):** 100 या अधिक श्रमिकों को काम पर रखने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, छंटनी या छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। यह तर्क दिया गया है कि इसने फर्मों के लिए एक निकास अवरोध पैदा कर दिया है और उत्पादन मांगों के लिए कार्यबल को समायोजित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया है। औद्योगिक संबंध संहिता इसे बढ़ाकर 300 कर देती है और सरकार को अधिसूचना द्वारा इस सीमा को और बढ़ाने की अनुमति देती है।
3. **श्रम प्रवर्तन (Labour Enforcement):** श्रम कानूनों की बहुलता के परिणामस्वरूप अलग-अलग अनुपालन हुए हैं, जिससे फर्मों पर अनुपालन का बोझ बढ़ गया है। दूसरी ओर, खराब प्रवर्तन, अपर्याप्त दंड और निरीक्षकों के किराए

की मांग के व्यवहार के कारण श्रम प्रवर्तन तंत्र अप्रभावी रहा है।

4. **ठेका श्रमिक (Contract Labour):** श्रम अनुपालन और आर्थिक कारणों से ठेका श्रमिकों का उपयोग बढ़ा है। हालांकि, ठेका श्रमिकों को सुनिश्चित मजदूरी जैसी बुनियादी सुरक्षा से वंचित रखा गया है। संहिताएं इन चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं करती हैं। हालांकि, औद्योगिक संबंध संहिता अल्पकालिक श्रम का एक नया रूप पेश करती है - जहां निश्चित अवधि के रोजगार।
5. **ट्रेड यूनियन (Trade Union):** कई पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं लेकिन यूनियनों को 'मान्यता' देने के लिए कोई मानदंड नहीं है जो औपचारिक रूप से नियोक्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता यूनियनों की मान्यता के लिए प्रावधान बनाती है।
6. **सरलीकरण (Simplification):** संहिताएं श्रम कानूनों को काफी हद तक सरल बनाती हैं लेकिन कुछ मामलों में यह उपाय कम पड़ जाते हैं। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 'गिंग' और 'प्लेटफॉर्म' श्रमिकों के लिए योजनाओं को अधिसूचित करने के लिए सक्षम प्रावधान बनाती है; हालांकि, इन परिभाषाओं में स्पष्टता का अभाव है।
7. **प्रत्यायोजित विधान (To delegate legislation):** संहिता नियम बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रयोज्यता, और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों जैसे कई प्रमुख पहलुओं को छोड़ती है। प्रश्न यह है कि क्या इन प्रश्नों को विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए या सरकार को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए।

17.7 भारत में श्रम कानूनों के उद्देश्य (Objectives of Labour Legislation in India)

उचित मजदूरी (Adequate wages)

न्यूनतम मजदूरी सबसे प्रसिद्ध श्रम कानूनों में से एक है। विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिकों के पास अक्सर उन नौकरियों को छोड़ने की क्षमता नहीं होती है जो गलत भुगतान करते हैं, अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अपनी पुस्तक "द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी" में तर्क दिया है। न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है कि एक ऐसा स्तर है जिससे नीचे कर्मचारी का वेतन नहीं गिर सकता है। यह मजदूरी को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यवसाय के मालिक अक्सर चाहते हैं कि योग्य श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए उनकी नौकरी न्यूनतम वेतन से अधिक का भुगतान करें। न्यूनतम वेतन कानूनों के विरोधियों का कहना है कि वे व्यवसायों को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने से हतोत्साहित करते हैं।

समान अवसर (Equal opportunity)

सैकड़ों वर्षों से, महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों ने भेदभाव का सामना किया है जिसने उनकी नौकरी की संभावनाओं को सीमित कर दिया है, उन्हें कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार का शिकार बनाया है और उनके द्वारा अपेक्षित मजदूरी को बहुत कम कर दिया है। श्रम कानून नियोक्ताओं को कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को समान विचार देने, समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने और संरचनात्मक भेदभाव को सीमित करने या रोकने वाली नीतियों को स्थापित करने के लिए समान अवसर की रक्षा करते हैं।

बच्चों की रक्षा करना (Safety of children)

श्रम कानूनों के पारित होने से पहले, बच्चे नियमित रूप से अपमानजनक नौकरियों में अत्यधिक घंटों काम करते थे। बाल श्रम कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति सप्ताह काम करने की संख्या को सीमित करते हैं, बच्चों के काम करने के

दिन के समय पर प्रतिबंध लगाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे अमेरिकी श्रम सचिव द्वारा असुरक्षित घोषित नौकरियों में काम न करें।

विकलांगों की रक्षा (Safety of disabled)

विकलांग लोगों को काम खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और यह भी पाया है कि श्रम बाजार में उनकी अक्षमता को अक्सर उनके खिलाफ गिना जाता है। श्रम कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि नियोक्ता विकलांगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और यह आदेश देते हैं कि, यदि कोई व्यक्ति अन्यथा काम करने में सक्षम है, तो नियोक्ता को विकलांगों के लिए उचित आवास बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्हीलचेयर के लिए पथ पर्याप्त चौड़ा हो, उचित सुविधाओं का एक उदाहरण है।

काम करने के घंटे (Working hours)

श्रम कानून प्रति सप्ताह घंटों की संख्या को सीमित करते हैं, नियोक्ता को अपने कर्मचारियों से ओवरटाइम का भुगतान किए बिना काम की आवश्यकता हो सकती है। दशकों पहले, श्रमिकों को प्रति सप्ताह सात दिन, 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। श्रम कानून ऐसी प्रथाओं से रक्षा करते हैं और यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को असामान्य घंटे काम करने के लिए अलग-अलग मुआवजा दिया जाए।

इस प्रकार, संक्षेप में, भारत में श्रम कानून ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की मांग की है:

- (1) न्याय की स्थापना- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से।
- (2) जाति, पंथ, धर्म, विश्वास के बावजूद सभी श्रमिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों का प्रावधान।
- (3) समुदाय में कमजोर वर्ग का संरक्षण।
- (4) औद्योगिक शांति का रखरखाव।
- (5) आर्थिक विकास के लिए शर्तों का निर्माण।
- (6) श्रम मानकों का संरक्षण और सुधार।
- (7) श्रमिकों को शोषण से बचाना।
- (8) कामगारों के गठबंधन और संघ बनाने के अधिकार की गारंटी।
- (9) कामगारों को उनकी सेवा शर्तों की बेहतरी के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार सुनिश्चित करना।
- (10) एक दर्शक बने रहने के बजाय राज्य को सामाजिक कल्याण के रक्षक के रूप में हस्तक्षेप करें।
- (11) मानव अधिकार और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करना।

कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों का उचित विनियमन किसी भी समाज के नियोजित, प्रगतिशील और उद्देश्यपूर्ण विकास के लिए एक मिसाल है। श्रम कानून के उद्देश्य एक विकासशील अवधारणा है और उन्हें निरंतर आधार पर प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।

श्रम कानून की आवश्यकता (Need of Labour legislation)

लोकतांत्रिक देशों में श्रम हितों की सुरक्षा को राज्य (सरकार) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है।

भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 42 और 43 राज्य पर एक दायित्व को लागू करता है, उपयुक्त कानून द्वारा, सभी श्रमिकों के लिए काम के लिए, एक जीवित मजदूरी और अच्छी काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

श्रम के हितों की रक्षा के लिए सरकार समय-समय पर भारत में विभिन्न प्रकार के श्रम कानून ला रही है।

श्रम संविधान में समवर्ती सूची में शामिल एक वस्तु है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस मामले पर कानून बना सकती हैं।

17.8 भारत में श्रम कानून (Labour Legislation in India)

1. **मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936:** यह सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान नियमित अंतराल पर मिले और उनके वेतन से कोई अनधिकृत कटौती न की जाए।
2. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:** सरकार को सभी अनुसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करने, समीक्षा करने, संशोधित करने और लागू करने का अधिकार देता है।
3. **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965:** औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले और प्रति माह 3,500 रुपये तक के सभी कर्मचारियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान है।
4. **बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976:** यह अधिनियम भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करता है। अधिनियम के तहत, प्रत्येक बंधुआ मजदूर किसी भी बंधुआ मजदूर को प्रदान करने के किसी भी दायित्व से मुक्त है।
5. **ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926:** अधिनियम ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है और उनके अधिकारों और देनदारियों को परिभाषित करता है। पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सदस्यों को विभिन्न नागरिक और आपराधिक देनदारियों से सुरक्षा मिलती है।
6. **दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर राज्य अधिनियम:** दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, रेस्तरां, थिएटर, सिनेमा और अन्य कार्यस्थलों में कार्यरत सभी वेतन भोगियों को शामिल करता है। इन अधिनियमों में खुलने और बंद होने के घंटे, काम के घंटे, आराम के अंतराल, ओवरटाइम दर और साप्ताहिक अवकाश से संबंधित प्रावधान हैं।
7. **कारखाना अधिनियम, 1948:** कारखानों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें बेहतर काम करने की स्थिति और सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और कारखानों का निरीक्षण करने का प्रावधान है।
8. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:** अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: -
नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देना;

मजदूरों और नियोक्ताओं, कामगारों और कामगारों, नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच विवादों की जांच और निपटान;

अवैध हड़तालों और तालाबंदी की रोकथाम; तथा छंटनी (छंटनी) से प्रतिकूल रूप से प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करना।

9. **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976** - यह अधिनियम महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहता है; समान कार्य के लिए महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक (जैसा कि पुरुष कामगारों को दिया जाता है); भर्ती या सेवा शर्तों के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

17.9 राष्ट्रीय श्रम आयोग (National Commission on Labour)

यह श्रम कानूनों में बदलाव की सिफारिश करने वाला एक भारतीय वैधानिक निकाय है। श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग 24 दिसंबर 1966 को न्यायमूर्ति पी बी गजेंद्रगडकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आयोग ने अगस्त, 1969 में कार्यकारी आदेश द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम समस्याओं के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग (एनसीएल) 15 अक्टूबर 1999 को रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसने 29 जून 2002 को तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्रम पर पहले राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की थी कि श्रमिक समिति को किसी भी इकाई में स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक मान्यता प्राप्त संघ है।

श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग किसी भी उद्योग में श्रमिकों के लिए मजदूरी दर तय करने के लिए मजदूरी बोर्ड स्थापित करने के पक्ष में था।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशें :

1. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छुट्टियों पर एक समान नीति होनी चाहिए, केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश राजपत्रित हों - अर्थात् स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती दिवस, प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित करने के लिए दो और दिन जोड़े जा सकते हैं अपनी परंपरा के अनुसार और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 10 प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए, सरकारी छुट्टियों को परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत छुट्टियों से अलग किया जाना चाहिए।
2. प्रति सप्ताह काम के घंटों में लचीलापन और ओवरटाइम के लिए मुआवजा।
3. सभी नौकरियों (स्थायी और गैर-स्थायी) में कार्यकाल के आधार को संविदात्मक और निर्धारित अवधि के लिए बदलने का प्रयास, दृष्टिकोण और धारणा में एक बुनियादी परिवर्तन शामिल है। सभी रोजगार के आधार को बदलना एक सामाजिक आवश्यकता है क्योंकि यह औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के लिए आर्थिक आवश्यकता बन गई है, तो परिवर्तन के लिए सामाजिक स्वीकार्यता और परिणामों की देखभाल करने वाली सामाजिक संस्थाओं को बनाना भी उतना ही आवश्यक है।
4. आयोग अनुशंसा करता है कि सरकार अत्यधिक वेतन वाली नौकरियों की सूची तैयार कर सकती है जिन्हें वर्तमान

में कामगार श्रेणी के रूप में माना जाता है जो कि कामगार से संबंधित कानूनों के दायरे से बाहर हैं और गैर-कामगारों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में सम्मिलित हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि सरकार पारिश्रमिक की एक कट ऑफ सीमा निर्धारित करती है जो कि वर्तमान संदर्भ में काफी अधिक है, जैसे कि रु. 25,000/- प्रति माह। जिसके बाद कर्मचारी को सामान्य "कार्यकर्ता" के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. मौजूदा श्रम कानूनों को मोटे तौर पर संबंधित कानूनों के चार या पांच समूहों में बांटा जाना चाहिए:
 - i) औद्योगिक संबंध
 - ii) मजदूरी
 - iii) सामाजिक सुरक्षा
 - iv) सुरक्षा
 - v) कल्याण और काम करने की स्थिति आदि
6. अनुचित बर्खास्तगी या हटाने के खिलाफ प्रबंधकीय और अन्य (बहिष्कृत) कर्मचारियों को भी न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह श्रम न्यायालय या श्रम संबंध आयोग या मध्यस्थता द्वारा कठिन निर्णय होना चाहिए।
7. श्रम संबंधों के विषय से संबंधित केंद्रीय कानून वर्तमान में आईडी अधिनियम, 1947, औद्योगिक रोजगार (एसओ) अधिनियम, 1946, बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि इन सभी कानूनों के प्रावधानों को "श्रम प्रबंधन संबंध कानून" या "श्रम प्रबंधन संबंधों पर कानून" नामक एक एकल कानून में विवेकपूर्ण ढंग से समेकित किया जाए।
8. आयोग ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम को वापस लेने की सिफारिश की है।
9. आयोग ने चेक-ऑफ सिस्टम के आधार पर एक सौदेबाजी एजेंट की पहचान करने का सुझाव दिया है, जिसमें 66% संघ को एकल वार्ता एजेंट के रूप में स्वीकार करने का अधिकार है और यदि किसी भी संघ के पास 66% समर्थन नहीं है, तो जिन यूनियनों को 25% से अधिक का समर्थन प्राप्त है, उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
10. सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के लिए 300 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान में चेक-ऑफ सिस्टम अनिवार्य किया जाना चाहिए।
11. आयोग ने यह भी सिफारिश की कि एक बार दी गई मान्यता, निपटान की अवधि के साथ सह-टर्मिनस होने के लिए 4 साल की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। किसी अन्य ट्रेड यूनियन/संघ/केंद्र द्वारा मान्यता के लिए किसी भी दावे पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पूर्व मान्यता की तिथि से कम से कम 4 वर्ष बीत नहीं जाते।
12. प्रत्येक प्रतिष्ठान एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करेगा जिसमें समान संख्या में कर्मचारी और नियोक्ता प्रतिनिधि होंगे। उक्त समिति वह निकाय है जिसके पास एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने रोजगार के संबंध में एक कर्मचारी की सभी शिकायतों को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
13. आयोग ने विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थों के पैनल के रखरखाव की सिफारिश की है।

14. व्यक्तिगत श्रमिकों से संबंधित मामले, चाहे वह रोजगार की समाप्ति या स्थानांतरण या कोई अन्य मामला हो, श्रम न्यायालय द्वारा शिकायत निवारण समिति, सुलह और मध्यस्थता व निर्णय के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार, आईडी अधिनियम की धारा 2 ए में संशोधन किया जा सकता है।
15. सार्वजनिक निधि से श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों को कानूनी सहायता की व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सलाह लेने में असमर्थता के परिणामस्वरूप श्रमिक और उनके संगठन अनुचित रूप से विकलांग नहीं हैं।
16. हड़ताल को केवल मान्यता प्राप्त वार्ताकार द्वारा ही बुलाया जाना चाहिए और वह भी केवल तब जब उसने सभी श्रमिकों के बीच एक हड़ताल मतपत्र आयोजित किया हो, जिनमें से कम से कम 51% हड़ताल का समर्थन करते हैं।
17. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी - विधायी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
18. आयोग आग्रह करता है कि इन सिफारिशों को समग्र रूप से लिया जाए, न कि एक टुकड़े के रूप में जो अंतर्संबंध और समग्र दृष्टिकोण के संदर्भ को नष्ट कर सकता है।
19. छोटे प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रावधान छोटे उद्यम (रोजगार संबंध अधिनियम) नामक एक अलग कानून के रूप में हो सकते हैं या श्रमिकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अध्याय के रूप में सामान्य कानून में शामिल किया जा सकता है, प्रबंधन पर बोझ कम करते हुए और उन्हें प्रबंधकीय कार्यों को करने में सतर्कता प्रदान करते हुए भी।
20. आयोग यह सिफारिश करेगा कि किसी भी कर्मचारी को स्थायी नौकरी के विरुद्ध 2 वर्ष से अधिक समय तक लगातार आकस्मिक या अस्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।
21. आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी को उसके एक महीने के वेतन का भुगतान बोनस के रूप में एक उपयुक्त त्योहार से पहले करना होगा, चाहे वह दीवाली हो या ओणम या पूजा या रमजान या क्रिसमस। इससे अधिक की मजदूरी के अधिकतम 20% तक बोनस की कोई भी मांग बातचीत के अधीन होगी। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि पात्रता की गणना और बोनस की गणना के लिए दो वेतन सीमा की वर्तमान प्रणाली को पात्रता और गणना के लिए क्रमशः 7500/- रुपये और 3500/- रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।
22. एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन होना चाहिए जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। इस न्यूनतम वेतन को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसमें महंगाई भत्ते का एक घटक होना चाहिए जिसे छह मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी को पांच साल में एक बार संशोधित किया जा सकता है। आयोग अनुसूचित रोजगारों को अधिसूचित करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने और प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के लिए समय-समय पर मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित/संशोधित करने की भी सिफारिश करता है, क्योंकि यह अनुभव करता है कि सभी रोजगारों में सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलना चाहिए।
23. किसी भी उद्योग में श्रमिकों के लिए मजदूरी दर तय करने के लिए, किसी भी वेतन बोर्ड, वैधानिक या अन्यथा की कोई आवश्यकता नहीं है।

24. आयोग ने कार्यस्थल पर काम के घंटे, छुट्टी और काम करने की स्थिति से संबंधित एक सामान्य कानून बनाने की सिफारिश की। कार्यस्थल पर और विभिन्न गतिविधियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए लागू सुरक्षा पर विभिन्न नियमों और विनियमों का प्रावधान करते हुए, एक सर्वव्यापक कानून बनाया जा सकता है।
25. नियोजित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जनशक्ति और विशेष रूप से महत्वपूर्ण कौशल के कुशल उपयोग में मदद करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा को मजबूत करना होगा। इस उद्देश्य के लिए सेवा के राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ावा और मजबूत किया जाना चाहिए।
26. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार का प्रावधान एक प्रबुद्ध सामाजिक नीति का हिस्सा होना चाहिए। जहां तक संभव हो, नियोक्ताओं को औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए इसे औद्योगिक नैतिकता के मामले के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विकलांगों के लिए पुनर्वास गृह नियोक्ताओं और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
27. "भूमि के पुत्रों" की समस्या का समाधान आम नागरिकता की प्रधानता, भौगोलिक गतिशीलता और एक ओर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की आर्थिक व्यवहार्यता और दूसरी ओर स्थानीय आकांक्षाओं के संदर्भ में खोजना होगा।
28. जिन परिवारों की भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए अधिगृहीत की गई है, उन परिवारों के युवाओं को इन भूमि पर स्थापित होने वाली नई इकाइयों में रोजगार सृजित होने की संभावना के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
29. ऊपर अनुशंसित कदम निजी क्षेत्र में भर्ती के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए, हालांकि निजी क्षेत्र में भर्ती को विनियमित करने का तंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप से भिन्न होगा।
30. (ए) राज्य में प्रशिक्षण और रोजगार संगठन राज्य श्रम विभाग के अधीन होना चाहिए, (बी) सभी राज्यों में निर्देशात्मक कर्मचारियों और प्रशिक्षण के समान व्यावसायिक मानकों के लिए समान न्यूनतम योग्यता और तुलनीय वृद्धि की संभावनाएं होनी चाहिए, (सी) रोजगार और प्रशिक्षण सेवाओं के कार्यक्रमों और उपलब्धियों का निरंतर प्रचार किया जाना चाहिए ताकि नियोक्ताओं / प्रशिक्षुओं और जनता को उनका पूरा महत्व बताया जा सके।
31. श्रमिकों के प्रशिक्षण का मुख्य बोझ अनिवार्य रूप से उद्योग पर पड़ना चाहिए। राज्यों को इस मामले में नियोक्ताओं की गतिविधियों को समाप्त करने के बजाय पूरक बनाना चाहिए। इसे केवल ऐसे क्षेत्रों में कदम उठाना चाहिए जहां नियोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। नियोक्ताओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण योजनाओं को पंजीकृत करने के लिए राज्य शिक्षता सलाहकार को प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
32. नई मशीनों के आने से पारंपरिक कौशल अप्रचलित हो जाते हैं और संभवतः नई मशीनों में कमी पैदा हो जाती है। कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण के लिए संयंत्र प्राधिकरण द्वारा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। वरिष्ठ स्तर की जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक कार्यकर्ता को अध्ययन अवकाश देने की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए; इससे आंतरिक प्रोत्साहन मिलेगा और बेहतर औद्योगिक संबंध बनेंगे।
33. इंडक्शन एक नए कर्मचारी की संतुष्टि में इजाफा करेगा यदि उसके कार्य स्थान, प्रबंधन और उसकी नीतियों के बारे में प्रासंगिक तथ्य उसे प्रबंधन के माध्यम से ही संप्रेषित किए जाते हैं।

34. (ए) जहां पदोन्नति ज्ञात मानकों पर आधारित नहीं हैं, प्रबंधन को मान्यता प्राप्त संघ के परामर्श से एक पदोन्नति नीति विकसित करनी चाहिए जहां यह मौजूद है, (बी) एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष रूप से निचले पायदान में परिचालन और लिपिक श्रेणियों के बीच वरिष्ठता पदोन्नति का आधार होनी चाहिए। मध्य-प्रबंधन, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रशासनिक कर्मियों के संबंध में, वरिष्ठता-सह-योग्यता मानदंड होना चाहिए। उच्च प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए केवल योग्यता ही मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए।
35. (ए) किसी भी अन्य योजना की तरह श्रमिकों की शिक्षा की वर्तमान योजना पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है और इसे सुधारने और मजबूत करने की आवश्यकता है। (बी) केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा साहित्य के उत्पादन के कार्यक्रम को न केवल तेज किया जाना चाहिए बल्कि सुधार भी किया जाना चाहिए। (सी) श्रमिकों के शिक्षा कार्यक्रम की सहायता के रूप में सरकार को श्रमिकों के बीच निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक व्यापक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
36. (ए) केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जितनी जल्दी हो सके, श्रमिक शिक्षा के कार्यक्रम को ट्रेड यूनियनों द्वारा तैयार और कार्यान्वित करने की अनुमति देनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए, श्रमिकों के लिए यूनियनों को सहायता देने के लिए वर्तमान प्रक्रियाएं और नियम शिक्षा को सरल बनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक निधियों की जवाबदेही के अनुरूप यूनियनों की संरचना और जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए, (सी) बोर्ड के तहत कार्यक्रम के लिए श्रमिकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं प्रदान करके नियोजित को यूनियनों के साथ सहयोग करना चाहिए।
37. राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्रों को विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से संघ के अधिकारियों और संघ के आयोजकों के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसमें ट्रेड यूनियनवाद, औद्योगिक संबंधों, श्रम कानूनों और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के मूल सिद्धांतों में व्यावहारिक क्षेत्र कार्य और शिक्षा शामिल होनी चाहिए। सरकार को विश्वविद्यालयों को संघ के नेताओं और आयोजकों के लाभ के लिए विस्तार पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
38. (ए) केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता ट्रेड यूनियनों के नामित व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। योजना के निदेशक को भी एक ट्रेड यूनियन नामित होना चाहिए, (बी) केंद्रीय बोर्ड में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होना चाहिए; इस प्रतिनिधित्व को प्रदान करने में, वर्तमान व्यवस्था जिसके द्वारा श्रमिकों के लिए बोर्ड पर सबसे बड़ा एकल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, परेशान नहीं किया जाना चाहिए, (सी) बोर्ड के गठन और कार्यों में प्रस्तावित परिवर्तनों के अधीन, बोर्ड को रखा जाना चाहिए अपने कार्यकाल के आधार पर।
39. सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण खदानों को बंद करने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई श्रमिकों को की जानी चाहिए।
40. प्रत्येक बंदरगाह पर एक पूरी तरह से योग्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 और भारतीय गोदी मजदूर विनियम, 1948 को एक अधिनियम में मिला दिया जाना चाहिए जिसमें सभी कामगार शामिल हों।
41. (ए) अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताएं काम के घंटों में तत्काल कमी की अनुमति नहीं देती हैं। जैसे-जैसे स्थितियों में सुधार होता है, काम के घंटों को कम करके एक सप्ताह में 40 कर दिया जाना चाहिए, लेकिन दो चरणों में। (बी) रात की पाली के दौरान काम के घंटे कम किए जाने चाहिए। छह घंटे का काम इस प्रकार एक कर्मचारी को एक घंटे के लिए अतिरिक्त भुगतान का हकदार होना चाहिए। (सी) ओवरटाइम काम की अवधि या प्रकृति पर प्रतिबंधों

में ढील देना आवश्यक नहीं है।

42. कार्य के निर्धारित घंटों को 54 से घटाकर 48 करने के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए
43. रेल प्रशासन को रेलवे में रोजगार के घंटे नियमों के तहत रेल सेवकों के वर्गीकरण के सभी मामलों की पांच साल में एक बार जांच करनी चाहिए।
44. भुगतान किए गए राष्ट्रीय और त्योहार की छुट्टियों की संख्या में एकरूपता वांछनीय है। प्रत्येक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 3 राष्ट्रीय और 5 त्योहारों की छुट्टियों की अनुमति दी जानी चाहिए।
45. दंडात्मक प्रावधानों को सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि उनका निवारक प्रभाव महसूस किया जा सके। गंभीर अपराधों को संज्ञेय बनाया जाना चाहिए।
46. श्रम कल्याण की अवधारणा गतिशील है; इसकी सामग्री एक देश के भीतर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगी।
47. ठेका श्रमिक कल्याण सुविधाओं का उपयोग करने का हकदार होना चाहिए जो मौजूदा कानून के तहत प्रत्यक्ष श्रमिकों के लिए हैं। प्रत्यक्ष श्रमिकों के लिए सुविधाओं के मानक को इस कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए।
48. कानून के कल्याण पहलुओं के निरीक्षण के लिए किसी तकनीकी ज्ञान या इंजीनियरिंग योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसे मान्यता प्राप्त संघ की सहायता से या एक कार्य समिति की सहायता से जहां यह संचालित होता है, सर्वोत्तम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
49. कल्याण अधिकारी को मानवीय पक्ष में एक रखरखाव इंजीनियर होना चाहिए; उसे वर्तमान में कार्य संतुष्टि नहीं है, क्योंकि एक औद्योगिक इकाई में कल्याण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। उनकी उपस्थिति को सहन करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता के रूप में अधिक माना जाता है। अधिकारी को प्रबंधन की ओर से प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवादों को संभालने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए।

17.10 कोरोना के दौरान श्रम सुधार और काम करने की परिस्थितियों में बदलाव (Labour Reforms during Pandemic)

तथ्य यह है कि भारत में श्रम, COVID-19 महामारी के संदर्भ में, एक अभूतपूर्व संकट में फंस गया है। श्रमिकों के भारी बहुमत के रोजगार और आजीविका को भारी नुकसान हुआ है, और एक बड़े पैमाने पर अनिश्चितता उनके तत्काल निकट भविष्य पर मंडरा रही है।

COVID 19 महामारी से उबरने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकारों को अपना ध्यान आपातकालीन आय और रोजगार सहायता से हटाकर बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के काम पर लौटने की सुविधा के लिए अंतर्निहित संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। माल और श्रम की मांग। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई सक्रिय श्रम बाजार नीतियों (एएलएमपी) की आवश्यकता होगी: श्रम बाजार की बदलती जरूरतों का अनुमान लगाना; विस्थापित श्रमिकों के पुनः आवंटन को बढ़ावा देना; उपयुक्त कौशल के विकास को बढ़ावा देना; और लक्षित समर्थन के माध्यम से सबसे कमजोर समूहों का समर्थन करते हैं।

यह नीति संक्षिप्त समीक्षा करती है कि कैसे देशों ने अपनी सार्वजनिक (या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित निजी) रोजगार सेवाओं (पीईएस) और एएलएमपी को महामारी से निपटने और वसूली के लिए तैयार करने के लिए समायोजित किया। यह 2020 के अंत में आयोजित "(दीर्घकालिक) बेरोजगारी में वृद्धि को कम करने के लिए सक्रिय श्रम बाजार नीति उपायों" नामक एक ओईसीडी / यूरोपीय आयोग (ईसी) प्रश्नावली को प्रदान किए गए 46 देशों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। यह निर्देशित करता है एक समावेशी और गतिशील पोस्ट-महामारी समाज में फलने-फूलने के लिए आवश्यक कौशल के साथ विस्थापित श्रमिकों को श्रम बाजार में जल्दी से पुनः एकीकृत करने के लिए नीति कैसे तैयार की जा सकती है।

COVID-19 के प्रकोप और पिछले साल देशव्यापी तालाबंदी लागू होने के बाद, यहां तक कि श्रमिकों को नौकरी छूटने और अवैतनिक मजदूरी से जूझना पड़ा, और राष्ट्र ने प्रवासी श्रमिकों के अभूतपूर्व पलायन को देखा, कई राज्यों की सरकारों ने काम के घंटे बढ़ा दिए। कारखाने के मजदूर। उन्होंने कारखाना अधिनियम और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के आवेदन के लिए सीमा संख्या में वृद्धि की। कुछ राज्यों ने आगे बढ़कर कुछ कारखानों को श्रम कानूनों के लागू होने से पूरी तरह छूट देने के लिए कदम उठाए।

महामारी के प्रकोप के साथ, उद्योगों ने अत्यधिक आर्थिक मंदी का अनुभव किया, जिसने कंपनियों और संगठनों को मजदूरी में कटौती और लोगों की छंटनी जैसे कठोर उपाय करने के लिए मजबूर किया है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि देश में 40 मिलियन लोगों (MRD रिपोर्ट) की नौकरी चली गई है, ज्यादातर असंगठित क्षेत्रों में। समवर्ती रूप से, बदलते परिदृश्य के परिणामस्वरूप संगठन नई अनुपालन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

श्रम कानूनों में बदलाव

श्रम सुधारों को एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए, तीन कानून, अर्थात् व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और 25 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 बनाई गई है। यह पुनर्गठन मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। नए श्रम संहिताओं को न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं की मदद करना

श्रम सुधार मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए उचित नियंत्रण देंगे। इस लॉकडाउन के दौरान सुधारों को पेश करने और पूरे बिखरे हुए कानूनी श्रम कानून ढांचे के पुनर्गठन के लिए सरकार का कदम एक निष्पक्ष कार्य उद्योग की दिशा में एक कदम हो सकता है। प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना होगा।

दूसरी ओर, नियोक्ताओं के पास किराया जैसे मामलों में भी चीजों को चलाने के लिए बेहतर नियंत्रण होगा। मौजूदा सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी प्रक्रियाएं तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना सुचारू रूप से चले।

व्यापार और कार्यकर्ता-मित्रता

श्रम सुधार 500 मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करेंगे, जो कि वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक कर्मचारियों को ध्यान में रखा जाएगा। नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ध्यान में रखने के अलावा, ये सुधार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल पक्षों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए और वे इससे संतुष्ट हों।

मजदूरी पर संहिता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रतिष्ठान में लिंग, नौकरी की भूमिकाओं के आधार पर कोई भेदभाव न हो और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहीं और किए गए समान कार्य की तुलना में किए गए कार्यों के लिए उचित मजदूरी और

पात्र बोनस हो। इन सुधारों से कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि और वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर मालिक की चिंता सुनिश्चित करने वाले कोड के कारण भारत की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' क्रेडेंशियल्स को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

महामारी और लॉकडाउन ने मानदंड और उपाय पेश किए हैं जिन्हें अब काम और व्यक्तिगत जीवन दोनों के संबंध में नया सामान्य माना जा रहा है। ये मानदंड सामाजिक दूरी, स्वच्छता और अनुबंधित बीमारियों से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, यह आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए कि भविष्य में न्यूनतम भौतिक निरीक्षण होंगे और प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग व्यवसाय-उन्मुख बैठकें करने का आदेश बन सकता है।

हमने इस लॉकडाउन के दौरान पहले ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स का उदय देखा है और यह एक सच्चाई है कि मीटिंग्स के लिए दूर की जगह की यात्रा करने की तुलना में इस अभ्यास को जारी रखना समय और लागत प्रभावी होगा। सभी प्रकार के दस्तावेजीकरण भी डिजिटल होंगे ताकि इसे बिना किसी परेशानी के विभिन्न स्थानों पर भेजा जा सके। श्रम संहिताओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ भी ऐसा ही होगा।

ऑन-डिमांड सभी दस्तावेज, टैली और खाते आसानी से अधिकारियों को ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। रिकॉर्ड बुक और दस्तावेजों को पढ़ने के पहले के दिनों की तुलना में त्रुटियों और बेमेल को आसानी से ऑनलाइन पहचाना जा सकता है। साथ ही सुधारों के साथ राज्य के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन इंटरफेस और न्यूनतम भौतिक निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कोविड के बाद का परिदृश्य

कोविड-19 अनुपालन उद्योग सहित सभी के लिए एक सीखने वाला सबक रहा है। आगे बदलते परिदृश्यों के मामले में इस महामारी ने अनुपालन उद्योग को अधिक तैयार और लचीला होने के लिए तैयार किया है। इसने महत्वपूर्ण वृद्धि भी दिखाई है और परिवर्तन नया सामान्य हो सकता है।

हालांकि कंपनियां आर्थिक मंदी से खुद को पुनर्जीवित करती दिख रही हैं, महामारी के इस प्रकरण ने फर्मों को सिखाया है कि अनुपालन की संस्कृति को बनाए रखना और त्वरित परिवर्तनों के अनुकूल होना और नए और उभरते जोखिमों और चुनौती के लिए योजना बनाना आवश्यक है ताकि अनुपालन टीमों आसानी से कर सकें जोखिम को कम करें और संकट की अवधि में आसानी से उसका सामना कर सकें।

दूसरी ओर, किसी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो संगठन इन परिवर्तनों के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं, वे गैर-अनुपालन के आधार पर भारी दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

17.11 उदाहरण (Example)

किसी भी कार्यालय का अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण कंपनी की प्रगति में वृद्धि करती है एवं प्रतिकूल अथवा बुरा वातावरण श्रमिक एवं कंपनी दोनों को नुकसान करती है ! श्रमिकों के प्रति अच्छा व्यवहार, अनुकूल कार्यदशाएँ, एवं सुविधाएँ कंपनी की उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक होती है !

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. निम्न में से श्रम पर्यावरण के तत्त्व है -

(अ) फर्निशिंग (furnishing)	(ब) उपकरण
(स) सुविधाएँ	(द) उपयुक्त सभी

2. निम्न में से श्रम वातावरण के प्रकार है -

- (अ) वास्तविक वातावरण (ब) कलात्मक
- (स) अ और ब दोनों (द) उपकरण
3. निम्नलिखित में से कम्पनी की संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्त्व है -
- (अ) आचार संहिता (ब) प्रोत्साहन और विकास
- (स) कम्पनी मिशन स्टेटमेंट (द) उपयुक्त सभी
4. निम्न में से श्रम वातावरण की विशेषता नहीं है -
- (अ) घरेलु और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है।
- (ब) स्वस्थ जीवनशैली।
- (स) उत्पादक सम्पत्तियों को बेहतर उपयोग करता है।
- (द) रोजगार को बढ़ावा देना।

उत्तर : 1 (द), 2 (स), 3 (द), 4 (ब)

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. श्रम पर्यावरण के अर्थ बताइए।
2. श्रम पर्यावरण के दो तत्त्व लिखिए।
3. श्रम पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं?
4. भारत में श्रम कानूनों के दो उद्देश्य बताइए।

17.12 सारांश (Summary)

श्रम वातावरण वह स्थिति है, जिनमें श्रमिक अपना काम करते हैं। ये तत्त्व, कार्यस्थल संबंधों, सहयोग, सुरक्षा, दक्षता और कर्मचारी की स्वास्थ्य की रक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। श्रम वातावरण में सर्वप्रथम भौतिक वातावरण आता है श्रम शारीरिक अथवा मानसिक किया जाता है ! यह तत्त्व कार्यस्थल के आकार, लेआउट और स्थान से बना है, चाहे काम घर के अंदर हो या बाहर। इसमें कार्यस्थल में दी जाने वाली समस्त सुविधाएं और काम करते समय उपयोग की जाने वाली साज-सज्जा सम्मिलित होती हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनी की संस्कृति भी कार्यस्थली को प्रभावित करती है ! यह तत्त्व एक कंपनी और उसके कर्मचारियों के काम करने के तरीके एवं उनके मध्य संबंधों को दर्शाता है। इसमें कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों, कंपनी के नेताओं एवं कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कंपनी के लक्ष्यों और संगठन के मूल्यों के बीच प्रभावी संचार संरचना सम्मिलित है।

साथ ही श्रम करने की स्थिति भी श्रम वातावरण का मुख्य भाग है ! इस तत्त्व में औपचारिक शर्तें शामिल हैं जिनके तहत स्टाफ सदस्यों को काम पर रखा जाता है, जैसे वेतन की दर, रोजगार का अनुबंध और कार्यदिवस की अवधि। यह एक

स्वस्थ कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजक गतिविधियों और अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखता है ! अर्थात् श्रम वातावरण का मुख्य कार्य श्रमिक को कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करना है !

17.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी श्रम पर्यावरण का अर्थ के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी श्रम पर्यावरण के तत्त्व के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी भारत के श्रम कानूनों के उद्देश्य के बारे में जान पाएंगे।

17.14 शब्दकोश (Glossary)

श्रम पर्यावरण उन सभी तत्वों से बना है जो दिन-प्रतिदिन की उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें काम कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, शामिल है। श्रमिक कैरियर के विकास के दौरान, वे ऐसे अवसर प्राप्त कर सकते हैं जो एक आरामदायक कार्य वातावरण प्रदान करते हैं जो सफलता को बढ़ावा देता है और उनके मूल मूल्यों के साथ संरेखित होता है। लोकतांत्रिक देशों में श्रम हितों की सुरक्षा को राज्य (सरकार) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है।

17.15 स्व – परख प्रश्न (Self Test Question)

1. निम्न में से क्या श्रम के अंतर्गत आता है :
(अ) सिनेमा देखना (ब) क्रिकेट खेलना
(स) दीवार बनाना (द) कोई नहीं
2. श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं :
(अ) शारीरिक श्रम (ब) मानसिक श्रम
(स) कुशल श्रम (द) उपरोक्त सभी
3. भारत में कौनसा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है :
(अ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
(ब) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
(स) बोनस लाभ अधिनियम 1971
(द) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926
उत्तर : 1. (द) 2. (द) 3. (स)
4. श्रम पर्यावरण से क्या आशय है ? इसके विभिन्न तत्वों को संक्षेप में समझाइये।
5. श्रम वातावरण कितने प्रकार का होता है ? वर्णन कीजिये।
6. श्रम वातावरण को अनुकूल कब कहा जा सकता है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।
7. भारत में श्रम कानून के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिये।
8. निम्नलिखित श्रम कानूनों को समझाइये (कोई 3).
 - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 - ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

- कारखाना अधिनियम, 1948
 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
 - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
9. राष्ट्रीय श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।
 10. कोरोना के दौरान श्रम कार्य की परिस्थितियों में आये बदलाव पर प्रकाश डालिये।

17.16 संदर्भ व ग्रंथ सूची (Reference and Bibliography)

- लेर्चे, जेन्सा (2012)। भारत में श्रम विनियम और श्रम मानक: अच्छा कार्य?। ग्लोबल लेबर जर्नल। 3. 10.15173/glj.v3i1.1111।
- बसु, कौशिक (2006)। भारतीय अनुभव के संदर्भ में श्रम कानून और श्रम कल्याण। असमानता, सामाजिक बहिष्करण और कल्याण में आर्थिक अध्ययन। 10.1007/0-387-29748-0_10.।
- औद्योगिक एवं श्रम अधिनियम- प्रो। राजेंद्र सिंह साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, प्रयागराज (यू.पी.)
- औद्योगिक श्रम एवं सामान्य विधि- जैन गुप्ता महावीर प्रकाशन, दिल्ली.

17.17 अन्य पठन सामग्री (Other reading material)

- श्रम एवं औद्योगिक विधि – प्रो. सूर्य नारायण मिश्र, Central Law agency publication.
- श्रम कल्याण ओर औद्योगिक संबंध – बालेश्वर पाण्डेय, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली.

17.18 वेब साधन / लिंक (Web resources/links)

- अंकिता शुक्ला, 2021 <https://oyehero.com/india-bio/gyan/labour-definition-in-hindi/>
- https://hi.wikipedia.org/wiki/%20औद्योगिक_सम्बन्ध
- https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol2chapter/hechap10_vol2.pdf
- <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/25-09-2020/print>
- https://hi.wikipedia.org/wiki/%20श्रम_कानून
- <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BCM-201.pdf>

इकाई-18

व्यावसायिक वातावरण पर विभिन्न सनियमों का प्रभाव (Impact of Various Legislations on Business Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of unit)

- 18.0 उद्देश्य
- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं 2019
- 18.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव
- 18.4 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002
- 18.5 प्रतियोगिता अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव
- 18.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- 18.7 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव
- 18.8 सारांश
- 18.9 अधिगम परिणाम
- 18.10 शब्द कोष
- 18.11 स्व-परख प्रश्न
- 18.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
- 18.13 अन्य पठन सामग्री
- 18.14 वेब संसाधन/लिंक

18.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के पठन एवं अध्ययन के बाद आप :-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को जान पायेंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव का विश्लेषण एवं अध्ययन कर सकेंगे।
- प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रमुख प्रावधानों का ज्ञान हो सकेगा।
- प्रतियोगिता अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख प्रावधानों को समझ सकेंगे।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन कर सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना (Introduction)

व्यवसाय में वे समस्त क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनका सम्बन्ध वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण एवं विक्रय से होता है। व्यवसाय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो 'मूल्यवान' वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विनिमय द्वारा, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए 'लाभ' प्राप्त करती है, यह कानून द्वारा सहयोग पर निर्भर होता है। यह मानवीय, आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया है, जिसमें जोरिवम-तत्त्व, पारस्परिक हित तथा लाभ-तत्त्व विद्यमान रहता है, केवल मूल्यवान वस्तुओं एवं सेवाओं का निरन्तर उत्पादन, विनिमय, उपयोगिता का सृजन करने के लिए, उपभोक्ताओं की माँग के अनुरूप धनार्जन हेतु एक तंत्र के रूप में किया जाता है, ये सभी क्रियाएँ कानून के परिक्षेत्र में हैं। इसे विधान अथवा राजनियम अथवा कानून के बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय का समाज के हित, साधन एवं कल्याण की दृष्टि से वैधानिक होना आवश्यक है। अधिनियमों तथा कानूनी कार्य-पद्धतियों द्वारा न केवल व्यवसाय का कुशल संचालन ही किया जा सकता है, अपितु इसके लक्ष्यों एवं आदर्शों की पवित्रता को भी बनाए रखा जा सकता है तथा इसके व्यापक क्षेत्र में कानूनी नियमों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, गोदाम, पैकेजिंग, विज्ञापन, स्कन्ध विनिमय केन्द्र, प्रत्यक्ष पेशेवर सेवाएँ, अनुसंधान, कम्प्यूटर सेवाएँ तथा इन्टरनेट सुविधाएँ 'कला' एवं 'विज्ञान' के नियमों के अनुरूप सम्मिलित की जाती हैं। इसका मूल मंत्र 'ग्राहक सृजन एवं संतुष्टि' माना गया है। व्यवसाय में 'नेतृत्व' आवश्यक होता है, केवल 'योग्यता' नहीं। इस अध्याय के मूल तत्वों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त, उन प्रमुख कानूनों (राज नियम) में प्रदत्त तथ्यों का संक्षिप्त निर्वचन तथा तीन 'अति-विशिष्ट' एवं 'प्रभावशाली' कानूनों की विभिन्न धाराओं का गहन अध्ययन करना भी न्यायोचित होगा जो व्यावसायिक-वातावरण को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

इन्हें निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :-

(अ) **भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) : न्यायाधीश कार्ले तथा रॉबर्ट (Justice Corley and Robert)** का यह कथन कि जिस प्रकार जनता एवं सम्पत्ति की सुरक्षा दण्ड विधान के नियमों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यावसायिक जगत की सुरक्षा एवं स्थिरता अनुबन्धों के विधान पर निर्भर करती है, व्यवसाय के वातावरण पर अनुबन्धों की सटीक व्याख्या करता है। यदि बिना अनुबन्ध के कोई भी व्यवसाय सम्पन्न किया जाता है तो उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जब तक कि वह राजनियम (कानून) द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो जाता है। इसके लिए, निम्न सूत्र पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है :

प्रस्ताव + स्वीकृति = ठहराव + राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता = अनुबन्ध।

इस अधिनियम का, व्यवसाय की वैधता पर प्रभाव अग्रगामी उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है:-

'अ', 'ब' के सम्मुख स्वयं के मकान का विक्रय करने की इच्छा प्रकट करता है, जिसके लिए 'ब' सहमति प्रदान कर देता है। 'अ', इस निमित्त स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा अथवा ठहराव और मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र तैयार करवा कर, 'ब', से धनराशि प्राप्त कर लेता है तो भी कानूनन वह मकान 'ब' का नहीं होगा, जब तक कि उसे सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवा लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम (कानून) व्यवसाय के संबंध में गारन्टी प्रदान करते समय, वस्तु का निक्षेप करते समय, किसी भी व्यावसायिक वस्तु को अथवा व्यवसाय के संबंध में गैर-व्यावसायिक वस्तु को गिरवी रखते समय पर अथवा किसी व्यवसाय की एजेन्सी प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है।

(यह अधिनियम 1 सितम्बर, 1872 से भारत में लागू किया गया था)

(ब) **वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)** : यह कानून (राज नियम) भी व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालता है तथा वाणिज्य के विकास में, उस समय स्वतंत्र रूप से सहयोग प्रदान करता है जब कोई विक्रेता, मूल्य के बदले किसी वस्तु अथवा माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित करता है अथवा हस्तान्तरित करने का ठहराव करता है और ऐसा न करने पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसमें प्रदत्त धाराएँ उस विवाद का समाधान करती हैं। अतः व्यावसायिक वातावरण में, पक्षकारों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बने रहते हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई, 1930 से क्रियान्वित किया गया।

इस राज नियम की धारा 2(7), को निम्न उदाहरण की सहायता से समझने पर, यह तथ्य ज्ञात हो जाएगा कि व्यावसायिक वातावरण पर कानून (राज नियम) स्वतः ही प्रभावी हो जाता है :-

विक्रय-अनुबन्ध की विषय वस्तु 'माल' (Goods) होती है तथा इस माल में वर्तमान प्रचलित मुद्रा एवं वाद-योग्य (जो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके ही प्राप्त होता हो) दावों को छोड़कर -

- (i) सभी प्रकार की चल सम्पत्ति, खड़ी फसलें जो विक्रय योग्य होंगी तथा स्कन्ध एवं अंश-पत्र (Stock and Shares), धातुएँ, खनिज पदार्थ एवं पत्थर, आवंटन के बाद ऋण-पत्र बिना कानून की क्रियान्विति के विक्रय करने की क्षमता नहीं रखते हैं।
- (ii) पुरानी मुद्रा और ऐसे सिक्के जो अब चलन में नहीं रहे हैं, विदेशी मुद्रा जो चलन में हो अथवा नहीं, ख्याति, कॉपीराइट, एकस्व (Patent) तथा व्यापार चिन्ह, पानी, विद्युत, गैस, न्यायालय द्वारा जारी किए गए जब्ती आदेश (Decree), कम्प्यूटर-डिस्क पर बेची जाने वाली कोई भी सामग्री तथा लोटरी के टिकट को कानून द्वारा ही 'माल' की संज्ञा प्रदान की गई है। यदि कोई पक्षकार विक्रय अनुबन्ध को भंग करता है तो 'माल', 'क्रेता' एवं 'विक्रेता' के विरुद्ध किये जाने वाले उपचार भी इस सन्निधम द्वारा ही थोपे जाते हैं।

(स) **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 (Information Technology Act, 2008)**: यह अधिनियम 17 अक्टूबर, 2000 को तथा संशोधित अधिनियम, 2008 को, 27 अक्टूबर, 2009 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। इस कानून ने व्यावसायिक वातावरण में 'इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति' को जन्म दिया है।

तत्संबंधित अधिनियम के पारित होने के पश्चात् उक्त सन्निधम (राज नियम) संबंधी प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं, जिससे सामान्य जनता के अतिरिक्त व्यवसायियों को एवं व्यावसायिक संस्थाओं को अनेक लाभ हुए हैं, यथा -

- (i) सभी व्यावसायिक संगठन, वर्तमान में अपने लगभग सभी व्यापारिक लेनदेन, पत्र-व्यवहार तथा कानूनी प्रक्रियाओं की क्रियान्विति एवं विधान का पालन इलेक्ट्रॉनिक संदेशवाहन ; (Electronic Communication) के माध्यम से करने लगे हैं जिससे व्यावसायिक वातावरण में, सभी अनुबन्धों के सभी पक्षकारों को वैधानिक अधिकार प्राप्त होने लगे हैं, जिससे ई-अभिशासन (E-Governance) के लिए आगामी पथ सरल हो गया है।
- (ii) सरकारी एवं व्यावसायिक निजी संस्थाओं के अधिकारीगण, शासकीय सूचनाओं/परिपत्रों/अधि-सूचनाओं को अपनी वेबसाइट्स पर प्रसारित करके सार्वजनिक सूचना प्रदान करने की कानूनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।

अतः कानून में समरूपता के कारण ई-कॉमर्स को वैधानिक मान्यता मिलने के साथ-साथ, व्यावसायिक वातावरण को भी गतिशीलता प्राप्त हुई है।

(द) **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (The Essential Commodity Act, 1955)** : यह अधिनियम व्यावसायिक वातावरण में पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए व्यापारी-वर्ग के द्वारा

किए जाने वाले अवांछनीय कार्यों पर अंकुश लगाने हेतु 1 अप्रैल, 1955 से लागू किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ समुचित मात्रा में, उचित मूल्य पर तथा उचित समय में उपलब्ध हो जाएँ।

इस अधिनियम की रचना का मूल उद्देश्य, व्यावसायिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से, कुछ वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण तथा उनके व्यापार एवं वाणिज्य को नियंत्रित करना है।

इसमें व्यवसाय को संबल प्रदान करने के लिए तथा उससे संबंधित वातावरण को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु, जब भी उचित एवं आवश्यक समझा जाए, केन्द्र सरकार आदेश प्रसारित कर सकती है। केन्द्र सरकार को, ये शक्तियाँ निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्राप्त हैं :-

- (i) आपूर्ति बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए,
- (ii) आवश्यक वस्तुओं के समुचित मूल्य पर वितरण हेतु,
- (iii) अनुज्ञापत्रों (Licenses) का भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमन करने के लिए,
- (iv) मूल्यों पर नियंत्रण रखते हुए जमाखोरी रोकने हेतु,
- (v) विक्रय आदेश देने, सूचनाएँ एकत्र करने, पुस्तकों, अभिलेखों के निरीक्षण के साथ आवश्यक होने पर तलाशी लेने एवं जब्त करने हेतु, तथा
- (vi) केन्द्र सरकार द्वारा, जिस वस्तु को अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया हो अथवा ऐसी घोषणा के पश्चात् भी समय-समय पर 'राजपत्र' (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित करके, किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जा सकता है एवं किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटाया जा सकता है। उदाहरणार्थ - इस अधिनियम में सन् 2020 में संशोधन करके, यह पारित किया गया कि इसके तहत पूर्व में समाविष्ट अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू एवं खाद्य तेल को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है।

(य) अन्य अधिनियम जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं (Other Acts affect Business Environment)

(a) विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम, 2000 (Foreign Exchange Management Act, 2000) : यह कानून आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, विदेशी व्यापार के विकास को ध्यान में रखते हुए, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करने के लिए, भारतीय मुद्रा को देश के बाहर जाने से रोकने हेतु 1 जून, 2000 से संसद द्वारा लागू किया गया है।

व्यावसायिक वातावरण में पारदर्शिता लाने के लिए, इस अधिनियम के निम्न मूल उद्देश्य उद्धृत किए गए हैं :-

- राष्ट्र के लिए विदेशी विनिमय का संचय बढ़ाना,
- व्यापार के आयात-निर्यात के लिए सीमा शुल्क का विवेकीकरण करना,
- विदेशी विनियोगों में उदारीकरण को प्रोत्साहित करना,
- विदेशी व्यापार में सारगर्भित वृद्धि करना,
- भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रदत्त बाह्य व्यापारिक ऋणों में वृद्धि करना,
- भारतीय स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में संस्थागत पूँजी विनियोजित करने वाले व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तथा

- पूँजी खाता व्यवहार तथा चालू खाता व्यवहार के माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पूर्ण विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना, निरीक्षण करना तथा उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था करना, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

(र) एकस्व (पेटेन्ट) अधिनियम, 1970 (संशोधित 2005) (The Patent Act, 1970 Amended in 2005):

इस अधिनियम को 1 जनवरी, 2005 से भारत वर्ष में लागू किया गया। पेटेन्ट एक स्वीकृत एकाधिकार है, जिसे खोजकर्ता उत्पादों की निपज (Outputs) एवं मूल्य पर प्रदत्त अधिकार सीमा के अन्तर्गत एक निश्चित अथवा सीमित समय तक नियंत्रण रखता है। ऐसे सृजन कार्य को बौद्धिक-सम्पदा कहा जाता है।

यह कानून :

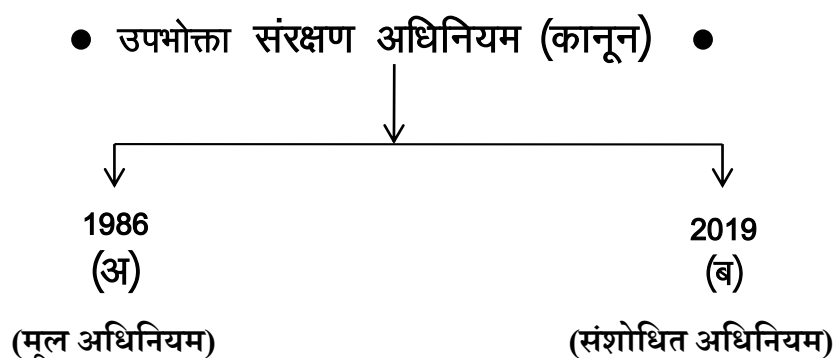
- a) कला, प्रक्रिया, विधि, मशीन एवं उसके उपकरण, निर्माणी कार्य की पद्धति तथा उन पदार्थों अथवा तत्वों से संबंध रखता है जिन्हें किसी निर्माता द्वारा नवीन रूप में निर्मित किया गया है, तथा
- b) व्यापारिक दृष्टिकोण से, कोई उत्पाद विशेष रूप से, किसी प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए, जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो, पर पूर्ण रूपेण प्रभाव डालता है तथा नए व्यवसायियों (उदाहरणार्थ: स्टार्ट - अप) को नव-सृजन का अवसर प्रदान करता है।

(ल) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (Indian Companies Act, 2013) : व्यवसाय का वैश्वीकरण होने के कारण कम्पनी एवं निगम संगठन बहुराष्ट्रीय हो गए हैं। यह अधिनियम, इन संस्थाओं के नियमन एवं नियंत्रण में प्रभावी सिद्ध हुआ है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में, 1 अप्रैल, 2014 से (कुछ धाराओं को छोड़कर) लागू कर दिया गया है।

एक पारदर्शी व्यवसायिक वातावरण पर कम्पनी कानून का प्रभाव, भारत की विकास दर में निरन्तर हो रही वृद्धि से जोड़कर देखने पर, निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं :-

- (i) परिवर्द्धित एवं सुविधाजनक प्रावधानों के कारण कम्पनियों के अंशों एवं ऋणपत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिला है,
- (ii) कम्पनियों के अभिशासन (संचालक मण्डल) एवं प्रबन्धन में व्यावसायिक विश्वसनीयता बढ़ी है,
- (iii) अंशधारियों एवं अन्य हितधारियों को न केवल प्रभावी भागीदारी प्राप्त होने लगी है अपितु कम्पनी के क्रियाकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं के प्रकटीकरण को सुनिश्चित किया जा सका है एवं उत्तरदायी व्यक्तियों को कर्तव्य पालना हेतु बाध्य किया जा सका है,
- (iv) भारतीय कम्पनी क्षेत्र के लिए व्यावहारिक कानूनी संरचना की प्राप्ति हुई है जिससे व्यवसाय में निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हो सका है,
- (v) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार तो सशक्त हुआ ही है, साथ ही, संचालक मण्डल में महिला संचालकों के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है, जो भारतीय संविधान के 'समता एवं समानता' के अधिकार की प्रतिपुष्टि करता है, तथा
- (vi) कम्पनियों के संचालकों एवं प्रमुख प्रबन्धकीय पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले 'प्रतिभूतियों के भावी सौदों' तथा 'आन्तरिक सूचना आधारित सौदों' (Insider trading) पर लगभग रोक लगी है, जो इस सन्नियम के वृहद् प्रभाव को दर्शाती है।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act)



प्रत्येक समाज में उपभोक्ता, उपभोग की अंतिम कड़ी है। यदि उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है तो ही व्यावसायिक वातावरण में समरसता बनी रह सकती है। इसी दृष्टिकोण से, यह अधिनियम 1 जुलाई, 1987 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया है। इसमें संशोधन करते हुए 20 जुलाई, 2020 से नए स्वरूप में प्रतिपादित किया गया है।

(अ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)

अधिनियम के मूल उद्देश्य :

- उपभोक्ता के विभिन्न प्रदत्त अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षण करना तथा निपटारे के लिए व्यवस्था करना,
- उपभोक्ता विवादों का सरलतापूर्वक एवं शीघ्र निपटारा करना,
- उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करना, तथा
- उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए अर्द्ध-न्यायिक मशीनरी (Quasi-judiciary machinery) की रचना करना। यह अधिनियम : सभी प्रकृति के माल (वस्तुओं) एवं सेवाओं पर लागू रहेगा, जब तक कि केन्द्र सरकार, राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु अथवा सेवा को, इससे मुक्त नहीं कर देती है।

(र) उपभोक्ता के अधिकार (Rights of Consumer) :

भारतवर्ष के उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे गलत एवं अवैधानिक कार्य करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

- (i) **सुरक्षा का अधिकार:** एक उपभोक्ता को, इस प्रकृति की वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिन के कारण उसके शरीर को अथवा सम्पत्ति को अथवा दोनों ही प्रकार से हानि पहुँचती हो।
 - **कानूनी प्रभाव :** व्यापारी के वस्तु अथवा सेवा के प्रति लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णय से हुई क्षति के विरुद्ध उपभोक्ता उस राशि की पूर्ति की माँग का अधिकारी बन जाता है।
- (ii) **चुनाव का अधिकार :** कोई भी उपभोक्ता, किसी भी संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु को, किसी भी मूल्य, गुण एवं किस्म के आधार पर स्वेच्छा से पसन्द कर सकता है।
 - **कानूनी प्रभाव :** यदि कोई व्यापारी, उपभोक्ता की पसन्द को अनुचित ढंग से प्रभावित करता है तो उपभोक्ता न्यायालय, उसके विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही कर सकता है।

- (iii) **सूचना पाने का अधिकार :** ऐसी सूचनाएँ जो वस्तु की किस्म, मूल्य, प्रमाण, मात्रा, प्रभावोत्पादकता तथा शुद्धता इत्यादि के सम्बन्ध में, वस्तु अथवा सेवा को क्रय करने के निर्णय के समय आवश्यक बन जाती है, को प्राप्त करने का अधिकार है।
- **कानूनी प्रभाव :** यदि कोई व्यापारी, उपभोक्ता द्वारा याचित ऐसी किसी भी सूचना को प्रदान करने में लापरवाही बरतता है तो उपभोक्ता-मंचों के माध्यम से, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
- (iv) **सुनवाई का अधिकार :** इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एक उपभोक्ता अपनी शिकायत को समुचित मंचों (जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग) के समक्ष रखने तथा उस पर सुनवाई के पश्चात् निर्णय कराने का अधिकार भी रखता है।
- **कानूनी प्रभाव :** इस अधिकार के माध्यम से, एक व्यवसायी को उपभोक्ता की बात को सुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
- (v) **उपचार का अधिकार :** यह अधिकार, एक उपभोक्ता को अपने द्वारा की गई शिकायतों के समाधान का न्यायिक एवं न्यायपूर्ण तथा न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **कानूनी प्रभाव :** उपभोक्ता न्यायालय, शिकायतकर्ता को व्यवसायी के अनुचित व्यवहार एवं नैतिक शोषण से मुक्ति प्रदान करता है।
- (vi) **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार :** ‘दूरदर्शन’ पर ‘जागो ग्राहक जागो’ का सरकारी विज्ञापन, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उपभोक्ताओं को उन सभी तथ्यों की शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्ति का (विभिन्न माध्यमों से) अधिकार है जो वस्तु के क्रय, मूल्य तथा किस्म आदि से संबंधित होते हैं।
- **कानूनी प्रभाव :** उपभोक्ता व्यवसाय एवं व्यवसायी द्वारा की जाने वाली अवांछित गतिविधियों से सतर्क रहते हुए ही वस्तु के क्रय के लिए कदम बढ़ाता है।
- (vii) **मूल्य का अधिकार :** इस अधिकार के अन्तर्गत, उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से है अर्थात् उस वस्तु से उसकी आशाएँ, आकांक्षा के अनुरूप पूर्ण हो गई हैं।
- **कानूनी प्रभाव :** एक उपभोक्ता क्रय की गई वस्तु से मूल्यानुसार पूर्ण उपयोगिता प्राप्त नहीं होने पर, उपभोक्ता मंचों के माध्यम से वस्तु का मूल्य ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है।
- (viii) **स्वस्थ वातावरण का अधिकार :** यह अधिकार, अधिनियम में सम्मिलित नहीं है किन्तु न्यायालयों के निर्णयों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में, इसे उपभोक्ता के ऐसे अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा चुका है कि एक उपभोक्ता, व्यवसायी से ऐसे स्वस्थ वातावरण की अपेक्षा करता है कि उसके जीवन की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार हो।
- **उदाहरण :** माँ गंगा के जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, प्रो० एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, कानपुर में गंगा किनारे स्थापित चर्म उत्पादन हेतु बनाए कत्तखानों को बन्द कराया गया था।
- उपरोक्त सभी अधिकारों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से किया जा सके, इस हेतु ‘केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद’ (The Central Consumer Protection Council) ‘राज्य परिषद’ (State Council) तथा ‘जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद’ (The District Consumer Protection Council) का गठन किया गया है एवं इसकी सुनिश्चित पालना के लिए, निम्न स्वरूप में एक त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र (Three tier quasi judiciary machinery) की स्थापना की गई है, जिससे व्यावसायिक वातावरण में सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बने रहें:-

उपरोक्त तीनों उपभोक्ता मंचों की स्थापना एवं गठन के संबंध में प्रावधानों (Provisions) को पृथक्-पृथक् निम्न स्वरूप में स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका - 01

आधार बिन्दु सं.	जिला मंच	राज्य आयोग	राष्ट्रीय आयोग
1. स्थापना की विधि	इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है।	इसकी स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है।	इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।
2. स्थापित मंचों की संख्या	प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक जिला मंच स्थापित किये जा सकते हैं।	प्रत्येक राज्य में एक ही राज्य आयोग गठित किया जा सकता है।	सम्पूर्ण देश के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग होता है।
3. क्षेत्राधिकार	यह अपने जिले या जिले के निर्धारित क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करता है। यह मंच 1 करोड़ रुपये तक की शिकायतों की सुनवाई कर सकता है।	राज्य आयोग राज्य सम्बन्धित उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करता है। यह मंच 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये तक की शिकायतों तथा जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकता है।	यह आयोग सम्पूर्ण देश के सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मामलों की सुनवाई करता है। यह मंच 10 करोड़ रुपये से अधिक की शिकायतों तथा राज्य आयोगों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकता है।
4. सदस्य संख्या	इसमें अधिकतम तीन सदस्य (सभापति सहित) होते हैं जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।	इसमें भी कम से कम तीन सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अधिकतम संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।	इसमें कम से कम पाँच सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। अधिकतम संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
5. अध्यक्ष का पदस्थापन	इसका अध्यक्ष केवल वही हो सकता है जो जिला न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा बनने की योग्यता रखता हो।	इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।	इसका अध्यक्ष वह सक्षम व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।
6. आयु संबंधी सीमाएँ	इसके सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इस आयु को पूरी करने के साथ ही उस सदस्य का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।	इसके सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष है। इस आयु को पूरी करने के साथ ही उस का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।	इसके सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है। इस आयु को पूरी करने के साथ ही उस का कार्यकाल स्वतः समाप्त माना जाता है।
7. वेतन एवं सेवा की शर्तों का निर्धारण	इसके सदस्यों का वेतन तथा सेवा-शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मूल रूप से, प्रथम	इसके सदस्यों के लिए वेतन तथा सेवा-शर्तें भी राज्य सरकार ही निर्धारित करती है।	इसके सदस्यों के लिए केन्द्रीय सरकार वेतन तथा सेवा-शर्तें निर्धारित करती है। केन्द्र सरकार के प्रथम,

	श्रेणी के वेतनमान दिए जाते हैं।	राज्य प्रथम श्रेणी की उच्चता का ध्यान रखता है।	द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान दृष्टिगत होते हैं।
8. अपील की विधि	यह शिकायत स्वीकार कर सकता है किन्तु अपील स्वीकार नहीं कर सकता। इसके निर्णयों के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकती है।	यह जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार करता है तथा इसके निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।	यह राज्य आयोगों के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार कर सकता है। इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
9. प्रशासकीय नियंत्रण	जिला मंच पर प्रशासकीय नियंत्रण राज्य आयोग का होता है।	इसका प्रशासकीय नियंत्रण राष्ट्रीय आयोग के पास होता है।	यह स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। अतः इस पर संवैधानिक नियंत्रण ही होता है।
10. अपील के समय जमा की जाने वाली राशि	जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील तभी स्वीकार की जाती है जबकि जिला मंच के आदेश में उल्लिखित राशि की पचास प्रतिशत राशि अथवा पच्चीस हजार रुपये में से जो भी कम हो, निर्धारित रीति से जमा करवा दी जाती है।	राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील तभी स्वीकार की जाती है जबकि राज्य आयोग के आदेश में उल्लिखित राशि की पचास प्रतिशत राशि अथवा पैंतीस हजार रुपये में से जो भी कम हो, निर्धारित रीति से जमा करवा दी जाती है।	राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध कोई अपील तभी स्वीकार की जाती है जबकि राष्ट्रीय आयोग के आदेश में उल्लिखित राशि की पचास प्रतिशत राशि अथवा पचास हजार रुपये में से, जो भी कम हो, निर्धारित रीति से जमा करवा दी जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act, 2019)

मूलतः इस अधिनियम के द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को विस्थापित किया गया है। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को तथा राज्य सभा द्वारा 06 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार के तत्कालीन 'उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण' के बिनेट मंत्री श्री रामविलास पासवान के सान्निध्य में पारित किया गया था।

- **उद्देश्य (objectives) :** इस नए संशोधित अधिनियम का मूल उद्देश्य, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए 'समुचित प्राधिकरण' एवं 'प्रभावी प्रशासन' की स्थापना करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इससे न केवल स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण की रचना हो सकेगी अपितु प्राधिकरण के रूप में स्थापित 'उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' के द्वारा उत्पादों के लिए निश्चित किए गए दायित्व, मध्यस्थता तथा खतरनाक प्रकृति के एवं मिलावटी उत्पाद बनाने तथा बेचने पर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
- **मूल विशेषताएँ/तत्व (Basic Features/Elements) :** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में कुछ नवीन विशेषताएँ/तत्व समाविष्ट किए गए हैं जो पूर्व के अधिनियम, 1986 से अन्तर्भेदों को, निम्न प्रकार से दर्शाते हैं :-
 1. **उपभोक्ता कौन है? :** इस अधिनियम के अनुसार, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है।

यह परिभाषा सभी प्रकार के लेन-देन को सम्मिलित करती है “चाहे वे ऑनलाइन हों या ऑफलाइन।”

2. **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना :** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ, उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा। यह प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा।

प्राधिकरण के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और विक्रय हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार भी होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच समिति-कक्ष होगा, जिसका नेतृत्व महानिदेशक (**Director General**) के हाथ में होगा।

3. **भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना (शास्ति) :** केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास, यह अधिकार होगा कि वह भ्रामक या तथ्यहीन विज्ञापन प्रकाशित करने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाये और वह 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकता है।

यदि कोई व्यक्ति या कंपनी, इस अपराध को बार-बार दोहराता/दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है।

4. **उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग :** इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है।

5. **अधिकार क्षेत्र:** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को निश्चित कर दिया है।

राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, 10 करोड़ रुपये से अधिक की शिकायतों को सुनेगा, जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग, उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो कि 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम है। अंत में, जिला विवाद निवारण आयोग, उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी की है।

6. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में नवीनता**

(a) अधिनियम में उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य देकर कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है। तात्पर्य, यह है कि यदि कोई व्यक्ति फिर से बेचने के लिए अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य से कोई वस्तु अथवा सेवा हस्तगत करता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलायेगा।

(b) अधिनियम में सभी प्रकार के लेन-देन को शामिल किया गया है, जैसे- ‘ऑफलाइन’, ‘ऑनलाइन’, ‘टेली शॉपिंग’, ‘बहु-स्तरीय विपणन’ अथवा ‘प्रत्यक्ष विक्रय’।

अधिनियम में उपभोक्ताओं के कुछ मुख्य अधिकार बताये गये हैं : (i) जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से संरक्षण पाना (ii) वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, कार्य क्षमता, शुद्धता, मानक तथा मूल्य से सम्बंधित सूचना पाना। (iii) प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर

कई प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं के क्रय तक पहुँचना (iv) अन्यायपूर्ण अथवा बंधनकारी व्यापार प्रचलनों का समाधान की माँग करना, इत्यादि।

- (c) अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority - CCPA) गठित करेगी जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षित करना और उन्हें लागू करना होगा। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अन्यायपूर्ण व्यापारिक क्रियाविधि तथा भ्रामक विज्ञापनों से सम्बंधित विषयों के लिए नियामक निकाय (Regulatory Body) होगा। इस प्राधिकरण में, एक अन्वेषण शाखा भी होगी जिसका प्रमुख एक महानिदेशक होगा जो इन उल्लंघनों के विषय में जाँच अथवा विवेचना कर सकेगा।
- (d) असत्य अथवा भ्रामक विज्ञापन के लिए CCPA निर्माता अथवा प्रचारकर्ता को 10 लाख रु. तक का आर्थिक दंड एवं दो वर्षों के कारावास का दंड लगा सकता है। यदि कोई निर्माता अथवा प्रचारकर्ता ऐसा अपराध दोबारा करता है तो उसपर 50 लाख रु. तक का आर्थिक दंड एवं पाँच वर्षों के कारावास का दंड लगाया जा सकता है।

7. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख कार्य :

- (a) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में जाँच एवं विवेचना करना तथा समुचित मंच पर वाद प्रस्तुत करना,
- (b) हानिकारक वस्तुओं या सेवाओं को वापस करने और चुकाए गये मूल्य को लौटाने के विषय में आदेश प्रसारित करना एवं अधिनियम में परिभाषित अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं को बंद करना,
- (c) झूठा (असत्य) अथवा भ्रामक विज्ञापन बंद करने अथवा उसमें सुधार करने के लिए सम्बंधित व्यापारी/निर्माता/प्रचारकर्ता/विज्ञापनकर्ता/प्रकाशक को निर्देश जारी करना,
- (d) दंड निर्धारित करना,
- (e) उपभोक्ताओं को असुरक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रति सतर्क करने के लिए सूचनाएँ, विभिन्न संचार माध्यमों से प्रकाशित/प्रचारित करना।

8. ई-कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम : सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 को अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जिसके प्रावधानों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:

- (a) प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश सहित रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी से संबंधित विकल्प, आदि के विषय में सूचना देना अनिवार्य किया गया है;
- (b) ये सभी सूचनाएँ उपभोक्ता को अपने मंच पर, वस्तुओं के क्रय करने से पूर्व उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक है;
- (c) ई-कॉमर्स मंचों को 48 घंटों के अन्दर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना प्रदान करनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अन्दर उसका निपटारा करना होगा;

- (d) नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे के लिये; उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके परिक्षेत्र में लाता है;
- (e) उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अनिवार्य हैं, यह मात्र परामर्श नहीं है।

9. प्रक्रियागत विधि

- (a) ग्राहक पूरे देश में कहीं भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला (वाद) दर्ज करवा सकता है।
- (b) जनहित याचिका अब उपभोक्ता मंच में फाइल की जा सकेगी।
- (c) कैरी बैग के पैसे वसूलना नियमानुसार गलत माना जाएगा।
- (d) इस नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में 'ऑनलाइन' और 'टेली-शॉपिंग' कम्पनी को पहली बार साथ में किया गया है।
- (e) उपभोक्ता मंच में एक करोड़ रुपये तक के वाद दाखिल हो पाएंगे।
- (f) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में दस करोड़ रुपये से ऊपर वाद की सुनवाई होगी।
- (g) मिलावटी सामान बनाने वाली कम्पनी पर जेल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
- (h) सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा धनराशि लेने वालों की, यदि शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
- (i) राज्य आयोग को अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 45 दिनों तक की गयी है, जबकि देरी को रोकने के लिए शक्ति यथावत रखी गयी है।
- (j) राज्य आयोग में न्यूनतम 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
- (k) अब शिकायतकर्ता आयोग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में भी शिकायत दर्ज कर सकता है, जहां शिकायतकर्ता निवास करता है।

18.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव (Impact of Consumer Protection Act on Business Environment)

भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण करने, व्यवसायियों के साथ उत्पन्न विवादों का शीघ्रता एवं सरलता से निपटारा करने के लिए, उक्त अधिनियम (1986 एवं 2019) की रचना की गई थी। इनका व्यावसायिक गतिविधियों/वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को, निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :

1. **व्यावसायियों में सतर्कता:** इन अधिनियमों के क्रियान्वित होने के पश्चात् कठोर कार्यवाही से बचने के लिए व्यापारीगणों द्वारा संचालित व्यावसायिक क्रियाओं में शुचिता आई है और वे अवांछित गतिविधियों से बचने लगे हैं।

2. **कर्तव्यों के प्रति सजगता:** भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त व्यापारियों के, उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों के प्रति, जिन कर्तव्यों की पालना के लिए बाध्यता प्रकट की गई है तो इस सन्निधय के दृष्टिकोण से, व्यापारी संवर्ग में कर्तव्यों के प्रति सजगता उत्पन्न हुई है।
3. **समय, श्रम एवं धन की बचत:** इस अधिनियम के अधीन गठित जिला आयोगों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्थाओं के कारण, व्यवसाय पर, यह प्रभाव पड़ा है कि व्यावसायियों एवं उपभोक्ताओं के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद उपभोक्ता न्यायालयों में दायर होने के कारण, दोनों ही पक्षकारों के समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। ऐसे विवादों के लिए विधिवेत्ता/ वकील की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होती है।
4. **दोषपूर्ण सेवाओं में कमी होना:** ऐसी प्रकृति की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोषपूर्ण सेवाएँ जो वित्त, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, प्रसंस्करण, ऊर्जा की आपूर्ति, भोजन, आवास निर्माण, सूचनाएँ एवं समाचार प्रदान करने, तथा सशुल्क मनोरंजन से संबंधित हैं, में इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् बहुत कमी आई है। मिलावटी माल की जाँच करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है।
5. **व्यवसाय के स्वरूप में सुधार:** यह अधिनियम वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता, टिकाऊपन, शुद्धता, उचित मूल्य के निर्धारण तथा वितरण प्रणाली में निरन्तर सुधार पर बल देता है। अतः प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप, व्यवसाय में नवीनतम तकनीकी को प्रोत्साहन प्राप्त होने से, इसके स्वरूप में सुधार हुआ है।
6. **प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक:** इस अधिनियम की धाराओं के अनुसार, व्यावसायिक वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, कुछ ऐसी अवांछित क्रियाओं पर रोक लगाई जो पूर्व से ही प्रतिबंधित एवं उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार के रूप में मानी जाती थी। इनमें वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति में जानबूझकर विलम्ब करना जिससे मूल्यों में वृद्धि हो जाए, विक्रय के माल के साथ अन्य वस्तुएँ लेने के लिए बाध्य करना, भ्रामक एवं गलत विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार करना, प्रलोभन देना किन्तु उसे पूर्ण नहीं करना, जमाखोरी करना, सरकारी प्रमाणों की अवहेलना करना आदि प्रमुख हैं।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. प्रस्ताव + स्वीकृति + राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता का संयोजन क्या है ?
 (अ) पारस्परिक सहमति (ब) ठहराव
 (स) स्वतंत्र सहमति (द) अनुबन्ध
2. वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, स्कन्ध एवं अंश-पत्र किसके भाग हैं ?
 (अ) अचल संपत्ति के (ब) स्थावर संपत्ति के
 (स) चल संपत्ति के (द) पूँजीगत संपत्ति के
3. विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम की रचना के मूल उद्देश्य कौनसा है ?
 (अ) राष्ट्र के लिए विदेशी विनिमय का संचय बढ़ाना
 (ब) व्यापार के आयत-निर्यात हेतु सीमाशुल्क का विवेकीकरण करना
 (स) विदेशी विनियोगों में उदारीकरण को प्रोत्साहित करना

(द) उपरोक्त सभी

4. 'पेटेन्ट' को सामान्य भाषा में नहीं कहा जाता है -

(अ) बौद्धिक सम्पदा

(ब) स्थायी सम्पदा

(स) नवसृजन

(द) नवीन आविष्कार

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, निम्न में कौनसा अधिकार उपभोक्ता को प्रदान नहीं किया गया है -

(अ) सुरक्षा का अधिकार

(ब) सुनवाई का अधिकार

(स) उपचार का अधिकार

(द) उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार

18.4 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (The Competition Act, 2002)

भारतवर्ष में, स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण को बनाए रखने, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों में नवीन मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने एवं व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सुदृढ़ संबंधों की रचना करने के लिए, पूर्व के “एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969” (MRTP Act= Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) के स्थान पर, ‘प्रतियोगिता अधिनियम’-2002 को, भारत के ‘राजपत्र’ (Gazette) में 14 जनवरी 2003 को प्रकाशित किया गया, जिसे 19 जून, 2003 को प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की ‘आत्मा’ के रूप में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है।

भारत में आर्थिक सुधारों एवं नवीन परिवर्तित नीतियों के चलते, घरेलू व्यापार एवं प्रतियोगितात्मक (Competitive) स्थिति पर सार्वभौमिक (Universal) प्रभाव पड़ा है। पूर्व का (MRTP Act, 1969) एक विस्तृत प्रतिस्पर्धा-नीति के प्रति शून्य (Null) और केवल कुछ बड़े व्यवसायिक-घरानों का हित-पोषक था।

एम.आर.टी.पी. अधिनियम में नवीनता की आवश्यकता क्यों? (Why innovations in MRTP Act, 1969?)

भारतीय अर्थव्यवस्था में, उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने, इस अधिनियम को लगभग निष्क्रिय सा कर दिया, जिसके कारण निम्न बिन्दुओं पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव की गई -

(i) आगामी सुधारवादी परिदृश्य पर प्रकाश डालने हेतु;

(ii) उद्योगों और संगठनों के आकार पर ध्यान देने की अपेक्षा, उनमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखने हेतु;

(iii) बाजार में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बजाय सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखने हेतु;

(iv) प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावशाली तंत्र को बढ़ावा देना; तथा

(v) पृथक् रूप से, अनुचित व्यापार व्यवहार का अध्ययन करना, आदि।

प्रतिस्पर्धा क्या है? (What is Competition?)

विस्तृत अर्थ में, “बाजार में एक ऐसी स्थिति, जिसमें विभिन्न फर्मों अथवा विक्रेताओं द्वारा स्वतंत्र रूप में, एक विशिष्ट व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रेताओं का संरक्षण प्राप्त किया जाता है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है।”

यह अधिनियम, मूल रूप से निम्न तथ्यों पर प्रकाश डालता है :

- (i) ऐसे अनुबन्धों पर रोक लगाना, जिनकी प्रकृति 'प्रतिस्पर्धा-विरोधी' है, जैसे पूर्ति एवं वितरण में अनियमितता, पुनः विक्रय मूल्य को बनाए नहीं रखने के लिए किए गए अनुबन्ध, इस श्रेणी में आते हैं।
- (ii) अनुचित व्यापार व्यवहारों पर जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर किन्हीं विधियों से रोक लगाते हैं अथवा भेदभाव करते हैं।
- (iii) ऐसे व्यापार संयोजनों (Combinations for Trade) पर रोक लगाना जो नियमित रूप से, भारतीय बाजारों में प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और जो व्यर्थ होते हैं।

भारतीय प्रतियोगिता आयोग (Competition Commission of India) :

(अ) स्थापना (Establishment) : उक्त अधिनियम में, यह प्रतिपादित किया गया है कि आयोग एक निगम के रूप में होगा, जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual succession), एक सार्वमुद्रा (Common seal) तथा संपत्ति के अधिग्रहण करने, रखने, समापन करने, अनुबन्ध करने तथा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा तथा इस पर भी, अन्य पक्षकार वाद प्रस्तुत कर सकेगा। इसका मुख्यालय, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा भारतवर्ष में, अन्य स्थानों पर भी आयोग, अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(ब) आयोग का गठन (Composition of Commission) : आयोग के सुचारू संचालन हेतु एक सभापति (Chairperson) की नियुक्ति तथा दो से लेकर छह सदस्यों की, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सभापति एवं सदस्यों को योग्यता तथा एकीकृतता के आधार पर कम से कम 15 वर्ष का पेशेकृत अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखाकर्म, प्रबन्धन, उद्योग, लोक-कार्य, प्रतियोगिता से संबंधित मामलों (जिसमें प्रतियोगिता नीति भी सम्मिलित है), जो कि केन्द्र सरकार की दृष्टि में उचित हों, में से किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि सभापति तथा सदस्य, दोनों पक्षकार पूर्णकालिक रूप (Whole Time) में होंगे।

(स) सभापति तथा सदस्यों के चयन हेतु समिति का गठन (Selection Committee for Chairperson and the Members) : उपरोक्त पक्षकारों को चयन करने की अनुशंसा हेतु पैनल बनाने निमित्त, केन्द्र सरकार द्वारा निम्न व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए चयन समिति का गठन किया जाता है :

- (a) भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति.....इस समिति का सभापति होगा।
- (b) कम्पनी मामलों के मंत्रालय का सचिव.....सदस्य होगा।
- (c) कानून एवं न्याय मंत्रालय का सचिव.....सदस्य होगा।
- (d) दो विशेषज्ञ जो कि उपरोक्त (ब) के अन्तर्गत दी गई योग्यताओं को धारण करते हों.....सदस्यगण होंगे।

(द) सभापति एवं सदस्यों का कार्यकाल (Term of office of Chairperson and other Members) : प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के अनुसार, सभापति एवं सदस्यों की कार्य-अवधि, नियुक्ति की तिथि के पश्चात् 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की उम्र तक, जो भी दोनों में से पहले हो, तक बना रहता है। किन्तु, वह 67 वर्ष की उम्र तक पुनर्नियुक्ति (Reappointment) के योग्य रहता है। यदि सदस्य/सभापति की मृत्यु हो जाती है अथवा अन्य कारण से पद समाप्ति हो जाता है तो धारा 8 एवं 9 के अनुरूप ही, अन्य पक्षकार की नियुक्ति, उक्त पद पर मान्य होगी।

(य) सभापति तथा अन्य सदस्यों द्वारा त्यागपत्र, निष्कासन तथा विलम्बन (Resignations): उक्त धारा के अन्तर्गत, सभापति अथवा सदस्यगण, हस्तलिखित रूप में केन्द्र सरकार को सूचना के माध्यम से त्यागपत्र भेज सकते हैं और जब तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं हो जाता है तो केन्द्र सरकार को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् के 3 महीने तक अथवा त्यागपत्रधारी के उत्तराधिकारी के आने तक, जो भी पहले हो, तक वह अपने पद पर बना रहेगा।

(र) सभापति के प्रशासनिक अधिकार (Administrative Powers of Chairperson) : आयोग के सभापति को, आयोग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य निरीक्षण करने, अधीक्षण करने, निर्देशन करने तथा नियंत्रण करने का अधिकार होता है। यदि सभापति उचित समझते हों तो वे अपने प्रशासनिक अधिकारों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में, आयोग के अन्य सदस्यों को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकते हैं। यह भी ज्ञात रहे कि सभापति अथवा सदस्यगण, पदत्याग करने के उपरान्त, आगामी एक वर्ष तक, रोजगार प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार को अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनी में आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(ल) वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवाशर्तें (Salary, Allowances and other Service Conditions) : प्रतियोगिता आयोग के सभापति एवं अन्य सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तें, जिनमें यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, सुविधा भत्ता तथा चिकित्सा सुविधाएँ, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा इस प्रकार, से इनका निर्धारण किया जाता है कि उनकी नियुक्ति के उपरान्त, उन्हें कोई हानि नहीं हो पाए।

(व) सामान्य निदेशक आदि से संबंधित नियुक्ति (Appointment of Director General etc.) : केन्द्र सरकार, राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी करके, आयोग को सहयोग करने के दृष्टिकोण से, अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों एवं कार्यों का पालन करने के लिए, एक 'सामान्य-निदेशक' तथा सामान्य निदेशक की सहायताार्थ संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, सहायक निदेशक, अधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

(xvi) आयोग के कार्य एवं अधिकार (Functions and Powers of Commission) :

प्रतियोगिता अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोग को, एक अनुबन्ध अथवा ठहराव करने से संबंधित, निम्न कार्य देखने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो विभिन्न घटकों से संबंध रखते हैं कि-

- (a) बाजार में नए प्रवेशधारकों को बाधाएँ पहुँचाई जा रही है;
- (b) विद्यमान प्रतियोगी बाजार में से जा रहे हैं;
- (c) उत्पादन और वितरण में वृद्धि (माल एवं सेवाओं से संबंधी प्रावधान);
- (d) बाजार में उपक्रम का हिस्सा कितना है;
- (e) उपक्रम का आकार एवं संसाधन तथा प्रतियोगियों की संख्या एवं उनका महत्व;
- (f) प्रतियोगियों पर, उपक्रम की आर्थिक सत्ता तथा उपभोक्ताओं पर उपक्रम की निर्भरता तथा एकाधिकार की स्थिति;
- (g) सामाजिक दायित्व एवं सामाजिक लागत की स्थिति कैसी है तथा उनसे जुड़े हुए लाभ कौन से हैं; तथा
- (h) अन्य कोई भी तथ्य, जो आयोग को जाँच एवं निरीक्षण के दौरान उचित लगे, उस पर निर्णय करने का समुचित अधिकार प्रदान किया गया है।

(xvii) दण्डादि की व्यवस्था (Arrangement for Penalties):

- (a) यदि कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा प्रदत्त आदेश अथवा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा आर्थिक जुर्माने का भुगतान, यथासमय प्रदान नहीं करता है तो दिल्ली के मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की दृष्टि में, जैसा वह उचित समझता है, तो दोषी उपक्रम पर, जिसने प्रतियोगिता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, को तीन वर्ष तक की कारावास की सजा अथवा 25 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों दिए जा सकते हैं।
- (b) किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने की दशा में, यह आर्थिक जुर्माना एक लाख रुपये प्रतिदिन, तब तक लगता रहेगा, जब तक कि दोष जारी रहता है, किन्तु, यह किसी भी रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (c) यदि संयोजन (Combination) से संबंधित कोई व्यक्ति, जो कि संयोजन का पक्षकार है तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में गलत विवरण (False Statement) प्रस्तुत करता है (यह जानते हुए भी कि वह तथ्य गलत है) तो उस पर आयोग द्वारा 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

18.5 प्रतियोगिता अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव (Impact of Competition Act on Business Environment)

विगत तीन दशकों में, भारतीय अर्थ व्यवस्था में देशी-विदेशी कम्पनियों एवं अन्य संगठनों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, एकाधिकार को समाप्त करने एवं ग्राहकों, उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, इस अधिनियम की रचना की गई है जिसके व्यावसायिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को, निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :-

1. **निगमीय एवं आर्थिक सुधार होना :** जब एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के स्थान पर प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 को लाया गया तो व्यावसायिक जगत में, न केवल कम्पनी प्रारूप/ढाँचे में, प्रतिस्पर्धा को देखते हुए परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए अपितु प्रतियोगी लाभ अधिक प्राप्त होने के कारण उन में आर्थिक सुधार भी हुए।
2. **उदारीकरण की नीति को गति प्रदान करना :** इस अधिनियम के क्रियाशील होने के उपरान्त उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात् की सुधारात्मक स्थिति में वृद्धि होने के कारण, इस नीति को गतिशीलता प्राप्त हुई है।
3. **स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहन :** यह अधिनियम बाजारों में होने वाली प्रतियोगिता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने तथा उपभोक्ताओं के हित में की जाने वाली प्रतिस्पर्धा एवं उनके लिए 'स्वतंत्र बाजार-व्यापार' को, व्यावसायिक वातावरण में बहुत प्रोत्साहन मिला है।
4. **अवांछित गतिनिधियों पर रोक :** इस अधिनियम में, ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि गला काट प्रतिस्पर्धा जो व्यवसाय की दशा और दिशा को बिगाड़ती है, उन्हें तुरन्त रोका जा सके तथा व्यावसायियों के मध्य लाभदायी एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बल मिल सके। बाजार में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है।
5. **प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षण हेतु कोष की स्थापना :** स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की अनुशंसा करने, सतर्कता बरतने तथा विभिन्न प्रतियोगितात्मक मामलों पर नियमों के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, इस अधिनियम

के अन्तर्गत 'कोष' की स्थापना की गई है जिससे प्रशिक्षित व्यापारिक वर्ग प्रतियोगिता का वास्तविक अर्थ एवं प्रक्रियागत तथ्यों को समझ सके।

6. **उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था :** इस अधिनियम के द्वारा, उन विवादों में कार्यवाही करने हेतु उपभोक्ता न्यायालयों को हस्तान्तरित करने की व्यवस्था दी गई है जो अनुचित व्यापार व्यवहारों को जन्म देते हैं। इसमें प्रदत्त नियमों/विनियमों द्वारा, ऐसे व्यापार-संयोजनों पर रोक लगाई जाती है जो नियमित रूप से राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों उपक्रमों पर निम्नानुसार दण्ड की व्यवस्था की गई है :-

- (अ) आर्थिक जुर्माने का यथा समय भुगतान नहीं करने पर- तीन वर्ष तक के कारावास तथा पच्चीस करोड़ रूप तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों दिए जा सकते हैं; तथा
- (ब) व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर 1 लाख रूप प्रतिदिन तब तक लगता रहेगा, जब तक कि दोष जारी रहता है किन्तु एक करोड़ रूप से अधिक नहीं होगा। ऐसा करने से व्यवसाय की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है।

18.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986)

वस्तुतः यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण (जिसमें व्यावसायिक पर्यावरण को भी समाविष्ट किया जा सकता है) तथा मानवीय पर्यावरण के सुधार के लिए समुचित कदम उठाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य मानवों, पादपों, जीवित प्राणियों एवं सम्पत्ति को होने वाले संकट के निवारण से है, उसे संवैधानिक रूप में लागू किया जाए। इसे निम्न स्वरूप में स्पष्ट किया जा सकता है:-

संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 है।

इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति- (1) इस अधिनियम के नियमों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में उपाय हो सकेंगे, अर्थात् :

- (i) राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों (Authorities) की,
 - (क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीनय या
 - (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित तत्कालीन किसी अन्य कानून के अधीन, कार्रवाइयों का समन्वय;
- (ii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, और नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना;
- (iii) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना;

- (iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक निश्चित करना;
- (v) उन क्षेत्रों पर नियमन करना जिनमें कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षा उपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे;
- (vi) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपाय सुनिश्चित करना;
- (vii) ऐसी निर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों का परीक्षण करना, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है;
- (viii) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और उन्हें प्रायोजित करना;
- (ix) किसी परिसर, संयंत्र, मशीनरी, निर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे;
- (x) ऐसे कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को सौंपे जाएं;
- (xi) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना;
- (xii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित निर्देशिकाएं एवं संहिताएं तैयार करना; तथा
- (xiii) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के नियमों एवं उपनियमों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कार्य-

- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कार्य सौंप सकेगी जो वह ठीक समझे।
- (2) ऐसे नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए तो गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों, यदि कोई हों, के अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे।

निर्देश देने की शक्ति- केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत,

- (क) किसी उद्योग या प्रक्रिया को बन्द करने, उसका विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है : या
- (ख) विद्युत् या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील (Appeal to National Green Tribunal) : कोई व्यक्ति जो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् किन्हीं निर्देशों से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के अनुसार, अपील फाइल पर सकेगा।

अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति अथवा दण्ड-

(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या आर्थिक जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त आर्थिक जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि असफलता ऐसे उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध-

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालक थे, सीधे उसके प्रति उत्तरदायी थे और साथ ही, वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे; परन्तु, कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए सब तत्परता बरती थी।

(2) यदि किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन द्वारा किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध-

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा; परन्तु, किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब तत्परता बरती थी।

(2) यदि किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक निरन्तर सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं जो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के अनुसार 'प्रतिस्पर्धा' क्या मानी गई है, स्पष्ट कीजिए।
2. प्रतियोगिता अधिनियम के व्यावसायिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को संक्षेप में, बिन्दुवार अपने शब्दों में लिखिए।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख उद्देश्यों (कोई पाँच) को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या यह अधिनियम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है? स्पष्ट कीजिए।
4. "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से प्रदूषण में तो कमी आई ही है, साथ ही, स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण का भी निर्माण हुआ है।" विवेचना कीजिए।
5. प्रतियोगिता अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक का आर्थिक दण्ड एवं / और / अथवा कारावास प्रदान किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए।

18.7 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव (Impact of Environment Protection Act on Business Environment)

पर्यावरण प्रदूषण जन-जीवन के मन-मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है चाहे वह वायु-प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो अथवा जल प्रदूषण हो। व्यापारिक उत्पादन, बिना कल-कारखानों के संभव नहीं है और उनमें उपरोक्त प्रदूषणों का होना अवश्यम्भावी है। इन प्रदूषणों के प्रबन्धन एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के क्रियाशील होने के उपरान्त, इसका व्यावसायिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निम्न बिन्दुओं के आधार पर आकलन किया जा सकता है :-

1. **प्रदूषण एवं स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण :** इस अधिनियम में, प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों के विरुद्ध विभिन्न नियमों और विनियमों की रचना होने से प्रदूषण-रोधक यंत्रों के प्रयोग करने से सभी प्रकृति के प्रदूषणों में न केवल कमी आई है अपितु व्यावसायिक वातावरण के स्वस्थ होने के कारण जनता को भी प्रदूषण से राहत मिली है।
2. **निर्माण प्रक्रियाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक :** सर्वाधिक प्रदूषण उत्पाद के विनिर्माण, घरों/कम्पनियों/भवनों के निर्माण से प्रसारित होता है। इस अधिनियम में, ऐसे कार्यों के निमित्त इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होता है कि निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण होने पर, कार्य पर तुरन्त रोक लगा दी जाएगी। इससे व्यावसायिक वातावरण में भी शुचिता उत्पन्न हुई है।
3. **परीक्षण एवं यंत्र-सुरक्षा उपाय सम्बन्धी प्रावधान किया जाना :** इस अधिनियम में राष्ट्रव्यापी योजना के तहत, उन क्षेत्रों पर नियमन की व्यवस्था की गई है जिसमें कोई उद्योग एवं प्रसंस्करण कार्य रक्षा उपायों के अधीन संचालित किए जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक रोक लगी है। इस कारण से, नियोक्ताओं एवं कार्मिकों

के मध्य सौहार्द्र पूर्ण संबंधों में भी वृद्धि हुई है। इस अधिनियम में प्रतिपादित नियमों के अन्तर्गत प्रदूषण-परीक्षण की व्यवस्था भी, व्यावसायिक वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में सफल रही है।

18.8 सारांश (Summary)

व्यावसायिक संस्थाएँ निरन्तर सामाजिक समस्याओं के भँवर में कार्य सम्पन्न करती हैं। कई व्यवसायी असामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने लगते हैं तथा भ्रामक विज्ञापनों, कालाबाजारी, एवं यथा संभव उपभोक्ताओं का शोषण करना प्रारम्भ करने के कारण ‘व्यावसायिक वातावरण’ भी दूषित होने लगता है। अतः ऐसे कार्यों को नियंत्रित करने एवं व्यावसायिक जगत में सुशासन और शुचिता लाने के लिए सरकार के द्वारा नए-नए व्यावसायिक कानूनों (राजनियम), नीतियों तथा विनियमों की रचना की जाती है जिससे व्यावसायिक जगत का नैतिक स्तर उच्च बना रहे। देश में समग्र पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, संरक्षण प्रदान करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को निरन्तरता प्रदान करने, कार्य में मानव तत्व को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करने, व्यावसायियों को नवीन ज्ञान, कर्तव्यों तथा दायित्वों के प्रति सचेत करने, नव-प्रौद्योगिकी को गतिशीलता प्रदान करने हेतु निर्मित कानून (राजनियम) ही ‘व्यावसायिक वातावरण’ को स्वस्थ एवं सौहार्द्रपूर्ण परम्पराओं से जोड़े रखते हैं।

अतः भारतीय संसद और विधानसभाओं द्वारा रचित सन्ध्या/अधिनियम व्यावसायिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ही होते हैं। यदि दोष सिद्ध होता है तो इसका तात्पर्य, उस अधिनियम का सही रूप में क्रियान्वित नहीं होना है अथवा नकारात्मकता के लिए, व्यवसायियों या उपभोक्ताओं अथवा सामान्य जनता द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों को ही तथ्य माना जा सकता है, अधिनियम में प्रदत्त नियमों एवं विनियमों को कदापि नहीं।

18.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन, मनन एवं चिंतन के उपरान्त आप यह ज्ञात करने, सीखने, लिखने एवं समझने में सक्षम एवं व्यावहारिक हो गए होंगे कि -

- व्यवसाय में कौन-कौनसी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनका मूल्यवान सम्बन्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण एवं विक्रय से होता है।
- मूलतः वे कौनसे सन्ध्या / राजनियम हैं जो प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक वातावरण को प्रभावित करते हैं।
- आप निश्चित रूप से अनुबंध की रचना करना, विदित सूत्रों के आधार पर सीख गए होंगे।
- आप स्वयं एक उपभोक्ता हैं अतः आप अपने अधिकारों के प्रति सजगता बरतना सीख गए होंगे।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मंचों के बारे में आप गहन अध्ययन कर चुके होंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों से आपका मन-मस्तिष्क भली भाँति परिचित हो गया होगा।

18.10 शब्दकोष (Glossary)

- **अनुज्ञा-पत्र (License) :** किसी भी कार्य अथवा सेवा को वैध रूप से करने के लिए सरकार/शासन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

- **अर्द्ध-न्यायिक व्यवस्था (Quasi-Judiciary Machinery) :** से आशय उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गठित तंत्र से है जिसमें न्यायिक सेवाओं तथा जनता में से चुने गए सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है।
- **बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporation) :** ऐसी वृहद-स्तरीय कम्पनियाँ, जिनकी शाखाएँ विभिन्न राष्ट्रों में स्थापित की गई हों।
- **ई-कॉमर्स (E-Commerce) :** से तात्पर्य उन वाणिज्यिक क्रियाओं से है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
- **मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :** ऐसी अर्थ व्यवस्था, जिसमें पूँजीवाद एवं समाजवाद की विशेषताओं को संयोजन होता है।
- **निक्षेप (Bailment) :** जब कोई व्यक्ति अनुबन्ध के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य अथवा कार्य हेतु अपनी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को सशुल्क अथवा निःशुल्क, इस उद्देश्य से सुपुर्द करता है कि वह इसका प्रयोग करने के पश्चात् उसे उसके वास्तविक स्वामी को लौटा देगा तो ऐसे अनुबन्ध को निक्षेप कहा जाता है।
- **पैकेजिंग (Packaging) :** का आशय किसी उत्पाद पर सुरक्षा की दृष्टि से गत्ता अथवा अन्य पदार्थ से बना कवच लपेटने एवं उस पर संस्था से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी को चिपकाने से है।
- **राजपत्र/शासकीय पत्र (Gazette) :** ऐसा राजकीय समाचार पत्र, जिसमें शासकीय सूचनाएँ, अधिसूचनाएँ, परिपत्र तथा शासन से संबंधित सभी तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं।
- **वैधानिक (Legal) :** वह प्रक्रिया जो कानून सम्मत होती है, को वैधानिक कहा जाता है।
- **विहित (Prescribed) :** ऐसा कार्य अथवा सिद्धान्त जो पूर्व निश्चित होता है, विहित कहलाता है।
- **विक्रय (Sale) :** से तात्पर्य प्रतिफल अथवा मूल्य के बदले विक्रेता से क्रेता को स्वामित्व एवं अधिकारों को वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरित किया जाना है।
- **विनियम (Regulation) :** नियमों के सह-पालन की विधि को कहा जाता है।

18.11 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (i) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872
 - (ii) उपभोक्ता के अधिकार।
 - (iii) उपभोक्ता न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र।
 - (iv) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
 - (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (संशोधित) 2019 के प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. निम्न की विस्तार पूर्वक समीक्षा कीजिए :

- (i) प्रतियोगिता अधिनियम, 2002
- (ii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख प्रावधान।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008
- (iv) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013

4. विभिन्न सन्धियों के व्यावसायिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए।

18.12 सदर्थ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography) :

- डॉ. आर.एल. नौलखा, 'व्यापारिक सन्धियों', आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- जी.उपाध्याय, डॉ. आर.एल. शर्मा, डॉ. पी. दयाल 'व्यावसायिक वातावरण', आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- K. Aswathappa, 'Essentials of Business Environment', Himalaya Publishing House, New Delhi.
- P. Subba Rao, 'International Business', Himalaya Publishing House, New Delhi.
- R.B. Singh, Dr. D.K. Thakur, Dr. J.P.S. Chauhan, 'Environmental Studies,' R.B.D. Publications, Jaipur.

18.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- कम्पनी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित नवीनतम संशोधन।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण के संरक्षण पर वार्षिक प्रतिवेदन।
- विधि-विभाग, कानून मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गमित परिपत्र/निर्देश/संशोधित नियम।

18.14 वेब संसाधन/लिंक (Internet Web Resources and Link)

- <https://egazette.nic.in.2019>
- https://ncdrc.nic.in.bare_acts
- <https://consumeraffairs.nic.in>
- <https://corporatecyrilamarchandblogs.com>
- <https://www.cci.gov.in>
- <https://hindi.indiawateportal.org>

इकाई - 19

सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों को लघु वित्त (Micro Finance, SSI, MSMEs and Large Scale Corporation)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 19.0 उद्देश्य
- 19.1 प्रस्तावना
- 19.2 लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योग एवं लघु वित्त का अर्थ एवं परिभाषा
- 19.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व
- 19.4 लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों के उद्देश्य एवं एम.एस.एम.ई का कार्यक्षेत्र
- 19.5 केंद्रीय सरकार की ओर से लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए की गई पहल
- 19.6 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याएं
- 19.7 यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशें
- 19.8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रतियोगी बनाने हेतु सुझाव
- 19.9 एम.एस.एम.ई क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज
- 19.10 बजट 2022-23 में एम.एस.एम.ई क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान
- 19.11 सारांश
- 19.12 अधिगम परिणाम
- 19.13 शब्दावली
- 19.14 स्वपरख प्रश्न
- 19.15 संदर्भ सूची
- 19.16 अन्य पठन सामग्री
- 19.17 वेब संसाधन / लिंक

19.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों का परिचय, लघु वित्त का अर्थ एवं परिभाषा, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व, इन के उद्देश्य, केंद्रीय सरकार की ओर से लघु एवं मध्यम

उद्योगों के लिए की गई पहल, इन उद्योगों की समस्याएं, सिन्हा समिति की सिफारिशें, उद्योगों को प्रतियोगी बनाने हेतु सुझाव, इस क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज तथा बजट 2022-23 में इस क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा।

19.1 प्रस्तावना (Introduction)

उद्योग एवं औद्योगिक क्रियाओं की दृष्टि से भारत में अनेक क्षेत्र वर्तमान में कार्यरत हैं; जिन्हें हम संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं। देश में संगठित क्षेत्र में अधिकांश वृहद स्तर के उद्योग सार्वजनिक, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र में संचालित हैं। वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग संचालित हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इन उद्योगों को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है जिनमें से वित्त एक बड़ी समस्या के रूप में जानी जाती है। ये लघु इकाइयां किसी एक क्षेत्र ग्रामीण अथवा शहरी तथा एक उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इनका क्षेत्र विस्तृत है यथा हाथकरघा, खादी निर्माण, हस्तशिल्प, नारियल की जटा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, रबड़, दवा आदि से संबंधित है। इनकी क्रियाओं के सुचारू संचालन में लघु वित्त की अहम भूमिका होती है।

19.2 लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों तथा लघु वित्त का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of SSI, MSMEs and Large Industries and Micro Finance)

अर्थ:- लघु स्तर उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें निर्माण, उत्पादन और प्रदान की जाने वाली सेवाएं लघु स्तर पर निष्पादित की जाती हैं। इस प्रकार के उद्योग मशीनों, संयंत्रों और औजारों में एक बार विनियोग किया जाता है परंतु यह विनियोग 10 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हो तथा उलटाव (टर्नओवर) 50 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हो।

एम.एस.एम.ई से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उपक्रमों से है। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में यह रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। जब ये उद्योग या उपक्रम विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है। एक वृहद स्तर के उपक्रम से तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जो बड़े स्तर पर निर्माण, उत्पादन अथवा खनन की क्रियाओं में संलग्न हो और जिसमें कम से कम 5000 कर्मचारी कार्यरत हो अथवा उस उपक्रम का वार्षिक टर्नओवर 1.5 बिलियन यूरो से अधिक हो। ऐसे उपक्रम का बड़ा संरचनात्मक ढांचा, कच्चा माल एवं काफी मानव-शक्ति एवं पूंजी की आवश्यकता होती है जिसमें 10 करोड़ से अधिक की स्थाई संपत्ति होती है।

सूक्ष्म अथवा लघु वित्त से तात्पर्य वित्तीय सेवाओं के उस प्रावधान से है जिसमें कम आय के लोगों को स्वरोजगार योजित एवं ग्राहकों को लघु वित्त प्रदान किया जाता है जिन्होंने परंपरागत रूप से बैंकिंग एवं इससे संबंधित सेवाओं का कम उपयोग किया है। इसको लघु-उधार के नाम से भी जाना जाता है।

सूक्ष्म वित्त व्यक्तियों अथवा छोटे व्यवसायों को दिया जाने वाला वह लघु ऋण होता है जो सामान्य बैंकिंग व्यवस्था के बाहर होता है जिससे वे अपनी व्यवसाय से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

19.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व (Importance of Small and Medium Size Industries in Indian Economy)

अति प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवं कृषि प्रधान रही है। अतः अधिकांश लोगों का जीविकोपार्जन तथा रोजगार का मुख्य स्रोत लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग रहे हैं। इन उद्योगों में बनी वस्तुएं ना सिर्फ देश में अपितु विदेशों में भी लोकप्रिय रही हैं जिनसे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसमें प्रमुख रूप से हाथ-करघा, दस्तकारी, चमड़ा, जूट उद्योग प्रमुख हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उद्यमशीलता के आधार को व्यापक बनाकर और स्थानीय कच्चे माल तथा स्वदेशी कौशल का उपयोग करके आर्थिक समृद्धि के लिए उत्पादन, रोजगार और निर्यात के संदर्भ में औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश के औद्योगिक परिदृश्य पर श्रम बल के काफी बड़े अनुपात और जबरदस्त निर्यात क्षमता के साथ छा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सकल घरेलू उत्पाद के 29.7 प्रतिशत और निर्यात में 49.66 प्रतिशत योगदान करते हैं। यह कृषि क्षेत्र के बाद 6.34 करोड़ उद्योगों के माध्यम से लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाईयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और स्वदेशी कौशलों, आधारित नवाचारों और उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में इनका योगदान 45 प्रतिशत है तथा सेवा-क्षेत्र में एम.एस.एम.ई का योगदान 25 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:-

- निर्यात संवर्धन एवं देश को आत्म-निर्भर बनाने में सहायक
- आर्थिक असमानता की स्थिति को कम करना
- कम पूंजी एवं अधिक श्रम की स्थिति में उपयुक्त
- बेरोजगारी की स्थिति को कम कर अधिकांश को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक
- परंपरागत प्रतिभा एवं कला की रक्षा
- औद्योगिक समस्याओं में कमी लाने में सहायक
- वृहद उद्योगों हेतु सहायक सामग्री की पूर्ति में सहायता प्रदान करना
- वर्तमान में सामरिक महत्व की वस्तुओं का भी उत्पादन
- आर्थिक/औद्योगिक विकेंद्रीकरण की स्थिति में सहायक
- सरकार की वर्तमान उद्योग-नीति के अनुपालना में सहयोग
- कम लागत में श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं प्रदान करना
- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में अत्यधिक मददगार आदि।

- आयात पर निर्भरता को कम करना जिससे विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो
- देश की आर्थिक संरचना के अनुकूल क्योंकि भारत श्रम प्रधान देश है जिसमें श्रम की बहुलता एवं कम पूंजी की आवश्यकता होती है।
- कलाकृति वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जैसे- हैंडलूम, बनारसी साड़ियां, आइवरी वस्तुएं, सिल्क साड़ियां तथा शोपीस आदि।
- कम पूंजी और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता
- उत्पादन शीघ्रता से होना
- कुटीर उद्योगों के लिए उपयुक्त जिससे ग्रामीण संपन्नता को बढ़ावा मिलता है।
- उद्यमशीलता कौशल एवं पूंजी को गतिशील बनाना है।
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन को रोकने में सहायक।

19.4 लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों के उद्देश्य एवं एम.एस.एम.ई का कार्यक्षेत्र (Objectives and Work-Field of MSME, Small and Medium and Large Scale Industries)

लघु, मध्यम एवं बृहद स्तर के उद्योगों के निम्न उद्देश्य होते हैं:-

- रोजगार के अधिक अवसरों को उत्पन्न करना
- देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना
- आय एवं धन के समान वितरण हेतु प्रयास करना
- क्षेत्रीय असमानता की स्थिति को कम करना
- देश के अविदोहित संसाधनों का अधिकतम विदोहन करना
- आत्मनिर्भरता की स्थिति की प्राप्ति में सहयोग करना
- न्यूनतम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुओं के निर्माण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना आदि।

एम.एस.एम.ई. का कार्यक्षेत्र:-

एम.एस.एम.ई. उद्योग विनियोग सीमा एवं टर्नओवर सीमा

उद्योग	निवेश सीमा	कारोबार सीमा
सूक्ष्म (Micro)	1 करोड़	5 करोड़
लघु (Small)	1 करोड़ से 10 करोड़	1 करोड़ से 25 करोड़
मध्यम (Medium)	10 करोड़ से 50 करोड़	25 करोड़ से 250 करोड़

एमएसएमई उद्योग सूची 2021 के अनुसार भारत सरकार ने देश की कुल जी.डी.पी. का 10% हिस्सा एम.एस.एम.ई. को दे रखा है। लगभग 20 लाख करोड़ के द्वारा सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देती है जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। ये उद्योग 6500 से अधिक वस्तुओं का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा भारत की 4% आबादी को रोजगार प्राप्त होता है। यह सूची निम्नानुसार है:-

- आटा चक्की
- शौचालय साबुन निर्माण
- टमाटर सॉस निर्माण
- रोस्टेड राइस फ्लेक्स
- केला फाइबर निष्कर्षण और बुनाई
- कंप्यूटर कोडांतरण
- लाइट इंजीनियरिंग (नट, बोल्ट, वॉशर, रिबेट्स आदि)
- धातु आधारित उद्योग, कृषि उपकरण, कटलरी और हाथ उपकरण
- कागज उत्पादों का निर्माण (पेपर कप)
- करी और चावल पाउडर
- बेकरी उत्पाद
- स्टील फर्नीचर
- सूखा नारियल पाउडर
- फुटवियर
- लकड़ी के फर्नीचर निर्माण इकाई
- पेपर नैपकिन का निर्माण
- पापड़ निर्माण
- रेडीमेड कपड़े
- आचार
- पाम प्लेट का निर्माण
- नोटबुक निर्माण
- डेयरी
- डिटर्जेंट पाउडर और केक

- सेनेटरी नैपकिन निर्माण परियोजना
- सामान्य इंजीनियरिंग कार्यशाला
- रबड़ युक्त गद्दे
- ब्यूटी सैलून
- टेलर दर्जी
- लैब जांच घर
- हार्डवेयर
- कारपेंटर
- इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक
- होटल/ रेस्टोरेंट
- मछली पालन-मुर्गी पालन- पशुपालन
- पैकड फूड (चिप्स, कुरकुरे आदि)

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग को परिभाषित कीजिये।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं मध्यम उद्योग के दो महत्त्व को वर्णित करें।
3. लघु एवं मध्यम उद्योगों के कोई तीन उद्देश्य वर्णित करें।

19.5 केंद्रीय सरकार की ओर से लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए की गई पहल (Initiatives Taken by the Central Government for Small and Medium Scale Industries)

गत पांच दशकों से भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यम क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई बड़े उद्योगों के लिए पूरक का कार्य करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सरकार ने स्थापित किया था। इसके अंतर्गत मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा तथा एमएसएमई के विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सिफारिशें करने का कार्य किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय की प्रमुख पहलें (Main Initiatives of Ministry of MSME)

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन:- एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल में सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 विनियमित किया है

जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

- **खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956:-** आयोग के प्रचालनों में व्यावसायिकताओं को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कई नई विशेषतायें को पुनःस्थापित करते हुए, वर्ष 2006 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:-** नवंबर, 2011 में एक राष्ट्र स्तरीय ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम शुरू की गयी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% सब्सिडी (कमजोर वर्गों सहित विशेष श्रेणी के लिए 35%) उपलब्ध कराई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15% उपलब्ध कराई जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के दौरान कई अग्रणी एवं महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इसमें मुख्य रूप से फंड ऑफ फंड के द्वारा वित्तीय सहायता प्रक्रिया, एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार, खादी और ग्रामोद्योग के बीच उद्यमशीलता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना तथा एमएसएमई के मामलों के समाधान हेतु आईटी आधारित प्लेटफार्म की शुरुआत करना मुख्य है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में की गई विभिन्न प्रकार की पहलों का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

1. आत्मनिर्भर भारत पहल:-

(i) **संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड:-** एमएसएमई के लिए उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजी एसएसडी):-

26 जून 2020 को संकटग्रस्त एमएसएमई को पूंजीगत समर्थन हेतु उपऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता 4000 करोड़ रुपये थी। 2020 तक 121 ऋणधारकों को 12.49 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई।

(ii) **एमएसएमई के लिए फण्ड ऑफ फण्ड योजना:-** एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की राशि आत्मनिर्भर भारत (एस.आर.आई) फंड (एमएसएमई योजना के लिए फण्ड ऑफ फण्ड योजना) के दिशानिर्देश 5 अगस्त 2020 को जारी किए गए। निधि प्रबंधन के लिये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी एनएसआइसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड गठित की गई।

2. एमएसएमई की नई परिभाषा और उद्यम पंजीकरण:-

वर्गीकरण मापदंड के परिणाम स्वरूप उद्यमियों को निम्नलिखित मापदंड के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में वर्गीकृत किया जायेगा:-

अ- **सूक्ष्म उद्यम-** संयंत्र, मशीन और उपकरणों पर निवेश एक करोड़ से अधिक ना हो और टर्न ओवर 5 करोड़ से अधिक ना हो।

आ- **लघु उद्यम-** संयंत्र, मशीन और उपकरणों पर निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक ना हो और टर्न ओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक ना हो।

इ- मध्यम उद्यम- संयंत्र, मशीनों और उपकरणों पर निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक ना हो। यह बदलाव 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ है। इससे न केवल व्यापार करने में सुगमता होगी अपितु अधिक रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

3. **चैंपियन पोर्टल:-** 1 जून, 2020 को चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह छोटी इकाइयों को सहायता प्रदान कर उन्हें बड़ा बनाने के लिए नए व्यापार अवसरों को हासिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
5. क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी
6. एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018
7. क्लस्टर विकास योजना
8. उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम आदि।

लघु स्तर के उद्योगों को सरकारी सहायता, छूटें और प्रोत्साहन (Government Assistance, Concession & Incentives for Small Scale Industries)

केंद्रीय तथा राज्य सरकारें लघु उद्योगों को बहुत सी सरकारी सहायतायें, छूटें और प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहन निम्न हैं:-

- **आरक्षण:** लघु उद्योगों को वृहद स्तर के उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए सरकार ने निश्चित उत्पादों के उत्पादन सिर्फ लघु उद्योगों हेतु आरक्षित किए हैं। पंचवर्षीय योजना में इन वस्तुओं का उत्पादन करने का अधिकार सिर्फ लघु उद्योगों को है जिनकी संख्या वर्तमान में 822 है।
- **सरकारी क्रय में प्राथमिकता:** सरकार एवं सरकारी संगठनों द्वारा अपनी क्रय आवश्यकताओं में क्रय प्राथमिकता लघु उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की होगी। उदाहरण के तौर पर, आपूर्ति और प्रबंधन महानिदेशक 400 वस्तुयें पूर्णतया लघु-स्तर के उद्योगों से क्रय करते हैं। राष्ट्रीय लघु- स्तर औद्योगिक निगम सरकार और रक्षा विभाग से संबंधित एक बड़े भाग क्रमादेश प्राप्त करने में लघु-स्तर की औद्योगिक इकाइयों की सहायता करता है।
- **मूल्य प्राथमिकता:** लघु इकाइयों को कुछ निश्चित वस्तुओं के क्रय पर अधिकतम 15% की मूल्य प्राथमिकता लघु एवं वृहद स्तर की इकाइयों को सरकार की ओर से दी जाती है।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:** कच्चे माल, आयातित उपकरण एवं औजारों की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार वृहद उद्योगों की तुलना में लघु स्तर क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपनी आयात नीति को उदारीकृत कर दुर्लभ कच्चे माल के वितरण को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं।
- **उत्पाद शुल्क/आबकारी प्रशुल्क:** लघु-स्तर की इकाइयों जिनमें पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों तरह की इकाइयां शामिल हैं; उन्हें उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर श्रेणीयन के अनुसार आबकारी शुल्क से छूट प्रदान की है। एक

वर्ष में 30 लाख रुपये के उत्पादन मूल्य वाली इकाई को पूर्ण छूट स्वीकृत की गई है और जो 75 लाख रुपये के उत्पादन मूल्य वाली इकाई की सामान्य प्रशुल्क का 75% शुल्क ही देना होगा।

- **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उधार गारंटी:** 1960 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लघु स्तर के उद्योगों हेतु उधार गारंटी योजना प्रारंभ की। यह योजना न केवल कार्यशील पूंजी बल्कि स्थाई पूंजी के सृजन हेतु प्रदान किए गये अग्रिमों को भी शामिल करती है। योजनानुसार, रिजर्व बैंक स्वयं उन अग्रिमों की गारंटी देने वाले संगठन की भूमिका निभाता है जो अभी बकाया हैं; जिन पर ब्याज भी बकाया है तथा पुनः प्राप्ति शुल्क भी शामिल है।
- **वित्तीय सहायता:-** लघु स्तर के उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यापारिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाएँ लघु-स्तर के उद्योगों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। लघु औद्योगिक विकास कोष ने 1986 में लघु-स्तर क्षेत्र को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत सारी योजनाएँ प्रारंभ की। नेशनल इक्विटी फंड 1987 में सिंगल विंडो स्कीम 1988 में शुरू की। एस.आई.डी.एफ. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, ग्रामीण एवं छोटे कुटीर उद्योगों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है। नेशनल इक्विटी फंड लघु क्षेत्र / छोटी परियोजना लागने वाले छोटे उद्यमियों को समता पूंजी की तरह की सहायता उपलब्ध कराती है। 1996 में, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 42.3 प्रतिशत लघु क्षेत्र ने प्राप्त किया।
- **तकनीकी परामर्श सेवाएं:-** लघु औद्योगिक विकास संगठन तथा उसके सेवा संपर्कों और शाखा संस्थाओं द्वारा लघु इकाइयों को तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस हेतु 1982 में एक कौंसिल की स्थापना की गयी जिसे एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह कौंसिल ग्रामीण उद्योगों को आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करती है। जो लघु उद्यमी ग्रामीण, कुटीर अथवा छोटी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं; वे केवल कुल फीस का 20% फीस देकर ही तकनीकी परामर्श संगठन से परामर्श सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- **किराया क्रय आधार पर मशीनरी प्राप्त करना:** नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लघु स्तर की इकाइयों को किराया क्रय पद्धति पर उन्हें मशीनों की आपूर्ति की व्यवस्था करता है। यह सुविधा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित सहायक इकाइयों को भी प्राप्त होगी होती है जो विनियोग सहायता की श्रेणी में आती है। पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले उद्यमियों और तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मशीनों पर ब्याज भी अन्यो की तुलना में कम लिया जाता है। इसी प्रकार 'अर्नेस्ट मनी' भी 10% ही लिया जाता है जबकि अन्य मामलों में 15% वसूला जाता है।
- **यातायात आर्थिक सहायता:** यातायात आर्थिक सहायता योजना 1971 के अनुसार चयनित क्षेत्रों से कच्चे माल को लाने में यातायात लागत की 75% तक की छूट लघु-स्तर की इकाइयों को प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार इन इकाइयों में निर्मित तैयार वस्तुओं को चयनित क्षेत्रों में ले जाने पर भी इतनी ही (75%) सहायता लागत में छूट प्रदान की जाएगी; जिससे इन इकाइयों की वस्तुओं की लागत में कमी आने से विक्रय करना आसान रहता है।
- **प्रशिक्षण सुविधायें :** भारतीय उद्यमिता विकास संस्था, वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, तकनीकी सलाहकार संगठनों और एन.एस.आई.सी. वर्तमान और भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

- **वितरण सहायता:-** राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम, लघु औद्योगिक विकास संगठन और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें लघु-स्तर की इकाइयों में बनी निर्मित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजारों में विपणन के कार्य में सहायता प्रदान करती हैं। सीडो निर्यात विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करती है और निर्यात संवर्धन पर सभाएँ एवं गोष्ठियाँ आयोजित करती हैं।
- **जिला उद्योग केंद्र:** 1977 की औद्योगिक नीति में वर्णित वाक्य के अनुसार जिला उद्योग केंद्रों की विचारधारा को प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गये। जिला उद्योग केंद्र लघु इकाइयों के लिए सहायता का एक पैकेज और साख-परामर्श, कच्चे माल की आपूर्ति तथा विपणन क्रियाओं को व्यवस्थित तथा प्रदान करने का कार्य करते हैं।

19.6 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याएं (Problems Related to Micro, Small and Medium Industries)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आकार एवं संचालन से संबंधित समस्याएं प्रमुख हैं। इन समस्याओं का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है; चाहे व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो। संचालन का बड़ा पैमाना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की योग्यता, कच्चे माल का क्रय, वित्त की उपलब्धता की असुविधा आदि समस्याएं उत्पन्न करती हैं। समस्याओं में प्रमुख रूप से कम विकसित आधारित संरचना सुविधाओं के साथ स्थान की दूरी, प्रबंधनकीय प्रतिभा की कमी, खराब गुणवत्ता, पुरानी पारंपरिक प्रौद्योगिकी और वित्त की अपर्याप्त उपलब्धता शामिल है। इसी प्रकार निर्यात करने वाली छोटी इकाइयों की समस्याओं में विदेशी बाजारों पर पर्याप्त आकड़ों की कमी, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, गुणवत्ता मानकों, बाजार की खुफिया जानकारी की कमी और लदान पूर्व वित्त शामिल हैं। सामान्य तौर पर छोटे व्यवसायों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है:-

- **कच्चा माल:-** सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की एक बड़ी समस्या कच्चे माल की उपलब्धता होती है। यदि अपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें गुणवत्ता पर समझौता करना होता है या अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए उच्च कीमत चुकानी होती है। उनके द्वारा कम मात्रा में क्रय की गई खरीद के कारण उनकी सौदेबाजी की सामर्थ्य अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अतिरिक्त, वे थोक में क्रय करने की जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास सामग्रियों के भंडारण की सुविधा नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में निकाले जाने वाले कच्चे माल, धातुओं और रसायनों की सामान्य कमी के कारण लघु उद्योगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- **प्रबंधकीय कौशल:-** लघु एवं मध्यम उद्योगों को संचालित करने वाले प्रायः एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास हो सकता है आवश्यक प्रबंधकीय कौशल नहीं हो। हांलांकि उन उद्यमियों के पास उस क्षेत्र का अच्छा तकनीकी ज्ञान तो हो सकता है लेकिन उन्हें सभी कार्यों की देखभाल करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता हो और वे व्यवसायिक पेशेवर प्रबंधकों को नियुक्त करने का वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में नहीं होते।
- **पूंजी का अभाव:-** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संचालन में पर्याप्त पूंजी का अभाव एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है। ये सामान्यतया व्यवसाय छोटी पूंजी के साथ शुरू होते हैं; उनकी साख योग्यता का अभाव होने से

वे पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सफल नहीं होते। कारणवश उन्हें स्थानीय वित्तीय संस्थाओं पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है जिससे उन्हें साहूकारों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे समय पर बकाया भुगतान नहीं कर पाते तथा बिना बिके माल में अपनी पूंजी फंसने के कारण उनके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी का अभाव रहता है। बैंक भी पर्याप्त गारंटी और सीमांत धन के बिना उन्हें पैसा उधार नहीं देते। काफी उद्यमी ये गारंटी और सीमांत धन की व्यवस्था नहीं कर पाते।

- **विद्युत की अपर्याप्तता:** लघु-स्तर एवं कुटीर उद्योगों को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से उन्हें जितना उत्पादन करना चाहिए उतना वे नहीं कर पाते हैं।
- **प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन का अभाव:** इन उद्योगों द्वारा प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन की तकनीक को नहीं अपनाने के कारण इनको इनके उत्पाद का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता।
- **शोध सूचनाओं और समंको का अभाव:** लघु एवं मध्यम उद्योगों को आवश्यक शोध सूचनायें और समंकों के प्राप्त नहीं होने के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाते।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि लघु स्तर की इकाइयों को अल्पकाल और दीर्घकाल जरूरतों के लिए अपर्याप्त वित्त की स्थिति से सामना करना पड़ता है। लघु इकाइयों के विकास में वित्त की कमी बाधक बन जाती है। दस्तकार एवं कारीगर के पास सीमित पूंजी होती है। जानकारी के अभाव में लघु स्तर के उद्योग अपने कार्य को पूंजी-बाजार तक संप्रेषित नहीं कर पाते जिससे वे वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पाते। कमजोर वित्तीय छवि के कारण छोटे उद्यमी ठीक लागत पर उधार की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते।

लघु-स्तर के उद्यमियों को धन उधार लेने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संस्थागत ऋण दाता सामान्यता लघु उद्योगों को अग्रिम धनराशि देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे गारंटी देने की स्थिति में नहीं होते। इसके अतिरिक्त बैंक से ऋण प्राप्ति में जो कागजात की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है उसमें उन्हें परेशानी आती है। वित्तीय संस्थायें उनसे बहुत सी जानकारियां मांगते हैं जिससे छोटे उद्यमियों की रुचि ऋण प्राप्ति हेतु खत्म हो जाती है। छोटे उद्यमियों की ऋण वापसी की क्षमता भी थोड़ी कम होती है साथ ही ऋण प्राप्ति का तरीका भी काफी बोझिल होता है जिससे लघु उद्यमी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में झिझकते हैं और वे ऊंची ब्याज दर निजी संस्थाओं अथवा साहूकारों से ऋण लेते हैं जिसे चुकाने में उन्हें बेहद दिक्कत का सामना करना होता है। हालांकि यह सत्य है कि सरकार ने इनमें से काफी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है जिनमें प्रक्रिया का सरलीकरण, हेल्प डेस्क शुरू करना, कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करना आदि; परंतु फिर भी अभी काफी कुछ करना शेष है क्योंकि व्यवहार में परेशानियां कुछ कम जरूर हुई हैं परंतु समाप्त नहीं हुई हैं।

- **विपणन कार्य:-** आधुनिक समय में व्यवसायिक क्षेत्र में विपणन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है क्योंकि इसी के माध्यम से ग्राहक की आवश्यकताओं की जानकारी होती है तथा वे किस तरह की किस्म की वस्तु अथवा सेवा चाहते हैं; की जानकारी होती है। छोटे और मध्यम उद्योगों के पास विपणन का बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण उद्यमियों के लिए प्रत्यक्ष विपणन सम्भव नहीं होता। अतः उन्हें मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कई बार कम कीमत और देरी से भुगतान करके उनका शोषण करते हैं।

- **क्षमता उपयोग का अभाव:-** मांग की कमी के कारण अथवा विपणन कौशल के अभाव के कारण कई उद्यम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ जाती है अंततोगत्वा व्यवसाय मंद होकर बंद हो जाता है।
- **गुणवत्ता का अभाव:-** कई लघु और मध्यम उद्यम वांछित मानकों का पालन नहीं करते और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ/सेवाएँ प्रदान नहीं करते। उनका ध्यान लागत कम करने में रहता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण उनके पास आवश्यक प्रौद्योगिकी का अभाव रहता है।
- **वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा:-** आधुनिक समय में हम 'वैश्विक कुटुंबकम' की व्यवस्था में रह रहे हैं। अतः लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धा आज बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी होती है जो कि अपने आकार एवं व्यवसाय के परिमाणों के कारणों से पिछड़ जाती हैं।

19.7 यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशें (Recommendations of U.K. Sinha Committee)

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रेषित की, जिसमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं:-

- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की इकाइयों के लिए 5 करोड़ रुपए से तनावग्रस्त परिसंपत्ति फंड के निर्माण का सुझाव दिया गया।
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाने की सिफारिश की गयी।
- छोटे उद्योगों को विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करना पड़ता है अतः समिति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाने की सिफारिश की गयी।
- समिति ने SIDBI (सिडबी) की भूमिका का विस्तार करने की सिफारिश की गयी।
- समिति ने सिडबी द्वारा ऋण का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया। इस हेतु अतिरिक्त उपकरण विकसित करने को कहा।
- समिति ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की भूमिका पर जोर दिया है।
- एक सिफारिश एमएसएमई उद्यमियों के लिए मृत्यु और दुर्घटना कवर के लिए समूह नीतियों को विकसित करने का सुझाव दिया है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवर से अधिक होते हों।
- एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 के स्थान पर एम.एस.एम.ई. विकास संशोधन बिल अधिनियम 2018 लाने की सिफारिश की गई।

19.8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रतियोगी बनाने के लिए सुझाव (Suggestions for MSMEs More Competitive)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रमुख समस्या उनकी बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा की रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको प्रतियोगी बनाने हेतु कुछ सुझाव निम्नानुसार सुझाए गए हैं:-

- एम.एस.एम.ई. की प्रमुख चुनौती अथवा समस्या उनके पास वित्त के अभाव की रही है। इस हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त वित्तीय उपकरण उपलब्ध कराके उनकी इस समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है जैसे बैंक ऋण, एंजल फंडिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इत्यादि।
- इसके अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि भी इनकी वित्तीय सहायता में सहायक होगी।
- हमारे श्रम कानून काफी पुराने हैं उनमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है जिनमें श्रम कानूनों में सुधार जैसे उत्पादकता सम्बद्ध मजदूरी योजना आदि।
- सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. को विपणन एवं सरकारी खरीद में वरीयता प्रदान की जानी चाहिए।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उद्यमियों को कौशल विकास के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधा दी जानी चाहिए।
- शोध एवं नवीनीकरण हेतु शोध एवं विकास हेतु आदर्श निवेश को बढ़ावा दिया जावे।
- समिति देयता भागीदारी का विकल्प उद्यमियों को प्रदान किया जाना चाहिए।
- आज का युग तकनीकी का होने के कारण एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का नियोजन प्रभावी होना आवश्यक है। यह प्रतीत होता है कि अविवेकशील निर्णयन, अनुपयुक्त स्थान चयन, असमन्वित प्रयास, बिना अनुभव की सलाह, अधोलागत का अनुमान, अवधि पार डिजाइन एवं किस्म ने इन्हें प्रतियोगिता में पीछे धकेल दिया है।
- संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता लघु उद्योगों को है जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उन्हें वित्त के अलावा विद्युत, पानी, यातायात, संदेशवाहन, तकनीकी सलाह, शोध, किस्म जांच एवं विभिन्न सहायता तंत्रों की आवश्यकता है।
- कच्चे माल की नियमित आपूर्ति लघु उद्योगों को होती रहे यह भी आज की आवश्यकता है। इस प्रसंग में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा उसकी सहायक संस्थायें अपनी भूमिका निभाते हुए आवश्यक कदम उठा सकती हैं।
- लघु उद्योगों की स्थापना एवं उनके विस्तार हेतु पर्याप्त साख की व्यवस्थायें की जानी आवश्यक है। इस हेतु जोखिम पूंजी, विकास वित्त आदि के वैकल्पिक प्रावधान किए जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने इस और प्रयास किए हैं परंतु उन्हें और साख एवं सहायता राशि विभिन्न सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं से उपलब्ध करवानी चाहिए।
- लघु उद्योगों को प्रतियोगिता के दोषों से बचाने हेतु कुछ और वस्तुओं को आरक्षित वस्तुओं की सूची में डालनी चाहिए जिससे बड़े बड़े उद्योगों से विपणन के धरातल पर प्रतियोगिता से उन्हें राहत मिल सके।
- लघु उद्योगों के स्वामियों को अपने संचालित व्यवसाय के वित्तीय विवरणों को समझने का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वह जान सके कि मेरे व्यवसाय की लेखांकन एवं वित्तीय स्थिति कैसी है तथा उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है?

- संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त सुझावों को गौर कर उनको लागू किया जाता है तो लघु उद्योगों की स्थिति में काफी सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. केन्द्र सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए की गई चार पहलों को वर्णित करें।
2. यू.के. सिन्हा समिति कि कोई चार सिफारिशों का वर्णन कीजिये।

19.9 एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के मुख्य बिंदू (Main Points of Economic Package Declared by Government to MSME Sector)

कोविड 2019 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति कम हुई है जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। केंद्रीय सरकार ने इस क्षेत्र को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कोरोना महामारी के कारण परेशान है; उन्हें कारोबार विस्तार हेतु 10,000 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड योजना के लिए दिए जाएंगे।
- लाख करोड़ रुपए तक की कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन एम.एस.एम.ई. उद्योगों को बिना गारंटी के इक्विटी के रूप में दिया जाएगा।
- ऋण को चुकाने की सीमा 4 वर्ष की होगी। उन्हें अपनी तरफ से कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। पहले वर्ष में कोई मूलधन नहीं देना पड़ेगा। मूलधन चुकाने के लिए 12 माह की अतिरिक्त समय सीमा दी जायेगी।
- जो एम.एस.एम.ई. उद्योग अच्छा कारोबार कर रहे हैं तथा जिनके पास फंड नहीं है उनके लिए 50,000 हजार करोड़ रुपए की इक्विटी दी जाएगी। इसका लाभ 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योग ले सकेंगे।
- आर्थिक पैकेज से 45 लाख एम.एस.एम.ई. उद्योगों को लाभ प्राप्त होगा।
- तनाव की केटेगरी वाली एम.एस.एम.ई. के प्रमोटर्स को बैंकों से ऋण दिया जाएगा जो एम.एस.एम.ई. में ही इक्विटी के रूप में ही निवेश किया जाएगा।
- इन एम.एस.एम.ई. उद्योग में निवेश के लिए 200 करोड़ रुपये से कम के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे।

19.10 केंद्रीय बजट (2022-23) एवं (2026-27) एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले प्रावधान (Provisions in Central Budget (2022-23) and (2026-27) to Boost the MSME Sector)

केंद्रीय सरकार ने 1 फरवरी 2022 को आम बजट की घोषणा की है उसमें एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने के काफी प्रावधान किए गये हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं:-

- एम.एस.एम.ई. के लिए 50,000 करोड़ की गारंटी लिमिट का दायरा बढ़ाकर 5,00,000 करोड़ रुपये करने का लाभ कोरोना की मार से डूबते उद्योगों को मिलेगा। इस कदम से कई कंपनियां घाटे से उबरने की स्थिति में आ सकती हैं।
- सी.जी.टी. एम.एस.ई.स्कीम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 2,00,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा।
- नई कंपनियों की स्वैच्छिक समापन अवधि 2 वर्ष के स्थान पर अब 6 माह की होगी जिसकी मांग पूर्व से की जा रही थी।
- सौर ऊर्जा उद्योग में मॉड्यूल निर्माण हेतु 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन किया जायेगा।
- 130 लाख से ज्यादा एम.एस.एम.ई. को ई.सी.एल.जी.एस. के तहत अतिरिक्त ऋण दिया गया।
- नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा।
- ई.सी.एल.जी.एस. में गारंटी दायरे की सीमा जो पहले 50,000 करोड़ रुपये की थी उसे बढ़ाकर 5,00,000 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।
- उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में अड़चनें खत्म करने और नियम प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ईज आफ डूइंग बिजनेस ई.ओ.डी.बी. 2.0 और इज ऑफ लिविंग का दूसरा चरण शुरू करेगी। वित्तमंत्री ने कहा उद्योगों की बाधाएं दूर करने में पिछले 2 वर्षों में 1486 कानूनों को खत्म किया गया। वित्त मंत्री ने कहा सरकार "मिनिमम गवर्नमेंट एण्ड मैक्सिमम गवर्नेंस" के प्रति समर्पित है।
- 6000 करोड़ रुपयों से 5 वर्ष में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए आर.ए.एम.पी कार्यक्रम शुरू होगा।
- पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में 35.4 प्रतिशत वृद्धि कर 7.5 लाख करोड़ किया गया है।
- उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के निवेश को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।
- घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
- उद्यम, ई-श्रम, एन.सी.एस. असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ने का प्रावधान है।

Key Provisions for MSME Sector (Union Budget 2026-27)

1. Strengthening Access to Finance

*10,000 crore SME Growth Fund launched

→ Provides equity support to high-potential MSMEs to scale into "champion enterprises"

Expansion of Self-Reliant India Fund

→ Additional capital infusion for micro and small enterprises

Low-interest and easier credit access

→ Reduced dependence on collateral, improved loan accessibility

In simple terms: Earlier MSMEs survived on loans; now they are being offered growth capital.

2. Liquidity & Cash Flow Reforms

- TReDS (Trade Receivables Discounting System) strengthened

→ Faster payments from large buyers and CPSEs

- Mandatory adoption of TReDS by CPSEs

→ Reduces delayed payments, a chronic MSME pain point

Think of it as turning slow-moving cash into a flowing river instead of a stagnant pond.

3. Simplification of Compliance & GST

- Simplified GST filing and reduced compliance burden
- Faster refunds & digital invoicing incentives
- Reduced paperwork and penalties

Less time in paperwork jungles, more time in business battlefields.

4. Technology & Digitalisation Push

- Incentives for technology adoption and automation
- Support for digital tools, e-commerce, and AI integration
- Grants for modern machinery and innovation

MSMEs are being upgraded from "manual workshops" to "smart factories."

5. Export Promotion & Global Integration

- Special support for export-oriented MSMEs
- Improved logistics, customs, and GST refund systems
- Integration with GeM (Government e-Marketplace)

Turn "Local for Vocal" into "Local to Global."

6. Infrastructure & Cluster Development

- Investment in industrial hubs, logistics, storage
- Support for textiles, handloom, handicrafts, and rural industries

MSMEs get not just money, but ecosystems to breathe and grow in.

7. Institutional & Professional Support

- Launch of "Corporate Mitras" network

→ Helps MSMEs with compliance, risk, and advisory support

- Support for women-led MSMEs (e.g., SHE-Marts)

8. Regional & Inclusive Growth

- Focus on Tier-2 & Tier-3 cities
- Promotion of local entrepreneurship and employment generation.

19.11 सारांश (Conclusion)

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि सरकार का एम.एस.एम.ई. क्षेत्र पर काफी जोर है क्योंकि इसकी महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि देश की कुल जी.डी.पी. में 30 प्रतिशत हिस्सा एम.एस.एम.ई. का है तथा देश के निर्यात में 48 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र का है। कोरोना महामारी के कारण यह सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है। इसी वजह से सरकार ने इस पर खास ध्यान दिया है। इसका लाभ आने वाले समय में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को निश्चित तौर पर प्राप्त होगा।

19.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन विद्यार्थियों को निम्न बिन्दुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है: -

- लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के उद्योगों की परिभाषा की जानकारी प्राप्त हुई।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के उद्योगों का महत्त्व ज्ञात हो गया है।
- इन उद्योगों के उद्देश्यों की जानकारी हो गई है।
- भारत में तीनों स्तर के उद्योगों की क्या समस्याएँ हैं; की जानकारी मिल चुकी है।
- केन्द्रीय सरकार ने इन उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु शुरू की गयी पहलों की जानकारी मिल चुकी है।
- समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा की गयी सिफारिशें ज्ञात हो गयी है।
- इन उद्योगों को प्रतियोगी वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने एवं विकास हेतु सुझावों की जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है।

19.13 शब्दकोश (Glossary)

- एम.एस.एम.ई – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उपक्रम।
- सूक्ष्म वित्त - बहुत कम मात्रा में धनराशि।
- एस.एस.आई - लघु स्तर के उद्योग।
- सिडबी - एक संस्था का नाम।

19.14 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Question)

1. लघु एवं मध्यम उद्योग को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को वर्णित कीजिए।
2. लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याओं को वर्णित कीजिए। सरकार द्वारा क्षेत्र के लिए की गई पहलों को स्पष्ट कीजिए।
3. केंद्र सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र हेतु घोषित आर्थिक पैकेज तथा बजट 2022- 23 में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले प्रावधान बताइए।

19.15 संदर्भ सूची (Reference List)

- इकोनामिक टाइम्स समाचार पत्र, 2 फरवरी 2020
- एम.एस.एम.ई मंत्रालय की समीक्षा 2020, भारत सरकार

- विकासपीडिया, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार
- वेबसाइट ऑफ़ मिनिस्ट्री आफ़ एमएसएमई, भारत सरकार, 2018
- यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशें
- www.ncert.nic.in

19.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- MSME Annual Report – 2021-22; Ministry of Micro Small & Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi
- MSME Report 2023-24
- “Challenges to Indian Micro Small Scale and Medium Enterprises in the Era of Globalisation” – S. Mukherjee 02 Oct 2018; Journal of Global Entrepreneurship Research
- MSME Schemes – Govt. of India; National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises; Hyderabad
- Entrepreneurship and Small Business Management- G.S. Sudha

19.17 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources / Links)

- <https://msme.gov.in>
- <https://www.demsme.gov.in>
- <https://link.springer.com>

इकाई - 20

औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 20.0 उद्देश्य
- 20.1 प्रस्तावना
- 20.2 औद्योगिक रुग्णता की अवधारणा
- 20.3 औद्योगिक रुग्णता के कारण
- 20.4 औद्योगिक रुग्णता के परिणाम
- 20.5 औद्योगिक रुग्णता के सुधार हेतु उपाय
 - 20.5.1 सामान्य उपाय
 - 20.5.2 सरकार द्वारा उठाये गये कदम
- 20.6 सारांश
- 20.7 अधिगम परिणाम
- 20.8 शब्दकोष
- 20.9 स्व-परख प्रश्न
- 20.10 संदर्भ/ग्रंथसूची
- 20.11 अन्य पठन सामग्री
- 20.12 वेब संसाधन/लिंक

20.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे :

- औद्योगिक रुग्णता की अवधारणा एवं इसका अभिप्राय;
- औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न कारण;
- औद्योगिक रुग्णता के दुष्परिणामों का ज्ञान;
- औद्योगिक रुग्णता के समाधान के उपायों की जानकारी; तथा

- सरकार द्वारा उठाये गये कदमों एवं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में।

20.1 प्रस्तावना (Introduction)

विश्व के समस्त देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास हेतु औद्योगीकरण का मार्ग अपनाया। इसी कारण, औद्योगिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक रुग्णता की समस्या ने भी जन्म लिया। यह समस्या आज सभी छोटी एवं बड़ी औद्योगिक इकाईयों में समान रूप से दिखाई देती है। इन बीमार/रुग्ण इकाईयों के कारण इनके मालिक, विनियोक्ता, कर्मचारी एवं पूर्तिकर्ता आदि, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

औद्योगिक रुग्णता के कारण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती अपितु राष्ट्रीय संसाधन भी अनुपयोगी हो जाते हैं और सामाजिक अंशाति का कारण भी बनते हैं। औद्योगिक रुग्णता एक सार्वभौमिक दृश्य है, जो समस्त देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में समान रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में घरेलू एवं विदेशी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण, औद्योगिक बीमार इकाईयों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई है।

औद्योगिक रुग्णता के कारण देश में बेरोजगारी के साथ-साथ, उत्पादन में कमी होती है एवं विनियोक्ताओं के मनोबल में भी गिरावट आती है। अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक रुग्णता से देश की अर्थव्यवस्था पर बहु-आयामी दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं।

20.2 औद्योगिक रुग्णता की अवधारणा (Concept of Industrial Sickness)

औद्योगिक रुग्णता को विद्वानों ने अपने मतानुसार कई ढंग से परिभाषित किया है। इसकी अवधारणा पर समान विचार का अभाव पाया गया है। सामान्यतया, एक औद्योगिक इकाई को रुग्ण तब माना जाता है जब वह निरन्तर रूप से कोष का अतिरेक (Surplus) पैदा करने में असफल रहती है और अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए बाहरी कोषों पर बार-बार निर्भर रहती है।

अतः इस प्रकार की इकाई लगातार हानि या घाटे में चलकर रुग्ण या बीमार औद्योगिक इकाई के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर लेती है।

“रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया” के अनुसार, “रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिसने चालू वर्ष एवं अनुगामी वर्ष में हानि वहन की हो तथा जिसके वित्तीय संरचना में असन्तुलन हो जैसे - चालू अनुपात 1:1 से कम हो तथा ऋण अंश अनुपात बिगड़ता जा रहा हो।”

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष-प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संशोधित, 1993) के अनुसार, एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि “जिस औद्योगिक कम्पनी को पंजीकृत हुए कम से कम पाँच वर्ष हो चुके हों तथा किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्त में जिसकी कुल परिसंपत्ति (Net-worth) संचित हानि (Accumulated loss) के बराबर या उससे अधिक हो तो उसे औद्योगिक रुग्ण इकाई कहा जाएगा।

20.3 औद्योगिक रुग्णता के कारण (Causes of Industrial Sickness)

औद्योगिक इकाईयाँ, विभिन्न कारणों से अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बीमार/रुग्ण हो सकती हैं। कुछ औद्योगिक इकाईयाँ प्रवर्तकों द्वारा गलत परियोजना के चयन या पूँजी की अपर्याप्तता के कारण शुरुआती अवस्था में ही

बीमार हो जाती हैं, तो कुछ औद्योगिक इकाईयाँ अच्छे प्रबन्ध के अभाव एवं आधुनिकीकरण को न अपनाने के कारण, कुछ वर्षों बाद चलकर रुग्ण इकाईयों में परिवर्तित हो जाती हैं।

औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न कारणों को मुख्यतः दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

I आन्तरिक कारण एवं

II बाह्य कारण।

I आन्तरिक कारण (Internal Causes) :

जब औद्योगिक संगठन के आन्तरिक व्यवधानों के कारण इकाईयाँ रुग्ण/अस्वस्थ होती हैं तो यह औद्योगिक रुग्णता के आन्तरिक कारण कहलाते हैं। आन्तरिक कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :-

1. **प्रवर्तकों में अनुभव का अभाव (Lack of Experience of the Promoters) :** प्रवर्तक जब औद्योगिक संगठन के निर्माण की स्थिति के समय, यदि गलत परियोजना (Project) का चयन कर लेते हैं या गलत स्थान/गलत नियोजन को अपना लें तो वह औद्योगिक इकाई बीमार इकाई का रूप स्थापना के समय ही ले लेगी। अतः औद्योगिक इकाई की स्थापना के पूर्व भलीभांति अनुसंधान एवं बाजार विश्लेषण, यदि प्रवर्तकों द्वारा नहीं किया तो इकाई का गठन एवं निर्माण सही प्रकार नहीं हो पायेगा और वह इकाई रुग्ण इकाई में परिवर्तित हो जायेगी।
2. **अप्रचलित या अनुपयुक्त तकनीक का चयन (Selection of Obsolete Technology):** आज किसी औद्योगिक संगठन के सफल संचालन का मुख्य आधार उसके द्वारा अपनायी गई आधुनिक तकनीक होती है। लेकिन, पूँजी एवं अन्य जानकारी के अभाव में जब पुरानी या अप्रचलित तकनीक को अपना लेते हैं जिससे उत्पादित इकाईयों की लागत अधिक आने के कारण संगठन को हानि होने लगती है। इसके कारण औद्योगिक संगठन रुग्ण या अस्वस्थ हो जाता है।
3. **अच्छे प्रबन्ध का अभाव (Lack of a Sound Management):** औद्योगिक इकाईयों के रुग्ण होने में 'कुप्रबन्ध' महत्वपूर्ण आन्तरिक कारण है। खराब प्रबन्ध के अन्तर्गत, प्रबन्धकों में अनुभवहीनता, अप्रभावशीलता, पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव, उपेक्षा, अपराधिक प्रकृति एवं बेईमानी आदि को सम्मिलित किया जाता है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि औद्योगिक रुग्णता के जितने भी तत्व हैं, उनमें सबसे अधिक प्रबन्धकीय तत्व सामान्यतः उत्तरदायी पाया गया है। इसके कारण उत्पाद प्रबन्ध, श्रम प्रबन्ध एवं अन्य साधनों का प्रबन्ध कमजोर होता जाता है एवं अन्ततः औद्योगिक इकाईयाँ घाटे की स्थिति में आ जाती हैं। तिवारी समिति की रिपोर्ट में, यह बताया गया कि 65 प्रतिशत बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाईयाँ कुप्रबन्ध की समस्या से ग्रसित पाई गई हैं।
4. **प्रबन्ध द्वारा बाजार सम्भाव्यता का गलत आंकलन (Wrong Assessment of the Market Potential by Management) :** औद्योगिक संगठन के प्रबन्धकों द्वारा बाजार की सम्भाव्यता का गलत मूल्यांकन करने के कारण भी औद्योगिक संगठन अस्वस्थता या रुग्णता की ओर अग्रसित होने लगते हैं। दोषपूर्ण बाजार माँग का पूर्वानुमान, बाजार की दशाओं में परिवर्तन का गलत अनुमान, ग्राहकों की रुचि एवं वरीयता और प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सही से अनुमान नहीं लगा पाने के कारण भी औद्योगिक रुग्णता को जन्म मिलता है।

5. **प्रबन्ध एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद (Dispute between Management and Employees):** एक औद्योगिक संगठन के कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों के मध्य, यदि अशान्ति या विवाद पाये जाते हैं तो वह संगठन ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पायेगा। कमजोर श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध कर्मचारियों के मनोबल एवं उत्पादकता में कमी लाता है तथा इसके कारण, यह देखा जाता है कि संगठन में हड़ताल एवं तालाबन्दी सामान्य बात हो जाती है। कर्मचारी आये दिन वेतन, भत्ते, बोनस, पदोन्नति एवं नई-नई समस्याओं को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। इसका संस्था के उत्पादन एवं उत्पाद की किस्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा लाभ कम होने के कारण संगठन धीरे-धीरे रुग्ण इकाई में परिवर्तित हो जाता है।
6. **औद्योगिक संगठन की अवस्थिति/संस्थिति की समस्या (Locational problems of Industrial Organisation) :** कोई औद्योगिक इकाई उच्च तकनीक पर आधारित होते हुए, यदि बिना कुशल/योग्य कर्मचारियों एवं आवश्यक आधारभूत संरचना के अभाव में स्थापित की जाती है। यदि यह इकाई आयातित कच्ची सामग्री पर निर्भर है और क्षेत्र में पर्याप्त परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव है तो यह औद्योगिक इकाई निरन्तर कुशलतापूर्वक नहीं चलाई जा सकती है।
7. **स्थापना कार्य में समय एवं लागत का सीमा पार जाना (Time and Cost Oversums in Establishment Function):** जब औद्योगिक संगठन की स्थापना की जाती है तो कई कारणों से उसकी स्थापना कार्य में परियोजना की लागत भी बढ़ जाती है। इसके पीछे जो कारण उत्पन्न होते हैं, उनमें से प्रमुख हैं, औद्योगिक इकाई में प्रयुक्त होने वाली मशीन एवं उपकरण की देरी से आपूर्ति, भवननिर्माण कार्य में देरी, विद्युत एवं कच्ची सामग्री आपूर्ति में व्यवधान आदि ऐसे कारण हैं जिससे संगठन का कार्य समय पर पूरा नहीं होता है। इन कारणों से लागत बढ़ती है और जिसके कारण पूँजी का अभाव उत्पन्न होता है अर्थात् संस्था की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। संस्था इस स्थिति में हानि की दशा की ओर अग्रेषित होने लगती है।
8. **कोष की कमी और वित्तीय प्रबन्धन दोषपूर्ण होना (Paucity of Funds and Faulty Financial Management) :** औद्योगिक इकाई को जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होना। कई नवीन औद्योगिक इकाईयों में यह पाया जाता है कि वे पूँजी का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं और कई बार यह दशा होती है कि पूँजी की कमी का अनुभव करती हैं। औद्योगिक इकाई के लिए अतिरेक पूँजी और न्यून पूँजी दोनों ही स्थितियाँ खराब होती हैं। अतः संस्था में अच्छा वित्तीय प्रबन्ध नहीं है तो तरलता की समस्या ही नहीं उत्पन्न होती है, अपितु निरन्तर उत्पादन में कमी आती है। औद्योगिक रुग्णता के पीछे उसके दोषपूर्ण कोष प्रवाह एवं नगद प्रवाह का अनुमान प्रमुख होता है।

अन्य कारण (Other Causes) : आन्तरिक अन्य कारणों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है:-

- (i) बिना प्रबन्धकीय क्षमता एवं साधनों के औद्योगिक इकाई का विस्तार करना।
- (ii) संगठन के उत्पाद मिश्रण एवं विपणन मिश्रण में परिवर्तनीय वातावरण के अनुरूप परिवर्तन न करना।
- (iii) स्कंध प्रबन्ध का कमजोर पक्ष होना।
- (iv) प्रभावी प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली का अभाव या कमी।
- (v) क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना तथा दोषपूर्ण मूल्य नीति।

II बाह्य कारण (External Causes) :

औद्योगिक रुग्णता के बाह्य कारण वे होते हैं जिन तत्वों पर एक औद्योगिक इकाई का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। इन कारणों को औद्योगिक इकाई के बाहर देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:-

1. **संरचना की समस्या (Infrastructural Problems):** औद्योगिक संगठन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्यतः परिवहन, विद्युत, बैंकिंग, संचार तथा भंडारण आदि का विकास नहीं हो पाया है। इन आधारभूत सुविधाओं के अभाव या कमी के कारण भी औद्योगिक इकाईयाँ बीमार या अस्वस्थ होने लगती हैं।
2. **सरकारी नियन्त्रण एवं नीतियाँ (Government Controls and Policies):** सरकार द्वारा औद्योगिक संगठनों के विकास एवं नियमन के लिए समय-समय पर विभिन्न कानून एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। जिसमें वित्त एवं साख नीति, विदेशी विनियोग नीति, श्रम नीति, कराधान नीति, आयात-निर्यात नीति, मौद्रिक नीति आदि प्रमुख नीतियाँ हैं। इन सभी नीतियों में सरकार के बदलाव के बाद अप्रत्याशित परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कई औद्योगिक इकाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा इन इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पादों पर कई बार मूल्य नियन्त्रण कर दिया जाता है या स्टॉक सीमा पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है तथा आयात-निर्यात पर रोक एवं नियन्त्रण लगा देते हैं। साथ ही, तटकर एवं अन्य करों में प्रतिकूल वृद्धि करने से कई औद्योगिक इकाईयाँ हानि पर चल कर रुग्ण हो जाती हैं।
3. **कार्यशील पूँजी या तरलता की समस्या (Problem of Working Capital or Liquidity) :** औद्योगिक संगठनों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूँजी एवं पूँजी की तरलता अति आवश्यक है। इसकी व्यवस्था हेतु संगठन को तरलता कोष बनाने चाहिए या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यशील पूँजी/तरलता का अभाव औद्योगिक इकाई पर विपरीत प्रभाव डालती है। तिवारी समिति के अनुसार, बड़ी औद्योगिक रुग्ण इकाईयों का 24% कार्यशील पूँजी/तरलता के कारण प्रभावित होकर रुग्ण इकाई में तब्दील हुई हैं।
4. **शक्ति साधनों में कमी (Lack of Power Resources) :** औद्योगिक इकाईयों के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। कई बार देश में विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि की कमी एवं कटौती में संकट खड़ा होता रहता है। भारत में, यह सामान्य समस्या है जिसके चलते कई औद्योगिक संगठन धीरे-धीरे बीमार या अस्वस्थ होने लगते हैं।
5. **वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन (Change in Global Circumstances):** अन्तराष्ट्रीय या वैश्विक परिस्थितियाँ प्रतिदिन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में सभी औद्योगिक इकाईयों को अब अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जो इकाई लाभदेय स्थिति एवं लीडरशिप फर्म के रूप में अग्रेसित हो रही है, वह अन्य इकाईयों को बाजार से बाहर का रास्ता दिखा रही है।

इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है। इनके उत्पाद एवं सेवाओं की लागत एवं किस्म के आगे अन्य कम्पनियों के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये

औद्योगिक इकाईयाँ धीरे-धीरे संकटग्रस्त होकर बंद के कगार पर पहुँच रही हैं। इसके अतिरिक्त, कई विकसित देशों ने आयात-निर्यात पर पाबंदी लगाकर अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारी तटकर लगाना, विदेशी सहायता एवं द्विपक्षीय व्यापार पर अचानक प्रतिबन्ध आदि ऐसी कार्य नीतियाँ जो हमारे औद्योगिक संगठनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

6. **तकनीकी परिवर्तन (Technological Change):** विश्व के विकसित राष्ट्र औद्योगिक विकास हेतु नवीन एवं परिवर्तित तकनीक एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। वैज्ञानिक नवीन तकनीक की खोज और आविष्कार में निरन्तर लगे हुए हैं। जो औद्योगिक संगठन पुरातन या अप्रचलित तकनीकों के माध्यम से उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उनके उत्पाद की किस्म और लागत अनुपयुक्त होने के कारण वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, इस वजह से ये औद्योगिक इकाईयाँ रुग्ण हो जाती हैं।
7. **प्राकृतिक आपदा (Natural Hazard / Crisis):** प्रत्येक देश में निरन्तर रूप से प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं जैसे, भूकम्प, बाढ़, समुद्री तूफान, महामारी आदि। इनकी वजह से औद्योगिक इकाई के भवन, मशीन, गोदाम आदि नष्ट हो जाते हैं। कई औद्योगिक इकाईयाँ इन प्राकृतिक संकटों से अपने को बचा नहीं पाती हैं और बीमार इकाई के रूप में तब्दील हो जाती हैं।
8. **अन्य बाहरी कारण (Other External Causes) :**

अन्य बाहरी कारणों में, हम निम्नलिखित कारणों को सम्मिलित कर सकते हैं:-

- (i) उत्पादन के लिए कच्चे माल का समय पर सन्तोषजनक मात्रा में उपलब्ध नहीं होना।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रभाव सभी देशों की औद्योगिक इकाईयों पर प्रतिकूल पड़ने से औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि हुई है।
- (iii) नवाचार हेतु अधिक शोध एवं अनुसंधान पर व्यय नहीं करना।
- (iv) बढ़ती हुई कीमतें तथा मुद्रास्फीति का प्रभाव।
- (v) अत्यधिक ऊपरी खर्च एवं गलत आंकलन।
- (vi) मन्दी की प्रकृति भी उद्योगों पर विपरीत असर डालती है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. जिस औद्योगिक इकाई का चालू अनुपात 1:1 से कम हो तो वह संस्था / इकाई कहलाती है :-

(अ) तरल पूँजी वाली	(ब) रुग्ण इकाई
(स) सक्षम इकाई	(द) विकासशील इकाई
2. औद्योगिक रुग्णता के कारण, किसी राष्ट्र में निम्न में से कौनसी समस्या पैदा हो जाती है -

(अ) विनियोक्ताओं के मनोबल में कमी	(ब) उत्पादन में कमी होना
(स) बेरोजगारी का पनपना	(द) उपरोक्त सभी
3. जब किसी औद्योगिक रुग्ण इकाई के प्रवर्तकों में अनुभव का अभाव होता है तो यह कौनसा कारण बनता है-

- (अ) संस्था का आन्तरिक कारण (ब) बाह्य कारण
 (स) आर्थिक कारण (द) संस्थागत कारण
4. निम्न में से औद्योगिक रुग्णता का कौनसा बाह्य कारण है –
- (अ) संरचना की समस्या (ब) सरकारी नियंत्रण एवं नीतियाँ
 (स) शक्ति साधनों में कमी (द) उपरोक्त सभी
5. यदि औद्योगिक इकाइयों पर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विपरीत / प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वे इकाइयाँ हो जाती है -
- (अ) रुग्ण (ब) विकासशील
 (स) सरकारी नियंत्रण से बाहर (द) शासन के अधीन निष्क्रिय

20.4 औद्योगिक रुग्णता के परिणाम (Consequences of Industrial Sickness)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक रुग्णता के दुष्परिणामों को भुगतना ही पड़ता है। साथ ही, इसके प्रभाव से विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी बच नहीं पाती हैं। औद्योगिक रुग्णता के दुष्परिणाम अर्द्धविकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक मात्रा में भुगतना पड़ रहा है। औद्योगिक रुग्णता के विभिन्न परिणामों का हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णन कर सकते हैं:-

- 1. रोजगार के अवसरों में कमी (Decrease in Employment Opportunity):** देश में औद्योगिक रुग्णता से रोजगार के अवसरों में कमी आती है। भारत में बेरोजगारी की दर प्रतिदिन वैसे ही बढ़ती जा रही है। यदि देश की औद्योगिक इकाइयाँ अधिक मात्रा में अस्वस्थ होती जायेंगी तो बेरोजगारी की दर में और अधिक इजाफा होगा। परिणामस्वरूप, औद्योगिक इकाइयाँ बंद होगी और इस कारण लोग अधिक बेरोजगार होंगे। अतः न केवल रोजगार के अवसरों में कमी होगी वरन् वर्तमान में कार्यरत लोगों की छँटनी शुरू हो जायेगी, इसके गंभीर दुष्परिणाम यह होंगे कि श्रमिकों में आक्रोश पनपने लगेगा।
- 2. देश की आर्थिक विकास दर पर विपरीत प्रभाव (Adverse Effect on Economic Growth Rate of Nation):** आर्थिक विकास आज सभी देशों की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए हमारे देश ने औद्योगीकरण का मार्ग चुना। भारत में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना तैयार करते समय बड़े, मध्यम आकार एवं लघु उद्योगों पर समान रूप से जोर दिया गया। देश में अधिक आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए आज भी विविध प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके विपरीत, यदि अधिक मात्रा में औद्योगिक इकाइयाँ रुग्ण या बीमार होने लगे तो राष्ट्र की औद्योगिक विकास दर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि देश की आर्थिक विकास की दर थम जायेगी या उसमें गिरावट आ जायेगी।
- 3. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नुकसान (Loss to Banks and Financial Institutions):** बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ औद्योगिक संगठनों को समय-समय पर भवन, मशीन, उपकरणों एवं कच्चे माल के क्रय हेतु स्थायी पूँजी की प्राप्ति के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों हेतु कार्यशील पूँजी भी उधार पर प्रदान करते हैं। जब औद्योगिक संगठन रुग्ण या बीमार हो जाने के कारण बंद के कगार पर पहुँच जाते हैं

तो ऐसी स्थिति में बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को भारी नुकसान होता है क्योंकि उनका दिया हुआ ऋण डूब जाता है। जब औद्योगिक इकाईयाँ ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाती हैं तो बैंक एवं वित्तीय संस्था इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती हैं। लेकिन, एक तो इसमें कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और उधार दी गई पूरी राशि भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

4. **औद्योगिक शान्ति में कमी (Paucity of Industrial Peace):** औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शान्ति एक आवश्यक तत्व है। जब औद्योगिक संगठन रुग्ण होने लगते हैं तो औद्योगिक अशान्ति का कारण बन जाते हैं, उसकी प्रमुख वजह नियोक्ता संगठनों के द्वारा श्रमिकों की छँटनी, वेतन/मजदूरी में कटौती, निलम्बन आदि मुद्दों को लेकर हड़ताल, तालाबन्दी तथा तोड़फोड़ आदि घटनायें की जाने लगती हैं। अतः इस प्रकार की घटनायें जब अन्य औद्योगिक क्षेत्र में फैलने लगती हैं तो पूरे देश में औद्योगिक अशान्ति का वातावरण पैदा होने लगता है। बीमार औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि से उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि लाभदेयता में भी गिरावट आती है।
5. **निवेशकर्ताओं पर बुरा प्रभाव (Bad Effect on Investors):** देश में निवेशकर्ता अपनी आमदनी का हिस्सा उन लाभ अर्जित करने वाली और जिनका आधार मजबूत है, उन्हीं औद्योगिक इकाइयों में सोच-समझकर अपना निवेश करते हैं। जब औद्योगिक इकाई किसी कारणवश रुग्ण या बंद हो जाती है तो उस औद्योगिक इकाई के अंशों के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके अंश के बाजार मूल्यों में तेजी से गिरावट उत्पन्न हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था एवं बाजार पर प्रतिकूल असर डालती है।
6. **सरकार को राजस्व का नुकसान (Loss in Government Revenue):** देश की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से कर एवं शुल्कों के माध्यम से काफी राजस्व उपलब्ध होता है। जब औद्योगिक इकाईयाँ अस्वस्थ या बंद हो जाती हैं तो सरकार को राजस्व की बड़ी हानि होती है। इसका प्रभाव सरकार पर यह पड़ता है कि देश के योजनाबद्ध विकास के लिए जो राशि चाहिए, उसमें कमी हो जाती है।
7. **सम्बन्धित इकाईओं को हानि (Loss to Associate Units):** सामान्यतया यह देखा जाता है कि एक औद्योगिक संगठन दूसरे अन्य औद्योगिक संगठनों से जुड़े होते हैं। अतः एक औद्योगिक इकाई रुग्ण होती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धित दूसरी इकाईयों पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कपड़ा उद्योग अस्वस्थ हो जाता है तो इसका सीधा असर कपास उत्पादकों पर पड़ेगा। इसी प्रकार बहुमंजिला भवन निर्माण कम्पनियाँ यदि रुग्ण होती हैं तो इसका सीधा असर लोहा-इस्पात, फर्नीचर, सीमेन्ट या अन्य भवन निर्माण सामग्री बनाने वाली कम्पनियों पर पड़ेगा।
8. **देश के बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी (Eradicate of Valuable Resources of Country):** हमारे देश में, जब औद्योगिक इकाईयाँ रुग्ण होकर बंद होने लगती हैं, तो इसमें उपयोग में लाये गए सभी साधन जैसे भवन, मशीन, संयंत्र आदि संसाधन अनुपयोगी हो जाते हैं यहाँ तक कि श्रम संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार देश के बहुमूल्य साधनों की बर्बादी होती है।
9. **अन्य परिणाम (Other Consequences):**
 - (i) देश की सकल कुल आय में गिरावट होती है क्योंकि रुग्णता के कारण औद्योगिक उत्पादन कम हो जाता है।
 - (ii) समाज के व्यक्तियों की मांग को पूरा करने में कठिनाई आना।

20.5 औद्योगिक रुग्णता के सुधार हेतु उपाय (Remedial Measures for Industrial Sickness)

औद्योगिक रुग्णता के सुधार हेतु उपायों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं:-

20.5.1 सामान्य उपाय (General Measures)

भारत में औद्योगिक रुग्णता की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं उत्पादन प्रणाली पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ता है। देश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को नयी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने से पहले रुग्ण इकाईयों को पुनर्स्थापित कर, उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाकर खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। तदुपरान्त नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के बारे में सोचा जाना चाहिए। सरकार उद्योगों की स्थापना एवं विकास पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अरबों रुपये व्यय करती है। सरकार को ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना चाहिए जिसके माध्यम से रुग्ण इकाईयों को पुनः स्वस्थ किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय/सुझाव दिए जा रहे हैं:-

1. **समय पर वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता (Financial Incentives and Supports at Right Time):** किसी औद्योगिक इकाई के रुग्ण होने के प्रारम्भिक चरण में ही पूरी छानबीन कर उसे पर्याप्त वित्तीय एवं अन्य सहायता तत्काल प्रदान की जानी चाहिये ताकि उसे अस्वस्थ होने से रोका जा सके। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को सरकार द्वारा सही समय पर आर्थिक सहायता एवं छूट उपलब्ध करवा दी जाए तो ये इकाईयाँ अस्वस्थ होने से बच जायेगी।
2. **श्रेष्ठ एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग (Use of Noble and Modern Technology):** उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन विधियों में पुरातन तकनीक में परिवर्तन कर नवीन एवं उन्नत तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नये आविष्कार एवं प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्काल अपनाने की आवश्यकता है। इसकी प्रमुख वजह है आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन ही नहीं बढ़ता बल्कि उत्पादित वस्तु की किस्म में सुधार होता है और लागत भी कम आती है। अतः औद्योगिक इकाईयाँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती नहीं हैं तथा इससे यह फायदा होता है कि ये औद्योगिक इकाईयाँ रुग्ण/अस्वस्थ होने से बची रहती हैं।
3. **उपयुक्त प्रबन्ध सूचना प्रणाली की स्थापना (Establishment of a Proper Management Information System):** औद्योगिक इकाई के रुग्ण होने की प्रारम्भिक अवस्था में पता करने या कारणों की पहचान कर लेने में एक प्रभावी प्रबन्ध सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सूचना प्रणाली औद्योगिक रुग्णता के बारे में पूर्व में ही चेतावनी स्वरूप संकेत प्रदान कर देती है। अतः रुग्ण इकाईयों के उच्च प्रबन्धक, इन सूचनाओं के आधार पर सावचेत हो जाते हैं एवं सुधारात्मक उपायों को अपनाकर औद्योगिक रुग्णता से बच जाते हैं।
4. **रुग्ण इकाई और स्वस्थ इकाई का एकीकरण (Amalgamation of Sick Units and Healthy Units):** एक औद्योगिक बीमार इकाई को उसी औद्योगिक समूह की अन्य स्वस्थ एवं सुदृढ़ इकाई के साथ एकीकरण करके औद्योगिक रुग्णता का उपचार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अस्वस्थ इकाई को सम्बल प्राप्त हो जाता है। औद्योगिक रुग्ण इकाई एवं स्वस्थ इकाई के एकीकरण हेतु सरकार द्वारा गठित चौकसी

समिति की अनुशंसा द्वारा धारा 72-ए में संशोधन कर ऐसी एकीकृत संस्थाओं को आयकर में शिथिलता प्रदान की गई है।

5. **परामर्श एवं विशेषज्ञता संस्थान की स्थापना (Establishment of Consultative and Expertise Institution) :** देश में, यदि परामर्श एवं विशेषज्ञता संस्थानों की स्थापना की जाए तो ये औद्योगिक इकाइयों को उनकी परियोजना के डिजाइन, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन में अपनी सेवाएं देकर उन्हें सफल बनाती हैं। यदि कोई औद्योगिक इकाई अस्वस्थ हो जाती है तो इस संस्था से परामर्श ले सकती है। ये संस्था इन्हें विभिन्न क्षेत्रों की समस्या जैसे-श्रमिक अशान्ति, मशीन एवं उपकरण, बाजार चातुर्य एवं नवीन पहलुओं आदि में महत्वपूर्ण सुझाव देकर औद्योगिक रुग्णता को दूर करने में बहुत मदद करते हैं।
6. **अनुकूल वातावरण का निर्माण (Formulation of Favourable Environment) :** औद्योगिक इकाइयों के विकास एवं विस्तार हेतु, एक देश के अन्दर अनुकूल एवं उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि यह वातावरण निरन्तर मिलता रहता है तो औद्योगिक इकाइयाँ अस्वस्थ होने से बची रहती हैं। यह वातावरण सरकार, सेवायोजक, प्रबन्धक एवं कर्मचारी मिलकर तैयार करते हैं। अनुकूल वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा, शांति, सुरक्षा, विधि, अच्छे स्तर की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिरता तथा उपयुक्त श्रमिक व्यवस्था आदि होती है। अतः अच्छे एवं अनुकूल वातावरण के निर्माण से हम औद्योगिक रुग्णता में कमी ला सकते हैं।
7. **अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का विकास (To Develop Sound Industrial Relations):** एक औद्योगिक संस्था के अन्तर्गत अंशधारी, प्रबन्धक एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर सम्बन्ध बने रहते हैं तो उस संस्था में औद्योगिक अशांति विकसित होने की संभावना नाम मात्र की होती है। ऐसी संस्थाओं में हड़ताल, तालाबन्दी एवं कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ की घटनाएँ भी कम देखने को मिलती हैं। संस्था के कर्मचारियों को उचित वेतन, भत्ते, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण योजनाओं का लाभ अनवरत मिलता रहता है तो कर्मचारी संतोषपूर्वक संस्था के हित में कार्य करते रहते हैं। अतः ऐसी औद्योगिक संस्थाओं को रुग्ण होने से बचाया जा सकता है।
8. **शक्ति के साधनों का अधिक विकास (More Development of Power resources):** शक्ति के साधन औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना का एक हिस्सा है। सामान्तया, हमारे देश में शक्ति के साधनों की पर्याप्त एवं निरन्तर आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। इसके अभाव या कमी के कारण औद्योगिक कारखानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई औद्योगिक इकाइयाँ इस साधन की वजह से अस्वस्थ हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान परम्परागत साधनों के साथ गैर-परम्परागत साधनों जैसे, सौर ऊर्जा, अणु-शक्ति, हाइड्रो ऊर्जा द्वारा बिजली स्रोतों का अधिक प्रयोग करके पाया जा सकता है।
9. **अन्य उपाय (Other Measures) :**
 - (i) औद्योगिक रुग्णता से बचाव हेतु इन औद्योगिक इकाइयों को श्रेष्ठ किस्म का उत्पाद बनाने के साथ लागत नियन्त्रण पर अधिक जोर देना चाहिए।
 - (ii) आधारभूत संरचना का निर्माण करके औद्योगिक अस्वस्थता को कम किया जा सकता है। बुनियादी संरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा सकता है।

- (iii) देश की औद्योगिक इकाइयों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव के लिए करें, आयात-निर्यात एवं तटकर आदि में छूट प्रदान करना एवं नयी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न करों में रियायत प्रदान करना।
 - (iv) सरकार द्वारा रुग्ण या अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना।
 - (v) शोध एवं अनुसंधान के लिए अधिक धनराशि आबंटित करना।
 - (vi) औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए प्रबन्ध/प्रशासनिक व्यवस्था, सुस्पष्ट एवं स्थिर सरकारी नीतियों आदि उपाय हाथ में लिए जा सकते हैं।
 - (vii) कच्चेमाल का अधिक उत्पादन एवं आवश्यकता होने पर विदेशों से आयात करवाया जाए ताकि कच्चे माल की वजह से उद्योग बन्द नहीं हो।
- (vii) औद्योगिक रुग्णता की पुनर्संरचना स्कीम के अन्तर्गत ऐसी इकाई जो अस्वस्थ हो चुकी है, पर इसमें समस्तहित रखने वाले समानता के आधार पर अपने हित का त्याग करें।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक निर्देश प्रदान करने के लिए रुग्ण औद्योगिक उपक्रम प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है : -
 - (अ) भारत के उद्योग मंत्रालय द्वारा
 - (ब) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा
 - (स) वित्त मंत्रालय द्वारा
 - (द) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
2. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 का प्रमुख उद्देश्य, निम्न में से कौनसा है ?
 - (अ) रुग्णता की सम्भाव्यता का पता लगाना
 - (ब) सुधारात्मक कदम उठाना
 - (स) सुधारों को योजनाबद्ध रूप में लागू करना
 - (द) उपरोक्त सभी
3. औद्योगिक इकाइयाँ जो रुग्ण होने की स्थिति में आ गई हैं, पर समुचित ध्यान रखने के लिए विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना किस बैंक में की गई है ?
 - (अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
 - (ब) भारतीय रिजर्व बैंक
 - (स) औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम
 - (द) एशियन बैंक
4. स्थायी समन्वय समिति की स्थापना, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को उभारने के लिए, किस बैंक द्वारा की गई, अपने अध्ययन के आधार पर बताइए।
5. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण / पुनर्संरचना बोर्ड की स्थापना की जाती है।
 - (अ) केंद्र सरकार द्वारा
 - (ब) राज्य सरकारों द्वारा
 - (स) रिजर्व बैंक द्वारा
 - (द) सभी के द्वारा

20.5.2 सरकार द्वारा उठाये गये कदम (Steps Taken by the Government) :

औद्योगिक रुग्णता में सुधार हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक उपाय अपनाये गये हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. **रुग्ण औद्योगिक उपक्रम प्रकोष्ठ की स्थापना:** भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यह प्रकोष्ठ रुग्ण या अस्वस्थ इकाइयों के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना प्रदान करने के साथ, यह इन इकाइयों को मार्गदर्शक निर्देश भी प्रदान करता है। इस प्रकोष्ठ की आलोचना हुई, जिसमें यह कहा गया कि यह प्रकोष्ठ अस्वस्थ इकाइयों को पहचान करने में तो सफल रहा है लेकिन औद्योगिक रुग्णता को कम करने में इसका अधिक योगदान नहीं रहा है।

2. **विशिष्ट प्रकोष्ठ की स्थापना:** औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी सामले पर अधिक ध्यान देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्वास एवं वित्त डिवीजन में एक विशिष्ट प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
3. **भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना:** सरकार द्वारा अप्रैल, 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य औद्योगिक पुनर्जीवन एवं अस्वस्थ इकाईयों का पुनर्वास करना था। मार्च, 1985 को इसका पुनर्गठन कर, इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बना दिया गया है। यह बैंक रुग्ण इकाईयों को साख एवं पुनर्निर्माण की एजेन्सी के रूप में औद्योगिक पुनर्जीवन प्रदान करने का कार्य करता है।
4. **स्थायी समन्वय समिति की स्थापना:** भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों तथा अवधि ऋण देने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वयात्मक मामलों पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति की भी स्थापना की है।
5. सरकार द्वारा रुग्ण इकाई का प्रबन्ध औद्योगिक (विकास) नियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने हाथ में लेने तथा आवश्यकतानुसार उसका राष्ट्रीयकरण करना औद्योगिक रुग्णता की समस्या का यह प्रभावशाली हल माना गया है।
6. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है:
 - (i) औद्योगिक रुग्णता और इसकी सम्भाव्यता का पता लगाना।
 - (ii) औद्योगिक इकाईयाँ जो रुग्ण हो चुकी हैं, उनके सुधार की आवश्यकता के लिए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों के विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा तीव्र गति से सुधार हेतु कदम उठाना।
 - (iii) जो उपाय सुधार हेतु तय किया है, उसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण/पुनर्संरचनाबोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है परन्तु, इस बोर्ड का क्षेत्र, शक्ति, कार्य एवं कर्तव्य, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित होते हैं।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड जो उपाय तय करके अपनाता है, उसको यह अधिनियम रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के संचालक मण्डल को अपनाने हेतु निर्देशित करता है। यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) किसी संचालकीय एजेन्सी (वित्तीय संस्था, बैंक आदि) को रुग्ण इकाई के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित कर सकती है। इस कार्य योजना में से निम्नलिखित एक या अधिक उपायों को अपनाया जा सकता है:-

 - (i) कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना करना।
 - (ii) रुग्ण औद्योगिक इकाई की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करना या इसके सम्पूर्ण प्रबन्ध कार्य को अधिग्रहीत कर लेना।
 - (iii) औद्योगिक रुग्ण इकाई का अन्य सुदृढ़ इकाई के साथ संविलयन या एकीकरण करना।
 - (iv) औद्योगिक रुग्ण इकाई के किसी भाग या सम्पूर्ण इकाई को विक्रय कर देना या लीज पर देना।

20.6 सारांश (Summary)

भारत में सभी प्रकार के उद्योगों की एक सामान्य समस्या उसका रुग्ण या बीमार होना है और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी इसका अपवाद नहीं हैं। देश में औद्योगिक संगठनों के रुग्ण होने की बढ़ती हुई घटनाओं का सामना करना एक अनवरत समस्या है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण योग्य एक बहुत बड़ी राशि बीमार औद्योगिक इकाइयों में उलझी हुई है, जिससे न केवल संसाधनों की हानि हो रही है बल्कि औद्योगिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है:-

(अ) अन्तरिक कारण: प्रवर्तकों के अनुभव का अभाव, अप्रचलित तकनीक का चयन, अच्छे प्रबन्ध का अभाव, प्रबन्ध एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद, औद्योगिक संगठन की अवस्थिति की समस्या, स्थापना कार्य में समय एवं लागत का अधिक होना, कोष अभाव व वित्तीय प्रबन्ध दोषपूर्ण होना, आदि।

(ब) बाह्य कारण: आधारभूत संरचना की समस्या, सरकारी नियन्त्रण एवं नीतियाँ, कार्यशील पूँजी या तरलता की समस्या, शक्ति साधनों में कमी, वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, आदि।

औद्योगिक रुग्णता के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं- रोजगार के अवसरों में कमी, देश के आर्थिक विकास दर पर विपरीत प्रभाव, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को नुकसान, औद्योगिक शांति में कमी, निवेशकों पर बुरा असर, सरकार को राजस्व का नुकसान, देश के बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी।

औद्योगिक रुग्णता के सुधारात्मक उपाय में इन कदमों को सम्मिलित करते हैं - समय पर वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उपयुक्त सूचना प्रणाली की स्थापना, रुग्ण इकाई एवं स्वस्थ इकाई का एकीकरण, अनुकूल वातावरण का निर्माण, अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का विकास, शक्ति के साधनों का अधिक विकास आदि।

20.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन स्वरूप आपने अपने 'अर्जित ज्ञान' के आधार पर निम्न तथ्यों को परिभाषित करने तथा 'स्व-समझ' में सक्षम हो गए होंगे कि -

- औद्योगिक रुग्णता क्या होती है और अर्थव्यवस्था पर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का विलोम प्रभाव पड़ता है, तो कैसे एवं किन-किन तत्वों के पनपने के कारण बीमार उद्योग संकट काल को झेलते हैं।
- एक औद्योगिक इकाई को रुग्ण तब माना जाता है जब वह निरंतर रूप में अतिरेक (Surplus) प्राप्त नहीं कर पाती है, यह भी आपको विदित अवश्य हुआ होगा।
- यह भी आपने आत्मसात किया होगा कि रुग्ण इकाइयों को पुनः सक्षम बनाने के लिए कौनसे अधिनियम की रचना की गई है।
- इस तथ्य से भी आप भली भाँति परिचित हो गए होंगे कि औद्योगिक रुग्णता के कुछ 'आन्तरिक-कारण' हो सकते हैं तो कुछ 'बाह्य कारण' भी हो सकते हैं, जो भली भाँति आपने याद किए हैं।
- स्वाभाविक है कि आपके मस्तिष्क ने औद्योगिक रुग्णता के कारणों के परिणामों के बारे में स्पष्टीकरण माँगा होगा, जिसे आपने अभिज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकाला होगा।

- यह सुनिश्चित है कि समस्याओं का समाधान किया जाना अपरिहार्य होता है अतः उन समाधानों को भी, आपने सीख लिया होगा।
- रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से देश के आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़े, अतः सरकार इस हेतु कई सकारात्मक कदम उठाती है। ऐसी चरणबद्ध कदमों के प्रति, आपने उन कदमों को मन-मस्तिष्क में आंतरिक कर लिया होगा।
- आपने शब्दकोष के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न शब्दों का ज्ञान भी, निश्चित रूप से अर्जित कर लिया होगा।

20.8 शब्दकोष (Glossary)

- **प्रवर्तक (Promotor) :** प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो नवीन औद्योगिक इकाई के निर्माण सम्बन्धी कार्य करते हैं।
- **कार्यशील पूँजी (Working Capital) :** चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के बीच के अन्तर को कार्यशील पूँजी कहा जाता है।
- **तरलता (Liquidity):** तरलता से आशय किसी संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर, समय पर उनका भुगतान करने की क्षमता से है।
- **वित्तीय प्रबन्ध (Financial Management):** वित्तीय प्रबन्ध सामान्य प्रबन्ध का एक अंग है जिसमें वित्त स्रोतों, वित्त आवंटन एवं नियन्त्रण का अध्ययन किया जाता है तथा संस्था हेतु आवश्यक वित्त व्यवस्था करना प्रमुख कार्य है।
- **औद्योगिक अशान्ति (Industrial Unrest):** यदि औद्योगिक संस्था में, जब मालिक, प्रबन्धक और कर्मचारियों के मध्य मधुर सम्बन्धों का अभाव हो अथवा इनके मध्य कटुता एवं विरोध की भावना हो तो यही औद्योगिक अशान्ति कहलाती है।
- **प्रबन्ध सूचना प्रणाली (Management Information System):** यह एक प्रणाली है जिसमें प्रबन्धकीय कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित कर सही समय एवं सही रूप में प्रबन्धकों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था से है।
- **प्रौद्योगिकी (Technology):** प्रौद्योगिकी वह है जिसमें निश्चित प्रक्रिया एवं तकनीक का समावेश होता है तथा जिसके द्वारा संसाधनों को उत्पादन में तब्दील किया जाता है।

20.9 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. “औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता एक अनवरत समस्या है।” विस्तृत रूप में समझाइये।
2. भारत में औद्योगिक रुग्णता के परिणामों पर एक लेख लिखिए।
3. औद्योगिक रुग्णता के अर्थ एवं इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।
4. भारत में औद्योगिक रुग्णता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न उपायों की भी विवेचना कीजिए।

20.10 संदर्भ/ग्रंथ सूची (References/ Bibliography)

- फ्रांसिस चेरू नीलम “बिजनेस एन्वायेर्मेंट”, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस मुम्बई ।
- प्रोफेसर एम. अधिकारी: “इकानोमिक एन्वायेर्मेंट ऑफ बिजनेस”, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस मुम्बई ।
- प्रोफेसर रूद्रदत्त एंव के.पी.एम. सुन्दरम: “भारतीय अर्थव्यवस्था”, सुल्तान चन्द एण्ड संस, नई दिल्ली ।
- अग्रवाल ए.एन. : “भारतीय अर्थव्यवस्था: नियोजन एवं विकास की समस्याएँ”, ईस्टर्न प्रकाशन, नई दिल्ली ।

20.11 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- आर्थिक सर्वे- भारत सरकार द्वारा प्रकाशन।
- इंडियन इकोनोमिक रिव्यू- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली।
- योजना - योजना आयोग, भारत सरकार।

20.12 वेब संसाधन व लिंक (Internet Web Resources & Links)

- <https://www.economicdiscussion.net/india/industrial-sickness/industrial-sickness-in-india-meaning-causes-and-suggested-remedies/12903>
- <https://www.yourarticlelibrary.com/industries/causes-of-industrial-sickness-in-india/23451>
- <https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/19131>
- <https://www.indiastat.com/data/industries/sick-industries>

इकाई-21

भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रयोग

(Recent Experiments in Indian Economy)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 21.0 उद्देश्य
- 21.1 प्रस्तावना
- 21.2 विमुद्रीकरण
- 21.3 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
- 21.4 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय पैकेज
- 21.5 मेक इन इंडिया
- 21.6 आत्म निर्भर भारत
- 21.7 स्टार्ट अप इंडिया
- 21.8 सारांश
- 21.9 शब्दकोष
- 21.10 स्वपरख प्रश्न
- 21.11 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 21.12 अन्य पठन सामग्री
- 21.13 वेब संसाधन/लिंक

21.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- बता सकेंगे विमुद्रीकरण एवं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में
- समझा सकेंगे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय पैकेज के बारे में
- मेक इन इंडिया, आत्म निर्भर भारत, स्टार्ट अप इंडिया का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है

21.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बंधित यह पहली इकाई है। इससे पूर्व अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों को पढ़ा होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। प्रस्तुत इकाई में भारतीय अर्थव्यवस्था के नवीन योग से सम्बंधित इन बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन योग में विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय पैकेज, मेक इन इंडिया, आत्म निर्भर भारत, स्टार्ट अप इंडिया के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र कर सकेंगे।

21.2 विमुद्रीकरण (Demonetization)

क्या होता है विमुद्रीकरण?

विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है, जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है।

विमुद्रीकरण को प्रायः कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहाँ काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर कर भी देना पड़ता है।

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण (Demonetization) के चार वर्ष पूरे हो गए हैं। काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के कारण उस समय प्रचलित तकरीबन 86 प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी यानी उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था।

प्रमुख बिंदु

चार वर्ष बाद भी सरकार के इस निर्णय को लेकर आम लोगों की राय काफी बँटी हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में काफी मदद की है।

वहीं आलोचकों का मत है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी गहरे तक प्रभावित किया है और इससे नकदी पर निर्भर रहने वाले अधिकांश छोटे व्यवसायों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

विमुद्रीकरण को लागू किये जाने के पीछे मुख्यतः तीन उद्देश्य थे-

काले धन को समाप्त करना।

नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना।

● काला धन

सरकार की मानें तो काले धन को समाप्त करना विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था, हालाँकि कई लोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है।

काला धन असल में वह आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है।

वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किये गए कुल नोटों का तकरीबन 99.3 प्रतिशत यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था।

आँकड़ों के मुताबिक, अमान्य घोषित किये गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे।

फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिये उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3-4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी।

अतः आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है।

नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना

- नकली नोट या नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना सरकार द्वारा लागू किये गए विमुद्रीकरण का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था।
- आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.32 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे, वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.62 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे। नोटबंदी लागू होने के चार वर्ष बाद अब तक 18.87 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिज़र्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट की मानें तो विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में ज़ब्त किये गए अधिकांश नोटों में 100 रुपए मूल्यवर्ग की संख्या सबसे अधिक है।
- वर्ष 2019-20 में 1.7 लाख नकली नोट, वर्ष 2018-19 में 2.2 लाख नकली नोट और वर्ष 2017-18 में 2.4 लाख नकली नोट ज़ब्त किये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 10, 50, 200 और 500 रुपए मूल्यवर्ग में ज़ब्त किये गए नकली नोटों की संख्या में क्रमशः 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत, 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम के बावजूद अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना

- सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि रिज़र्व बैंक के आँकड़ों की मानें तो नोटबंदी लागू होने से अब तक अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के कुल मूल्य और मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।
- आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल नोटों की संख्या तकरीबन 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखने को मिली है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी लागू किये जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हुई है, हालाँकि नोटों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल लेन-देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- कोरोना वायरस महामारी ने भी लोगों के बीच नकदी के प्रचलन को और बढ़ावा दिया है। जब मार्च माह में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आम लोगों ने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये नकदी को एकत्र करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हाल के कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रचलन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी

- इसी वर्ष अक्टूबर माह में प्रकाशित रिज़र्व बैंक के आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 3,434.56 करोड़ की भारी वृद्धि हुई है।
- आँकड़ों के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- अक्टूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) आधारित भुगतान ने 207 करोड़ लेन-देन के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

विमुद्रीकरण: दीर्घकाल के लिये लाभदायक

- कई जानकार मानते हैं कि विमुद्रीकरण का अल्प काल में अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह भारत और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- चूँकि विमुद्रीकरण के निर्णय ने कुछ हद तक भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिये भारत डिजिटल आधार पर होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकता है।
- इसके अलावा विमुद्रीकरण के कारण प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा संकेतक है।

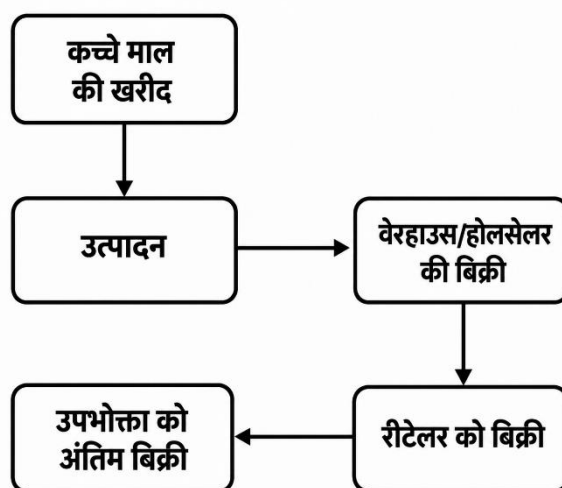
21.3 वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। लेकिन जी एस टी क्या है और यह वर्तमान टैक्स संरचना को कैसे सुधार देगा? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को एक नए टैक्स सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? हम इन सवालों के जवाब इस विस्तृत लेख में करेंगे।

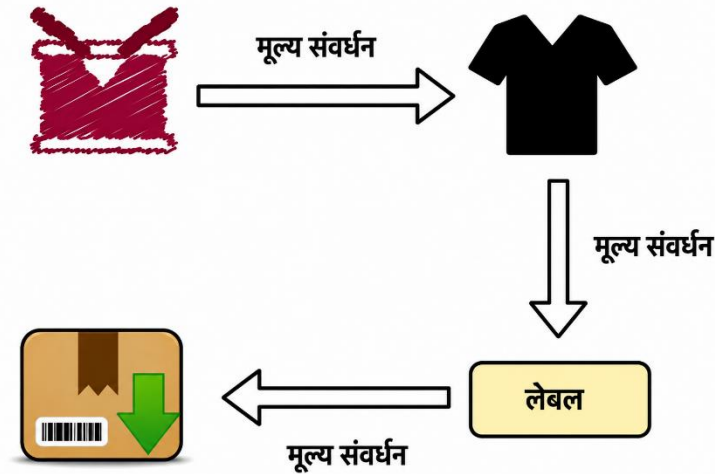
जी एस टी (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इस लेख में जी एस टी (GST), उसकी प्रमुख अवधारणाओं और जहां यह वर्तमान में है, उसका पूरा अवलोकन दिया गया है।

जी एस टी क्या है?

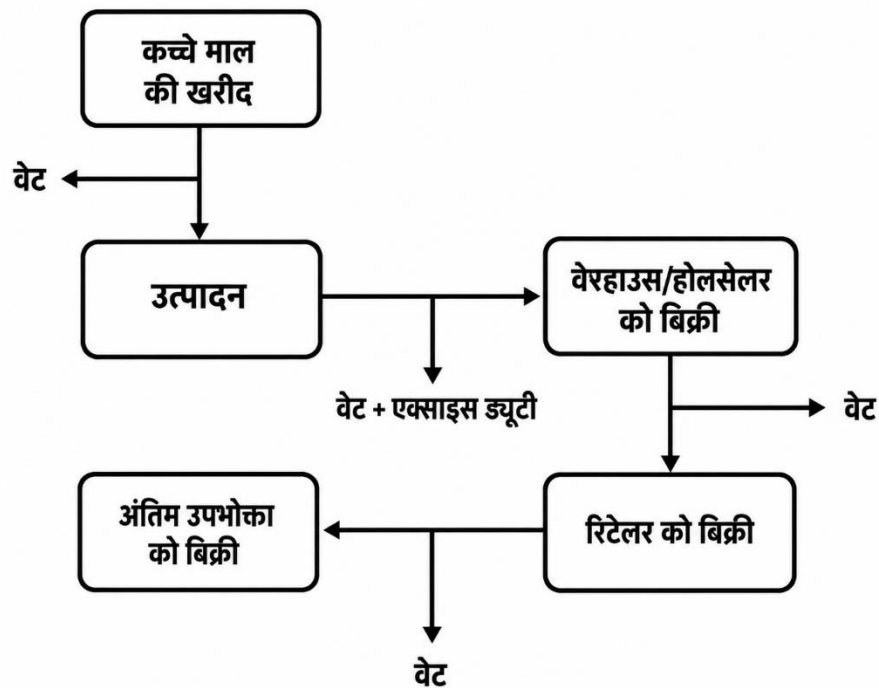
वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम 'बहु-स्तरीय' शब्द के साथ शुरू करें। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है। पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना। दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है। फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेरहाउस में डालने की व्यवस्था है। इसके बाद, उत्पाद रिटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है। और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है। यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा:



इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा। हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम 'वैल्यू ऐडिशन' के बारे में बात करें। मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है। इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है। यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है। इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ोती होती है।



इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा। जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था। अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा। तो, पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था:



अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा। लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा।

वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक पर कर का भार ट्रांसफर सकता है। उसके अनुसार, भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत, ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए, वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है जिसकी वजह से ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। लेन-देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक को टैक्स का भार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जी एस टी कैसे काम करेगी?

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जी एस टी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है।

जी एस टी में 3 प्रकार के टैक्स हैं :

सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:

लेन-देन	वर्तमान प्रणाली	पुराने नियम	व्याख्या
राज्य के भीतर बिक्री	सीजीएसटी + एसजीएसटी	वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर	राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा
दूसरे राज्य को बिक्री	आईजीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर	अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा।

उदाहरण महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है। ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रूपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रूपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब

डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रुपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत और आम आदमी की मदद जी एस टी कैसे करेगा?

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है। विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।

इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है। इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी। हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रुपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब $(100 + 10 =) 110$ रुपये हो जाती है। अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है, और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपये (अनुमानित) से बढ़ जाती है। इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है $(110 + 40 =) 150 + 10\%$ कर = 165 रुपये।

अब, फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है क्योंकि कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है, और जब वह ऐसा करता है, तो वह फिर से मूल्य जोड़ रहा है। इस बार, मान लें कि उनका मूल्य अतिरिक्त 30 रुपये है। अब जब वह शर्ट बेचता है, तो वह इस मूल्य को अंतिम लागत (और वैट जिसे वह सरकार को देना होगा) में जोड़ता है। इसके साथ ही उसे सरकार को देय वैट जोड़ना होगा। तो, शर्ट की लागत 214.5 रुपये हो जाती है। इस का एक ब्रेक अप देखते हैं: लागत = ₹ 165 + मान जोड़ = ₹ 30 + 10% कर = ₹ $195 + 19.5 = 214.5$ रुपये। इसलिए, ग्राहक एक शर्ट के लिए 214.5 रुपये का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से केवल 170 रुपये $(110 + 40 + 30)$ रुपये थी।

ऐसा होने के लिए, कर दायित्व हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया। इसे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है और आइटम का मूल्य हर बार बढ़ता रहता है।

कार्य	लागत	10% कर	कुल
कच्चे माल खरीदना @ 100	100	10	110
उत्पादन @ 40	150	15	165
मूल्य जोड़ें @ 30	195	19.5	214.5
कुल	170	44.5	214.5

जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है। इसमें, जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय, भुगतान किये हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है। हमारे उदाहरण में, जब थोक व्यापारी उत्पादक से खरीदता है, तो वह अपनी लागत कीमत पर 10% कर देता है क्योंकि उसके पास एक देय राशि है। फिर उन्होंने 100 रुपये की लागत मूल्य में 40 रुपये का मूल्य जोड़ा और इससे उनकी आइटम

की कीमत 140 रुपये हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को कर के रूप में देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है। इसलिए, इस बार वह क्या करता है, सरकार को टैक्स के रूप में (140% के 10% = 14) का भुगतान करने की बजाय वह पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है। इसलिए उसकी 14 रुपये की नई देय राशि से वह 10 रुपये कटौती करता है और सरकार को केवल 4 रुपये का भुगतान करता है। तो 10 रुपये उसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है। जब वह सरकार को 4 रुपये का भुगतान करता है, तो वह रिटेलर को 14 रुपये का देय राशि ट्रांसफर करता है, अगले चरण में, रिटेलर ने अपने लागत मूल्य में 30 रुपये का मूल्य जोड़ा और सरकार को इस पर 10% कर का भुगतान किया। जब वह मूल्य जोड़ता है, तो उसकी कीमत 170 रुपये हो जाती है। अब, अगर उसे उस पर 10% कर देना पड़ता है, तो वह वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है। लेकिन रिटेलर के पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये में भुगतान किया है। इसलिए, अब वह अपनी कर देय राशि को (170% = 170) = 17 रुपये से 14 रुपये तक कम कर देता है और उसे सरकार को केवल 3 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। और इसलिए, वह अब ग्राहक को यह शर्ट (140 + 30 + 17 =) 187 रुपये में बेच सकता है।

कार्य	लागत	10% कर	वास्तविक देयता	कुल
कच्चे माल खरीदना @ 100	100	10	10	110
उत्पादन @ 40	140	14	4	154
मूल्य जोड़ें @ 30	170	7	3	187
कुल	170		17	187

अंत में, हर बार जब कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होता है, तो उसके लिए बिक्री मूल्य कम हो जाता है। और उसके उत्पाद पर कम कर दायित्व के कारण लागत मूल्य भी कम हो जाता है। शर्ट का अंतिम मूल्य भी 214.5 रुपये से 187 रुपये कम हो गया, इस प्रकार अंतिम ग्राहक पर कर का बोझ कम हो गया। इसलिए अनिवार्य रूप से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दो तरह से लाभ होता है। पहला, यह करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा, इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति के द्वारा, यह कर के बोझ को कम करेगा और, उम्मीद है, कीमतें भी कम हो जाएंगी।

21.4 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय पैकेज (Fiscal Package to boost economy)

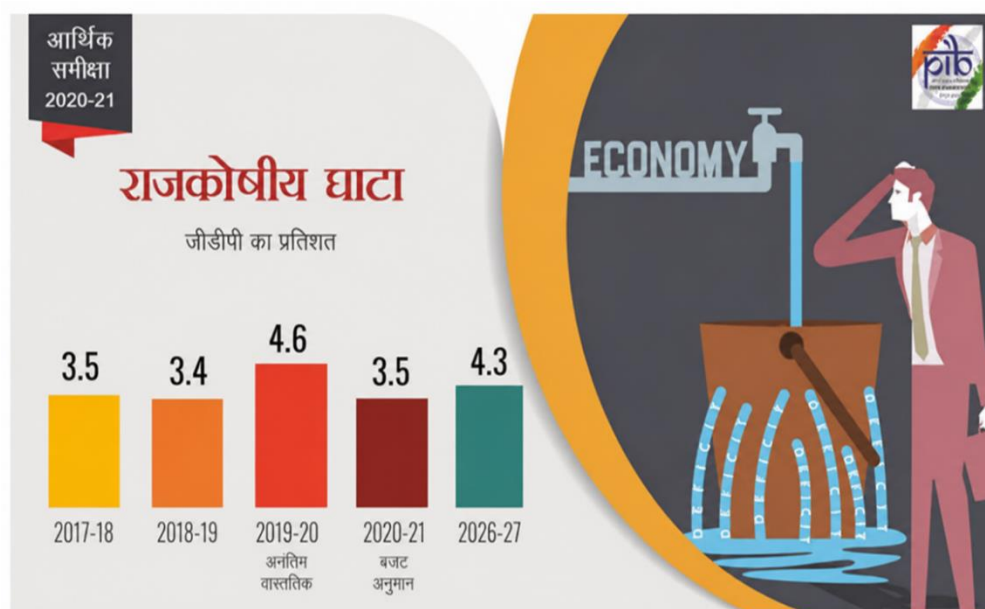
केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करते हुए कहा कि समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया आत्मनिर्भर भारत के दायरे में मांग और आपूर्ति की नीतियों का संयोजन रही है। जिसे महामारी से लड़ने और ईंधन तथा आर्थिक रिकवरी के लिए तैयार किया गया था। समीक्षा में बताया गया है कि महामारी के खिलाफ भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपने देशों के मुकाबले अलग थी। अन्य देशों के मुकाबले भारत में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए प्रत्यक्ष बड़े प्रेरक पैकेज का चयन किया गया। सरकार ने कदम दर कदम दृष्टिकोण को अपनाया।

आर्थिक समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम चलाया है, जन-धन खातों में धन का सीधे हस्तांतरण किया है और ऋण के लिए सरकारी गारंटी आदि प्रदान की गई हैं। राजकोषीय प्रेरक

पैकेज का दायरा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और अन्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यापक बनाया गया, ताकि खपत मांग को दोबारा जुटाया जा सके।

केन्द्र सरकार के वित्त

बजट पूर्व समीक्षा में बताया गया है कि 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमानों में कल्पना किए गए वित्तीय घाटे से 0.8 प्रतिशत अंक तथा 2018-19 में राजकोषीय घाटे से 1.2 प्रतिशत अंक अधिक है। 2018-19 की तुलना में 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत हो गया। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत अनुमानित है।



इस समीक्षा में बताया गया है कि कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों में कम हो गया है। इसका कारण मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कर दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के कारण विकास में आई गिरावट रही, लेकिन राजस्व में रिकवरी प्रत्यक्ष है, क्योंकि मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले तीन महीनों से लगातार एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। दिसंबर, 2020 माह के लिए मासिक जीएसटी राजस्व दिसंबर, 2019 के मुकाबले जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद 1.15 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा है। यह जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी कर संग्रह का सबसे अधिक मासिक संग्रह है।

बजट अनुमानों की तुलना में नवंबर, 2020 तक राजस्व संग्रह नीचे दिए गए हैं-

	बजट अनुमान (2020-21)	वास्तविक प्राप्ति (नवंबर, 2020)
निवल कर राजस्व	16.36 लाख करोड़	42.1 प्रतिशत बजट अनुमान (6.88 लाख करोड़)
गैर कर राजस्व	3.85 लाख करोड़	32.3 प्रतिशत बजट अनुमान

इसके अलावा बजट पूर्व समीक्षा के अनुसार गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां-बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 2020-21 बजट अनुमानों में जीडीपी का 1 प्रतिशत हैं। व्यय पक्ष के लिए बजट 2020-21 में कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ रुपये होना अनुमानित था। इसमें 26.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 4.12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। जीडीपी की प्रतिशता के रूप में 2019-20 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 2020-21 बजट अनुमानों में कुल व्यय की अनुमानित वृद्धि जीडीपी की 0.3 प्रतिशत है और यह वृद्धि राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में जीडीपी की 0.15 प्रतिशत के समतुल्य हैं।



समीक्षा के अनुसार अप्रैल-नवंबर, 2020 के दौरान कुल सरकारी व्यय बजट अनुमानों का 62.7 प्रतिशत रहा है। यह अप्रैल से नवंबर, 2019 की तुलना में 65.3 प्रतिशत है। अप्रैल से दिसंबर, 2020 के लिए पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए पूंजीगत व्यय की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। कुल व्यय में भी वर्ष दर वर्ष 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इसके अलावा 2019-20 के स्थायी आंकड़ों की तुलना में 2020-21 के बजट अनुमानों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की कल्पना की गई थी। यह 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राजस्व व्यय की 17 प्रतिशत बढ़ोतरी के सापेक्ष साधारण वृद्धि दर्ज हुई है। प्रमुख सब्सिडी में व्यय 2020-21 बजट अनुमानों में जीडीपी का 1 प्रतिशत रहा, जो 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों की तुलना में 2.1 प्रतिशत की साधारण वृद्धि को दर्शाता है।

आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा औसत रूप से स्थिर स्तर पर है। इसे मोटे तौर पर 2019-20 के अस्थायी आंकड़ों की तुलना में 2020-21 के बजट अनुमानों में 1 प्रतिशत अंक बढ़ाने का अनुमान है। समीक्षा में यह भी बताया गया है कि 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये के

अतिरिक्त बजटीय संसाधन (2020-21) के बजट अनुमानों में 49,500 करोड़ रुपये के ईबीआर जुटाने का अनुमान है, जो जीडीपी का 0.22 प्रतिशत है।

राज्यों को हस्तांतरण

आर्थिक समीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व संग्रह में गिरावट के कारण 2018-19 की तुलना में 2019-20 के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। बजट 2020-21 में राज्यों को कुल हस्तांतरण जो 2019-20 संशोधित अनुमानों में जीडीपी का 5.7 प्रतिशत था, 2020-21 बजट अनुमानों में जीडीपी का 6 प्रतिशत होने की कल्पना की गई है।

राज्य वित्त

समीक्षा के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप से पहले अपने बजट प्रस्तुत करने वाले राज्यों के लिए औसत सकल वित्तीय घाटा बजट अनुमान उनकी जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत, जबकि लॉकडाउन के बाद प्रस्तुत करने वाले राज्यों का औसत बजट जीएसडीपी का 4.6 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय पर राज्यों की राजकोषीय नीति पर दोबारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए एक योजना की घोषणा की। वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की पात्रता से अधिक 0.59 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण लेने के लिए राज्यों को एक मुश्त विशेष अनुमति दी गई। राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋण सीमा की भी अनुमति दी गई, जिसकी 1 प्रतिशत राशि राज्य स्तर सुधार लागू करने की शर्त के अधीन है।

केन्द्र सरकार वित्त

आने वाले वर्षों में भारत में राजकोषीय प्रगति बरकरार रखने के लिए एक सटीक दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रगति में रिकवरी होने से मध्यम अवधि में भारी राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी, जिससे सतत राजकोषीय मार्ग प्रशस्त होगा।

21.5 मेक इन इंडिया (Make in India)

‘मेक इन इंडिया’ पहल

- ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से की गई थी।
- दरअसल औद्योगिक क्रांति ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और संपूर्ण विश्व को यह दिखाया कि यदि किसी देश का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत हो तो वह किस प्रकार उच्च आय वाला देश बन सकता है। विदित हो कि चीन इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है।
- इस पहल के माध्यम से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार ने मुख्यतः 3 उद्देश्य निर्धारित किये थे:
- अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये इसकी विकास दर को 12-14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना।
- वर्ष 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना।

- यह सुनिश्चित करना कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2025 (जो कि संशोधन से पूर्व वर्ष 2022 था) तक बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाए।
- 'मेक इन इंडिया' पहल में अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों जैसे- ऑटोमोबाइल, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ज्ञात हो कि इस पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकारें भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिये दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं।
- निवेशकों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिये सरकार काफी प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत व्यावसायिक संस्थाओं के सभी समस्याओं को हल करने के लिये एक समर्पित वेब पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है।

‘मेक इन इंडिया’ का सकारात्मक पक्ष

- 'मेक इन इंडिया' पहल का एक मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत देश के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लक्षित क्षेत्रों, अर्थात् दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन आदि में निवेश, युवा उद्यमियों को अनिश्चितताओं की चिंता किये बिना अपने अभिनव विचारों के साथ आगे आने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- 'मेक इन इंडिया' पहल में विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जो न केवल व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देगा, बल्कि नए उद्योगों की स्थापना के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को भी बढ़ाएगा।
- विदित हो कि योजना की शुरुआत के कुछ समय बाद ही वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था।

‘मेक इन इंडिया’ का नकारात्मक पक्ष

- भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। विश्लेषकों का मानना है कि इस पहल का सबसे नकारात्मक प्रभाव भारत के कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। इस पहल में भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।
- चूँकि 'मेक इन इंडिया' मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योगों पर आधारित है, इसलिये यह विभिन्न कारखानों की स्थापना की मांग करता है। आमतौर पर इस तरह की परियोजनाएँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, भूमि आदि का उपभोग करती हैं।
- इस पहल के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिये प्रेरित किया गया है, जिसके कारण भारत के छोटे उद्यमियों पर असर देखने को मिला है।

‘मेक इन इंडिया’ का मूल्यांकन

- चूँकि इस पहल का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के तीन प्रमुख कारकों- निवेश, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना था। अतः इसका मूल्यांकन भी इन्हीं तीनों के आधार पर किया जा सकता है।

निवेश

पिछले पाँच वर्षों में अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि दर काफी धीमी रही है। यह स्थिति तब और खराब हो जाती है जब हम विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश पर विचार करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, अर्थव्यवस्था में कुल निवेश को प्रदर्शित करने वाला सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) जो कि वर्ष 2013-14 में GDP का 31.3 प्रतिशत था, वर्ष

2017-18 में घटकर 28.6 प्रतिशत हो गया। महत्वपूर्ण यह है कि इस अवधि के दौरान कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कमोबेश समान ही रही, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.2 प्रतिशत से घटकर 21.5 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर इस अवधि में बचत संबंधी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि घरेलू बचत दर में गिरावट आई है, जबकि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत दर में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ निजी क्षेत्र की बचत बढ़ रही है, किंतु निवेश में कमी आ रही है।

उत्पादन

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का सबसे बड़ा सूचक है। यदि अप्रैल 2012 से नवंबर 2019 के मध्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आँकड़ों पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि इस दौरान मात्र 2 ही बार डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि अधिकांश महीनों में यह या तो 3 प्रतिशत से कम थी या नकारात्मक थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी उत्पादन वृद्धि नहीं हो पाई है।

रोज़गार

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने बेरोज़गारी दर के संबंध में आँकड़े जारी किये हैं, जिसके मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2019 के दौरान भारत की बेरोज़गारी दर बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई थी। शिक्षित युवाओं के मामले में बेरोज़गारी की दर और भी खराब थी, जो यह दर्शाता है कि वर्ष 2019 युवा स्नातकों के लिये सबसे खराब वर्ष था। ज्ञात हो कि मई-अगस्त 2017 में यह दर 3.8 प्रतिशत थी।

उक्त तीनों कारकों के आधार पर 'मेक इन इंडिया' पहल का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि यह पहल इच्छा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है।

कारण

विश्लेषकों के अनुसार, इस पहल के संतोषजनक प्रदर्शन न कर पाने का मुख्य कारण यह था कि यह विदेशी निवेश पर काफी अधिक निर्भर थी, इसके परिणामस्वरूप एक अंतर्निहित अनिश्चितता पैदा हुई क्योंकि भारत में उत्पादन की योजना किसी और देश में मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जा रही थी।

भारत की अधिकांश योजनाएँ अकुशल कार्यान्वयन की समस्या का सामना कर रही हैं और 'मेक इन इंडिया' पहल की स्थिति में भी यह एक बड़े कारक के रूप में सामने आया है।

एक अन्य कारण यह भी है कि इस पहल के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिये काफी महत्वाकांक्षी विकास दर निर्धारित की गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि 12-14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता से बाहर है। ऐतिहासिक रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने कभी भी इतनी विकास दर प्राप्त नहीं की है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं और लगातार बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद का इस पहल पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है।

आगे की राह

- 'ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स' (Ease of doing Business Index) में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार आया है, किंतु इसके बावजूद देश में निवेश नहीं बढ़ रहा है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि भारत को विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिये नीतियों की विंडो ड्रेसिंग (Window Dressing) से कुछ अधिक की ज़रूरत है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को यह समझना चाहिये कि संसद में मात्र कुछ बिल पारित करने और निवेशकों की बैठक आयोजित करने से औद्योगीकरण को शुरू नहीं किया जा सकता है।
- भारत सरकार को उद्योगों विशेष रूप से विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु और अधिक प्रयास करने होंगे।

21.6 आत्म निर्भर भारत (Atma Nirbhar Bharat)

आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है ?

Aatmnirbhar Bharat Abhiyan और Atma Nirbhar Bharat Yojana एक ही है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं। जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पहला 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज (atma nirbhar bharat package) दिया गया। जिसमें आत्मनिर्भर भारत योजना लोन के तहत MSME लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), शिशु मुद्रा ऋण, क्रेडिट लिंकड सब्सिडी (CLSS) आदि लोन और सब्सिडी तथा अन्य प्रकार की योजनायें शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना में सबसे ज्यादा ध्यान इंटेक्ट (इरादा), इन्क्लूजन (समावेश), इन्वेस्टमेंट (निवेश), इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढाँचा) की तरफ देना चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 2022 के क्षेत्र-

- Reformation of Agricultural Supply Chain & System (कृषि प्रणाली)
- Rational Tax System (सरल और स्पष्ट नियम कानून)
- Reformation of Infrastructure (उत्तम आधारिक संरचना)
- Capable Human Resources (समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार)
- A Good Financial System (बेहतर वित्तीय सेवा)
- To Motivate New Business (नए व्यवसाय को प्रेरित करना)
- Provide Good Investment Opportunities (निवेश को प्रेरित करना)
- Make in India Mission (मेक इन इंडिया)

आत्मनिर्भर भारत के पाँच चरण हैं:

चरण- I: MSMEs सहित व्यवसाय

चरण- II: गरीब, जिसमें प्रवासी और किसान शामिल हैं

चरण- III: कृषि

चरण- IV: विकास के नए क्षितिज

21.7 स्टार्ट-अप इंडिया (Start Up India)

भूमिका

16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्ट-अप कारोबारियों के लिये तीन साल का टैक्स अवकाश, पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश और वित्तपोषण के लिये ₹10,000 करोड़ के कोष की घोषणा की। इसके साथ ही 5 अप्रैल, 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्टैंड-अप योजना की भी शुरुआत की।

स्टार्ट-अप इण्डिया एवं स्टैंड-अप इण्डिया

ये मुख्यतः ऐसी योजनाएँ हैं जिनके तहत नए छोटे-बड़े उद्यमों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें लोन सुविधा, उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण आदि को शामिल किया गया है। इसके तहत ज़रूरी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैंड-अप इण्डिया योजना का मुख्य उद्देश्य कुल मिलाकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जिससे देश में रोज़गार के अवसर बढ़ें।

योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिये इस योजना को 'डिप' (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन) को सौंपा गया है।

स्टार्ट-अप इण्डिया स्टैंड-अप इण्डिया के लिये कार्य योजना

इसमें शामिल 19 कार्य योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्न हैं-

1. ई-रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
2. स्वप्रमाणित व्यवस्था शुरू होगी।
3. इससे संबंधित वेब पोर्टल और मोबाइल एप शुरू किया जाएगा।
4. आसान निकासी व्यवस्था।
5. स्टार्ट-अप प्रारंभ करने वाली कंपनियों को पेटेंट दाखिल करने के शुल्क में 80% की छूट।
6. क्रेडिट गारंटी कोष का समावेशन।
7. अटल नवाचार मिशन की शुरुआत जिसमें नवाचार संबंधित पाठ्यक्रम छात्रों के लिये शुरू किये जाएंगे।

रोज़गार के अवसर

नैसकॉम स्टार्ट-अप, 2015 रिपोर्ट के अनुसार स्टार्ट-अप के जरिये 2014-20 तक 65,000 नई नौकरियाँ लाई जाएंगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह आँकड़ा 25,000 तक पहुँचेगा।

अगर यह पहला पड़ाव उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन करता है तो नौकरियों के लिये और भी अधिक स्थान होंगे। फिलहाल यह अधिकतर प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मापदंड

अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मापदण्डों की यदि अब बात की जाए तो उसमें भारत ने काफी सुधार किया है। चाहे वे अनुमान विश्व बैंक के हों या अन्य देशों के, सभी ने 'मेक इन इण्डिया' तथा 'स्किल इण्डिया' जैसी योजनाओं की प्रशंसा की है। इन योजनाओं के बाद भारत में निवेश की अपार संभावनाएँ खुली हैं।

पिछले तीन वर्षों में नवीन स्टार्ट-अप ने उम्दा प्रदर्शन किया है। परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निवेश में सुधार हुआ है।

उचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण

सरकार की योजनानुसार देश के युवाओं को देश के अन्य शिक्षण संस्थानों, जैसे IIF एवं IIM आदि के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

इससे देश के युवाओं को इन सभी बड़ी यूनिवर्सिटी और अन्य औद्योगिक एशिया के सम्पर्क में आ जाने से बेहतर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा जिससे उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा।

योजना में आने वाली संभावित समस्याएँ

कई स्टार्ट-अप मार्केट कंडीशन, एंट्री टाइमिंग आदि के कारण असफल हो जाती हैं। इसी कारण से असफल स्टार्ट-अप के उदाहरण अधिक दिखाई देते हैं जबकि यह एक सत्य है कि कोई भी बड़ा उद्योगपति पहले असफलता की सीढ़ी चढ़ता है।

अब तक कोई उचित स्टार्ट-अप नियम एवं बाहर निकलने का प्रावधान नहीं बनाया गया है।

स्टार्ट-अप की सबसे अधिक संभावनाएँ छोटे कस्बों एवं गाँवों में हैं लेकिन उन्हें इस योजना से जोड़ना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

सरकारी निवेशकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। स्टार्ट-अप प्रारम्भ करने वाले लोगों को पेपर वर्क करने में अनुभव की कमी होगी। इस दशा में सुधार किया जाना तत्काल ज़रूरी है।

21.8 सारांश (Summary)

इस इकाई के समग्र विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नोटबंदी के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली के औपचारिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विमुद्रीकरण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः विफल रहा है और काले धन को समाप्त करने का इसका प्राथमिक लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

'मेक इन इंडिया' पहल का एक मुख्य उद्देश्य भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत देश के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लक्षित क्षेत्रों, अर्थात् दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन आदि में निवेश, युवा उद्यमियों को अनिश्चितताओं की चिंता किये बिना अपने अभिनव विचारों के साथ आगे आने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं। जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पहला 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज (atma nirbhar bharat package) दिया गया।

इसकी सफलता हेतु इसका गाँव और छोटे शहरों से जुड़ना बेहद आवश्यक है क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या वहीं निवास करती है और इन्हीं स्थानों पर रोजगार की सबसे अधिक समस्या भी है।

21.9 शब्दकोष (Glossary)

- **विमुद्रीकरण:** विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है, जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी:** वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। जी एस टी (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप इण्डिया एवं स्टैंड-अप इण्डिया:** ये मुख्यतः ऐसी योजनाएँ हैं जिनके तहत नए छोटे-बड़े उद्यमों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें लोन सुविधा, उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण आदि को शामिल किया गया है। इसके तहत ज़रूरी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

21.10 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Questions)

1. 'विमुद्रीकरण क्या है?
What is Demonetization?
2. वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी क्या है?
What is Goods and Services Tax or GST?
3. किस मौजूदा कर को जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है?
Which current tax is called GST proposed to be included in?
4. "मेक इन इंडिया" पहल कब शुरू की गई थी?
When was "Make in India" initiative launched?
5. 'मेक इन इंडिया' पहल के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए इसका मूल्यांकन कीजिये।
Evaluate it by mentioning the objectives of "Make in India" initiative.
6. देश में स्टार्ट-अप की मदद करने के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी?
Which of the following schemes was launched by the government to help Start-ups India?

21.11 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography):

- Amit (2021) “आत्मनिर्भर भारत योजना”, ApplicationFormPDF.com, 12 December 2021.
<https://www.applicationformpdf.com/atma-nirbhar-bharat-abhiyan-pdf/>

21.12 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material):

- file:///C:/Users/KMC/Downloads/faq-gst-hindi1%20(1).pdf
- file:///C:/Users/KMC/Downloads/hechap02.pdf

21.13 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/ Links)

- <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/four-years-since-demonetisation-cash-in-system-steadily-rising>
- <https://cleartax.in/s/gst-in-hindi>
- <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/why-make-in-india-has-failed>
- <https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper3/start-up-india-and-stand-up-india>
- <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1693253>

इकाई - 22

कारोबारी माहौल के लिए रणनीतिक प्रतिक्रियाएं (Strategic responses to the business environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 22.0 उद्देश्य
- 22.1 प्रस्तावना
- 22.2 तुलना चार्ट
- 22.3 कारोबारी माहौल
- 22.4 कारोबारी माहौल के घटक
- 22.5 रणनीतिक प्रतिक्रियाएं
- 22.6 रणनीतिक प्रतिक्रिया और गतिशील व्यावसायिक वातावरण
- 22.7 रणनीतिक प्रबंधन
- 22.8 उपभोक्ता व्यवहार और पैटर्न में विवर्तनिक परिवर्तन
- 22.9 नवाचार, ऊष्मायन और स्टार्ट अप
- 22.10 सह-निर्माण आर्थिक मॉडल
- 22.11 जिम्मेदार व्यवहार कराधान और सार्वजनिक व्यय
- 22.12 सारांश
- 22.13 अधिगम परिणाम
- 22.14 शब्दकोष
- 22.15 स्वपरख प्रश्न
- 22.16 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 22.17 अन्य पठन सामग्री
- 22.18 वेब संसाधन/लिंक

22.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को कारोबारी माहौल के लिए रणनीतिक प्रतिक्रियाएं, निवेश समर्थक व्यवहार, स्थानीयकरण को बढ़ावा देना, उपभोक्ता व्यवहार और पैटर्न में विवर्तनिक परिवर्तन की जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रति झुकाव, व्यापार करने में आसानी, नवाचार, ऊष्मायन और स्टार्ट अप, सह-निर्माण, आर्थिक मॉडल, जिम्मेदार व्यवहार कराधान और सार्वजनिक व्यय से भी अवगत कराना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

22.1 प्रस्तावना (Introduction)

व्यवसाय को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक तथा प्राकृतिक घटक तथा संगठन के संसाधन, क्षमताएं तथाख्याति प्रभावित करते हैं। व्यवसायिक परिवेश की गहन सूझबूझ व्यूह रचनात्मक निर्णयन हेतु एक पूर्व शर्त होती है। रणनीतिका सृजन एक उचित फर्म वातावरण सामंजस्य की स्थापना के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवसायिक वातावरण में उन सभी घटकों का समावेश होता है जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं व्यवसायिकगतिविधियों ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तकनीकी तथा सार्वजनिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के समस्त पक्षों को प्रभावित किया है, वस्तुतः व्यवसाय राष्ट्र एवं समाज के वातावरण में रहकर अपनी समस्त क्रियाओं को संचालित करता है। सरकार की नीतियां तथा निर्णय, सामाजिक परिवेश, बदलते हुए सामाजिक मूल्य, वैधानिक नियम, राजनैतिक प्रणाली सम्पूर्ण आर्थिक परिवेश व्यवसाय को क्षत प्रतिक्षण निर्मित कर रहा है।

कारोबारी माहौल वो आंतरिक और बाह्य कारक है जो एक कंपनी के परिचालन की स्थिति के प्रभाव का संयोजन करते है। एक कारोबारी माहौल में, फर्म लंबे समय में जीवित रहने, प्रतिस्पर्धा करने और बढ़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन तकनीकों को रणनीति और रणनीति के रूप में कहा जा सकता है। **युक्ति** किसी विशेष बिंदु या इच्छित छोर तक पहुंचने के लिए क्रिया, परियोजना या घटनाएँ हैं, जबकि **रणनीति** को एक गेम प्लान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संगठन को अपने मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

कारोबारी माहौल को जटिल, गतिशील, बहुआयामी और इसके भीतर काम करने वाले संगठनों पर दूरगामी प्रभाव के रूप में चित्रित किया गया है। इन विशेषताओं के परिणामस्वरूप, व्यावसायिक वातावरण विभिन्न कारकों, घटनाओं, स्थितियों और प्रभावों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके प्रभावों का एक बिल्कुल नया सेट बनाते हैं जिससे निरंतर पर्यावरणीय परिवर्तन होता है।

ये शब्द बहुत बार उपयोग किए जाते हैं, जब हम बाजार में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करते हैं। जबकि रणनीति उन चालों को संदर्भित करती है जो व्यवसाय विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। दूसरी ओर, रणनीति का मतलब एक खाका है, जो संगठन को अपनी दृष्टि में ले जाता है। रणनीति का दायरा रणनीति से बड़ा है, इस अर्थ में कि एक रणनीति में कुछ रणनीति हो सकती है। इसके अलावा, दोनों को मिलकर जाना चाहिए या फिर, व्यापार में विफलता का सामना करना पड़ सकता है।

22.2 तुलना चार्ट (Comparison Chart)

तुलना के लिए आधार	नीति	रणनीति
अर्थ	एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजित कार्रवाई टैक्टिक्स है।	संगठन की अपेक्षित छवि और गंतव्य की एक लंबी श्रृंखला ब्लू प्रिंट को रणनीति के रूप में जाना जाता है।
संकल्पना	यह निर्धारित करना कि रणनीति को कैसे निष्पादित किया जाए।	गतिविधियों का एक संगठित सेट जो कंपनी को भेदभाव की ओर ले जा सकता है।
प्रकृति	निवारक	प्रतियोगी
यह क्या है?	कार्य	कार्य योजना
ध्यान केंद्रित करना	कार्य	उद्देश्य
में तैयार किया गया	मध्य स्तर	उच्चस्तर का
जोखिम शामिल है	कम	उच्च
पहुंच	रिएक्टिव	सक्रिय
लचीलापन	उच्च	अपेक्षाकृत कम
अभिविन्यास	वर्तमान परिस्थितियों की ओर	भविष्योन्मुखी

22.3 कारोबारी माहौल (Business Environment)

कारोबारी माहौल वो आंतरिक और बाह्य कारक है जो एक कंपनी के परिचालन की स्थिति के प्रभाव का संयोजन करते हैं। कारोबारी माहौल इन कारकों को शामिल कर सकते हैं : ग्राहक और आपूर्तिकर्ता; प्रतियोगी और मालिक; प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार; कानून और सरकार की गतिविधियों; और बाजार, सामाजिक और आर्थिक रुझान।

कारोबारी माहौल के दो अवयव होते हैं :

1. आंतरिक वातावरण
 2. बाह्य वातावरण
- ### 1. आंतरिक वातावरण

आंतरिक वातावरण सभी उन कारकों को शामिल करते हैं जो व्यापार के भीतर ही मौजूद हैं और उनका प्रभाव व्यापार पर भी है। इन कारकों आमतौर पर व्यापार के नियंत्रण में रहते हैं। आंतरिक कारकों का अध्ययन वास्तव में आंतरिक वातावरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ये कारक हैं:

- a. व्यवसाय के उद्देश्यों
- b. व्यवसाय की नीतियां
- c. उत्पादन क्षमता
- d. उत्पादन के तरीके
- e. प्रबंधन सूचना प्रणाली
- f. प्रबंधन में भागीदारी
- g. निदेशक मंडल की संरचना
- h. प्रबंधकीय दृष्टिकोण
- i. संगठनात्मक संरचना
- j. मानव संसाधन की सुविधाएँ आदि

2. बाह्य वातावरण

बाह्य वातावरण में वह सभी कारक शामिल हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं और व्यापार के बाहर मौजूद हैं। व्यापार का इन कारकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन कारकों के बारे में जानकारी बाह्य पर्यावरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इन कारकों में से कुछ ऐसे कारक हैं जिनका केवल एक कंपनी से बहुत करीबी रिश्ता होता है। तथापि, कुछ अन्य कारक हैं जो पूरे कारोबार के समुदाय को प्रभावित करते हैं।

22.4 कारोबारी माहौल के घटक (Components of Business Environment)

कारोबारी माहौल के पाँच प्रमुख घटक हैं:

1. आर्थिक वातावरण
2. राजनीतिक वातावरण
3. सामाजिक वातावरण
4. कानूनी वातावरण
5. प्रौद्योगिकीय वातावरण

22.5 रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ (Strategic Responses)

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे संगठन पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से निपट सकते हैं। पोर्टर ने (1985) में तर्क दिया कि यह सब प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के बारे में है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे तीन तरीके हैं जिनसे कंपनियाँ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

एक था किसी दिए गए बाजार में सबसे कम लागत वाला उत्पादक बनना, दूसरा एक विभेदित उत्पादक प्रीम (नियम मूल्य वसूलने के लिए कुछ अतिरिक्त या विशेष पेशकश करना), या एक केंद्रित उत्पादक (एक आला बाजार में प्रभुत्व हासिल करना) के द्वारा।

22.6 रणनीतिक प्रतिक्रिया और गतिशील व्यावसायिक वातावरण (Strategic Response and Dynamic Business Environment)

पर्यावरण की जटिलता के बारे में निरंतर चिंता है और संगठनों को इसका जवाब कैसे देना चाहिए, इसलिए रणनीति प्रणालियों के विकास की वकालत की है।

पोर्टर (1985) ने तर्क दिया कि एक संगठन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के माध्यम से पर्यावरण पर प्रतिक्रिया कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे तीन तरीके हैं जिनसे कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। एक था किसी दिए गए बाजार में सबसे कम लागत वाला उत्पादक बनना, दूसरा एक विभेदित उत्पादक यह प्रत्येक संगठन पर निर्भर करता है कि वह सावधानीपूर्वक चयन करे कि कौन सा उनके लिए सबसे उपयुक्त है और किस विशेष समय पर।

बर्न्स एंड स्टाकर ने (1961) देखा कि जब कारोबारी माहौल स्थिर था, तो संगठन की आंतरिक संरचना नियमों, प्रक्रियाओं और प्राधिकरण के एक स्पष्ट पदानुक्रम की (यानि उच्च औपचारिकता) परिवेश में विशेषता थी। वे अत्यधिक केंद्रीकृत भी थे, लेकिन तेजी से बदलते, आंतरिक संगठन बहुत अधिक शिथिल, मुक्त प्रवाह और अनुकूली था। नियमों और विनियमों को अक्सर नहीं लिखा जाता था, या यदि लिखा जाता था तो उनकी उपेक्षा की जाती थी। सत्ता का पदानुक्रम स्पष्ट नहीं था। निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण किया गया था। बर्न्स एंड स्टाकर ने विकेंद्रीकृत (1961), कम औपचारिक, लचीली संरचनाओं का वर्णन करने के लिए “ऑर्गेनिक” शब्द का इस्तेमाल किया और अत्यधिक औपचारिक और अनम्य संरचनाओं का वर्णन करने के लिए “मैकेनिस्टिक” शब्द का इस्तेमाल किया।

22.7 रणनीतिक प्रबंधन (Strategic Management)

रणनीति को एक उद्यम के बुनियादी लक्ष्य का निर्धारण, और कार्रवाई के पाठ्यक्रम को अपनाने और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों के आवंटन के रूप में परिभाषित किया गया है। त्रुटियों को दिशा निर्धारित करने, प्रयास करने, संगठन को परिभाषित करने या स्पष्ट करने और पर्यावरण के जवाब में स्थिरता या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

बाहरी मुद्दों के लिए कंपनी की योजना के लिए योजना प्रबंधन:- रणनीतिक प्रबंधन में संसाधनों के विचार और आंतरिक और बाहरी के आकलन के आधार पर, मालिकों की ओर से संगठन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा उठाए गए प्रमुख लक्ष्यों और पहलों का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है। वातावरण जहां संगठन संचालित होता है। प्रबंधन प्रबंधन एक उद्यम को समग्र दिशा प्रदान करता है और इसमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के उद्देश्यों, नीतियों और योजनाओं को विकसित करना और फिर योजनाएं शामिल हैं। को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन शामिल करना शामिल है। शिक्षाविदों और अभ्यास वर्ग ने जटिल वातावरण और प्रतिस्पर्धी गतिशीलता के संदर्भ में रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करने के लिए कई मॉडल और रूपरेखाएं विकसित की हैं। प्रबंधन प्रकृति में स्थिर नहीं है; मॉडल में अक्सर निकास की निगरानी करने और योजना के अगले दौर की जानकारी देने के लिए एक फीडबैक लूप शामिल होता है।

प्रबंधन सिद्धांत और अभ्यास अक्सर रणनीतिक प्रबंधन और परिचालन प्रबंधन के बीच अंतर करते हैं। परिचालन प्रबंधन से संबंधित मुख्य रूप से संगठन की रणनीति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर दक्षता और नियंत्रण की लागत में सुधार के साथ।

22.8 उपभोक्ता व्यवहार और पैटर्न में विवर्तनिक परिवर्तन (Tectonic changes in consumer behavior and patterns)

कोविड 19 महामारी ने खरीदारी के व्यवहार को बदल दिया, स्टोर बंद हो गए, इसलिए बिक्री ऑनलाइन हो गई। ईकामर्स में तेजी से बदलाव ने आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से बाधित कर दिया। अब, उपभोक्ता तेज, सुविधाजनक और अधिक किफायती डिलीवरी विकल्प चाहते हैं। और ये उम्मीदें आगे भी जारी रहेंगी।

दुकाने बंद हैं, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं

निस्संदेह, स्टोर बंद होने और घर पर रहने के आदेशों ने ईकामर्स रिटेल में भारी वृद्धि की। महामारी के पहले 10 हफ्तों में, ईकामर्स की बिक्री में उतनी ही वृद्धि देखी गई जितनी पिछले 10 वर्षों में हुई थी।

22.9 नवाचार, ऊष्मायन और स्टार्ट अप (Innovation, Incubation and Start-up)

- **व्यापार ऊष्मायन की परिभाषाएँ:**

नेशनल बिजनेस इनक्यूबेशन एसोसिएशन (एनबीआईए) व्यवसाय को परिभाषित करता है इनक्यूबेटर्स या तो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आर्थिक के लिए एक उत्प्रेरक उपकरण के रूप में विकास। शर्मन और चैपल ने बिजनेस इनक्यूबेटर्स को "एक" के रूप में परिभाषित किया है आर्थिक विकास उपकरण मुख्य रूप से बनाने और नया करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एक समुदाय में व्यवसाय। बिजनेस इनक्यूबेटर्स उभरते व्यवसायों की मदद करते हैं विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि व्यवसाय विकसित करने में सहायता और विपणन योजनाएं, प्रबंधन टीमों का निर्माण, पूंजी प्राप्त करना, और पहुंच अधिक विशिष्ट पेशेवर सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए। वे लचीला भी प्रदान करते हैं अंतरिक्ष, साझा उपकरण और प्रशासनिक सेवाएं। ”

- **बिजनेस इनक्यूबेटर्स की भूमिका**

(i) **भौतिक सुविधा सहायता:** बिजनेस इनक्यूबेटर प्रदान करते हैं a) भौतिक सुविधा उदा. रेंटलस्पेस, बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, बाजार अनुसंधान सुविधाएं, सम्मेलन हॉल सुविधाएं।

(ii) **सपोर्ट सर्विस:** बिजनेस सपोर्ट सर्विस के रूप में बिजनेस इनक्यूबेशन जैसे

- (a) वे विपणन सहायता प्रदान करते हैं।
- (b) बैंक ऋण, ऋण निधि और गारंटी तक पहुंच प्रदान करना।
- (c) इनक्यूबेटर प्रस्तुति कौशल के साथ मदद करते हैं।
- (d) वे उच्च शिक्षा संसाधनों से जुड़ते हैं।
- (e) वे रणनीतिक भागीदारों से जुड़ते हैं।

- (f) वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजी तक पहुंच प्रदान करते हैं।
 - (g) वे व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
 - (h) वे सलाहकार बोर्ड और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
 - (i) वे प्रबंधन टीम की पहचान में मदद करते हैं।
 - (j) वे व्यापार शिष्टाचार के साथ मदद करते हैं।
 - (k) वे प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण सहायता प्रदान करते हैं।
 - (l) वे नियामक अनुपालन में मदद करते हैं।
 - (m) वे बौद्धिक संपदा प्रबंधन प्रदान करते हैं।
 - (n) इनक्यूबेटर लेखांकन सुविधाओं/वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं
 - (o) इनक्यूबेटर मार्केट रिसर्च में मदद करते हैं
- (iii) **नेटवर्किंग सुविधाएं:** बिजनेस इनक्यूबेटर नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करते हैं सदस्यों को। इसमें विभिन्न एजेंटों के साथ संबंधों का एक सेट शामिल है या संगठन। निर्माण नेटवर्क फर्मों को छोटा और तेज करता है सीखने की प्रक्रिया। जैसा कि वाक्यांश से ही तात्पर्य है, बिजनेस इनक्यूबेटर ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को धरातल पर उतारने में मदद करें। वे लगभग हमेशा दोनों प्रदान करते हैं नवेली को सेवाएं और किराये की जगह। सेवाओं में आम तौर पर शामिल हैं प्रशासनिक सहायता, परामर्श और रेफरल। इनक्यूबेटर कार्यक्रमों का प्रबंधन किया जाता है सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा। बिजनेस इनक्यूबेटरों को एक माना जाता है आर्थिक विकास कार्यक्रमों का मुख्य आधार वे मूल्य बनाते हैं संसाधनों के साथ एक स्टार्ट-अप के उद्यमशीलता अभियान को जोड़ना आम तौर पर नहीं है नए उद्यमों के लिए उपलब्ध है। बिजनेस इनक्यूबेटरों के प्राथमिक उद्देश्य हैं स्थानीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करना और व्यावसायीकरण करना प्रौद्योगिकियां।
- एक गैर-व्यावसायिक संगठन इनक्यूबेटर या एक अकादमिक संस्थान इनक्यूबेटर है लाभ के लिए नहीं। उनका एक उद्यम को बढ़ावा देने का एक उद्देश्य है और एक उद्यम बनाने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना। इन इनक्यूबेटरों की भूमिका किसी प्रकार का मंच बनाने की रही है जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं के साथ-साथ छात्र और उद्यमी आते हैं एक साथ एक उद्यम बनाने के लिए।
- इनक्यूबेटरों के अन्य मॉडलों में वे शामिल हैं जो संगठन द्वारा समर्थित हैं जैसे Microsoft, Infosys, Wipro, Intel आदि के रूप में। वे अपने स्वयं के कर्मचारियों को बढ़ावा देते हैं एक विचार को स्पिन करें और नए उत्पाद बनाएं या मौजूदा सेट अप को बदलें। अगर आइडिया सफल हुआ, कंपनी आगे बढ़ती है, संस्थापकों को रिटर्न देती है उनका नवाचार। कुछ उद्यम पूंजीपति हैं जो अपना खुद का चलाते हैं खुद इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर का प्रमुख लाभ यह है कि यह इंसुलेट करता है मैक्रो और सूक्ष्म कारोबारी माहौल के प्रभाव से उद्यमी।

• भारत में इनक्यूबेटर नेटवर्क

मई 2017 में, भारत में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या थी और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में त्वरक, राष्ट्रीय के अनुसार एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) और Zinnov परामर्श।

140 इन्क्यूबेटर्स और त्वरक के साथ, भारत ने इस्राइल को पीछे छोड़ दिया, जिसकी गिनती 130 पर खड़ा था। हालांकि, शीर्ष दो के साथ अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। चीन और यूएसए क्रमशः 2,400 और 1,500 से अधिक इन्क्यूबेटर और एक्सेलेरेटर हैं। बंगलौर, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर हब बने हुए हैं, जिनमें से अधिक सभी इन्क्यूबेटर्स और त्वरक का 40 प्रतिशत इन क्षेत्रों में केंद्रित है। वहाँ टियर II शहरों में स्थित इन्क्यूबेटर्स की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। एक इन्क्यूबेटर आमतौर पर छह महीने से तीन साल के लिए स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन करता है, समर्पित कार्यालय स्थान, निवेशकों के साथ नेटवर्किंग जैसे संसाधन प्रदान करना और तकनीकी प्रशिक्षण, अन्य बातों के अलावा। तुलना में, एक त्वरक आम तौर पर तीन से 12 महीनों के लिए हाथ पकड़कर, उद्यम पर सत्र प्रदान करते हैं राजधानी, रोड शो, सीईओ कोचिंग और डेवलपर टूल।

हाल ही में, द न्यूड फाउंडेशन, जिसे इंफोसिस के सह-संस्थापक द्वारा समर्थित किया गया है नंदन नीलेकणि, टाटा ट्रस्ट्स और अन्य उद्योग भारी वजन ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे गैर-लाभकारी स्टार्ट-अप के लिए एक इन्क्यूबेटर एनकोर लॉन्च किया। यह जुलाई 2015 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। चिपमेकर इंटेल इंडिया, आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेंट्रल सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शुरू करने के लिए एक साथ आया अगस्त 2004 में एक हार्डवेयर इन्क्यूबेटर प्रोग्राम। भारत में अधिकांश इन्क्यूबेटर्स का संचालन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता है (लगभग 51 प्रतिशत) जबकि शेष या तो कॉर्पोरेट (नौ प्रतिशत), स्वतंत्र (32 प्रतिशत) हैं। या सरकार द्वारा समर्थित (आठ प्रतिशत), रिपोर्ट से पता चलता है।

स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन (स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर के रूप में भी जाना जाता है) महत्वपूर्ण है भारत जैसे देश में महत्व जहां स्कोर के हिसाब से उद्यमी हैं नए सेटअप शुरू करना और मिनटों में व्यवसाय के खेल को बदलना। के लिए गैर-आरंभिक, स्टार्ट-अप ऊष्मायन कार्यक्रम या केंद्र सहायता प्रदान करते हैं व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए कार्य, परामर्श और संसाधन या उद्यमशीलता की स्थापना।

यह उन्हें सभी विशेषज्ञ सलाह और तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है कि वे अधिकांश अन्य उद्यमशील उपक्रमों के विपरीत, लंबे समय तक जीवित रहने की आवश्यकता है जो लॉन्च होने के कुछ महीनों के भीतर ही खत्म हो जाते हैं।

लगभग हर दूसरे प्रतिष्ठित बी-स्कूल में आज एक इन्क्यूबेशन सेंटर है ताकि महान विचारों को उनके स्रोत से ही पोषित किया जा सके। नंबर हैं आईएसबीए द्वारा समर्थित ऊष्मायन केंद्रों की संख्या जो सर्वोच्च भारतीय है व्यावसायिक इन्क्यूबेटर्स का समर्थन करने वाला पेशेवर निकाय। निजी इन्क्यूबेटर हैं मुट्ठी भर, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।

इकाई पहले से अस्तित्व में व्यापार के विखंडन /पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं की गई हो। इकाई एक स्टार्टअप के तौर पर नहीं मानी जाएगी यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक हो या उसने गठन की तिथि से 5 वर्ष पूरा कर लिया हो। स्टार्टअप अंतर मंत्रालयी बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कर लाभ के लिए योग्य होगा।

1. सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (SINE), IIT मुंबई : इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। यह क्षमता के साथ अकादमिक क्षेत्र में सबसे शुरुआती इन्क्यूबेटर्स में से एक है आर्थिक विकास, रणनीतिक मूल्य और पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्ट-अप बनाने के लिए सामाजिक प्रासंगिकता।

यदि आपने वेबरू, भुगोल जीआईएस और एसएमएसगुपशुप.कॉम के बारे में सुना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उद्यम अस्तित्व में आए क्योंकि वे थे आईआईटी में स्थित तकनीकी इनक्यूबेटर साइन द्वारा पोषित और इनक्यूबेट किया गया बंबई। ThinkLABS Technosolutions, एक शैक्षिक रोबोटिक्स उद्यम, Myzus Technologies और ElInfinitus कुछ प्रसिद्ध में से हैं जिन व्यवसायों को SINE ने इनक्यूबेट किया है। ये स्टार्टअप सफल रहे हैं तीन रुपये तक के इन्क्यूबेशन के बाद उद्यम पूंजी निवेश जुटाने में बाजार से करोड़।

SINE एक बार में औसतन 15 कंपनियों को इनक्यूबेट कर सकता है और इसमें एक 10,000 वर्ग फुट में फैला बुनियादी ढांचा। वे अभी तक नहीं खुले हैं।

2. **प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर, आईआईटी दिल्ली :** TBI 2000 से सक्रिय संचालन में है। इसकी कल्पना की गई है और फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा प्रोग्राम किया गया (FITT)। यह इनक्यूबेटर किसी भी IIT-D . से ऊष्मायन आवेदन स्वीकार करता है छात्र, पूर्व छात्र या केवल अकादमिक स्टाफ के सदस्यों में से एक। चयन मानदंड काफी कड़े हैं। अगर बाहरी स्टार्टअप बनना चाहते हैं इसका एक हिस्सा, वे कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ गठजोड़ करने का पता लगा सकते हैं, जो तब आपको TBI में प्रवेश करने में सक्षम बना सकता है।
3. **टेक्नो पार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी-टीबीआई), केरल :** इसकी स्थापना 2006 में केरल सरकार के सहयोग से की गई थी। इसका नाम बदलकर केरल स्टार्ट-अप मिशन कर दिया गया है। यह भारत का पहला और सफल गैर-शैक्षणिक व्यवसाय इनक्यूबेटर। यह का एक संयुक्त संघ है टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम और विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी (डीएसटी), भारत सरकार। टी-टीबीआई ऑफर पूरी तरह से सुसज्जित 15,000 वर्ग फुट में फैले कार्य स्थल, विशेषज्ञ राय और मार्गदर्शन उद्योग, विपणन और कानूनी प्रबंधन परामर्श से और वित्तीय सहायता।
2016 तक टी-टीबीआई ने सफलतापूर्वक दो सौ से अधिक ऊष्मायन किए हैं कंपनियां। 2011 की शुरुआत में, टी-टीबीआई को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर के रूप में चुना गया था इनक्यूबेटिंग कंपनी और हासिल करने वाला पहला भारतीय संगठन यह स्थिति।
4. **स्टार्ट-अप विलेज :** यह कोच्चि में एक गैर-लाभकारी व्यवसाय इनक्यूबेटर है। इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई थी 2012. स्टार्ट-अप विलेज सरकार द्वारा संचालित एक सार्वजनिक-निजी उद्यम है केरल का। सरकार ने स्टार्ट-अप गांव के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और 10 वर्षों में एक हजार से अधिक स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि छात्र उद्यमियों को इसका हिस्सा बनने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं इस इनक्यूबेटर के कॉलेज में उपस्थिति प्राप्त करने सहित, अनुग्रह अंक और यहां तक कि स्टार्ट-अप द्वारा उत्पन्न व्यवसाय के लिए कर छूट भी शामिल है स्टार्ट-अप ग्राम परिसर।
5. **इंडियन एंजेल नेटवर्क (IAN) :** आईएन की स्थापना 2006 में हुई थी, यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक साथ लाती है भारत और आसपास के अत्यधिक सफल उद्यमी और सीईओ दुनिया जो स्टार्ट अप और शुरुआती चरण के उपक्रमों में निवेश करने में रुचि रखते हैं जिनके सफल होने की संभावना है। यह एक इक्विटी आधारित है आर एंड डी लैब और कई उद्योग संघ।

IAN इनक्यूबेटर अपने द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसके ओपन सैटरडे से लेकर एंजल इनवेस्टर्स मीट से लेकर वर्कशॉप तक प्रशिक्षण उद्यमियों।

6. **टेक्नो पार्क टीबीआई :** टेक्नो पार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी-टीबीआई), भारत का पहला गैर अकादमिक बिजनेस इनक्यूबेटर, एशिया लार्जैस्ट के अंदर होस्ट किया गया और रखा गया आईटी पार्क टेक्नोपार्क। यह 1990 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा सूचना और प्रौद्योगिकी पार्क है विकसित क्षेत्र। टेक्नोपार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी-टीबीआई), ए टेक्नोपार्क, त्रिवेंद्रम और विभाग का संयुक्त संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी), भारत सरकार, प्रौद्योगिकी में मदद करती है व्यापार स्टार्ट-अप। टीबीआई स्टार्ट-अप को पूरी तरह से सुसज्जित कार्यालय स्थान, परामर्श प्रदान करता है व्यापार और प्रौद्योगिकी योजनाओं के विकास में सहायता, की नेटवर्किंग व्यापार संसाधन, बीज पूंजी सहायता, विपणन सहायता, पेशेवर सहायता, सम्मेलन सुविधाएं और वीडियो सम्मेलन सुविधाएं।
7. **सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE), आईआईएम अहमदाबाद :** भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल में बस एक बिजनेस इनक्यूबेटर रखा गया है सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। इनक्यूबेशन पहल शुरू करने के बाद से 2007, CIIE का एक दिलचस्प दृष्टिकोण है कि यह क्यों प्रदान नहीं करता है व्यापार ऊष्मायन के लिए भौतिक स्थान। वे चाहते हैं कि उद्यमी जहां भी वे तैनात हैं, वहां से अपने विचारों का निर्माण करें, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसके विकास से लाभ होता है। जब से यह शुरू हुआ है, CIIE ने 50 से अधिक कंपनियों को इनक्यूबेट किया है, जिनमें से कुछ ही आईआईएम के छात्रों के स्वामित्व में थे। सीआईआईई किया गया है इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यवसायों को इनक्यूबेट करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र के स्टार्ट-अप और स्वास्थ्य सेवा।
8. **एनएसआरसीईएल :** आईआईएम, बेंगलूर द्वारा संचालित और प्रबंधित यह एक ऊष्मायन केंद्र है। स्थित इस दर्शनीय शैक्षणिक संस्थान में एन.एस. राघवन एंटरप्रेन्योरियल सेंटर है लर्निंग (एनएसआरसीईएल)। 2002 में अपनी स्थापना के बाद से, यह एक साथ लाया है उद्यमियों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों पर प्रभाव पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप इको सिस्टम।

सरकारी एजेंसियों, कॉर्पोरेट और संस्थागत के समर्थन से भागीदार एनएसआरसीईएल सफल और नवोदित को एक मंच प्रदान करता है लाभ या गैर-लाभकारी उद्यम चलाने वाले उद्यमी। वे विभिन्न पेशकश करते हैं इनक्यूबेशन के प्रकार स्टार्ट-अप को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनमें शामिल हैं ऑफिस स्पेस, डेस्कटॉप, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा, बिना रुकावट बिजली आपूर्ति आदि। इनक्यूबेटर उनके प्रख्यात से सलाह प्रदान करता है संकायों और कुछ इनक्यूबेटों को बीज धन सहायता भी प्रदान करता है कंपनियों। वित्त पोषण मुख्य रूप से सरकारी अनुदानों के माध्यम से होता है और इसके संवितरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार है प्राथमिक वित्त पोषण एजेंसी द्वारा नीचे। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग द्वारा की जाती है स्टार्ट-अप से पहले समिति एनएसआरसीईएल में शामिल हो सकती है।
9. **अटल इनक्यूबेशन सेंटर :** अटल इनोवेशन मिशन (AIM) भारत सरकार का प्रमुख है में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल देश। AIM का उद्देश्य के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, मंच प्रदान करना और विभिन्न हितधारकों के लिए सहयोग के अवसर, जागरूकता पैदा करना और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना बनाएं देश। AIM का इरादा नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करना है, जिन्हें कहा जाता है अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) जो नवोन्मेषी स्टार्ट-अप का पोषण करेंगे स्केलेबल और टिकाऊ व्यावसायिक उद्यम बनने की उनकी खोज में। एआईएम विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन सुविधाएं बनाने में इन एआईसी का समर्थन करेगा देश भर में अत्याधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ, उनके इनक्यूबेटी के लिए उपलब्ध पूंजीगत उपकरणों और परिचालन सुविधाओं की

स्टार्ट-अप, परामर्श के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की उपलब्धता के साथ मिलकर। इसके अलावा, बिजनेस प्लानिंग सपोर्ट, सीड कैपिटल तक पहुंच, उद्योग भागीदारी, प्रशिक्षण और अन्य प्रासंगिक घटकों की आवश्यकता है अभिनव स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, स्थापित किए गए अधिकांश एआईसी क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र होंगे जैसे विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अभूतपूर्व को बढ़ावा देने के लिए पानी, स्वच्छता, साइबर सुरक्षा आदि इन क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारा शैक्षणिक संस्थान जैसे उच्च शिक्षण संस्थान, R&D संस्थान आदि के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक संस्थान जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र के उद्यम, सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष, व्यापार त्वरक, व्यक्तियों का समूह, और व्यक्ति आदि हैं आवेदन करने के योग्य। एआईएम रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करेगा। अधिकतम के लिए 10 करोड़ पूंजी और परिचालन व्यय को कवर करने के लिए 5 वर्ष की अवधि ए / सी स्थापित करें। एआईसी के विशेष उपयोग के लिए आवेदक को कम से कम 10,000 वर्ग फुट रेडी-टूज, बिल्ट-अप स्पेस उपलब्ध कराना होगा।

10. एंजेलप्राइम : एंजेलप्राइम को हाल ही में 2011 में बेंगलुरु में प्रसिद्ध द्वारा लॉन्च किया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग में नाम जैसे बाला पराठासारथी, श्रीपति आचार्य और संजय स्वामी। एंजेलप्राइम का लक्ष्य जिन क्षेत्रों को इनक्यूबेट करना है इनमें मोबाइल भुगतान, ई-कॉमर्स और स्मार्टफोन/टैबलेट ऐप्स शामिल हैं। यह है पहले से ही एक मोबाइल भुगतान कंपनी और एक स्मार्टफोन को इनक्यूबेट करना शुरू कर दिया है और टैबलेट स्टार्ट-अप।

CIIE के विपरीत, AngelPrime अपने कार्यालय में उपक्रमों को विकसित करने में विश्वास करता है ताकि उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। एंजेलप्राइम में बढ़त है इसकी सेवाएं क्योंकि संस्थापक अपने पिछले कॉर्पोरेट नेटवर्क लाते हैं और नए उद्यमों को इनक्यूबेट करने का अनुभव। बिजनेस इन्क्यूबेटर्स नए के बीच की खाई को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं उत्पादों/सेवाओं को उनके वाणिज्यिक रोलआउट के विचार के चरणों में। यह सभी उद्यमियों को एक समान मंच भी प्रदान करता है ताकि वे कर सकें ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करें जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करें।

22.10 सह-निर्माण आर्थिक मॉडल (Co-creation Economic Model)

सह-निर्माण, एक व्यवसाय के संदर्भ में, एक उत्पाद या सेवा डिजाइन प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें उपभोक्ताओं से इनपुट शुरू से अंत तक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कम विशेष रूप से, इस शब्द का उपयोग किसी भी तरह से किया जाता है जिसमें कोई व्यवसाय उपभोक्ताओं को विचार, डिजाइन या सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस तरह, फर्म बनाए जाने वाले डिजाइन के बारे में विचारों से बाहर नहीं होगा और साथ ही, यह फर्म और उसके ग्राहकों के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत करेगा। एक अन्य अर्थ सामान्य लोगों द्वारा मूल्य का सृजन है, चाहे वह किसी कंपनी के लिए हो या नहीं।

- **सह-निर्माण आर्थिक मॉडल :** कुल 50 मॉडलों का विश्लेषण किया गया और तीन पूर्व-परिभाषित श्रेणियों में से एक को सौंपा गया (1) सह-निर्माण स्पेक्ट्रम, (2) सह-निर्माण प्रकार, और (3) सह-निर्माण चरण। हालांकि, विश्लेषण के दौरान, SCiVerse Scopus मॉडल के बीच एक और श्रेणी उत्पन्न हुई। इस श्रेणी को 'सृजन के संयुक्त स्थान' की 0-श्रेणी का लेबल दिया गया था। प्रति मॉडल की संख्या श्रेणी और खोज विधि तालिका 1 में पाई जा सकती है। सबसे पहले, (0)श्रेणी में मॉडल हैं चर्चा की, क्योंकि ये सह-निर्माण का आधार हैं। अगला, तीन अन्य श्रेणियों में मॉडल क्रम में चर्चा की गई है।

CO-CREATION MODELS	0 Joint space of creation	1 Co-creation spectrum	2 Co-creation types	3 Co-creation steps	Total
Only SciVerse Scopus (31)	11	4	7	6	28
Only Google Images (29)	0	7	9	6	22
Total	11	11	16	12	50

Table 1 Number of models per category and search method

1. **सृजन का संयुक्त स्थान :** इस श्रेणी में के मॉडल शामिल हैं: आंद्रेयू एट अल (2010), एडवर्डसन एट अल (2011), ग्रोनरोस (2012, 2013), लामेनन और स्केले (2015), पायने एट अल (2007), प्रहलाद और रामास्वामी (2004, पी।), रामास्वामी (2008), रामास्वामी और ओजकन (2015), स्कारजौस्काइट (2013) और वर्गो एट अल (2008)।

'सृजन के संयुक्त स्थान' की श्रेणी में 11 मॉडल दो संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अतिव्यापी स्थान या दो संस्थाओं के बीच का स्थान जहाँ सृजन हो सकता है इन दो संस्थाओं के बीच: सह-निर्माण। ये मॉडल अक्सर सरलीकृत दिखाते हैं दोनों पक्षों के लिए मूल्य इनपुट और आउटपुट के साथ सह-निर्माण का प्रतिनिधित्व। व्युत्पन्न मेटा-मॉडल चित्र 2 में पाया जा सकता है।

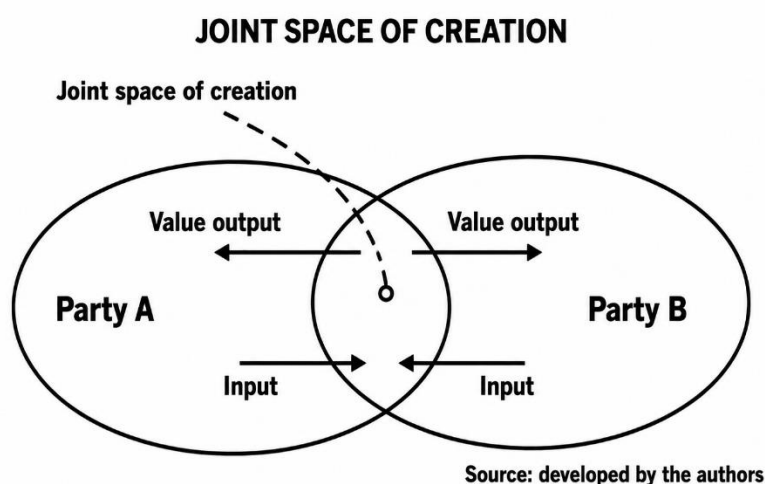


Figure 2: The joint space of creation

2. **सह-निर्माण का स्पेक्ट्रम :** इस श्रेणी में निम्नलिखित मॉडल शामिल हैं: ग्राहक-अंतर्दृष्टि (2010), गैल्वानो और दल्ली (2014), लिन (2012), कोसाका एट अल (2012), ओजसालो और केरेनन (2013), प्रहलाद और रामास्वामी (2004), सर्वदेसा 2016 पांचवां सेवा डिजाइन और नवाचार सम्मेलन रामास्वामी (2008), सैंडर्स एंड स्टेपर्स (2008); कोट्स (2010), रोजर एट अल (2008) और वुल्फ्सबर्ग एट अल (2010)।

सह-निर्माण स्पेक्ट्रम उन मॉडलों का अवलोकन देता है जो सह-निर्माण को के क्षेत्र में रखते हैं अन्य समान या अतिव्यापी दृष्टिकोण / कार्यप्रणाली (रेफरी)। यह दर्शाता है कि सह-निर्माण अन्य आंदोलनों और शर्तों जैसे खुले

नवाचार और भागीदारी डिजाइन के साथ ओवरलैप करता है। देखने के लिए दो मुख्य आंदोलन हैं: (1) एक खुले नवाचार आंदोलन के रूप में सह-निर्माण और (2) एक सहभागी डिजाइन पद्धति के रूप में सह-निर्माण। पहले आंदोलन में निम्न भी शामिल है डिजाइन या आउटपुट पर सीमित प्रभाव के साथ सहयोग के स्तर। परिणाम भी दिखाते हैं ऐसे मॉडल जो अधिक पारंपरिक व्यावसायिक मॉडल के विपरीत सह-निर्माण मूल्य रखते हैं। परंपरागत व्यवसाय मॉडल को अक्सर बिना किसी सहयोग के मॉडल के रूप में देखा जाता है और इसलिए कोई ग्राहक नहीं होता है उत्पादन पर प्रभाव व्युत्पन्न मेटा-मॉडल चित्र 3 में पाया जा सकता है।

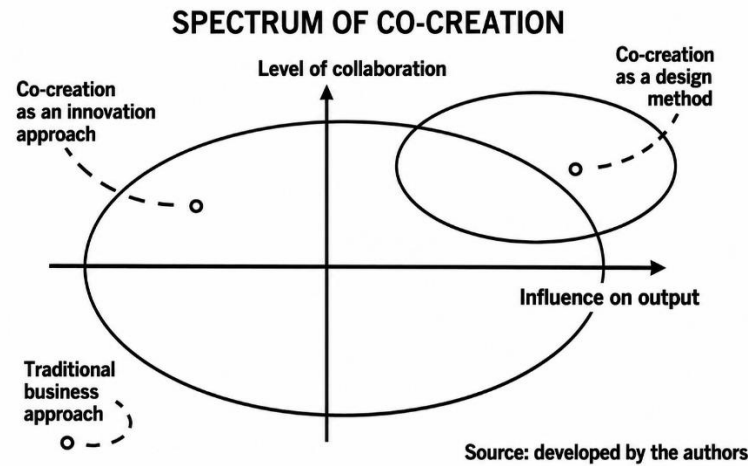


Figure 3: The spectrum of co-creation

3. **सह-निर्माण के प्रकार :** इस श्रेणी में मॉडल शामिल हैं: बार्टल (2009), फ्रंटियर स्ट्रैटेजी (2009), फ्रो एट अला (2015), कांग (2014), कुक्कुरु (2011), मस्क्रॉफ्ट (2011), प्रहलाद और रामास्वामी (2004), क्विंटारेली (2010), रिहोवा एट अला (2013), बिक्री 20|20 (2013), साहनी एट अला (2005), सेंस वर्ल्डवाइड (2009), थोरस्टन एट अला (2013) और वर्नेट एंड हमदी (2013)।

ये मॉडल सह-निर्माण के विभिन्न प्रकारों या स्तरों की पहचान करते हैं। प्रकारों को अक्सर द्वारा परिभाषित किया जाता है मापदंड का एक सेट या कुल्हाड़ियों का एक सेट। 11 विश्लेषण किए गए मॉडल से, तीन सामान्य मानदंड हो सकते हैं सह-निर्माण के प्रकारों की पहचान करने के लिए व्युत्पन्न:

- (1) जिस क्षण सह-निर्माण होता है: शुरुआत, मध्य या अंत में डिजाइन या नवाचार प्रक्रिया, या यहां तक कि उपयोग के चरण में।
- (2) सह-निर्माण करने वाले अंतिम उपयोगकर्ता के लिए प्रत्यक्ष लाभ या परिवर्तन की राशि है।
- (3) दोनों पक्षों के बीच सहयोग का स्तर।

इन तीन मानदंडों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के सह-निर्माण होते हैं। द फ्रेश नेटवर्क (व्यापार परिप्रेक्ष्य से) और पायने एट अल (वैज्ञानिक दृष्टिकोण से) विभिन्न का वर्णन करें व्यापक रूप से सह-निर्माण के प्रकार। दोनों पांच प्रकार के कोक्रिएशन के साथ एक पैमाने का वर्णन करते हैं जिसे कोई अपना सकता है (पायने एट अल, 2007; फ्रेशनेटवर्क, 2009) लेकिन ये नहीं हैं वही पांच प्रकार। पायने एट अल के निचले सिरे पर वैयक्तिकृत विज्ञापनों पर विचार करें सह-निर्माण पैमाने और ताज़ा नेटवर्क सह-निर्माण पैमाने पर अंतिम प्रकार को अलग

करता है जहां उपभोक्ता डिजाइन प्रक्रिया को संभालते हैं। पैमाने के बीच में, प्रकार अधिक हैं या उससे कम संगत। कुल मिलाकर, सभी मॉडलों से, पांच मुख्य प्रकारों की पहचान की गई है।

चित्रा 4 में मेटा-मॉडल में पांच प्रकार और तीन मानदंड दर्शाए गए हैं।

- (1) व्यक्तिगत भेंट
- (2) रीयल-टाइम स्वयं सेवा
- (3) बड़े पैमाने पर अनुकूलन
- (4) सह-डिजाइन
- (5) सामुदायिक डिजाइन

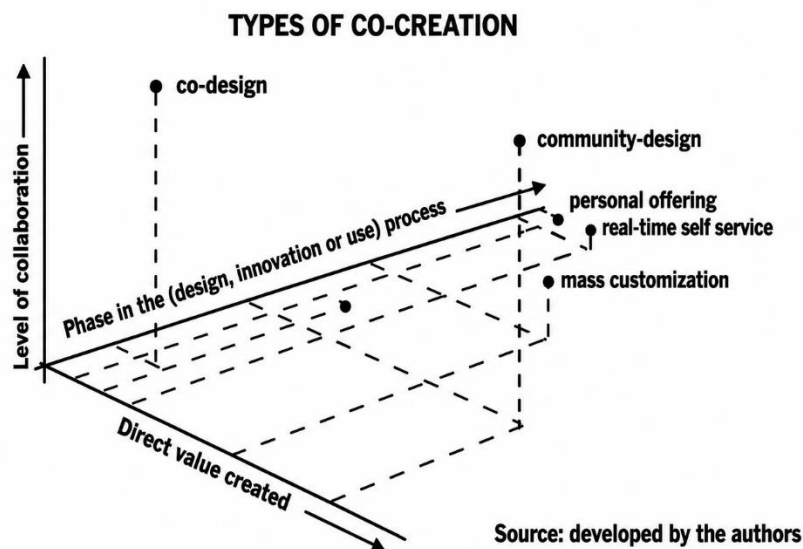


Figure 4: Five types of co-creation

4. **सह-निर्माण प्रक्रिया के चरण :** इस श्रेणी में मॉडल शामिल हैं: 90:10 (2010), आरिका-स्टेनरोस और जाक्कोला (2012), कास्त्रो-मार्टिनेज और जैक्सन (2015), फैरो पार्टनरशिप (2010), फ्रंटियर स्ट्रैटेजी (2009), ग्रोनरोस (2012) ग्रोनरोस एंड वोइमा (2013), आईडीईओ (2011), लैम्बर्ट एंड एनज़ (2012), मुएंते कुनिगामी (2013), नागाओका और कोसाका (2012) और सना एट अला (2012)।

इस अंतिम श्रेणी के सभी मॉडल सह-निर्माण प्रक्रिया में कुछ निश्चित कदम उठाते हैं। इनमें ज्यादातर चार से छह चरण शामिल हैं। कोई तर्क दे सकता है कि सह-निर्माण एक विधि है या नहीं दृष्टिकोण लेकिन कोई आम सहमति मौजूद नहीं है। एक विधि उपकरण, टूल-किट, तकनीकों का एक संयोजन है और/या गेम जिन्हें परिभाषित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से एक साथ रखा गया है। डिजाइन का क्षेत्र ज्यादातर सह-निर्माण को एक विधि के रूप में उपयोग करता है। एक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक समग्र मानसिकता का वर्णन करता है आचरण प्रक्रिया। विभिन्न क्षेत्र सह-निर्माण को एक दृष्टिकोण के रूप में उपयोग करते हैं। क्योंकि कोई आम सहमति मौजूद नहीं है, मेटा-मॉडल में चित्र 5 में कोक्रिएशन पर डिजाइन विधि और नवाचार दृष्टिकोण दोनों शामिल हैं।

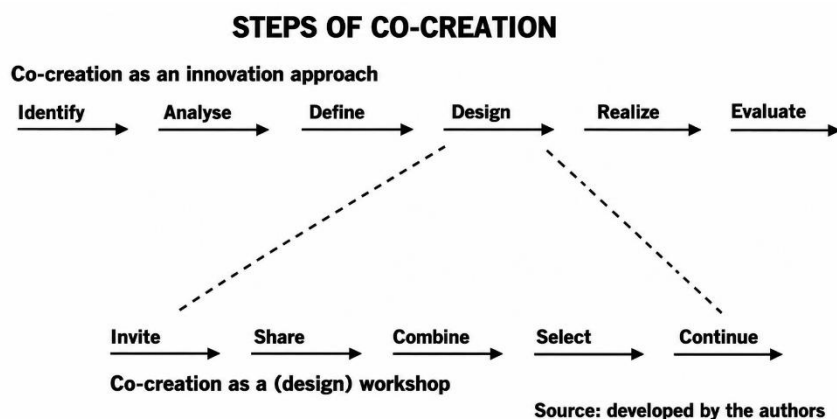


Figure 5: The steps in a co-creation process

● निष्कर्ष

सह-निर्माण के 50 मॉडलों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में हैं अभी भी सह-निर्माण और इसकी सीमाओं पर विभिन्न विचार हैं। निष्कर्ष है कि रोसेन एट अल। (2009), दूसरों के बीच, स्पष्टता की कमी और सह-निर्माण की एकरूपता की पुष्टि की जा सकती है।

सह-निर्माण पर वर्तमान विचार इस मायने में सबसे भिन्न हैं कि कुछ इसे एक खुले नवाचार के रूप में देखते हैं एक सहभागी डिजाइन पद्धति के रूप में आंदोलन और अन्य। यह 'सह-निर्माण के स्पेक्ट्रम' के मेटामॉडल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन यह अन्य तीन मेटा-मॉडल में भी दिखाई देता है। में मेटा-मॉडल 2, 'सह-निर्माण के प्रकार', यह दर्शाता है कि कुछ सह-निर्माण को एक समूह के रूप में देखते हैं ग्राहक और अन्य लोगों के साथ निर्माण करने के विभिन्न तरीके सह-निर्माण को एक डिजाइन में एक कदम के रूप में देखते हैं प्रक्रिया जिसमें ग्राहक शामिल है। सभी 4 मेटा-मॉडल में, एक प्रयास किया जाता है दोनों विचारों को समाहित करते हुए। यह आशा की जाती है कि मेटा-मॉडल वर्गीकृत करने के लिए एक रूपरेखा बना सकते हैं मौजूदा शोध के साथ-साथ आगामी परियोजनाओं के लिए सीमाओं को परिभाषित करना। भविष्य में, यह सभी को सह-निर्माण की स्पष्टता, समझ और अनुप्रयोग में योगदान देना चाहिए। इसलिए, मॉडल एक बार फिर चित्र 6 में सभी एक साथ दोहराए गए हैं।

मतभेद एक तरफ, यह लेख सह-निर्माण की परिभाषा के साथ समाप्त होता है जो लागू होता है दोनों सामान्य दृष्टिकोण और विशिष्ट दृष्टिकोण, साथ ही खुले-नवाचार और डिजाइन परिप्रेक्ष्य। यह अस्थायी परिभाषा उद्धृत सभी लेखों पर आधारित है, लेकिन अधिकतर के कार्यों पर आधारित है प्रहलाद और रामास्वामी (2004), एलएसई एंटरप्राइज (2009), और सैंडर्स एंड स्टेपर्स (2008)।

सह-निर्माण पारस्परिक फर्म-ग्राहक मूल्य निर्माण की प्रक्रिया है। यह सुगम (रचनात्मक) प्रक्रिया के बजाय फर्म और अंतिम उपभोक्ता के बीच बातचीत और साझाकरण का एक सक्रिय रूप उत्पन्न करता है सक्रिय फर्म, निष्क्रिय उपभोक्ता संपर्क। सह-निर्माण के परिणामों में से एक यह है कि के बीच संपर्क फर्म और ग्राहक लेन-देन से दूर हो जाते हैं और एक अनुभव बन जाते हैं।

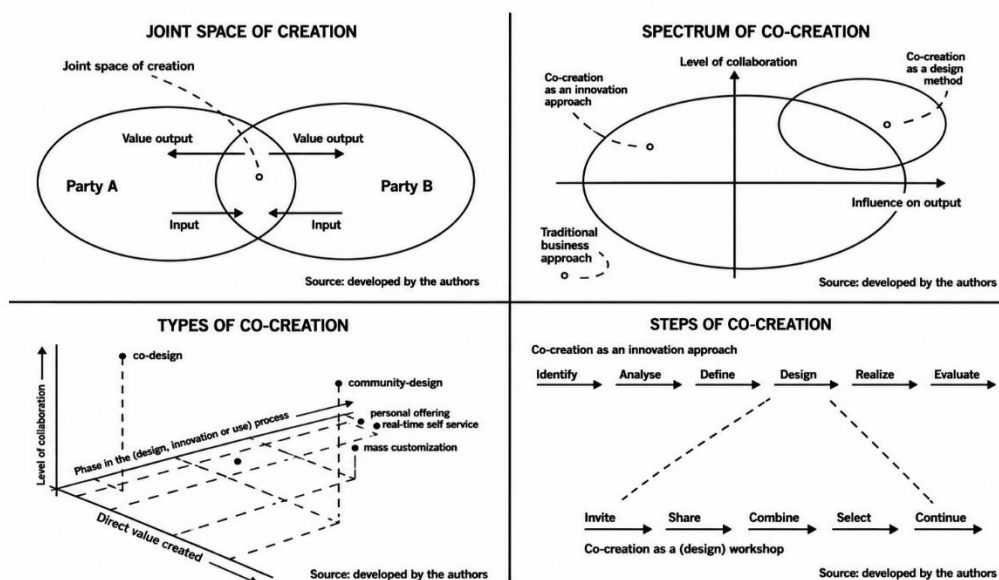


Figure 6: The 4 meta-models of co-creation

स्व मूल्यांकन – प्रथम

छात्र एक पत्र तैयार करें जिसमें वे अपने लक्ष्य, उत्कृष्टता और सिखने के अवसरों का विवरण करें। पत्र में वे अपने शिक्षा सत्र के दौरान महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन करें और उनकी स्वयं समीक्षा करें।

22.11 जिम्मेदार व्यवहार कराधान और सार्वजनिक व्यय (Responsible Practices Taxation and Public Expenditure):

सार्वजनिक व्यय (पब्लिक एक्सपेन्डीचर) से अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है।

22.12 सारांश (Summary)

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कारोबारी माहौल वो आंतरिक और बाह्य कारक है जो एक कंपनी के परिचालन की स्थिति के प्रभाव का संयोजन करते हैं। रणनीतिक प्रबंधन में संसाधनों के विचार और आंतरिक और बाहरी के आकलन के आधार पर, मालिकों की ओर से संगठन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा उठाए गए प्रमुख लक्ष्यों और पहलों का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

प्रश्न 1. कारोबार के उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 2. उद्देश्यों को मापन के लिए कैसे तैयार किया जाता है?

प्रश्न 3. व्यावसायिक माहौल में सफलता के लिए कौन-कौन सी रणनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं?

प्रश्न 4. रणनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसे सही और समय-सारणी में लागू की जाती हैं?

प्रश्न 5. गतिशील व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है?

प्रश्न 6. रणनीतिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

22.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. विवेचन : छात्र समझ सकेंगे कि रणनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं और उनका विवेचन कैसे किया जाता है?
2. विश्लेषण : विभिन्न रणनीतिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे।
3. प्रासंगिकता : रणनीतिक प्रतिक्रियाएं समाप्त होने पर उनके प्रासंगिकता को समझ सकेंगे।
4. अनुकूलन : रणनीतिक प्रतिक्रियाएं गतिशील व्यावसायिक वातावरण में कैसे अनुकूलित होती हैं, उसका अनुकूलन कर सकेंगे।
5. विचारशीलता : विचारशीलता दिखा सकेंगे कि कैसे रणनीतिक प्रतिक्रियाएं परिसर कि गतिशीलता के साथ मेल खाती हैं।

22.14 शब्दकोष (Glossary)

रणनीतिक प्रबंधन:- एक सामान्यीकरण और कह सकता है कि रणनीतिकप्रबंधन रणनीतिक निर्णय लेने, कार्यान्वयन और नियंत्रण के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सामरिक प्रबंधन को "निर्णयों और कार्यों की एक धारा के रूप में परिभाषित किया गया है जो कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति या रणनीतियों का विकास करता है।"

विलियम एफ ग्लुक

कारोबारी माहौल:- व्यावसायिक वातावरण उन सभी आंतरिक और बाहरी शक्तियों, तत्वों और कारकों को संदर्भित करता है जो किसी व्यवसाय के विकास, प्रदर्शन और परिणाम को प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, व्यावसायिक वातावरण वह परिवेश है जहाँ व्यावसायिक फर्म विकसित होती हैं। व्यवसाय पर्यावरण विशिष्ट है।

22.15 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Questions):

1. कारोबारी माहौल के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाए।
1. Explain in detail the strategic responses used for the business environment.
2. कारोबारी माहौल से आप क्या समझते हैं।
2. What do you understand by business environment?
3. व्यावसायिक वातावरण की किन्हीं दो विशिष्ट शक्तियों के नाम लिखिए जो व्यापार को प्रभावित कर रहा है।
3. Name any two specific forces of business environment which are affecting the business.
4. नीति और रणनीति के मध्य अंतर स्पष्ट करें?
4. Explain the difference between policy and strategy?

22.16 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography):

- **Joint spaces of creation**

- Andreu, L., Sá Nchez, I., Mele, C. (2010). Value co-creation among retailers and consumers: New insights into the furniture market. *J. Retail. Consum. Serv.* 17, 241–250. doi:10.1016/j.jretconser.2010.02.001
- Edvardsson, B., Tronvoll, B., Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service exchange and value co-creation: a social construction approach. *J. Acad. Mark. Sci.* 39, 327–339. doi:10.1007/s11747-010-0200-y
- Grönroos, C. (2012). Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back to the future. *J. Mark. Manag.* 28, 1520–1534. doi:10.1080/0267257X.2012.737357
- Grönroos, C., Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and cocreation. *J. Acad. Mark. Sci.* 41, 133–150. doi:10.1007/s11747-012-0308-3
- Laamanen, M., Skålé, P. (2015). Collective–conflictual value co-creation: A strategic action field approach. *Mark. Theory* 15, 381–400. doi:10.1177/1470593114564905
- Payne, A.F., Storbacka, K., Frow, P. (2007). Managing the co-creation of value. *J. Acad. Mark. Sci.* 36, 83–96. doi:10.1007/s11747-007-0070-0
- Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. *J. Interact. Mark.* 18, 5–14. doi:10.1002/dir.20015
- Ramaswamy, V. (2008). Co-creating value through customers’ experiences: the Nike case. *Strategy. Leadersh.* 36, 9–14.
- Ramaswamy, V., Ozcan, K. (2015). Brand value co-creation in a digitalized world: An integrative framework and research implications. *Int. J. Res. Mark.* doi:10.1016/j.ijresmar.2015.07.001
- Sanders, E.B.-N., Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign* 4, 5–18. doi:10.1080/15710880701875068

- Skaržauskaitė, M. (2013). Measuring and managing value co-creation process: overview of existing theoretical models. *Soc. Technol.* 3, 115–129.
- Vargo, S.L., Maglio, P.P., Akaka, M.A. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. *Eur. Manag. J.* 26, 145–152. doi:10.1016/j.emj.2008.04.003
- **Spectrum of co-creation**
 - Coates, N. (2010). Co-creation. Past. Present. Future. CCE 2010. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.slideshare.net/nickcoates/cocreation-past-present-future-cce-2010>
 - Customer Insight (2010, 02). Co-creation. Retrieved October 5, 2015, from http://www.customer-insight.co.uk/sites/default/files/volume-7-issue-1---february2010_0.pdf
 - Galvagno, M., Dalli, D. (2014). Theory of value co-creation: a systematic literature review. *Manag. Serv. Qual.* 24, 643–683.
 - Kosaka, M., Zhang, Q., Dong, W., Wang, J. (2012). Service value co-creation model considering experience based on service field concept. *Proceedings from IEEE* 2012.
 - Lin, M. (2012). Definition: Customization. Retrieved October 5, 2015, from <https://thesismusen2012.wordpress.com/2012/10/09/definition-customization/>
 - Ojasalo, K., & Keränen, K. (2013). What is Co-Creation? Retrieved October 5, 2015, from <https://www.laurea.fi/en/projects/coco-tool-kit/coco-tool-kit-in-general/what-is-cocreation> 276 *ServDes.* 2016 Fifth Service Design and Innovation conference
 - Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2004). 11 Strategy as Discovery. In *The Future of Competition* (p. 200). Boston, Massachusetts: Harvard Business School press.
 - Ramaswamy, V. (2008). Co-creating value through customers' experiences: the Nike case. *Strategy. Leadersh.* 36, 9–14.
 - Roser, Th., Samson, A., Humphreys, P., Cruz-Valdivieso, E. (2008). Co-creation: New pathways to value. An overview [white paper]. (2008). Retrieved

October 5, 2015, from

http://www.promisecorp.com/documents/COCREATION_REPORT.pdf

- Sanders, E.B.-N., Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign* 4, 5–18. doi:10.1080/15710880701875068
- Wulfsberg, J.P., Redlich, T., Bruhns, F.-L. (2010). Open production: scientific foundation for co-creative product realization. *Prod. Eng.* 5 (p.5). doi:10.1007/s11740-010-0286-6

- **Types of co-creation**

- Bartl, M. (2009, 12) Co-creation 360. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.michaelbartl.com/article/co-creation-360/> Fronteer Strategy (2009).
- Co-creation's 5 guiding principles [white paper]. Retrieved October 5, 2015, from http://www.fronteerstrategy.com/uploads/files/FS_Whitepaper1-Cocreation_5_Guiding_Principles-April2009.pdf
- Frow, P., Nenonen, S., Payne, A., Storbacka, K. (2015). *Managing Co-creation Design: A Strategic Approach to Innovation*.
- Br. J. Manag. 26, 463–483. doi:10.1111/1467- 8551.12087 Kang, J.-Y.M., 2014. Repurchase loyalty for customer social co-creation e-marketplaces.
- J. Fash. Manag. 18. Kukkur, M. (2011, 12, 20). Co-creation Is Today's Most Accepted Model For Innovation. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.forbes.com/sites/infosys/2011/12/20/co-creationinnovation-bte/>
- Muscroft, J. (2011, 04, 22). Co-Creating Brands & the Co-Creation Process. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.facegroup.com/blog/co-creating-brands-the-co-creationprocess/>
- Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2004. Co-creation experiences: The next practice in value creation. *J. Interact. Mark.* 18, 5–14. doi:10.1002/dir.20015
- Quintarelli, E. (2010). Enterprise 2.0 Pilots. Yes or No? It depends. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.socialenterprise.it/en/index.php/2010/04/23/enterprise-2-0-pilotsyes-or-no-it-depends/>

- Rihova, I., Buhalis, D., Moital, M., Gouthro, M.B. (2013). Journal of Service Management Social layers of customer-to-customer value co-creation. J. Serv. Manag. 24, 553–566.
- Rodes, M. (2008, 08, 26). THE CO-CREATION SPECTRUM. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.freshminds.net/2008/08/the-co-creation-spectrum/>
- Roser, Th., Samson, A., Humphreys, P., Cruz-Valdivieso, E. (2008). Co-creation: New pathways to value. An overview [white paper]. (2008). Retrieved October 5, 2015, from <http://www.promisecorp.com/documents/>
- COCREATION_REPORT.pdf SALES 20|20 (2014, 05, 31). How to move from value based selling to value co-creation with customers? Retrieved October 5, 2015 from <http://www.slideshare.net/SalesCubes/sales-cocreation35336385>
- Sawhney, M., Verona, G., Prandelli, E. (2005). Collaborating to create: The Internet as a platform for customer engagement in product innovation. J. Interact. Mark. 19, 4–17. doi:10.1002/dir.20046
- Sense Worldwide (2009). The Spirit of Co-creation, risk-Managed Creativity for Business [white paper]. Retrieved October 5, 2015, from <https://senseworldwide.com/wpcontent/uploads/2013/08/Sense-Worldwide-The-Spirit-of-Co-creation-whitepaper.pdf> 277
- Thorsten, R., DeFillippi, R., Samson, A. (2013). Managing your co-creation mix: co-creation ventures in distinctive contexts. Eur. Bus. Rev. 25, 20–41. doi:10.1108/09555341311287727
- Vernet, E., Hamdi, L. (2013). Co-creation with customers: who has the competence and wants to cooperate, International Journal of Market Research, 55, 4, 539-561

● Steps of co-creation

- 90:10 (2010, 03, 31). Co-creation is more than just a philosophy! Retrieved October 5, 2015 from <http://www.9010group.com/countries/9010-middle-east/co-creation-is-more-than-justa-philosophy>

- Aarikka-Stenroos, L., Jaakkola, E. (2012). Value co-creation in knowledge intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process. *Ind. Mark. Manag.* 41, 15–26. doi:10.1016/j.indmarman.2011.11.008
- Castro-Martinez, M.P., Jackson, P.R. (2015). Collaborative value co-creation in community sports trusts at football clubs. *Corp. Gov.* 15, 229–242.
- Farrow Partnership (2010, 03, 03). Funnels, Tunnels, Liquid Arrows? Retrieved October 5, 2015 from <https://farrowpartnership.wordpress.com/2010/03/03/funnels-tunnels-liquidarrows/>
- Fronteer Strategy (2009). Co-creation's 5 guiding principles [white paper]. Retrieved October 5, 2015, from http://www.fronteerstrategy.com/uploads/files/FS_Whitepaper1-Cocreation_5_Guiding_Principles-April2009.pdf
- Grönroos, C. (2012). Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back to the future. *J. Mark. Manag.* 28, 1520–1534. doi:10.1080/0267257X.2012.737357
- Grönroos, C., Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and cocreation.
- J. Acad. Mark. Sci. 41, 133–150. doi:10.1007/s11747-012-0308-3 IDEO (2011). Human Centred Design Toolkit, 2nd edition (P.8-9). Retrieved October 5, 2015, from <http://www.slideshare.net/akaplan716/ideo-hcd-toolkitfinalccsuperlr>
- Lambert, D.M., Enz, M.G. (2012). Managing and measuring value co-creation in business-to business relationships.
- J. Mark. Manag. 28, 1588–1625. doi:10.1080/0267257X.2012.736877 Muentekunigami, A. (2013). Co-Creation of Government Services. Retrieved October 5, 2015, from World Bank: <http://blogs.worldbank.org/ic4d/co-creation-of-government-services>
- Nagaoka, H., Kosaka, M. (2012). Management Method and Technology for Value Cocreation Model – KIKI Model. *Proceedings from IEEE* 3.

- Sanna, A., Vinci, S., Bellini, S. (2012) City of the Future living labs. What we do. Retrieved October 5, 2015, from <http://www.eservices4life.org/cityofthefuturelab/what-we-do/>

22.17 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- Dr.Thomas Paul Kattookaran “**Business Environment Study Material**”, <https://www.freebookcentre.net/business-books-download/Business-Environment-Study-Material.html>
- Dr. Karam Pal “**BUSINESS AND ENVIRONMENT**” <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/mcom/mc-103.pdf>
- David Campbell and Tom Craig “**Organisations and the Business Environment**” Second edition, <http://www.ascdegreecollege.ac.in/wp-content/uploads/2020/12/Organisations-and-the-Business-Environment.pdf>

22.18 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/ Links):

- https://hi.wikipedia.org/wiki/कारोबारी_माहौल
- <https://www.businessmanagementideas.com/hi/term-paper/business-environment-term-paper/business-environment/17145>
- [https://mdu.ac.in/UpFiles/UpPdfFiles/2020/Jan/Business%20Environment%20\(1\).pdf](https://mdu.ac.in/UpFiles/UpPdfFiles/2020/Jan/Business%20Environment%20(1).pdf)
- <https://oyehero.com/india-bio/gyan/business-environment-definition-in-hindi/>
- <https://in.ilearnlot.com/2019/06/business-environment.html>
- Wikipedia site: wikicareer.in
- file:///C:/Users/KMC/Downloads/249_Enterpreneurship_Lesson_16.pdf

इकाई - 23

भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy in India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 23.0 उद्देश्य
- 23.1 प्रस्तावना
- 23.2 काला धन
- 23.3 काले धन की उत्पत्ति
- 23.4 भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव
- 23.5 कर चोरी
- 23.6 भारत में काले धन को मापने की दो प्रमुख विधियाँ
- 23.7 सरकारी उपाय
- 23.8 स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना
- 23.9 समानांतर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव
- 23.10 सारांश
- 23.11 अधिगम परिणाम
- 23.12 शब्दकोष
- 23.13 स्वपरख प्रश्न
- 23.14 संदर्भ व ग्रन्थसूची
- 23.15 अन्य पठन सामग्री
- 23.16 वेब संसाधन /लिंक

23.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिसमें की काला धन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव, कर चोरी, सरकारी उपाय, स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना आदि की जानकारी विस्तारपूर्वक दी है इसके साथ ही समानांतर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा उससे भी अवगत कराना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

23.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अपने कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात् औद्योगिक व्यापारिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यय तथा समानता पर आधारित वितरण तथा आय की असमानता की समाप्ति के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की आय तथा वित्तीय साधनों में कभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए।

इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो, जिससे देश के वित्तीय साधनों का विनियोजन आर्थिक विकास में सहायक क्षेत्रों में हो। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से गुजर रहा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के समानांतर एक और अर्थव्यवस्था है, जो देश की वास्तविक अर्थों में अर्थव्यवस्था बन गई है। यह व्यवस्था काले धन की है, जो हमारी राजनीति का प्राण तथा हमारी नई पश्चिमी पंचतारा, संस्कृति, सप्ततारा होटलों की वैभव वाली संस्कृति का उन्नायक है।

काला धन सरकार की आय में रुकावट पैदा करता है तथा देश के सीमित वित्तीय साधनों को अवांछित दिशाओं में मोड़ देता है। इसके अतिरिक्त काले धन या समानांतर अर्थव्यवस्था की समस्या सामान्य समस्याओं से अलग प्रकार की समस्या है क्योंकि जब हम सामान्य आर्थिक समस्याओं, यथा गरीबी, मुद्रास्फीति या बेरोजगारी के संबंध में विचार करते हैं तब हमारा ध्यान निर्धन तथा बेरोजगार आदि के समूह पर केंद्रित हो जाता है।

परंतु जब हम काले धन या समानांतर अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तब एक विशेषता दृष्टिगत होती है, कि इसमें वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिल्कूल ही प्रभावित नहीं होता, जो इस काले धन को रखता है बल्कि इससे वे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जो इससे वंचित रह गए हैं और साथ ही साथ इस देश की सरकार भी।

विगत कुछ समय से काला धन एवं भ्रष्टाचार के दोहरे मुद्दे भारत सहित विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विमर्श के केन्द्र बने हुए हैं जो आन्तरिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् काले धन के अनियंत्रित प्रसार ने अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह समस्या लगातार गम्भीर होती गयी है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत विभिन्न संरचनात्मक समस्याओं से गुजर रहा था। ऐसे में सरकार के नियोजित प्रयासों ने विकासात्मक बाधाओं को दूर किया जिससे देश में विभिन्न स्तर पर तेजी से विकास सम्भव हो सका, परन्तु उसी समय भ्रष्टाचार और कालेधन की समस्याएं भी गम्भीर होती गयीं। कर नैतिकता के प्रति लोगों के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण ने देश में कालेधन की कमी तथा कर नियमों में कालाधन की मात्रा में वृद्धि हुई की। वर्तमान उदारीकरण के दौर में भारत जैसे विकासशील देशों में विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज यह तथ्य सर्वमान्य हो गया है कि देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है जो हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की गत्यात्मक स्थिरता के लिए खतरा बन रही है।

23.2 काला धन (black money)

आजकल 'काले धन' का प्रयोग सामान्यतः बिना हिसाब-किताब वाले या छुपाई हुई आय अथवा अप्रकट धन या उस धन के लिए किया जाता है, जो पूर्णतया अथवा अंशतया प्रतिबंधित सौदों में लगा हुआ है। काला धन काली आय अथवा काली संपदा के रूप में भी हो सकता है। काली आय से तात्पर्य उन समस्त अवैध प्राप्तियों और लाभों से है जो करों की चोरी, गुप्त कोषों तथा अवैध कार्यों के करने से एक वर्ष में प्राप्त हुए हों।

इसी प्रकार काली संपदा से तात्पर्य वह काली आय, जो वर्तमान में खर्च की जाती है और बचा ली जाती है या विनियोजित कर दी जाती है अर्थात् अपनी काली आय को व्यक्ति सोना-चाँदी, हीरे-जवाहरातों, बहुमूल्य पत्थरों, भूमि, मकान, व्यापारिक परिसंपत्तियों आदि के रूप में रखता है। इस काले धन को आयकर-अधिकारियों या सरकार की करारोपण दृष्टि से बचाकर रखने में उपर्युक्त प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि 'काले धन' शब्द से आशय केवल उस धन से नहीं होता, जो कानूनी धाराओं, यहाँ तक कि सामाजिक ईमानदारी का उल्लंघन करके कमाया गया हो अपितु काले धन में वह धन भी सम्मिलित किया जाता है, जो छुपाकर रखा गया हो और जिसका कोई हिसाब-किताब न हो।

23.3 काले धन की उत्पत्ति (Generation of Black Money)

काला धन मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न करता है। **प्रथमतः** अवैध साधनों को प्रयोग करके काले धन की प्राप्ति, यथा – तस्करी, फ्लैटों और दुकानों के आवंटन में ली जानेवाली पगड़ी की राशि, माल के कोटों तथा लाइसेंसों को गैर-कानूनी रूप में बेचना, गुप्त कमीशन या घूसखोरी, विदेशी विनिमय की चोरी से प्राप्त धन तथा सरकारी नियंत्रण में बिक्री की कुछ वस्तुओं को काले बाजार में बेचने से अर्जित धन आदि।

इसी प्रकार दूसरे, प्रकार का काला धन वह होता है, जिसके अर्जन का स्रोत उपर्युक्त के विपरीत अर्थात् न्यायपूर्ण तथा वैध साधन होते हैं, परंतु अर्जन करनेवालों के व्यक्तिगत व्यवहारों के कारण यह काले धन का रूप ले लेता है या अपनी आय को कर-अधिकारी से छुपाकर तथा उसपर कर अदा न करके अर्थात् – करवंचन के फलस्वरूप भी काले धन की उत्पत्ति होती है।

जैसे - यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय आयकर के अंतर्गत है तो वह आयकर की राशि को बचाने के लिए अपनी वास्तविक आय से कर आय को दर्शाता है। इस प्रकार वह अंतर (वास्तविक आय घोषित आय) 'काला धन' कहलाएगा। वास्तव में कर-वंचन (Tax-evasion) तथा काला धन, दोनों परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं।

कर-वंचन, जहाँ काले धन को जन्म देता है, वहाँ काले धन को जब अधिक आय कमाने के लिए गुप्त रूप से व्यवसाय में लगाया जाता है, तो उससे पुनः वंचन को प्रोत्साहन मिलता है।

विगत कुछ वर्षों तक भारत में आयकर की सीमांत दर 97.75 प्रतिशत तक थी। वर्तमान में उसकी सीमांत दर 50 प्रतिशत है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के करों के संबंध में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे काला धन बढ़ता ही जा रहा है। इसी प्रकार नियंत्रण व्यवस्था भी पर्याप्त (राशनिंग) मात्रा में काले धन की जननी है। अपने देश में बहुत से उपभोक्ता और औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन मूल्य तथा वितरण सरकार के नियंत्रण में है।

आयात, निर्यात तथा विदेशी विनिमय पर भी बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई वस्तुओं के लिए लाइसेंस तथा कोटा-प्रणाली प्रचलित है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तथा बाजार मूल्य में अंतर भंग किया जाता है तथा अधिक लाभ प्राप्ति के लिए इन नियंत्रणों को नियंत्रित मूल्य की वस्तुएँ अधिक मूल्य पर काले बाजार में बेच दी जाती हैं।

व्यापारी तथा साधारण जन भी लाइसेंस, कोटा-परमिट प्राप्त करने के लिए तथा अवैधपूर्ण रीति से इस प्रकार नियंत्रण से कोई कार्य करवाने के लिए कर्मचारियों तथा अधिकारियों को रिश्वत देते हैं तथा निर्णयों में देर करने की प्रवृत्ति काले धन का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करती है।

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा वस्तुओं की कमी भी काले धन को जन्म देती है। मूल्यों के बढ़ने पर बाद में अधिक मुनाफे से व्यापारी, माल को छुपाते या संचित करते हैं तथा इस माल को काले बाजार में बेच देते हैं। फलस्वरूप काले धन में अभिवृद्धि होती है।

इसी प्रकार भ्रष्ट व्यावसायिक कासवाइयाँ व्यावसायिक खर्चों की सीमाबंदी तथा उनकी अनुमति न मिलना, बिक्रीकर तथा अन्य करों की ऊँची दरें, कर-कानूनों को अप्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना आदि भी ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं, जो प्रचुर मात्रा में काला धन उत्पादित करते हैं।

सरकारी कर्मचारी भी मूल्यों में वृद्धि के अनुक्रम में वेतन-वृद्धि नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप वे अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से आय प्राप्त करते हैं, जो काले धन का रूप ग्रहण कर लेती है। उधर ठेकेदारों, माल की आपूर्ति करनेवाले, एजेंटों तथा दलालों की संख्या में हुई वृद्धि भी काले धन की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है।

अचल संपत्तियों यथा- भूमि, भवन आदि का हस्तांतरण भी काले धन का एक बड़ा स्रोत है। के.एन. वांचूसमिति की जाँच से यह स्पष्ट हो गया है कि महानगरों में अचल संपत्ति के मूल्य 60:40 के अनुपात में अदा किए जाते हैं, जिसमें 40 का अनुपात काले धन के रूप में होता है।

कभी-कभी ये अनुपात 50:50 या 40:60 के अनुपात में भी देखने में आता है। तस्करी देश के उत्पादन तथा व्यापार को तो प्रभावित करती ही है, साथ-ही-साथ काले धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है। तस्करी काले धन के सृजन में वृद्धि करने के साथ व्यापार संतुलन को भी देश के हितों के विरुद्ध ले जाती है।

विदेशी माल तथा भारतीय माल के मूल्यों में बड़ा अंतर है। उदाहरणार्थ, अनेक मूल्यवान धातुओं के भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में 'एक निश्चित इकाई' का मूल्यों में अंतर काफी ज्यादा है। इसी प्रकार जाली नोटों के प्रचलन तथा यातायात के साधन भी काली आय का एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा साधन बन रहे हैं।

23.4 भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव (Effect of black money on Indian economy):

‘के.एन.वांचूसमिति’ ने अर्थव्यवस्था पर काले धन के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पर काले धन के बड़े खतरनाक और विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। आज काला धन देश की प्रगति को गंभीर रूप से अवरुद्ध कर रहा है, क्योंकि काले धन के कारण सरकार को राजस्व-प्राप्ति की सीधे-सीधे हानि होती है।

ऐसी आय वर्तमान में खर्च कर दी जाती है, जिससे बचत कम हो जाती है। करों की चोरी से प्राप्त आय से धन की असमानता को बढ़ावा मिलता है; चूँकि काले धन को न तो बैंकों में जमा किया जा सकता है और न ही प्रतिभूतियों में लगाया जा सकता है।

इस धन का उपयोग मुख्यतः विलासिता तथा फिजूलखर्ची में किया जाता है। इस व्यय का देश के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीमित साधनों को उत्पादन की बजाय उपभोग में लगा दिया जाता है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

यही कारण है कि वर्तमान में देश को विकास के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है, यथेष्ट रूप में इसीलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वे संसाधन काले धन के रूप में गुप्त रूप से चलनेवाले व्यवसायों में लगे हैं।

वास्तव में, काले धन की अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है, जो अदृश्य रूप में सफेद धन की अर्थव्यवस्था के समानांतर कार्य करती है। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएँ ठीक उसी प्रकार एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं जिस प्रकार दो समानांतर रेखाएँ एक-दूसरे को नहीं काटती हैं।

अतः काले धन को 'समानांतर अर्थव्यवस्था' से भी संबोधित किया जा सकता है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि दोनों अर्थव्यवस्था के स्रोत (काला और सफेद धन) दोनों एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ और शक्तिशाली होती है कि वह निरंतर सफेद धन को अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है और चक्रवृद्धि ब्याज की भांति निरंतर अपनी गति से बढ़ती जाती है।

जब तस्करी की वस्तुएँ खरीदी जाती हैं या दुर्लभ वस्तु के लिए निर्धारित राशि से अधिक मात्रा में भुगतान किया जाता है, तब कहा जाता है कि सफेद धन काले धन में परिवर्तित हो गया, परंतु इसी प्रकार कोई धनी तस्करी या उद्योगपति विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर काले धन को व्यय करे और इसके बदले निर्धारित रसीद प्राप्त करे या सरकार काले धन को स्वतः आकर्षित करने के लिए कोई विशेष योजना लागू कर दे तो काला धन सफेद धन में बदल जाता है।

अतः हम देखते हैं कि काला धन किसी देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित रूपों में घातक प्रभाव डालता है:

1. इससे कालाबाजारी, सट्टेबाजी, मिलावट तथा तस्करी-जैसे गैर-कानूनी अपराधों को बल मिलता है।
2. दुर्लभ संसाधनों को अनावश्यक और अनुत्पादक कार्यों की ओर मोड़ देता है।
3. कर-वंचन से सरकार की सकल आय में कमी आती है और समाज में- संपत्ति और आय का वितरण धनी वर्ग के पक्ष में हो जाता है, जिससे धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और भी निर्धन हो जाते हैं।
4. विलासिता, विदेशी साज-सच्चा तथा उपभोग की वस्तुओं की माँग ज्यादा होती है। यह माँग तस्करी को प्रोत्साहित करती है।
5. काले धन को सामान्यतः नकद, सोने तथा अन्य मूल्यवान धातुओं, विदेशी बैंकों, इन्वेंटरी में विनियोजन, निवासीय तथा व्यापारिक भवनों के क्रय, व्यापारिक तथा औद्योगिक पूँजी के रूप में किया जाता है। इस आय को सोने तथा मूल्यवान धातुओं में लगाना स्फीतिकारक होता है। उन वस्तुओं की माँग बढ़ने से इनका मूल्य बढ़ जाता है।
6. काले धन को विदेशी बैंकों में जमा करने में घरेलू वित्तीय स्रोत विदेशों को पलायन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप देश का भुगतान-संतुलन बिगड़ने लगता है।
7. काली कमाई से भूमि तथा भवन आदि अचल संपत्ति क्रय करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क की चोरी के साथ ही इनके मूल्य में वृद्धि होती है।
8. काली आय से हुई बचत को अवैध कार्यों के लिए वित्त के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह वित्त का वैकल्पिक स्रोत बन जाती है, जिससे सरकार की मुद्रा संबंधी नीतियाँ असफल हो जाती हैं।

23.5 कर चोरी (Tax Evasion)

कर अपवंचन (tax evasion) या कर चोरी (tax theft) व्यक्तियों, कम्पनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा गैरकानूनी रूप से कर न देने को कहते हैं। अक्सर ऐसा करने के लिए यह करदाता अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को छुपाते हैं और वास्तविकता से अधिक बुरे हालात दिखाते हैं, जैसे कि व्यापार में वास्तविकता से अधिक घाटा, कम आय या कम लाभ। यह कर बचाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कर बचाव में कम कर देने के कानूनी तरीके प्रयोग करे जाते हैं।

23.6 भारत में काले धन को मापने की दो प्रमुख विधियाँ (Two Major Methods of Measurement of Black Money in India):

भारत में काले धन को मापने की दो प्रमुख विधियाँ विद्यमान हैं:

1. **मौद्रिक विधि** : यह विधि भारत में काले धन को मापने की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि काले धन की उपलब्धता तथा उसमें आने वाला परिवर्तन, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा के प्रवाह और भंडारण को प्रतिबिंबित या प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस विधि के अंतर्गत काले धन को मापने के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह पर नज़र रखना आवश्यक है।
2. **इनपुट आधारित विधि** : इस विधि के अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितना पैसा जनरेट किया जाना चाहिये था और असल में कितना हुआ है। इन्हीं दोनों के अंतर को काला धन कहा जाता है। उदाहरण के लिये सबसे पहले एक शहर में निर्मित सभी घरों की गणना करें और यह अनुमान लगाएँ कि इन सभी के निर्माण में कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बाद यह जाँच करें कि कर रिकॉर्ड के अनुसार शहर में कितना सीमेंट बेचा गया है। यदि इन दोनों के मध्य अंतर आता है तो इसका अर्थ है कि कुछ धन कर अधिकारियों से छुपाया गया है और वह काला धन है।

23. 7 सरकारी उपाय (Government Measures):

काले धन पर अंकुश लगाने के सरकारी प्रयास:

- **विधायी कार्यवाही**: सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में कई कानून बनाए हैं जो अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने और आर्थिक लेन-देन की सूचना देने को अनिवार्य बनाते हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर आरोपण अधिनियम 2015, बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, एवं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, आदि शामिल हैं।
- **पैन रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना**: सरकार ने 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन के लिये पैन (PAN) को अनिवार्य बना दिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर अधिकारियों से छुपाए जाने वाले लेन-देन को नियंत्रित करना है।
- **आयकर विभाग की कार्यवाही**: आयकर विभाग ने भी ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो एक वित्तीय वर्ष में उच्च मूल्य के आर्थिक लेन-देन तो करते हैं, परंतु अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। काले धन को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अभी तक प्रयोग में लाए गए हंत या लाए जा रहे हैं अथवा शीघ्र ही प्रवर्तित किए जाएंगे-
 1. काले धनधारियों से यह अपेक्षा करना कि वे स्वतः तथा स्वेच्छापूर्वक अपने काले धन को प्रकट कर दें, वास्तव में, सिद्धांततः यह बड़ी उचित तथा श्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह समर्थन-योग्य नहीं है, क्योंकि यह उपाय केवल युद्ध अथवा राष्ट्रीय संकट के समय ही कारगर हो सकता है।
वांचू समिति ने भी इसका जोरदार विरोध किया है। इसके अनुसार, यदि इस उपाय का सामान्य परिस्थितियों में और वह भी बार-बार प्रयोग किया जाता है तो ईमानदार करदाता तो कर जमा कर देंगे, परंतु बेईमान करदाता इस विषय में तनिक भी नहीं सोचेंगे।

ऐसी परिस्थितियों में ईमानदार करदाताओं का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा और वे समझेंगे कि कानून तोड़नेवालों से निबटने में सरकार अक्षम है। साथ-ही-साथ सरकार का कर विभाग भी अपमान का पात्र होगा।

2. दूसरा उपाय यह है कि सरकार करदाताओं के साथ समझौता कर ले, परंतु करदाताओं को इस विषय में आश्वस्त करने के लिए ये समझौते न्यायपूर्ण, शीघ्र तथा स्वतंत्र रूप में होने चाहिए।
इन्हें कर विभाग के अंतर्गत ही किसी पृथक् निकाय को सौंपना चाहिए क्योंकि यदि राजकोषीय कानूनों के प्रशासन में अत्यंत कठोर रुख अपनाया जाता है तो उससे किसी समय के कर-वंचक अथवा अनिच्छा से कभी कर-वंचन करनेवाले व्यक्ति को ईमानदार बनने का अवसर नहीं मिलेगा तथा व्यर्थ के मतभेद बढ़ेंगे।
अतः कर-कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि काररवाई के किसी भी स्तर पर करदाता के साथ समझौता हो सके।
3. तृतीय उपाय के अंतर्गत सरकार ऐसे दीर्घकालीन धारक बॉण्ड जारी करे, जिन पर निम्न दर से ब्याज दिया जाए तथा धन विशेष निवेश करनेवालों को भी यह आश्वस्त करे कि निवेश किए गए धन के स्रोत के बारे में बॉण्डधारियों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस उपाय से दबा हुआ काला धन प्रचलन में आकर सरकार के योजना-कार्यों में व्यय होगा तथा उत्पादन-वृद्धि हो सकेगी।
इस योजना के कई लाभ भी सरकार ने बताए परंतु व्यवहार में यह योजना असफल ही रही, क्योंकि लगभग पिछले कई वर्षों से इस योजना का कोई विशेष लाभ सरकार को नहीं मिल सका है। वास्तव में, सरकार करवंचकों तथा काली आय प्राप्त करनेवालों को इस योजना के प्रति पूर्ण आश्वस्त नहीं कर पाई है, इसलिए इन धारक बॉण्डों के प्रति काले धनधारकों ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है।
4. विमुद्रीकरण भी एक कारगर उपाय हो सकता है। इसका अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य के करेंसी नोटों को रद्द कर देना, क्योंकि काला धन आमतौर पर इन्हीं नोटों के माध्यम से संचालित होता है। यद्यपि यह एक आसान और अच्छा उपाय है, तथापि भारत में यह सफल नहीं रहा है।
5. कर की अधिकतम सीमांत दर में कमी करने पर काला धन निकालने में सहायता मिल सकती है। करों की ऊँची दरें अनेक कठिनाइयों तथा जोखिमों के बावजूद कर-वंचन को लाभप्रद तथा आकर्षक बनाती हैं; करों की ऊँची दरें उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा अधिक प्रयत्न करने के मार्ग में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करती हैं, साथ ही लोगों की बचत और निवेश की इच्छा और क्षमता को भी कम करती हैं।
6. यदि सरकार तस्करी की रोकथाम में सफल हो जाए तो काले धन का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त किया जा सकता है। वास्तव में, तस्करी के प्रति सरकार पूरी तरह से जागरूक है तथा इसमें कमी लाने के पूरे प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। तस्करी का मुकाबला करने के लिए एक चौमुखी नीति अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत रोकथाम और गुप्तचर शाखा को सुदृढ़ बनाना, विदेशी विनिमय अधिनियम के प्रविधानों को कड़ाई से लागू करना, आर्थिक और कानूनी उपाय तथा पड़ोसी राष्ट्रों से द्विपक्षीय समझौते इस राजनीति के मुख्य उद्देश्य हैं। यह उपाय यदि सतर्कता, ईमानदारी तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो परिणाम उत्साहवर्धक होंगे।
7. कर-विभाग द्वारा डाले गए छापों से भी काले धन का परदाफाश होता है। काले धन को निकालने के लिए ऐसे व्यक्तियों, जिन पर संदेह होता है, के घरों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समय-समय पर छापे डाले

जाते हैं। यदि छापों की संख्या बढ़ा दी जाए तथा कर-विभाग इन छापों का क्रियान्वयन अधिक ईमानदारी और सतर्कतापूर्वक बढ़े-बढ़े तस्करों, सट्टेबाजों तथा जमाखोरों पर केंद्रित करे तो परिणाम उत्साहवर्धक रहेंगे।

8. सरकारी नियंत्रण तथा लाइसेंसों की न्यूनतम संख्या रखने पर भी काला धन अंशतः सामने आ सकता है। ये बातें काले धन तथा कर-वंचन को पैदा करती हैं।
9. देश में काले धन के निर्माण तथा संग्रह के लिए राजनेता काफी हद तक उत्तरदायी रहे हैं। अतः वांचू समिति के अनुसार रुजनीतिक दलों को चंदा देने के कारण जो राशि कुल आय में से घटाई जाए वह सकल आय की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. व्यय-कर को पुनः लागू किए जाने से भी काले धन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में काला धन इस प्रकार शामिल हो गया है कि वास्तविक प्रचलित धन के समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था चल रही है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को घुन की तरह खोखला करती जा रही है।
11. सभी आयकर-अधिकारियों के तबादले साल भर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिए जाएं तथा जिन स्थानों पर उनकी नियुक्ति की जाए वे उनके स्थायी निवास-स्थान से दूर हों। जो नए अधिकारी हैं उनके संबंध में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ उन्होंने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ भी उनकी नियुक्ति न की जाए।
12. चुनाव में धन के बढ़ते प्रभाव और चुनाव खर्च में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया जा सकता है कि सरकार की ओर से उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए; जैसे-जर्मनी और अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनावों में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं; जैसे-कंपनियों से धन लेने पर लगाई गई रोक हट दी जाए किंतु इसके साथ यह शर्त रखी जाए कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो, वे पूरा हिसाब रखें, हिसाब की जाँच हो और वह साफ-साफ बताए कि वह पूरा धन उन्हें कहाँ से मिला और वे अपने चुनाव-प्रचार में उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे।

राजनीतिक दल जो रकम अपने उम्मीदवारों को दे, उसकी सीमा भी निश्चित हो। यह भी सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान किसी को चंदा नहीं दे सकते और निजी क्षेत्र की वही इकाइयाँ चंदा दे सकती हैं जो लाभ कमा रही हों।

काला धन मुख्यतः विलासिता तथा फिजूलखर्ची में व्यय होता है, जो कि अनुत्पादक कार्य है। यह व्यय प्रथम तो देश की बचत को कम करता है; दूसरे, देश के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि सीमित साधनों (आर्थिक) को उत्पादन के आधार पर उपभोग में लगाने पर स्वाभाविक है कि देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

अतः भारत सरकार इस विकट समस्या से भली-भाँति परिचित है तथा उसके निवारणार्थ प्रयासों में लगी हुई है। आयकर उपबंधों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को ऐसी अचल संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार है, जिसका उचित बाजार मूल्य एक लाख रुपए से अधिक हो।

संपत्ति के बेनामी धारण की पद्धति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आवश्यक कर दिया गया है कि संपत्ति के वास्तविक स्वामी को संपत्ति के अर्जन के एक वर्ष के अंदर आयकर आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

किसी भी मामले में, जहाँ एक वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक का होगा, लेखा पुस्तकों का लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है।

अतः सरकार यदि कर-चोरी को घटाना चाहती है तो आयकर, प्रत्यक्ष-करों आदि की सीमांत दर, जो कि देश की तीव्र मुद्रा-स्फीति संदर्भ में काफी ऊँचे हैं, को कम कर, दे, कर-चोरों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जाए कर-प्रशासन को अधिक चुस्त तथा निपुण बनाकर आर्थिक नियंत्रण, परमिट, कोटा, लाइसेंस आदि को सीमित तथा जरूरी होने पर ही लागू किया जाए अधिक संख्या में तथा सार्थकतापूर्वक छापे मारकर, उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर, चुनाव-काल में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किए जानेवाले चंदे पर रोक लगाकर ही काले धन की समस्या से उचित तथा प्रभावशाली ढंग से निबटा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि करके देरी की प्रवृत्ति से मुक्ति पाना भी जरूरी होगा। विदेशी विनिमय की चोरी तथा तस्करी रोकने के लिए कोफेपोसा आसत्य की व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

संदिग्धों की जाँच तथा सभी कर-विभागों में उचित समन्वय होना अत्यावश्यक है। इस प्रकार उन समस्त स्रोतों को समाप्त करने में सफलता मिलेगी, जो काले धन को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप 'काला धन' हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नगण्य समस्या होगी और फिर आसानी से कुचली जा सकेगी।

वास्तव में, भारत में काला धन खूब फल-फूल रहा है। बड़े लोगों के विरुद्ध जैसी काररवाई होनी चाहिए नहीं हो पाती। इसका मूल कारण हमारे नैतिक स्तर और सामाजिक मूल्यों में आई गिरावट है। अतः नैतिकता का प्रशिक्षण और व्यवहार प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित है।

मोदी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे घरेलू और विदेश स्तर पर कालेधन में कमी आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने स्विस् अकाउंट की जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार के साथ ऑटोमैटिक इनफार्मेशन एक्सचेंज का समझौता किया। इसके अलावा सरकार विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए सख्त जुर्माने के प्रावधानों वाला 'द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 लेकर आई, साथ ही केंद्र सरकार ने 2 लाख से ऊपर की खरीदी पर पैन कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा 1 जून, 2016 को शुरू की गई इनकम डिक्लैरेशन स्कीम (आईडीएस), जिसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2016 थी, यह भी अब कारगर साबित होती दिखी। इस अघोषित आय खुलासे की योजना से अब तक सरकार को 65,250 करोड़ रुपये मिले और सरकार को इससे 30 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिलेंगे। इस योजना के तहत आय का खुलासा करने पर 45 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जिसमें 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, 7.5 प्रतिशत पेनल्टी और 7.5 प्रतिशत कृषि कल्याण टैक्स शामिल हैं। अगर मोदी सरकार के कालेधन पर प्रतिबद्धता को आंकने का प्रयत्न करें तो यह आंकड़े काफी हद तक स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। दरअसल, मोदी सरकार ने पिछले दो वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी, 21,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा किया 3,963 करोड़ रुपये का तस्करी का सामान जब्त किया और 1,466 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की। अलबत्ता सरकार की भ्रष्टाचार और कालेधन विरोधी नीतियों का ही असर है कि स्विस् बैंक में भारतीयों के धन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। स्विस् नेशनल बैंक

(एसएनबी) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के स्विस् अकाउंट में एक तिहाई की रिकॉर्ड कमी आई है। स्विस् खातों में भारतीयों का धन 1.2 बिलियन फ्रैंक (8,392 करोड़) रह गया है।

23.8 स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (Voluntary Disclosure Scheme)

काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने कई बार स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाएं आरंभ कीं। इस योजना की शुरुआत 1951 में पहली बार की गई, जिसके परिणामस्वरूप 71 करोड़ का प्रकटीकरण हुआ और 11 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। फिर इस योजना की शुरुआत 1965 में प्रकट आय पर 60 प्रतिशत कर के प्रावधान के साथ की गई, जिसके परिणामस्वरूप 146 करोड़ के खुलासे तथा 68 करोड़ का कर संग्रहण हुआ।

फिर से प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने इस योजना का उपयोग आय और धन दोनों के लिए फिर से किया। तदनुसार इस योजना में 1578 करोड़ का प्रकटीकरण और आयकर तथा संपत्ति कर के रूप में 248.7 करोड़ का कर संग्रहण बताया गया था।

काले धन का पता लगाने के लिए वर्ष 1997-98 के बजट में फिर से इस योजना की शुरुआत की गई। आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (VDIS) 1997।

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने 1997-98 के वार्षिक बजट को पेश करते हुए आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (VDIS) शुरू की। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1997 में हुआ और इसे 31 दिसंबर, 1997 को बंद कर दिया गया।

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वादा यही था कि उनकी सरकार आई तो वह विदेशी बैंकों में जमा पूरा काला धन वापस लेकर आएंगे।

योजना का मुख्य नारा **"30% कर और 100% मानसिक राहत"** और यह एक अच्छे परिणाम प्राप्त करने में काफी सफल रहा। सरकार ने आश्वासन दिया कि योजना के तहत प्रकट राशि के स्रोत की जांच नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि 31 दिसंबर 1997 को इस योजना के बंद होने पर VDIS के संग्रहण में लगभग 2 लाख 8000 करोड़ों का संग्रह घोषित हुआ।

सरकार की स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (IDS) और काला धन एवं टैक्स आरोपण एक्ट (BMIT Act) के तहत कुल 69,350 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 5,000 करोड़ रुपये और आए हैं। BMIT एक्ट को सरकार ने 2015 में लागू किया था। इसके तहत विदेश में संपत्ति रखने वाले लोगों को एक बार में एकमुश्त टैक्स देकर अपने काला धन को सफेद करने का मौका मिला था। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2015 के ही दौरान इस योजना के तहत करीब 650 लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा अपनी कुल 4,100 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया।

इसके बाद सरकार ने दो और ऐसे तरीके मुहैया कराए। पहली थी साल 2016 की आय घोषणा योजना (IDS) - इस योजना के तहत पिछले आकलन वर्ष तक जिन लोगों ने ईमानदारी से अपनी आय या संपत्ति की घोषणा नहीं की थी, उन्हें इसका खुलासा करने का मौका दिया गया। इसके बदले उनकी आय पर 45 फीसदी का एकमुश्त टैक्स लगाने का प्रावधान था। आईडीएस के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये के एसेट का खुलासा किया।

23.9 समानांतर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव (Impact of GST on Parallel Economy)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू हो जाने के बाद देश में उद्योगों और कारोबार को तो पंख लगेंगे ही, काले धन के कैंसर से निपटने में भी इसके काफी कारगर साबित होने की उम्मीद है।

जीएसटी सिस्टम के काम करना शुरू करने के बाद, अधिकतर काले धन के स्रोत ही बंद हो जाएंगे। अभी अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं और उनमें आपसी तालमेल का इतना अभाव है कि चाह कर भी राज्य सरकारें सही-सही कई तरह के वाणिज्यिक कर नहीं वसूल पातीं। इस वजह से काला धन बढ़ता चला जाता है।

अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म डेलॉय इंडिया की सीनियर डायरेक्टर और अप्रत्यक्ष कर की विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट सलोनी राय ने अमर उजाला को बताया कि जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद कर चोरी की संभावना बेहद कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकारी खजाने में वह रकम भी जमा होगी, जो अभी चोरी कर ली जा रही है। इसके दो फायदे होंगे, पहला तो काले धन का निर्माण नहीं होगा और दूसरा, राज्य सरकारों की आमदनी बढ़ेगी।

उद्योग संगठन फिक्की में जीएसटी पर गठित टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक काले धन पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। इसके बन जाने के कारण कोई सामान का विक्रेता यदि कर चुराने की कोशिश करे भी, तो वह अधिकारी की नजर से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उस सामान का निर्माता उसके बार में जानकारी सिस्टम में फीड कर चुका होगा और जैसे ही वह कर चुराने की कोशिश करेगा, कर अधिकारी द्वारा पकड़ा जाएगा।

फिक्की द्वारा ही जीएसटी पर कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस क्षेत्र में एक बेहद कारगर खरीद-बिक्री ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इसमें दर्ज हुए बिना कोई भी उत्पाद बाजार में न जाने पाए। जब राज्य सरकारों और केंद्र का सिस्टम एक होगा, तो फिर कर चोरी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

वित्त मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के मुताबिक जीएसटी से राज्यों की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा होगा। उनके मुताबिक इस समय जो सिस्टम चल रहा है, उसमें केन्द्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क की तो वसूली ठीक-ठाक हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार उस पर सही-सही वाणिज्यिक कर नहीं वसूल पातीं। जीएसटी में केन्द्र और राज्य के लिए एक ही सिस्टम होना पर ऐसा नहीं होगा।

स्व मूल्यांकन – प्रथम

1. **काले धन का असर :** आपके मतानुसार, काले धन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे है? और इसका व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है?
2. **कर-वंचन का खुलासा :** कृपया करके कारण बताएं कि लोग क्यों को चोरी या अन्य तरीकों से कैसे टाल रहे हैं, और इससे नुकसान कैसे हो रहा है?

23.10 सारांश (Summary)

मानव की भौतिकतावादी विचारधारा और नैतिक मूल्यों के हास ने देश में काले धन की समस्या को तेजी से बढ़ावा दिया है। काले धन के इस अति प्रसार के कारण आज हर तरफ अवैध आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। आज अधिकांश व्यक्ति तथा संस्थाएं कर-वंचन में संलग्न हैं और ऐसे आधिक्य सृजन कर रहे हैं जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में

सम्मिलित नहीं हो पाता है। कर वंचन के अतिरिक्त अपराध, ड्रग व्यापार, आतंकवाद, तस्करी हथियारों का व्यापार एवं भ्रष्टाचार देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। यह निम्न कर राजस्व, भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित स्फीति, रीयल स्टेट सेक्टर में तेजी भारतीय कोषों का विदेशों में स्थानान्तरण, असामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन आदि के रूप में अर्थव्यवस्था को गम्भीर खतरे में डालकर विकास के सम्भावित लाभों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इससे लोगों की क्रय-शक्ति में कमी आई है। देश एवं समाज में आय की विषमता बढ़ी है तथा धनी एवं निर्धन के बीच असमानता असहनीय होती जा रही है। विभिन्न योजनाओं की विफलता भी इसी का परिणाम है। सरकार द्वारा समय-समय पर काले धन के आंकलन एवं कर-चोरी को रोककर काले धन पर नियन्त्रण लगाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है एवं विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया गया है, परन्तु इसके बाद भी देश में काले धन की मात्रा बढ़ती ही गयी है। स्पष्टतः काला धन देश की अर्थव्यवस्था को सामाजिक-आर्थिक रूप से हानि पहुंचा रहा है। यदि यह धन राष्ट्रीय हित में उपयुक्त विधियों से उपयोग किया जाये तो देश की अर्थव्यवस्था विकास के नये आयाम प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि सरकार ने 2015-16 के बजट में काले धन पर कठोर रुख अपनाया है। बजट में कर चोरी पर 10 वर्ष की सजा और विदेशों में काला धन छिपाने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही, इसके लिए नया कानून बनाने की बात की गयी है। काले धन के प्रसार से उत्पन्न प्रभावों को देखते हुए इस पर शीघ्र नियन्त्रण की आवश्यकता है।

23.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. छात्र को विभिन्न रणनीतिक प्रतिक्रियाओं कि पहचान करने कि क्षमता मिलेगी।
 2. विभिन्न संदर्भों में रणनीतिक प्रतिक्रियाओं का विवेचन करने की योजना बना सकेंगे।
 3. छात्र विभिन्न प्रतिक्रियाओं के प्रभावों को विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त करेंगे।
 4. छात्र व्यावसायिक परिसरों में होने वाली रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझेंगे।
 5. इन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके व्यवसायिक वातावरण में सुधार के लिए सुझाव देने में सक्षम होंगे।
 6. छात्र रणनीतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके उनका पर्यावलोकन करेंगे।
-

23.12 शब्दकोष (Glossary)

- **बजट:-** बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द bougette से व्युत्पन्न धन (राजस्व) के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) में अर्थसंकल्प एक महत्वपूर्ण अवधारणा (कांसेप्ट) है।
- **कर:-** किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं।
- **अर्थव्यवस्था:-** अर्थव्यवस्था (Economy) उत्पादन, वितरण एवम खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है।
- **जीएसटी:-** वस्तु एवं सेवा कर (संक्षेप में सेवक या जीएसटी अंग्रेजी :GST, अंग्रेजी :Goods and Services Tax) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है।

23.13 स्वपरख प्रश्न (Self- Test Questions)

1. समानांतर अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है?
What is meant by parallel economy?
2. जीएसटी से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by GST?
3. कर चोरी कैसे की जाती है?
How is Tax Evasion done?
4. काले धन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की विवेचना कीजिये।
Discuss the steps taken by the government in relation to black money.
5. स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दें।
Explain the detail about the Voluntary Disclosure Scheme?
6. समानांतर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के कारण पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें।
Describes the effects of GST on a Parallel Economy?

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

1. **सरकारी उपाय :** आपके अनुसार, सरकार कैसे काले धन को रोकने और इससे निर्मूलन के लिए कदम उठा सकती है?
2. **व्यापारिक परिसंपत्ति और लोगों की स्थिति :** कृपया बताएं कि काले धन के उपयोग से व्यापारिक परिसंपत्तियों की क्या हानि हो रही है और आम लोगों की स्थिति कैसे प्रभावित हो रही है?
3. **संभावनाएं :** आपके अनुसार, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है और लोगों को कैसे सचेत किया जा सकता है?

23.14 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, a study on widening of tax base and tackling black money
- दास, पी.के. (2018)। काला धन और कर चोरी-भारतीय संदर्भ में एक अंतर्दृष्टि। मार्केटिंग, 3(4).
- देवधर, राहुल.(2016)। काला धन और विमुद्रीकरण। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। 10.2139/एसएसआरएन.2869172।
- विष्णु पद्मनाभन, 23 मई, 2012, काले धन पर श्वेत पत्र, <https://prsindia.org/policy/report-summaries/white-paper-black-money>

23.15 अन्य पठन सामग्री (Other Study Material)

- Guide to Black Money Act by, Taxmann Publications
- The black economy in India
- Pradip Kumar Das: - An Insight into Black Money and Tax Evasion – Indian Context
- Dr. Devarajappa, S. Devarajappa (2017) “Tax Evasion in India: A Study of its Impact on the Revenue of the Government”

23.16 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources/ Links)

- <https://www.essaysinhindi.com/social-issues/black-money/> काला धन: कारण और निवारण पर निबंध/4921
- https://hi.wikipedia.org/wiki/भारत_का_काला_धन
- <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/inaccurate-diagnosis-draconian-remedy>
- <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/black-money-and-difficulties-to-determine>
- https://hi.wikipedia.org/wiki/कर_अपवंचन
- <https://www.aajtak.in/india/story/modi-govt-black-money-report-card-unearthed-rs-1-lakh-crore-plus-dat-559113-2018-08-03>
- <https://dor.gov.in/sites/default/files/FinalBlackMoney.pdf>
- <https://www.amarujala.com/news-archives/business-archives/gst-to-rein-on-black-money-hindi-news>

इकाई - 24

वित्तीय पर्यावरण (Financial Environment)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

- 24.0 उद्देश्य
- 24.1 प्रस्तावना
- 24.2 वित्तीय पर्यावरण से आशय
- 24.3 वित्तीय पर्यावरण की विशेषताएं
- 24.4 वित्तीय पर्यावरण के उद्देश्य
- 24.5 वित्तीय पर्यावरण के निर्धारक
- 24.6 वित्तीय पर्यावरण के प्रभाव
- 24.7 सरकार एवं वित्तीय पर्यावरण
- 24.8 वित्तीय पर्यावरण की बाधाएं
- 24.9 वित्तीय पर्यावरण में सुधारात्मक सुझाव
- 24.10 सारांश
- 24.11 अधिगम परिणाम
- 24.12 शब्दकोष
- 24.13 स्वपरख प्रश्न
- 24.14 संदर्भ व ग्रन्थ सूची
- 24.15 अन्य पठन सामग्री
- 24.16 वेब संसाधन / लिंक

24.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को वित्तीय पर्यावरण से आशय, इसकी विशेषताओं, वित्तीय पर्यावरण के उद्देश्य, वित्तीय पर्यावरण के निर्धारक तत्वों तथा इसके प्रभाव की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार और वित्तीय पर्यावरण, वित्तीय पर्यावरण के बाधक तत्व तथा इसके सुधारने के उपायों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

24.1 प्रस्तावना (Introduction)

वित्तीय पर्यावरण पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों - कृषि, उद्योग, कानूनी प्रक्रियाएं, व्यापार, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ आदि प्रभावित होते हैं जिससे उत्पादन, आय, रोजगार, निवेश तथा

पूंजी निर्माण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था विकासशील एवं विकसित की स्थिति प्राप्त करती है।

24.2 वित्तीय पर्यावरण से आशय (Meaning of Financial Environment)

वित्तीय पर्यावरण से आशय किसी भी देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, बाजार संरचना, आर्थिक नीतियाँ, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, आर्थिक नियम, विदेशी व्यापार एवं विदेशी व्यापार नीति, बाजार दशाएँ, उद्यमी एवं नव प्रवर्तन आदि से है। इस आर्थिक पर्यावरण से देश की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इसी के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में विभक्त की जाती है।

24.3 वित्तीय पर्यावरण की विशेषताएं (Characteristics of Financial Environment)

वित्तीय पर्यावरण की निम्न विशेषताएं होती हैं:

1. **आर्थिक क्रियाओं से सीधा सम्बन्ध** : किसी भी देश का वित्तीय पर्यावरण इसकी आर्थिक क्रियाओं - कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, यातायात एवं सन्देशवहक के साधन, बीमा, सार्वजनिक आगम, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन आदि से जुड़ा हुआ है।
2. **गैर-आर्थिक तत्वों का प्रभाव** : वित्तीय पर्यावरण देश में गैर-आर्थिक तत्वों - राजनीतिक एवं सरकारी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक एवं प्रावैधिक पर्यावरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण आदि पर निर्भर करता है।
3. **आधारभूत संरचना** : देश में आधारभूत संरचना - बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएँ, यातायात के साधन, बांध, बिजली परियोजनाएँ, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन आदि से वित्तीय पर्यावरण का निर्माण होता है।
4. **पूंजी की उपलब्धता** : वित्तीय पर्यावरण में पूंजी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण घटक है। विकासशील देशों में आय का स्तर निम्न होने से बचत एवं निवेश प्रभावित होते हैं। पूंजी निर्माण की दर निम्न होने से निवेश एवं रोजगार कम पनपते हैं।
5. **आर्थिक प्रणाली** : किसी भी देश में वित्तीय पर्यावरण वहाँ अपनाई गई आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है। कीमत प्रणाली से संचालित अर्थव्यवस्था में लाभ अधिकतम का उद्देश्य होने से आय एवं धन की विषमताएँ होती हैं जबकि समाजवादी प्रणाली से सरकार सर्वोपरी होने से नियोजित ढंग से विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

स्व मूल्यांकन – प्रथम

वित्तीय पर्यावरण की आर्थिक क्रियाओं में निम्नांकित सम्मिलित है :

- (i) कृषि (ii) उद्योग (iii) व्यापार और वाणिज्य (iv) लोक वित्त

24.4 वित्तीय पर्यावरण के उद्देश्य (Objectives of Financial Environment)

एक प्रभावी एवं अनुकूल वित्तीय पर्यावरण देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। वित्तीय पर्यावरण के निम्नांकित उद्देश्य होते हैं:

1. **अर्थव्यवस्था का उचित संचालन** : वित्तीय पर्यावरण का ठोस विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उचित संचालन के लिए आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था की तीव्र विकास होता है।

2. **नये अवसरों एवं संसाधनों की जानकारी :** वित्तीय पर्यावरण से अर्थव्यवस्था में विद्यमान नये अवसरों तथा संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास संभव होता है।
3. **वित्तीय पर्यावरण से पर्यावरणीय तत्वों की जानकारी :** वित्तीय पर्यावरण के आधार पर अर्थव्यवस्था में विद्यमान आर्थिक तथा गैर-आर्थिक पर्यावरणीय तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन किया जा सकता है।
4. **बाधाओं एवं चुनौतियों का हल :** वित्तीय पर्यावरण की सहायता से देश में विद्यमान बाधाओं तथा चुनौतियों का अध्ययन करके इनका हल ढूंढा जा सकता है जिससे देश का तीव्र विकास संभव होता है।
5. **खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) :** आधुनिक समय में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ बन्द नहीं होकर खुली अर्थव्यवस्थाएँ बन गई हैं। इस विभिन्न देशों में व्यापारिक गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हुई है।
6. **अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना (Establishment of International Financial Institutions) :** दूसरे विश्व युद्ध काल में विभिन्न देशों के पुनर्निर्माण तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनेक वित्तीय संस्थाओं का गठन किया गया। इनमें विश्व बैंक (IBRD), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), एशियाई विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक आदि। इससे विकासशील देश इन संस्थाओं से विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हैं।

24.5 वित्तीय पर्यावरण के निर्धारक (Determinants of Financial Environment)

देश में वित्तीय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा निर्धारक निम्न होते हैं:

1. **आर्थिक प्रणाली (Economic System) :** वित्तीय पर्यावरण देश की आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है। यदि देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसके अन्तर्गत पूंजी का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधन निजी, लाभ का उद्देश्य, गला घोट प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, आर्थिक शोषण, व्यापार चक्र, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण तथा भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके विपरीत समाजवादी प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकारी होता है। उत्पादन के साधनों का सरकारी स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, जनता के आर्थिक कल्याण के लिए उत्पादन तथा वितरण के निर्णय सरकारी होते हैं जिससे वित्तीय पर्यावरण की स्थिति भिन्न पायी जाती है। इन दोनों के बीच मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत निजी एवं सार्वजनिक उद्योग साथ-साथ चलते हैं। इससे वित्तीय पर्यावरण की प्रकृति भिन्न पाई जाती है।
2. **बाजार संरचना (Market Structure) :** देश की अर्थव्यवस्था में विद्यमान बाजार संरचना का प्रभाव वित्तीय पर्यावरण पर पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत समरूप उत्पादन, क्रेताओं और विक्रेताओं की असंख्य संख्या, उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, बाजार की दशाओं की पूर्ण जानकारी होती है। संसाधनों का

अधिकतम उपयोग एक काल्पनिक स्थिति होती है। एकाधिकारी बाजार की स्थिति में लाभ का उद्देश्य, फर्मों के प्रवेश पर रोक, वस्तु के निकट के स्थानापन्न का अभाव होता है इन दोनों बाजारों के बीच की स्थिति एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की होती है। इस प्रकार विभिन्न बाजारों के विद्यमान होने से वित्तीय पर्यावरण निर्धारित होता है।

3. **सरकारी आर्थिक नीतियाँ (Economic Policies of Government) :** प्रत्येक सरकार की आर्थिक नीतियों के पृथक् लक्ष्य होते हैं जिसके अनुसार विभिन्न नीतियों को तैयार करना एवं इनका क्रियान्वयन किया जाता है। इन नीतियों में कृषि नीति, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, श्रम नीति, लाइसेंस नीति तथा मूल्य नीति प्रमुख है। इन नीतियों के माध्यम से प्रभावी निर्धारण एवं क्रियान्वयन से उत्पादन, आय, रोजगार, निवेश, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है जिससे अर्थव्यवस्था का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है और इससे देश का वित्तीय पर्यावरण भी निर्धारित होता है।
4. **मुद्रा एवं पूंजी बाजार (Money and Capital Market) :** वित्तीय पर्यावरण का निर्धारण देश में विद्यमान मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर निर्भर करता है। एक विकसित मुद्रा एवं पूंजी बाजार की स्थिति में वित्तीय पर्यावरण भी सुव्यवस्थित होता है जिससे देश का आर्थिक विकास तीव्र होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्रबंधन किया जाता है। बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है।
5. **मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ (Monetary and Fiscal Policies) :** वित्तीय पर्यावरण का निर्धारण देश की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों द्वारा भी किया जाता है। देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा एवं साख का नियमन, नियन्त्रण एवं निर्देशन अर्थव्यवस्था में वित्तीय पर्यावरण का निर्धारण करता है। मंदी तथा तेजीकाल के अन्तर्गत वित्तीय पर्यावरण अलग-अलग प्रकार का होता है और इसके अनुसार ही निर्णय लिये जाते हैं। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत वित्तीय पर्यावरण का निर्धारण इसके सार्वजनिक आगम, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय पर्यावरण वहाँ की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों पर निर्भर करता है।
6. **विदेशी सहायता एवं विदेश नीति (Foreign Aid and Foreign Policy) :** वित्तीय देश की विदेशी सहायता तथा विदेश नीति द्वारा निर्धारित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, विदेशी व्यापार नीति, वस्तु समझौते, विदेशी विनिमय नियन्त्रण देश के वित्तीय पर्यावरण का निर्धारण करते हैं। विदेशी सहायता एवं विदेश नीति के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के समझौते सम्पन्न होते हैं और वित्तीय पर्यावरण भी निर्धारित होता है।
7. **उदारीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalisation and Globalization) :** विगत वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक दूरियाँ कम हुई हैं क्योंकि प्रत्येक देश अपने मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। इसके लिए मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बिना किसी बाधा के

विभिन्न देशों में होना आवश्यक है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रोत्साहन से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पर्यावरण में काफी परिवर्तन हुआ है। इससे विश्व के विभिन्न देश एक गाँव के रूप में व्यापार कर रहे हैं। भौगोलिक दूरियाँ कम हो गई हैं। वर्तमान कोविड-19 की विश्व व्यापी बीमारी में सभी देशों के आपसी सहयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है।

24.6 वित्तीय पर्यावरण के प्रभाव (Effects of Financial Environment)

देश की अर्थव्यवस्था विद्यमान वित्तीय पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसके प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं:

1. **कृषि क्षेत्र (Effects of Financial Environment) :** देश में वित्तीय पर्यावरण अनुकूल होने पर कृषि क्षेत्र को पर्याप्त अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास संभव होता है।
2. **औद्योगिक विकास (Industrial Development) :** देश में श्रम गहन एवं पूंजीगहन उत्पादन के तरीके अपनाने से कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाता है। इसके लिए पूंजी निर्माण आवश्यक होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास इस क्षेत्र के वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। वित्तीय पर्यावरण का विकास औद्योगिक विकास को प्रभावित करता है।
3. **विदेशी व्यापार (Foreign Trade) :** घरेलू उत्पादन न केवल देश की जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए आवश्यक है बल्कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्यात एवं आयात भी किया जाता है। विदेशी विनिमय की पूर्ति नियति में वृद्धि तथा आयात प्रतिस्पादन के माध्यम से ही संभव है। देश में आयात निर्यात बैंक इसका वित्त प्रबंधन करता है। वस्तु समझौते करके विदेशी विनिमय कोषों पर बढ़ते भार को कम किया जा सकता है।
4. **आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure) :** किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढाँचा आवश्यक है। इसके लिए यातायात एवं संदेश वहन के साधनों का विकास, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं का विकास, नदी घाटी परियोजनायें आवश्यक हैं इसके लिए पूंजी निर्माण आवश्यक है। वित्तीय पर्यावरण अनुकूल होने पर बचत, निवेश, रोजगार, उत्पादन व्यापार को बढ़ावा मिलता है देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है।
5. **प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग (Optimum Utilization of Natural and Human Resources) :** वित्तीय पर्यावरण से देश की प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का विकास संभव होता है। बिना आधारभूत बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के विकास के पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। वित्तीय संसाधनों की पूर्ति तथा इसकी मांग के बीच समायोजन करके देश में उत्पादन, निवेश, रोजगार एवं निर्यात करके संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है।
6. **नव प्रवर्तन एवं तकनीकी सहयोग (Innovation and Technical Cooperation):** आवश्यकता आविष्कार की जननी हैं विश्व के विभिन्न देश विकास के आधार पर विकसित एवं विकासशील देशों की श्रेणी

में आते हैं। विकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई है। विकासशील देश इन नवाचारों तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपने आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करना चाहते हैं। विकासशील देश विकसित देशों से विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा तकनीकी उन्नति का आसानी से आयात करके विकास पर्यावरण को अनुकूल कर सकते हैं।

7. **उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि (Increase in Productivity and Production):** वित्तीय पर्यावरण के देश की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन संभव होते हैं। हमारे देश में हरित क्रान्ति, सफेद क्रान्ति एवं काली क्रान्ति का प्रमुख आधार कृषि, दुध तथा कोयला क्षेत्र में उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे न केवल देश की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है बल्कि अतिरिक्त उत्पादन का विभिन्न देशों में निर्यात करके विदेशी विनिमय कमाई है जिससे व्यापार सन्तुलन में साम्यावस्था प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
8. **वित्तीय संस्थाओं की स्थापना (Establishment of Financial Institutions) :** देश में वित्तीय पर्यावरण देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है। आर्थिक नियोजन से तीव्र आर्थिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। वर्ष 1969 तथा वर्ष 1980 में अनेक निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया। वर्ष 1982 में आयात निर्यात बैंक तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक स्थापित किये गये। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त की आपूर्ति के लिए अनेक औद्योगिक विकास संस्थाओं की स्थापना की। इससे कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये।

स्व मूल्यांकन – द्वितीय

वित्तीय पर्यावरण प्रभावित करता है :

- (i) औद्योगिक विकास
- (ii) आधारभूत संरचना
- (iii) प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग
- (iv) उत्पादन एवं उत्पादकता

24.7 सरकार और वित्तीय पर्यावरण (Government and Financial Environment)

सरकार की भूमिका देश की आन्तरिक कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करने तक सीमित थी। तीसा की महान् मंदी के पश्चात् सरकार के कार्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ा है। वित्तीय पर्यावरण भी सरकार हस्तक्षेप से अछूता नहीं रहा है। आज प्रत्येक देश की सरकार प्राकृतिक एवं माननीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके देश का तीव्र विकास करना चाहती है। वित्तीय पर्यावरण भी सरकार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों से प्रभावित हुआ है। सरकार निम्न रूपों में वित्तीय पर्यावरण को देश के अनुकूल करने हेतु निम्न आवश्यक कदम उठाती है:

1. **बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास (Development of Banking and Financial Institutions) :** सरकार देश में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास करती है। इससे जमाकर्ताओं को ब्याज देकर जमाओं को आकर्षित करती है तथा इन जमाओं का अधिकांश हिस्सा अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में करती है। इससे उधार देय कोषों की पूर्ति एवं मांग में समायोजन करके पूंजी निर्माण में वृद्धि करती है। इससे देश में बचत, निवेश, उत्पादन, रोजगार एवं पुनर्वित्त को प्रोत्साहन मिलता है। निजी एवं सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना, वित्तीय संस्थाओं का गठन, देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा नियमन एवं नियन्त्रण करके मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार का विकास करती है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वित्तीय पर्यावरण तैयार होता है।
2. **राजकोषीय नीति की भूमि (Role of Fiscal Policy) :** देश की सरकार सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है जैसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधारभूत संरचना तैयार करना, आय एवं धन की विषमताओं में कमी, तीव्र आर्थिक विकास आदि। इन उद्देश्यों की पूर्ति राजकोषीय नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव होती है और इसके लिए वित्तीय पर्यावरण का आधारभूत ढांचा सरकार को तैयार करना होता है।
3. **विकासात्मक बैंकों की स्थापना (Establishment of Developmental Banks) :** वित्तीय पर्यावरण के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की बैंकों की स्थापना करती है। इससे औद्योगिक विकास के लिए वित्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लघु उद्योग, विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आयात निर्यात बैंक आदि का गठन वित्तीय पर्यावरण को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक माना जाता है।
4. **आधारभूत संरचना का वित्त प्रबंधन (Financing of Basic Infrastructure) :** किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास संभव होता है जब देश में आधारभूत संरचना - यातायात एवं संदेश वहन के साधन, औद्योगिकरण, कृषि विकास, बांधों एवं नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा आदि की आवश्यकता पड़ती है। इनमें दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता पड़ती है और यह वित्तीय पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर करता है।
5. **स्वसहायता समूहों का गठन (Establishment of Self Help Groups) :** सरकार ने वित्तीय पर्यावरण को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वनियोजन समूहों का गठन किया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें सशक्त हुई हैं और अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में सफल हुई हैं। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा इनको रियायती ब्याज दरों पर साख उपलब्ध कराई जाती है।
6. **उद्यमी एवं तकनीकी प्रशिक्षण (Entrepreneurial and Technical Training):** वित्तीय पर्यावरण के अन्तर्गत सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा उद्यमी तैयार करने तथा इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देकर

रोजगार के लिए तैयार किया है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक तकनीकी संस्था है। स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय संसाधन सुलभ किये जा रहे हैं।

7. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का गठन (Establishment of Micro, Small and Medium Enterprises) :** राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश वाले उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा रियायती ब्याज दर एवं अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ऐसे उपक्रम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें श्रमगहन उत्पादन की विधियाँ काम में आती है जिससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।

24.8 वित्तीय पर्यावरण की बाधाएँ (Obstacles in Financial Environment)

प्रत्येक देश में वित्तीय पर्यावरण का प्रभावी एवं अनुकूल विकास संभव नहीं होता है। इसके विकास में निम्न बाधक तत्व होते हैं:

1. **प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन (Natural and Human Resources) :** देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन विद्यमान है। इनके अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास करके वित्तीय पर्यावरण तैयार किया जाता है जिससे पूंजी निर्माण, निवेश, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है।
2. **पिछड़ापन एवं नव प्रवर्तन का अभाव (Backwardness and Lack of Innovation) :** देश के वित्तीय पर्यावरण देश के पिछड़े पन तथा नवप्रवर्तन के अभाव से भी बाधित होता है। उत्पादन के आधुनिक तरीकों एवं नवप्रवर्तन के अभाव में अनुकूल वित्तीय पर्यावरण तैयार नहीं होता है।
3. **सरकार की भूमिका (Role of the Government) :** सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार करती है और योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यक्रम अपनाती है तो इसके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अनुकूल वित्तीय पर्यावरण सरकार तैयार करती है। अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन बाजारों का विकास वित्तीय पर्यावरण के अनुकूल बनता है। इसके विपरीत वित्तीय पर्यावरण में बाधाएँ उत्पन्न होती है।
4. **स्पष्ट कृषि नीति का अभाव (Lack of Clearcut Agricultural Policy) :** देश में कृषिनीति के प्रभावी क्रियान्वयन होने से वित्तीय पर्यावरण प्रभावित होता है क्योंकि कृषि उत्पादन पर अनेक उद्योग आधारित होते हैं। इनके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और वित्तीय पर्यावरण इसके अनुकूल तैयार होता है।
5. **विदेशी व्यापार एवं विदेश नीति (Foreign Trade and Foreign Policy) :** वित्तीय पर्यावरण के विकास में विदेशी व्यापार और विदेश नीति का प्रभाव भी पड़ता है। यदि देश के निर्यात में वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन की नीति होने से विभिन्न देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। इससे अनुकूल वित्तीय पर्यावरण तैयार होता है। विदेशी नीति से विभिन्न देशों से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं तथा व्यापारिक समझौतों को प्रोत्साहन

मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जिससे वित्तीय पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

6. **मुद्रा बाजार का विकास (Development of Money Market) :** भारत में असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर तथा साहूकार अल्पकालीन लेनदेन करते हैं। इनमें उत्पादक एवं अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं। ब्याज दरें भी भिन्न पायी जाती हैं इससे देश में अल्पकालीन सौदों से कोषों का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बाजार का नियमन एवं नियन्त्रण करना आवश्यक है जिससे निवेश के अवसरों में वृद्धि हो।
7. **वित्तीय संस्थाओं में समन्वय (Coordination among Financial Institution):** भारत में अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय साधनों की माँ और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इनका उपयोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके तथा उत्पादक कार्यों में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

24.9 वित्तीय पर्यावरण में सुधारात्मक सुझाव (Remedial Measures in Financial Environment)

किसी भी देश में वित्तीय पर्यावरण में सुधारात्मक सुझाव आवश्यक है। इन सुधारात्मक सुझावों में निम्न प्रमुख हैं:

1. **बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन (Encouragement to Banking and Financial Institutions) :** वित्तीय पर्यावरण के सुधारात्मक सुझावों में आधारभूत वित्तीय संस्थाओं का गठन आवश्यक है। इनमें बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का गठन सरकार तथा केन्द्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों बैंकों की शाखाएं स्थापित करके उधार देय कोषों की पूर्ति एवं मांग के बीच सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है।
2. **मुद्रा एवं पूंजी बाजारों का विकास (Development of Money and Capital Markets) :** अल्पकालीन लेनदेन के लिए मुद्रा बाजार तथा दीर्घकालीन सौदों के लिए पूंजी बाजार का विकास आवश्यक है। देश की केन्द्रीय बैंक और सरकार की भूमिका से ही संगठित एवं प्रभावी बाजारों का विकास संभव होता है और वित्तीय पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
3. **नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन(Encouragement to Innovation and Entrepreneurship) :** किसी भी देश के लिए वित्तीय पर्यावरण की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता की स्थिति कैसी है। कृषि, उद्योग, मानवीय संसाधन तथा पूंजी निर्माण आदि में नव प्रवर्तन की प्रवृत्ति तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलने पर उत्पादन की विभिन्न विधियों का उपयोग संभव होता है तथा उद्यमी जोखिम झेलने के लिए तत्पर होते हैं। इससे निवेश, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है और वित्तीय पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
4. **आधारभूत संरचना को बढ़ावा (Encouragement to Basic Infrastructure) :** किसी भी देश का तीव्र विकास वहाँ की आधारभूत संरचना पर निर्भर करता है। आधारभूत संरचना के अन्तर्गत दीर्घकालीन निवेश की

आवश्यकता पड़ती है जिससे पूंजी निर्माण होता है। इसी पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय पर्यावरण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे देश में रोजगार, उत्पादन एवं निवेश में वृद्धि होती है।

5. **सुशासन एवं जवाबदेही (Good Governance and Accountability) :** देश में वित्तीय पर्यावरण को प्रभावी बनाने के लिए हरेक स्तर पर सुशासन एवं जवाबदेयता होना आवश्यक है। इससे वित्तीय संसाधनों के प्रवाह, आवंटन एवं उपयोग में प्रत्येक स्तर पर जवाबदेयता निश्चित करना आवश्यक है जिससे कि सभी स्तरों पर परियोजनाओं के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इससे लागत भी कम होगी और उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी।
6. **अंकेक्षण (Auditing) :** वित्तीय संस्थाओं का समयबद्ध तरीके से अंकेक्षण किया जाना चाहिए। इससे संसाधनों का आवंटन, उपयोग एवं उत्पादकता की जानकारी प्राप्त होगी। वित्तीय घोटालों पर अंकुश लगाना आसान होगा। ईमानदार एवं जवाबदेय अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जावे।
7. **जन सहयोग (Public Cooperation) :** अनुकूल वित्तीय पर्यावरण समाज के विभिन्न वर्गों कृषक, उद्योगपति, व्यवसायी, वेतन भोगी कर्मचारी, उपभोक्ता, उत्पादक प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक होता है। लाभान्वित वर्ग के सक्रिय रहने पर वित्तीय पर्यावरण की प्रभावी क्रियान्वन संभव होता है और अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
8. **समय तत्व (Time Element) :** वित्तीय पर्यावरण के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण, आवश्यक संसाधनों का आवंटन तथा इनकी उपादेयता पर सरकार, प्रशासन तंत्र तथा जन सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है। समय पर साधनों का आवंटन, उपयोग तथा साधनों की आधिक्यता के बारे में सूचनायें तैयार रहनी चाहिए।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय पर्यावरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सतत तथा तीव्र आर्थिक विका की एक धुरी है।

24.10 सारांश (Summary)

इस प्रकार वित्तीय पर्यावरण के अभाव में किसी भी देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव नहीं होता है। रोजगार, उत्पादन एवं आय के उच्चस्तर को प्राप्त करने के लिए वित्तीय पर्यावरण की अनुकूलता सरकार के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्ग, सरकार, उद्योगपति तत्पर रहने चाहिए।

24.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

वित्तीय पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक एवं गैर-आर्थिक तत्वों का गहन अध्ययन आवश्यक है। प्रभावी वित्तीय पर्यावरण के लिए भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार कि दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करना और इसका समय-समय पर जाँच करना आवश्यक है।

24.12 शब्द कोष (Glossary)

- **पूंजी निर्माण (Capital Formation) :** बचत का वह भाग जिसे पुर्नउत्पादन के काम में लिया जाता है। इससे निवेश, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होता है।
- **वित्तीय पर्यावरण :** ऐसा पर्यावरण जिसके अन्तर्गत बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास होता है। मुद्रा एवं पूंजी बाजार का विकास होता है। अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन लेन-देन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

24.13 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. वित्तीय पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
Define Financial Environment. Discuss the Characteristics of Financial Environment.
 2. वित्तीय पर्यावरण के सुधारात्मक उपायों पर एक निबंध लिखिए।
Write an essay on the remedial measures of Financial Environment.
-

24.14 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (Reference and Bibliography)

- C.M. Choudhary : Economic Environment in India, Malik & Co., Jaipur.
 - Justice Paul : Business Environment Text & Cases, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.
 - Trivedi & Chaudhary : Indian Banking System, Ramesh Book Depot, Jaipur.
-

24.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- Yojana GoI Publication, New Delhi.
 - Economic Times, New Delhi.
-

24.16 वेब संसाधन/लिंक (Web resources/links) :

- www.paisabazar.com
- www.cleartax.in/s/gst-terms
- www.investindia.gov.in
- [https://www.walyben.com/factors-determining-taxable-capacity/amp](https://www.walyben.com/factors-determining-taxable-capacity/)
- gstcouncil.gov.in
- okpolicy.org
- economicdiscussion.net
- pravasitan.com
- accountlearning.com